सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2020 एवं 2021 को समाप्त वर्षों के लिए राजस्व, आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्रों तथा सा.क्षे.उ. पर प्रतिवेदन

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वर्ष 2022 की प्रतिवेदन सं. 3

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का 31 मार्च 2020 एवं 2021 को समाप्त

वर्षों के लिए राजस्व, आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य

क्षेत्रों तथा सा.क्षे.उ. पर प्रतिवेदन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वर्ष 2022 की प्रतिवेदन सं. 3

विषय-सूची

विवरण	संदर्भित	
	पैराग्राफ	**पेज सं.**
प्रस्तावना		vii
विहंगावलोकन		ix
अध्याय I: राजस्व क्षेत्र		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1.1	1
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया	1.1.2	6
स्वीकृत मामलों की वसूली	1.1.3	9
लेखापरीक्षा योजना	1.1.4	9
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.1.5	9
राजस्व अध्याय का कवरेज	1.1.6	10
राजस्व विभाग		
स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण	1.2	11
व्यापार एवं कर विभाग		
ट्रांजिशनल क्रेडिट पर अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए)	1.3	12
वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत रिफंड दावों के प्रसंस्करण पर अनुपालन लेखापरीक्षा	1.4	21
इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा	1.5	35
कर की अतिरिक्त मांग पर ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ	1.6	36
कर, ब्याज एवं जुर्माने की मांगों की वसूली में विफलता	1.7	37
अवैध सांविधिक 'सी' फार्मों के प्रति कर की रियायती दर का अनियमित भत्ता	1.8	39
परिवहन विभाग		
बार-बार यातायात उल्लंघन करने वाले से जुर्माने की कम वसूली	1.9	40

अध्याय II: आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्र तथा सा.क्षे.उ.		
परिचय	2.1	43
लेखापरीक्षा कवरेज	2.1.2	44
लेखापरीक्षा प्रक्रिया और लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया	2.1.3	44
पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षा पैराग्राफों के बकाया जवाब	2.1.4	46
राज्य विधान सभा में संस्थाओं की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखे को रखने की स्थिति	2.1.5	47
लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूली	2.1.6	48
निष्कर्ष	2.1.7	48
निष्पादन लेखापरीक्षा		
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	2.2	49
अनुपालन लेखापरीक्षा		
गृह विभाग		
₹ 4.02 करोड़ की निधियों का अवरोधन तथा ₹ 70.41 लाख का परिहार्य व्यय	2.3	82
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग		
₹ 81.56 लाख का निष्फल व्यय	2.4	83
समाज कल्याण विभाग		
“दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन” पर अनुपालन लेखापरीक्षा	2.5	86
पर्यटन विभाग		
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पर्यटन गतिविधियों पर अनुपालन लेखापरीक्षा	2.6	133

प्रशिक्षण निदेशालयः केंद्र शासित प्रदेश सिविल सेवा		
₹ 168 लाख की राशि के प्रशिक्षण भत्ते का अनियमित भुगतान	2.7	153
प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय - नेताजी सुभाष प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय		
₹ 66.25 लाख की राशि का अनियमित व्यय	2.8	155
शहरी विकास विभाग		
दिल्ली जल बोर्ड द्वारा ₹ 114.01 लाख की निधि का अवरोध एवं ₹ 25.42 लाख के ब्याज की हानि	2.9	156
महिला एवं बाल विकास विभाग		
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की कामकाजी महिला छात्रावासों पर अनुपालन लेखापरीक्षा	2.10	157

परिशिष्ट

संख्या	विवरण	संदर्भित	
		पैराग्राफ	पेज सं.
1.1	निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.1.2	167
1.2	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित पैराग्राफों की स्थिति, विभागों द्वारा स्वीकृत एवं वसूल की गई राशि	1.1.3	167
1.3	संपत्ति के गलत वर्गीकरण और उपयोग कारक के गलत अनुप्रयोग के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण	1.2	168
1.4	मोहल्ले की श्रेणी एवं सर्किल दरों के गलत अनुप्रयोग के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण	1.2	169
1.5	ट्रान-1 एवं ट्रान-2 घोषणा प्रपत्र की विभिन्न तालिकाओं के तहत ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों की सूची	1.3.6.2	172
1.6	अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) अग्रेषित किया गया	1.3.7.1	188
1.7	अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट अग्रेषित किया गया	1.3.7.2	194
1.8	लिगेसी रिटर्न दाखिल किए बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया गया	1.3.7.3	201
1.9	लंबित सांविधिक प्रपत्र पर देय कर की कटौती किए बिना अतिरिक्त ट्रांजिशनल क्रेडिट अग्रेषित किया गया	1.3.7.5	203
1.10	पावती समय के भीतर जारी नहीं हुई (प्री ऑटोमेशन)	1.4.6.1	204
1.11	पावती समय के भीतर जारी नहीं हुई (पोस्ट-ऑटोमेशन)	1.4.6.1	208
1.12	रिफंड आदेश समय पर स्वीकृत नहीं किए गए (प्री- आटोमेशन)	1.4.6.2	213

1.13	रिफंड आदेश समय पर स्वीकृत नहीं किए गए (पोस्ट ओटोमेशन)	1.4.6.2	218
1.14	अनंतिम रिफंड समय के भीतर स्वीकृत नहीं, अनंतिम रिफंड की कम राशि स्वीकृत और अनंतिम रिफंड स्वीकृत नहीं (प्री-आटोमेशन)	1.4.6.3	221
1.15	अनंतिम रिफंड स्वीकृत नहीं किया गया (पोस्ट-आटोमेशन)	1.4.6.3	225
1.16	रिफंड मामलों की सूची जिसमें कमी देखी गई (अनंतिम रिफंड का अनियमित अनुदान)	1.4.6.4	228
1.17	अधिक रिफंड (प्री-आटोमेशन)	1.4.6.5	229
1.18	अधिक रिफंड (पोस्ट ऑटोमेशन)	1.4.6.5	235
1.19	जीएसटीआर-2A प्रस्तुत नहीं किया गया	1.4.6.8 (i)	245
1.20	आवश्यक दस्तावेज/प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किए गए	1.4.6.8 (ii)	248
1.21	रिटर्न दाखिल नहीं किया गया	1.4.6.8 (iii)	252
1.22	ऑनलाइन मामले (इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में स्वीकृत और दावा किए गए रिफंड का अंतर क्रेडिट नहीं किया गया)	1.4.7.1	253
1.23	अभिलेखों की गैर-प्रस्तुतीकरण (प्री ऑटोमेशन मामले)	1.4.8 (**डी**)	254
2.1	विभागों एवं संबंधित सा.क्षे.उ. तथा अन्य संस्थाओं के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.1.1	256
2.2	लाभार्थी डेटा में डुप्लीकेट बैंक खातों की सूची - समान वर्दी योजना	2.2.10.1 (ii)	261
2.3	असफल मामलों का सारांश (वर्दी सब्सिडी योजना)	2.2.10.2 (ii)	263

2.4	भुगतान डेटा में डुप्लीकेट बैंक खाते (वर्दी सब्सिडी योजना)	2.2.10.4	264
2.5	निरीक्षण में कमी	2.5.8	265
2.6	दिव्यांगों को वित्तीय सहायता के लिए आवेदन के प्रसंस्करण में देरी	2.5.12.1 (ii)	266
2.7	आशा किरण परिसर में स्टाफ की कमी	2.5.12.4 (iii)	267
2.8	चयनित स्मारकों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई कमियां	2.6.9 और 2.6.9.1	268
2.9	दिल्ली हाट में फुटफॉल और खाली क्राफ्ट स्टॉलों की प्रतिशतता का विवरण	2.6.9.3	269

प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन में दो भाग हैं।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय-I** सरकार के राजस्व क्षेत्र के विभागों की लेखापरीक्षा से संबंधित है। प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत संचालित की जाती है। प्रतिवेदन के इस हिस्से के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा के समक्ष रखे जाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। यह अध्याय 31 मार्च 2020 एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्षों के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ट्रांजिशनल क्रेडिट, वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत रिफंड दावों के प्रसंस्करण, स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण, इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा, कर, ब्याज एवं जुर्माने की वसूली में विफलता पर लेखापरीक्षा पैरा प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय-II** सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभागों की लेखापरीक्षा से संबंधित है। प्रतिवेदन के इस भाग को रा.रा.क्षे. दिल्ली के विधानसभा के समक्ष रखे जाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले वे हैं जो वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और साथ ही वे जो पहले के वर्षों में ध्यान में आए थे, लेकिन पूर्व के प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके। 2020-21 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहां आवश्यक हुआ, शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में राजस्व, आर्थिक, सामाजिक और सामान्य क्षेत्रों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों वाले दो अध्याय शामिल हैं। राजस्व क्षेत्र से संबंधित अध्याय 1 में स्टाम्प शुल्क के कम उद्ग्रहण, इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनियमित दावे, कर, ब्याज और जुर्माने की मांग की वसूली में विफलता पर ₹ 701.93 करोड़ के आठ अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं। आर्थिक, सामाजिक, सामान्य क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित अध्याय II में एक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और आठ अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं जिनमें ₹ 62.32 करोड़ की राशि शामिल हैं। रिपोर्ट में वर्णित कुछ प्रमुख निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है।

अध्याय I: राजस्व क्षेत्र

परिचय

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स) की कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2018-19 में ₹ 43,112.60 करोड़ की तुलना में क्रमश: ₹ 47,135.81 करोड़ और ₹ 41,863.60 करोड़ थी। इसमें से 2019-20 में 80 *प्रतिशत* और 2020-21 में 73 *प्रतिशत* कर राजस्व (₹ 36,565.87 करोड़ एवं ₹ 29,425.33 करोड़) तथा गैर कर राजस्व (₹ 1,096.89 करोड़ एवं ₹ 979.67 करोड़) के माध्यम से उठाया गया था। शेष 20 और 27 *प्रतिशत* (₹ 9,473.05 करोड़ एवं ₹ 11,458.60 करोड़) सहायता अनुदान के रूप में भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।

(पैराग्राफ 1.1.1)/पेज-1

व्यापार एवं कर, राजस्व एवं परिवहन विभाग की 61 एवं 21 इकाईयों के अभिलेखों की क्रमश: वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान जांच-परीक्षा में ब्याज के गैर-उद्ग्रहण/कर की गैर-वसूली/जुर्माने और स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला जिनमें 182 मामलों में ₹ 846.15 करोड़ शामिल हैं। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने ₹ 94.65 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया।

(पैराग्राफ 1.1.5.1)/पेज-9

अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ

राजस्व विभाग

स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण - उप पंजीयक की उचित भूमि उपयोग घटक एवं सम्पत्तियों के वर्गीकरण के सत्यापन में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 26.89 लाख के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ 1.2)/पेज-11

व्यापार एवं कर विभाग

ट्रांजिशनल क्रेडिट

ट्रांजिशनल क्रेडिट पर अनुपालन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि क्या विभाग द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट के दावे के चयन और सत्यापन के लिए जिस तंत्र की परिकल्पना की गयी थी, वह सही और प्रभावी थी तथा निर्धारितियों द्वारा जीएसटी व्यवस्था में किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट वैध और स्वीकार्य थे। प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं-

उन मामलों में जहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट को ट्रान-1 से ट्रान-2 में ले जाया गया था, विभाग द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट की वास्तविकता का सत्यापन नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 1.3.6.1)/पेज-14

440 निर्धारितियों के संबंध में ₹ 426.23 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट को अभिलेखों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका।

(पैरा 1.3.6.2)/पेज-15

231 निर्धारितियों ने इसके बिक्री डीलरों द्वारा दिखाई गई बिक्री की तुलना में अधिक खरीद दिखा कर ₹ 190.62 करोड़ की राशि के अस्वीकार्य आईटीसी का दावा किया।

(पैरा 1.3.7.1)/पेज-16

202 निर्धारितियों ने लीगेसी कर व्यवस्था के तहत दायर 2017-18 की पहली तिमाही के वैट रिटर्न में उपलब्ध टैक्स क्रेडिट की राशि की तुलना में ₹ 269.23 करोड़ वैट के अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को अग्रेषित किया गया था।

(पैरा 1.3.7.2)/पेज-17

50 करदाताओं ने लीगेसी रिटर्न दाखिल किए बिना ₹ 104.52 करोड़ आईटीसी के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था।

(पैरा 1.3.7.3)/पेज-18

वैट क्रेडिट से न काटे गए लंबित वैधानिक प्रपत्रों के प्रभावी कर को ट्रान-1 में अग्रेषित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 23 निर्धारितियों के संबंध में ₹ 5.92 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट को अग्रेषित किया गया था।

(पैरा 1.3.7.5)/पेज-19

एक निर्धारिती के इलेक्ट्रोनिक क्रेडिट लेजर में करदाता द्वारा ट्रान-1 रिटर्न के अनुसार दावा किए गए क्रेडिट के अलावा ₹ 17.41 लाख के अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ जमा किया गया था।

(पैरा 1.3.8.1)/पेज-20

जीएसटी के अंतर्गत रिफंड क्लेम का प्रसंस्करण

जीएसटी के अंतर्गत रिफंड क्लेम के प्रसंस्करण पर अनुपालन लेखापरीक्षा कर अधिकारियों द्वारा मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन और करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए आयोजित किया गया था। प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार है:

92 प्री-ऑटोमेशन रिफ़ंड मामलों में पावती जारी करने में एक से 723 दिनों तक की देरी थी जबकि 141 पोस्ट-ऑटोमेशन रिफ़ंड मामलों में पावती जारी करने में एक से 217 दिनों की देरी थी।

(पैरा 1.4.6.1)/पेज-24

विभाग ने करदाताओं को रिफ़ंड के विलंबित भुगतान के लिए अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत देय प्री-ऑटोमेशन रिफ़ंड मामलों में ₹ 2.50 करोड़ और पोस्ट ऑटोमेशन मामलों में ₹ 14.79 लाख के ब्याज का भुगतान नहीं किया।

(पैरा 1.4.6.2)/पेज-25

14 मामलों मे ₹ 8.66 करोड़ के अनंतिम रिफंड स्वीकृत करने में 7 से 230 दिनों का विलंब था जबकि माल की जीरो-रेटेड आपूर्ति के 79 मामलों में ₹ 49.27 करोड़ की कुल दावा राशि के प्रति अनंतिम रिफंड स्वीकृत नहीं किया गया था।

(पैरा 1.4.6.3)/पेज-26

विभाग ने इन्वरटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण तीन करदाताओं (प्री-ऑटोमेशन रिफंड मामलों) को ₹ 95.37 लाख (90 *प्रतिशत*) का अनंतिम रिफंड जारी किया, जो वस्तुओं या सेवाओं की जीरो रेटेड आपूर्ति से अलग था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 95.37 लाख का अनंतिम रिफंड किया गया।

(पैरा 1.4.6.4)/पेज-28

71 प्री-ऑटोमेशन रिफंड मामलों में विभाग ने ₹ 32.86 करोड़ के अनुमेय रिफंड के प्रति ₹ 44.60 करोड़ का रिफंड स्वीकृत किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.74 करोड़ का अधिक रिफ़ंड हुआ जबकि 120 पोस्ट-ऑटोमेशन मामलों में विभाग ने ₹ 21.57 करोड़ के अनुमेय रिफंड के प्रति ₹ 32.28 करोड़ का रिफंड स्वीकृत किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.71 करोड़ का रिफ़ंड अधिक स्वीकृत हुआ।

(पैरा 1.4.6.5)/पेज-28

167 मामलों में जिनमें ₹ 51.14 करोड़ की राशि के रिफ़ंड का दावा शामिल था, यद्यपि करदाता ने रिफ़ंड आवेदन के साथ जीएसटीआर-2ए रिटर्न की प्रति जमा नहीं की थी, जबकि 175 मामलों में जिनमें ₹ 36.77 करोड़ के रिफ़ंड का दावा शामिल था, आवश्यक दस्तावेज जैसे - धारा 16(2)(सी) और धारा 42(2) के संबंध में सीए प्रमाण पत्र, अंडरटेकिंग आदि के सत्यापित किए बिना रिफ़ंड जारी किया गया।

(पैरा 1.4.6.8)/पेज-32

पोस्ट-ऑटोमेशन के 11 मामलों में माल और सेवा कर अधिकारी ने ₹ 9.30 करोड़ की दावा की गई रिफ़ंड राशि के विरुद्ध ₹ 0.69 करोड़ की राशि को अस्वीकृत कर दिया था परंतु अस्वीकृत राशि को संबंधित करदाता के इलेक्ट्रोनिक क्रेडिट लेजर में पुन: जमा नहीं किया गया था।

(पैरा 1.4.7.1)/पेज-33

इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा- निर्धारण प्राधिकारियों ने विक्रय व्यापारियों द्वारा जमा किए गए कर के विवरण की पुष्टि किए बिना निर्धारितियों को ₹ 83.85 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 67.91 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 49.97 लाख का ब्याज एवं ₹ 67.91 लाख का जुर्माना भी उदग्रहणीय था।

(पैरा 1.5)/पेज-35

कर की अतिरिक्त मांग पर ब्याज का उदग्रहण नहीं होना - निर्धारण प्राधिकारी कर की अतिरिक्त मांग पर ₹ 6.91 करोड़ का ब्याज उद्ग्रहण करने में विफल रहा।

(पैरा 1.6)/पेज-36

कर, ब्याज एवं जुर्माने की मांगो की वसूली में विफलता - विभाग उन निर्धारितियों से, ₹ 87.74 करोड़ की मांगो की वसूली करने में विफल रहा जिनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया था।

(पैरा 1.7)/पेज-37

अवैध सांविधिक- 'सी' प्रपत्रो के प्रति कर की रियायती दर का अनियमित भत्ता- निर्धारण प्राधिकारी ने अवैध सांविधिक 'सी' फार्मों के प्रति एक निर्धारिती को ₹ 6.78 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की रियायती दर की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.33 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 19.96 लाख का ब्याज एवं ₹ 20.33 लाख का जुर्माना भी उदग्रहणीय था।

(पैरा 1.8)/पेज-39

परिवहन विभाग

बार बार यातायात उल्लंघन करने वाले से जुर्माने की कम वसूली - उल्लंघनकर्ताओं पर दूसरे और बाद में अपराध के लिए लागू दर के बजाय पहले अपराध की दर से जुर्माना लगाने, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 19.30 लाख के जुर्माने की कम वसूली हुई। इसके अलावा, बार-बार यातायात अपराधों को रोकने की कोशिश करने के लिए जुर्माने की कंपाउंडिंग के प्रभाव को नकारा गया।

(पैरा 1.9)/पेज-40

अध्याय II: आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्र तथा सा.क्षे.उ.

परिचय

वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय ने रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के 48 विभागों के अंतर्गत कुल 460 और 770 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से क्रमश: 140 और 126 इकाइयों का

अनुपालन लेखापरीक्षा किया। इस रिपोर्ट के अध्याय II में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पर्यटन गतिविधियों पर अनुपालन लेखापरीक्षा, दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की कामकाजी महिला छात्रावास और आठ विभागों से संबंधित पाँच अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल है।

निष्पादन लेखापरीक्षा

योजना विभाग

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)

डीबीटी भारत सरकार द्वारा जनवरी 2013 में शुरू की गई एक प्रमुख सुधार पहल है जिसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभ और सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानातंरित करना है। संकट में महिलाओं को दिल्ली पेंशन योजना (महिला एवं बाल विकास विभाग), वृद्धावस्था पेंशन योजना (समाज कल्याण विभाग) और स्कूली छात्रों को वर्दी सब्सिडी (शिक्षा निदेशालय) जैसी तीन चयनित योजनाओ के संबंध में डीबीटी के कार्यान्वयन पर अप्रैल 2017 से मार्च 2021 तक तक की अवधि को कवर करते हुए एक निष्पादन लेखापरीक्षा का आयोजन किया गया। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये गए हैं-

राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ को डीबीटी के तहत योजनाओ को लागू करने के लिए राज्य के अधिकारियों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि दिल्ली में राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ ने इस उद्देश्य के लिए कार्यशालाएं और सेमिनार नहीं किए। इसने लाभार्थियों/आवेदकों की शिकायतों के निवारण के लिए कोई प्रणाली स्थापित नहीं की थी।

(पैरा 2.2.7)/पेज-54

सरकार ने न तो संकट में महिलाओं को दिल्ली सरकार पेंशन योजना (डीपीएसडब्ल्यूडी) एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना (ओएपी) के विवरण का विज्ञापन किया और न ही इन योजनाओं के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए कोई शिविर आयोजित किया। इसने इन योजनाओ के तहत पात्र निवासियों की

वास्तविक संख्या का आकलन करने के लिए कोई कवायद भी नहीं की। इसके अलावा, सरकार ने वृ.पे.योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या को भी सीमित कर दिया है, जिससे पात्र निवासियों को एक बार अधिकतम सीमा तक पहुचने के बाद लाभ के लिए आवेदन करने से रोका जा सकता है।

(पैरा 2.2.8.1 एवं 2.2.9.1)/पेज-56 एवं 64

ओएपी एवं डीपीएसडब्ल्यूडी के तहत विरासती लाभार्थियों का विवरण अर्थात लाभार्थी जो डीबीटी की शुरुआत से पहले लाभ प्राप्त कर रहे थे, उन्हें योजना प्रबंधन पोर्टल (ई-डिस्ट्रिक्ट) में स्थानातंरित नहीं किया गया था। इस प्रकार डीपीएसडब्ल्यूडी के तहत 80 *प्रतिशत* लाभार्थियों और ओएपी योजना के तहत 79 *प्रतिशत* लाभार्थियों का विवरण डिजिटल नहीं किया गया था।

(पैरा 2.2.8.2 एवं 2.2.9.2)/पेज-57 एवं 66

सभी तीनों चयनित योजनाओं के योजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर (ई-डिस्ट्रिक्ट और एडुडेल पोर्टल्स) में इनपुट सत्यापन जांच अनुपस्थित या अपर्याप्त थी, जिसने डेटाबेस में अमान्य डेटा दर्ज करने की अनुमति दी थी।

(पैरा 2.2.8.3, 2.2.9.3 एवं 2.2.10.1)/पेज-58, 67 एवं 71

एसएमएस और पीएफएमएस (सार्वजनिक वितीय प्रबंधन प्रणाली) के बीच कोई संबंध नहीं था जिसके माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भुगतान जारी किया जाता है जिसमें आँकड़ों के हेर-फेर की गुंजाइश छोड़कर एसएमएस और पीएफएमएस से भुगतान हेतु आँकड़ों के हस्तान्तरण में मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

(पैराग्राफ 2.2.8.4, 2.2.9.4 एवं 2.2.10.3)/पेज-60, 68 एवं 75

डीपीएसडब्ल्यूडी और ओएपी योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता के आवधिक पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई तंत्र नहीं था ताकि उन लाभार्थियों की पहचान की जा सके, जो मृत्यु, पुनर्विवाह और दिल्ली से बाहर जाने आदि के कारण लाभ हेतु अपात्र हो गए हैं।

(पैरा 2.2.8.8 एवं 2.2.9.6)/पेज-62 एवं 69

डीपीएसडब्ल्यूडी एवं ओएपी की पात्रता मानदंड के अनुसार, लाभार्थी केवल एक योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं और केंद्र/राज्य/यूएलबी आदि की अन्य योजनाओ से लाभ प्राप्त करने वाले इन योजनाओ के तहत लाभ के पात्र नहीं हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत 1423 लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ जो कि अनियमित था।

(पैराग्राफ 2.2.8.9)/पेज-63

अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ

गृह विभाग

₹ 4.02 करोड़ की निधि का अवरुद्ध होना एवं ₹ 70.41 लाख का परिहार्य व्यय - फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा भूमि के एक भूखंड का अधिग्रहण हुआ, जो आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था, जिसके परिणामस्वरूप खरीद पर किए गए ₹ 4.02 करोड़ की निधि अवरुद्ध हो गई तथा भूमि के किराए पर ₹ 70.41 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 2.3)/पेज-82

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग

₹ 81.56 लाख का निष्फल व्यय - सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा तीन कार्यों को आवंटित करने से पूर्व बाधा मुक्त स्थलों को सुनिश्चित करने में विफलता के परिणामस्वरूप इन कार्यों को बंद कर दिया गया, जिससे इन कार्यों पर किया गया ₹ 81.56 लाख का व्यय निष्फल हो गया।

(पैराग्राफ 2.4)/पेज-83

समाज कल्याण विभाग

दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 का कार्यान्वयन

दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन पर अनुपालन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए आयोजित किया गया था कि सरकार उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कितनी सक्षम है। प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार है:

दिल्ली में दिव्यांगजनों के अधिकार के नियमों (डीआरपीडब्ल्यूडी) की अधिसूचना तथा दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) के आरोपण के लिए संस्थागत ढांचे की स्थापना में विलंब हुआ। डीआरपीडब्ल्यूडी नियम जो अक्टूबर 2017 से पहले अधिसूचित किए जाने थे, वास्तव में दिसंबर 2018 में ही अधिसूचित किए गए थे। दिव्यांगता पर राज्य सलाहकार बोर्ड के गठन (चार वर्ष) दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रमाणित चिकित्सा अधिकारी का पदनाम (2 वर्ष) तथा जिला स्तरीय समिति का गठन (दो से चार वर्ष) में भी देरी हुई थी।

(पैराग्राफ 2.5.6)/पेज-89

सरकार के पास दिल्ली में दिव्यांगजनों (दि.ज) की संख्या के बारे में अद्यतन जानकारी नहीं थी क्योंकि उसने दिल्ली में सभी दिव्यांगों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया था परंतु 2011 की जनगणना के आकड़ों पर भरोसा था। परिणामस्वरूप दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए योजनाओं की योजना बनाने एवं तैयार करने के लिए सरकार के पास कोई योजना उपलब्ध नहीं थी।

(पैराग्राफ 2.5.10)/पेज-101

दि.ज. के लिए विशेष स्कूल और छात्रावास विभिन्न कमियों जैसे - स्कूल भवनों का उपयोग अन्य कार्यालयों द्वारा भी किया जा रहा है जिससे भीड़-भाड़ हो रही है, असुरक्षित स्कूल भवन, शिक्षक और अन्य कर्मचारियों की कमी, अस्वच्छ और गंदे परिसर और सुरक्षित पेयजल की अनुपलब्धता आदि समस्याएं हैं। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में भी दि.ज. के लिए विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों की कमी थी। इसके अलावा दिल्ली में दृष्टिबाधित लड़कियों के लिए कोई विशेष स्कूल और कॉलेज जाने वाली दृष्टिबाधित लड़कियों के लिए कोई छात्रावास नहीं था।

(पैराग्राफ 2.5.11)/पेज-104

दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के सरकार के प्रयासों में कई पहलुओं की कमी थी। दि.ज. को वितीय सहायता की स्वीकृति में देरी हुई और 2019-20 तथा 2020-21 के बजट में घोषित दि.ज. के कल्याण के लिए छह योजनाओं को चालू नहीं किया गया था। सरकार में दि.ज. के लिए आरक्षित रिक्तियों का एक बड़ा बैकलॉग (65 *प्रतिशत*) भी था।

(पैराग्राफ 2.5.12)/पेज-118

पर्यटन विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पर्यटन की गतिविधियां

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पर्यटन की गतिविधियों पर अनुपालन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा की गई शुरुआत पर्याप्त और प्रभावी थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

सरकार ने दिल्ली के लिए कोई पर्यटन नीति नहीं बनाई और न ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई दीर्घकालिक/रणनीतिक मास्टर प्लान तैयार किया इसके पास दिल्ली में पर्यटकों की आमद के बारे में भी जानकारी नहीं थी।

(पैराग्राफ 2.6.3)/पेज-134

दिल्ली प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल तथा अवशेष अधिनियम के तहत आवश्यकतानुसार सलाहकार परिषद का गठन अधिनियम के शुरू होने के 17 वर्ष बाद भी किया जाना बाकी था।

(पैराग्राफ 2.6.4)/पेज-136

पर्यटन विभाग एवं डीटीटीडीसी द्वारा पर्यटन से संबंधित गतिविधियों पर किया गया व्यय वेतन और मजदूरी के अलावा, 2017-18 से 2020-21 के दौरान मामूली और ₹ 31.06 करोड़ से ₹ 47.37 करोड़ की सीमा में किया गया था।

(पैराग्राफ 2.6.5)/पेज-136

डीटीटीडीसी की स्थापना भारत में आने वाले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में दिल्ली के समग्र विकास और प्रचार के लिए की गई थी। हालाँकि, पर्यटन संबंधी कार्यों में केवल 22 *प्रतिशत* जनशक्ति को तैनात किया गया था और डीटीटीडीसी द्वारा पर्यटन गतिविधियों पर किया गया व्यय लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कुल व्यय का 3.11 *प्रतिशत* से 8.80 *प्रतिशत* था, जो पर्यटन को दी गई कम प्राथमिकता को दर्शाता है।

(पैराग्राफ 2.6.6)/पेज-138

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में 2010 में शुरू हुई एचओएचहो बस सेवा, अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही क्योकिं डीटीटीडीसी ने कोई निगरानी तंत्र तैयार नहीं किया था और न ही बस सेवा के बारे में सवारों की

प्रतिक्रिया ली थी। 2010 में परिकल्पित 14 बसों की संख्या 2017-18 में पाँच होने के बाद जुलाई 2020 में सेवा को बंद कर दिया गया था। थीम आधारित टुरिस्ट सर्किट और फिल्म शूटिंग के लिए सिंगल-विंडो क्लियरेंस की योजनाओं/ सुविधाओं को लागू नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 2.6.8)/पेज-140

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा संरक्षित 18 स्मारकों के निरीक्षण से पता चला कि स्मारकों के संरक्षण की धीमी गति, संरक्षित स्मारकों के रखरखाव की कमी, शौचालयों और गाइडों की अनुपलब्धता, सीसीटीवी एवं अग्निशमन यंत्र आदि का अभाव था।

(पैराग्राफ 2.6.9)/पेज-144

प्रशिक्षण निदेशालय : केंद्र शासित प्रदेश सिविल सेवा

₹ 168 लाख के प्रशिक्षण भते का अनियमित भुगतान - कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए प्रशासनिक कार्य के लिए के.शा.प्र.सि.से. में पदस्थापित कर्मचारियों को प्रशिक्षण भते का अनुदान देने से ₹ 168 लाख के प्रशिक्षण भते का अनियमित भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.7)/पेज-153

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय - नेताजी सुभाष प्रोधोगिकी विश्वविद्यालय

₹ 66.25 लाख की धनराशि का अनियमित व्यय - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स) की अनुमति के बिना नेताजी सुभाष प्रोधोगिकी विश्वविद्यालय द्वारा सहायक कुल सचिव के दो पद के सृजन के परिणामस्वरूप ₹ 66.25 लाख की धनराशि का अनियमित व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 2.8)/पेज-155

शहरी विकास विभाग

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा ₹ 114.01 लाख की निधि अवरुद्ध और ₹ 25.42 लाख के ब्याज की हानि हुई - दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सड़क मरम्मत शुल्क के त्रुटिपूर्ण भुगतान के कारण ₹ 114.01 लाख की निधि अवरुद्ध हुई और इसके परिणामस्वरूप ₹ 25.42 लाख के ब्याज की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.9)/पेज-156

महिला एवं बाल विकास विभाग

महिला एवं बाल विकास विभाग (म.बा.वि.वि.) के कामकाजी महिला छात्रावास (का.म.छा.) की अनुपालना लेखापरीक्षा दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करने के लिए म.बा.वि.वि., रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा किए गए प्रयासों की पर्याप्तता की जांच के लिए की गई थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

म.बा.वि.वि. के पास दिल्ली में कामकाजी महिलाओं की संख्या के संबंध में कोई आँकड़ा नहीं था, जिन्हें आवास की आवश्यकता थी, जिसके कारण वह दिल्ली में का.म.छा. की आवश्यकता का आकलन करने की स्थिति में नहीं थी।

(पैराग्राफ 2.10.2)/पेज-158

म.बा.वि.वि. के अंतर्गत रोहिणी और विश्वास नगर में दो का.म.छा., जो वाई.डबल्यू.सी.ए. द्वारा संचालित और प्रबंधित किए जा रहे थे, को क्रमश: सितंबर 2019 और अगस्त 2020 में बंद कर दिया गया था क्योंकि म.बा.वि.वि.इन का.म.छा. के भवनों के रखरखाव सुनिश्चित करने में विफल रहा था।

(पैराग्राफ 2.10.3)/पेज-159

म.बा.वि.वि. पाँच स्थानों पर का.म.छा. का निर्माण नहीं कर सका, जिसके लिए वह दि.वि.प्रा. से भूमि का कब्जा लिया था। इनमें से चार भूखंड 2001 एवं 2003 के बीच और पांचवा 2014 में अधिग्रहित किए गए थे।

(पैराग्राफ 2.10.5)/पेज-161

अध्याय I

राजस्व क्षेत्र

अध्याय-I

राजस्व क्षेत्र

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1.1 वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा एकत्रित कर एवं गैर-कर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदान और पिछले चार वर्षों के संगत आंकडे **तालिका 1.1** में दर्शाये गए हैं।

तालिका 1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	**रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	कर राजस्व	31,139.89	35,717.02	36,624.67	36,565.87	29,425.33
	गैर-कर राजस्व	380.69	766.06	644.16	1096.89	979.67
	कुल	**31,520.58**	**36,483.08**	**37,268.83**	**37,662.76**	**30,405.00**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	सहायता अनुदान	2,825.16	2,184.19	5,843.77	9,473.05	11,458.60[1]
3	**रा.रा.क्षे.दि.स. की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 एवं 2)**	**34,345.74**	**38,667.27**	**43,112.60**	**47,135.81**	**41,863.60**
4	**1 से 3 तक की प्रतिशतता**	**92**	**94**	**86**	**80**	**73**

स्रोतः रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे

2016-17 से 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वर्ष-वार प्रवृत्ति **चार्ट 1.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.1

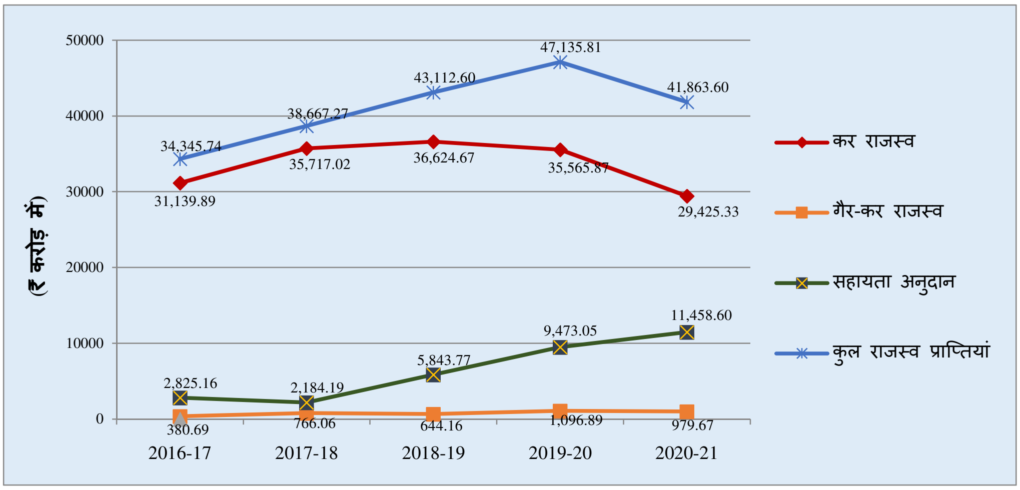

[1] इसमें वस्तु और सेवा कर (जी.एस.टी.) के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व के नुकसान के मुआवजे के लिये 2018-19 में प्राप्त ₹ 4,182 करोड़ की राशि शामिल है। वर्ष 2017-18 में राजस्व हानि के लिये प्राप्त मुआवजा मात्र ₹ 157.00 करोड था।

राजस्व प्राप्तियां 2016-17 में ₹ 34,346 करोड़ से 21.89 *प्रतिशत* बढ़कर 2020-21 में 4.07 *प्रतिशत* वार्षिक औसत वृद्धि दर से ₹ 41,864 करोड़ हो गई। जिसमें से रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजस्व प्राप्तियों (कर एवं गैर-कर) में उक्त अवधि के दौरान क्रमशः ₹ 1,115 करोड़ (3.53 *प्रतिशत*) की कमी आई, जबकि सहायता अनुदान में 8,634 करोड (305.63 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

2020-21 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 11.18 *प्रतिशत* की कमी आई, मुख्यत: अपना कर राजस्व और गैर-कर राजस्व में क्रमशः ₹ 7,141 करोड़ (19.53 *प्रतिशत*) और 117 करोड़ (10.67 *प्रतिशत*) की कमी के कारण है।

कुल राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. दिल्ली की कर राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 2016-17 में 90.67 *प्रतिशत* से घटकर 2020-21 में 70.29 *प्रतिशत* हो गया। 2016-17 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का लगभग 91.77 *प्रतिशत* रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से आया, जबकि सहायता अनुदान का 8.23 *प्रतिशत* का योगदान रहा वर्ष 2020-21 में, राजस्व प्राप्तियों का लगभग 72.63 *प्रतिशत* रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से आया, जबकि सहायता अनुदान का 27.37 *प्रतिशत* का योगदान रहा।

1.1.1.2 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व का विवरण **तालिका 1.2** में दिया गया है।

तालिका 1.2: एकत्रित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2016-17 (कुल कर राजस्व की प्रतिशतता)	2017-18 (कुल कर राजस्व की प्रतिशतता)	2018-19 (कुल कर राजस्व की प्रतिशतता)	2019-20 (कुल कर राजस्व की प्रतिशतता)	2020-21 (कुल कर राजस्व की प्रतिशतता)	2019-20 की तुलना में 2020-21 के वास्तविक में वृद्धि की प्रतिशतता (+) एवं कमी की प्रतिशतता (-)
1	राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	-	13,620.84 (38.14%)	19,186.57 (52.39%)	19,464.95 (53.23%)	15,676.15 (53.27%)	-19.46
2	बिक्री कर	21,144.24 (67.90%)	11,149.17 (31.21%)	5,885.75 (16.07%)	5474.67 (14.97%)	4,411.20 (14.99%)	-19.43
3	राज्य उत्पाद शुल्क	4,251.40 (13.65%)	4,453.49 (12.47%)	5,028.19 (13.73%)	5,068.01 (13.86%)	4,108.15 (13.96%)	-18.94
4	स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	3,143.93 (10.10%)	4,117.07 (11.53%)	4,458.62 (12.17%)	4,606.39 (12.60%)	3,548.80 (12.06%)	-22.96
5	वाहनों पर कर	1,808.78 (5.81%)	2,115.76 (5.92%)	2,054.75 (5.61%)	1,948.09 (5.33%)	1,676.18 (5.70%)	-13.96
6	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	789.53 (2.53%)	259.18 (0.73%)	10.68 (0.03%)	1.14 (0.003%)	0.67 (0.002%)	-41.23
7	भू-राजस्व	2.01 (0.01%)	1.51 (0.004%)	0.11 (0.0003%)	2.62 (0.007%)	4.18 (0.014%)	59.54
	कुल कर राजस्व	**31,139.89**	**35,717.02**	**36,624.67**	**36,565.87**	**29,425.33**	

स्रोतः रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे

विभिन्न कर राजस्वों की वर्ष-वार प्रवृत्ति को **चार्ट 1.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2

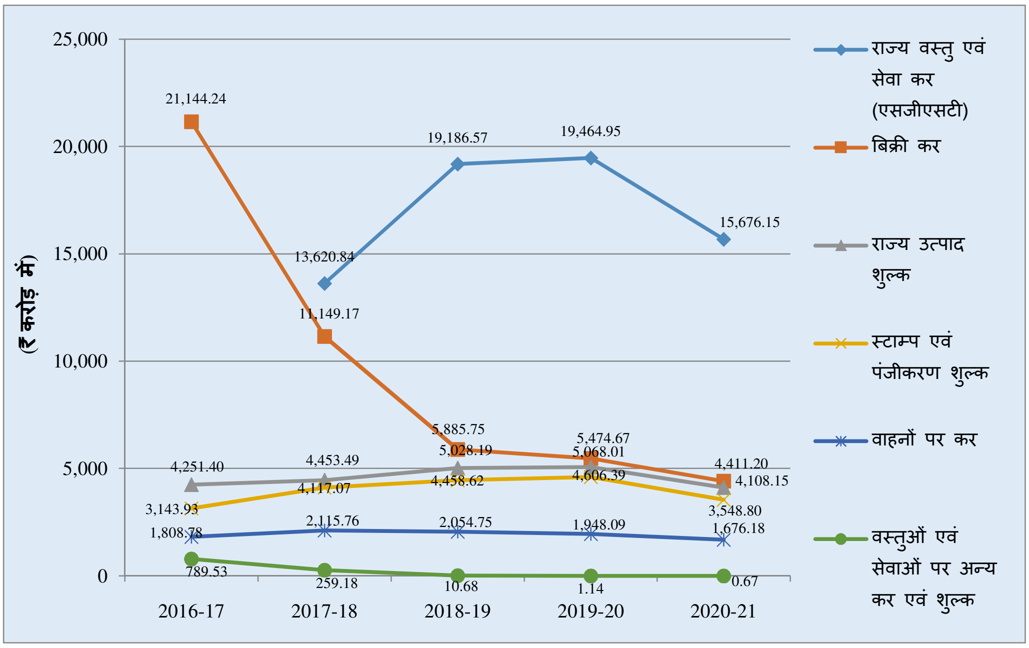

राजस्व प्राप्तियों में प्रमुख योगदान बिक्री कर/एसजीएसटी से था जिसमें 2020-21 में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 4,852.27 करोड़ (19.46 *प्रतिशत*) की गिरावट आई। वर्ष 2020-21 की वास्तविक प्राप्तियों में 'राज्य उत्पाद शुल्क', 'स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क' तथा 'वाहनों पर कर' शीर्ष के अंतर्गत क्रमश: ₹ 959.86 करोड़ (18.94 *प्रतिशत*), ₹ 1057.59 करोड़ (22.96 *प्रतिशत*) तथा ₹ 271.91 करोड़ (13.96 *प्रतिशत*) की कमी हुई जबकि 'भू-राजस्व' शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 1.56 करोड़ (59.54 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। वैट, सट्टेबाजी, विलासिता और मनोरंजन कर को जीएसटी में शामिल करने के बाद वस्तुओं और सेवाओं पर 'अन्य कर एवं शुल्क' शीर्ष के तहत कर प्राप्तियाँ 2016-17 में ₹ 789.53 करोड़ से घटकर 2020-21 में ₹ 0.67 करोड़ हो गई।

संबंधित विभागों ने वर्ष के दौरान विविधता के निम्नलिखित कारण बताए:

एसजीएसटी/बिक्री कर

विभाग ने कहा कि कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन से व्यापार प्रभावित हुई जिसके कारण 2020-21 के दौरान कम एसजीएसटी संगृहीत हुआ।

राज्य उत्पाद शुल्क

विभाग ने कहा कि कमी प्रमुख रूप से कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लागू होने और नई आबकारी नीति की घोषणा के कारण हुई।

स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क

कोविड-19 के कारण राजस्व प्राप्तियों में कमी आई, लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी कार्यालय बंद रहे तथा कोविड-19 महामारी के कारण स्टाम्प पेपरों की बिक्री में गिरावट आई।

वाहनों पर कर

राजस्व संग्रह में कमी प्रमुख रूप से दिल्ली में महामारी और लॉकडाउन के कारण वाहनों के कम पंजीकरण के कारण थी।

भू-राजस्व

भूमि एवं भवन विभाग भू-राजस्व का नियमित संग्राहक नहीं है। हालांकि, माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार, इस विभाग को भू-राजस्व के रूप में धन प्राप्त होता है।

1.1.1.3 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान एकत्रित गैर-कर राजस्व के विवरण **तालिका-1.3** में दिए गए हैं।

तालिका-1.3 : एकत्रित किए गए गैर-कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व का शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2019-20 की तुलना में 2020-21 के वास्तविक में वृद्धि (+) एवं कमी (-) की प्रतिशतता
1	ब्याज प्राप्तियां	81.39	396.25	113.46	404.38	467.96	15.72
2	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	60.13	89.08	102.79	112.38	95.32	-15.18
3	लोक निर्माण	22.23	14.34	17.75	13.28	43.26	225.75
4	ऊर्जा	21.40	26.25	53.15	87.00	33.10	-61.95
5	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	111.33	99.88	132.06	342.67	137.22	-59.96
6	अन्य[2] गैर-कर प्राप्तियां	84.21	140.26	224.95	137.18	202.81	47.84
कुल		**380.69**	**766.06**	**644.16**	**1096.89**	**979.67**	

स्रोत: रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे

विभिन्न गैर-कर राजस्व की वर्ष-वार प्रवृत्ति **चार्ट 1.3** में दर्शायी गयी है

[2] लाभांश और लाभ, लोक सेवा आयोग, पुलिस, जेल, शिक्षा, परिवार कल्याण, आवास, शहरी विकास, सूचना एवं प्रचार, श्रम एवं रोजगार, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, कृषिपालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी और वन्यजीव, सहकारिता, अन्य कृषि कार्यक्रम, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मध्यम सिंचाई, ग्राम और लघु उद्योग, अलौह खनन और धातुकार्य उद्योग, पर्यटन, नागरिक आपूर्तियाँ, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।

चार्ट 1.3

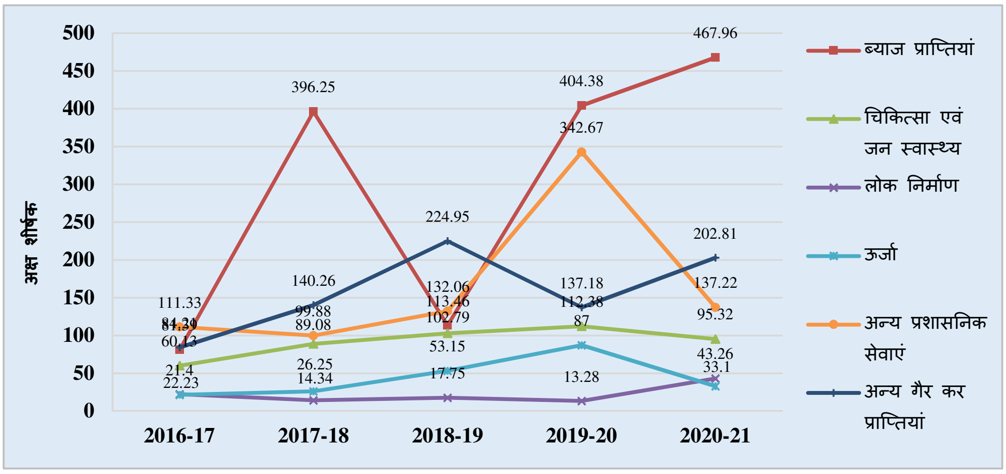

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की गैर-कर प्राप्तियों में 2016-17 से 2020-21 की अवधि में उतार-चढ़ाव रहा है। 2019-20 में प्राप्त राजस्व की तुलना में 2020-21 में इसमें 10.70 *प्रतिशत* की कमी आई। गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में प्रमुख योगदान 'ब्याज प्राप्तियों' और 'अन्य प्रशासनिक सेवाओं' से था। पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान ब्याज प्राप्तियों में ₹ 63.58 करोड़ (15.72 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जबकि 'अन्य प्रशासनिक सेवाओं' में ₹ 205.45 करोड़ (59.96 *प्रतिशत*) की कमी आई।

वर्ष 2020-21 के लिए 'चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य' तथा 'ऊर्जा' शीर्ष के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 17.05 करोड़ (15.17 *प्रतिशत*) एवं ₹ 53.90 करोड़ (61.95 *प्रतिशत*) की कमी हुई जबकि 'सार्वजनिक कार्य' शीर्ष के अंतर्गत् प्राप्तियों में ₹ 29.98 करोड़ (225.75 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

संबंधित विभागों ने वर्ष के दौरान विविधता के निम्नलिखित कारण बताए:

ब्याज प्राप्तियां

2019-20 की तुलना में 2020-21 में ब्याज प्राप्तियों में वृद्धि प्रगति पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल) द्वारा रा.रा.क्षे.दि.स. से लिये गये ऋण पर ब्याज के रूप में ₹ 445.80 करोड़ के भुगतान करने के कारण हुई थी।

चिकित्सा और जन स्वास्थ्य

यह विविधता जुर्माना शुल्क के साथ कुल नये पंजीकरणों की संख्या में कमी के कारण थी और विभिन्न विभागों में सभी डीडीओ कार्यरत कर्मचारियों के लिये चिकित्सा और जन स्वास्थ्य शीर्ष के तहत डीजीईएचएस के लिये योगदान/दिल्ली सरकार से सेवानिवृत पेंशनभोगियों से योगदान को दर्ज कर सकते हैं।

लोक निर्माण

विभाग ने बताया कि वर्ष 2020-21 के दौरान दावा न की गई जमानत राशियों को लेखा नियमों के अनुसार राजस्व प्राप्ति शीर्षों में अंतरित कर दिया गया।

ऊर्जा

राजस्व में कमी वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान वार्षिक लाइसेंस शुल्क की अग्रिम प्राप्तियों के कारण हुई।

अन्य प्रशासनिक सेवाएं

प्राप्तियों में विविधता मुख्य रूप से जुर्माना और जब्ती, सेवाओं और शुल्क तथा अदालत/चुनाव से संबंधित अन्य प्राप्तियों की कम वसूली के कारण है।

अन्य गैर-कर प्राप्तियां

वर्ष 2020-21 के दौरान शहरी विकास के अंतर्गत प्राप्तियां पिछले वर्ष की प्राप्तियों ₹ 31.63 करोड़ की तुलना में ₹ 61.69 करोड़ थी, जो अव्ययित शेष के रूप में कार्य निष्पादन एजेंसियों से प्राप्त हुई थी।

1.1.2 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली (प्र.म.ले.) लेनदेन की नमूना जाँच करने एवं नियमों और प्रक्रियाओं में निर्धारित लेखाओं और अन्य अभिलेखों के रखरखाव को सत्यापित करने के लिये सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं को शामिल करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) के माध्यम से इन निरीक्षणों का पालन किया जाता है और जिनका मौके पर निपटान नहीं किया जाता है, जो निरीक्षित किए गए कार्यालयों के प्रमुखों/सरकार को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए अगले उच्च अधिकारियों को प्रतिलिपियों के साथ जारी किए जाते हैं। कार्यालयों के प्रमुख/सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वे निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित अवलोकनों का शीघ्रता से अनुपालन करें, त्रुटियों और चूकों को सुधारें तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह के अंदर प्र.म.ले. को अनुपालना प्रस्तुत करें। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की सूचना विभागों के प्रमुखों और सरकार को दी जाती है।

पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी किये गए नि.प्र. की संक्षिप्त स्थिति, इन प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों और 31 मार्च 2021 की उनकी स्थिति **परिशिष्ट-1.1** में दर्शाए गए हैं।

लंबित पैराओं की संख्या 8597 (355 नि.प्र. से), जिनमें 2011-12 में ₹ 7,173.40 करोड़ की राशि शामिल है, से बढ़कर 2020-21 के अंत में 10071 (991 नि.प्र. से) हो गई जिसमें ₹ 7,810.93 करोड़ की राशि शामिल है, जो दर्शाता है कि विभाग बकाया पैराग्राफों के निपटान के लिये पर्याप्त कदम नहीं उठाए।

जवाब प्राप्त न होने के कारण पैराओं का इतना अधिक लंबित होना इस तथ्य का परिचायक है कि कार्यालय एवं विभागों के प्रमुखों ने लेखापरीक्षा द्वारा नि.प्र. में इंगित त्रुटियों, चूकों, एवं अनियमितताओं को दूर करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ नहीं की। लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर कार्यकारी कार्रवाई की कमी जवाबदेही को कमजोर बनाता है और राजस्व की परिहार्य हानि का जोखिम उठाता है। लंबित पैराग्राफों की संख्या में निरंतर वृद्धि सरकार का ध्यान लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन और निपटान की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा करने के लिये प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

1.1.2.1 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा पैराग्राफों के निपटान की प्रगति की निगरानी और तेजी लाने के लिये एक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था। हालांकि, वर्ष 2019-21 के दौरान विभागों द्वारा लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

1.1.2.2 जाँच के लिये लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न करना

नि.म.ले.प. के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 18 (1) (बी) के अनुसार, कोई भी लेखा, बही, कागजात एवं अन्य दस्तावेज जो लेनदेन के लिए या आधार के रूप में व्यवहार करते हैं या अन्यथा प्रासंगिक हैं, जिनके लिए लेखापरीक्षा के संबंध में उनके कर्तव्यों का विस्तार किया गया है, उन्हें ऐसे स्थान पर भेजा जाएगा जिसे वह अपने निरीक्षण के लिए नियत करे। कर राजस्व कार्यालयों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम बहुत पहले तैयार किया जाता है और लेखापरीक्षा शुरु होने के एक महीने पहले विभागों को सूचनाएं जारी की जाती है ताकि वे संबंधित अभिलेखों को लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिये तैयार रख सकें।

डीलरों के प्राथमिक अभिलेख विभाग की डीवैट प्रणाली में उपलब्ध थे, हालांकि कुछ मामलों में इन अभिलेखों की किसी भी लेखापरीक्षा निष्कर्ष के लिये पर्याप्त नहीं माना गया था। लेखापरीक्षा ने वर्ष 2020-21 के दौरान 1,036 डीलरों के भौतिक अभिलेखों की गहन जाँच की मांग की लेकिन विभाग ने केवल 336 (32.43 *प्रतिशत*) डीलरों के अभिलेख उपलब्ध कराए जो डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 18 (1) (बी) के अंतर्गत प्रदान की गई नि.म.ले.प. की शक्तियों

का उल्लंघन है। परिणामस्वरूप, इन मामलों में शामिल राजस्व का पता ही नहीं लगाया जा सका। राजस्व विभाग ने वर्ष 2020-21 के दौरान मांगे गये 100 *प्रतिशत* मामलों का अभिलेख उपलब्ध कराया जबकि परिवहन विभाग ने मांगे गये 182 मामलों (74 *प्रतिशत*) में से 134 मामलों का अभिलेख उपलब्ध कराया।

1.1.2.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई - संक्षिप्त स्थिति

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निपटाए गये मुद्दों के प्रति कार्यपालकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इस तथ्य की परवाह किए बिना कि क्या इन्हें लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा चर्चा के लिए लिया गया है या नहीं, सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों और निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर स्वत: संज्ञान ऐक्शन टेकन नोट (ए.टी.एन.) जारी करना है। इन ए.टी.एन. को प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली द्वारा विधिवत रूप से सुनिश्चित कर दिल्ली विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर लो.ले.स. को प्रस्तुत किया जाना होता है।

हालांकि जून 2015 एवं दिसंबर 2019 के बीच राज्य विधानसभा के समक्ष 31 मार्च 2014, 2015, 2016, 2017 एवं 2018 को समाप्त वर्षों के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदनों में शामिल 22 पैराग्राफ एवं एक निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प.) के संबंध में प्रतिवेदनों पर ए.टी.एन. में विलंब हुआ था। संबंधित विभागों से ए.टी.एन. इन प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संबंध में औसतन छह महीनें की देरी से प्राप्त हुए थे। 31 मार्च 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में विभागों से 02 पैराग्राफों के संबंध में ए.टी.एन प्राप्त नहीं हुये थे जैसा कि **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4*:* पैराग्राफ, निष्पादन लेखापरीक्षा एवं ए.टी.एन. के विवरण

क्र.सं.	31 मार्च को समाप्त होने वाली प्रतिवदेन का वर्ष	प्रतिवेदन मे छापे गए पैराग्राफों एवं निष्पादन लेखापरीक्षा की संख्या	पैराग्राफों एवं निष्पदान लेखापरीक्षा की संख्या जिनके ए.टी.एन. प्रतीक्षित थे
1.	2014	3+0 (नि.ले.प.)	0+0 (नि.ले.प.)
2.	2015	0+1 (नि.ले.प.)	0+0 (नि.ले.प.)
3.	2016	4+0 (नि.ले.प.)	0+0 (नि.ले.प.)
4.	2017	7+0 (नि.ले.प.)	0+0 (नि.ले.प.)
5.	2018	8+0 (नि.ले.प.)	2+0 (नि.ले.प.)
कुल		**22+1 (नि.ले.प.)**	**2+0 (नि.ले.प.)**

लो.ले.स. ने 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए राजस्व क्षेत्र की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित पैराग्राफों/नि.ले.प. पर चर्चा नहीं की

1.1.3 स्वीकृत मामलों की वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफों की स्थिति, जिन्हें विभागों द्वारा स्वीकार किया गया और वसूल की गई राशि **परिशिष्ट 1.2** में दर्शाई गई है।

वर्ष 2008-09 से 2017-18 के प्रतिवेदनों में ₹ 9,054.81 करोड़ के लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल थे, जिनमें से ₹ 732.28 करोड़ के धन मूल्य वाली टिप्पणियों को विभागों द्वारा स्वीकार किया गया था। हालांकि, विभाग द्वारा मात्र ₹ 2.12 करोड़ (0.29 *प्रतिशत*) की ही वसूली की गई जो नगण्य थी। वसूली की अल्प राशि विभाग के ढुलमुल रवैये और खराब निगरानी को दर्शाती है।

विभाग उन सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने पर विचार करें, जो स्वीकृत मामलों में वसूली करनें में विफल रहे हैं।

1.1.4 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा टिप्पणियों के पिछले रुझानों और अन्य मानकों के अनुसार उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम इकाईयों में वर्गीकृत किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना एक जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जो बजट भाषण में हाईलाइट किए गये मामलों, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग (राज्य और केंद्र) की प्रतिवेदन, कराधान सुधार समिति की सिफारिशों, पिछले पाँच वर्षों के दौरान राजस्व आय का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के कारक, लेखापरीक्षा कवरेज और पिछले पाँच वर्षों के दौरान इसके प्रभाव आदि पर विचार करती है।

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान 165 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयाँ थी जिनमें से क्रमशः 61 और 21 इकाईयों की योजना बनाई गई और उनका लेखापरीक्षा किया गया।

1.1.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.1.5.1 वर्ष के दौरान किए गए स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 327.22 करोड़ और ₹ 203.25 करोड़ की कर राजस्व प्राप्तियों वाली 165 लेखापरीक्षा योग्य इकाईओं[3] में से

[3] मूल्य वार्धित कर-126, स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क-22, मोटर वाहन कर-16, राज्य उत्पाद शुल्क-1

61 इकाइयों[4] और 21 इकाइयों[5] की लेखापरीक्षा की गई थी। अभिलेखों की नमूना जाँच में **तालिका 1.5** में वर्गीकृत 182 पैराग्राफों में ब्याज का गैर उदग्रहण/कर की गैर-वसूली/जुर्माना और स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का कम उदग्रहण तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला जिसमें ₹ 846.15 करोड़ शामिल थे।

तालिका - 1.5: श्रेणी-वार लेखापरीक्षा अवलोकन

क्र.स.	श्रेणियां	पैराग्राफों/मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
बिक्री कर/मूल्य वर्द्धित कर			
1	ट्रांजिशनल क्रेडिट पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	1	571.42
2	जीएसटी के तहत रिफंड दावों की प्रक्रिया पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	1	32.93
3	इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा	7	1.86
4	कर के अतिरिक्त मांग पर ब्याज उदग्रहण नहीं किया गया	4	6.91
5	कर, ब्याज एवं जुर्माने की मांग की वसूली में विफलता	22	87.74
6	अवैध सांविधिक प्रपत्रों पर कर की रियायती दर का अनियमित अनुमति	1	0.61
7	अन्य अनियमितताएं	93	104.51
	कुल	**129**	**805.98**
मोटर वाहन कर			
1	बार-बार यातायात कसूरवारों से जुर्माने की कम वसूली	1	0.19
2	अन्य अनियमितताएं	14	31.51
	कुल	**15**	**31.70**
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क			
1	स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण	2	0.27
2	अन्य अनियमितताएं	20	1.34
	कुल	**22**	**1.61**
उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर			
1	अन्य अनियमितताएं	16	6.86
	कुल	16	6.86
	कुल योग	**182**	**846.15**

वर्ष 2019-21 के दौरान, लेखापरीक्षा ने ₹ 846.15 करोड़ की राशि के कर/शुल्क का कम/गैर-उद्ग्रहण के उदाहरणों को इंगित किया जिसमें से संबंधित विभाग ने ₹ 94.65 करोड़ के कम मूल्यांकन एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया।

1.1.6 राजस्व अध्याय का कवरेज

राजस्व क्षेत्र पर इस अध्याय में ₹ 701.93 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले आठ पैराग्राफ शामिल है। सरकार ने ₹ 94.65 करोड़ की लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया है। इनकी चर्चा आगे के पैराग्राफों में की गई है।

---

[4] दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर-40, मोटरवाहन कर-7, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क-13, आबकारी विभाग-1

[5] मूल्य वार्धित कर-16, मोटर वाहन कर-2, स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क-3,

अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ

राजस्व विभाग

1.2 स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का कम उद्‌ग्रहण

उप-पंजीयक की उचित भूमि उपयोग घटक एवं सम्पत्तियों के वर्गीकरण के सत्यापन में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 26.89 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का कम उद्‌ग्रहण हुआ

शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) ने अपनी अधिसूचना (सितंबर 2006) के माध्यम से संपत्तियों को उनके उपयोग के अनुसार वर्गीकृत किया और वाणिज्यिक पथों, मिश्रित उपयोग पथों, पैदल यात्री शॉपींग पथों तथा पहले से अधिसूचित मिश्रित उपयोग पथों को वाणिज्यिक पथों के रूप में अधिसूचित किया। आगे, रा.रा.क्षे.दि.स. ने जुलाई 2007 में दिल्ली में भूमि और अचल संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए न्यूनतम दरों (सर्कल रेट्स) को आरम्भ और अधिसूचित किया जिसमें स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से 'ए' से 'एच' तक (जहाँ 'ए' सबसे उच्च दर और 'एच' सबसे कम है) वर्गीकृत अवस्थिति के आधार पर अलग-अलग दरें निर्धारित की थी। सर्कल रेट्स पिछली बार सितंबर 2014 में संशोधित किए गए थे।

वर्ष 2019-20 के लिए ई-उप-पंजीयक 1, कश्मीरी गेट के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच (दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच) से पता चला कि दो मामलों में उप-पंजीयक ने प्रतिफल राशि की गणना करते समय इन दो संपत्तियों को आवासीय माना जबकि रा.रा.क्षे.दि.स. के शहरी विकास विभाग की अधिसूचना के अनुसार ये सम्पत्तियां वाणिज्यिक उपयोगिता की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.38 लाख के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का कम उद्‌ग्रहण हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 1.3** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा किया कि 13 अन्य मामलों में, उप-पंजीयक ने उन दस्तावेजों को गलत तरीके से पंजीकृत किया था जिनमें एफ, जी और एच वर्गों में स्थित सम्पत्तियों का उल्लेख किया गया था हालाँकि ये सम्पत्तियाँ वास्तव में क्रमशः ई, एफ और जी वर्गों में स्थित थी। इसके परिणामस्वरूप प्रतिफल राशि की गणना हेतु निम्न सर्कल रेट्स लागू हुआ और ₹ 8.51 लाख के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का कम उद्‌ग्रहण हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 1.4** में वर्णित है।

इस प्रकार, उप-पंजीयक की उचित भूमि उपयोग घटक और सम्पत्तियों के वर्गीकरण के सत्यापन में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 26.89 लाख के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

मामला अक्टूबर 2021 में सरकार को भेजा गया, उनका जवाब अभी तक प्रतीक्षित है (मई 2022)।

व्यापार एवं कर विभाग

1.3 ट्रांजिशनल क्रेडिट पर अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए)

1.3.1 परिचय

दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर (डीजीएसटी) अधिनियम 2017 एवं केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम 2017 की धारा 140 करदाताओं को मौजूदा कानूनों के तहत अर्जित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को जीएसटी व्यवस्था में आगे ले जाने में सक्षम बनाती है। डीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 117 के साथ पठित यह धारा इस संबंध में विस्तृत प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। कंपोजिशन स्कीम (अधिनियम की धारा 10 के तहत) के तहत कर के भुगतान का विकल्प चुनने वालों को छोड़कर सभी पंजीकृत करदाता नियत दिन से 90 दिनों के भीतर ट्रांजिशन-I रिटर्न दाखिल करके ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने के पात्र हैं जिसे दिनांक 07 फरवरी, 2020 के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के आदेश संख्या 01.2020-जीएसटी के तहत उन करदाताओं के लिए जो तकनीकी कठिनाइयों और जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसित मामलों के कारण ट्रान-1 दाखिल नहीं कर सके, के लिए 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया। आईटीसी के लिए ट्रांजिशनल व्यवस्था के तहत मौजूदा कानूनों जैसे राज्य मूल्य वर्धित कर (वैट), केंद्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवैट क्रेडिट) आदि के तहत भुगतान किए गए विभिन्न करों के आईटीसी को जीएसटी व्यवस्था अर्थात (क) लीगेसी रिटर्न में क्रेडिट का अंतिम शेष, (ख) पूंजीगत वस्तुओं पर अप्रयुक्त क्रेडिट, (ग) ड्यूटी भुगतान स्टॉक पर क्रेडिट, (घ) ड्यूटी भुगतान स्टॉक पर क्रेडिट जब पंजीकृत व्यक्ति के पास उत्पाद शुल्क/वैट के भुगतान का साक्ष्य दस्तावेज नहीं है, (ड़) मौजूदा कानून के तहत छूट प्राप्त वस्तुओं से संबंधित क्रेडिट जो अब कर योग्य है, (च) कंपोजिशन स्कीम आदि के तहत मौजूदा कानून के अधीन भुगतान किया गया कर इत्यादि में आगे ले जाने के लिए पात्र हैं।

1.3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

ट्रांजिशनल क्रेडिट दावे प्रत्यक्ष तौर पर जीएसटी राजस्व को प्रभावित करते हैं क्योंकि क्रेडिट करदाताओं की आउटपुट टैक्स देनदारी के खिलाफ जाने के लिए पात्र है। ट्रांजिशनल क्रेडिट की लेखापरीक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए की गई है:

(i) क्या विभाग द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के चयन और सत्यापन के लिए परिकल्पित कार्यप्रणाली पर्याप्त और प्रभावी था; तथा

(ii) क्या निर्धारितियों द्वारा जीएसटी व्यवस्था में किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट वैध और स्वीकार्य थे।

1.3.3 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में डीजीएसटी/सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 140 के तहत करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट रिटर्न की समीक्षा शामिल थी। इसमें अधिनियम के तहत ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए निर्दिष्ट नियमों की पर्याप्तता, विभागीय सत्यापन प्रक्रिया की प्रभावशीलता, पता लगाए गए विचलनों पर अनुवर्ती कार्रवाई, ट्रांजिशनल क्रेडिट के संबंध में परस्पर क्षेत्राधिकार कार्यों के कार्यान्वयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और अनुपालन आश्वासन के लिए चयनित ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की स्वतंत्र जांच शामिल थी।

1.3.4 लेखापरीक्षा नमूना

ट्रांजिशनल क्रेडिट लीगेसी व्यवस्था से जीएसटी व्यवस्था में आईटीसी का एकमुश्त प्रवाह है और जीएसटी के तहत पिछली व्यवस्था से आने वाले करदाताओं के साथ-साथ नए पंजीकरणकर्ताओं दोनों द्वारा इसका लाभ उठाया जा सकता है। 1,411 उच्च जोखिम वाले मामलों के नमूने की पहचान की गई थी तथा इसमें से 961 मामले (अर्थात् 68.11 *प्रतिशत*) ट्रान-1 घोषणा फार्म के केवल तालिका 5(सी) के तहत फार्म 16- दिल्ली मूल्य वर्धित कर रिटर्न के अनुसार डीलरों को उपलब्ध डीवैट क्रेडिट के दावों का वर्णन करते हैं और इलैक्ट्रानिक क्रेडिट लेजर (ईसीएल) में आगे ले जाते हैं। 446 मामले (31.60 *प्रतिशत*) ट्रान-1 फार्म के अन्य तालिकाओं जैसे- 5(ए), 6(ए), 6(बी), 7(ए) ए, 7(ए) बी, 7(बी) 7(सी) एवं 11 आदि के तहत स्टॉक में रखे इनपुट, अर्ध प्रस्तुति एवं पूर्ण प्रस्तुति के संबंध में सेनवैट क्रेडिट, पूंजीगत वस्तुओ पर अप्रयुक्त आइटीसी, उत्पाद शुल्क एवं कर का क्रेडिट आदि के दावों तथा ट्रान-2 फार्म के क़ॉलम 8 के साथ-साथ 5(सी) के तहत दावों को वर्णन करते हैं तथा चार मामले निर्धारितियों का वर्णन करते हैं जिन्होंने ट्रान-1 घोषणा पत्र नहीं भरा था।

1.3.5 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की लेखापरीक्षा के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली में अनुपालन आश्वासन के लिए चयनित ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की जांच और विभाग द्वारा अपनाई गई ट्रान-रिटर्न सत्यापन प्रक्रिया शामिल थी और विचलनों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का पता चला।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के आधार पर दो व्यापक क्षेत्रों अर्थात् प्रणालीगत और अनुपालन मुद्दों में वर्गीकृत किया गया है। प्रणालीगत मुद्दे परिकल्पित कार्यप्रणाली और उसके प्रति प्राप्त लक्ष्यों को स्पष्ट करते हैं, और अनुपालन मुद्दे अधिनियम/नियमों के प्रावधानों से विचलन को संबोधित करते हैं।

1.3.6 प्रणालीगत मुद्दे

1.3.6.1 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों का गैर-सत्यापन

व्यापार और कर विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या-2/2018 (फा.सं.03(203)/नीति-जीएसटी/2018/16-18) दिनांक 28 सितंबर 2018 यह निर्धारित करता है कि कर अधिकारी/उचित अधिकारी/क्षेत्राधिकार अधिकारी/जोनल प्रभारी को राजस्व की कमी का प्रत्युत्तर देने और दिल्ली के जीएसटी राजस्व को बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि ट्रान-1 और ट्रान-2 का सत्यापन उन करदाताओं का किया जाना चाहिए, जिनका आईटीसी लाभ उच्च स्तर पर था यानी वार्डों के मामले में ₹ 25 लाख से अधिक और केसीएस वार्डों के मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक हो। वार्ड-इनचार्ज को अन्य करदाताओं का सत्यापन करने का भी निर्देश दिया गया था, जिनका आईटीसी लाभ ऊपर बताई गई सीमा से कम था।

इसके बाद परिपत्र सं. एफ.3(399)/पॉलिसी-जीएसटी/2013-ऑडिट पैरा 1.2/2020/148-52 दिनांक 07 अक्टूबर 2020 ने उचित अधिकारियों को ट्रान-1 और ट्रान-2 के माध्यम से अग्रेषित आईटीसी की वास्तविकता को सत्यापित करने का निर्देश दिया और यह सत्यापन इस परिपत्र के जारी होने के तीन महीने के भीतर पूरा किया जाना था।

हालांकि लेखापरीक्षा ने देखा कि जिन मामलों में आईटीसी को ट्रान-1 और ट्रान-2 में अग्रेषित किया गया था, विभाग द्वारा उनकी वास्तविकता का सत्यापन नहीं किया गया था। अक्टूबर 2021 में विभाग से ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों के सत्यापन न करने के कारणों को बताने के लिए कहा गया है पर उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2022)।

1.3.6.2 अभिलेखों का गैर-प्रस्तुतिकरण

1411 मामलों के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की नमूना जांच की गई और लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारितियों ने विभिन्न तालिकाओं अर्थात् 5(ए), 5(सी), 6(ए)/(बी), 7ए.ए, 7ए.बी, 7बी, 7सी, और 11 आदि के तहत सेनवैट क्रेडिट, डीवैट क्रेडिट, पूंजीगत वस्तुओं पर अप्रयुक्त आईटीसी, स्टॉक में रखे गए इनपुट के संबंध में उत्पाद शुल्क ड्यूटी कर आदि का क्रेडिट, आधा भेजना या पूरी तरह से भेजना, वैट का क्रेडिट और निर्धारित तिथि से पहले भुगतान किया गया सेवा कर आदि और ट्रैन-2 घोषणा प्रपत्र के कॉलम 8 के क्रेडिट का दावा किया है। तालिका 5(सी) के तहत दावे, व्यापार और कर विभाग के डीवैट पोर्टल पर उपलब्ध रिकॉर्ड से भिन्न है, जबकि अन्य तालिकाओं के तहत दावों को डीवैट-पोर्टल से सत्यापित नहीं किया जा सकता था लेखापरीक्षा ने 446 मामलों के प्रासंगिक भौतिक अभिलेखों की मांग की, जहां ₹ 430.21 करोड़ के क्रेडिट का दावा ट्रान-1 और ट्रान-2 प्रपत्रों की अन्य तालिकाओं के तहत किया गया था, जिसके विरूद्ध केवल छः निर्धारितियों के ₹ 3.98 करोड़ की राशि के दावों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया था। सचिव (वित्त) के स्तर पर भी बार-बार अनुरोध करने के बावजूद अभिलेखों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण शेष 440 निर्धारितियों के संबंध में ₹ 426.23 करोड़ के दावे का सत्यापन नहीं किया जा सका **(परिशिष्ट 1.5)**।

1.3.7 अनुपालन मामले

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140(1) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति, धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त अपने ईसीएल में नियत दिन से ठीक पहले के दिन के साथ समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित रिटर्न में आगे किए गए वैट की राशि का क्रेडिट लेने का हकदार होगा जो उसके द्वारा मौजूदा कानून के तहत इस तरह से प्रस्तुत किया गया जैसा कि निर्धारित है। बशर्ते कि पंजीकृत व्यक्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों में क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं होगी, अर्थात्:

(i) जहां क्रेडिट की उक्त राशि अधिनियम के तहत आईटीसी के रूप में स्वीकार्य नहीं है; या

(ii) जहां उसने नियत तारीख से ठीक पहले छः महीने की अवधि के लिए मौजूदा कानून के तहत आवश्यक सभी विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हैं; या

बशर्ते कि उक्त क्रेडिट का इतना अधिक हिस्सा जो धारा 3, धारा 5 की उप-धारा (3), धारा 6, धारा 6ए या केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 8 की उप-धारा (8) के संबंध में किसी भी दावे से संबंधित है, और जो इस तरह से

स्वीकार्य नहीं है, तथा केंद्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और बिक्री) नियमावली, 1957 के नियम, 12 में निर्धारित अवधि के भीतर, ईसीएल में जमा होने के लिए पात्र नहीं होंगे।

लेखापरीक्षा ने 1411 जीएसटीआईएन के ट्रांजिशनल दावों का सत्यापन किया और पाया कि करदाताओं ने ट्रान-1 की **तालिका 1.3.1** के तहत ₹ 571.25 करोड़ की राशि के 507 दावों के संबंध में अनियमित वैट क्रेडिट को आगे बढ़ाया था। पाए गए विचलन तालिका में वर्ग-वार दिखाए गए हैं:

तालिका-1.3.1: विचलन की प्रकृति

(₹ करोड़ में)

विचलन की प्रकृति	चयनित नमूना		लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां		विचलन %	
	सं.	राशि 5 (सी)	सं.	राशि	सं.	राशि
अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी) अग्रेषित (परिशिष्ट 1.6)	1411	1720.35	231	190.62	16.37	11.08
इनपुट टैक्स क्रेडिट का अतिरिक्त अग्रेषण (परिशिष्ट 1.7)	1411	1720.35	202	269.23	14.32	15.65
लीगेसी रिटर्न दाखिल किए बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया गया (परिशिष्ट 1.8)	1411	1720.35	50	104.52	3.54	6.08
कंपोजिशन स्कीम के तहत लीगेसी कर व्यवस्था में पंजीकृत डीलरों द्वारा अग्रेषित ट्रांजिशनल क्रेडिट	1411	1720.35	1	0.96	0.07	0.06
लंबित सांविधिक प्रपत्रों पर देय कर की कटौती किए बिना अतिरिक्त ट्रांजिशनल क्रेडिट अग्रेषित किया (परिशिष्ट 1.9)	1411	1720.35	23	5.92	1.63	0.34
कुल	**1411**	**1720.35**	**507**	**571.25**	**35.93**	**33.20**

1.3.7.1 अग्रेषित किया गया अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट

डीवैट अधिनियम, 2004 की धारा 9 (1) और (2) के अनुसार, एक डीलर जो इस अधिनियम के तहत पंजीकृत है या पंजीकृत होना आवश्यक है, कर अवधि के दौरान होने वाली खरीद के टर्नओवर के संबंध में टैक्स क्रेडिट का हकदार होगा। उस अवधि में जहां एक डीलर के रूप में उसकी गतिविधियों के दौरान खरीदारी होती है और बिक्री करने के उद्देश्य से उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माल का उपयोग होना है जो धारा (3) के तहत कर के लिए उत्तरदायी है जो इस अधिनियम की धारा 7 के तहत बिक्री जो कर के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसके अतिरिक्त, किसी ऐसे व्यक्ति से खरीदे गए सामान के मामले में कोई टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी जो पंजीकृत डीलर नहीं है।

2016-17 और 2017-18 की अवधि के लिए डीवैट रिटर्नस की संवीक्षा से पता चला कि 231 निर्धारितियों ने ₹ 190.62 करोड़ की राशि के अस्वीकार्य आईटीसी का दावा किया **(परिशिष्ट 1.6)**। निर्धारितियों की 2ए और 2बी बेमेल प्रतिवेदन

से पता चला कि निर्धारितियों ने इसके बिक्री डीलरों द्वारा दिखाई गई बिक्री की तुलना में अधिक खरीद दिखाई है और डीवैट रिटर्न में अस्वीकार्य आईटीसी का दावा किया। इस प्रकार, निर्धारितियों द्वारा 231 मामलों में ट्रान-1 फॉर्म में ₹ 190.62 करोड़ के अस्वीकार्य वैट क्रेडिट का दावा किया गया है और बाद में ईसीएल में जमा किया जा रहा है।

विभाग ने 231 मामलों में से 165 मामलों के तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि की (मार्च 2022) तथा 31 मामलों में तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि नहीं की, जबकि 35 मामलों में कोई जवाब नहीं मिला। इसने आगे कहा कि 31 मामलों में से 10 मामलों में मांग उत्थित की गई थी जबकि अन्य 10 मामले (दो मामले सहित जहां तथ्यों और आंकड़ों की विभाग द्वरा पुष्टि की गई थी) केंद्र के अधिकार क्षेत्र में थे।

जवाव संतोषजनक नहीं है क्योंकि मामलों की वसूली की स्थिति लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई है, जहां मांग उठाई गई है और केंद्रीय क्षेत्राधिकार से संबंधित मामले डीवैट अधिनियम के तहत दर्ज किए गए थे और वैट के क्रेडिट को डीजीएसटी अधिनियम में ट्रांजिशनल प्रावधानों के तहत एसजीएसटी के रूप में आगे बढाया गया।

1.3.7.2 इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक अग्रेषण

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारितियों ने लीगेसी कर व्यवस्था के अंतर्गत फाइल 2017-18 की पहली तिमाही के वैट रिटर्न में उपलब्ध कर क्रेडिट की शेष राशियों की तुलना में ₹ 269.23 करोड़ के 202 मामलों में वैट के अधिक क्रेडिट का दावा किया था **(परिशिष्ट 1.7)**।

विभाग ने 202 मामलों में से 171 मामलों के तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की (मार्च 2022) तथा छः मामलों में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि नहीं की, जबकि 25 मामलों में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था। आगे, विभाग ने बताया कि आठ मामले (तीन मामलों सहित जहां विभाग द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की गई थी) केंद्रीय अधिकार क्षेत्र में थे तथा दो मामले (प्रत्येक मामले में जहां विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की थी तथा विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि नहीं की थी) को रद्द कर दिया गया।

जवाव संतोषजनक नहीं है क्योंकि रद्द करने के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया गया तथा केंद्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामलों को डीवैट अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया गया था और वैट का क्रेडिट डीजीएसटी अधिनियम में ट्रांजिशनल प्रावधानों के तहत एसजीएसटी के रूप में अग्रेषित किया गया था।

1.3.7.3 लीगेसी रिटर्न दाखिल किए बिना दावा किया गया ट्रांजिशनल क्रेडिट

डीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 (1) (II) के अनुसार लीगेसी रिटर्न से क्रेडिट का ट्रांजिशन तभी अनुमेय है जब केवल करदाता ने नियत दिन से ठीक पहले छह महीने की अवधि के सभी संबंधित रिटर्न दाखिल किए हों। भले ही मौजूदा कानून के तहत आवश्यक रिटर्न को दाखिल नहीं किया गया है, पर लेखापरीक्षा ने वैट रिटर्न में उपलब्ध आईटीसी के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने वाले करदाताओं के उदाहरणों को देखा जो अधिनियम के ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रावधानों के विपरीत है। 50 मामलों में लीगेसी रिटर्न दाखिल किए बिना ट्रांजिशन किये हुए ऋण की राशि ₹ 104.52 करोड़ है **(परिशिष्ट 1.8)**।

विभाग ने 50 मामलों में से 48 मामलों के तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की (मार्च 2020) तथा एक मामले में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि नहीं की जबकि एक मामले में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा कि एक मामले में वही राशि डीवैट रिटर्न (2017-18 की पहली तिमाही) के रूप में अग्रेषित की गई है और ट्रान-1 के अनुसार एक मामले में करदाता की स्थिति रद्द कर दी गई है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि करदाताओं ने लीगेसी कर व्यवस्था के तहत पिछले छः महीने का रिटर्न दाखिल नहीं किया था और डीजीएसटी अधिनियम में ट्रांजिशनल प्रावधानों के तहत वैट क्रेडिट को आगे बढ़ाने के लिए योग्य नहीं थे तथा रद्द किए गए मामलों के संबंध में रद्द करने के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया गया था। भले ही पंजीकरण रद्द कर दिया गया था फिर भी वसूली की स्थिति भी प्रदान की जानी चाहिए थी।

1.3.7.4 लीगेसी कर व्यवस्था में कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत डीलरों द्वारा अग्रेषित ट्रांजिशनल क्रेडिट

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 (1) यह निर्धारित करती है कि एक पंजीकृत व्यक्ति, धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति के अलावा, अपने ईसीएल में, नियत दिन से तुरंत पहले समाप्त होने वाले दिन की अवधि से संबंधित रिटर्न में अग्रेषत वैट की राशि का क्रेडिट लेने का हकदार होगा जो उसके द्वारा विद्यमान कानून के अंतर्गत ऐसे ढंग से प्रस्तुत करें जैसा निर्धारित किया जाये।

इसके अलावा एक डीलर जिसने डीवैट अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए चुना है, को कथित अधिनियम की धारा 16 की

उप-धारा 5 (सी) के अनुसार डीवैट अधिनियम की धारा 9, धारा 14 और धारा 15 के तहत क्रेडिट का दावा करने की अनुमति नहीं है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती (जीएसटीआईएन-07 AACCAS2475A1 ZP/टिन-07730356109) डीवैट अधिनियम की धारा 16 अर्थात निर्दिष्ट डीलरों के लिए कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत था और उसे मूल्य वर्धित कर की राशि का क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं थी। निर्धारिती ने ट्रान-1 फॉर्म की तालिका 5 (सी) के तहत ₹ 0.96 करोड़ के अनियमित ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था।

मामले की सूचना विभाग को दी गई (अक्टूबर 2021 एवं दिसम्बर 2021) और उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2022)।

1.3.7.5 लंबित सांविधिक प्रपत्रों पर देय कर की कटौती किए बिना अग्रेषित किया गया अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 (1) यह निर्धारित करती है कि एक पंजीकृत व्यक्ति, धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति के अलावा, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में, नियत दिन से तुरंत पहले के दिन को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित रिटर्न में अग्रेषत मूल्य वर्धित कर की राशि का क्रेडिट लेने का हकदार होगा जो उसके द्वारा मौजूदा कानून के तहत ऐसे ढंग से प्रस्तुत करें जैसा निर्धारित किया जाये।

इसके अलावा धारा 140(1) के दूसरे प्रावधान के अनुसार यह निर्धारित है कि कथित क्रेडिट का इतना हिस्सा केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 3, धारा 5 की उप-धारा (3), धारा 6, धारा 6ए अथवा धारा 8 की उप-धारा (8) से संबंधित किसी दावे के लिए आरोप्य है जो केंद्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और बिक्री) नियमावली 1957 के नियम 12 में निर्धारित ढंग से और अवधि के भीतर स्वीकार्य नहीं किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में जमा किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे, बशर्ते यह भी कि दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट क्रेडिट के बराबर राशि को विद्यमान कानून के तहत तब वापस किया जाएगा जब उक्त दावों को केंद्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और बिक्री) नियमावली, 1957 के नियम 12 में निर्धारित तरीके से प्रमाणित किया जाता है।

हालांकि लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2015-16 **(परिशिष्ट 1.9)** के लिए 23 निर्धारितियों के ₹ 428.57 करोड़ की राशि के सांविधिक फॉर्म डीवैट पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म-9 विवरण के अनुसार ट्रान-1 घोषणा फार्म में ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने के समय लंबित थे। इस प्रकार डीजीएसटी अधिनियम 2017 के

ट्रांजिशनल प्रावधानों के अनुसार वैट क्रेडिट से नहीं काटे गए लंबित सांविधिक-फॉर्मों के प्रभावी कर को ट्रान-1 में ले जाया गया था जिसके परिणामस्वरूप ट्रान-1 में ₹ 5.92 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट को अधिक अग्रेषित किया गया था **(परिशिष्ट 1.9)**।

विभाग ने 23 मामलों में से 11 मामलों के तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की (मार्च 2022) और 11 मामलों में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि नहीं की, जबकि एक मामले में कोई जवाब नहीं मिला। इसके अतरिक्त, विभाग ने कहा कि 11 मामलों में से दो मामलों में जहां तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि विभाग द्वारा की गई थी, कोई भी सी फॉर्म लंबित नहीं है और तीन मामलों में (जहां तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि विभाग द्वारा की गई थी) मांग उठायी गयी है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि करदाता ने 2017 में ट्रांजिशनल क्रेडिट को आगे ले जाने के समय लंबित सांविधिक फार्मों का क्रेडिट प्राप्त किया था जो ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रावधानों के विपरीत था। इसके अतिरिक्त, लंबित सांविधिक फार्मों के प्रति उठाई गई मांग की वसूली की स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई थी।

1.3.8 सीजीएसटी दावे

1.3.8.1 ट्रान-1 में दावा की गई राशि से अधिक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा की गई अतिरिक्त राशि

डीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 117(3) के अनुसार, ट्रान-1 आवेदन में निर्दिष्ट क्रेडिट की राशि को सामान्य पोर्टल पर जीएसटी पीएमटी 2 फॉर्म में अनुरक्षण करने वाले आवेदक के ईसीएल में जमा किया जाएगा।

हालांकि यह उल्लेख करना उचित है कि निर्धारिती के ट्रान-1 फॉर्म (जीएसटीआईएन 07AABCT1296R1ZP) के सत्यापन से पता चला कि करदाता ने ₹ 6.43 करोड़ के ट्रान-1 की तालिका 7ए.ए. और 7बी के तहत सीजीएसटी ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था, जबकि सीजीएसटी के तहत ईसीएल को आईटीसी की वास्तविक राशि ₹ 6.61 करोड़ थी। इसलिए, करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र को ट्रान-1 रिटर्न के अनुसार करदाता द्वारा दावा किए गए क्रेडिट से बढ़कर ₹ 17.41 लाख के अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ जमा किया गया था।

मामले की सूचना विभाग को दी गई (सितंबर 2021) और विभाग ने कहा कि निर्धारिती केंद्रीय अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत है।

1.4 वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत रिफंड दावों के प्रसंस्करण पर अनुपालन लेखापरीक्षा

1.4.1 परिचय

1.4.1.1 कर-प्रशासन में सामयिक रिफंड तंत्र एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह कार्यशील पूंजी, मौजूदा व्यवसाय के विस्तार और आधुनिकीरण के लिए अवरूद्ध धन जारी करने के माध्यम से व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानूनों में निहित रिफंड से संबंधित प्रावधानों का उद्देश्य जीएसटी शासन के तहत रिफंड प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करता है। यह निर्णय लिया गया कि दावा और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रिफंड मॉड्यूल की अनुपलब्धता के कारण परिपत्र सं.17/17/2017-जीएसटी दिनांक 15.11.2017 तक एक अस्थायी तंत्र तैयार और कार्यान्वित किया गया था तथा विस्तृत प्रक्रियाओं का निर्धारण करते हुए परिपत्र सं.2424/2017-जीएसटी दिनांक 21.12.2017 जारी किया गया था। इस इलेक्ट्रॉनिक-सह-मैनुअल प्रक्रिया में आवेदकों को समान्य पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी-आरएफडी-01ए में रिफंड आवेदन दाखिल करने उसी का एक प्रिंट आउट लेकर इसे सभी सहायक दस्तावेजों के साथ क्षेत्राधिकार कर कार्यालय को भौतिक रूप से जमा करने की आवश्यकता थी।

1.4.1.2 इसके अतिरिक्त उन रिफंड आवेदनों की आगे की प्रक्रिया, यानी पावती जारी करना, कमी ज्ञापन जारी करना, अनंतिम/अंतिम रिफंड आदेश जारी करना एवं भुगतान सलाह आदि मैनुअल रूप से किया जा रहा था। इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिफंड आवेदन प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया में परिपत्र सं. 79/53/2018-जीएसटी दिनांक 31.12.2018 जारी किया गया था जिसमें कहा गया कि फॉर्म-जीएसटी आरएफडी-01ए में रिफंड आवेदन सभी समर्थित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए जाएं। हालांकि मे रिफंड आवेदनों के प्रसंस्करण के विभिन्न पदों के प्रस्तुतीकरण चरण बने रहे।

1.4.1.3 26 सितम्बर 2019 से रिफंड प्रक्रिया को सामान्य पोर्टल पर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक (जिसमें आवेदन जमा करने से लेकर उसके प्रसंस्करण तक सभी चरणों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकता है) बना दिया गया था (इसे ऑटोमेशन ऑफ रिफंड प्रोसेस भी कहा जाता है) तद्नुसार, पहले जारी किए गए परिपत्रों में मैनुअल प्रस्तुत करने और रिफंड दावों के प्रसंस्करण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं या तो उन्हें हटा दिया गया है या संशोधित किया गया है। मास्टर परिपत्र सं.125/44/2019-जीएसटी दिनांक 18.11.2019 द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप

से जमा करने और रिफंड दावों के प्रसंस्करण के लिए दिशानिर्देशों का एक नया सेट जारी किया गया है। क्षेत्र संरचनाओं में कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए पहले के कई परिपत्रों जैसे परिपत्र सं.17/17/2017-जीएसटी दिनांक 15.11.2017, 24/ 24/2017-जीएसटी दिनांक 21.12.2017,37/11/2018-जीएसटी दिनांक 15.03.2018,45/19/2018-जीएसटी दिनांक30.05.2018 (शुद्धिपत्र सहित दिनांक18.07.2019),59/33/2018-जीएसटी दिनांक04.09.2018,70/44/2018 -जीएसटी दिनांक26.10.2018,79/53/2018-जीएसटी दिनांक31.12.2018 एवं 94/13/2019-जीएसटी दिनांक 28.03.2019 को उक्त मास्टर परिपत्र के पैरा 2 के माध्यम से हटा दिया गया है। हालांकि, उक्त परिपत्रों के प्रावधान 26 सितम्बर 2019 से पहले सामान्य पोर्टल पर दायर सभी रिफंड आवेदनों के लिए लागू होते रहेंगे और उक्त आवेदनों को मैनुअल रूप से संसाधित किया जाना जारी रहेगा जैसा कि नई प्रणाली की तैनाती से पहले किया गया था। बोर्ड द्वारा समय-समय पर कुछ अन्य स्पष्टीकरण/परिपत्र भी जारी किए गए थे।

1.4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत रिफंड के मामलों की लेखापरीक्षा निम्नलिखित का आकलन करने के लिए की गई थीः

(i) रिफंड की स्वीकृति के संबंध में जारी अधिनियम, नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि की पर्याप्तता।

(ii) कर अधिकारियों द्वारा मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन और करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम की प्रभावशीलता।

(iii) क्या रिफंड आवेदनों के निपटान में विभागीय अधिकारियों के प्रदर्शन की जांच करने के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद है।

1.4.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

नवम्बर 2020 से जुलाई 2021 के दौरान फील्ड ऑडिट के दौरान जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर विभाग में संसाधित किए गए रिफंड मामलों की जांच की गई थी। पैन-इंडिया रिफंड डेटा, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) से प्राप्त किया गया था और विस्तृत जांच के लिए रिफंड मामलों का एक नमूना निकाला गया था।

1.4.4 नमूना चयन

जुलाई 2017 से जुलाई 2020 के दौरान संसाधित किए गए दिल्ली जीएसटी विभाग से संबंधित कुल 613 रिफंड मामलों को लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था जो नीचे दिए गए हैं:

प्री-ऑटोमेशन रिफंड मामले: करदाताओं द्वारा दावा की गई रिफंड राशि के आधार पर 300 उच्च मूल्य प्री-ऑटोमेशन रिफंड मामले का चयन किया गया था।

पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड मामले: 313 पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड के मामलों का चयन जोखिम मापदंडों का उपयोग करके किया गया जैसे कि दावा की गई रिफंड राशि (60 *प्रतिशत* वेटेज), रिफंड की स्वीकृति में विलंब (15 *प्रतिशत*), रिफंड स्वीकृति/रिफंड दावा का अनुपात (10 *प्रतिशत*) एवं कमी का ज्ञापन (15 *प्रतिशत*) जारी हुआ।

1.4.5 कानूनी प्रावधान

निम्नलिखित अनुभाग/नियम/अधिसूचनाएं रिफंड का दावा करने के लिए दिशानिर्देश/प्रक्रिया प्रदान करती हैं:

क) दिल्ली जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 से 58 एवं धारा 77

ख) दिल्ली जीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 89 से 97ए

ग) एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 15,16 एवं 19

घ) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (के.अ.क.बो.) और दिल्ली जीएसटी विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं/परिपत्र

1.4.6 लेखापरीक्षा अवलोकन

लेखापरीक्षा के परिणाम: लेखापरीक्षा के परिणामों को लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप वर्गीकृत किया गया है। लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई और इस प्रतिवेदन में शामिल की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों का सार **तालिका-1.4.1** में दिया गया है:

तालिका-1.4.1: महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा निष्कर्ष की प्रकृति	लेखापरीक्षा नमूना		प्राप्त रिकॉर्ड		देखी गई कमियों की संख्या		नमूना की प्रतिशतता में कमियां
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
समय के भीतर पावती जारी नहीं हुई	613	220.04	512	176.61	233	---	45.51
समय पर रिफंड आदेश स्वीकृत नहीं	613	220.04	512	176.61	167	---	32.62
अस्थायी रिफंड आदेश समय के भीतर स्वीकृत नहीं	244	134.02	232	128.99	14	---	6.03
अस्थायी रिफंड आदेश स्वीकृत नहीं	244	134.02	232	128.99	160	82.63	68.97

लेखापरीक्षा निष्कर्ष की प्रकृति	लेखापरीक्षा नमूना		प्राप्त रिकॉर्ड		देखी गई कमियों की संख्या		नमूना की प्रतिशतता में कमियां
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
अस्थायी रिफंड आदेश की अनियमित स्वीकृति	301	72.12	256	57.87	3	0.95	1.17
रिफंड की अधिक स्वीकृति	613	220.04	512	176.61	191	22.45	37.30
प्रतिपक्ष कर प्राधिकारी को रिफंड आदेशों को संप्रेषित करने में विलंब	300	140.04	5	4.58	1	---	20
रिफंड दावों की पोस्ट ऑडिट करने में विलंब/गैर-संचालन	613	220.04	512	176.61	512	---	100
रिटर्न/आवश्यक दस्तावेजों को भरने की स्थिति जांच किए बिना रिफंड की स्वीकृति	613	220.04	512	176.61	346	88.30	34.18
अभिलेखों की प्रस्तुत न करना	613	220.04	512	176.61	101	43.43	19.73
विविध अवलोकन							
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर में अस्वीकृत रिफंड दावे की राशि का गैर-क्रेडिट	613	220.04	512	176.61	11	0.69	2.15
₹ 39,954 के समायोजन के बिना रिफंड का अधिक भुगतान	613	220.04	512	176.61	1	0.0040	0.19
अयोग्य वस्तु पर ₹ 95,238 तक रिफंड का भुगतान	613	220.04	512	176.61	1	0.0095	0.19

जिस सीमा तक अभिलेख प्राप्त नहीं हुए थे, लेखापरीक्षा उद्देश्यों के संबंध में आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ है।

1.4.6.1 समय के भीतर पावती जारी नहीं करना

दिल्ली जीएसटी नियमावली 2017 के नियम 90(1) में प्रावधान है कि यदि आवेदन सभी तरह से पूर्ण पाया जाता है तो उचित अधिकारी के पास रिफंड का दावा दाखिल करने के 15 दिनों के भीतर पावती जारी की जाएगी। प्री-ऑटोमेशन मामलों में सभी निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ 15 दिनों की निर्धारित अवधि को रिफंड आवेदन जमा करने की तारीख से गणना की जाएगी।

दिल्ली जीएसटी विभाग द्वारा प्रस्तुत[6] 199 प्री-ऑटोमेशन रिफंड मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 92 रिफंड मामलों में पावती जारी होने में एक से 723 दिनों तक की देरी थी **(परिशिष्ट 1.10)**।

313 पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 141 मामलों में पावती जारी करने में एक से 217 दिनों तक की देरी हुई थी **(परिशिष्ट 1.11)**।

[6] अभिलेखों के गैर-प्रस्तुतिकरण का विवरण पैरा संख्या 6.10 में उल्लिखित है।

चार्ट-1.4.1:प्री-ऑटोमेशन एवं पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड की पावती जारी होने में विलंब

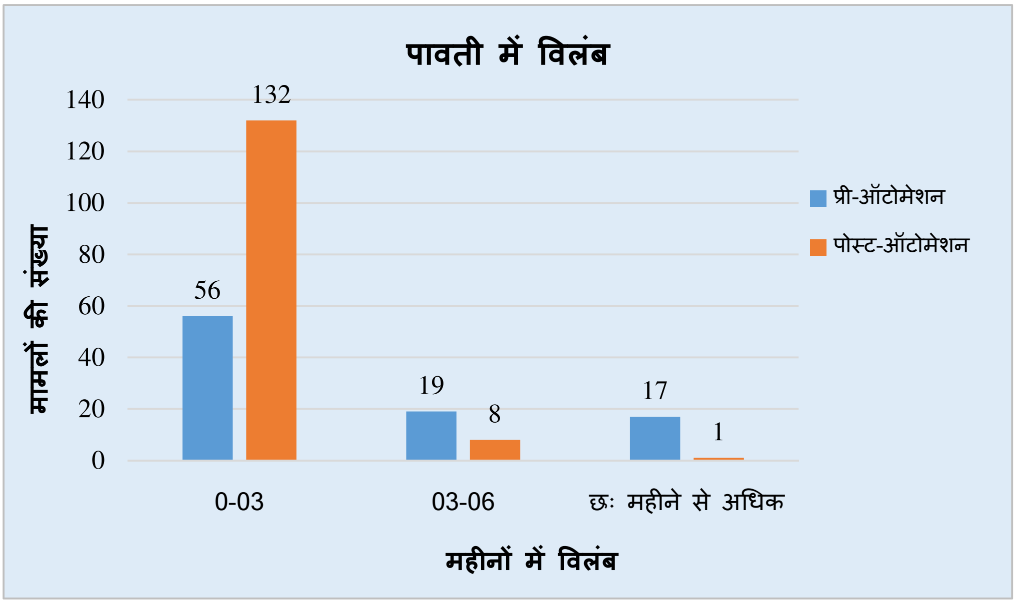

विभाग ने (दिसम्बर 2021) 233 मामलों (92 प्री-ऑटोमेशन एवं 141 पोस्ट-ऑटोमेशन के मामले) में से 214 मामलों में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की और 18 मामलों में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि नहीं की, जबकि एक मामले में जवाब नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा कि विस्तृत जांच के बाद रिफंड जारी करने, मामले अन्य वार्ड में निपटाने, करदाता द्वारा आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा नहीं कर सकने, लोकसभा चुनाव ड्यूटी/बार-बार स्थानांतरण/कोविड-19 प्रकोप एवं समय पर रिफंड जारी करने (60 दिनों के भीतर) तथा सिस्टम में गड़बड़ियों के कारण रिफंड जारी करने में देरी हुई थी।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कानून रिफंड के प्रत्येक चरण के लिए समय सीमा निर्दिष्ट करना है और पावती 15 दिनों के भीतर जारी करनी है।

1.4.6.2 रिफंड आदेशों का समय पर स्वीकृत नहीं होना

दिल्ली जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 (7) में प्रावधान है कि सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर उप-धारा (5) के तहत उचित अधिकारी आदेश जारी करेगा।

दिल्ली जीएसटी विभाग के 199 प्री-ऑटोमेशन रिफंड मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि 104 मामलों में रिफंड स्वीकृत करने में 2 से 901 दिनों तक की देरी हुई थी। इसके अतिरिक्त विभाग ने कर-दाताओं को रिफंड का भुगतान देरी से करने कारण अधिनियम की धारा 56 के तहत ₹ 2.50 करोड़ का देय ब्याज का भुगतान नहीं किया **(परिशिष्ट 1.12)**।

दिल्ली जीएसटी विभाग के 313 पोस्ट-ऑटोमेशन मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 63 मामलों में रिफंड की स्वीकृति में 2 से 172 दिनों तक की देरी हुई थी। इसके अतिरिक्त, विभाग ने रिफंड के विलंबित भुगतान के लिए करदाताओं को अधिनियम की धारा 56 के तहत ₹ 14.79 लाख के देय ब्याज का भुगतान नहीं किया **(परिशिष्ट 1.13)**।

विभाग ने 167 मामलों (104 प्री-ऑटोमेशन एवं 63 पोस्ट-ऑटोमेशन के मामले) में से 134 मामलों में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की (दिसम्बर 2021) और 31 मामलों में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि नहीं की, जबकि दो मामले में जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, विभाग ने यह भी कहा कि विस्तृत जांच के बाद रिफंड जारी करना, अन्य वार्डों में मामले को निपटाना, करदाता द्वारा समय पर आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करना, लोकसभा चुनाव ड्यूटी/बार-बार स्थानांतरण/ कोविड-19 प्रकोप एवं सिस्टम में गड़बड़ियों होने आदि के कारण देरी हुई थी।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह समय सीमा एक वैधानिक आवश्यकता है।

प्री-ऑटोमेशन और पोस्ट-ऑटोमेशन की स्वीकृति में विलंब **चार्ट-1.4.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.4.2: प्री-ऑटोमेशन एवं पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड की स्वीकृति में विलंब

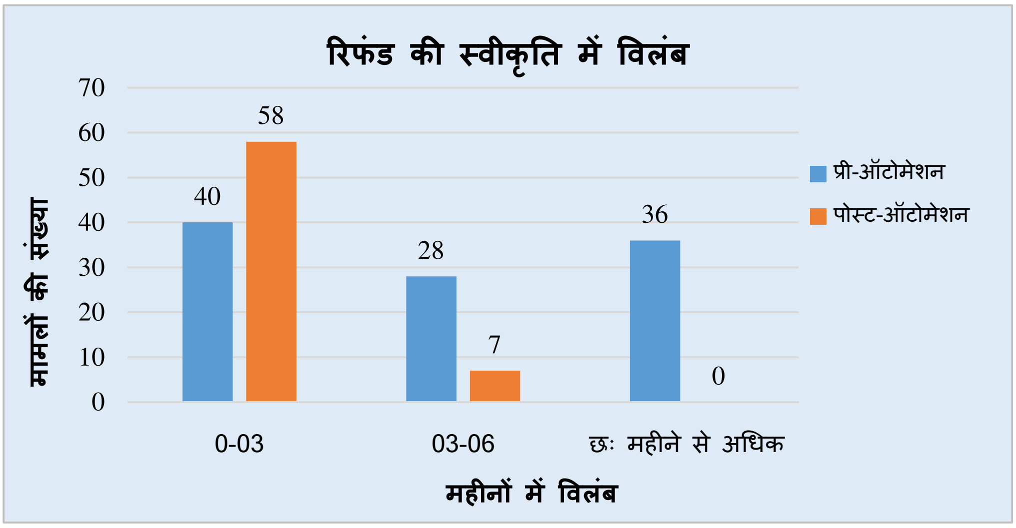

1.4.6.3 जीरो-रेटेड आपूर्ति के कारण अनंतिम रिफंड

दिल्ली जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 54(6) में दावा की गई कुल राशि के 90 *प्रतिशत* के अनंतिम रिफंड का प्रावधान है। इसके अलावा, दिल्ली जीएसटी नियमावली 2017 के नियम 91 में प्रावधान है कि जीरो रेटेड आपूर्ति के कारण अनंतिम रिफंड कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन पावती के सात दिनों के भीतर दी जाएगी।

जीरो-रेटेड आपूर्ति से संबंधित दिल्ली जीएसटी विभाग के प्री-ऑटोमेशन रिफंड मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि चयनित 300 मामलों में से 137 मामलों को वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की जीरो रेटेड आपूर्ति के कारण संसाधित किया गया था। लेखापरीक्षा को दिए गए 133 मामलों में से 93 मामलों में निम्नलिखित पाया गयाः

(i) अनंतिम रिफंड समय के अंदर स्वीकृत नहीं

14 मामलों में ₹ 8.66 करोड़ के अनंतिम रिफंड की स्वीकृति में 7 से 230 दिनों तक का विलंब था **(परिशिष्ट-1.14)**।

(ii) अनंतिम रिफंड स्वीकृत नहीं

वस्तुओं की जीरो-रेटेड आपूर्ति के 79 मामलों में ₹ 49.27 करोड़ की कुल दावा राशि के प्रति अनंतिम रिफंड स्वीकृत नहीं किया गया था **(परिशिष्ट-1.14)**।

विभाग ने 93 मामलों में से 77 मामलों में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की (दिसम्बर 2021) और 13 मामलों में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि नहीं की जबकि तीन मामलों में जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा कि विस्तृत जांच के बाद रिफंड जारी होने, 60 दिनों के भीतर रिफंड जारी होने, अन्य वार्डों में मामले निपटाये जाने, करदाताओं द्वारा समय पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकने एवं लोकसभा चुनाव ड्यूटी/बार-बार स्थानांतरण/जीएसटीएन पर डेटा उपलब्ध नहीं होने तथा सिस्टम में गड़बड़ियां आदि के कारण विलंब हुआ था।

जीरो-रेटेड आपूर्ति से संबंधित दिल्ली जीएसटी विभाग के पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि चयनित 313 मामलों में से 97 मामलों में वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की जीरो-रेटेड आपूर्ति के कारण संसाधित किया गया था। इन 97 मामलें में से 81 मामलों में दावा की गई कुल ₹ 33.36 करोड़ की राशि के प्रति अनंतिम रिफंड स्वीकृत नहीं की गई **(परिशिष्ट-1.15)**।

विभाग ने 81 मामलों में से 74 मामलों में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की (दिसम्बर 2021) और पाँच मामलों में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि नहीं की, जबकि दो मामलों में जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसके अलावा, विभाग ने कहा कि अन्य वार्डों में मामले को निपटाये जाने, करदाताओं द्वारा समय पर आवश्यक दस्तावेजों को नहीं जमा करने, बार-बार स्थानांतरण/कोविड प्रकोप, समय पर

रिफंड जारी करने, विस्तृत जांच के बाद रिफंड जारी करने तथा एससीएन/आरएफडी-03 जारी होने आदि के कारण विलंब हुआ था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कानून सात दिनों के अंदर अनंतिम रिफंड की स्वीकृति देता है। 60 दिनों की सीमा रिफंड देने की कुल प्रक्रिया को पूरा करने के लिए है।

1.4.6.4 अनंतिम रिफंड की अनियमित स्वीकृति

दिल्ली जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 54(6) के अनुसार पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा किए गए वस्तु या सेवाओं या दोनों की जीरो-रेटेड आपूर्ति के कारण रिफंड के लिए किसी भी दावे के मामले में, 90 *प्रतिशत* दावा किए गए रिफंड को अनंतिम आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है और उसके बाद आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद रिफंड दावे के अंतिम निपटान के लिए उपधारा (5) के तहत एक आदेश दिया जा सकता है। इस प्रकार, अन्य श्रेणियों में नहीं बल्कि वस्तुओं और/या सेवाओं की जीरो रेटेड आपूर्ति के कारण अनंतिम रिफंड की अनुमति दी जाती है।

रिफंड मामलों से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि विभाग ने एक करदाता (प्री-आटोमेशन रिफंड मामलों) को इनवरटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण ₹ 95.37 लाख (90 *प्रतिशत*) की अंनतिम रिफंड जारी किया था, जो वस्तुओं या सेवाओं की जीरो रेटेड आपूर्ति से अलग था। इसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा जारी ₹ 95.37 लाख की अनियमित अंनतिम रिफंड हुआ **(परिशिष्ट-1.16)**।

विभाग ने सभी तीन मामलों में तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि की (दिसम्बर 2021)।

1.4.6.5 रिफंड की अधिक स्वीकृति

दिल्ली वस्तु और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 54 के अनुसार, किसी भी कर अवधि के अंत में एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उपयोग न किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के रिफंड का दावा किया जा सकता है। इसके अलावा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं सीमा शुल्क के परिपत्र संख्या 125/44/2019-जी.एस.टी. दिनांक 18.11.2019 के पैरा 36 के अनुसार रिफंड के लिये आवेदक को अप्रयुक्त आईटीसी यानी कर के भुगतान के बिना निर्यात के कारण अप्रयुक्त आईटीसी से संबंधित रिफंड, कर के भुगतान के बिना एसईजेड यूनिट/एसईजेड डेवलपर को की गई आपूर्ति के कारण अप्रयुक्त आईटीसी की रिफंड और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण संचय पर अप्रयुक्त आईटीसी की रिफंड, प्रासंगिक अवधि

के लिये सी फार्म जीएसटी आर-2ए की एक प्रति अपलोड करनी होगी। या कोई पूर्व या बाद की अवधि जिसमें प्रासंगिक चालान स्वतः भरे गए हैं जिसके लिये रिफंड का दावा किया गया है। उपयुक्त अधिकारी फार्म जीएसटीआर-2ए पर संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति के हिसाब से साक्ष्य के रूप में निर्भर करेगा जिसके संबंध में आवेदक द्वारा आईटीसी का लाभ उठाया गया है।

साथ ही सरकारी राजस्व के हित में, रिफंड की अनुमति देते हुए, उचित अधिकारी को जीएसटीआर-2ए, जीएसटीआर-3बी, आरएफडी-1 और विवरण -1ए में दर्शाए गए राशि में से न्यूनमत आईटीसी के दावा पर विचार करना चाहिए। उसी तरह समायोजित कुल टर्नओवर जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, आरएफडी-1 का अधिकतम होना चाहिए।

जीएसटी रिफंड मामलों (प्री-आटोमेशन) की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया है कि 71 रिफंड मामलों में विभाग ने ₹ 32.86 करोड़ की स्वीकार्य रिफंड के प्रति ₹ 44.60 करोड़ की रिफंड राशि मंजूर की। इसके कारण ₹ 11.74 करोड़ के अधिक रिफंड की अनुमति हुई **(परिशिष्ट-1.17)**।

इसके अलावा, 313 चयनित जीएसटी पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड मामलों की जांच में पाया गया कि 120 मामलों में विभाग ने ₹ 21.57 करोड़ के अनुदेय रिफंड के प्रति ₹ 32.28 करोड़ की राशि रिफंड की मंजूरी दी जिसके कारण ₹ 10.71 करोड़ की राशि के रिफंड की अधिक रिफंड स्वीकृति हुई **(परिशिष्ट-1.18)**।

निदर्शी उदारहणः

1. जीरो रेटेड आपूर्ति

आपूर्ति की शून्य दर				
जीएसटीआईएन		**एआरएन**	रिफंड की अवधि	**रिफंड का दावा (₹)**
07AAFCA1440A1ZH		AA070120057405P	नवम्बर-19	7342542
वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जीरो रेट का टर्नओवर (₹)				60016516
समायोजित कुल टर्नओवर (₹)				
जीएसटीआर1	**जीएसटीआर3बी**	**आरएफडी01**	**विचार की जाने वाली अधिकतम राशि**	
275826040	275826040	275826040	275826040	
निवल इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) (₹)				
जीएसटीआर-2ए के अनुसार	**जीएसटीआर-3बी के अनुसार**	**आरएफडी-01 के अनुसार**	**विचार की जाने वाली न्युनतम राशि**	
32092533	33750781	33745115	32092533	
स्वीकार्य रिफंड की राशि = (वस्तुओं की आपूर्ति के जीरो रेट का टर्नओवर x निवल आईटीसी ÷समायोजित कुल टर्नओवर			(60016516×32092533)/275826040	6982959
रिफंड स्वीकृत (₹ में)	**स्वीकार्य रिफंड**		**रिफंड की अधिकता**	
7296576	6982959		रिफंड स्वीकृत-स्वीकार्य रिफंड	313617

2. इनवरटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर

<table>
<tr><th colspan="2">जीएसटीआईएन</th><th>एआरएन</th><th>रिफंड की अवधि</th><th>रिफंड का दावा (₹)</th></tr>
<tr><td colspan="2">07AAGCM6855J1Z0</td><td>AA0711186055491</td><td>Nov-18</td><td>2595421</td></tr>
<tr><td colspan="2">वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के इनवरटेड रेट का टर्नओवर (₹)</td><td colspan="3">वस्तुओं एवं सेवाओं की ऐसी इन्वर्टेड आपूर्ति पर देय कर (₹)</td></tr>
<tr><td colspan="2">14380496</td><td colspan="3">1793960</td></tr>
<tr><td colspan="5">समायोजित कुल टर्नओवर (₹)</td></tr>
<tr><td>जीएसटीआर 1</td><td>जीएसटीआर3बी</td><td>आरएफडी01ए</td><td>विवरण-1ए</td><td>विचार की जाने वाली अधिकतम राशि</td></tr>
<tr><td>14380496</td><td>14380496</td><td>14380496</td><td>14380496</td><td>14380496</td></tr>
<tr><td colspan="5">निवल इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) (₹)</td></tr>
<tr><td>जीएसटीआर-2ए के अनुसार</td><td>जीएसटीआर-3बी के अनुसार</td><td>आरएफडी-01 के अनुसार</td><td>विवरण-1ए</td><td>विचार की जाने वाली न्युनतम राशि</td></tr>
<tr><td>1972538</td><td>4389381</td><td>4389381</td><td>1907796</td><td>1907796</td></tr>
<tr><td colspan="5">स्वीकार्य रिफंड की राशि = (वस्तुओं की आपूर्ति के इनवरटेड रेट का टर्नओवर) x निवल आईटीसी ÷समायोजित कुल टर्नओवर- वस्तुओं एवं सेवाओं की ऐसी इन्वर्टेड आपूर्ति पर देयकर</td></tr>
<tr><td colspan="5">{(14380496×1907796)/14380496}-1793960= 113836</td></tr>
<tr><td>स्वीकृत रिफंड (₹ में)</td><td>स्वीकार्य रिफंड</td><td colspan="3">रिफंड की अधिकता</td></tr>
<tr><td>2595421</td><td>113836</td><td colspan="3">2481585</td></tr>
</table>

विभाग ने 191 मामलों (71 प्री-आटोमेशन और 120 पोस्ट-आटोमेशन मामलों) में से 164 मामलों में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की (दिसम्बर 2021) तथा 22 मामलों में विभाग ने तत्थों और आंकड़ों की पुष्टि नहीं कि, जबकि पांच मामलों में जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

इसके अलावा, विभाग ने कहा कि डीलर ने जीएसटीआर-2ए में कम इनपुट के लिये स्पष्टीकरण अवश्य प्रस्तुत किया होगा, आपूर्तिकर्ता द्वारा रिटर्न दाखिल करने के कारण खरीद अगले महीने में प्रतिबिंबित हो सकती है। करदाताओं के खाते में उपलब्ध आईटीसी अनुबंध-बी के अनुसार स्वीकृत रिफंड मामले को अन्य वार्डों में निपटाया गया, करदाता समय पर आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं कर पाया और जीएसटीएन पोर्टल पर डेटा उलब्ध नहीं था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि परिपत्र संख्या 79/53/2018-जीएसटी दिनांक 31.12.18 और संख्या 125/44/2019-जीएसटी दिनांक 18.11.2019 में कहा गया है कि स्वयं चालानों की प्रमाणित प्रतियां जिनके संबंध में आईटीसी के रिफंड का दावा किया जा रहा है और जो अनुबंध बी में आईटीसी के लिए पात्र घोषित किये गये हैं, लेकिन जो फॉर्म जीएसटीआर-2ए में नहीं भरे गए हैं, उन्हें फार्म जीएसटीआर आरएफडी-01 में आवेदन के साथ आवेदकों द्वारा अपलोड किया जाएगा। हालांकि, परिशिष्ट-बी चालान की स्व-प्रमाणित प्रतियों के साथ जीएसटीएन पोर्टल पर जीएसटीआर-आरएफडी-01 के साथ अपलोड नहीं किये गये थे और फाईलों में भी नहीं पाये गये थे। जीएसटीआर-2ए/जीएसटीआर-3बी/आरएफडी-01 और विवरण-1ए में परिलक्षित आईटीसी की राशि में से दावा किये गये आईटीसी के न्यूनतम पर विचार करके रिफंड की गणना की जानी है और समायोजित कुल टर्नओवर की अधिकतम जीएसटीआर-1/जीएसटीआर-3बी/आरएफडी-1 एवं विवरण-1ए के रूप में

लिया जाना चाहिए। अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन विभाग का आंतरिक मामला है। आवश्यक दस्तावेजों में किसी भी कमी के लिए उचित अधिकारी को आरएफडी-03 (कमी ज्ञापन) जारी करना चाहिए था।

1.4.6.6 प्रतिपक्ष कर प्राधिकारी को रिफंड आदेशों को संप्रेषित करने में विलंब

बोर्ड परिपत्र संख्या 24/24/2017-जीएसटी दिनांक 21/12/2017 के अनुसार केंद्रीय कर प्राधिकरण या राज्य कर/सं.शा.प्र. संघ राज्य कर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये रिफंड आदेश को संबंधित प्रतिपक्ष कर प्राधिकरण को सात कार्य दिवसों के भीतर कर या उपकर जैसा भी मामला हो, की प्रासंगिक स्वीकृत राशि के भुगतान के उद्देश्य से सूचित किया जाएगा। इसमें ये भी दोहराया गया था कि दिल्ली जीएसटी अधिनियम की धारा 54(7) और नियम 91(2) के तहत निर्दिष्ट समय-सीमा और रिफंड आदेशों की मंजूरी के लिये नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

विभाग से अनुरोध किया गया था (अगस्त 2021) कि चयनित 199 प्री-ऑटोमेशन मामलों की जानकारी उनके समकक्ष केंद्रीय जीएसटी प्राधिकरण की रिफंड स्वीकृत आदेश मामलों के संचरण से संबंधित है।

विभाग ने कहा (सितम्बर 2021) कि पांच मामलों में उसने केंद्रीय जीएसटी प्राधिकरण को स्वीकृति आदेश जारी किये थे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच मामलों में से एक मामले में ₹ 1.67 करोड़ शामिल थे, जिसमें आठ दिनों की देरी थी।

शेष 194 मामलों के संबंध में सूचना प्रतीक्षित थी (मई 2022)।

1.4.6.7 रिफंड दावों के पोस्ट ऑडिट में विलंब/गैर-संचालन

सीबीईसी परिपत्र संख्या-17/17/2017-जीएसटी दिनांक 15/11/2017 ने जीरो रेटेड आपूर्ति के रिफंड के मैनुअल प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से निर्धारित किया। परिपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि मैन्युअल रूप से संसाधित रिफंड के आवेदनों की पूर्व-लेखापरीक्षा की आवश्यकता नहीं है, जबतक की बोर्ड द्वारा अलग-अलग विस्तृत दिशानिर्देश जारी नहीं किए जाते हैं, चाहे इसमें शामिल राशि कुछ भी हो। हालांकि यह स्पष्ट किया गया कि रिफंड आदेश की पोस्ट ऑडिट मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी।

यह प्रक्रिया सीबीईसी परिपत्र संख्या 24/24/2017 दिनांक 21 दिसम्बर 2017 के तहत मैन्युअल रूप से संसाधित सभी प्रकार के रिफंड आवेदनों के लिए बढ़ा दी गई थी।

विभाग से अनुरोध किया गया था (अगस्त 2021) कि चयनित रिफंड स्वीकृति आदेश मामलों (300 प्री-ऑटोमेशन और 313 पोस्ट- ऑटोमेशन) की पोस्ट ऑडिट से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करें, हालांकि, संबंधित सूचना विभाग से प्रतीक्षित थी (मई 2022)।

इस प्रकार, बोर्ड के निर्देशों का पालन न करने के अलावा, पोस्ट ऑडिट का संचालन न करने से राजकोष को राजस्व की संभावित हानि भी हो सकती है।

1.4.6.8 रिर्टन/आवश्यक दस्तावेज आदि दाखिल करने की स्थिति की जांच किये बिना रिफंड की मंजूरी।

सीबीआईसी के परिपत्र संख्या 125/44/2019-जीएसटी (परिशिष्ट-ए) दिनांक 18 नवम्बर 2019 के अनुसार, जीएसटी के तहत रिफंड का दावा करने के लिए एक कर भुगतानकर्ता को सभी सहायक दस्तावेजों के साथ फार्म जीएसटी आरएफडी-01ए में आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता थी।

चयनित 512 (199 प्री-ऑटोमेशन और 313 पोस्ट-ऑटोमेशन) रिफंड मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान, निम्नलिखित देखा गया थाः

(i) ₹ 51.14 करोड़ की राशि के रिफंड के दावे वाले 167 मामलों में करदाता द्वारा रिफंड आवेदन के साथ जीएसटीआर-2ए रिटर्न की कापी जमा नहीं किए जाने के बावजूद रिफंड जारी किया गया था **(परिशिष्ट 1.19)**।

(ii) ₹ 36.77 करोड़ के रिफंड के दावे वाले 175 मामलों में, धारा 16(2) (सी) और धारा 42(2) के संबंध में आवश्यक दस्तावेज जैसे सीए सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग आदि को सत्यापित किए बिना रिफंड जारी किया गया था **(परिशिष्ट 1.20)**।

(iii) ₹ 39.07 लाख के रिफंड के दावे वाले 4 मामलों में, जीएसटीआर-1 रिर्टन दाखिल करने की स्थिति की जाँच किए बिना रिफंड जारी किया गया था **(परिशिष्ट 1.21)**।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2021) कि रिफंड दावों को संसाधित करते समय, संबंधित अवधि के जीएसटीआर-2ए का सत्यापन किया गया है और ऑनलाइन मामलों में डीलर ने इसे भौतिक रूप से प्रस्तुत किया है। पैरा सं. (ii) एवं (iii) के संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऑफलाइन मोड में प्रिंट आउट जमा करना अनिवार्य था और ऑनलाइन मामलों में, फार्म जीएसटीआर-2ए जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।

1.4.7 विविध अवलोकन

1.4.7.1 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अस्वीकृत रिफंड के दावे की राशि का क्रेडिट न होना

दिल्ली जीएसटी नियम 2017 के नियम 93 में प्रावधान है कि जहां कोई कमी नियम 90(3) के तहत सूचित की गई हो, वहां डेबिट की गई राशि नियम 89(3) के तहत इलेक्ट्रानिक क्रेडिट लेजर में फिर से जमा किया जाएगा। जहां रिफंड के रूप में दावा की गई राशि को नियम 92 के तहत अस्वीकार कर दिया जाता है, या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से तो डेबिट की गई राशि, अस्वीकृति की सीमा तक, फार्म जीएसटी पीएमटी-03 में किए गए आदेश द्वारा इलेक्ट्रानिक क्रेडिट लेजर में फिर से जमा की जाएगी।

जीएसटी रिफंड की लेखापरीक्षा के दौरान 512 मामलों (199 प्री-ऑटोमेशन और 313 पोस्ट-ऑटोमेशन) की जांच की गई और यह देखा गया कि पोस्ट ऑटोमेशन के 11 मामलों में उचित अधिकारी ने ₹ 9.30 करोड़ की दावा की गई रिफंड राशि के प्रति ₹ 0.69 करोड़ की राशि को खारिज कर दिया। हालांकि, अस्वीकृत राशि को संबंधित करदाता के इलेक्ट्रानिक क्रेडिट लेजर में पुनः क्रेडिट नहीं किया गया था **(परिशिष्ट-1.22)**।

विभाग ने सभी 11 मामलों में तत्थों और आंकड़ों की पुष्टि की (दिसम्बर 2021)।

1.4.7.2 ₹ 39,954 के समायोजन के बिना रिफंड का अधिक भुगतान

दिल्ली जीएसटी नियम 92(आईए) के अनुसार जहां जीरो रेटेड आपूर्ति या डीम्ड नियति पर भुगतान किये गये कर की रिफंड के अलावा कर के रूप में भुगतान की गई किसी भी राशि के रिफंड के आवेदन की जांच करने पर, उचित अधिकारी संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (5) के तहत रिफंड देय है, और आवेदक को देय है, तो वह भुगतान की जाने वाली रिफंड की राशि की मंजूरी देते हुए फार्म आरएफडी-06 में एक आदेश देगा।

रिफंड का भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति से अधिक नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, जीएसटी रिफंड मामलों के ऑनलाइन अभिलेख की जांच के दौरान यह पाया गया कि दो[7] करदाताओं ने उल्टे कर ढ़ांचे के कारण नवम्बर/दिसम्बर 2018-19 के महीने के लिए आईटीसी पर ₹ 22,98,912 के रिफंड के लिये आवेदन किया था। सक्षम प्राधिकारी ने मांगे गए रिफंड की राशि के प्रति ₹ 22,58,958 की रिफंड राशि स्वीकृत की। हालांकि, ₹ 22,98,112 की राशि के लिए स्वीकृत आदेश

---

[7] (I) जीएसटीआइएन-07/AAFPP7742K1Z9/एआरएन-AA0712190455833 एवं (II) जीएसटीआईएन-07AARFV0873F1ZT/ एआरएन-AA070120015738K

(आरएफडी-6) जारी किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप करदाताओं को ₹ 39,954 (₹ 22,98,912 - ₹ 22,58,958) के अधिक रिफंड की अनुमति दी गई थी।

मामले की सूचना विभाग को सितम्बर 2021 में दी गई थीः उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2022)।

1.4.7.3 अपात्र वस्तु पर ₹ 95,238 के रिफंड का भुगतान

अभिलेखों की जांच से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान फ्लैट की बिक्री पर एक[8] करदाता ने कर के भुगतान पर ₹ 95,238 के रिफंड का दावा किया और उतनी ही राशि की सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई थी। यह देखा गया है कि फ्लैट निर्धारिती के व्यावसायिक उद्देश्य से जुड़ा नहीं था। इसलिए, अपात्र वस्तुओं पर कर को रिफंड की अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 95,238 का अधिक रिफंड हुआ। इसके अलावा, लागू ब्याज भी आरोपणीय था।

मामले की सूचना विभाग को सितम्बर 2021 में दी गई थी, उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मई 2022)।

1.4.8 अभिलेखों का गैर-प्रस्तुतिकरण

जीएसटी रिफंड मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांच के लिये 300 प्री-ऑटोमेशन रिफंड मामलों की जांच की मांग की गई थी। तथापि, विभाग ने केवल 199 रिफंड मामलों के संबंध में अभिलेख प्रस्तुत किये। 10 मामलों के अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि शेष 91 मामलों के संबंध में रिफंड अभिलेख हेतु विभाग द्वारा निम्नलिखित कारण दिये गयेः-

(क) 19 मामलों में विभाग ने उत्तर दिया कि करदाता ने रिफंड आवेदन और प्रासंगिक दस्तावेज भौतिक रूप से विभाग को प्रस्तुत नहीं किये थे।

(ख) 28 मामलों में विभाग ने उत्तर दिया कि संबंधित अभिलेख का पता लगाने योग्य/उपलब्ध नहीं है।

(ग) 37 मामलों में विभाग ने उत्तर दिया कि रिफंड स्वीकृत/जारी नहीं किया गया है।

(घ) सात मामलों में विभाग ने उत्तर दिया कि विभाग द्वारा/डीलरों के अनुरोध पर रिफंड के मामलों को खारिज कर दिया गया था **(परिशिष्ट-1.23)**।

1.4.9 निष्कर्ष

रिफंड के मामलों की लेखापरीक्षा विभाग द्वारा रिफंड आवेदनों के निपटान और समय पर रिफंड आर्डर स्वीकृत करने में दक्षता की जाँच करने के लिए की गई

[8] जीएसटीआईएन सं.-07BXTPP6309Q1ZE

थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रि-ऑटोमेशन और पोस्ट-ऑटोमेशन रिफंड मामलों के संबंध में पावती जारी करने में देरी हुई थी जो क्रमशः 1 से 723 दिनों और 1 से 217 दिनों के बीच थी। 167 मामलों में भी अत्याधिक विलम्ब देखा गया जहां समय पर रिफंड आदेश स्वीकृत नहीं किए गये थे। विभाग ने ₹ 95.37 लाख का अनियमित रिफंड किया था तथा 191 मामलों में ₹ 22.45 करोड़ के अधिक रिफंड को भी स्वीकृत किया।

1.4.10 अनुशंसाएं

- विभाग को समय पर पावती और रिफंड आवेदनों की प्रक्रिया के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
- जीरो रेटेड आपूर्ति के कारण रिफंड के मामले में अनंतिम रिफंड जारी करने के लिए समय पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
- पात्र डीलरों/करदाताओं को रिफंड स्वीकृत करते समय उचित सावधानी बरती जानी चाहिए।

1.5 इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा

निर्धारण प्राधिकारियों ने विक्रय व्यापारियों द्वारा जमा किए गए कर के विवरण की पुष्टि किए बिना निर्धारितियों को ₹ 83.85 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमत्य किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 67.91 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ, इसके अतिरिक्त, ₹ 49.97 लाख का ब्याज तथा ₹ 67.91 लाख का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

दिल्ली मूल्य वर्धित कर (डीवैट) अघिनियम, 2004 की धारा 9(2)(जी) में प्रावधान है कि व्यापारियों या व्यापारी वर्ग को कर क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक की क्रय व्यापारी द्वारा भुगतान किए गए कर को वास्तव में विक्रय व्यापारी द्वारा सरकार के पास जमा नहीं कर दिया गया हो या आउटपुट कर देयता के प्रति विधिपूर्वक समायोजित नहीं किया गया हो तथा संबंधित कर अवधि के लिए रिटर्न फाइल में सही तरीके से दर्शाया नहीं गया हो। डीवैट अधिनियम की धारा 86(10) यह अनुबंध करता है कि कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण विवरण में असत्य, भ्रामक या धोखापूर्ण रिटर्न प्रस्तुत करता है वह दस हजार रूपये की राशि या कर की कम राशि जो भी अधिक है, जुर्माने के रूप में भुगतान करने का उत्तरदायी होगा। डीवैट अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत किसी राशि के भुगतान करने में चूक होने पर ब्याज देने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

पांच वार्डों[9] के रिकॉर्डों की लेखापरीक्षा (मई 2019 और जनवरी 2020 के बीच) से पता चला कि सात निर्धारितियों ने कर निर्धारण वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए खरीद के संक्षिप्त विवरण (परिशिष्ट-2ए) के साथ अपनी त्रैमासिक रिटर्न दाखिल की। व्यापार और कर विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध इन निर्धारितियों के खरीद के संक्षिप्त विवरण के अनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 और 2016-17 के निर्धारितियों ने ₹ 11.12 करोड़ के स्थानीय क्रय पर ₹ 83.85 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया। हालांकि, बिक्री के संक्षिप्त विवरण (परिशिष्ट-2बी) से प्रतिसत्यापन करने पर यह पाया गया कि बेचने वाले व्यापारियों ने निर्धारितियों को केवल ₹ 2.09 करोड़ की बिक्री दिखाई थी और संबंधित कर अवधि के लिए ₹ 15.94 लाख के आउटपुट कर का भुगतान किया था। इसका तात्पर्य है कि निर्धारितियों ने परिशिष्ट-2ए में अनियमित स्थानीय खरीद दिखाई थी और अस्वीकार्य आईटीसी का दावा किया था।

इस प्रकार, जून 2016 और मार्च 2018 के बीच आकलन के दौरान विक्रय व्यापारियों द्वारा जमा किए गए कर के विवरण को सत्यापित करने में निर्धारण प्राधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 67.91 लाख (₹ 83.85 लाख - ₹ 15.94 लाख) के कर के उद्ग्रहण में कमी हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 49.97 लाख का ब्याज जिसकी गणना 31 मई 2021 तक की गई है और ₹ 67.91 लाख का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

सरकार ने कहा (अगस्त 2020 और अक्तूबर 2021 के बीच) कि सभी निर्धारितियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और ₹ 1.64 करोड़ की अतिरिक्त मांग उठाई गई है। इसके अतिरिक्त, चार मामलों में वसूली की कार्यवाही शुरू की गई है, जबकि एक मामले में, निर्धारिती ने उठाई गई मांग के खिलाफ आपत्ति दर्ज की है।

₹ 1.64 करोड़ की वास्तविक वसूली प्रतीक्षित थी (मई 2022)।

1.6 कर की अतिरिक्त मांग पर ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ

निर्धारण प्राधिकारी कर की अतिरिक्त मांग पर ₹ 6.91 करोड़ का ब्याज उद्ग्रहण करने में विफल रहा।

दिल्ली मूल्य वर्धित कर (डीवैट) अधिनियम, 2004 की धारा 42(2) में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत किसी भी कर, जुर्माना या अन्य देय राशि का भुगतान करने में चूक करता है, तो वह आकलित राशि के अतिरिक्त, इस तरह की चूक की तारीख से, जब तक कि वह उक्त राशि के

[9] वार्ड - 1, 62, 71, 84 तथा 90

भुगतान में चूक करना जारी रखता है, ऐसी राशि पर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित वार्षिक दर पर साधारण ब्याज, दैनिक आधार पर संगणित कर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। सरकार ने उक्त धारा के प्रयोजन के लिए 15 *प्रतिशत* की दर से वार्षिक ब्याज दर अधिसूचित किया (अप्रैल 2005)।

वर्ष 2016-17 के लिए वार्ड 87 के निर्धारण अभिलेखों (दिसम्बर 2019 और जनवरी 2020 के बीच) की जांच से पता चला कि चार निर्धारितियों[10] के निर्धारण सितम्बर 2017 और नवम्बर 2017 के बीच पूरे किए गए थे। निर्धारण आदेशों से पता चला कि निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) ने इन मामलों का निर्धारण करते समय इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को अस्वीकार कर दिया और नि.प्र. के नोटिस पर ₹ 10.40 करोड़ के कर की अतिरिक्त मांग उठाई, पर उपभोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट को सही ठहराने के लिए फर्मों की ओर से सभी चार मामलों में न कोई उपस्थित हुआ और न ही कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि नि.प्रा. ₹ 10.40 करोड़ की अतिरिक्त मांग पर ब्याज उद्ग्रहण में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी चूक की तिथि अर्थात् 22 जुलाई 2016 से 31 मई 2021 के बीच की अवधि के लिए ₹ 6.91 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2021) कि वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर व्यापारियों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है परन्तु अतिरिक्त कर एवं ब्याज की वसूली अब तक नहीं हुई है। जारी किए गए वसूली प्रमाण-पत्रों (जुलाई और सितम्बर 2021 के बीच) के अनुसार, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹ 7.65 करोड़ के ब्याज की गणना/उद्ग्रहण किया गया।

1.7 कर, ब्याज एवं जुर्माने की मांगों की वसूली में विफलता

विभाग उन निर्धारितियों से ₹ 87.74 करोड़ की मांगों को वसूल करने में विफल रहा जिनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया था।

दिल्ली मूल्य वर्धित कर (डीवैट) अधिनियम, 2004 की धारा 32(2) और 33(2) तथा केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) अधिनियम, 1956 की धारा 9(2) में प्रावधान है कि अतिरिक्त कर की राशि देय है और भुगतान उसी तारीख को करना है जिस तारीख को कर अवधि के लिए निबल कर देय था। इसके अलावा, निर्धारित किया गया जुर्माना देय है और उस तारीख को भुगतान योग्य है जिस दिन आयुक्त द्वारा निर्धारण की सूचना दी जाती है। इस अधिनियम के तहत कर की कोई भी राशि, ब्याज या जुर्माना, संयोजन राशि या अन्य राशि जो नियत तारीख के बाद भी बकाया रहती है, डीवैट अधिनियम की धारा 43 के तहत वसूली योग्य होगी। इसके

[10] टिन नं. 07777226010, 07597226012, 07507226013 और 07777121638

अलावा, डीवैट अधिनियम की धारा 22(9) में प्रावधान है कि पंजीकरण रद्द करने से किसी भी अवधि के देय कर का भुगतान करने के लिए किसी भी व्यक्ति की देयता प्रभावित नहीं होगी और इस तरह के रद्दीकरण की तारीख को भुगतान नहीं किया गया है या उसके बाद मूल्यांकन किया गया है, भले ही वह अन्यथा इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। किसी भी राशि का भुगतान करने में चूक होने पर डीवैट अधिनियम की धारा 42(2) के तहत ब्याज भी उद्ग्रहणीय होगा।

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के लिए सात वार्डों[11] के अभिलेखों की जांच से पता चला (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) कि 22 निर्धारितियों[12] का निर्धारण डीवैट अधिनियम की धारा 32 और 33 तथा सीएसटी अधिनियम की धारा 9(2) के तहत में ₹ 71.15 करोड़ (कर ₹ 42.55 करोड़; ब्याज ₹ 15.66 करोड़ और जुर्माना ₹ 12.94 करोड़) की अतिरिक्त मांग उठाकर पूरा किया गया था (सितम्बर 2014 और मार्च 2019 के बीच)। यद्यपि, उनका पंजीकरण विभाग द्वारा पहले ही जनवरी 2014 और सितम्बर 2017 के बीच रद्द कर दिया गया था। निर्धारितियों को निर्धारण आदेशों में उल्लिखित एक निर्धारित समय अवधि के भीतर मांगों को जमा करने का निर्देश दिया गया था। जिन मामलों में मांगे निर्धारित समयावधि में जमा नहीं करायी गई, विभाग को डीवैट अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत वसूली प्रमाण-पत्र जारी करके कर, ब्याज एवं जुर्माने की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ करनी थी।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 माह से 53 माह बीत जाने के बाद भी विभाग ने निर्धारितियों के विरूद्ध मांगों को प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 87.74 करोड़ (अर्थात् कर ₹ 42.55 करोड़, ब्याज ₹ 32.25 करोड़ जिसकी गणना 31 मई 2021 तक की गई है और जुर्माना ₹ 12.94 करोड़) के राजस्व की वसूली नहीं हो सकी।

सरकार ने कहा (अगस्त 2020 और अक्तूबर 2021 के बीच) कि 20 मामलों में वसूली प्रमाण पत्र/मांग याचिका जारी किए गए हैं और दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धारा 139 के तहत बैंक अटैचमेंट भी इन 20 मामलों में से पांच में शुरू किए गए हैं। इसके अलावा, एक मामले[13] में यह भी कहा कि वसूली नोटिस निर्धारिती के व्यवसाय के प्रमुख स्थल और आवासीय पते पर स्पीड पोस्ट

---

11 वार्ड सं. 1, 8, 45, 87, 101, 102 तथा 107.

12 टिन सं.: 07830395824, 07300272586, 07477107350, 07250473937, 07790406031, 07960478348, 07026969103, 07366956500, 07946937880, 07777226010, 07597226012, 07507226013, 07777121638, 07180138889, 07146941004, 0740202252, 07427133228, 07336937650, 07866934206, 07157124792, 07190440311 तथा 07100256206.

13 टिन: 07100256206

के माध्यम से भेजा गया था, लेकिन प्राप्तकर्ता उपलब्ध पते पर नहीं मिला था। डीलर प्रोफाइल में बैंक विवरण भी उपलब्ध नहीं थे। अन्य मामले[14] में, सरकार ने कहा कि अतिरिक्त मांग निर्धारिती द्वारा जमा की गई थी लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि तिमाही रिटर्न (डीवैट-16) में दिखाए गए चालान, जिसके द्वारा राशि जमा की गई थी, निवल देय कर से संबंधित थे। हालांकि, तथ्य यह है कि निर्धारितियों से ₹ 87.74 करोड़ की मांग की वसूली आज तक (मई 2022) नहीं की गई है।

1.8 अवैध सांविधिक 'सी' फार्मों के प्रति कर की रियायती दर का अनियमित भत्ता

निर्धारण प्राधिकारी ने अवैध सांविधिक 'सी' फार्मों के प्रति निर्धारिती को ₹ 6.78 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की रियायती दर की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.33 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 19.96 लाख का ब्याज एवं ₹ 20.33 लाख का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

केंद्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम, 1956 की धारा 8(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यापारी, जो अंतर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान एक पंजीकृत व्यापारी को कुछ बेचता है, तो इस अधिनियम के तहत कर, जो उसकी कुल बिक्री का दो प्रतिशत या राज्य के बिक्री कर कानून के तहत उपयुक्त राज्य के अंदर ऐसे सामान की बिक्री या खरीद पर लागू दर, जो भी कम हो, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। के.बि.क. अधिनियम, 1956 की धारा 8(4) में प्रावधान है कि खरीद व्यापारी द्वारा विधिवत् भरा हुआ और हस्ताक्षरित एक घोषणा-पत्र विक्रेता व्यापारी द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अन्यथा, व्यापारी के.बि.क. अधिनियम की धारा 8(2) के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार पर राज्य के अंदर ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर लागू दर पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, दिल्ली मूल्य वर्धित कर (डीवैट) अधिनियम, 2004 की धारा 86(10) यह प्रावधान करती है कि कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण विवरण में असत्य, भ्रामक या धोखापूर्ण रिटर्न प्रस्तुत करता है वह जुर्माने के रूप में दस हजार रूपये की राशि या कम कर की राशि, जो भी अधिक हो, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। डीवैट अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत किसी राशि के भुगतान करने में चूक होने पर ब्याज देने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

---

[14] टिन: 07140202252

वार्ड-207 के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2019 और अगस्त 2019 के बीच) से पता चला कि निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए किसी निर्धारिती[15] द्वारा दाखिल तिमाही रिटर्न का आकलन अगस्त 2015 और अक्तूबर 2018 के बीच किया गया था। ऑनलाइन बिक्री का संक्षिप्त विवरण और क्रय डीलरों से फॉर्म-9 में प्राप्त सांविधिक फॉर्म के विवरण ने दर्शाया कि निर्धारिती ने सात सांविधिक 'सी' फॉर्म के प्रति ₹ 6.78 करोड़ की अंतर्राज्यीय ब्रिकी, की जिसके लिए कर का भुगतान दो प्रतिशत की रियायती दर से किया गया। हालांकि, राजस्थान सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग के ऑनलाइन डेटा से प्रति-सत्यापन करने पर पता चला कि ये सात सांविधिक फॉर्म पहले ही अवैध घोषित किए जा चुके थे। इस प्रकार, इन सात सांविधिक फॉर्म के प्रति निर्धारिती द्वारा रियायती दर पर दावा किया गया कर अनियमित था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.33 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 19.96 लाख का ब्याज (31 मई 2021 तक परिकलित) तथा ₹ 20.33 लाख का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2021) कि चूक का मूल्यांकन कर दिया गया है तथा संशोधन आदेश दिनांक 16 और 19 जुलाई 2021 के द्वारा व्यापारी के विरूद्ध ₹ 59.69 लाख (अनुपातिक आधार पर परिकालित, कर - ₹ 20.33 लाख, ब्याज - ₹ 19.03 लाख एवं जुर्माना - ₹ 20.33 लाख) की मांग की गई है। मांग की वसूली अब तक नहीं की जा सकी, क्योंकि व्यापारी ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मुंबई बेंच के समक्ष दिवाला और दिवालियापन की याचिका दायर की थी, लेकिन मामला 21 सितम्बर 2021 को गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था। अतः अब व्यापारी के विरूद्ध वसूली शुरू कर दी गई है।

परिवहन विभाग

1.9 बार-बार यातायात उल्लंघन करने वाले से जुर्माने की कम वसूली

उल्लंघनकर्ताओं पर दूसरे और बाद के अपराध के लिए लागू दर के बजाय पहले अपराध की दर से जुर्माना लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 19.30 लाख के जुर्माने की कम वसूली हुई। इसके अलावा बार-बार यातायात के अपराधों को रोकने की कोशिश करने के लिए जुर्माने की कंपाउंडिंग के प्रभाव को नकारा जाना।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल ने अधिसूचना संख्या एफ-19(95)/टीपीटी/सचि./10/257 दिनांक 20 दिसम्बर 2016 के माध्यम से

[15] जे.जे. पौली इमेक्श, टिन सं. 07720330943

दिल्ली यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल/सहायक उप-निरीक्षक तथा ऊपर के अधिकारियों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के परिवहन विभाग के अधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत किए गए यातायात अपराधों को कम करने के लिए अधिकृत किया। बार-बार यातायात अपराधों को रोकने के लिए अधिसूचना में दूसरे या बाद के अपराध के लिए जुर्माना बढ़ाने के प्रावधान भी थे।

परिवहन विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए (दिसम्बर 2020 और जनवरी 2021 के बीच) हैंडहेल्ड संचार उपकरणों के माध्यम से जारी चालानों के रिकॉर्ड/डेटा के आधार पर यह पाया गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान मोटर वाहन अधिनियम 1988/केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली (1989)/दिल्ली मोटर वाहन नियमावली (1993)/मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की विभिन्न धाराओं/नियमों के तहत दण्डनीय पुनरावृत अपराध के 7,422 मामले थे। इन सभी मामलों में उल्लंघनकर्ताओं द्वारा परिवहन विभाग को जुर्माने के भुगतान किए गए। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 20 दिसम्बर 2016 की अधिसूचना के प्रावधानों को अधिनियमित करने के लिए हैंडहेल्ड संचार उपकरणों में आवश्यक सिस्टम संशोधन नहीं किए गए और उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना दूसरे और बाद के अपराध के लिए लागू दर के बजाय 'पहले अपराध' की अधिसूचित दर पर लगाया गया था, जो कि पहले अपराध की तुलना में लगभग दोगुना/तीनगुना था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 19.30 लाख के जुर्माने का कम संग्रहण हुआ।

सरकार ने कहा (अक्तूबर 2021) कि 2016 में सभी मैनुअल चालान जारी किए गए थे और सड़क पर मैनुअल चालान जारी करते समय दूसरे या बाद के अपराधों का पता लगाने के लिए प्रवर्तन अधिकारियों के पास कोई तंत्र नहीं था। मोटर वाहन अधिनियम 1988 (संशोधित) 01 सितम्बर 2019 को अधिसूचित किया गया। संशोधित अधिनियम के अनुसार चालान अधिकारियों के पास कोई कंपाउंडिंग अधिकार नहीं थे और प्रवर्तन शाखा द्वारा कोई कंपाउंडिंग शुल्क आरोपित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, सभी चालान पिछले या बाद के अपराधों के विवरण के साथ अदालत को भेजे गए। दूसरे या बाद के अपराधों के लिए जुर्माना वसूलना पूरी तरह से एक न्यायिक मामला है। अब, राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने दूसरे या बाद के अपराधों के लिए उलंघनकर्ता की पहचान करने के लिए आवेदन में प्रावधान किया है और परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा 14 मार्च 2020 की अधिसूचना के अनुसार दूसरे या बाद के अपराधों के लिए जुर्माना वसूल रही है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त वर्णित मामले अदालतों को नहीं भेजे गए थे क्योंकि परिवहन विभाग द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान यातायात उल्लंघनकर्त्ताओं द्वारा किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त, दूसरे और बाद के अपराध के लिए दरें 20 दिसम्बर 2016 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित की गई, जिसमें दिल्ली यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल/सहायक उप-निरीक्षक और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों और परिवहन विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. को किए गए यातायात अपराधों को कम करने के लिए अधिकृत किया गया था। साथ ही, संशोधित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 ने विभाग द्वारा दावा किए गए 'कंपाउंडिंग पावर' को नहीं छीना। फिर भी 20 दिसम्बर 2016 की अधिसूचना में न केवल पहले अपराध (जो लगाया जा रहा था) के लिए बल्कि दूसरे और बाद के अपराधों के लिए भी दंड को परिभाषित किया गया था (जो नहीं लगाए जा रहे थे)।

अतः, उल्लंघनकर्ताओं पर प्रथम अपराध की दर के स्थान पर दूसरे और बाद के अपराध के लिए लागू दर के अनुसार जुर्माना आरोपित करने के परिणामस्वरूप ₹ 19.30 लाख के जुर्माने की कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त बार-बार होने वाले यातायात अपराधों को हतोत्साहित करने के लिए जुर्माने की कंपाउंडिंग के प्रभाव को भी हासिल नहीं किया गया था।

अध्याय II

आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्र तथा सा.क्षे.उ.

अध्याय-II

2.1 परिचय

2.1.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के 48 विभागों के साथ 15 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा.क्ष.उ.) और इसके अंतर्गत 61 अन्य संस्थानों (स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों, आदि) के लेखापरीक्षा, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र में आती है। विभागों तथा संबंधित संस्थानों के विवरण **परिशिष्ट 2.1** में दिए गए हैं और **तालिका-2.1.1** में संक्षेपित हैं।

तालिका-2.1.1: लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभागों और संस्थानों की सूची

क्रम. सं.	विभाग(गों) के नाम	संख्या		
		सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.)	अन्य संस्थाएँ (स्वायत निकाय/प्राधिकरण, आदि)	कुल
1.	लोक निर्माण विभाग	-	-	-
2.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	-	-	-
3.	शहरी विकास	2	2	4
4.	ऊर्जा विभाग	4	1	5
5.	पर्यटन विभाग	1	1	2
6.	पुरातत्व विभाग	-	-	-
7.	दिल्ली अभिलेखागार	-	-	-
8.	कला, संस्कृति एवं भाषा	-	8	8
9.	व्यापार एवं कर विभाग	-	-	-
10.	राज्य उत्पाद शुल्क एवं व्यय	-	-	-
11.	वित्त विभाग	1	1	2
12.	योजना विभाग	-	-	-
13.	अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय	-	-	-
14.	गृह विभाग	-	-	-
15.	कानून, न्याय एवं विधायी मामलों के विभाग	-	1	1
16.	रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय	-	-	-
17.	अभियोजन निदेशालय	-	-	-
18.	सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी निदेशालय	-	-	-
19.	राजस्व विभाग	-	-	-
20.	मुख्य निर्वाचन कार्यालय	-	-	-
21.	विधान सभा का सचिवालय	-	-	-
22.	सामान्य प्रशासन विभाग	-	-	-
23.	प्रशासनिक सुधार विभाग	-	-	-
24.	उपराज्यपाल का सचिवालय	-	-	-
25.	लोकायुक्त	-	-	-
26.	लोक शिकायत आयोग	-	-	-
27.	सूचना एवं प्रचार विभाग	-	-	-
28.	भूमि एवं भवन विभाग	-	-	-
29.	उद्योग विभाग	1	-	1
30.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1	-	1
31.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	-	14	14
32.	समाज कल्याण	-	-	-
33.	महिला एवं बाल विकास विभाग	-	2	2
34.	अ.जा/अ.ज.जा/अ.सं. कल्याण विभाग	1	-	1
35.	शिक्षा	-	3	3
36.	उच्च शिक्षा	-	15	15

37.	प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा	-	6	6
38.	सेवा विभाग	1	-	1
39.	श्रम विभाग	-	2	2
40.	रोजगार निदेशालय	-	-	-
41.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों का विभाग	1	-	1
42.	विकास विभाग	-	1	1
43.	कृषि विपणन निदेशालय	-	-	-
44.	भार एवं मापन निदेशालय	-	-	-
45.	रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसाईटी	-	-	-
46.	वन एवं वन्य जीव विभाग	-	-	-
47.	पर्यावरण विभाग	-	2	2
48.	परिवहन विभाग	2	2	4
		15	**61**	**76**

लेखापरीक्षा कवरेज

2.1.2 वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय ने रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के 48 विभागों के अधीन कुल 460 और 770 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 140 और 126 इकाईयों का अनुपालन लेखापरीक्षा किया। इस प्रतिवेदन में आठ विभागों से संबंधित चार पीए/एसएससीए और पाँच अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों की लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया और लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया

2.1.3 लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाईयों/विभागों के लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उनकी राय जानने के लिए चार चरण का अवसर प्रदान करता है, अर्थात्

लेखापरीक्षा ज्ञापनः क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को लेखापरीक्षा ज्ञापन जारी किए जाते हैं जिसका जवाब लेखापरीक्षा के दौरान ही देना होता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.): यह लेखापरीक्षा पूर्ण होने के एक माह के भीतर जारी किया जाता है जिसका जवाब लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख द्वारा चार सप्ताह के भीतर देना होता है।

मसौदा पैराग्राफः ये उन विभागों के प्रमुखों को जारी किए जाते हैं जिनके अधीन लेखापरीक्षित इकाईयाँ नि.एव म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए जाने से पूर्व छः सप्ताह की अवधि के भीतर विभागीय राय प्रस्तुत करने के लिए कार्य करती है।

बहिर्गमन सम्मेलनः लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने से पूर्व विभागाध्यक्षों और राज्य सरकार को लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सरकार/ विभागीय विचार का अवसर दिया जाता है।

इन सभी चरणों में, लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाईयों/विभागों के प्रमुखों/राज्य सरकार को खण्डन और स्पष्टीकरण के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है और केवल जब विभागीय जवाब प्राप्त नहीं होते हैं या आश्वस्त नहीं होते हैं, तो लेखापरीक्षा अवलोकनों को निरीक्षण प्रतिवेदन या नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रक्रिया को किया जाता है, जैसा कि मामला हो। हालाँकि, अधिकांश मामलों में लेखापरीक्षित संस्थाएँ समय पर तथा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करती हैं जैसा कि नीचे दर्शाया गया हैः

- **निरीक्षण प्रतिवेदनों के जवाब की स्थिति**

मार्च 2021 तक 48 विभागों से संबंधित 476 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा दर्शाती है कि 2423 निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित 11511 पैराग्राफ 31 मार्च 2021 तक आश्वस्त जवाबों के अभाव में निपटान के लिए बकाया थे।

बकाया नि.प्र. की स्थिति **तालिका 2.1.2** में दी गई है

तालिका- 2.1.2: 31 मार्च 2021 तक बकाया नि.प्र.और पैराग्राफ (31 मार्च 2021 तक जारी)

क्र.स.	अवधि	बकाया नि.प्र.की सं. (प्रतिशत)	बकाया पैरा की सं. (प्रतिशत)
1	2020-21	123 (5.08)	1146 (9.96)
2	1 वर्ष से 3 वर्ष अधिक तक	529 (21.83)	3763 (32.69)
3	3 वर्ष से 5 वर्ष अधिक तक	376 (15.52)	1776 (15.43)
4	5 वर्ष से अधिक	1395 (57.57)	4826 (41.92
कुल		**2423 (100)**	**11511 (100)**

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

2019-20 और 2020-21 के दौरान, विभागीय अधिकारियों के साथ तीन लेखापरीक्षा समिति की बैठकें हुई जिसमें 2019-20 में केवल 10 पैराओं का निपटान किया गया।

- **वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए गए लेखापरीक्षा पैराग्राफों के जवाब की स्थिति**

वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2019-21 के लिए, चार निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.)/एसएससीए और पाँच अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों से संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उनकी राय जानने के लिए अग्रेषित किए गए थे। चार नि.ले./एसएससीए और तीन अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में सरकार के जवाब/प्रतिक्रियाएँ

प्राप्त हुए हैं। दो लेखापरीक्षा पैराग्राफों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संबंध में सरकार का जवाब अभी तक प्रतीक्षित है (मई 2022)।

पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई अनुवर्ति कार्रवाई

2.1.4 पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षा पैराग्राफों के बकाया जवाब

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निपटाए गए मुद्दों के प्रति कार्यपालकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासनिक विभागों को सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षाओं पर स्वप्रेरणा से एक्शन टेकेन नोट (एटीएन) जारी करना है, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि क्या ये लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा के लिये गये हैं या नहीं। ये एटीएन लो.ले.स. को प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली द्वारा विधिवत् रूप से दिल्ली विधान सभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

प्राप्त नही हुए एटीएन की स्थिति **तालिका- 2.1.3** में दी गई है।

तालिका 2.1.3: प्राप्त नही हुए एटीएन नोट्स (मई 2022 की स्थिति)

31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ./गैर.सा.क्षे.उ.)	राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन स्थानन की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प.) तथा अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ (अ.ले.प.पै.)		बि.ले.प./अ.ले.प.पै. की संख्या जिसके लिए एटीएन प्राप्त नही हुए	
		नि.ले.प.	अ.ले.प.	नि.ले.प.	अ.ले.प.
ए. सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र (गैर.-सा.क्षे.उ.)					
2013	01.08.2014	05	10	1	4
2014	30.06.2015	05	15	1	3
2015	13.06.2016	04	17	2	3
2016	10.03.2017	05	15	2	0
2017	03.04.2018	03	13	2	5
कुल		**22**	**70**	**8**	**15**
बी.सा.क्षे.उ.					
2012	02.04.2013	1	3	0	3
2013	01.08.2014	1	7	0	1
2014	30.06.2015	1	2	0	2
2015	13.06.2016	1	6	1	4
2016	10.03.2017	1	6	1	3
2017	03.04.2018	1	8	1	5
2018	03.12.2019	1	2	1	2
योग		**7**	**34**	**4**	**20**
कुल योग		**29**	**104**	**12**	**35**

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा

वर्ष 2012-13 से 2017-18 के दौरान, इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विभागों/स्वायत्त निकायों से संबधित 22 निष्पादन लेखापरीक्षा और 70

अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ प्रतिवेदित किए गए थे। इनमें से लो.ले.स. ने दो निष्पादन लेखापरीक्षा और पाँच अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ (अ.ले.प.पै.) को चर्चा के लिए लिया था। 30 सितम्बर 2021 तक लो.ले.स. की चर्चा की स्थिति का विवरण **तालिका-2.1.4** में दिया गया है।

तालिका 2.1.4 : लो.ले.स. की चर्चा की स्थिति, रा.रा.क्षे.दिल्ली, विधान सभा

स्थिति	वर्ष 2012-13 से 2018-19 के लिए सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर.-सा.क्षे.उ.) से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के नि.ले.प./अ.ले.प.
कुल लेखापरीक्षा पैराओं की संख्या	92 (22 नि.ले.प. +70 अ.ले.प.)
लो.ले.स. द्वारा चर्चा के लिए लिया गया	7 (2नि.ले.प. + 5 अ.ले.प.)
लो.ले.स. द्वारा की गई अनुशंसा	शून्य
प्राप्त एटीएन	शून्य
विभाग द्वारा की गई कार्रवाई	-

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

- **सार्वजनिक उपक्रम पर समिति (कोपू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा**

2012-13 से 2018-19 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की 07 निष्पादन लेखापरीक्षा एवं 34 अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदित किया गया था। इनमें से, कोपू ने 02 निष्पादन लेखापरीक्षा और 05 अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों को चर्चा के लिए लिया था। 30 सितम्बर 2021 तक कोपू चर्चा की स्थिति **तालिका-2.1.5** में दी गई है।

तालिका- 2.1.5: कोपू चर्चा की स्थिति, रा.रा.क्षे. दिल्ली, विधानसभा

स्थिति	वर्ष 2012-13 से 2018-19 के लिए सा.क्षे.उ. से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के नि.ले.प./वि.ले.प./अ.ले.प.
कुल लेखापरीक्षा पैराओं की संख्या	41 (7 नि.ले.प. + 34 वि.ले.प.)
लिखित जवाब प्रस्तुत करने के लिए कोपू द्वारा लिया गया	7(2 नि.ले. + 5 वि.ले.)
कोपू द्वारा की गई अनुशंसा	शून्य
प्राप्त एटीएन	शून्य
विभाग द्वारा की गई कार्रवाई	-

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

राज्य विधान सभा में संस्थाओं की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों को रखने/प्रस्तुत करने की स्थिति

2.1.5 दो संस्थाओं की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प.प्र.) के साथ वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों का विवरण जो अभी तक राज्य विधान सभा में रखा जाना है, **तालिका - 2.1.6** में दर्शाया गया है।

तालिका- 2.1.6: राज्य विधान सभा में अभी तक रखी जाने वाली पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	संस्थाओं के नाम	जिस वर्ष तक सरकार को पृ.ले.प.प्र. जारी किया गया है।	जिस वर्ष तक विधान सभा में पृ.ले.प.प्र. रखा गया है
1	दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीइआरसी)	2020-21	2019-20
2	दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)	2014-15	2003-04
3	दिल्ली वित्त निगम (डीएफसी)	2019-20	2014-15
4	दिल्ली राज्य विधि सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए)	2018-19	स्थिति की जानकारी नहीं है
5	दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी)	2019-20	2019-20
6	अम्बेडकर विश्वविद्यालय (एयू)	2019-20	2016-17
7	इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईआईटीडी)	2019-20	2019-20
8	गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू)	2018-19	2016-17
9	दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (डीटीयू)	2019-20	2018-19
10	महिलाओं के लिए इंदिरा गाँधी दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (आईजीडीटीयूडब्ल्यू)	2017-18	2017-18
11	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनएसयूटी)	2018-19	2008-09
12	दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी)	2016-17	2016-17
13	डीटीसी इपीएफ ट्रस्ट (डीटीसी इपीएफटी)	2019-20	2017-18

स्रोतः दिल्ली विधान सभा की वेबसाइट पर उपलब्ध विधान सभा सत्र के कार्यवृत्त

लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूली

2.1.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष, जिसमें राज्य सरकार के विभागों के लेखे का नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आने वाली वसूली शामिल है, पुष्टि के लिए विभिन्न विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) को भेजा जाता है और लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए आगे आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान, लेखापरीक्षा निष्कर्षों के विरूद्ध ₹ 15.51 करोड़ और ₹ 9.93 करोड़ की वसूली शामिल थी जिसे क्रमशः 185 और 101 मामलों में इंगित किया गया था, संबंधित डीडीओ ने 71 और 54 मामलों में ₹ 2.13 करोड़ और ₹ 2.3 करोड़ (पिछले वर्षों की वसूली सहित) की वसूली की थी।

2.1.7 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा को जवाब प्रस्तुत न करना, राज्य संस्थाओं के वार्षिक लेखे तैयार करने में बकाया और राज्य विधानसभा में पृ.ले.प.प्र. के साथ वार्षिक प्रतिवेदन लेखे नहीं रखना सरकार में जवाबदेही और पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इसलिए चिंता का कारण है।

योजना विभाग

2.2 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण

2.2.1 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का परिचय

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) 1 जनवरी 2013 को भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई एक प्रमुख सुधार पहल है, जिसका उद्देश्य प्रणाली में समयबद्धता, दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता लाकर विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभ और सब्सिडी को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित करना है।

भारत सरकार (भा.स.) द्वारा जारी डीबीटी भुगतान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कार्यान्वयन विभागों द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना हैः

- विभाग योजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर (एस.एम.एस) में लाभार्थी की पहचान और उनका नामांकन,
- सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पर लाभार्थी का सत्यापन/पंजीकरण
- भुगतान फाइल निर्देश तैयार करना
- भुगतान फाइल का प्रसंस्करण करना और लाभार्थी को भुगतान करना

2.2.2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में डीबीटी की रूपरेखा

जनगणना 2011 के अनुसार, दिल्ली की आबादी 167.88 लाख है जिसमें से 16.96 लाख निवासी गरीबी रेखा के नीचे थे।

डीबीटी के अंतर्गत लाभ हस्तान्तरण की जानकारी एकत्र करने के लिए, एक राज्य डीबीटी पोर्टल (DBT.DELHI.GOV.IN) 23 अप्रैल 2018 को बनाया गया था और डीबीटी भारत पोर्टल (DBTBHARAT.GOV.IN) के साथ एकीकृत किया गया था। राज्य डीबीटी पोर्टल की मुख्य विशेषताँए हैं: (I) डीबीटी योजनाओं का समेकित डैशबोर्ड, (II) योजना एवं विभाग-वार प्रतिवेदन, (III) डीबीटी के लिए लागू योजनाओं/सेवाओं के लिए प्रगति निगरानी प्रणाली, (IV) डीबीटी योजना कोड प्रबंधन।

डीबीटी पोर्टल (DBT.DELHI.GOV.IN) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) ने 73 योजनाओं के लिए डीबीटी लागू किया है जिसमें 37 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) और 36 राज्य प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के 10 विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

रा.रा.क्षे.दि.स. के योजना विभाग के तहत एक राज्य डीबीटी सैल (डीबीटी सैल) कार्य कर रहा था जो सभी विभागों के साथ उन योजनाओं और कार्यक्रमों की सूची तैयार करने में समन्वय करता है, जिन पर डीबीटी लागू हो सकता है। यदि यह पाया जाता है कि डीबीटी किसी भी योजना के लिए उपयोगी होगा, तो राज्य डीबीटी पोर्टल पर दिए गए/अपलोड किए गए प्रोफॉर्मा को भरने के पश्चात संबंधित विभाग द्वारा डीबीटी सैल को प्रस्तुत किया जाता है। डीबीटी सेल विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना को डीबीटी भारत पोर्टल पर अपलोड करता है ताकि योजना के लिए एक यूनिक कोड तैयार किया जा सके। इसके बाद, बनाए गए यूनिक कोड और बाकी सूचना प्रोफार्मा में स्टेट डीबीटी पोर्टल पर अपलोड की जाती है। इस तरह यह योजना संबंधित विभाग के लिए राज्य डीबीटी पोर्टल पर संचालित हो जाती है। प्रत्येक विभाग के लिए एक विभागीय उपयोगकर्ता बनाया जाता है और राज्य डीबीटी पोर्टल पर अपलोड की गई योजना तक पहुँचने के लिए यूजर-आईडी और पासवर्ड दिया जाता है।

डीबीटी सैल, डीबीटी ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया के संबंध में विभागों द्वारा की गई प्रगति की निगरानी करता है जैसे (i) लाभार्थी डेटाबेस डिजिटलीकरण, (ii) वैध आधार संख्या के साथ लाभार्थी डेटाबेस की सीडींग तथा (iii) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके नकद लाभों का हस्तांतरण।

2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की गई कि क्या-

(i) डीबीटी के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग की गई थी ताकि मध्यस्थ स्तर को कम किया जा सके तथा इच्छित लाभार्थियों को भुगतान में देरी, चोरी एवं दोहराव को कम किया जा सके;

(ii) डीबीटी के प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और संगठनात्मक ढांचे को स्थापित किया गया था।

(iii) लाभार्थियों की पहचान पर्याप्त, पूर्ण प्रमाणित थी, और उन्होंने वास्तव में लाभ प्राप्त किया था, तथा

(iv) पर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र मौजूद था।

2.2.4 लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित से प्राप्त किए गए थेः

(i) डीबीटी मिशन (भा.स.) द्वारा जारी दस्तावेज, परिपत्र, आदेश, निर्देश और अधिसूचना

(ii) मानक संचालन प्रक्रियाएं, डीबीटी पर हैंडबुक और डीबीटी मिशन द्वारा राज्य डीबीटी सैल के लिए जारी दिशा-निर्देश

(iii) चयनित योजनाओं के दिशा-निर्देश (वृद्धावस्था पेंशन योजना, संकटग्रस्त महिलाओं को पेंशन योजना, और क्रमशः समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा शिक्षा निदेशालय को समान सब्सिडी योजना)।

(iv) संबंधित विभागों द्वारा जारी दस्तावेज, परिपत्र, आदेश, निर्देश और अधिसूचना आदि।

(v) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000।

2.2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा के उद्देश्य से, कुल 73 डीबीटी योजनाओं में से तीन, जिनमें लाभ अंतरण की राशि सबसे अधिक थी, को नमूना-जाँच के लिए चुना गया था। ये योजनाएँ थीं -

(i) समाज कल्याण विभाग (डीएसडब्ल्यू) की वृद्धावस्था पेंशन (ओएपी) योजना;

(ii) महिला एवं बाल विकास विभाग (डीडब्ल्यूसीडी) की संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना (डीपीएसडब्ल्यूडी); तथा

(iii) शिक्षा निदेशालय (शि.नि.) की वर्दी सब्सिडी।

निष्पादन लेखापरीक्षा में अप्रैल 2017 से मार्च 2021 तक की अवधि को सम्मिलित किया। लेखापरीक्षा में नमूना-जांच के लिए चयनित तीन योजनाओं से संबंधित अभिलेखों की जांच, लाभार्थियों का सर्वेक्षण, भौतिक सत्यापन और विभागों का दौरा शामिल था। लेखापरीक्षा ने रा.रा.क्षे. योजना विभाग जो कि रा.रा.क्षे. में डीबीटी के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी थी के अभिललेखों की भी जांच की। लेखापरीक्षा ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उपकरणों का उपयोग करते हुए तीन योजनाओं से संबंधित डेटाबेस के ई-डिस्ट्रिक्ट और एडुडेल पोर्टलों के आईडी नियंत्रणों की भी जाँच की।

विस्तृत जांच एवं सर्वेक्षण के लिए समान सब्सिडी योजना, ओएपी योजना एवं डीपीएसडब्ल्यूडी के क्रमशः 269, 284 एवं 161 हितग्राहियों (चयनित जिलों[1] से तीन योजनाओं के कुल 2,73,459 लाभार्थियों में से:- समरूप अनुदान से

[1] पश्चिम बी, दक्षिण-पश्चिम ए और उत्तर-पूर्व के जिलों में समान सब्सिडी योजना के संबंध में दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम जिले ओएपी योजना के संबंध में तथा दक्षिण एवं पश्चिम जिले डीपीएसडब्ल्यूडी के संबंध में।

96,118, ओ.ए.पी. से 1,13,061 तथा डी.पी.एस.डब्ल्यू.डी. से 64,280) का चयन किया गया। लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली आदि को समझाने के लिए 17 अक्टूबर 2020 को हितधारकों के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रतिवेदन में निहित लेखापरीक्षा आपत्तियों पर चर्चा करने के लिए 21 दिसम्बर 2021 को एक बहिर्गमन सम्मेलन भी आयोजित किया गया।

2.2.6 तीन चयनित योजनाओं का संक्षिप्त परिचय

2017-18 से 2020-21 के दौरान वृद्धावस्था पेंशन योजना और डीपीएसएडब्ल्यूडी के अंतर्गत व्यय क्रमश: ₹ 4,760.17 करोड़ एवं ₹ 2,702.69 करोड़ थे जबकि 2017-18 से 2019-20 के दौरान समान सब्सिडी के अंतर्गत व्यय ₹ 724.83 करोड़ था। डीबीटी योजना के अंतर्गत इन तीनों योजनाओं पर व्यय कुल व्यय का 66 *प्रतिशत* (2018-20) था।

i. वृद्धावस्था पेंशन योजना

यह योजना समाज कल्याण विभाग (डीएसडब्ल्यू), रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा कार्यान्वित की जाती है। यह योजना 60 से 69 वर्ष तथा 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पात्र व्यक्तियों को क्रमशः ₹ 2,000 और ₹ 2,500 की मासिक पेंशन 14 फरवरी 2017 से निर्धारित करती है।

लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड हैः

- आवेदन की तिथि से पहले दिल्ली में न्यूनतम पांच वर्ष का निवास;
- सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय[2] ₹ 1,00,000 से कम;
- आवेदक का रा.रा.क्षे. दिल्ली के किसी भी बैंक में 'एकल संचालित' खाता होना चाहिए; तथा
- इस प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार/राज्य सरकार/अन्य सरकारी स्थानीय निकायों या किसी अन्य श्रोत से कोई पेंशन/वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए।

ii. संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना

महिला एवं बाल विकास विभाग (डीडब्ल्यूसीडी), रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना को लागू किया गया है। यह योजना 3 मार्च 2017 से 18 वर्ष से अधिक आयु की एक महिला को ₹ 2500 की मासिक पेंशन निर्धारित करती है, जो विधवा, तलाकशुदा, अलग,

---

[2] आवेदक को आय के संबंध में एक स्व-घोषणा देनी होगी

परित्यक्त, निर्जन या बेसहारा हो। डीपीएसडब्ल्यूडी के अन्य पात्रता मानदंड, आय को छोड़कर ओएपी योजना के समान है। डीपीएसडब्ल्यूडी के तहत लाभ के लिए आवेदक की वार्षिक आय (वार्षिक परिवारिक आय के बदले में) सभी स्रोतों से ₹ 1,00,000 से कम होनी चाहिए।

उपरोक्त दोनों योजनाओं के लिए आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन और सहायक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां ई-डिस्ट्रिक्ट[3] में ऑन लाईन जमा करनी होती है। आवेदक स्वयं या कार्यान्वयन विभाग के जिला कार्यालयों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पर फार्म जमा कर सकता है। आवेदन की स्वीकृति के पश्चात् पेंशन/वित्तीय सहायता राशि पीएफएमएस के माध्यम से स्वीकृत लाभार्थियों को हस्तांतरित की जाती है।

iii. वर्दी सब्सिडी योजना

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से वर्दी सब्सिडी योजना के भुगतान के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को अपनाया। दिल्ली के सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में नामांकित सभी छात्र वर्दी सब्सिडी के लिए पात्र हैं। 2017-18 से नर्सरी से कक्षा पांच तक के छात्रों के लिए ₹ 1100, छठी से आठवी के छात्रों के लिए ₹ 1400 और कक्षा नौंवी से बारहवीं के छात्रों के लिए ₹ 1500 की वर्दी सब्सिडी दर थी।

2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान वर्दी सब्सिडी योजना के अंतर्गत किया गया व्यय **तालिका 2.2** में दिया गया है। वर्ष 2020-21 के दौरान वर्दी सब्सिडी वितरित नहीं की गई थी क्योंकि कोविड महामारी के कारण स्कूलों में काम नहीं हो रहा था।

तालिका-2.2 : वर्दी सब्सिडी योजना के अंतर्गत व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सरकारी स्कूल	सहायता प्राप्त स्कूल	कुल
2017-18	217.97	15.64	233.61
2018-19	226.68	18.52	245.20
2019-20	227.89	18.13	246.02
कुल	**672.54**	**52.29**	**724.83**

स्रोत रा.रा.क्षे.दि.स. के अनुदानों के लिए मांग

किसी सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल में छात्रों के प्रवेश/नामांकन पर छात्र का विवरण स्कूल के प्रमुख द्वारा एडूडेल वेबसाइट (www.edudel.nic.in) पर उपलब्ध माड्यूलर पर फीड किया जाता है जो स्वचालित रूप से छात्र का आईडी बनाता है। एडूडेल पर उपलब्ध छात्र विवरण बैचों में निकालें जाते हैं

3 विभिन्न कल्याण सेवाओं के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. का वेब पोर्टल

और शि.नि. की योजना शाखा द्वारा भुगतान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी ली जाती है। तत्पश्चात् योजना शाखा द्वारा छात्र के विवरण पीएफएमएस के लाभार्थी डेटा पृष्ठ पर अपलोड किए जाते हैं। भुगतान किए जाने से पहले लाभार्थी के डेटा के विवरण की सत्यापन के लिए ई-मेल/परिपत्र के माध्यम से सभी स्कूलों को परिचालित किया जाता है। अनुमोदन दो चरणों में किया जाता है पहला निर्माता (सांख्यिकीय सहायक) लाभार्थी डेटा को पीएफएमएस पर अपलोड करता है और दूसरा चेकर (सांख्यिकी अधिकारी) भुगतान के लिए डेटा की जांच और अपलोड करता है।

डीबीटी भुगतानों के विस्तृत सत्यापन के लिए 23 सरकारी स्कूल और सात सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों का चयन, प्रत्येक श्रेणी के 'आधार' आधारित सहायता के अन्तर्गत भुगतान की गई सहायता का अधिकतम वितरण तथा तीन चयनित जिलों के प्रत्येक में से पाँच प्रतिशत स्कूलों का चुनाव करते हुए कुल सहायता तथा सहायता आधारित इसीएस के आधार पर किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2.7 योजना विभाग

2.2.7.1 क्षमता निर्माण में कमियां

भारत सरकार द्वारा जारी डीबीटी पर एसओपी में कहा गया है कि राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ केंद्र के साथ मिलकर काम करेगा और डीबीटी प्लेटफार्म पर लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय, उपयोगकर्ता के अनुकूल और समयबद्ध बनाएगा। यह मुख्य रूप से विभिन्न योजनाओं में डीबीटी के कार्यान्वयन के समन्वय की दिशा में काम करेगा। प्रकोष्ठ एक नोडल बिंदु के रूप में डीबीटी से संबंधित सभी गतिविधियों और मामलों के लिए काम करेगा।

राज्य के कार्मिकों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी थी ताकि योजनाओं को प्रभावी ढंग से चलाया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ ने डीबीटी योजनाओं को लागू करने वाले राज्य अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए कोई प्रशिक्षण या कार्यशाला/सेमिनार आयोजित नहीं किया। डीबीटी लागू करने वाले अधिकारियों के लिए यूजर मैनुअल/गाइड भी तैयार नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त डीबीटी पर एसओपी में सर्वोत्तम प्रथाओं पर बेंचमार्क अध्ययन आयोजित करने का प्रावधान है जिसके आधार पर राज्य के संचालन में उन अभ्यासों को शामिल करने के लिए एक रोडमैप विकसित किया जाना था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ द्वारा राज्य

डीबीटी के प्रचालनों में शामिल करने हेतु कोई बेंचमार्क अध्ययन आयोजित नहीं किए गए थे और कोई रोडमैप विकसित नहीं किया गया था।

डीबीटी के सुचारू और सफल कार्यान्वयन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण, बेंचमार्क अध्ययन और रोडमैप के अभाव में, डीबीटी योजनाओं को लागू करने वाले अधिकारी डीबीटी योजना को प्रभावी ढंग से प्रबंध करने की स्थिति में नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों की महत्वपूर्ण जानकारी, योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र हितग्राही, लाभार्थियों का दोहरापन आदि का पता नहीं चला। इनकी चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई हैः

2.2.7.2 कमजोर शिकायत निवारण तंत्र

डीबीटी के कार्यान्वयन के लिए एसओपी के अनुसार, राज्य, डीबीटी सैल को लाभार्थियों के बैंक खाते में सब्सिडी राशि प्राप्त करने में देरी, गलत या विलंबित फीडबैक, अंतिम लाभार्थी आदि द्वारा उचित और समयबद्ध तरीके से प्राप्त अधिकारों का गलत सेट जैसे विभिन्न मुद्दों से संबंधित लाभार्थियों की शिकायतों से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर समर्पित निकायों का गठन करना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि लाभार्थियों/आवेदकों की शिकायत के निवारण के लिए डीबीटी प्रकोष्ठ ने कोई तंत्र स्थापित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, सभी तीन चयनित योजनाओं में कमजोर शिकायत निवारण तंत्र पाया गया जैसेः

(i) संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना, डीडब्ल्यूसीडी-शिकायत निवारण कोष्ठ (जीआरसी) के गठन के बाद छः महीने में (अक्टूबर 2020 से मार्च 2021) 1475 शिकायते प्राप्त हुई थी। इन 1475 शिकायतों में से 665 शिकायते अर्थात 45 *प्रतिशत* 16 अप्रैल 2021 तक अनसुलझी रहीं। आगे यह देखा गया कि शिकायतों के समाधान के लिए तीन दिनों की समयसीमा के विरूद्ध 170 शिकायतें 100 दिनों से अधिक के बाद भी अनसुलझी रही।

(ii) वृद्धवस्था पेंशन योजना, डीएसडब्ल्यू - एक समर्पित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना नहीं की गई थी। अप्रैल 2017 से दिसंबर 2020 तक लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (पीजीएमएस) और उपराज्यपाल (एलजी) लिसनिंग[4] के माध्यम से 1345 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 1331 शिकायतों (99 प्रतिशत) का निदान नहीं हुआ।

---

4 एलजी का लिसनिंग पोस्ट एलजी के कार्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है जिसके माध्यम से सामान्य जनता टेलिफोन, वेबसाइट अथवा पत्रों के माध्यम से दर्ज कर सकता है।

(iii) वर्दी सब्सिडी, शि.नि.-डीबीटी मुद्दों से निपटने के लिए शि.नि. में कोई समर्पित शिकायत निवारण तंत्र मौजूद नहीं था। समान सब्सिडी से संबंधित सभी प्रकार की शिकायतों का विद्यालय के प्रमुख स्तर पर निराकरण किया गया। डीबीटी के एसओपी के अनुसार एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र के अभाव में शि.नि., स्कूल/जिला/मुख्यालय स्तर पर प्राप्त शिकायतों, समाधान और की गई कार्रवाई के निवारण के लिए संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं करा सका था। 256 छात्रों के लेखापरीक्षा सर्वेक्षण के दौरान, तीन छात्रों ने जवाब दिया कि उन्होंने स्कूल अधिकारियों से सब्सिडी न मिलने पर शिकायत की थी परंतु शिकायत का समाधान नहीं किया गया था।

2.2.7.3 डीबीटी सलाहकार बोर्ड के गठन में विलंब

डीबीटी मिशन, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, प्रकोष्ठ के कार्यकारी निकाय को एक समग्र, एक बहुप्रक्रीय सलाहकार और विचार-विमर्श करने के लिए राज्य द्वारा एक डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए था। बोर्ड को तिमाही में एक बार या किसी अन्य नियमित अंतराल में, जैसा उचित समझा जाए बैठक करनी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि रा.रा.क्षे.दि.स. के डीबीटी सलाहकार बोर्ड में मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे.दि.स. की अध्यक्षता में रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न विभागों के 23 सदस्य शामिल थे, जिसका गठन 8 फरवरी 2021 को किया गया था, अर्थात डीबीटी के आरंभ के आठ साल बाद। जुलाई 2021 तक, सलाहकार बोर्ड द्वारा कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी, इसके परिणामस्वरूप, राज्य में डीबीटी का निष्पादन विशेषज्ञ सलाह और विचार-विमर्श से रहित था जो बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाता।

2.2.8 संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना

2.2.8.1 संभावित लाभार्थियों के बीच योजना के बारे में सूचना के प्रसार के प्रति उदासीन दृष्टिकोण

डीबीटी का एक मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों का सटीक लक्ष्य सुनिश्चित करना है। डीबीटी की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, संबंधित योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान करना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है। अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि संभावित लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा की जाए, जिससे वह लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकें।

लेखापरीक्षा में हालांकि पाया गया कि डीडब्ल्यूसीडी में न तो प्रिंट/रेडियो/डिजिटल साधनों के माध्यम से डीपीएसडब्ल्यूसी की योजना के विवरण का विज्ञापन किया और न ही कोई शिविर आयोजित किया, जिससे संभावित लाभार्थियों को लाभों के बारे में सूचित किया जा सके। डीडब्ल्यूसीडी के सिटीजन चार्टर में भी कमी थी क्योंकि सेवा मानकों और उपलब्ध उपचारों के बारे में अपेक्षित विवरण स्पष्ट नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, निगम ने वास्तविक निवासियों की संख्या का निर्धारण करने के लिए कोई कार्य नहीं किया।

इस प्रकार, सरकार ने संभावित लाभार्थियों के बीच योजना के बारे में सूचना के प्रसार के प्रति उदासीन दृष्टिकोण प्रदर्शित किया।

डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए शिविर आयोजित किए गए और जिला कार्यालयों में बैनर/पोस्टर प्रदर्शित किए गए। मुख्यालय में हेल्पडेस्क भी स्थापित किया गया है, उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कवरेज इन कार्यालयों में आने वाले लोगों तक ही सीमित था।

2.2.8.2 लीगेसी लाभार्थियों का विवरण एसएमएस (ई-डिस्ट्रिक्ट) में माइग्रेट नहीं होने से पेंशन का अनियमित भुगतान

डीबीटी पोर्टल के तहत ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू होने से पहले डीपीएसडब्ल्यूडी के लिए (12 दिसंबर 2018 से), लाभार्थियों द्वारा ऑफलाइन (भौतिक) आवेदन जमा किए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2021 तक डीपीएसडब्ल्यूडी के अंतर्गत कुल 3.32 लाख लाभार्थियों में से 2.67 लाख (80 *प्रतिशत*) ऑफलाइन/लीगेसी लाभार्थियों का विवरण ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर माइग्रेट नहीं किया गया था, लेकिन एमएस-एक्सेस डेटाबेस में रखा गया था जिसका उपयोग उनके बैंक खातों में पीएफएमएस द्वारा भुगतान जारी करने के लिए किया गया था। सरकार के लिए इन लीगेसी मामलों का विस्तृत विवरण ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर स्थानांतरित करना अनिवार्य था जिससे सभी लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान प्रसंस्करण के बाद एसएमएस के माध्यम से किया जा सके। इस प्रकार, सरकार द्वारा संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना के 80 *प्रतिशत* लाभार्थियों के विवरण का डिजिटलीकरण नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त लीगेसी के मामलों को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में स्थानांतरित नहीं करने से सरकार ऑनलाइन आवेदनों के साथ पुराने/ऑफलाइन मामलों को क्रॉस-चेक करने के लिए एक स्वचालित प्रणाली से भी वंचित हो गई। दो चयनित जिलों (दक्षिण और पश्चिम जिलों) में अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि भौतिक आवेदन के आधार पर पेंशन प्राप्त करने वाले 45 लाभार्थियों

ने पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया था। उन्हें ऑनलाइन आवेदन के आधार पर भी पेंशन स्वीकृत की गई थी, साथ ही जिस अवधि के दौरान आवेदन लंबित थे, उस राशि के लिए बकाया राशि भी दी गई थी। यह दोहराव ऑफलाइन (लीगेसी) लाभार्थियों के विवरण को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में स्थानांतरित नहीं करने के कारण हुआ था। इन 45 लाभार्थियों को बकाया (ऑनलाइन) के साथ-साथ ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों आवेदनों के आधार पर पेंशन के अनियमित भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 8.08 लाख की पेंशन का अधिक भुगतान हुआ। आफलाईन लाभार्थियों की भारी संख्या को देखते हुए बड़ी संख्या में लाभार्थियों को अनियमित दोहरा भुगतान करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। सरकार को शीघ्रातिशीघ्र ऑफलाइन मामलों को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में मान्य और स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, जिससे ऐसी अनियमितताओं से बचा जा सके।

लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा एम.एस एक्सेस में अनुरक्षित 126 चयनित ऑफलाइन (लीगेसी) मामलों के विवरण का भी सत्यापन किया, लेकिन नमूना जांच किए गए जिला कार्यालयों में 109 के संबंध में सहायक भौतिक अभिलेख (आवेदक और सहायक दस्तावेज) उपलब्ध नहीं कराए गए/पता लगाने योग्य नहीं थे। इस प्रकार, इन लीगेसी मामलों की वास्तविकता को सत्यापित नहीं किया जा सका और यह संदिग्ध है।

डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि लाभार्थी डेटा को एनएसएपी-पीपीएस पोर्टल पर डाला गया है और रोल आउट से पहले इसका परीक्षण किया जा रहा है।

2.2.8.3 एसएमएस में अपर्याप्त इनपुट सत्यापन के कारण लाभार्थियों का अविश्वसनीय विवरण

इनपुट कंट्रोल वह एप्लिकेशन कंट्रोल है जो सत्यापन जांच, डुप्लीकेट जांच और अन्य संबंधित नियंत्रण द्वारा गलत डेटा प्रविष्टि के जोखिम को कम करता है। सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता को सिस्टम में प्रस्तुत डेटा पर कई कंप्यूटरीकृत वैधता जांच लगाकर नियंत्रित किया जा सकता है। यह संभावित गलतियों का पता लगाने एवं उन्हें ठीक करने के लिए जल्दी से जल्दी अवसर प्रदान करता है।

संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना का प्रबंधन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। आंकड़ों के विश्लेषण के दौरान, यह पाया गया कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में इनपुट सत्यापन की कमी थी। इसने अयोग्य लाभार्थियों को पेंशन की सुविधा प्रदान की, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

i. डीपीएसडब्ल्यूडी के लिए पात्रता मानदंड में से एक है 'आवेदक का दिल्ली के रा.रा.क्षे. में किसी भी बैंक में एकल संचालित खाता होना चाहिए'। यह आवेदन में दर्ज आई.एफ.एस.सी. के सत्यापन द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के आंकड़ों में डीपीएसडब्ल्यूडी के 177 मामलों को देखा जहाँ पेंशन रा.रा.क्षे. दिल्ली से बाहर के बैंक खातों में जमा की गई थी, जो यह दर्शाता है कि इसके लिए सत्यापन जांच नहीं की गई थी।

डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि इसका दिल्ली के बाहर के खाते में क्रेडिट पर कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि आधार पर आधारित भुगतान प्रणाली आधार के साथ मैप किए गए अंतिम खाते में स्वचालित रूप से क्रेडिट कर देती है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि यह सुनिश्चित करना डीडब्ल्यूसीडी की जिम्मेदारी है कि भुगतान दिल्ली में बैंक खातो में किये जाते हैं।

ii. डीपीएसडब्ल्यूडी के लिए पात्रता मानदंड में से एक है, 'आवेदन की तारीख से पहले दिल्ली में न्यूनतम पांच साल का निवास'। तदानुसार, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के लिए आवेदक को यह सूचित करने की आवश्यकता है कि क्या वह इस मानदंड को पूरा करता है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने 306 मामले देखे जिनमें आवेदन स्वीकार कर लिया गया था और इस तथ्य के बावजूद मामला संसाधित किया गया था कि आवेदक ने निवास मानदंड की पूर्ति के विरूद्ध 'नहीं'' का चयन किया था।

मामला सरकार को भेजा गया था, पर उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2022)।

iii. लेखापरीक्षा ने संकटग्रस्त महिलाओं के पेंशन के दो मामले देखे जिनमें भविष्य की तिथि पति की मृत्यु की तिथि के रूप में प्रस्तुत की गई थी। यह सत्यापन जांच की कमी या विफलता के कारण है क्योंकि 'पति की मृत्यु की तिथि' को भविष्य की तारीख के रूप में आवेदन जमा करते समय स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

जवाब में, महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा (अगस्त 2021) कि एक मामलें में पति की मृत्यु की तारीख वास्तव में पेंशन के लिए आवेदन से पहले की थी जिसे अब ठीक कर दिया गया है। दूसरे मामले में पेंशन रोक दी गई है तथा पेंशन की वसूली और लाभार्थी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि, जवाब इनपुट डेटा के लिए सत्यापन जांच शुरू करने हेतु की गई कार्रवाई के संबध में मौन है।

2.2.8.4 एस.एम.एस. और पी.एफ.एम.एस के बीच अनुबंधन के अभाव के कारण शुरू से अंत तक डिजिटलीकरण की प्रक्रिया नहीं हुई

डीबीटी के उद्देश्यों में से एक प्रक्रिया शुरू से अंत तक डिजिटलीकरण था, अर्थात योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करने की तारीख से लेकर लाभों के वितरण किए जाने तक। डीबीटी भुगतानों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार भुगतान की शर्तों को संतोषजनक रूप से पूरा करने के बाद कार्यान्वयन विभाग एसएमएस या पीएफएमएस में सीधे भुगतान फाईल निर्देश उत्पन्न करेगा और भुगतान फाईल को पीएफएमएस (पूर्व के मामले में) पर भेजेगा तथा भुगतान प्रसंस्करण के लिए इसे अधिकृत करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीपीएसडब्ल्यू में, भुगतान फाईल निर्देश एसएमएस या पीएफएमएस में उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। इसके बजाए, नए स्वीकृत ऑनलाईन मामलों का विवरण हर महीने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से एक एक्सेल शीट में लिया जाता है और एम एस एक्सेस (मास्टर डाटाबेस) में मौजूदा मामलों (ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन) के साथ विलय कर दिया जाता है। इसके बाद, जिन लाभार्थियों को भुगतान जारी किया जाना है, उनकी एक संयुक्त सूची एक्सेल प्रारूप में मास्टर डेटाबेस से निकाली जाती है, जिसे भुगतान करने के लिए पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

डीडब्ल्यूसीडी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया डीबीटी ढांचे की भावना के अनुरूप नहीं थी जिससे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के एसएमएस/पीएफएमएस के माध्यम से लाभ का हस्तांतरण सीधे लाभार्थियों को किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा की राय में जब एक बार पात्र लाभार्थियों की अप-टू-डेट सूची ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में एसएमएस में बनाकर रखी जाती है, तब भुगतान फाईल निर्देश स्वचालित रूप से उत्पन्न होने चाहिए और भुगतान करने के लिए पीएफएमएस में भेज देने चाहिए। लाभार्थी डेटा की मैन्युअल प्रोसेसिंग और पीएफएमएस को भुगतान के लिए लाभार्थी डेटा अपलोड करना एक एक्सेल शीट में आसानी से संशोधित/बनाया/हटाया जा सकता है।

मामला सरकार को भेजा गया, पर उत्तर प्रतिक्षित था (मई 2022)

2.2.8.5 पीएफएमएस में लाभार्थियों का एकाधिक पंजीकरण

डीबीटी के लिए एसओपी बैंक खाते/डाक खाते के सफल सत्यापन या भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम आधार मैपर पर आधार संख्या के सत्यापन के बाद पीएफएमएस में लाभार्थी के पंजीकरण की आवश्यकता होती है। पीएफएमएस पर सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद, यह प्रत्येक लाभार्थी को एक यूनिक लाभार्थी

कोड प्रदान करता है। पंजीकरण विफलता या एसएमएस में लाभार्थी के रिकॉर्ड को अद्यतन करने वाले मामलों को छोड़कर यह एक बार की प्रक्रिया है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मार्च 2021 तक 5,52,055, लाभार्थी पीएफएमएस पर पंजीकृत थे। इनमें से 4,83,784 लाभार्थी 2,41,835 आधार संख्या का एक से अधिक बार उपयोग करके पंजीकृत थे। इस प्रकार पीएफएमएस पर पंजीकृत होने से पहले प्रत्येक लाभार्थी की विशिष्टता सुनिश्चित करने की प्रमाणिक प्रक्रिया अविश्वनीय थी।

2.2.8.6 पेंशन की स्वीकृति में अनियमितताएं

एक आवेदक के द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से डीपीएसडब्ल्यूडी के लिए फार्म और सहायक दस्तावेज जमा करने के बाद विभाग आवेदनों की जांच करता है जिसमें आवेदकों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन शामिल होता है। लेखापरीक्षा ने पेंशन की स्वीकृति में विभिन्न मुद्दों का अवलोकन किया जैसा कि आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

(i) पेंशन की मंजूरी में विलंब

डीपीएसडब्ल्यूडी के लिए आवेदनों को आवेदन की तारीख से 45 दिनों के भीतर जिला अधिकारियों द्वारा मंजूरी के लिए संसाधित किया जाना आवश्यक था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि डीडब्ल्यूसीडी में 32,578 नमूना जांच किए गए मामलों (54.17 *प्रतिशत*) में आवेदनों के प्राप्त होने के 45 दिनों के बाद पेंशन स्वीकृति दी गई थी। विलंब 22 माह तक का था। पेंशन की स्वीकृति में विलंब डीबीटी योजना के मूल उद्देश्य के विरुद्ध है।

(ii) दस्तावेजों के सत्यापन के बिना पेंशन की स्वीकृति

आवेदकों द्वारा उनकी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) परिभाषित नहीं थी जैसे कि जारी करने वाले विभाग के पास पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र आदि को सत्यापित करने के लिए कोई एसओपी नहीं थी।

लेखापरीक्षा ने डीपीएसडब्ल्यूडी के लिए 161 लाभार्थियों के आवेदन पत्र और सहायक दस्तावेज मांगे, जिनमें से केवल 52 आवेदन पत्र (ऑफलाईन और ऑनलाईन मामले) लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये 52 में से नौ मामलों में, जारीकर्ता विभाग की वेबसाइट पर पति के मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं मिले। इन 161 लाभार्थियों का सर्वे करने पर पता चला कि चार लाभार्थियों के पति जीवित थे। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विभाग ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को निष्ठापूर्वक सत्यापित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप अपात्र

आवेदकों को पेंशन की स्वीकृति दी गई। दस्तावेजों के सत्यापन के अभाव में कई अपात्र लाभार्थियों के अस्तित्व की संभावन से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसकी विस्तार से जांच की आवश्यकता है और इसके लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

डीडब्ल्यूसीडी ने इस तथ्य को स्वीकार किया और कहा (दिसंबर 2021) कि उसने सभी नगर निगमों से डिजिटल मोड के माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए एनआईसी के साथ मृत्यु का डेटा साझा करने का अनुरोध किया है।

2.2.8.7 लाभार्थियों के खाते में भुगतानों के अंतरण में विलंब

डीपीएसडब्ल्यूडी में, मासिक पेंशन भुगतान लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित किया जाना है। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से पात्र लाभार्थियों के डेटा को कैप्चर करने से लेकर पीएफएमएस पोर्टल पर भुगतान डेटा फाइल अपलोड करने तक की भुगतान प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए निर्धारित समय-सीमा (27 सितंबर 2019) के अनुसार, पेंशन पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रत्येक माह की 20 तारीख तक जमा की जानी चाहिए।

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि फरवरी 2019 से अप्रैल 2019 तक के महीनों के लिए पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में 22 मई 2019 को जमा किया गया। इस प्रकार लाभार्थियों के खातों में भुगतान के हस्तांतरण में विलंब हुआ।

डीडब्ल्यूसीडी ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (दिसंबर 2021) कि लीगेसी डाटा के अनुसार भुगतान की मैनुअल प्रक्रिया ई-डिस्ट्रिक्ट तथा गलत मामलों के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त किए गए आवेदनों के कारण विलंब हुआ था।

2.2.8.8 डीडब्ल्यूसीडी द्वारा बड़ी संख्या में स्वयं चिन्हित अपात्र लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया जाना

लाभार्थियों की पात्रता का समय-समय पर मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि विभिन्न कारणों से लाभार्थी की स्थिति समय के साथ बदल सकती है। संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना नियम 2010, 12 (v) के अनुसार, योजना की समीक्षा और मूल्यांकन के साथ-साथ लाभार्थियों का सत्यापन हर तीन साल में किया जाना है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा किए गए (2018-19) 2,30,412 लाभार्थियों के एक सर्वेक्षण में 43,516 लाभार्थियों ने विभिन्न आधारों जैसे पुनर्विवाह, क्षेत्र परिवर्तन एवं डुप्लीकेट पेंशन आदि पर पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया था।

हालांकि, विभाग द्वारा अपात्र पाए गए इन लाभार्थियों से पेंशन का भुगतान रोकने और प्रभावी वसूली के लिए विभाग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। इस मुद्दे को जीएनसीटीडी में उच्चतम स्तर पर गंभीर जांच की आवश्यकता और पेंशन के अनियमित भुगतान को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। बड़ी संख्या में अपात्र लाभार्थियों को ध्यान में रखते हुए चूक के लिए जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा किए गए 161 चयनित मामलों के सर्वेक्षण के दौरान, दो मामलों में देखा गया कि लाभार्थी द्वारा दिल्ली से बाहर स्थानांतरित हुआ था जिसके कारण लाभार्थी पेंशन के लिए अपात्र थे और एक मामले में, लाभार्थी की मृत्यु हो गई थी। हालांकि, इन मामलों में पात्रता के आवधिक पुनर्निर्धारण के लिए तंत्र के अभाव के कारण पेंशन का भुगतान किया जा रहा था।

डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि उसने लाभार्थियों की पात्रता के आंकलन के लिए एक प्रस्ताव शुरू किया है।

2.2.8.9 ओएपी और डीपीएसडब्ल्यूडी दोनों के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को वित्तीय सहायता का अनियमित संवितरण

डीबीटी योजनाओं में, लाभार्थियों के डेटाबेस को डिजिटाइज किया जाता है और इस प्रकार, कई योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की पहचान करने के लिए राज्य स्तर पर आसानी से विश्लेषण किया जा सकता है।

'वृद्धावस्था पेंशन योजना' और 'संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना' की पात्रता मानदंड लाभार्थियों को अन्य केंद्रीय/राज्य/यूएलबी आदि योजनाओं से इस उद्देश्य के लिए कोई अन्य पेंशन प्राप्त करने में रोकता है।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2020-21 के लिए दो योजनाओं के डेटाबेस की तुलना की और पाया कि दोनों योजनाओं के तहत 1,423 लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त हुई। इन 1,423 लाभार्थियों को 'संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना' और 'वृद्धावस्था पेंशन योजना' के तहत क्रमशः ₹ 4.05 करोड़ और ₹ 3.72 करोड़ मिले। हालांकि, सरकार ने कई भुगतानों की पहचान के लिए सरकार के तहत विभिन्न डीबीटी योजनाओं के तहत लाभार्थियों की तुलना करने के लिए कोई तंत्र तैयार नहीं किया है। यह एक गभीर मामला है, सुधारात्मक कार्रवाई जल्द की जानी चाहिए। मुद्दे की विस्तृत जांच के आधार पर सम्बन्धित पदाधिकारी की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए।

डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि मामला सुलझा लिया जाएगा जब दोनों विभाग (डीएसडब्ल्यू तथा डीडब्ल्यूसीडी) में लाभार्थी डेटा एनएसएपी

पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। इसने 'लाभार्थियों' का डेटा एनएसएपी पोर्टल पर अपलोड कर दिया है और मामला, योजना विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स को प्रस्तुत किया जा रहा है।

2.2.9 वृद्धावस्था पेंशन योजना

2.2.9.1 संभावित लाभार्थियों के बीच योजना के बारे में जानकारी के प्रति उदासीन दृष्टिकोण

डीबीटी के मुख्य उद्देश्यों में से एक, लाभार्थियों का सटीक लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करना है। डीबीटी की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, संबंधित योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की है। अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, यह सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि संभावित लाभार्थियों के बीच प्रर्याप्त जागरूकता पैदा की जाए, जिससे वे लाभ के लिए आवेदन कर सकें।

हालांकि यह देखा गया किः

(i) डीएसडब्ल्यू ने ओएपी योजना के लिए पात्र निवासियों की वास्तविक संख्या का आंकलन करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इसके अतिरिक्त, इसने इस योजना के तहत कवर किए जाने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या को कम करने के लिए एक 'सीमा तैयार की है (वर्तमान में 5.30 लाख), जिसका आधार लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया था। इस सीमा को योजना के लाभार्थियों की मौजूदा संख्या के अनुपात में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए कोटा में विभाजित किया गया है। यह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कोटा प्रणाली नए आवेदकों को अस्वीकार करती है, अन्यथा जो योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र है, यदि उनके निर्वाचन क्षेत्र का कोटा भरा हुआ है भले ही कुल रिक्तियां मौजूद हों। लाभार्थियों की कुल संख्या की सीमा उस योजना के मूल उद्देश्य के विरूद्ध है जो दिल्ली में सभी पात्र वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करने के लिए थी।

(ii) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की सिटीजन चार्टर हैंडबुक के अनुसार, सिटीजन चार्टर में, प्रत्येक सेवा में, उपयोगकर्ता की पात्रता, मानकों का पालन न करने की स्थिति में उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध सेवा मानक और उपचार का उल्लेख किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि डीएसडब्ल्यू की वेबसाइट में 'सिटीजन चार्टर' लिंक मौजूद था,

डीएसडब्ल्यू द्वारा प्रचालित विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं के विवरण दिए गए थे। ओएपीएस के संदर्भ में, यह उल्लेख किया गया था कि सामान्य तौर पर, आवेदनों की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर आवेदनों का निपटान किया जाना था, जब तक कि परिस्थितियां अन्यथा निर्देशित न हो। पेंशन की मंजूरी में डीएसडब्ल्यू द्वारा लिए गए समय की, 'पेंशन की मंजूरी में अनियमितता' वाले पैरा में चर्चा की गई है। चार्टर में आवेदकों के लिए उपलब्ध निवारण तंत्र का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार, नागरिकों को समय पर लाभ प्राप्त करने एवं सशक्त बनाने के लिए आवश्यक और उपयोगी जानकारी देने के संबंध में सिटीजन चार्टर की कमी है।

(iii) यह भी देखा गया कि वृद्धवस्था पेंशन योजना का प्रचार प्रिंट/रेडियो/डिजिटल माध्यम से नहीं किया गया था और न ही कोई शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें संभावित लाभार्थियों को लाभों के बारे में सूचित किया जा सके और आवेदन जमा किए जा सकें।

इस प्रकार, सरकार ने न केवल संभावित लाभार्थियों के बीच योजनाओं के बारे में सूचनाओं के प्रसारण के प्रति उदासीन दृष्टिकोण दिखाया। अपितु, एक अवैज्ञानिक तरीके से लाभार्थियों की संख्या को भी सीमित कर दिया, क्योंकि वास्तविक संख्या की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

कुल लाभार्थियों की संख्या में अधिकतम सीमा के मुद्दों के संबंध में डीएसडब्ल्यू ने उत्तर दिया (दिसंबर 2021) कि यह एक नीतिगत निर्णय है और लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को भविष्य में नीति स्तर पर जहां तक संभव हो, फैक्टरिंग के लिए विधिवत नोट किया जाता है। योजनाओं को प्रचारित करने के संबंध में, डीएसडब्ल्यू ने कहा कि, योजना के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा और 2018-19 से 2020-21 के दौरान रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण प्रिंट/रेडियो में इस योजना का विज्ञापन नहीं किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जब भी कोई लाभार्थी मृत्यु, निवास स्थान बदलने आदि के कारण अपात्र हो जाता है तो लाभार्थियों की संख्या अधिकतम सीमा से नीचे जा सकती है और इन रिक्तियों के लिए नए लाभार्थियों को योजना के तहत कवर किया जा सकता है।

2.2.9.2 एसएमएस में स्थानांतरित नहीं किए गए लीगेसी लाभार्थियों का विवरण (ई-जिला पोर्टल)

ओएपी के लिए डीबीटी के तहत ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू होने से पहले, (7 जनवरी 2017 तक लाभार्थियों द्वारा ऑफलाइन (भौतिक) आवेदन जमा किए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2021 तक कुल 5.69 लाख लाभार्थियों में से 4.52 लाख (79 *प्रतिशत*) ऑफलाइन/लीगेसी लाभार्थियों को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर स्थानांतरित नहीं किया गया था, लेकिन एमएस-एक्सेस डेटाबेस में बनाए रखा गया था, जिसका उपयोग पीएफएमएस के माध्यम से उनके बैंक खाते में भुगतान जारी करने के लिए किया गया था। इस प्रकार, सरकार के लिए इन लीगेसी मामलों को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर स्थानांतरित करना अनिवार्य था जिससे सभी लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान प्रसंस्करण के बाद एसएमएस के माध्यम से किया जा सके। इस प्रकार, सरकार द्वारा 'वृद्धावस्था पेंशन' के 79 *प्रतिशत* लाभार्थियों के विवरण का डिजिटलीकरण नहीं किया गया था।

लीगेसी मामलों को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर स्थानांतरित नहीं करने से सरकार ऑनलाइन आवेदकों के साथ लीगेसी/ऑफलाइन मामलों की जांच करने के लिए एक स्वचालित प्रणाली से भी वंचित हो गई। सरकार को जल्द से जल्द ऑफलाइन मामलों को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में मान्य और स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने ऑफलाइन आवेदनों (लीगेसी मामलों) के रिकॉर्ड भी मांगे, जिनका विवरण डीएसडब्ल्यू द्वारा एम एस-एक्सेस डेटाबेस में रखा गया था। हालांकि, चयनित जिला कार्यालयों ने उत्तर दिया है कि 247 चयनित ऑफलाइन लाभार्थियों (दक्षिण जिले से 114 और दक्षिण पश्चिम जिले से 133 में से 246 के सहायक भौतिक रिकॉर्ड (आवेदन और सहायक दस्तावेज) का पता लगाने योग्य नहीं थे। इस प्रकार, ऐसे लीगेसी मामलों की वास्तविकता लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं की जा सकी और संदिग्ध है।

डीएसडब्ल्यू ने उतर दिया (दिसंबर 2021) कि तकनीकी मामलों के कारण, लीगेसी डाटा का एकीकरण प्राप्त नहीं किया जा सका। विभाग ने आगे कहा कि इसने लीगेसी डेटा और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को एनएसएपी-पीपीएस पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया है, इसे आगे पीएफएमएस के साथ लिंक कर दिया गया है, इस प्रकार योजना के अंत तक डिजिटलीकरण को सक्षम किया जा रहा है।

2.2.9.3 एसएमएस में अपर्याप्त इनपुट सत्यापन के कारण लाभार्थियों का अविश्वसनीय विवरण

एसएमएस, जिसके माध्यम से लाभार्थियों का विवरण भरा जाता है, में पर्याप्त इनपुट सत्यापन जांच शामिल की जानी चाहिए। इनपुट का सत्यापन एक प्रारंभिक जांच है और उपयोगकर्ता के साथ इष्टतम/संतोषजनक बातचीत के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिससे आवेदक/विभाग के अधिकारी आवेदन भरते समय अमान्य डेटा का पता लगाकर, इसे तुरंत ठीक कर सके। यदि यह सर्वर तक पहुंच जाता है फिर प्रसंस्करण या भुगतान के समय इसे खारिज कर दिया जाता है, तो इससे लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने में अनुचित विलंब होगा। इनपुट सत्यापन की कमी और गलत आवेदन प्रसंस्करण के परिणामस्वरूप अपात्र लाभार्थियों का अनुमोदन भी हो सकता है और इस प्रकार, अनियमित भुगतान हो सकता है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना का प्रबंधन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। लाभार्थी डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह पाया गया कि ई-जिला पोर्टल में इनपुट सत्यापन की कमी थी जैसा कि नीचे चर्चा की गई हैः-

(i) बैंक खाता विवरण (खाता संख्या और आईएफएससी) ओएपी के लिए आवेदन में भरी जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रविष्टियों में से एक है, क्योंकि गलत खाता विवरण एक असफल लेनदेन और लाभार्थी को लाभ के हस्तांतरण में इन्कार/विलंब का कारण बनेगा। आईएफएससी (इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड) एक अल्फा-न्यूमेरिक कोड का प्रतिनिधित्व करता है जो विशिष्ट रूप से किसी भी आरबीई द्वारा विनियमित फंड ट्रांस्फर सिस्टम में भाग लेने वाली बैंक शाखा की पहचान करता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट और लीगेसी डेटा से संकलित लाभार्थी डेटा में आईएफएससी कोड के लिए सत्यापन पर नियंत्रण नहीं था और 7518 मामले थे जिनमें आईएफएससी कोड अपूर्ण पाए गए थे।

(ii) ओएपी के लिए पात्रता मानदंड में से एक यह है कि आवेदक का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के किसी भी बैंक में एकल-संचालित खाता होना चाहिए। रा.रा.क्षे. दिल्ली में बैंक खाते की आवश्यकता को आवेदन में दर्ज आईएफएससी कोड के सत्यापन द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने ई-जिला आंकड़ों में 559 ओएपी मामलों में देखा जहां पेंशन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बाहर बैंक खाते में जमा की गई थी, यह दर्शाता है कि उपरोक्त सत्यापन को पोर्टल में शामिल नहीं किया गया था।

डीएसडब्ल्यू ने उत्तर दिया (दिसंबर 2021) कि सभी आईएफएससी कोड मैप किए जाने से पहले ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर मान्य है। जवाब लीगेसी/ऑफलाइन मामलों के आईएफएससी कोड के सत्यापन के बारे में मौन है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईएफएससी कोड का सत्यापन उन सभी लाभार्थियों के लिए किया जाना चाहिए था, जिनमें लीगेसी लाभार्थी भी शामिल थे जिन्होंने भौतिक रूप से अपना विवरण प्रस्तुत किया था।

559 मामलों के संबंध में जहां पेंशन दिल्ली के बाहर स्थित बैंक खाते में जमा की जा रही थी, विभाग ने उत्तर दिया (दिसंबर 2021) कि यह आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) की विशेषता है कि डीबीटी प्रेषण स्वचालित रूप से एनपीसीआई पर आधार सहित मैप किए गए अंतिम खाते में जमा किए जाते हैं। इसलिए, जबकि सभी लाभार्थी अपने खाते दिल्ली में जमा करते हैं, भुगतान के समय, विभाग का दिल्ली से बाहर के खातों में क्रेडिट पर कोई नियंत्रण नहीं है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह सुनिश्चित करना कार्यान्वयन विभाग की जिम्मेदारी है कि योजना की पात्रता मानदंड पूरी तरह से लाभार्थियों द्वारा मिले हैं।

2.2.9.4 प्रक्रिया का शुरू से अंत तक डिजिटलीकरण न होने के कारण एसएमएस तथा पीएफएमएस के बीच लिंकेज का अभाव

जैसा कि डीपीएसडब्ल्यूडी के मामले में पहले ही बताया जा चुका है, ओएपी योजना में भी, डीबीटी के पास एसओपी के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था और नए स्वीकृत ऑनलाइन मामलों का विवरण ई-डिस्ट्रिक्ट से लेकर प्रत्येक माह एक्सेल शीट और एमएस-एक्सेस (मास्टर डाटाबेस) में ऑफलाइन मामलों के साथ विलय किया गया था। उसके बाद, लाभार्थियों की एक संयुक्त सूची जिनको भुगतान किया जाना था, एक्सेल प्रारूप में मास्टर डेटाबेस से निकाला गया जिसे भुगतान करने के लिए पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड किया गया। एक्सेल शीट के माध्यम से डेटा का स्थानांतरण जोखिमों से भरा होता है, क्योंकि लाभार्थी के विवरण को बिना लेखा सत्यापन के एक एक्सेल शीट से आसानी से संशोधित/बनाया/हटाया जा सकता है। आदर्श रूप से, लाभार्थियों के पुराने डेटा को एसएमएस में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और भुगतान संबंधी डेटा को सीधे मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना स्थानांतरित करने के लिए एसएमएस को पीएफएमएस के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।

2.2.9.5 पीएफएमएस में लाभार्थियों का एकाधिक पंजीकरण

डीबीटी के लिए एसओपी को लाभार्थी की पहचान स्थापित करने के लिए यूआईडीएआई के बायो-मैट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके कार्यान्वयन

विभाग द्वारा लाभार्थियों की पहचान के साथ-साथ प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा ने देखा कि रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा ओएपी योजना में आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

पीएफएमएस पर सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद प्रत्येक लाभार्थी को एक यूनिट लाभार्थी कोड प्रदान करता है। लाभार्थी डेटा और पीएफएमएस में लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सही लाभार्थी आई डी आवश्यक है जिसके बिना नकली लाभार्थियों को भुगतान या एक ही लाभार्थी को कई भुगतान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

मार्च 2021 तक, ओएपी योजना के तहत पीएफएमएस पोर्टल पर पंजीकृत 7,68,522 लाभार्थी थे। हालांकि, मास्टर डेटाबेस में केवल 5,69,488 पंजीकृत लाभार्थी थे जो पीएफएमएस में एक ही लाभार्थी के कई पंजीकरण का संकेत देते थे। यह देखा गया कि ओएपी योजना में एक बार से अधिक, 2,15,560 अलग आधार नम्बरों को इस्तेमाल करते हुए 4,53,052 लाभार्थी पीएफएमएस में पंजीकृत पाए गए जो पीएफएमएस में पंजीकृत करने से पहले प्रत्येक लाभार्थी की विशिष्टता सुनिश्चित करने की अविश्वसनीय प्रमाणीकरण प्रक्रिया को दर्शाता है।

विभाग ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2021) कि लाभार्थियों को भुगतान के लिए पीएफएमएस पोर्टल पर प्रसंस्करण के बाद, लाभार्थी डेटा को पृथक कोड (केंद्रीय/राज्य कोड) पर पृथक समय पर पोर्ट किया गया था। इसके अतिरिक्त, लाभार्थी विवरण एईपीएस के साथ-साथ एनईएफटी भुगतान दोनों के लिए मान्य है, जिसके कारण लाभार्थी के लिए दो कोड उत्पन्न होते हैं। हालांकि प्रेषण के लिए केवल एक कोड का उपयोग किया जाता है, विशेषतः 'आधार' आधारित कोड। विभिन्न कोडों पर उत्पन्न पंजीकरण आई डी को हटाया नहीं जाता हैं क्योंकि भुगतान की स्थिति/पिछले लेनदेन को केवल विशिष्ट पीएफएमएस कोड के माध्यम से खोजा जा सकता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा अनुरक्षित मास्टर डेटाबेस में 5.69 लाख लाभार्थी है और पीएफएमएस में 2 लाख अतिरिक्त लाभार्थी पंजीकृत पाए गए जो एक महत्वपूर्ण संख्या है। विभाग को पेंशन के भुगतान के तरीके (एईपीएस या एनईएफटी) के आधार पर लाभार्थियों की स्पष्ट रूप से पहचान करके एक ही लाभार्थी के एकाधिक पंजीकरण से बचने के लिए कदम उठाने चाहिए।

2.2.9.6 पेंशन की स्वीकृति में अनियमितताएं

एक आवेदक द्वारा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा फार्म और सहायक दस्तावेज जमा करने के बाद, विभाग आवेदन की जांच करता है जिसमें आवेदक द्वारा जमा किए गए

दस्तावेजों का सत्यापन शामिल है। लेखापरीक्षा ने पेंशन की स्वीकृति में निम्नलिखित मुद्दे देखेः-

(i) पेंशन की मंजूरी में देरी और मनमानी

ओएपी के लिए आवेदनों को आवेदन की तारीख से 45 दिनों के भीतर जिला अधिकारी, समाज कल्याण विभाग द्वारा मंजूरी के लिए संसाधित किया जाना आवश्यक था।

हालांकि, डीएसडब्ल्यू के संबंध में ई-जिला पोर्टल के लाभार्थियों के डेटाबेस के विश्लेषण से स्वीकृति प्रक्रिया में निम्नलिखित अनियमितताओं का पता चलाः

क) 1,07,373 मामलों (91 प्रतिशत) में 45 दिनों के बाद ओएपी को मंजूरी दी गई थी। विलम्ब तीन वर्ष से अधिक का था।

ख) अप्राप्य प्रश्नों या स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद 21,537 ओ ए पी आवेदकों को पेंशन स्वीकृत की गई थी। डेटाबेस में कोई सूचना नहीं थी कि क्या पेंशन जारी करने से पहले इन प्रश्नों/टिप्पणियों पर ध्यान दिया गया था।

ग) 239 अस्वीकृत मामलों में आवेदन बिना कुछ कारण बताए खारिज कर दिए गए। आठ मामलों में आवेदन अनुमोदन हेतु लंबित थे परन्तु बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिए गए।

पेंशन की मंजूरी में विलम्ब, प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद पेंशन मंजूरी तथा बिना कारण बताये खारिज मामले, डीबीटी योजना के मुख्य उद्देश्य के विरूद्ध है तथा पेंशन की मंजूरी में मनमानी दर्शाता है। डी एस डब्ल्यू का जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

(ii) लाभार्थियों के खाते में भुगतानों के स्थानांतरण में विलंब

ओएपी योजना में, मासिक पेंशन भुगतान महीने के पांचवे दिन तक लाभार्थी के, खाते में स्थानांतरित किया जाना है। लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, समाज कल्याण विभाग ने निर्दिष्ट किया कि प्रत्येक महीने की भुगतान फाइलें प्रत्येक महीने के अंत तक अपलोड की जानी चाहिए जिससे अगले महीने के पांचवे दिन तक पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में भुगतान जमा किया जा सके।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पीएफएमएस डेटा की संवीक्षा और स्वीकृति फाइलों की नमूना जांच से पाया कि किसी भी माह के लिए व्यय स्वीकृति सामान्यतः अगले माह से प्राप्त होती है। परिणामस्वरूप, किसी विशेष माह से संबंधित

भुगतान फाइलें हमेशा अगले महीने में लोड की जाती है और भुगतान अगले महीने के अंत तक अपलोड किया जाता है। अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि भुगतान एक से 14 महीने तक के विलंब से संसाधित किए गए थे।

2.2.9.7 लाभार्थियों की पात्रता का आवधिक पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया

लाभार्थियों की पात्रता का समय-समय पर मूल्यांकन करने की आवश्यकता है क्योंकि विभिन्न कारणों से लाभार्थी की स्थिति समय के साथ बदल सकती है। वृद्धावस्था सहायता नियम, 2009 के नियम 11 (iii) में अनुबन्धित पुनरीक्षण तथा मूल्यांकन के साथ-साथ लाभार्थियों का सत्यापन प्रत्येक तीन वर्ष में किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त नियम 5 में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन के माध्यम से सभी लाभार्थियों के पांच प्रतिशत की नमूना जांच भी निर्धारित है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि आदेशों की अनुपालना नहीं की गई थीं, क्योंकि आज तक ऐसी कोई समीक्षा नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा किए गए लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, 16 मामले देखे गए जहां लाभार्थी की मृत्यु हो गई थी, जिसमें पेंशन के भुगतान को बंद करने की आश्यकता थी। हालांकि, पात्रता के आवधिक पुनर्निधारण के लिए तंत्र के अभाव के कारण इन लाभार्थियों के खातों में पेंशन का भुगतान किया जा रहा था। कुछ नमूना जांच किए गए मामलों के परिणाम दर्शाते हैं कि ऐसे अपात्र मामलों की संख्या मौजूदा लाभार्थियों की कुल आबादी में बहुत बड़ी होगी। यह विभाग की ओर से गंभीर चूक को दर्शाता है क्योंकि अपेक्षित आवधिक भौतिक सत्यापन न करने के परिणामस्वरूप ऐसे लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान हुआ, जो कि स्थिति में परिवर्तन के कारण अपात्र बन गए।

विभाग ने उत्तर दिया (दिसंबर 2021) कि उसने सभी लाभार्थियों के बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से उनके दरवाजे पर तीसरे पक्ष के सत्यापन के लिए एक प्रस्ताव शुरू किया है।

2.2.10 वर्दी सब्सिडी

2.2.10.1 एसएमएस में अपर्याप्त इनपुट सत्यापन के कारण लाभार्थियों का अविश्वसनीय विवरण-एडुडेल

सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता को सिस्टम में प्रस्तुत डेटा पर कई कम्पयूटरीकृत वैधता जांच लगाकर नियंत्रित किया जा सकता है। यह संभावित गलतियों का पता लगाने और उन्हें ठीक करने कि लिए जल्द से जल्द अवसर प्रदान करता है। छात्रों का विवरण स्कूल के आईटी सहायक/स्टाफ द्वारा

एड्डेल के छात्र मॉडयूल पर फीड/अपलोड किया जाता है। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि छात्र मॉडयूल में स्कूलों द्वारा दर्ज किए गए छात्र डेटा के लिए कोई अंतर्निहित सत्यापन जांच नहीं है। उचित सत्यापन नियंत्रण के अभाव में, अपूर्ण या अमान्य डेटा दर्ज करने की गुंजाइश है।

2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों के लाभार्थी डेटा की जांच की गई और यह पाया गया कि लाभार्थी डेटा में विसंगतियां थीं जो एड्डेल पोर्टल में इनपुट सत्यापन की कमी को दर्शाता है, जैसा कि आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है:

(i) अपूर्ण लाभार्थी डेटा

लेखापरीक्षा ने देखा कि एड्डेल पोर्टल के छात्र डेटाबेस के रिकॉर्ड में बैंक खाता संख्या, आईएफएससी, आधार, संपर्क नंबर और पिता/माता का नाम जैसे प्रमुख क्षेत्र गायब थे। यह इंगित करता है कि कोई अंतर्निहित सत्यापन जांच नहीं थी क्योंकि पोर्टल को इन आवश्यक विवरणों के बिना छात्र आई डी बनाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। उन मामलों की संख्या जिनमें विवरण रिक्त/अनुपलब्ध हैं इस प्रकार है, जैसा कि **तालिक-2.2.2** में दिया गया है।

तालिक-2.2.2: अनुपलब्ध विवरण वाले मामलों की संख्या

वर्ष	कुल लाभार्थी	रिक्त बैंक खाता	रिक्त आधार	रिक्त संपर्क सं.	रिक्त पिता/माता के नाम
2017-18	1752997	26214	35524	177161	शून्य
2018-19	1792871	23609	28078	178382	203
2019-20	1796231	34526	31288	187744	205
2020-21	1832377	84247	40068	15598	02

(ii) लाभार्थी डेटा में एक से अधिक छात्रों के प्रति वही बैंक खाता संख्या

डीबीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार, डीबीटी के कार्यान्वयन के लिए एक पूर्व-आवश्यकता लाभार्थियों के व्यक्तिगत बैंक खाते खोलना है क्योंकि वित्तीय लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाना है।

लाभार्थी डेटा के विश्लेषण से पता चला कि वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान क्रमशः 9752, 10662, 12223 और 22270 छात्र दर्ज थे बिना यूनिक बैंक खाता संख्या के अर्थात एक ही बैंक खाते से कई छात्र के लिंक थे (परिशिष्ट 2.2)। इन मामलों के भुगतान के विवरण का लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण किया गया था और इसे पैरा 2.2.10.4 में प्रतिवेदित किया गया है।

(iii) एक से अधिक छात्रों के लिए एक ही आधार संख्या

2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए लाभार्थी के आंकड़ों में, लेखापरीक्षा ने छः उदाहरणों का उल्लेख किया जहां एक ही आधार संख्या दो छात्रों द्वारा साझा

की गई थी। वर्ष 2020-21 के छात्र डेटा में पूर्ण आधार संख्या नहीं थी इसलिए लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर पाई कि आधार संख्या है या नहीं।

(iv) लाभार्थी डेटा में समान छात्र विवरण

छात्र डेटा के विश्लेषण से पता चला कि ऐसे मामले थे जहां छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और छात्र की जन्म तिथि दो से तीन छात्रों द्वारा साझा की गई थी, कुल मिलाकर 2855[5] छात्र रिकार्ड थे। साथ ही, चार छात्रों का उपरोक्त विवरण समान था। इसी प्रकार, 1094[6] छात्र अभिलेखों में एक ही छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और संपर्क नंबर दो से तीन बार दोहराया गया था। इसके परिणामस्वरूप एक ही छात्र को एक से अधिक बार लाभ प्राप्त हो सकता है।

(v) स्कूल रिकॉर्डों की तुलना में चयनित नमूनों के लाभार्थी डेटा में कमियां

लेखापरीक्षा ने 269 चयनित लाभार्थियों के संबंध में स्कूल अभिलेखों के साथ आंकड़ों को सत्यापित करने का प्रयास किया। हालांकि, लेखापरीक्षा केवल 228 विद्यार्थियों के संबंध में लाभार्थी डेटा का सत्यापन कर सकी क्योंकि विद्यालयों में शेष चयनित विद्यार्थियों के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। चार मामलों में, लाभार्थी डेटा में उल्लिखित आधार संख्या स्कूल रिकार्ड के अनुसार आधार संख्या से मेल नहीं खाती। 16 मामलों में लाभार्थी डेटा में बैंक खाता संख्या बैंक पासबुक/स्कूल रिकार्ड के अनुसार बैंक खाता संख्या से मेल नहीं खाती।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है, कि एडुडेल के पास डुप्लीकेट बैंक खाता संख्या और आधार संख्या को समाप्त करने और नामांकन डेटा कैप्चर करते समय रिक्त रिकार्ड की जांच करने की लिए पर्याप्त इनपुट नियंत्रण और सत्यापन जांच नहीं थी। यह दर्शाता है कि गलत डेटा प्रविष्टि को समाप्त करने के लिए डेटा सफाई अभ्यास नहीं किया गया तथा अपात्र लाभार्थियों को लाभ दिया गया था। यह स्कूल स्तर पर डेटा अपलोड करने से पहले अभिलेखों के सत्यापन के समय मैनुअल जांच और नियंत्रण की अपर्याप्तता को दर्शाता है।

शि.नि. ने उत्तर दिया (जनवरी 2022) कि शिक्षा का अधिकार, अधिनियम के अनुसार, कक्षा आठवीं तक प्रवेश आयु उपयुक्त कक्षा में बिना किसी प्रमाण पत्र/दस्तावेजों जैसे उम्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र आदि के लिए जोर दिए बिना किया जाना चाहिए। इससे शि.नि. के भीतर, स्कूलों में कई पंजीकरण हुए। हालांकि, चूंकि शि.नि. इन तथ्यों से अवगत था इसलिए उसे भुगतान के लिए

[5] 5x3 + 1420x2 = 2855

[6] 2x3 + 544x2 = 1095

प्रसंस्करण से पहले डुप्लीकेट मामलों को हटाने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए थे।

2.2.10.2 लाभार्थी डाटा गलत/अपूर्ण होने के कारण सब्सिडी के भुगतान में अनियमितताएं

(i) ₹ 42.64 करोड़ की रियायत राशि का अनियमित भुगतान।

सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्र डीबीटी के माध्यम से एक समान सब्सिडी पाने के पात्र हैं। शि.नि. ने सूचित किया कि पीएफएमएस को भुगतान के लिए अपलोड करने से पहले सभी छात्रों के नाम काट दिए गए हैं या जिनके स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, उन्हें नामांकन डेटा से हटा दिया गया है। वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान शि.नि. के अनुसार कुल 53,42,099 नामांकित छात्रों में से वर्तमान स्थिति में 4,49,356 छात्र (आठ प्रतिशत) का नाम कटा हुआ दिखाया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस अवधि के दौरान इन 4,49,356 छात्रों में से 2,93,493 छात्रों को वर्दी रियायत भुगतान दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप **तालिका 2.2.3** में दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 42.64 करोड़ की वर्दी सब्सिडी का अनियमित भुगतान हुआ।

तालिका-2.2.3: वर्दी सब्सिडी के अनियमित भुगतान का विवरण

वर्ष	कुल दाखिले	वर्ष के दौरान स्कूल छोड़ गए छात्रों की संख्या	कुल छात्रों की संख्या जिन्हें सब्सिडी प्राप्त हुई	छात्रों की संख्या जो पढ़ नहीं रहे थे भुगतान किया गया	छात्रों को भुगतान की गई वर्दी सब्सिडी की राशि जो स्कूल रोल पर नहीं थे
2017-18	1752997	146415	1298512*	84528	122766800
2018-19	1792871	155662	1720794	112777	163680100
2019-20	1796231	147279	1712199	96188	139958400
	5342099	**449356**	**4731505**	**293493**	**426405300**

** 401768 छात्रों का भुगतान शामिल नहीं है, जोकि डीबीटी द्वारा प्रसंस्करित नहीं थे, परन्तु जिला/स्कूल स्तर पर भुगतान किया गया।*

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि चयनित 30 स्कूलों से संबंधित 15,186 मामलों में से 938 में भुगतान की दिनांक से पूर्व स्कूल से नाम काटे गए छात्रों के नाम पर भुगतान किए गए थे। 51 छात्रों को नाम काटने के बाद तीन से छः महीने भुगतान किया गया था। तीन छात्रों को उनके नाम काटे जाने के बाद छः से 12 महीने का भुगतान किया गया था और चार छात्रों को उनके नाम स्कूल रोल के काट दिए जाने के बाद एक वर्ष से अधिक का भुगतान किया गया था। यह दर्शाता है कि लाभार्थी डेटा समय पर अद्यतन नहीं किया गया था और शि.नि. ने पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान करने से पहले लाभार्थियों की सटीकता सुनिश्चित नहीं की जिसके परिणामस्वरूप

अयोग्य लाभार्थियों को भुगतान हुआ। यह एक गंभीर अनियमितता है तथा रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा जाँच पड़ताल करने की आवश्यकता है तथा संबंधित पदासीन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

शि.नि. ने उत्तर दिया (जनवरी 2022) कि डीबीटी के हस्तांतरण की तिथि को नामांकन की स्थिति से ध्यान में रखा जाता है। छात्र बाद में स्कूल छोड़ देते हैं इसलिए सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है और छात्र से वसूली संभव नहीं है।

जवाब सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां प्रसंस्करित भुगतान के लिए प्रयोग में लाए जा रहे लाभार्थी डाटा पर आधारित है जो यह दर्शाती है कि इन छात्रों का स्कूल रोल से नाम काट दिया गया था।

(ii) गलत/अपूर्ण लाभार्थी डेटा के कारण योजना के पात्र लाभार्थी छूट गए

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए पीएफएमएस के माध्यम से किए गए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों के शि.नि. की वर्दी सब्सिडी योजना के असफल/त्रुटिपूर्ण भुगतान मामलों के विश्लेषण से पता चला कि **परिशिष्ट 2.3** में विवरण के अनुसार 32,86,161 छात्रों में से 70,581 छात्र (2.15 *प्रतिशत*) गलत/अमान्य/अपूर्ण बैंक खाता विवरण डुप्लीकेट खाता संख्या, आधार नहीं जोड़ना, नेटवर्क विफलता आदि जैसे विभिन्न कारणों से वर्ष 2018-20 के लिए वर्दी हेतु नकद सब्सिडी प्राप्त नहीं कर सका।

शि.नि. ने कहा (मार्च 2021/जनवरी 2022) कि छात्र डेटा में भुगतान की विफलता/त्रुटि को स्कूल और छात्र स्तर पर छात्र विवरण जैसे बैंक खातों के विवरण/आधार आदि के अद्यतन/सुधार के लिए सभी स्कूलों में परिचालित किया जाता है। अगले बैच में विफल मामलों पर आगे विचार किया गया था। आगे कहा गया कि स्कूल को आधार नंबर और बैंक खाता प्रस्तुत की जिम्मेदारी माता-पिता/छात्रों पर है और प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार, आधार और बैंक खाता विवरण प्रदान करना स्वैच्छिक है। हालांकि शि.नि. ने बैंक खाता खोलने के लिए स्कूलों में शिविर आयोजित किए।

तथ्य यह है कि शैक्षणिक वर्ष के अंत तक भी 70,581 छात्रों को वर्दी सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई।

2.2.10.3 एडुडेल पोर्टल और पीएफएमएस के बीच लींकेज के अभाव के कारण शुरू से अंत तक डिजिटाईजेशन की प्रक्रिया नहीं

डीबीटी के उद्देश्यों में से एक योजना लाभ के लिए आवेदन की तारीख से लेकर लाभ वितरण की योजना तक शुरु से अंत तक डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया थी। इसके लिए आवश्यक था कि प्रक्रिया में कोई मानवीय हस्तक्षेप न

हो। हालांकि, वर्दी सब्सिडी योजना में, प्रत्येक वर्ष 16 लाख से अधिक लाभार्थियों का विवरण भुगतान के लिए एड्डेल से पीएफएमएस में अपलोड किया जाता है। आदर्श रूप से, भुगतान संबंधी डेटा को सीधे मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना स्थानांतरित करने के लिए एसएमएस को पीएफएमएस के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।

(i) पीएफएमएस में लाभार्थियों के एकाधिक पंजीकरण

डीबीटी के लिए एसओपी में व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए यू आई डी ए आई के बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके कार्यान्वयन विभाग द्वारा लाभार्थियों की पहचान और नामांकन की आवश्यकता होती है। हालांकि, एड्डेल में डेटा दर्ज करने से पहले स्कूल अधिकारियों द्वारा आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। लाभार्थियों के सफल पंजीकरण के बाद, लाभार्थी डेटा एड्डेल से पीएफएमएस में अपलोड किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 1,079 छात्रों (2,158 भुगतान मामलों) को पीएफएमएस का उपयोग करते हुए आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम के माध्यम से दो बार वर्दी सब्सिडी का भुगतान किया गया था। 1,073 छात्रों के मामलों में बैंक खातों की विवरण भी समान पाया गया। लेकिन अलग-अलग छात्र आईडी या शून्य छात्र आई डी के साथ सभी मामलों में, छात्रों का नाम भी एक जैसा पाया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.23 लाख का अनियमित/अधिक भुगतान हुआ। जैसा कि **तालिका 2.2.4** में विवरण दिया गया है।

तालिका- 2.2.4: वर्दी सब्सिडी के अनियमित/अधिक भुगतान का विवरण

वर्ष	भुगतान का तरीका	दोहरे भुगतान मामलों की संख्या	अधिक भुगतान की संख्या	अधिक भुगतान की गई कुल राशि
2019-20	एपीबीएस	1908	102@1100,374@1400 & 478@1500	1352800
2018-19	एपीबीएस	220	23@1100, 64@1400 & 23@1500	149400
2017-18	एपीबीएस	30	03@1100, 03@1400 & 09@1500	21000
		2158		**1523200**

इसने इस तथ्य की भी पुष्टि की कि आधार का उपयोग पीएफएमएस में एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण पीएफएमएस में लाभार्थी को पंजीकृत करने के लिए एक ही आधार को कई बार उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। विभाग को मामले की जांच करने और ऐसे सभी अनियमित भुगतानों की वसूली की आवश्यकता है।

शि.नि. ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया (जनवरी 2022) और कहा कि सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल के बच्चों को वर्दी सब्सिडी का भुगतान पीएफएमएस में विभिन्न योजना नामों के तहत किया जाता है और कुछ छात्रों

को सरकारी और सहायता प्राप्त दोनों स्कूलों में प्रवेश मिला, जिसकी जाँच नहीं की गई थी। इसमें आगे कहा कि इस संबंध में स्कूलों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

(ii) एक ही छात्र आईडी के प्रति कई छात्रों को सब्सिडी का अधिक भुगतान

छात्र आईडी एक विशिष्ट छात्र की पहचान करने के लिए लाभार्थी डेटा में फील्ड है। डीबीटी दिशानिर्देशों के अनुसार, शि.नि. की यह जिम्मेदारी थी कि एक ही छात्र को कई भुगतानों से बचाने के लिए डुप्लीकेशन अभ्यास को कार्यान्वित करने से रोके। भुगतान डेटा से यह देखा गया कि वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान 6,115 छात्र आईडी (12,232 मामले) के मामले में एक ही छात्र आईडी के प्रति एक से अधिक बार भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 85.78 लाख का अधिक भुगतान हुआ। जैसा कि **तालिका 2.2.5** में वर्णित है:

तालिका 2.2.5: अधिक भुगतान का विवरण

क्रम सं.	वर्ष	दोहरी आई डी वाले छात्रों के मामलों की सं.	प्रत्येक बार एपीबीएस द्वारा	प्रत्येक बार एनईएफटी द्वारा	एक बार एपीबीएस तथा एक बार एनईएफटी	अधिक भुगतान किए गए मामलों की सं.	कुल अधिक भुगतान
1	2017-18	74 (37x 2)	74 (37x 2)	--	--	26 @1400 11 @1500	52900
2	2018-19	5416 (2708x2)	3096 (1548x2)	656 (328x2)	1664 (832x2)	243 @1100 1520 @1400 945 @1500	3812800
3	2019-20	6742 (3368x2 + 2x3)	40 (20x2)	6662 (3328x2+2x3)	40 (20x2)	11 @1100 3349 @1400 8 @1500 2 @2800	4712700
कुल							**85,78,400**

शि.नि. को यह सुनिश्चित करने के लिए मैनुअल नियंत्रण और प्रक्रियाएं रखनी चाहिए थी कि पीएफएमएस भुगतान शुरू करने से पहले लाभार्थी डेटा में छात्र आईडी को दोहराया नहीं गया। एक ही छात्र आईडी के एवज में एक वर्ष में कई भुगतान जारी करने की सरकार द्वारा जांच की जानी चाहिए। सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए तथा मामले में जिम्मेदारी तय की जाने की आवश्यकता है।

शि.नि. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2022)। इसमें कहा गया कि सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल के बच्चों वर्दी सब्सिडी का भुगतान पीएफएमएस में विभिन्न योजनाओं के नाम से किया जाता है और कुछ छात्रों को सरकारी और सहायता प्राप्त दोनों स्कूलों में प्रवेश मिल जाता है, जिसकी जांच नहीं की जा सकी। शि.नि. ने यह भी कहा कि इस संबंध में स्कूलों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.2.10.4 वर्दी सब्सिडी प्रदान करने के लिए डीबीटी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए लाभार्थी विशिष्ट बैंक खाता सुनिश्चित नहीं किया गया

डीबीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार, डीबीटी के कार्यान्वयन के लिए पूर्व-आवश्यकता, लाभार्थियों के व्यक्तिगत बैंक खाते खोलना है, क्योंकि वित्तीय लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है।

(i) साधारणतयः साल में एकबार वर्दी सब्सिडी का भुगतान किया जाता है। पीएफएमएस का उपयोग करते हुए एनईएफटी के माध्यम से किए गए डीबीटी भुगतान में, यह देखा गया कि 22,069 मामलें (2019-20 में 18,165 और 2018-19 में 3,904) थे, जहां एक ही आईएफएससी कोड के साथ एक ही बैंक खातें में एक से अधिक बार भुगतान किया गया था। उन मामलों को छोड़कर जिनमें समान छात्र आईडी है और जिनका उल्लेख पैरा 2.2.10.3 (II) के तहत किया गया है, 19537 मामलों (2019-20 में 10264 और 2018-19 में 3273) में बैंक खातों में डुप्लिकेट भुगतान थे। इसके परिणामस्वरूप 1.40 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

(ii) दो सहायता प्राप्त स्कूलों (आईडी 2127103 तथा आईडी 1924118), के संबंध में 1032 प्रकरणों में संबंधित विद्यालयों के बैंक खातों में वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के लिए वर्दी अनुदान राशि का भुगतान जारी किया गया। यह एक गंभीर हानि है। तथा विस्तृत जांच की आवश्यकता है। यह पूरी तरह से डीबीटी का भावना के विरुद्ध था जबकि डीबीटी ने नहीं किया।

(iii) यह भी देखा गया कि सरकारी स्कूल (आईडी 1923019) के 55 छात्र के संबंध में वर्ष 2018-19 में एक ही बैंक खाते से सहायता का भुगतान किया गया इसी प्रकार, दो अन्य बैंक खातों में वर्ष 2019-20 के दौरान 52 तथा 30 छात्रों (कई स्कूलों के छात्रों) के संबंध में सहायता राशि जमा की गई थी। एक ही बैक खाते में विभिन्न भुगतानों के विवरण को संलग्नक 2.4 में दिया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर शि.नि. ने स्कूल आई डी- 1923019 में एक ही बैंक खाते में 55 छात्रों की वर्दी सब्सिडी के भुगतान की पुष्टि (जनवरी 2022) की और सूचित किया कि 54 अन्य के संबंध में अधिक भुगतान प्राप्त करने वाले माता-पिता/छात्रों से वसूली की गई। शि.नि. ने आगे उत्तर दिया कि आईडी-2127103 और 1924118 वाले स्कूल धर्मार्थ समितियों द्वारा चलाए जा रहे हैं और अपने अनाथ/निराश्रित बच्चों को स्कूल वर्दी, किताबें, जूतें, भोजन, कपड़े और बोर्डिंग आदि जैसी सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान कर रहे है। इसलिए, छात्रों के संबंध में वर्दी सब्सिडी स्कूल आई डी 2127103 और 1924118 के

मामले में संस्थानों के दो बैंक खातों में की गई थी क्योंकि छात्रों के सभी खर्चों को संस्थान द्वारा वहन किया जाना था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीबीटी दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ को व्यक्तिगत लाभार्थी के बैंक खातो में जमा करना अनिवार्य था और यदि इस प्रक्रिया से विचलन आवश्यक और उचित था, तो आवश्यक अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से होना चाहिए। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि इस प्रकार का अनुमोदन लिया गया था या नहीं।

यह इंगित करता है कि शि.नि. ने डीबीटी की भावना के विरुद्ध काम किया क्योंकि डीबीटी लाभार्थी के बजाय स्कूल खाते में क्रेडिट करने से योजना के दिशा निर्देशों का धोर उल्लंघन हुआ। यह भी बताता है कि एक ही बैंक खाते में कई भुगतानों को रोकने के लिए डीओई के पास एड्डेल में अंतर्निहित नियंत्रण नहीं है। रा.रा.क्षे.दि.स. को योजना दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारणों का पता लगाना चाहिए तथा जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

2.2.10.5 लाभार्थियों के खाते में भुगतान के अंतरण में विलंब

समान सब्सिडी योजना में प्रतिवर्ष सब्सिडी राशि अंतरित की जाती है। नए दाखिले को छोड़कर प्रति वर्ष सब्सिडी ट्रांसफर करने की समय सीमा अप्रैल से मई है। नए प्रवेश छात्रों के लिए सितंबर के अंत तक सब्सिडी हस्तांतरित की जानी थी। सब्सिडी के भुगतान में देरी का विवरण **तालिका 2.2.6** में दिया गया है।

तालिका 2.2.6: वर्दी सब्सिडी के भुगतान में विलंब

वर्ष	भुगतान मामलों की कुल सं.	भुगतानों की अवधि			
		अप्रैल-जून	जुलाई-सितम्बर	अक्टूबर-दिसंबर	जनवरी-मार्च
2019-20	1712199	716151	840195	128941	26912
2018-19	1720794	1268344	119904	47906	284640
2017-18	1298512[7]	934463	286341	0	0

तालिका 2.2.6 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2018-19 के 3,32,546 मामलों (19.32 प्रतिशत) के संबंध में तथा वर्ष 2019-20 के 1,55,853 मामलों (9.10 प्रतिशत) के संबंध में, शैक्षणिक वर्ष के आरंभ से छः महीनों के बाद भुगतान किया गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त 2018-19 के लिए 791 सरकारी स्कूल के छात्रों को वर्दी सब्सिडी का भुगतान अप्रैल 2019 में अर्थात शैक्षणिक वर्ष के समाप्त होने के बाद किया गया था। भुगतान में अनुचित विलम्ब डीबीटी योजना के मुख्य उद्देश्य के विरुद्ध है।

[7] वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 56.04 करोड़ की राशि के 4,01,768 छात्रों को वर्दी सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से वितरित नहीं की गई थी और इसलिए लेखापरीक्षा के दौरान जांच नहीं की गई।

2.2.11 निष्कर्ष

डीबीटी योजनाओं के बारे में जनता के बीच प्रर्याप्त जागरूकता पैदा करने और सूचना प्रसार का अभाव था और सरकार ने स्वयं भी ओएपी तथा डीपीएसडब्ल्यू योजनाओं के लाभार्थियों की पात्र संख्या का आंकलन नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, सरकार ने ओएपी योजना में लाभार्थियों की संख्या को सीमित कर दिया था, जो पात्र लाभार्थियों को लाभ से वंचित कर सकता है।

डीबीटी योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में, लीगेसी (ऑफलाइन) लाभार्थियों से संबंधित विवरण एसएमएस, अर्थात ई-डिस्ट्रिक्ट में स्थानांतरित नहीं किए गए थे। इससे लाभार्थियों को दोहरा लाभ मिला। क्योंकि विभाग लीगेसी लाभार्थियों के संबंध में भौतिक अभिलेख भी उपलब्ध कराने में विफल रहा, जिसके कारण, लीगेसी लाभार्थियों की वास्तविकता, जो ओएपी तथा डीपीएसडब्लयूडी योजना के 79 *प्रतिशत* से अधिक लाभार्थियों के लिए जिम्मेदार थी, सत्यापित नहीं की जा सकी और संदिग्ध थी।

एसएमएस में इनपुट जांच प्रर्याप्त नहीं थी क्योंकि सिस्टम द्वारा अमान्य डेटा (जैसे संख्यात्मक, आईएफएससी) के कई मामलों को स्वीकार किया गया था। इसके अतिरिक्त एसएमएस (ई-डिस्ट्रिक्ट और एडुडेल) और पेमेंट पोर्टल (पीएफएमएस) को एकीकृत नहीं किया गया था, जिससे मैन्युअल हस्तक्षेप और डेटा के हेरफेर की गुंजाइश बची थी। लेखापरीक्षा में लाभार्थियों के मास्टर डेटाबेस तथा भुगतान डेटाबेस जैसे पीएफएमएस में लाभार्थियों के एकाधिक पंजीकरण के बीच व्यापक भिन्नताएं देखी गईं। परिणामस्वरूप, योजनाओं के लाभ अपात्र लाभार्थियों को प्राप्त हुए। जैसा कि नमूना जांच मामलों में देखा गया, लाभार्थियों के विवरण के गैर डिजिटाईजेशन के परिणामस्वरूप डीपीएसडब्ल्यूडी तथा ओएपी योजना दोनों के अंतर्गत लाभार्थियों को भुगतान हुआ। निधियों के अप्रबंधन के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना चाहिए जैसा कि अनियमितताओं में सामने आया है। यह नमूना निष्कर्ष होगा, अनियमित भुगतान की निहितार्थ राशि बहुत अधिक होगी। जिसकी सरकार द्वारा जाँच की जानी चाहिए और गंभीर चूक के लिए जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है।

पात्रता के समर्थन में आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन के लिए एक एसओपी का अभाव है। साथ ही लाभार्थी की पात्रता के आवधिक पुनर्मूल्यांकन की कोई व्यवस्था नहीं है। जिसके कारण लाभार्थी विवाह, मृत्यु अन्य योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने आदि के कारण अपात्र हो जाते हैं, और लाभ प्राप्त करते रहते है। सरकार ने इस आशय के अपने स्वयं के निष्कर्षों के बावजूद पेंशन को रोकने या अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं

की, जो इन योजनाओं के लिए वास्तविक जरूरतमंदों को लक्षित करने के लिए अनिच्छा और इरादे की कमी को दर्शाता है।

वर्दी योजना का कार्यान्वयन में गंभीर अनियमितताएं जैसे कई छात्रों के प्रति एक बैंक खाता, स्कूल रोल से निकाले जाने के बाद छात्रों के रियायत की बड़ी राशि का भुगतान, एक ही छात्र आईडी के प्रति रियायत का अधिक भुगतान, स्कूल खाते को रियायत का भुगतान आदि पर रा.रा.क्षे.दि.स. के विशेष ध्यान देने योग्य है, जिसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

प्रसंस्करण में देरी और लाभार्थियों को भुगतान के बाद के क्रेडिट से संबंधित विभिन्न मामलों को संबोधित करने के लिए कार्यान्वयन विभागों में कोई निगरानी प्रणाली नहीं थी। विभाग स्तर पर योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने और लाभार्थियों की शिकायत को दूर करने के लिए डीबीटी प्रकोष्ठ द्वारा कमजोर निगरानी की जा रही है। लाभार्थियों की शिकायतों से निपटने में कार्यान्वयन विभागों की मौजूदा शिकायत निवारण प्रणाली अप्रभावी थी। वास्तविक लाभार्थियों की पहचान के अभाव में, लाभ प्रदान करने में देरी और समय पर शिकायतों को दूर करने के लिए उचित तंत्र की अनुपस्थिति में डीबीटी के लाभ अधिकतर रा.रा.क्षे.दि.स. में कागजों पर ही रह गए।

2.2.12 अनुशंसाएं

सरकार कर सकती है -

- डीबीटी प्रक्रिया का शुरू से अंत तक डिजिटलीकरण सुनिश्चित करें।
- अपात्र लाभार्थियों का पता लगाने के लिए समय समय पर डेटा को हटाएँ।
- ओएपी और डीपीएसडब्ल्यूडी के तहत लाभार्थियों की वास्तविक संख्या का आँकलन करने और योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना ताकि, लाभ सभी योग्य व्यक्तियों तक पहुँच सकें।
- सॉफ्टवेयर में निर्मित पर्याप्त सत्यापन नियंत्रण सुनिश्चित करें ताकि सिस्टम में अनिवार्य डेटा इनपुट चरण में ही मान्य हो।
- लाभार्थियों की पहचान में मध्यस्थता की जाँच पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए एक उचित एसओपी विकसित करना।
- झूठे ओर डुप्लीकेट दावों के खिलाफ कार्रवाई करें। ताकि दावों की सीमा को देखते हुए लाभ सर्वाधिक योग्य व्यक्तियों तक पहुँच सके।
- लीकेज को रोकने के लिए निगरानी प्रणाली को मजबूत करना और यह सुनिश्चत करना कि लाभ सभी प्रमाणिक और पात्र छात्रों तक पहुँच सके।

- समर्पित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें और डीबीटी के माध्यम से लाभों को समय पर जमा करने में देरी के लिए जिम्मेदारी तय करें।
- डीबीटी योजना को वास्तविक अर्थों में लागू करें। जैसा कि परिकल्पित है जिसमें वित्तीय लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में मध्यस्थ एजेंसी के बिना स्थानांतरित किया जाता है।

गृह विभाग

2.3 ₹ 4.02 करोड़ की निधियों का अवरोधन तथा ₹ 70.41 लाख का परिहार्य व्यय

फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी द्वारा भूमि के एक भूखण्ड का अधिग्रहण, जो आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था, के परिणामस्वरूप भूमि की खरीद पर किया गया ₹ 4.02 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ तथा इस भूमि के किराए पर ₹ 70.41 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (फो.सा.लेबो.) में जांच के लिए उच्च लंबित मामलों को हल करने के लिए गृह विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) से अनुरोध किया कि वह तीन क्षेत्रीय फोरेंसिक लेबोरेटरियों की स्थापना हेतु पूर्वी, दक्षिण तथा पश्चिम दिल्ली प्रत्येक में 10,000 वर्ग मीटर माप की उचित भूमि के उपयुक्त भूखण्ड के सुझाव दे (अप्रैल 2013)। दि.वि.प्रा. द्वारा 5,425 वर्ग.मी. माप का भूमि का एक टुकड़ा क्षेत्रीय फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की स्थापना के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को आवंटित किया गया (मार्च 2014)। यह भूमि सतत लीज़ होल्ड आधार पर ₹ 4.02 करोड़ के प्रीमियम पर ₹ 10.06 लाख के वार्षिक भूमि किराए के साथ आवंटित की गई थी। आवंटन की शर्तों के अनुसार, भूमि का कब्जा लेने के दो वर्ष के भीतर भवन का निर्माण कार्य पूरा करना था।

यद्यपि, भूखण्ड का आकार आवश्यकता से काफी कम था, फिर भी, फो.सा.लेबो. ने भूमि का कब्जा ले लिया (अगस्त 2014)। बाद में फो.सा.लेबो. ने पहले से आवंटित भूखण्ड के आकार को अपर्याप्त बताते हुए दि.वि.प्रा. को आंवटित भूमि के बगल में 6,467 वर्ग.मी. का एक अन्य भूखण्ड के आवंटन का प्रस्ताव रखा (जनवरी 2015)। अप्रैल 2015 से मई 2016 के दौरान फो.सा.लेबो. द्वारा कई अनुस्मारकों के जरिए भूमि के अतिरिक्त टुकड़े के आवंटन के मामले को आगे बढ़ाने के बावजूद दि.वि.प्रा. से कोई प्रत्युतर प्राप्त नहीं हुआ।

मई 2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन में यह कहा गया कि रोहिणी में फो.सा.लैबो. कॉम्प्लेक्स में विद्यमान गेस्ट हाऊस तथा

भूतल पार्किंग के स्थान पर एक और 12 मंजिला इमारत को समायोजित करने के लिए पर्याप्त फ्लोर एरिया अनुपात (एफ.ए.आर.) है जो अतिरिक्त लैबों को समायोजित कर सकता है। तत्पश्चात, विभाग ने निर्णय लिया (जनवरी 2017) कि 5,425 व.मी. आवंटित भूमि की अब फो.सा.लैबो. के लिए आवश्यकता नहीं थी तथा उक्त भूमि को अस्पताल, स्कूल एवं अन्य प्रयोग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.), रा.रा.क्षे.दि.स. को हस्तांतरित किया जाना था। हालांकि भूमि के उपयोग करने अथवा पट्टाकार अर्थात् दि.वि.प्रा. को भूमि वापिस करने के लिए कोई और प्रयास नहीं किए गए। इसकी बजाए, फो.सा.लैबो. ₹ 10.06 लाख के वार्षिक जमीनी किराये का भुगतान जारी रखा।

इस प्रकार, भूमि के भूखण्ड का अधिग्रहण जो क्षेत्रीय फोरेंसिक लैबोरेटरी की स्थापना हेतु अपेक्षित आकार का नहीं था तथा उसका निपटान करने की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 4.02 करोड़ की निधियाँ सात वर्षों से अधिक के लिए अवरूद्ध हो गई। भूखण्ड का रखना, जिसकी आवश्यकता भी नहीं थी, के परिणामस्वरूप दि.वि.प्रा. को देय जमीनी किराए के कारण ₹ 70.41 लाख का परिहार्य व्यय हुआ। इसमें से ₹ 40.24 लाख जमीनी किराए पर व्यय 2017-18 से 2020-21 की अवधि तक था, अर्थात यह तय करने के बाद कि भूमि की आवश्यकता नहीं है।

मामला सितम्बर 2021 में सरकार को भेजा गया था, जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग

2.4 ₹ 81.56 लाख का निष्फल व्यय

कार्यों के आवंटन से पूर्व सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा बाधा मुक्त स्थलों को सुनिश्चित करने में विफलता के फलस्वरूप तीन कार्यों को बंद कर दिया गया जिससे इन कार्यों पर किया गया ₹ 81.56 लाख का व्यय निष्फल हो गया।

के.लो.नि.वि. की नियम पुस्तिका के खंड-II के पैरा 4.2 में कहा गया है कि साइट की उपलब्धता कार्य की योजना और डिजाइनिंग चरण में ही सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा विस्तृत अनुमान एवं ड्राइंग और डिजाइन चरण की तैयारी भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के बाद ही की जानी चाहिए। इसके बाद, पैरा 3.3(2) में प्रावधान है कि आवश्यक साइट और स्थलाकृतिक विवरण, तकनीकी व्यवहार्यता आदि का पूरी तरह से पता लगाने के बाद, अनुमान, ग्राहक विभाग को भेजे जाने चाहिए। यदि साइट सर्वेक्षण आवश्यक है, तो प्रस्तावित कार्य के लिए भूमि की उपयुक्तता और उपलब्धता का

आकलन करने के उद्देश्य से ग्राहक को एक छोटा अनुमान भेजा जा सकता है। पूर्व सर्वेक्षण के माध्यम से निविदा आमंत्रण सूचना के अनुमोदन से पहले बाधा मुक्त स्थल उपलब्ध कराना विभाग का दायित्व है। अधीक्षण अभियंता, आईएफसीडी-IV, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (आइएफसीडी) ने भी निर्देश दिया था (अप्रैल 2016) कि कार्य सौंपने से पहले कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करे कि साइट किसी भी अतिक्रमण, विवाद, अदालती मामलों और अन्य बाधाओं आदि से मुक्त हो ताकि बाद के चरण में अवार्ड किये गये कार्य को वापिस लेने/रद्द करने से बचा जा सके।

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन कार्यों में, आइएफसीडी ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि निर्माण शुरू करने से पहले साइट अतिक्रमण से मुक्त है जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित है।

(i) नजफगढ़ नाले[8] के बाईं ओर 3,500 मीटर (मी.) चारदीवारी का निर्माण अप्रैल 2016 में ₹ 177.11 लाख की निविदा लागत पर सौंपा गया था। शुरू करने और पूरा करने की निर्धारित तिथि क्रमशः 26 अप्रैल 2016 और 25 अप्रैल 2017 थी। खुदाई कार्य पूरा होने के बाद ग्रामीणों द्वारा उत्पन्न की गई बाधा के कारण केवल 426 मीटर दीवार पूरी करने के बाद कार्य को रोक दिया गया था। दि.ज.बो. ने 3,500 मीटर में से 300 मीटर की लंबाई के लिए चारदीवारी का निर्माण किया है। शेष 2,774 मीटर लंबाई की चारदीवारी का निर्माण नहीं किया जा सका क्योंकि आइ.एफ.सी.डी. के रिकॉर्ड को 1970 से अद्यतन नहीं किया गया था और भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग द्वारा नहीं किया गया था। राजस्व विभाग के साथ इस मुद्दे को उठाने के बावजूद सीमांकन नहीं किया गया था और ₹ 38.93 लाख के व्यय के बाद नवम्बर 2017 में काम को रोक दिया गया था।

(ii) वसंत कुंज एंकलेव के खसरा सं. 1012/2 से 1921 तक रिज भूमि को कवर करने वाली चारदीवारी के निर्माण का कार्य ₹ 30.37 लाख की लागत पर दिया गया (मार्च 2015), जिसे 6 अगस्त 2015 तक पूरा किया जाना था। 50 *प्रतिशत* कार्य निष्पादित होने के बाद सीमांकित भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य 23 नवम्बर 2015 से रूका हुआ था। यद्यपि, फरवरी 2017 में भूमि का सीमांकन हो गया था पर कार्य पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि इसमें कुछ घरों को ध्वस्त करने की आवश्यकता थी, जो संभव नहीं था। आइएफसीडी ने अंततः दिसम्बर 2017 में काम बंद कर दिया, जो 23 नवम्बर 2015 से प्रभावी था तथा ठेकादार को काम के पूर्ण भाग के लिए ₹ 17.00 लाख का भुगतान किया गया था।

[8] गोयल आउटफॉल से ककरौला गांव पूल तक

(iii) दि.वि.प्रा. की भूमि पर नसीरपुर नाले को रेलवे लाइन तक बढ़ाने का कार्य ₹ 33.77 लाख की लागत से 17 जून 2014 तक पूरा करने का कार्य सौंपा गया था। ठेकेदार ने काम शुरू किया, लेकिन रेलवे विभाग के फील्ड स्टाफ ने एजेंसी को नाले का काम करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि काम रेलवे लाइन के पास था। आइएफसीडी ने अंततः मई 2016 से पूर्वव्यापी प्रभाव से काम को बंद कर दिया (जुलाई 2016)। हांलाकि, तब तक ठेकेदार ने 68 *प्रतिशत* काम पूरा कर लिया था और उसे 25.63 लाख का भुगतान कर दिया गया था (अगस्त 2016)।

इस प्रकार, एनआइटी की तैयारी से पहले उपरोक्त तीन कार्यों हेतु अतिक्रमण/बाधा मुक्त स्थल सुनिश्चित करने में आइएफसीडी की विफलता के परिणामस्वरूप कार्यों को बंद कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 81.56 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

आइएफसीडी ने जवाब दिया (अक्टूबर 2021) कि पहले मामले में, ग्रामीणों द्वारा बनाई गई बाधा के कारण काम रोका गया था। जवाब को इस तथ्य के आलोक में देखे जाने की आवश्यकता है कि आईएफसीडी के अभिलेख, 1970 से अद्यतन नहीं किए किए गए थे और सीमांकन की आश्यकता थी। रिज भूमि की चारदीवारी के निर्माण के मामले में, आइएफसीडी ने कहा कि साइट आंशिक रूप से वन विभाग के स्वामित्व वाली भूमि पर स्थित निजी घर की भूमि के कुछ हिस्से के कारण सीमांकित की गई थी, जो कि ग्राहक विभाग था और आईएफसीडी का अतिक्रमण की बात पर कोई अधिकार नहीं था। जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आईएफसीडी ने एनआईटी जारी करने से पहले बाधामुक्त साइट सुनिश्चित नहीं की थी। जहां तक नासीरपुर नाली के विस्तार से संबंधित कार्य के संबंध में कहा गया, कि रेलवे विभाग ने ठेकेदार को कार्य निष्पादित करने की अनुमति नहीं दी, यद्यपि टीएसी की बैठक में रेलवे के प्रतिनिधि उपस्थित थे, जहां उक्त योजना को मंजूरी दी गई थी। हालाँकि, जवाब के समर्थन में बैठक का प्रावधान नहीं किया गया था, जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या रेलवे शुरू में परियोजना के लिए सहमत था।

समाज कल्याण विभाग

2.5 "दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन" पर अनुपालना लेखापरीक्षा

2.5.1 परिचय

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए शिक्षा, काम और सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार हासिल करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का अधिदेश देता है। इसके अलावा, भारत दिव्यांगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2006 का एक हस्ताक्षरकर्ता है और 01 अक्टूबर 2007 को इसकी पुष्टि की गई है। उक्त सम्मेलन में निर्धारित सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए, भारत सरकार (भा.स.) ने पहले के "दिव्यांग अधिनियम, 1995" को निरस्त कर 'दिव्यांगों के अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम) को अधिनियमित किया जो 19 अप्रैल 2017 से प्रभावी हुआ। नया अधिनियम पहली बार दिव्यांगता के अर्थ को परिभाषित करने का प्रावधान करता है और नियम 18 (1) के अधीन फॉर्म VI, दिव्यांगता की मान्यता प्राप्त श्रेणियों को सात से 21[9] तक विस्तारित करता है। इससे दिव्यांगजनों[10] (दि.ज.) को विभिन्न अधिकार और हक मिले। इन अधिकारों और हकों में समानता और गैर-भेदभाव, सामुदायिक जीवन, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा, न्याय तक पहुंच आदि शामिल हैं। यह अधिनियम सरकारों को दिव्यांगों के प्रभावी सशक्तिकरण और समावेश के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास, मनोरंजन, कौशल विकास आदि के लिए आवश्यक उपाय करने/योजना एवं कार्यक्रम बनाने के लिए भी अधिदेशित करता है। सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी शैक्षणिक संस्थान द्वारा दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। तत्पश्चात्, अधिनियम की धारा 100(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिव्यांग के अधिकार नियम, 2017 तैयार किया गया है। (जून 2017)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) ने अधिनियम की धारा 101 की उप-धारा

---

[9] 1. लोकोमोटर दिव्यांगता 2. कुष्ठ रोग के ठीक व्यक्ति 3. सेरेब्रल पाल्सी 4. बौनापन 5. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 6. एसिड अटैक पीडित 7. अंधापन 8. कम दृष्टि 9. बधिर 10. सुनने में कठिनाई 11. भाषण एवं भाषा दिव्यांगता 12. बौद्धिक अक्षमता 13. विशेष सीखने की अक्षमताएं 14. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस ऑडर 15. मानसिक बिमारी 16. क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन 17. मल्टीपल सेलोरोसिस 18. पार्किंसंस रोग 19. हीमोफीलिंया 20. थैलेसीमिया 21. सिकल सेल रोग

[10] दिव्यांगजन का अर्थ है लंबे समय तक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दुर्बलता से ग्रस्त व्यक्ति, जो बाधाओं के साथ बातचीत में, दूसरों के साथ समान रूप से समाज में उसकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालता है।

(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27 दिसंबर 2018 को दिल्ली दिव्यांग के अधिकार (दिदिअ) नियम 2018 को अधिनियमित किया।

भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, 121 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 2.68 करोड़ व्यक्ति किसी न किसी रूप में दिव्यांग थे, जो कि कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है। रा.रा.क्षे. दिल्ली में, 1,67,87,941 की कुल जनसंख्या में से 1.4 प्रतिशत (2,34,882) किसी न किसी रूप में दिव्यांगता से ग्रस्त थे।

2.5.2 अधिनियम के कार्यान्वयन में शामिल विभाग

दिल्ली में, समाज कल्याण विभाग (स.क.वि.), रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग है। विभाग का नेतृत्व एक प्रधान सचिव करता है, जिनकी सहायता निदेशक, विशेष निदेशक, 12 उप निदेशक, सहायक निदेशक (योजना) और दस जिला समाज कल्याण अधिकारी (जि.स.क.अ.) द्वारा की जाती है। एक स्वतंत्र राज्य आयुक्त (दिव्यांगता) दिव्यांगों के कार्यक्रम और योजनाओं का समन्वय और निगरानी करता है। राज्य आयुक्त (दिव्यांगता) दिव्यांगों को अधिकारों से वंचित करने से संबंधित शिकायतों की जाँच करता है। इसके अलावा, दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक/दिव्यांग वित्त और विकास निगम (निगम) दिव्यांगों के आर्थिक विकास की गतिविधियों के लिए वित्त पोषण करना है, सुविधा प्रदान करना, और बढ़ावा देना।

इसके अलावा, अन्य विभाग भी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जैसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करना (मार्च 2021 तक, जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की कुल संख्या 1,83,160 थी), शहरी विकास विभाग द्वारा बाधा मुक्त वातावरण का निर्णय करना (धारा 40 से 46) तथा शिक्षा निदेशालय द्वारा दिव्यांग छात्रों को शिक्षा, एवं सभी विभागों/सा.क्षे.उ./एबी द्वारा दिव्यांगों के लिए रोजगार प्रदान करना है।

2.5.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या -

(i) अधिनियम के तहत परिकल्पित शासन ढांचे को स्थापित किया गया है और क्या उस संबंध में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा उचित और समय पर कार्रवाई की गई थी

(ii) सभी प्रकार के दिव्यांगों की पहचान और प्रमाणन के लिए पर्याप्त उपाय किए गए थे ताकि वे इस अधिनियम के तहत लाभों का फायदा उठा सके;

(iii) दिव्यांगों के लिए शैक्षणिक अवसर सरकार द्वारा सुनिश्चित किए गए थे।

(iv) दिव्यांगों की समाजिक सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए थे।

2.5.4 लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा अप्रैल 2017 से मार्च 2021 (चार वर्षों) तक की अवधि को कवर करते हुए अप्रैल से सितंबर 2021 के दौरान आयोजित की गई थी। अधिनियम, नीतियों और योजनाओं के प्रावधानों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने स.क.वि. मुख्यालय, राज्य आयुक्त निःशक्तता के कार्यालय, ने 10 में से तीन जिला कार्यालयों, सात में से चार विक्लांगो के लिए विशेष स्कूल, छह में से चार गृह, मानसिक रूप से बीमार के लिए, पाँच में से चार आधे रास्ते/लम्बे समय तक रहने वाले गृह, दृष्टिबाधित, वाक और श्रवण बाधित छात्रों के लिए वे सभी चार कार्यशील छात्रावास, छह गैर-सरकारी संगठन, एक प्रशिक्षण सह-उत्पादन केंद्र और डीएसडब्ल्यू के तहत विकलांग (पुरूष) के लिए एक आश्रय कार्यशाला का चयन किया। दिल्ली अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा वितरित वित्तीय सहायता से संबंधित अभिलेखों की भी जाँच की गई। अभिलेखों की जाँच हेतु चयनित ईकाईयों के विवरण **तालिका 2.5.1** में दिये गये हैं।

तालिका-2.5.1: चयनित इकाईयों का विवरण

क्रम. सं.	इकाई का नाम
1.	समाज कल्याण विभाग (मुख्यालय)
2.	दिव्यांगों के लिए राज्य आयुक्त का कार्यालय, माता सुंदरी रोड़, दिल्ली
3.	डीएसडब्ल्यूओ (पश्चिम), पंजाब एवं सिंध बैंक के पास, तिलक नगर, नई दिल्ली-18
4.	डीएसडब्ल्यूओ (उत्तर-पश्चिम-I), एन पी एस भवन, विश्राम चौक के नजदीक, सैक्टर-IV, रोहिणी, दिल्ली-85
5.	डीएसडब्ल्यूओ (उत्तर-पश्चिम-II), एन पी एस भवन विश्राम चौक के नजदीक, सैक्टर-IV, रोहिणी, दिल्ली-85
6.	बधिर (एन.पी.एस.डी) के लिए सरकारी माध्यमिक विद्यालय, विश्राम चौक, सैक्टर-4, रोहिणी, दिल्ली-110085
7.	नेत्रहीन बालकों (जीएसएसएसबीबी) के लिए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेवा कुटिर कॉम्प्लेक्स, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली-09
8.	मूक एवं बधिर (जी.एल.एन.एस.) के लिए गवर्नमेंट लेडी नॉएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली गेट, दिल्ली-110002
9.	मंदबुद्धि बच्चों के लिए विद्यालय (एस.एम.आर.सी), मयूर विहार, फेस-1, दिल्ली-110091
10.	मंदबुद्धि जनों (बच्चों) के लिए आवास (एचएमआरपी-सी) (पुरुष के लिए), आशा किरण कॉम्प्लेक्स, अवन्तिका, सैक्टर-1, रोहिणी, दिल्ली-85
11.	गंभीर और प्रगाढ़ मंदबुद्धि जनों के लिए संस्थान (आईएसपीएमआर) (महिला के लिए), आशा किरण कॉम्प्लेक्स, अवन्तिका, सैक्टर-1, रोहिणी, दिल्ली-85
12.	मंदबुद्धि जनों के लिए विद्यालय एवं आवास (एसएचएमआरपी), महिलाओं के लिए, आशा किरण कॉम्प्लेक्स, अवन्तिका, सैक्टर-1, दिल्ली-85
13.	मानसिक रूप से विक्षिप्तों के लिए आशा दीप आवास (पुरूष के लिए) नरेला, दिल्ली
14.	महिलाओं के लिए नव किरण I, हाफवे/लॉग-स्टे होम, रोहिणी, सैक्टर-3, दिल्ली-85
15.	महिलाओं के लिए नव किरण II, हाफवे/लॉग-स्टे होम, रोहिणी, सैक्टर-3, दिल्ली-85
16.	पुरूषों के लिए नव चेन्ता हाफवे होम, रोहिणी, सैक्टर-22, दिल्ली-
17.	पुरूषों के लिए न्यू रचना हाफवे होम, द्वारका, सैक्टर-3, दिल्ली-85
18.	कॉलेज जाने वाले नेत्रहीन छात्रों (बालक) के लिए हॉस्टल, सेवा कुटिर कॉम्प्लेक्स, किंग्सवे कैम्प, जीटीबी नगर, दिल्ली-110009

19.	नेत्रहीन बालकों के लिए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हॉस्टल, सेवा कुटिर कॉम्प्लेक्स, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली-110009
20.	मूक एवं बधिर के लिए गवर्नमेंट लेडी नॉएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बालिकाओं के लिए हॉस्टल, जी.एल.एन.एस. कॉम्प्लेक्स, दिल्ली गेट, दिल्ली-110002
21.	मूक एवं बधिर के लिए गवर्नमेंट लेडी नॉएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बालकों के लिए हॉस्टल, जी.एल.एन.एस. कॉम्प्लेक्स, दिल्ली गेट, दिल्ली-110002
22.	ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन (एनजीओ)
23.	एडब्ल्यूडब्ल्यूए आशा स्कूल (एनजीओ)
24.	अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट (एनजीओ)
25.	विनायक ब्लाईंड वूमन वेलफेयर सोसाईटी (एनजीओ)
26.	अराधना पैरेन्ट्स सपोर्ट ग्रुप (रजि.) (एनजीओ)
27.	मासूम फाऊण्डेशन (एनजीओ)
28.	ट्रेनिंग-सह-प्रशिक्षण सेंटर, तिलक नगर, दिल्ली
29.	शारीरिक रूप से दिव्यांगों (पुरूष) के लिए आश्रय कार्यशाला, रमेश नगर, दिल्ली
30.	दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक और दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, रोहिणी

2.5.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किया गया:

(i) दिव्यांगों के अधिकार अधिनियम, 2016।

(ii) दिव्यांगों के अधिकार नियम, 2017।

(iii) दिल्ली दिव्यांग अधिकार नियम, 2018।

(iv) दिव्यांगों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के दिशानिर्देश।

(v) सरकार द्वारा वार्षिक योजनाएं, नीति दिशानिर्देश और बजट घोषणाएं, यदि कोई हों।

(vi) योजनाओं के संचालन संबंधी दिशानिर्देश/तौर-तरीके।

(vii) सामान्य वित्तीय नियम और प्राप्ति एवं भुगतान नियम, 1983, शासकीय लेखा नियम, 1990, बजट नियमावली, सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश, परिपत्र, आदेश, निर्देश एवं दिशा-निर्देश।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.5.6 शासकीय ढाँचा का खराब कार्यान्वयन

2.5.6.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली दिव्यांग अधिकार नियमों को अधिसूचित करने में विलंब

अधिनियम की धारा 101 में प्रावधान है कि राज्य सरकार, पिछले प्रकाशन की शर्त के अधीन, अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से छह महीने के भीतर अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है। यह अधिनियम 19 अप्रैल 2017 को लागू हुआ।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भा.स. द्वारा सभी राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के समाज कल्याण विभाग को स्मरण कराया गया था (13 जून 2017) कि राज्य के नियमों को 19 अक्टूबर 2017 से पहले अधिसूचित किए जाएं। हालांकि, स.क.वि., रा.रा.क्षे.दि.स. ने इस संबंध में नियमों को 27 दिसंबर 2018 को अर्थात् नियत तिथि से 14 महीने की देरी के बाद अधिसूचित किया। इससे अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन में विलंब हुआ।

जवाब में, स.क.वि. ने कहा (अक्टूबर 2021 और जनवरी 2022) कि इस अधिनियम के तहत नियम बनाने के लिए माननीय उपराज्यपाल को अधिकार प्रदान करने वाली अधिसूचना के बाद राज्य के नियम बनाए जा सकते हैं। उक्त अधिसूचना 12 दिसंबर 2017 को ही जारी की गई थी। इसके बाद, हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए 22 मई 2018 को मसौदा नियमों को अधिसूचित किया गया। उचित परामर्श प्रक्रिया के बाद, अंतिम नियम 27 दिसंबर 2018 को अधिसूचित किए गए।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी उचित प्रक्रिया और औपचारिकताएं पहले ही पूरी की जा सकती थी और माननीय उपराज्यपाल को इस संबंध में अधिकार प्रदान करते ही नियमों को तुरंत अधिसूचित किया जा सकता था।

2.5.6.2 निःशक्तता पर राज्य सलाहकार बोर्ड के गठन में देरी

अधिनियम 2016 की धारा 66 और 71 के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार को दिव्यांगता मामलों पर एक राज्य सलाहकार बोर्ड (बोर्ड) का गठन करना था ताकि दिव्यांगों के सशक्तिकरण तथा अधिकारों का पूर्ण उपभोग करने के लिए के लिए एक व्यापक नीति के सतत विकास को सुगम बनाया जा सकें। बोर्ड के कार्यों में राज्य सरकार को दिव्यांगता के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमो, कानून और परियोजनाओं पर सलाह देना, दिव्यांगों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक राज्य नीति विकसित करना, राज्य सरकार के सभी विभागों और अन्य संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करना आदि शामिल है। बोर्ड को दिव्यांगता मामलों से संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री और राज्य मंत्री या उपाध्यक्ष के रूप में उप मंत्री की अध्यक्षता में होना था। विभिन्न विभागों[11] के प्रभारी राज्य सरकार के सचिव, विधान सभा के तीन सदस्य, पांच वैसे सदस्य

[11] दिव्यांगता के मामले (डीएसडब्ल्यू), स्कूली शिक्षा, साक्षरता एवं उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, वित्त, कार्मिक और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, औद्योगिक नीति और संबर्धन, श्रम एवं रोजगार, शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन, विज्ञान और प्रौद्योगिक, सूचना प्रौद्योगिक, सार्वजनिक उद्यम, युवा मामले और खेल, सड़क परिवहन और कोई अन्य विभाग, जिसे राज्य सरकार आवश्यक समझती है।

जो निःशक्तता के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और पांच सदस्य जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले आदि को बोर्ड के सदस्य होने थे।

बोर्ड, एक बार गठित हो जाने के बाद, अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन को गति देने में सक्षम होता, इसके सदस्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और दिव्यांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते। हालांकि, यह अवलोकन किया गया कि बोर्ड के गठन का प्रस्ताव सितंबर 2018 में ही शुरू किया गया था और जनवरी 2021 से लागू हुआ, अर्थात अधिनियम के शुरू होने से लगभग चार साल की देरी के बाद। बोर्ड के गठन में देरी दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों में सरकार की मंशा और गंभीरता की कमी को दर्शाता है।

स.क.वि. ने जवाब दिया (जनवरी 2022) कि माननीय समाज कल्याण मंत्री के कार्यालय स्तर पर किए गए कुछ परिवर्तनों और सदस्यों के रूप में विधायकों के चुनाव में लगने वाले समय के कारण बोर्ड के गठन में देरी हुई। यह भी कहा गया कि 2019 और 2020 में संसद और विधानसभा चुनावों के दौरान लागू आचार संहिता के कारण भी मामले में देरी हुई।

उत्तर में दिये गये विलम्ब के कारण बोर्ड के गठन में लगभग चार वर्षों के विलम्ब को न्यायोचित नहीं ठहराते हैं।

2.5.6.3 दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्रमाणित चिकित्सा प्राधिकारी की नियुक्ति में अनुचित देरी

अधिनयम की धारा 2 (जेड सी) के अनुसार, 21 प्रकार की अक्षमताएँ अधिसूचित की गई जिनमें 14 नई श्रेणियों की अक्षमताओं को शामिल किया गया। अधिनियम की धारा 57 में प्रावधान है कि सरकार आवश्यक योग्यता और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रमाणित प्राधिकारी के रूप में नामित करेगी, जो दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम होंगे। धारा 57 (2) के अनुसार, सरकार उस क्षेत्राधिकार को भी अधिसूचित करेगी जिसके अंतर्गत् तथा नियम एवं शर्तों के अधीन प्रमाणित प्राधिकारी अपने प्रमाणन कार्यों को करेगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि सभी 21 प्रकार की अक्षमताओं के प्रमाणन के लिए प्राधिकारियों (विभिन्न अस्पतालों) को 2 मई 2019 को नामित किया गया, अर्थात् अधिनियम के शुरू होने के दो साल से अधिक की देरी के बाद। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति में हुई देरी से पात्र दिव्यांग जनों को उनके अधिकारों एवं लाभों के मिलने में देरी हुई।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने 27 दिसंबर 2018 को दि.ज.अ. नियमों की अधिसूचना के बाद ही 2 मई

2019 को सभी 21 अक्षमताओं के लिए चिकित्सा प्राधिकारियों को अधिसूचित किया था।

जवाब देरी की पुष्टि करता है और अधिनियम के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर दि.ज.अ. नियमों की अधिसूचना में देरी के प्रतिकूल प्रभाव को भी प्रदर्शित करता है।

2.5.6.4 राज्य आयुक्त के पद की लंबे समय से रिक्ति

अधिनियम, 2016 की धारा 79 (1) में प्रावधान है कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक राज्य आयुक्त, दिव्यांग की नियुक्ति करे। दिव्यांगों के लिए आयुक्त का कार्यालय दिव्यांग जन (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 60 के तहत एक स्वतंत्र सांविधिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था, जिसने अगस्त 2009 से दिल्ली में काम करना शुरू किया।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया है कि मई 2009 (स्थापना से) से जून 2021 तक रा.रा.क्षे.दि.स. दिल्ली द्वारा चार आयुक्तों/राज्य आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी और यह पद छह से 15 महीने तक की अवधि के लिए रिक्त रहा जैसा कि **तालिका-2.5.2** में दिया गया है।

तालिका-2.5.2: दिव्यांगों के लिए राज्य आयुक्त की अनुपस्थिति

क्रम.सं.	रिक्ति की अवधि	महीनों में रिक्ति की अवधि
1.	27.05.2012 से 02.12.2012	06
2.	03.12.2015 से 16.03.2017	15
3.	01.01.2020 से 27.01.2021	13

स्रोतः एससीपीडी द्वारा प्रदान की गई जानकारी

लंबे समय तक राज्य आयुक्त की अनुपस्थिति ने दिल्ली में दिव्यांगजनों को अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सांविधिक शक्तियों वाले प्राधिकारी के लाभ से वंचित कर दिया।

स.क.वि. ने जवाब दिया (जनवरी 2022) कि भविष्य में देरी से बचने के लिए ध्यान रखा जाएगा।

2.5.6.5 वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष नहीं रखी गई

अधिनियम की धारा 83 और दि.ज.अ. नियमावली 2018 के नियम 50 के अनुसार, आयुक्त एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का पूरा लेखा-जोखा देते हुए, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय किसी भी मामले पर विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जो, उसकी राय में, इतना अत्यावश्यक या महत्व का है कि इसे वार्षिक

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एक स्थगित नही किया जाएगा। राज्य सरकार, आयुक्त की सिफारिश पर की गई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाई के ज्ञापन और सिफारिशों को स्वीकार न करने के कारणों, यदि कोई हो, के साथ वार्षिक और विशेष प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगी।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि राज्य आयुक्त (दिव्यांगता) ने 2017-18 और 2018-19 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तैयार और प्रस्तुत की लेकिन स.क.वि. ने **तालिका-2.5.3** में विवरण के अनुसार राज्य विधानमंडल में प्रतिवेदन नही रखी गयी।

तालिका-2.5.3: वार्षिक प्रतिवेदनों की स्थिति

क्र. सं.	वार्षिक प्रतिवेदन की अवधि	राज्य आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार
1.	2017-18	तैयार कर स.क.वि. को भेजा गया
2.	2018-19	तैयार कर स.क.वि. को भेजा गया
3	2019-20	प्रक्रियाधीन (जून 2021)
4	2020-21	प्रक्रियाधीन (जून 2021)

स्रोतः एससीपीडी द्वारा प्रदान की गई जानकारी

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि 2010-11 से 2017-18 तक के वर्षों की प्रतिवेदन संकलित की गई और संबंधित विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई, लेकिन कुछ विभागों से जवाब लंबित है। आगे यह कहा गया कि जवाब प्राप्त होने के बाद इन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

इस तरह की देरी सरकार द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन पर विधायी निरीक्षण को कमजोर करती है।

2.5.6.6 जिला स्तरीय समिति के गठन में देरी

दि.ज.अ. नियमावली 2018 के नियम 39 के साथ पठित अधिनियम की धारा 72 के अनुसार, राज्य सरकार को दिव्यांग जनों के पुनर्वास और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों पर जिला अधिकारियों को सलाह देने, अधिनियम और नियमों आदि के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए दिव्यांगता पर जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) का गठन करना था। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि एक डीएलसी (केन्द्रीय जिला) का गठन दिसंबर 2019 में अर्थात् अधिनियम के शुरू होने के दो साल से अधिक समय बाद किया गया था, और नौ अन्य का गठन दो साल बाद जून-अगस्त 2021 में किया गया। अक्टूबर 2021 तक, 11 में से 10 जिलों में डीएलसी का गठन किया गया। दक्षिण-पूर्व जिला में अब तक डीएलसी का गठन नहीं हुआ। डीएलसी के गठन में हुई देरी ने अधिनियम को उचित रूप से और कुशलता से लागू करने की स.क.वि. की क्षमता से समझौता किया।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि राज्य दि.ज.अ. नियमावली के अधिसूचना के बाद जून 2021 में संभागीय आयुक्त (राजस्व) से दिव्यांगता

पर डीएलसी गठित करने का अनुरोध किया गया था और दक्षिण-पूर्व जिला को छोड़कर सभी जिलों में डीएलसी का गठन किया जा चुका है और संबंधित जिलाधिकारी, से इसमें तेजी लाने का अनुरोध किया जा रहा था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियमों की अधिसूचना के बाद डीएलसी के गठन हेतु निर्देश जारी करने में दो वर्ष से अधिक की देरी हुई।

2.5.6.7 दिव्यांगजनों (दि.ज.) के लिए राज्य निधि का गठन नहीं किया गया

अधिनियम की धारा 88 (1) में प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए राज्य निधि कहे जाने वाले एक कोष का गठन इस प्रकार किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित करे। आगे, दिल्ली दि.ज.अ. नियमावली, 2018 का नियम 53 निर्धारित करता है कि राज्य कोष का उपयोग (क) उन क्षेत्रों में वित्तीय सहायता के लिए किया जाएगा जो विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की किसी योजना और कार्यक्रम के तहत सम्मिलित नहीं किए गए हैं; (ख) कोष के प्रशासनिक और अन्य खर्चे, जैसा कि अधिनियम द्वारा या उसके तहत किए जाने की आवश्यकता हो सकती है; और (ग) ऐसे अन्य उद्देश्य जो कोष के लिए गठित शासी निकाय द्वारा तय किए जाएँ, के लिए किया जाएगा।

दिव्यांग जनों के लिए राज्य कोष निधि का सृजन अधिनियम के लागू होने के चार साल से अधिक समय के बाद भी जनवरी 2022 तक नहीं किया गया है। यह दिव्यांगजनों के कल्याण के प्रति रा.रा.क्षे. दिल्ली की प्रतिबद्धता में कमी को दर्शाता है।

स.क.वि. ने जवाब दिया (जनवरी 2022) कि दिव्यांगजनों के लिए राज्य कोष की स्थापना के लिए कदम उठाए गए है।

2.5.6.8 कमजोर शिकायत निवारण तंत्र

(i) अधिनियम की धारा 80(बी) में प्रावधान है कि राज्य आयुक्त स्वतः संज्ञान से या अन्यथा दिव्यांग जनों के अधिकारों से वंचित और उन मामलों के संबंध में उनके लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों की जाँच करेगा, जिनके लिए राज्य सरकार उपयुक्त सरकार है और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उपयुक्त अधिकारियों के साथ मामले को उठाएगी। इसके अलावा दि.ज.अ. नियमावली, 2018 के नियम 49 (2) कहता है कि राज्य आयुक्त, शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की एक प्रति शिकायत में उल्लिखित विरोधी पक्ष या पक्षों को, मामले के अपने संस्करण को 30 दिनों की अवधि के भीतर या राज्य आयुक्त

द्वारा प्रदान की गई, ऐसी विस्तारित अवधि जो 15 दिनों से अधिक न हो, में प्रस्तुत करने का निर्देश देने के लिए संदर्भित करेगा। नियम 49 (8) यह भी कहता है कि राज्य आयुक्त, जहां तक संभव हो विरोधी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर शिकायत का फैसला करेंगे।

राज्य आयुक्त (दिव्यांगता) के कार्यालय में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गईः

(ii) दिव्यांगजनों से शिकायतों की प्राप्ति और निपटान की निगरानी के लिए कोई अलग शिकायत रजिस्टर नहीं रखा गया था। शिकायतों सहित प्राप्त सभी पत्रों और अन्य पत्राचार को एक ही डायरी (प्राप्ति/आवक पंजिका-समेकित) में दर्ज किया जाता है। अन्य शिकायतों के संबंध में लम्बित निर्णयों की निगरानी करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थीं। इसलिए, लेखापरीक्षा में शिकायतों/परिवादों का समय पर निपटान सत्यापित नहीं किया जा सका।

जवाब में, स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि शिकायत पंजिका को सावधानीपूर्वक और एक्सेल प्रारूप में भी बनाया जा रहा है और हर शिकायत को सभी विवरणों के साथ दर्ज किया जाता है। यह भी कहा गया कि शिकायतें सुलझाने वाले सभी अधिकारियों को सहायक डायरी बनाए रखने का निर्देश देते हुए एक परिपत्र जारी किया गया है और इसका अनुरक्षण संबंधित सहायकों द्वारा किया जा रहा है।

जवाब स्वीकार्य नही है क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि केवल एक संयुक्त डायरी पंजिका का अनुरक्षण किया जा रहा था और अलग शिकायत पंजिका के अनुरक्षण के संबंध में जवाब के साथ कोई सहायक दस्तावेज उपलब्ध नही कराया गया।

(iii) दिव्यांगजनों से फोन पर शिकायतें/परिवाद प्राप्त करने की प्रणाली अर्थात 24 घंटे हेल्प लाइन नंबर के संबंध में, कार्यालय ने कहा कि इसके लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रशासनिक सुधार विभाग से मांग की गई है।

इसके अलावा, स.क.वि. द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 68 दिनांक 25 मई 2000 के अनुसार, डीएसडीओ अपने संबंधित जिले का लोक शिकायत अधिकारी होता है और मुख्यालय को रिपोर्ट करने के साथ प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को अपने जिले से संबंधित सभी जन शिकायतों को सुनेगा।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि तीन चयनित जिलों में शिकायतों का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, रा.रा.क्षे.दि.स.,दिव्यांगों को एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने में विफल रही।

स.क.वि. से इस संबंध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

2.5.6.9 दिव्यांगजनों से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों की सामाजिक लेखापरीक्षा का अभाव

अधिनियम की धारा 48 में प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार दिव्यांग जनों को शामिल करने वाली सभी सामान्य योजनाओं और कार्यक्रमों का सामाजिक लेखापरीक्षा करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाओं और कार्यक्रमों का दिव्यांग जनों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

स.क.वि. द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इसने कोई सामाजिक लेखापीरक्षा नही की है और सूचित किया है कि मामला दिव्यांग जनों के राज्य आयुक्त को भेजा गया है। दिव्यांगता शाखा, स.क.वि. ने यह कहा (अक्टूबर 2021) कि यह लेखापरीक्षा के घटक को योजनाओं में शामिल करेगी।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि नव स्थापित आरटीई शाखा से दिव्यांगजनों से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों की सामाजिक लेखापरीक्षा करने का अनुरोध किया गया है तथा तैयार की जा रही योजनाओं में सामाजिक लेखापरीक्षा के घटक को शामिल किया जाएगा।

2.5.7 जागरूकता अभियान और उससे संबंधित गतिविधियों का आयोजन नहीं किया गया

अधिनियम की धारा 39 में प्रावधान है कि सरकार, राज्य आयुक्त के परामर्श से, अधिनियम के तहत प्रदान किए गए दिव्यांग जनों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान और संवेदीकरण कार्यक्रमों का संचालन, प्रोत्साहन, समर्थन या प्रचार करेगी। इसके अलावा, दिव्यांग जनों के अधिकारों को विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना था।

स.क.वि. द्वारा प्रदान की गई जानकारी/रिकॉर्ड के अनुसार, इसने समावेश, सहिष्णुता, समानुभूति और विविधता हेतु सम्मान के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम या अभियान नहीं चलाया है। इसी प्रकार, स.क.वि. ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में दिव्यांगजनों के अधिकारों को पाठ्यक्रम

में शामिल करने को सुनिश्चित करने के लिए, अधिनियम के प्रावधानों के बारे में संबंधित विभागों को पत्र भेजने के अलावा कोई कदम नहीं उठाया।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि दिव्यांग जनों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दिवस 2015 से मनाया जाता है और लोगों को समावेशन तथा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आवासों/संस्थानों की गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, दिसम्बर 2021 में विभिन्न हित धारकों के जागरूकता सृजन पर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पिछले 4 वर्षों से केवल एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था और समावेशन, सहिष्णुता, समानुभूति और विविधता के सम्मान के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम शूरू नहीं किया गया। इसके अलावा, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में पाठ्यक्रम में दिव्यांगों के अधिकारों को शामिल न करने के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया है।

2.5.8 दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए संस्थानों और संगठनों की अपर्याप्त निगरानी और निरीक्षण

समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश सं. 68 दिनांक 25 मई 2000 के अनुसार, जिला समाज कल्याण अधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ) अपने संबंधित जिलों के पर्यवेक्षी अधिकारी होंगे और अपने जिलों के भीतर सभी इकाइयों का नियमित निरीक्षण उनकी प्राथमिक उत्तरदायित्व होगी। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं निरीक्षण करें और अपना प्रतिवेदन निम्नानुसार मुख्यालय को भेजे:

i) माह में एक बार आश्रयों/संस्थानों का निरीक्षण करना तथा निर्धारित प्रारूपों में संयुक्त निदेशक प्रोग्राम को रिपोर्ट देना।

ii) माह में एक बार रात्रि में आश्रयों/संस्थानों का औचक निरीक्षण करना तथा निर्धारित प्रारूपों में संयुक्त निदेशक प्रोग्राम को रिपोर्ट देना।

तीन चयनित जिलों के अभिलेखों की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि 2017-21 के दौरान अपेक्षित 192 के विरूद्ध केवल नौ निरीक्षण पश्चिम जिले में किए गए थे। अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के तहत बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों, वाक् और श्रवण बाधित छात्रों और बौद्धिक रूप से क्षीण जनों से संबंधित आश्रयों/विद्यालयों या संस्थानों का दो जिलों (उत्तर-पश्चिम I और II) **(परिशिष्ट 2.5)** में कोई निरीक्षण नहीं किया गया।

दिव्यांगजनों की सेवा करने वाले संस्थानों की अपर्याप्त निगरानी दिव्यांगजनों के कल्याण के प्रति सरकार की शिथिलता को दर्शाता है।

विभाग ने कहा (जनवरी 2022) कि कई निरीक्षण/औचक निरीक्षण किए गए थे परन्तु अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया था तथा भविष्य में अभिलेखों का रखरखाव किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संयुक्त निदेशक को अग्रेषित किया जाएगा।

2.5.9 अनिवार्य अभिगम्य मानदंडों की गैर-अनुपालना

अधिनियम की धारा 41 से 46 और राज्य आयुक्त के दिनांक 26 नवंबर 2019 के आदेश में निर्धारित है कि उपयुक्त सरकार मौजूदा निर्मित वातावरण एवं परिवहन की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए, अन्य बातों के अलावा, एक कार्य योजना के तहत ऐसे नियमों की अधिसूचना की तिथि (15 जून 2022) से पांच वर्षों के भीतर उपयुक्त उपाय करेगी। इसके अतिरिक्त दिल्ली दि.ज.अ. नियमावली, 2018 के नियम 20 (1) (ए) में प्रावधान है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान सार्वजनिक भवनों के लिए मानकों का अनुपालन करेगा जैसा कि 2016 में भारत सरकार द्वारा जारी दिव्यांगजनों एवं बुजुर्गों के लिए बैरियर मुक्त निर्मित वातावरण के लिए समरूप दिशानिर्देशों और स्पेस मानकों में निर्दिष्ट है। इन प्रावधानों के कार्यान्वयन में कमियों की चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

2.5.9.1 अपर्याप्त निगरानी

एससीपीडी ने जुलाई 2017 में दिव्यांगजनों के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. में दुर्गम निर्मित वातावरण का स्वतः संज्ञान लिया था और शहरी विकास विभाग, दिल्ली नगर निगमों, दिल्ली छावनी बोर्ड तथा दिल्ली परिवहन निगम को नोटिस जारी किया था। नोटिसों पर प्रतिक्रिया की कमी के कारण एससीडीपी ने इस मामले पर सुनवाई की और प्रधान सचिव (शहरी विकास विभाग) की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों के लिए मौजूदा निर्मित वातावरण की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शहरी विकास विभाग द्वारा एक निगरानी समिति का गठन किया था। अक्टूबर 2017 से नवंबर 2019 की अवधि के दौरान नौ सुनवाई करने के बाद एससीपीडी ने इस संबंध में 26 नवंबर 2019 को अपने अंतिम आदेशों के माध्यम से कई निर्देश जारी किए।

उपरोक्त आदेशों के अनुसार निगरानी समिति के अध्यक्ष को कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन पर पिछली तिमाही में की गई प्रगति एवं भौतिक जांच

प्रतिवेदन को दर्शाते हुए सभी विभागों/एजेंसियों[12] की समेकित त्रैमासिक प्रतिवेदन (प्रत्येक तिमाही के बाद के महीने की 10 तारीख तक) एससीपीडी को प्रस्तुत करनी थी। हालांकि निगरानी समिति ने एससीपीडी को कोई त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं की। एससीपीडी ने यह भी पाया कि स.क.वि. द्वारा संचालित दिव्यांग जनों के 14 संस्थान एवं शिक्षा विभाग के नौ स्कूल दिव्यांगजनों[13] के लिए पूरी तरह से सुलभ नहीं थे। अतः सार्वजनिक अवसंरचना को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने के एससीपीडी के प्रयासों को सरकार की तरफ से पर्याप्त प्रयासों और प्रतिक्रिया की कमी के कारण कमजोर कर दिया गया।

स.क.वि. ने अपने जवाब (जनवरी 2022) में कहा कि ई-समीक्षा और प्रगति प्रतिवेदन के माध्यम से हर महीनें की स्थिति से सरकार को अवगत कराया जाता है। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के प्रकोप और प्रदूषण के कारण सर्दियों के महीनों के दौरान निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध के कारण; रेट्रोफिटिंग की प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई।

विभाग का जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को कोई प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके अलावा, छह महीने का कोविड लॉकडाउन और कुछ महीनों का निर्माण प्रतिबंध अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों को लागू करने में चार वर्ष से अधिक की देरी की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

2.5.9.2 पूजा स्थलों तक पहुँच को सुनिश्चित नही किया गया

एससीपीडी ने मई 2018 में सभी 11 जिलाधिकारियों को दिव्यांगजनों के लिए सभी पूजा स्थलों को सुलभ बनाने हेतु उचित कार्रवाई करने और दिव्यांगजनों के लिए पूजा स्थलों तक पहुंच तथा इसे सुलभ बनाने की समयसीमा के बारे में विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। एससीपीडी ने इन जिलों को दो अनुस्मारक और स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस भी जारी किया था। प्राप्त प्रतिक्रियाओं के अनुसार दिल्ली में कुल 2329 धार्मिक स्थलों में से केवल 547 (23.49 *प्रतिशत*) ही दिव्यागंजनों के लिए सुलभ थे। इसके अतिरिक्त, 11 जिलों में से केवल दो जिलों ने अपने अधिकार क्षेत्र के सभी धार्मिक स्थलों को दिव्यागंजनों के लिए सुलभ बनाने हेतु लक्ष्य की तिथियाँ दी थी। इस मामले पर पांच सुनवाई के बाद एससीपीडी ने सभी जिलों को संबंधित धार्मिक स्थलों के

[12] शहरी विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, निगम परिषद, डीडीए, पुलिस, परिवहन विभाग, डीयूएसआईबी, डीटीआईडीसीएल, डीएसआईआईडीसी, डीएसआईआईडीसी, आई एवं एफसीडी और शिक्षा विभाग

[13] 2017-18 से 2020-21 के दौरान किये गये निरीक्षणों में।

प्रबंधन के साथ इस मुद्दे को उठाने और सभी धार्मिक स्थलों को दो से तीन महीने के अंदर दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने के लिए उचित निर्णय जारी करने का आदेश दिया (अक्टूबर 2019)। जिलों द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी, निगरानी समिति द्वारा की जानी थी। अंतिम सुनवाई के अभिलेखों से यह देखा गया कि एससीपीडी द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद मई 2018 से अक्टूबर 2019 तक विभिन्न जिला अधिकारियों द्वारा कोई प्रगति की सूचना नही दी गई थी। एससीपीडी के अभिलेखों में एससीपीडी के आदेशों पर किसी भी कार्रवाई का कोई सबूत नहीं मिला और न अक्टूबर 2019 के बाद निगरानी समिति की कोई प्रतिवेदन ही मिली। इस प्रकार, रा.रा.क्षे.दि.स., दि.ज. के लिए पूजा स्थलों तक पहुँच सुनिश्चित करने में विफल रहा।

विभाग का जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

2.5.9.3 भारी व्यय के बावजूद चिन्हित भवनों को दि.ज. के लिए सुलभ नहीं बनाया गया है

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण विभाग (दि.ज.स.वि), भा.स. ने 3 दिसंबर 2015 को निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी तंत्र में दिव्यांगों की सार्वभौमिक पहुंच बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में सुलभ भारत अभियान (सु.भा.अ.) शुरू किया था।

दिव्यागंजनों के सशक्तिकरण विभाग ने अगस्त 2020 तक 19 चिन्हित भवनों को दिव्यांगों के लिए बाधा मुक्त बनाने हेतु वर्ष 2017-19 के दौरान स.क.वि. को ₹ 13.94 करोड़ भी जारी किये थे। लोक निर्माण विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. और दिल्ली जल बोर्ड द्वारा ₹ 10.68 करोड़ व्यय करने के बाद भी केवल एक भवन को दिव्यागंजनों के लिए सुलभ कराया गया है (जुलाई 2021) और अन्य भवनों में कार्य प्रगति पर था।

विभाग का जवाब प्रतिक्षित था (मई 2022)।

2.5.9.4 वेबसाइटों को दिव्यांगो के अनुकूल नही बनाया गया

अधिनियम की धारा 42 में परिकल्पना की गई है कि उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी कि ऑडियो, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपलब्ध सभी सामग्री सुलभ प्रारूप में हैं, दिव्यांग जनों के पास ऑडियो विवरण, सांकेतिक भाषा की व्याख्या और क्लोज कैप्शनिंग प्रदान करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुंच है तथा इलेक्ट्रॉनिक सामाज और उपकरण जो रोजमर्रा के उपयोग के लिए है, सार्वभौमिक डिजाइन में उपलब्ध है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि स.क.वि. द्वारा अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों को इसके अधिनियमन (सितंबर 2021) के बाद से पिछले चार वर्षों से लागू करने के लिए कोई उपाय नही किया गया है। यह भी देखा गया कि रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न विभागों की वेबसाईटों ने ऑडियो विवरण, सांकेतिक भाषा की व्याख्या और क्लोज कैप्शनिंग प्रदान नहीं की, जैसा कि अधिनियम के तहत परिकल्पित है

विभाग का जवाब प्रतीक्षित है (मई 2022)।

2.5.10 दिव्यांगजनों की पहचान नहीं की गई

2.5.10.1 दिव्यांगजनों की जनसंख्या पर कोई आंकड़ा नहीं

(i) सभी लाभार्थियों की पहचान यह सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है कि सभी पात्र जनों को किसी भी योजना के तहत अनिवार्य सेवाएं और लाभ प्रदान किए जाने हैं। यह देखा गया कि स.क.वि. के पास दिल्ली में दिव्यागं जनों पर कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं था क्योंकि इसने दिल्ली में दिव्यागं जनों की गणना के लिए कोई सर्वेक्षण नही किया था। राज्य सलाहकार बोर्ड ने अपनी पहली बैठक (अप्रैल 2021) में भी राज्य सरकार को दिव्यागं जनों के लिए सतही सर्वेक्षण करने की सलाह दी थी। सरकार के पास केवल 2011 की जनगणना का आंकड़ा उपलब्ध था, जो कि कम था क्योंकि इसमें केवल सात प्रकार की अक्षमताओं को वर्गीकृत किया गया था जबकि अधिनियम 21 विभिन्न श्रेणियों की अक्षमताओं को मान्यता देता है। दिव्यागं जनों पर डेटा के अभाव में सरकार की विभिन्न योजनाओं और उनके लिए कल्याणकारी उपायों को तैयार करने, संसाधन आवश्यकताओं का अनुमान लगाने और एक कार्य योजना तैयार करने की क्षमता को सीमित कर दिया।

इंगित किये जाने पर, स.क.वि. ने कहा (अक्टूबर 2021) कि इस संबंध में एक प्रस्ताव रखा जा रहा है।

(ii) अधिनियम की धारा 17 में निर्धारित है कि उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण दिव्यांग बच्चों की पहचान करने, उनकी विशेष जरूरतों का पता लगाने और उन्हें किस हद तक पूरा किया जा रहा है, इसका पता लगाने के लिए हर पांच साल में स्कूल जाने वाले बच्चों का सर्वेक्षण करेंगे। पहला सर्वेक्षण अधिनियम के लागू होने की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर अर्थात् अप्रैल 2019 तक किया जाना था। हालाँकि, सरकार ने स्कूल जाने वाले दिव्यांग बच्चों की पहचान के लिए ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है, जिससे उनकी विशेष जरूरतों को पूरा करने में असफल रही।

इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत् सरकार को दिव्यांगों के स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ावा देने और दिव्यांगता की घटना को रोकने के लिए उपाय करना और योजनाएं तथा कार्यक्रम बनाना था। इस उद्देश्य के लिए सरकार को "जोखिम वाले" मामलों की पहचान करने के उद्देश्य से दिव्यांग होने के कारणों से संबंधित सर्वेक्षण जांच और अनुसंधान करना था और वर्ष में कम से कम एक बार सभी बच्चों की स्क्रीनिंग करनी थी।

अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा "दिव्यांगजनों के सर्वेक्षण" पर 76वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के राज्य नमूने का एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण प्रतिवेदन जुलाई 2021 में ही सामने आई गई थी और सरकार ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नही की। इस प्रकार, अधिनियम के लागू होने के चार वर्षों के बाद भी सरकार ने दिव्यांगता की घटना और उसे रोकने के संबंध में कोई जांच या शोध नही किया। इसने "जोखिम" वाले मामलों की पहचान करने के लिए सभी बच्चों की स्क्रीनिंग भी नहीं की।

सं.क.वि. ने जवाब दिया कि भा.स. ने दिव्यांग की गणना को जनगणना में शामिल करने के लिए जनगणना आयोग को लिखा है तथा स.क.वि. ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और शिक्षा विभाग को दिव्यांग का एक सतही सर्वेक्षण करने के लिए दिव्यांग मतदाताओं/छात्रों का डेटा साझा करने के लिए भी कहा है। जवाब इंगित करता है कि विभाग ने दिल्ली में सभी दिव्यागंजनों की पहचान के लिए कोई कार्रवाई नहीं किया।

2.5.10.2 भारत सरकार की यूडीआईडी योजना के कार्यान्वयन में अनुचित देरी

अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से यूडीआईडी (अद्वितीय दिव्यांग पहचान पत्र) परियोजना शुरू की। यूडीआईडी परियोजना के तहत, प्रत्येक दिव्यागं जनों को यूडीआईडी जारी किए जाने थे जो लाभ वितरण की भौतिक और वित्तीय प्रगति को ट्रैक करने में मदद करेगा। यह पारदर्शिता, डेटा की ऑनलाइन उपलब्धता दिव्यांग जनों के डेटा के दोहराव को रोकने और अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रभावी प्रबंधन के लिए दिव्यांग जनों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस भी बनाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि रा.रा.क्षे. दिल्ली में यूडीआईडी कार्डस जारी होना मई 2019 में शुरू हुई थी और स.क.वि. ने सितंबर 2021 तक कुल दिव्यांग आबादी 2.35 लाख (जनगणना 2011 के अनुसार) के विरूद्ध केवल 7938 कार्ड जारी किए हैं। यह एक अस्वीकार्य स्थिति है और रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा पूरी तरह से जांच की जरूरत है और यूडीआईडी परियोजना को लागू

नहीं करने के लिए जिम्मेदारी तय की जा सकती है अन्यथा दिव्यांगजनों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती थी।

जवाब में स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.द्वारा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए पात्र अस्पताल को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही यूडीआईडी कार्ड जारी किया जा सकता है और सभी अस्पतालों को एक समय में दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों के लंबित कार्यों को एक समयबद्ध चरण में पूरा करने का निर्देश दिया गया था। इसके अतिरिक्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अस्पतालों की सूची को अंतिम रूप देने में विलम्ब भी सरकार के कारण थी।

2.5.10.3 विशेष दिव्यांगता शिविरों एवं सामान्य दिव्यांगता शिविरों का गैर-आयोजन/कम आयोजन

अधिनियम की धारा 39 के अनुसार, उपयुक्त सरकार, राज्य आयुक्त के परामर्श से, इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान और संवेदीकरण कार्यक्रमों का संचालन, प्रोत्साहन, समर्थन या प्रचार करेगी। स.क.वि., दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत सामान्य दिव्यांगता शिविर आयोजित करता है जहां अधिकृत अस्पतालों द्वारा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, डीसी कार्यालय द्वारा पहचान-पत्र, डीटीसी पास आदि दिव्यांगजनों को जारी किए जाते हैं। यह दिव्यांगों के शैक्षिक और व्यावसायिक पुनर्वास के लिए सहायता एवं उपकरणों और सेवाओं के वितरण के लिए विशेष दिव्यांगता शिविर भी आयोजित करता है।

लेखापरीक्षा के दौरान, एनपीआरपीडी योजना में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:-

(i) 2017-18, 2018-19 और 2020-21 के दौरान विभाग द्वारा सामान्य या विशेष शिविर आयोजित नहीं किए गए।

(ii) वर्ष 2019-20 में 12 के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र पांच सामान्य दिव्यांगता शिविर आयोजित किये गये जबकि कोई विशेष शिविर आयोजित नहीं किये गये।

(iii) शिविरों के आयोजन में कमी के कारण, विभाग वर्ष 2017-21 के बजट आवंटन ₹ 131.00 लाख का पूरा उपयोग नहीं कर सका और इस आवंटन में से केवल ₹ 5.34 लाख का ही उपयोग किया गया।

जवाब में, विभाग ने कहा (जून 2021 और जनवरी 2022) की दिव्यांगता के संबंध में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अस्पतालों को नामित

करने वाला परिपत्र मई 2019 में ही जारी किया गया था। इसलिए दिव्यांगता शिविरों का आयोजन 2019-20 में ही किया जा सका। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के अचानक फैलने के कारण फरवरी 2020 तक केवल पाँच शिविरों का ही आयोजन किया जा सका। आगे कहा गया कि दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और यूडीआईडी कार्डस् जारी करने के लिए नामित अस्पतालों में 30 यूडीआईडी शिविर/सामान्य दिव्यांगता शिविर आयोजित करने के लिए कदम उठाए जा रहे है।

विभाग का जवाब मान्य नही है क्योंकि दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अस्पतालों को नामित करने में देरी विभाग और रा.रा.क्षे.दि.स. के कारण था और दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अस्पतालों को नामित करने के बाद भी फरवरी 2020 तक केवल पाँच शिविरों का ही आयोजन किया गया। उसके बाद भी, जनवरी 2022 तक पूर्ण कोविड-19 अनलॉक होने के बाद भी कोई शिविर आयोजित नहीं किया गया।

2.5.11 दिव्यांगजनों के लिए शैक्षणिक अवसर सुनिश्चित नहीं किए गए

2.5.11.1 समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए दिव्यांगजनों के लिए विशेष स्कूलों में प्रचलित दयनीय स्थिति

स.क.वि., रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा संचालित और प्रबंधित दिव्यांग छात्रों के लिए सात विशेष स्कूल है। इन सात विशेष स्कूलों में से पांच वाक् और श्रवण बाधित छात्रों के लिए थे, एक दृष्टिबाधित छात्रों (लड़कों) के लिए और एक बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए। रा.रा.क्षे. दिल्ली में दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए कोई विशेष स्कूल नहीं है। इन सात विशेष स्कूलों में से चार विशेष स्कूल विस्तृत लेखापरीक्षा जांच के लिए चुने गए थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विशेष स्कूलों[14] द्वारा प्रदान की जाने वाली शर्ते, सुविधाएं और सेवाएं संतोषजनक नहीं थीं। आगे, स्कूल भवन और परिसर की आधारभूत संरचना क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया था जैसा कि आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

(i) अन्य कार्यालयों द्वारा स्कूल भवनों का उपयोग

चुने गए सभी चार विशेष स्कूलों के अपने-अपने स्कूल भवन और परिसर हैं। हालांकि, यह देखा गया कि स्कूल भवनों पर समाज कल्याण विभाग और

[14] मूक और बधिर के लिए सरकारी लेडी नॉयस सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, दिल्ली गेट, मूक और बधिर के लिए मिडिल स्कूल, (एन.पी.एस.डी.) रोहिणी, नेत्रहीन छात्रों के लिए सीनियर सैकेण्डरी स्कूल सेवा कुटीर काम्पलैक्स तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के लिए स्कूल, मयूर विहार।

महिला एवं बाल विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न कार्यालयों का भी कब्जा था जैसा कि **तालिका-2.5.4.** में दिया गया है।

तालिकाः-2.5.4. स्कूल भवनों से संचालित कार्यालयों का विवरण

क्र. स.	स्कूल का नाम और पता	भवन में अन्य कार्यालय	टिप्पणियां
1.	मूक एवं बधिर के लिए गवर्नमेंट लेडी नॉयस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली गेट	भवन में स.क.वि. के कार्यालय भी हैं।	स्कूल में प्री-प्राइमरी से लेकर बारहवीं तक के 528 छात्र पढ़ रहे हैं। वर्ग कक्षों की कमी के कारण 9 से 12वीं तक की कक्षाएँ 96 से 113 छात्र होने के बावजूद एक-एक कमरे में चल रहे थे। इसके अलावा, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, ड्राइंग क्लासरूम, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कॉमन रूम आदि के लिए जगह की कमी थी।
2.	मूक एवं बधिर के लिए गवर्नमेंट मिडिल स्कूल (एनपीएसडी), रोहिणी	भवन से चार कार्यालय कार्य कर रहे हैं अर्थात् दो जिला समाज कल्याण कार्यालयों और महिला एवं बाल विकास के कार्यालय	अन्य कार्यालयों की उपस्थिति के कारण भवन की चार मंजिलों के 39 कमरों में से प्रथम तल पर केवल 12 कमरे स्कूल चलाने और एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा दिव्यांग छात्र के प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध थे। इसके कारण 211 छात्रों को पढ़ाने के लिए केवल सात कमरे उपलब्ध थे और सात कमरों में 12 कक्षाओं (नर्सरी के लिए चार और कक्षा एक से आठ के लिए आठ) को समायोजित किया जा रहा था। इसलिए, एक कमरे में कम से कम 35 छात्रों के साथ एक साथ दो कक्षाएं संचालित की जा रही थीं। यह भी नोट किया गया कि प्रत्येक कक्षा वास्तव में केवल दस छात्रों के लिए डिजाइन की गई थी।
3.	नेत्रहीन लड़कों के लिए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेवा कुटीर कॉम्पलेक्स, किंग्सवे कैंप	कोई अन्य कार्यालय नहीं	कक्षा एक से बारहवीं तक के 131 छात्रों के ठहरने के लिए तीन हॉल और एक कमरा उपलब्ध था। इस प्रकार एक कमरा/हॉल में एक साथ तीन से चार कक्षाएं संचालित की गई।
4.	मानसिक रूप से मंद बुद्धि के बच्चों के लिए स्कूल, मयूर विहार (बधिरों के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय भी इमारत से संचालित होता है)।	भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग के छह कार्यालय भी हैं	दो स्कूलों के लिए जगह की कमी के कारण भवन को छह अन्य कार्यालयों द्वारा कब्जा कर लिया गया।

स्रोतः स.क.वि. के तहत विशेष स्कूल अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना

उसी भवन में जहां दिव्यागंजनों के लिए स्कूल चल रहे हैं, अन्य कार्यालयों का कामकाज इन बच्चों की शिक्षा और विकास के लिए अनुकूल नहीं है, इसके अलावा, स्कूलों के लिए जगह कम है। ये बच्चे कई मायनों में असुरक्षित हैं और इसलिए अन्य कार्यालय कर्मचारियों और आगंतुकों के साथ उनके शौचालय, पीने के पानी, कोरिडोर, सीढ़ियों, पूरे भवन/परिसर के प्रवेश द्वार आदि को साझा करना शारीरिक और भावनात्मक संकट के जोखिम से भरा है।

स.क.वि ने जवाब दिया (जनवरी 2022) कि जीएलएनएस परिसर में स.क.वि. मुख्यालय और रोहिणी, कालकाजी और मयूर विहार स्थित स्कूल से संचालित अन्य कार्यालयों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(ii) असुरक्षित भवन से स्कूल का संचालन

नेत्रहीन लड़कों के लिए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीएसएसएसबीबी, सेवा कुटीर एक भवन से संचालित हो रहा था जिसे वर्ष 2018 में लोक निर्माण विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। हालांकि, स्कूल की इमारत को न तो मजबूत/नवीनीकरण किया गया था और न ही स्कूल को सितंबर 2021 तक सुरक्षित भवन में स्थानांतरित किया गया था तथा स्कूल अभी भी असुरक्षित इमारत में काम कर रहा था जो छात्रों के जीवन के लिए खतरनाक है।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि इस संबंध में लो.नि.वि/जीएसएसएसबीबी से अभिलेख मांगे जा रहे हैं और लो.नि.वि. के प्रतिवेदन के अनुसार जिला सम्पदा अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

(iii) स्कूलों में नियमित प्राचार्य का न होना

चार चयनित स्कूलों में से तीन का नेतृत्व एक प्रधानाचार्य द्वारा किया जाना था, जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित श्रेणी के दिव्यागं जनों के शिक्षकों के लिए मास्टर डिग्री/डिप्लोमा के साथ में दिव्यागंजनों के शिक्षण संस्थान में 10 साल के शिक्षण का अनुभव भी हो। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि मूक एवं बधिरों के लिए गवर्नमेंट लेडी नॉयस सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लेडी नॉयस स्कूल) में प्राचार्य का पद 2018-19 से खाली पड़ा था। जून 2021 में, एक सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाध्यापक को जिनके पास आवश्यक योग्यता नहीं थीं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य (शैक्षणिक) के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। इसी प्रकार सेवा कुटीर स्कूल में नियमित प्राचार्य का पद रिक्त था तथा विभाग का एक अधिकारी जिसके पास पर्याप्त योग्यता नहीं थी, प्राचार्य (शैक्षणिक) के पद पर पदस्थापित था। यह भी देखा गया कि विभाग की नियमावली में प्राचार्य (शैक्षणिक) के पद का प्रावधान नहीं था।

स.क.वि. ने जवाब दिया (जनवरी 2022) कि मौजूदा भर्ती नियमों में संशोधन हेतु संघ लोक सेवा आयोग को उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जा रहा

है और अंतरिम व्यवस्था के रूप में, शिक्षा विभाग से प्राचार्यों को डायवर्टेड क्षमता पर तैनात करने का अनुरोध किया गया है।

(iv) स्कूलों में शिक्षण व अन्य स्टाफ की कमी

लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा के लिए चयनित सभी चार विशेष स्कूलों में शिक्षण एवं अन्य कर्मचारियों की अत्यधिक कमी थी।

क) लेडी नॉयस स्कूल - स्कूल में 528 छात्र हैं और 2020-21 के दौरान 79 शिक्षकों की स्वीकृत संख्या के विरूद्ध केवल 29 शिक्षक (63 *प्रतिशत* की कमी) पदस्थापित थे। अन्य कर्मचारियों के संबंध में, 49 की स्वीकृत संख्या के विरूद्ध केवल 32 व्यक्ति उपलब्ध थे।

ख) मूक एवं बधिर के लिए गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, रोहिणी (मिडिल स्कूल, रोहिणी) - स्कूल में 211 छात्र हैं और आवश्यक 20 शिक्षकों के विरूद्ध केवल आठ शिक्षक (60 प्रतिशत की कमी) तैनात थे। स्कूल में आठ गैर-शिक्षण कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या है, लेकिन आया और बस परिचारक के पद 2017-18 से खाली है।

ग) जीएसएसएसबीबी- स्कूल में 100 छात्रों की क्षमता के विरूद्ध 131 छात्र हैं, जबकि 22 शिक्षकों की स्वीकृत संख्या के विरूद्ध केवल 13 शिक्षक (नियमित-6, संविदा -4 और आउटसोर्स/गेस्ट-3)(40 प्रतिशत की कमी)उपलब्ध थे। चूंकि यह एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसलिए विभिन्न विषयों के लिए विशेष शिक्षकों की उपलब्धता महत्वपूर्ण थीं। हालांकि, गणित, विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत, शिल्प और हिंदी के शिक्षक नहीं थे।

घ) मानसिक रूप से मंद बुद्धि बच्चों के लिए स्कूल (एसएमआरसी), मयूर विहार में 50 छात्रों की क्षमता के विरूद्ध 54 छात्र हैं। दो टीजीटी शिक्षक एवं एक बेसिक शिक्षक के स्वीकृत पद थे और सभी तीनों स्वीकृत पद वर्ष 2017-18 से रिक्त थे। नियमित बेसिक शिक्षक के बदले एक गेस्ट शिक्षक कार्यरत था। अन्य कर्मचारी की भी कमी थी क्योंकि (2020-21 के दौरान) 9 की स्वीकृत संख्या में से केवल एक व्यक्ति को तैनात किया गया था। यह भी देखा गया कि चपरासी, आया, चौकीदार, रसोइया और हेल्पर के पद 2017-18 से खाली हैं।

पर्याप्त शिक्षण और अन्य कर्मचारियों का अभाव स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की उचित शिक्षा के लिए नुकसानदेह है। उनके शैक्षिक विकास को सीमित करने एवं सहायक कर्मचारियों का अभाव भी बच्चों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में

कठिनाइयाँ पैदा करती है। स्कूलों में आया का अभाव छात्राओं के लिए समस्याएँ पैदा करती है, जिन्हें किसी मदद की आवश्यकता होने पर महिला शिक्षकों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। इनमें से कई बच्चों की विशेष जरूरतें हैं। एसएमआरसी में कर्मचारियों की कमी को भी दिव्यांग जनों के राज्य आयुक्त द्वारा फरवरी 2021 की अपनी अवलोकन प्रतिवेदन में इंगित किया गया था, लेकिन स.क.वि. द्वारा उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई (सितंबर 2021)।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि इन रिक्त पदों को भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को मांग-पत्र भेजा गया है।

(v) स्कूल प्रबंधन समिति का गठन न होना

दिल्ली के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 3 के अनुसार, प्रत्येक स्कूल में कम से कम 16 सदस्यों वाली एक स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) का गठन किया जाना था, जिसमें 75 प्रतिशत सदस्य छात्रों के माता-पिता या अभिभावकों में से होने थे। दिव्यांगों के लिए विशेष स्कूलों में ऐसी समिति बच्चों के सामने आने वाली विभिन्न कठिनाइयों को दूर करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। हालांकि, यह देखा गया कि समिति का गठन केवल चयनित चार विशेष स्कूलों में से एक (मिडिल स्कूल, रोहिणी) में किया गया था, वह भी जुलाई 2021 में।

जवाब में, स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि एसएमसी की स्थापना दो स्कूलों अर्थात लेडी नॉयस स्कूल और एसएमआरसी मयूर विहार में की गई है और शेष स्कूलों में एसएमसी स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

(vi) अपर्याप्त आईटी सिस्टम और कम्प्यूटर

चार चयनित स्कूलों में से तीन में केवल एक कंप्यूटर सिस्टम था जो कि कार्यालय के काम के अलावा दिव्यांग छात्रों के लिए आईटी सिस्टम और प्रौद्योगिकी को सुलभ बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेडी नॉयस स्कूल में 528 छात्रों के लिए चार इंटरनेट टर्मिनल थे। इसके अतिरिक्त, एसएमआरसी का कंप्यूटर लंबे समय से काम नहीं कर रहा था। इसलिए, इन तीन स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के पास कंप्यूटर या आईटी सिस्टम तक पहुंचने के कौशल के बारे में वस्तुतः कोई अनुभव नहीं था। स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि लेखापरीक्षा अवलोकन को भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है।

(vii) वर्दी और किताब सब्सिडी के भुगतान में विलंब

वर्दी और किताब सब्सिडी वाक् एवं श्रवण बाधित छात्रों को किताबें और वर्दी की खरीद के लिए भुगतान किया जाता है। चूंकि शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत में

किताबें और वर्दी की आवश्यकता होती है, इसलिए सब्सिडी का समय पर भुगतान महत्वपूर्ण है। लेखापरीक्षा ने, 2018-19 को छोड़कर, छात्रों को इस सब्सिडी की प्रक्रिया और भुगतान में विलंब पाया। शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए सब्सिडी का भुगतान अगस्त 2018 में किया गया था जबकि वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए सब्सिडी का भुगतान केवल मार्च 2021 में किया गया था। सब्सिडी के भुगतान में विलंब से छात्रों को किताबें और वर्दी खरीदने में मदद करने के उद्देश्य को विफल कर दिया।

स.क.वि. ने अपने जवाब (जनवरी 2022) में कहा कि 2017-18 में सब्सिडी के भुगतान में विलंब कई छात्रों के दिल्ली से बाहर रहने और उनके खातों की अनुपलब्धता के कारण था। 2020-21 में हुई विलंब को बैंक में पीएफएमएस खाता खोलनें के अलावा खातों में त्रुटि और छात्रों के डेटा में तकनीकी समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। दिसम्बर 2021 में राशि संवितरण की प्रक्रिया चल रही थी। तथ्य यह है कि किसी भी छात्र को समय पर सब्सिडी का भुगतान नहीं किया गया। जवाब में, 2019-20 के लिए सब्सिडी के भुगतान में विलंब का कोई कारण नहीं बताया गया।

(viii) सुरक्षित पेयजल और शौचालय की अनुपलब्धता

नमूना जांच किए गए चार में से तीन स्कूलों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं था। लेडी नॉयम स्कूल में तीन वाटर प्यूरीफायर और वाटर कुलर लगाए गए थे, लेकिन फरवरी 2021 में स्कूल खुलने के बाद से उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा था। भवन की पहली मंजिल में कार्यरत मिडिल स्कूल, रोहिणी में पीने के पानी की अपनी व्यवस्था नहीं थी और मजबूरन छात्र भवन के भूतल पर लगे वाटर कूलर का उपयोग करने को बाध्य थे। जीएसएसएसबीबी में भी पीने का साफ पानी नहीं था क्योंकि प्यूरीफायर सिस्टम काम नहीं कर रहा था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि चार चयनित विशेष स्कूलों में से किसी में भी दिव्यांग बच्चों के लिए अनुकूल शौचालय उपलब्ध नहीं थे।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) की लेखापरीक्षा अवलोकन को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

(ix) गंदा और अस्वच्छ स्कूल परिसर

यह पाया गया, कि नमूना जांच किए गए सभी चार विशेष स्कूलों में परिसर गंदा और अस्वच्छ स्थिति में था।

लेडी नॉयस स्कूल परिसर में, जिसमें लड़कों और लड़कियों के छात्रावास भी हैं, स्कूल के परिसर में निर्माण अपशिष्ट और कूड़ा-कर्कट पड़ा हुआ था। यहाँ

मलबा के चारों ओर जंगली पेड़-पौधे और झाड़ियाँ थीं, जो सांपों से ग्रसित थीं। स्कूल परिसर में बाहर निकले हुए लोहे की छड़ों के साथ गड्ढे थे, क्योंकि कुछ निर्माण बीच में ही छोड़ दिया गया था। यह विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए एक संभावित खतरा है।

चित्र 1: लेडी नॉयस स्कूल परिसर में जंगली पेड़-पौधे और कुड़ा-कर्कट

मिडिल स्कूल, रोहिणी, लेखापरीक्षा के दौरान विद्यालय परिसर सीवर के पानी से भरा हुआ पाया गया, जो मुख्य सड़क में सीवर की रूकावट के कारण बताया गया। इसके अतिरिक्त, विद्यालय भवन के मुख्य प्रवेश द्वार कर्मचारियों और भवन में छः अन्य सार्वजनिक कार्यालयों के बाहरी लोगों/आगंतुकों द्वारा पार्क किए गए वाहनों से अवरूद्ध पाया गया।

जीएएएसएसबीबी में कई स्थानों पर विद्यालय और छात्रावास परिसर के अंदर फेंके गए पुराने गद्दे और कूड़ा-कर्कट के कारण गंदगी थी, जिससे दुर्गंध आ रही थी और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो गया था। छात्रावास का परिसर बहुत गंदा था, तथा सीढ़ियाँ और दीवारें पान और गुटखे के थूक से गंदी थीं। स्कूल परिसर में कूड़ेदान/डस्टबिन नहीं थे।

एसएमआरसी को विद्यालय भवन के पीछे हॉल की छत और खेल के मैदान पर जलजमाव की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिससे यह अस्वच्छ हो गया था। 2018-19 से 2020-21 के दौरान एसएमआरसी द्वारा लोक

निर्माण विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. और स.क.वि. को कई पत्र लिखे गए लेकिन इन मुद्दों के समाधान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

स.क.वि. ने जवाब दिया (जनवरी 2022) कि लेखापरीक्षा के दौरान भारी बारिश हुई थी जिसके कारण उस क्षेत्र में जल जमाव हो गया था जो एमसीडी द्वारा अवरोध खोले जाने के बाद निकला। हालांकि, परिसर में पड़े हुए निर्माण कचरें, झाड़ियों, पुराने गद्दे और अन्य कचरे के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

(x) दिव्यांग छात्रों के लिए परिवहन सुविधा की अनुपलब्धता/कम उपलब्धता

दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 16 (viii) के अनुसार, सरकार द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थान दिव्यांग बच्चों को परिवहन की सुविधा प्रदान करेंगे। चार चयनित विशेष विद्यालयों में से जीएसएसएसबीबी पूर्णतः आवासीय था। लेडी नॉयस विद्यालय कक्षा में आने के लिए केवल पांचवीं कक्षा तक के छात्रों को परिवहन की सुविधा प्रदान करता है और छठी से बारहवीं कक्षा के छात्रों को यह सुविधा नहीं है। मध्य विद्यालय, रोहिणी में तीन बसों की आवश्यकता के विरूद्ध 211 छात्रों के परिवहन के लिए केवल एक बस है, जिसके कारण केवल प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा प्रदान की गई थी।

अपने जवाब में, स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि यदि मध्य विद्यालय, रोहिणी के विद्यार्थियों के माता-पिता परिवहन सुविधा के लिए विद्यालय से पहल करें तो स्कूल बसें उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेडी नॉयस विद्यालय के संबंध में कहा गया कि मामला सक्षम प्राधिकारी को भेज दिया गया है और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम के अनुसार परिवहन सुविधा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था।

(xi) स्कूलों में शिक्षण सहायक सामग्री की अनुपलब्धता

अधिनियम की धारा 17 (जी) के तहत समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले विशिष्ट उपायों के हिस्से के रूप में, सरकार को दिव्यांग छात्रों को 18 साल के उम्र तक मुफ्त में किताबें, अन्य शिक्षण सामग्री और उपयुक्त सहायक उपकरण प्रदान करना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि लेडी नॉयस विद्यालय में समूह श्रवण यंत्र काम नहीं कर रहा था जबकि मध्य विद्यालय, रोहिणी में उपकरण उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त, जीएसएसएसबीबी कॉम्पलेक्स में प्रभावी शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षण सामग्री और उपकरण उपलब्ध नहीं थे। स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि अवलोकन का भविष्य में अनुपालन करने हेतु नोट कर लिया गया है।

(xii) स्कूलों में भीड़भाड़

नमूना जांच किए गए चार विशिष्ट विद्यालयों में से तीन में बच्चों की अधिक भीड़ थी। एसएमआरसी में वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान 50 की क्षमता के मुकाबले 54 से 65 के बीच छात्र थे और इसलिए, उन्होंने इस अवधि के दौरान बच्चों के नए प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित नहीं किए। स्कूल की ओर से कहा गया कि तब भी जो स्कूल में दाखिले के लिए आते थे उन्हें योग्यता के आधार पर ही माना जाता, इस प्रकार सभी दिव्यांग छात्रों को जगह की कमी के कारण प्रवेश नहीं दिया गया।

जीएसएसएसबीबी में वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान 100 की क्षमता के मुकाबले 121 से 153 छात्र थे। इसी तरह, मध्य विद्यालय, रोहिणी में, उक्त अवधि के दौरान 180 की क्षमता के मुकाबले छात्रों की संख्या 211 से 236 के बीच था।

इस प्रकार, शिक्षा की आवश्यकता वाले सभी दिव्यांगजनों के लिए विद्यालय के पास पर्याप्त क्षमता नहीं था।

जहाँ तक एसएमआरसी का संबंध है, स.क.वि. द्वारा कहा गया (जनवरी 2022) कि अवलोकन को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है। यह भी कहा गया है कि सेवा कुटीर विद्यालय में अधिक जगह बनाने के लिए विद्यालय और हॉस्टल को अब अलग-अलग कर दिया गया है।

(xiii) शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति में देरी

अधिनियम की धारा 16 में प्रावधान है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थान दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करेंगे। शिक्षा निदेशालय (शि.नि.), रा.रा.क्षे.दि.स. ने अपने आदेश दिनांक 4 जून 2018 के माध्यम से सरकारी विद्यालयों के प्रमुखों और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि विशेष शिक्षा के लिए शिक्षक (एसईटी) समावेशी शिक्षा से संबंधित कार्य में लगे हुए हैं। डब्ल्यूपी(सी) सं. 6771/2008 के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी स्कूलों को छः महीने के भीतर दिल्ली के प्रत्येक स्कूल में दो विशेष शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था (16 सितम्बर 2009)।

शि.नि. से उनके अधीन विद्यालयों की कुल संख्या और इन स्कूलों में तैनात एसईटी की संख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। जवाब में,

शि.नि. ने 2020-21 के दौरान सरकारी विद्यालयों में एसईटी की रिक्ति की स्थिति प्रस्तुत की जिसका विवरण **तालिका-2.5.5**. में दिया गया है।

तालिका-2.5.5: 2020-21 में शि.नि. के अंतर्गत विद्यालयों में एसईटी की रिक्ति की स्थिति

विद्यालयों की श्रेणी	स्वीकृत पद	पदस्थापित व्यक्ति	रिक्ति (प्रतिशतता)
प्राथमिक	शून्य	शून्य	लागू नहीं
माध्यमिक	1757	721	1036 (59)
सीनियर सेकेंडरी	301	0	301 (100)

स्रोतः शिक्षा निदेशालय रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

जैसा कि देखा जा सकता है कि प्राथमिक और सीनियर सेकंडरी स्कूलों में कोई एसईटी नहीं था जबकि सेकेंडरी स्कूलों में एसईटी के 59 *प्रतिशत* पद 2020-21 की अवधि में खाली पड़े थे। इस प्रकार, शि.नि. उच्च न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों के बावजूद अधिनियम के तहत परिकल्पित उनके अधीन विद्यालयों के दिव्यांग छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने में विफल रहा।

शि.नि. ने कहा (अक्टूबर 2021) कि 450 प्राथमिक शिक्षक (एसईटी) बनाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। जहां तक प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी)- एसईटी का संबंध है, यह कहा गया है कि टीजीटी-एसईटी के 978 पदों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम प्रतीक्षित था। इसके अतिरिक्त, 268 टीजीटी-एसईटी को जनवरी 2021 में (स्नात्कोत्तर शिक्षक) (पीजीटी)-एसईटी के रूप में पदोन्नत किया गया था।

2.5.11.2 दिव्यांग छात्रों के लिए अपर्याप्त छात्रावास सुविधाएँ

(i) दिव्यांग छात्रों के लिए खराब स्थिति के छात्रावास

दिव्यांग छात्रों के लिए समाज कल्याण विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा संचालित और प्रबंधित चार छात्रावास[15] हैं। दो लेडी नॉयस स्कूल में एक लड़कों के लिए और एक लड़कियों के लिए तथा दो सेवा कुटीर परिसर में एक सेवा कुटीर स्कूल के छात्रों के लिए और एक कॉलेज जाने वाले दृष्टिबाधित लड़को के लिए। लेखापरीक्षा ने छात्रावास प्राधिकारियों के साथ इन छात्रावासों का संयुक्त निरीक्षण किया। पायी गई कमियाँ आगामी पैराग्राफ में दी गई है।

[15] कॉलेज जाने वाले नेत्रहीन छात्रों (लड़कों) के लिए छात्रावास, सेवा कुटीर, नेत्रहीन लड़कों के लिए सरकारी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में छात्रावास सेवा कुटीर (एचजीएसएसएसबी), सरकारी लेडी नॉयस सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में मूक बधिर लड़कियों के लिए छात्रावास (जीएचजीएलएनएस) सरकारी लेडी नॉयस सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में मूक बधिर लड़कों के लिए छात्रावास (बीएचजीएलएनएस)।

लेडी नॉयस स्कूल में लड़कों और लड़कियों के छात्रावास दिव्यांग छात्रों के लिए पूरी तरह से सुलभ नहीं थे क्योंकि उनके लिए इनमें सुलभ मार्ग, सुगम पार्किंग और सुलभ रिसेप्शन तथा ऊपरी मंजिलों के लिए सुलभ लिफ्ट नहीं थी। छात्रावास के दोनों भवन रिसने, टूटी हुई टाइलें, टूटे खिड़की के शीशे, छीलने वाले प्लास्टर आदि से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे।

चित्र 2: लेडी नॉयस स्कूल में लड़कों और लड़कियों के छात्रावास की जर्जर स्थिति

लड़कों के छात्रावास में शौचालय पिछले दो वर्षों से उपयोग करने लायक नहीं थे और वहां रहने वाले लड़कों को विद्यालय में अन्य स्थानों पर शौचालय का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था। लड़कों के छात्रावास में पीने का पानी भी नहीं था और छात्रों को लड़कियों के छात्रावास से पानी लेना पड़ता था। लड़कियों के छात्रावास में रसोईघर चालू नहीं था क्योंकि कोई रसोइया नहीं था और भोजन लड़कों के छात्रावास के रसोईघर में बनाया जा रहा था। किसी भी छात्रावास में स्वागत कक्ष नहीं था।

जीएसएसएसबीबी एक आवासीय विद्यालय है और सभी छात्रों को एक ही भवन में छात्रावास में ठहराया जाता है। यद्पि लोक निर्माण विभाग द्वारा अगस्त 2018 में भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया गया था और छात्रावास अभी भी उसी भवन से संचालित हो रहा है। छात्रावास में पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं थी और बोतलबंद पानी उपलब्ध कराया जा रहा था। छात्रावास के लिए कोई नियमित वार्डन नहीं था। इसके अतिरिक्त, छात्रावास में भी 100 की क्षमता के मुकाबले 131 छात्रों की भीड़ भाड़ थी। भीड़ भाड़ के कारण, आठ बच्चें जिन्हें प्रवेश दिया गया था, उनके माता-पिता

को एक हलफनामा देना पड़ा था कि वे छात्रावास की सुविधाओं का दावा नहीं करेंगे। कॉलेज जाने वाले नेत्रहीन छात्रों के छात्रावास सेवा कुटीर किंग्सवे कैंप की इमारत में पपड़ी वाले प्लास्टर, टूटी हुई टाइलें, सीपेज, कंक्रीट की छत में खुली हुई और जंग लगी स्टील की छड़ें, विकृत छत आदि से खराब स्थिति में थी जैसा कि चित्र-3 में दिखाया गया है।

चित्र 3: कॉलेज जाने वाले नेत्रहीन छात्रों (लड़कों) के लिए हॉस्टल सेवा कुटीर, किंग्सवे कैंप

छात्रों की संख्या भी 100 की क्षमता से थोड़ा अधिक था। छात्रावास में सुलभ मार्ग, सुलभ पार्किंग, सुलभ कॉरिडोर, सुलभ शौचालय आदि नहीं थे। इसके अतिरिक्त, छात्रावास में शौचालय टूटे हुए थे, जिनमें से कई मरम्मत के अभाव में अनुपयोगी थे। शौचालय परिसर का दरवाजा गेट के सामने फर्श के ऊपर पानी की पाइपलाइनों द्वारा बाधित था, जिससे यह छात्रों के लिए संभावित रूप से खतरनाक बना हुआ था। कम्प्यूटर कक्ष भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि छत और दीवारें रिस रही थीं और बिजली के तार बहुत पुराने थे।

इस प्रकार, सरकार इन छात्रावासों में दिव्यांग छात्रों के लिए पीने के पानी, शौचालय की सुविधा, पूरी तरह से सुलभ भवन आदि जैसी बुनियादी आवश्यकता को भी सुनिश्चित नहीं कर सकी।

विभाग ने जवाब दिया (जनवरी 2022) कि वे दिव्यांगों को भवन सुलभ कराने की प्रक्रिया में हैं। तथ्य यह है कि ये बच्चे शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, सुविधाओं की कमी समस्याओं को और बढ़ा देते हैं और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद ही कार्रवाई की जा रही है।

(ii) कॉलेज जाने वाले दृष्टिबाधित लड़कों के लिए छात्रावास के निर्माण में विलम्ब

सेवा कुटीर परिसर में कॉलेज जाने वाले दृष्टिबाधित लड़कों के लिए 100 बिस्तरों वाला छात्रावास दिसम्बर 2012 में स्वीकृत किया गया था। दृष्टिबाधित विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अधिक छात्रावास की आवश्यकता को देखते हुए 2013-14 के बजट भाषण में भी दो नए छात्रावास, लड़कों और लड़कियों के लिए एक-एक छात्रावास निर्माण की घोषणा की गई थी। तदनुसार, कॉलेज जाने वाले नेत्रहीन छात्रों (लड़कों), किंग्सवे कैंप के लिए छात्रावास के निर्माण के लिए दिसम्बर 2014 में लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि), रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा ₹ 12.68 करोड़ का प्रारंभिक अनुमान प्रस्तुत किया गया था, जिसे प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय स्वीकृति (एएएंडईएस) की प्राप्ति के दस महीने के भीतर पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि दो अवसरों (नवम्बर 2015 और जनवरी 2019) में रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त विभाग की टिप्पणियों पर समय पर प्रतिक्रिया देने के लिए स.क.वि./लो.नि.वि की ओर से अत्यधिक देरी के कारण (एए एण्ड ईएस) जनवरी 2022 तक लंबित था। इस प्रकार, इस संबंध में निर्णय लेने के नौ वर्ष से अधिक समय के बाद भी कॉलेज जाने वाले दृष्टीबाधित लड़कों के लिए छात्रावास का निर्माण नहीं किया गया था।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि एक पत्र स्पष्टीकरण मांगते हुए प्रधान सचिव, लो.नि.वि. को भेजा गया है।

(iii) कॉलेज जाने वाली दृष्टिबाधित लड़कियों के लिए छात्रावास के निर्माण में विलम्ब

रा.रा.क्षे. दिल्ली में कॉलेज जाने वाली दृष्टिबाधित लड़कियों के लिए कोई छात्रावास नहीं है। लेखापरीक्षा ने देखा कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने कॉलेज जाने वाली दृष्टिबाधित लड़कियों के लिए सेवा कुटीर परिसर में एक छात्रावास के निर्माण

की योजना बनाई थी (मई 2011), और बाद में साइट को बाल सदन, तिमारपुर में बदल दिया गया (सितम्बर 2012)। छात्रावास के निर्माण के लिए साइट पर मौजूदा पक्के ढ़ाँचे को धवस्त करने के लिए सितम्बर 2013 में रा.रा.क्षे. दिल्ली के उपराज्यपाल की स्वीकृति प्रदान की गई थी। निर्माण कार्य लो.नि.वि., रा.रा.क्षे.दि.स. को सौंपा गया था और तैयार डिजाइन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिसम्बर 2013 में अनुमोदित किया गया था। इसके बाद, स.क.वि. और लो.नि.वि. को स्थानीय अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने, अनुमान तैयार करने आदि में चार साल लग गए और ₹ 12.20 करोड़ की व्यय स्वीकृति जनवरी 2018 में जारी की गई। निर्माण कार्य 21 महीनें के भीतर पूरा किया जाना था। अक्टूबर 2019 तक छात्रावास के निर्माण का केवल 50 प्रतिशत कार्य ही पूरा हो पाया था। इस प्रकार, 2011 में परियोजना शुरू होने के 10 साल बाद भी, कॉलेज जाने वाली दृष्टिबाधित लड़कियां दिल्ली में छात्रावास की सुविधा से वंचित थीं।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि कॉलेज जाने वाली दृष्टिबाधित लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। हालांकि, तथ्य यह है कि स.क.वि. ने छात्रावास के निर्माण में 10 वर्ष से अधिक का समय लिया।

2.5.12 दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास

2.5.12.1 दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए योजनाएं

(i) असंचालित योजनाएँ/योजनाएँ तैयार नहीं की गई

धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांगजनों को स्वतंत्र रूप से या समुदाय में रहने के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के नियमन का प्रावधान है। इनमें अच्छी तरह रहने की स्थिति के साथ सामुदायिक केंद्र प्रदान करना, दिव्यांग जनों के लिए सुविधाएं जिनका कोई परिवार नहीं है या जिन्हें छोड़ दिया गया है या आश्रय/आजीविका के बिना हैं, उच्च सहायता आवश्यकताओं वाले दिव्यांग को देखभाल करने, वाला भत्ता आदि प्रदान करना शामिल हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि रा.रा.क्षे.दि.स. के मुख्यमंत्री द्वारा दिव्यांगों के लिए छः कल्याण योजनाओं की घोषणा की गई थी, बजट भाषण 2019-20 में पांच और बजट भाषण 2020-21 में एक इन योजनाओं का विवरण तथा इन

योजनाओं के लिए 2019-20 और 2020-21 के बजट आवंटन का विवरण **तालिका 2.5.6** में दिया गया है।

तालिका-2.5.6: योजनाओं का विवरण और बजट आवंटन

(₹ लाख में)

क्रम सं.	योजना का नाम	2019-20		2020-21	
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
1	दिव्यांग जनों के लिए पुनर्वास और संबद्ध सेवाओं के लिए संस्थान की स्थापना	100.00	101.00	100.00	1.00
2	सुगम्य सहायक-दिव्यांग छात्रों के लिए गतिशीलता सुविधाओं के लिए योजनाएं	100.00	10.00	100.00	1.00
3	दिव्यांग छात्रों के लिए सावधि जमा	100.00	1.00	100.00	1.00
4	दिव्यांग माता-पिता की बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता	100.00	10.00	100.00	1.00
5	भिखारियों, दिव्यांग जनों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कौशल विकास और पुनर्वास के लिए योजना	100.00	1.00	100.00	1.00
6	मुख्यमंत्री दिव्यांगजन पुनर्वास सेवा योजना	लागू नहीं	लागू नहीं	1000.00	100.00

स्रोतः योजना दस्तावेज, योजना विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

हालांकि, कोई व्यय नहीं किया गया तथा उपरोक्त योजनाएँ सितम्बर 2021 तक अक्रियाशील रही क्योंकि आवश्यक दिशा-निर्देशों और तौर-तरीकों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। बजट आवंटन भी अव्ययित रहा। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि बच्चों सहित परित्यक्त/निराश्रित दिव्यांगों के लिए उच्च प्रोत्साहन आवश्यकताओं या सुविधाओं वाले दिव्यांगों को देखभाल-कर्ता भत्ता की कोई योजना नहीं थी। यह इंगित करता है कि रा.रा.क्षे.दि.स. दिव्यांगजनों को पर्याप्त जीवन स्तर प्रदान करने के लिए अपने दृष्टिकोण में बिलकुल भी गंभीर नहीं है जिससे वह स्वतंत्र रूप से सम्मान के साथ रह सके।

स.क.वि. ने जवाब, दिया (जनवरी 2022) कि उच्च प्रोत्साहन आवश्यकताओं वाले दिव्यांगों के लिए देखभालकर्ता भत्ते के घटक को मौजूदा वित्तीय सहायता योजना में सम्मिलत करने के लिए जनवरी 2021 में संशोधित योजना की अधिसूचना के माध्यम से एफएएस शाखा को भेजा गया है जो एफएएस शाखा के सक्रिय विचाराधीन है। तथापि, स.क.व. ने ऊपर संदर्भित छः अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया।

(ii) दिव्यांगों को वित्तीय सहायता स्वीकृत करने में विलम्ब

स.क.वि. के आदेश दिनांक 31 मार्च 2017 में निर्धारित किया गया था कि दिव्यांगों को वित्तीय सहायता की प्रक्रिया और स्वीकृति आवेदन प्राप्त होने के

45 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी I और II के दिव्यांगों को अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि दिव्यांगों को पेंशन की स्वीकृति करने में 63 से 540 दिनों तक की बड़ी विलंब थी। **(परिशिष्ट 2.6)** 26 में से 13 मामलों में, लेखापरीक्षा के समय (जुलाई 2021) 381 से 1502 दिनों के विलम्ब के बाद भी पेंशन स्वीकृत की जानी थी। तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रा.रा.क्षे.दि.स. के पास दिव्यांगजनों की संख्या के बारे में सूचना नहीं थी तथा दिव्यांगजन को अपनी पेंशन के लिए आवेदन की आवश्यकता है इस प्रकार का अधिक विलंब अस्वीकार्य है। इस संबंध में विस्तार से जांच करने तथा इस प्रकार के विलंब के लिए जिम्मेदारी नियत किए जाने की आवश्यकता है।

स.क.वि.(जनवरी 2022) ने विलम्ब के लिए अपर्याप्त कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा अवलोकन को भविष्य के अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

2.5.12.2 दिव्यांगों के लिए आरक्षित रिक्तियों का बहुत बड़ा बैकलॉग

अधिनियम की धारा 33 (1) और 34 में प्रावधान है कि सरकार उन प्रतिष्ठानों में पदों की पहचान करेगी, जो प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में रिक्तियों आरक्षित और नियुक्त के संबंध में बेचमार्क दिव्यांगों की संबंधित श्रेणी द्वारा धारित किए जा सकते हैं, कम से कम चार बेंचमार्क दिव्यांगों से भरे जाने वाले पदों के प्रत्येक समूह में संवर्ग संख्या में रिक्तियों की कुल संख्या का चार प्रतिशत है। इस अधिनियम (दिसम्बर 2016) से पहले दिव्यांगों के लिए सभी प्रत्येक प्रतिष्ठान (अधिनियम 1995 की धारा 33) में तीन प्रतिशत आरक्षण था।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि राज्य आयुक्त ने 5 मई 2017 को रा.रा.क्षे.दि.स. के सभी प्रधान सचिवों/सचिवों/विशेष सचिवों को 25 फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार रिक्तियों (1996 से भरी गई रिक्तियों की संख्या, नियोजित दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या और आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग आदि) का विवरण प्रस्तुत करने के लिए विशेष भर्ती अभियान आयोजित किया जाए, यदि इसे पहले ही शुरू नहीं किया गया हो और आरक्षित रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरा जाए। हालांकि, एससीपीडी ने फरवरी-दिसम्बर 2019 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. के तीन विभागों को दिव्यांगों के लिए आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरने के लिए कार्रवाई करने के आदेश जारी किए, विशेषतः विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से जैसा कि विवरण **तालिक-2.5.7**. में दिया गया है।

तालिका-2.5.7: बैकलॉग रिक्तियों के विवरण

क्रम. सं.	विभाग और निकायों का नाम	1996 से भरी गई रिक्तियां	दिव्यांगों से भरी गई रिक्तियां	दिव्यांगों की रिक्तियों का बैललॉग (प्रतिशतता में)	बैकलॉग रिक्तियों को भरने का आदेश जारी किए गए
1.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7991	70	333 (*82.63*)	31.12.2019
2.	समाज कल्याण	170	13	3 (*18.75*)	13.02.2019
3.	सेवा विभाग	5642	125	56 (*30.93*)	20.09.2019
		13803	**208**	**392 (*65.33*)**	

स्रोतः एससीपीडी द्वारा प्रदान की गई जानकारी

उपरोक्त में से, सेवा विभाग ने अक्टूबर 2019 में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को एक अनुरोध भेजकर उनकी बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए पहले ही कार्रवाई कर दी थी। रा.रा.क्षे.दि.स. के अन्य सभी विभागों/निकायों ने जून 2021 तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की थी। यह दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार को ओर से गंभीरता और इरादे की कमी और दिव्यांगजनों द्वारा रोजगार की समस्याओं के प्रति अंसवेदनशीलता को इंगित करता है।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि विभाग में दिव्यांगों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कोई बैकलॉग नही है। जवाब समग्र रूप से रा.रा.क्षे.दि.स. में रिक्तियों के बैकलॉग के मुद्दे को संबोधित नही करता है क्योंकि अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग होने के नाते, स.क.वि. सभी सरकारी विभागों में दिव्यांग कर्मचारियों के निर्धारित प्रतिशत को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

2.5.12.3 हाफ वे/लौंग स्टे होम्स में कमियां

हाफ वे और लौंग स्टे होम्स का उद्देश्य मानसिक रूप से सुधारे हुए रोगियों के सामाजिक समन्वय और सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास प्रदान करना है (1-2 साल की अवधि के लिए कैदियों के ठहरने हेतु हाफवे होम और विस्तारित अवधि के लिए लोंग स्टे होम) और समुदाय द्वारा भेजे गए लगभग 100 सुधरे हुए रोगियों को डे केयर प्रदान करना है। ये 2011 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार तैयार किए गए थे। मार्च 2021 तक दो भवनों में से तीन गृह नव किरण I और II (महिलाओं के लिए दो घर) सेक्टर 3, रोहिणी तथा नव चेतना (पुरूष के लिए), सेक्टर 22, रोहिणी कार्य कर रहे थे। मार्च 2021 तक, नव किरण I और II की संयुक्त संख्या 80 की क्षमता के विरूद्ध 76 थी और नव चेतना के मामलें में, संख्या 25 की क्षमता के विरूद्ध 14 थी।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान इन तीनों गृहों की संख्या क्षमता से कम थी। लेखापरीक्षा ने इन गृहों के कामकाज में विभिन्न कमियों को देखा जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

(i) गृहों का खराब रखरखाव

(ए) गैर कार्यात्मक लिफ्टः निर्माण के समय प्रत्येक भवन में एक लिफ्ट लगाई गई थी। इनमें से कोई कार्य नही कर रही थी। चूंकि कुछ वृद्ध (नव किरण और नव चेतना) गतिशीलता की समस्याओं जैसे गठिया, घुटने का दर्द, शरीर में दर्द आदि से ग्रसित हैं ऐसे रोगियों द्वारा एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग चोटों और दुर्घटना के जोखिम से भरा है।

(बी) अग्रिशमन उपकरण का कार्य न करनाः गृहों में आंतरिक अग्रि शमन उपकरण लगे थे, लेकिन ये काम करने की स्थिति में नहीं थे।

(सी) गैर-कार्यात्मक सौर जल तापन प्रणालीः इन गृहों में सौर जल तापन प्रणाली स्थापित की गई थी, लेकिन ये पिछले तीन वर्षों से काम नहीं कर रहे थे। चूंकि वॉशरूम में गीजर सिस्टम नहीं हैं, इसलिए निवासी सर्दी के मौसम में या तो ठंडे पानी का उपयोग करते हैं या हीटिंग रॉड से गर्म किया हुआ पानी का उपयोग करते हैं।

(डी) विद्युतीय खराबीः दोनों भवनों में विद्युत के तार और स्विच अच्छी स्थिति में नहीं थे क्योंकि पिछले तीन वर्षो (जुलाई 2021 तक) से किसी भी एजेंसी द्वारा गृहों का रखरखाव नहीं किया गया था। बार-बार तार और स्वीच में खराबी के कारण, कई कमरों में पंखे, कूलर और लाईट काम नही कर रहे थे, जिससे अत्यधिक गर्मी और सर्दियों के मौसम में निवासियों को कठिनाई हो रही थी।

(इ) खाना पकाने की व्यवस्था की अनुपलब्धता: नव चेतना होम, सैक्टर-22, रोहिणी के संबंध में पाईप से गैस आपूर्ति कनेक्शन उपलब्ध नही होने के कारण गृह के भीतर खाना नहीं बन रहा था। दोपहर का भोजन और रात का खाना नव किरण होम (सेक्टर 3, रोहिणी) से लाया जा रहा था तथा नाश्ते और चाय की व्यवस्था विद्युत हीटर के माध्यम से की जा रही थी।

(एफ) जलजमाव व अवरोधित शौचालय: नव चेतना होम में भवन के बाहर जलजमाव था। भवन के बेसमेंट में भी जलजमाव (3 इंच से अधिक) देखा गया, जो बुनियादी ढ़ांचे की कमजोरी है। इसके अतिरिक्त, अधिकांश शौचालय अवरूद्ध पाए गए, जो नव चेतना होम में अस्वच्छ स्थिति का कारण है।

(जी) टूटा हुआ/अप्रयुक्त उपकरणः नव चेतना होम के लिए जून 2018 में पानी के तीन डिस्पेंसर खरीदे गए जो जनवरी 2020 से काम नहीं कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, दो टेलीविजन थे जो काम नहीं कर रहे थे। कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण निवासियों के लिए खरीदे गए जिम उपकरण जैसे ट्रेडमिल और संबंधित उपकरण, योग आइटम और फिजियोथेरेपिस्ट उपकरण आदि बेकार पड़े थे।

उपरोक्त के अतिरिक्त, उप निदेशक (दिव्यांगता) ने नव किरण I और II के निरीक्षण (जुलाई 2019) के दौरान यह भी देखा गया कि निवासियों की सुरक्षा के लिए दूसरी और तीसरी मंजिल की छत पर रेलिंग की ऊंचाई बढ़ाकर सात फीट करने की आवश्यकता है।

जवाब में, स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि हाफवे होम की रखरखाव के लिए डीएसआईआईडीसी से प्राप्त आकलन विचाराधीन है। हालाँकि, स.क.वि. को नियमित रूप से रखरखाव से संबंधित मुद्दों का समाधान करने और निवासियों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित रहने की स्थिति सुनिश्चित करने की तत्काल जरूरत है।

(ii) क्लीनिकल स्टाफ की कमी

नव चेतना होम में कोई नियमित मनोचिकित्सक, सामान्य कर्त्तव्य चिकित्सा अधिकारी, क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नहीं था। इसके अतिरिक्त 2020-21 के दौरान होम में फिजियोथेरेपिस्ट भी उपलब्ध नहीं था। जहां मनोचिकित्सक और जीडीएमओ सप्ताह में एक बार होम विजिट करते थे, वहीं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिक सोशल वर्कर इस होम में सप्ताह में क्रमशः दो और तीन बार विजिट करते थे। होम, समुचित कर्मचारियों के अभाव में निवासियों को अपेक्षित सेवाएं निरंतर प्रदान करने की स्थिति में नहीं था।

स.क.वि. ने जनवरी 2022 के अपने जवाब में कहा कि जरूरत के अनुसार आशाकिरण/होम में नियमित आधार पर चिकित्सक, पैरा-चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सक को पदस्थापित किया गया है और रोस्टर भी लागू है जिसके तहत नव चेतना सहित सप्ताह के विशिष्ट दिनों में क्लीनिकल एवं पैरा-मेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

2.5.12.4 बौद्धिक रूप से दिव्यांग जनों के लिए होम का खराब प्रबंधन

स.क.वि. बौद्धिक अक्षमता (आशा किरण परिसर, रोहिणी, आशा दीप, नरेला और आशा ज्योति, हरि नगर) वाले जनों की देखभाल के लिए तीन होम चला

रहा है। नमूना जांच की गई आशा किरण एवं आशा दीप की कार्यप्रणाली में कमियों की चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

(i) आवास में अति भीड़

संस्थानों और सेवाओं के पदाधिकारियों के लिए स.क.वि. की मैनुअल के पैरा 3.6 में निर्धारित किय गया कि प्रत्येक संस्थान/सेवा में निवासियों/लाभार्थियों की संख्या/सामर्थ्य को उसके कामकाज को सही ठहराने के लिए उसके इष्टतम स्तर तक बनाए रखा जाना चाहिए। आशा किरण परिसर सभी आयु वर्गों और लिंग में से गहन बौद्धिक हानि वाले निराश्रित जनों के लिए एक आवासीय होम है। परिसर में व्यस्क पुरूष, व्यस्क महिला, बाल पुरूष और बाल महिला निवासियों को समायोजित करने वाले चार होम हैं, जो 1989 से कार्य कर रहे है। अगस्त 2021 तक, परिसर में इसकी डिजाइन क्षमता 570 के मुकाबले 971 निवासी थे। परिसर के संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि अति भीड़ के कारण 53 निवासी एक कुटीर छात्रावास में रहने को मजबूर थे। हालांकि परिसर का संचालन परिषद अपनी बैठकों में होम की अति भीड़ का उल्लेख करता रहा है, स.क.वि. ने अधिक क्षमता सृजित करने और परिसर में भीड़ कम करने के लिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि निवासियों को आशा किरण से आशा दीप और आशा ज्योति में स्थानांतरित करके भीड़-भाड़ की समस्या का समाधान किया जा रहा है जब रहने वालों की संख्या स्वीकृत संख्या से कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त निवासियों को महिला एवं बाल विकास विभाग के एक कामकाजी महिला छात्रावास में स्थानांतरित करने, आशा किरण में नए भवन के निर्माण और लामपुर में एक नए परिसर के निर्माण के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। भीड़-भाड़ की सीमा को ध्यान में रखते हुए, कुछ निवासियों को अन्य घरों में स्थानांतरित करने से आवास की आवश्यकता और उपलब्धता के बीच भारी अंतर को दूर नहीं किया जा सकेगा।

(ii) नियमित रसोइया और आहार विशेषज्ञ की कमी

महिला रसोई में निवासियों के लिए खाना पकाने के लिए केवल एक नियमित रसोइया था। अन्यथा कुकिंग हेल्पर और हाऊस अंटी (महिलाओं की देखभाल करने वाली) निवासियों के लिए भोजन तैयार करती हैं। इसके अलावा आशा किरण परिसर के लिए कोई आहार विशेषज्ञ नियुक्त नहीं है, जहाँ 962 में से 552 गंभीर और गहन बौद्धिक अक्षमता के निवासी रहते हैं। आहार विशेषज्ञ और नियमित रसोइयों का अभाव अन्य कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ डालती

है जिन्हें निवासियों को उचित पोषण सुनिश्चित करने विफल रहने के अलावा अपने कर्तव्यों से समझौता करना पड़ सकता है।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि रसोईयों की खाली पदों की भरने के लिए मांग दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भेजी जा चुकी है।

(iii) मेडिकल, पैरा-मेडिकल व अन्य चिकित्सक स्टाफ की कमी

बौद्धिक रूप से कमजोर जनों की समग्र भलाई (शारीरिक और मानसिक) के लिए, आशा किरण परिसर के मेडिकल केयर यूनिट (एमसीयू) में पर्याप्त मेडिकल, पैरा-मेडिकल और अन्य चिकित्सक स्टॉफ नियुक्त किया जाना चाहिए। ताकि उचित और पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें क्योंकि अधिकांश निवासी (जुलाई 2021 में 962 निवासियों में से 552 गंभीर और गहन बौद्धिक दुर्बलता के थे) बौद्धिक दुर्बलता के कारण अपनी समस्याओं की व्याख्या करने में सक्षम नहीं हैं। लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि परिसर में मेडिकल, पैरामेडिकल और अन्य चिकित्सक स्टॉफ की भारी कमी थी। स्वास्थ्य देखभाल में विभिन्न संवर्गों के 125 कर्मचारियों की आवश्यकता के विरूद्ध, केवल 89 उपलब्ध थे, जो 29 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है **(परिशिष्ट 2.7)**। इसके अलावा, वास्तविक संख्या में शामिल कुछ लोग समय-समय पर घर आते रहते थे। स्टाफ की कमी के कारण ये मेडिकल स्टाफ कार्यालय का काम भी करते थे। इसी प्रकार 114 निवासियों के साथ आशा दीप परिसर में जीडीएमओ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ड्रेसर और नर्सिंग अर्दली के पद खाली पड़े थे औ 11 की आवश्यकता के विरूद्ध केवल आठ सहायक नर्स मिडवाइफ उपलब्ध थीं।

जवाब में**,** स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि स्टाफ की भर्ती प्रक्रियाधीन है।

2.5.13 दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर की सुविधा और समर्थन के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई

अधिनियम की धारा 19 (1) में परिकल्पना की गई है कि सरकार रोजगार की सुविधा और प्रोत्साहन के लिए विशेष रूप से उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए रियारती दरों पर ऋणों के प्रावधान सहित योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करेगी। दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग वित्त और विकास निगम लिमिटेड (निगम) को वित्तीय वर्ष 2002-03 में राष्ट्रीय दिव्यांग वित्तीय और विकास निगम (एनएचएफडीसी) के तहत दिव्यांगों को लोन के वितरण के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (एससीए) के रूप में केंद्र सरकार की एक इकाई अधिसूचित किया गया था।

2.5.13.1 दिव्यांगजनों को लोन का नगण्य संवितरण

विभिन्न योजनाओं के तहत लोन की अधिकतम राशि ₹ एक लाख से 7.5 लाख तक थी। दिव्यांगों को लघु व्यवसाय स्थापित करने, वाहन खरीदने, उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने, इत्यादि के लिए लोन दिया जाता है और बड़ा व्यवसाय स्थापित करने के लिए बड़ा लोन दिया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनएचएफडीसी ने काल्पनिक रूप से निगम को 627 लाभार्थियों के लिए ₹ 384 लाख की राशि आवंटित की है जिसमें से केवल ₹ 33.50 लाख (कुल आवंटन का 8.72 *प्रतिशत*) पिछले चार वर्षों में 31 लाभार्थियों (लक्षित लाभार्थियों का 4.94 *प्रतिशत*) को संवितरित किया गया। जिसका विवरण **तालिका-2.5.8** में दिया गया है।

तालिकाः 2.5.8 आवंटित निधि और संवितरित लोन का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	एनएचएफडीसी आवंटित तिथि		एनएचएफडीसी द्वारा जारी राशि	संवितरित राशि	लाभान्वित दिव्यांग की संख्या	उपलब्धि (प्रतिशतता) आवंटन के संबंध में	
	लाभार्थियों की संख्या	राशि				राशि के संदर्भ में	मामलों की संख्या के संदर्भ में
2017-18	211	105	11.10	7.95	5	7.57	2.37
2018-19	211	105	14.27	11.78	6	11.22	2.84
2019-20	124	93	20.0	9.77	13	10.50	10.48
2020-21	81	81	0	4.0	7	4.94	8.64
कुल	**627**	**384**	**45.37**	**33.50**	**31**	**8.72**	**4.94**

स्रोतः दिल्ली अ.जा./ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग वित्तीय विकास निगम राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि लक्ष्य प्राप्त नही किया जा सका क्योंकि लोन आवेदन पर्याप्त नही थे। यह इंगित करता है कि निगम योजना को लागू करने में सक्रिय नहीं था और दिव्यांगजनों को विशेषरूप से उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए रोजगार की सुविधा और समर्थन का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

2.5.13.2 जागरूकता कार्यक्रम का अभाव

किसी भी कल्याणकारी योजना की सफलता योजना के बारे में लाभार्थियों की जागरूकता पर निर्भर करती है। इसलिए योजनाओं के तहत ऐसे लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकतम संख्या में दिव्यांगों को जुटाने के लिए लाभों का व्यापक प्रचार अनिवार्य हो जाता है। लेखापरीक्षा ने यह देखा कि या तो निगम या रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा पिछले चार वर्षों के दौरान कोई जागरूकता कार्यक्रम नहीं चलाया गया था। एससीपीडी ने स.क.वि. और निगम को दो महीने के भीतर योजनाओं के बारे में जागरूकता के लिए सीमांत धन[16] और निधि व्यवस्था तय करने का निर्देश दिया

[16] अपफ्रंट डाउन पेमेंट

था (दिसम्बर 2019) परन्तु अगस्त 2021 तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

जवाब में, निगम ने कहा (सितम्बर 2021) कि धन की अनुपलब्धता के कारण जागरूकता कार्यक्रम नहीं चलाया जा सका। इसके अलावा, स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि लोन योजना के लिए मार्जिन मनी घटक का अनुरोध विचाराधीन है।

जवाब सही नही है क्योंकि निगम 2017-18 और 2020-21 के बीच आवंटित धनराशि का केवल 8.72 *प्रतिशत* ही उपयोग कर सका।

2.5.13.3 लोन योजना "दिव्यांग क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों को वित्तपोषित करना" का लागू न होना

एनएचएफडीसी ने एक लोन योजना आरंभ की थी (मई 2013) जिसे माइक्रो क्रेडिट स्कीम (एमसीएस) के रूप में जाना जाता है जिसमें दिव्यांगों के क्षेत्र में कार्य कर रहे गै.स.सं. को दिव्यांग जनों के लाभ के लिए आय सृजन गतिविधियों की स्थापना/विस्तार से सामाजिक उपक्रम बनाने हेतु लोन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आय सृजन गतिविधि की प्रकृति ऐसी होगी कि इसमें दिव्यांग सीधे तौर पर शामिल हों और आय दिव्यांगों के बीच वितरित की जाएगी। एक गै.स.सं. को लोन की अधिकतम राशि पांच लाख रूपये तक सीमित है। लेखापरीक्षा ने देखा कि गया कि निगम ने एम.सी.एस. को लागू नहीं किया जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि पिछले चार वर्षो (2017-18 से 2020-21) के दौरान इसके द्वारा एनएचएफडीसी के साथ स्कीम के लिए निधियों की कोई मांग नहीं की गई। इस योजना को लागू करने में विफलता दिव्यांगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. की ओर से इरादे की कमी को दर्शाता है।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि निगम से इस योजना को प्रचारित करने का अनुरोध किया जाएगा ताकि गै.स.सं. को इसके बारे में जागरूक किया जा सके। जवाब इंगित करता है कि विभाग ने योजना को लागू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

2.5.14 दिव्यांगों के कल्याण में लगे गै.स.सं. को अनुदान जारी करने में अत्यधिक देरी

अधिनियम की धारा 27 में प्रावधान है कि सरकार सभी दिव्यांगजनों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार आदि के क्षेत्रों में पुनर्वास की सेवाएं और कार्यक्रम चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (गै.स.सं.) को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2017-18 से 2020-21 की अवधि को दौरान स.क.वि. द्वारा 15 गै.स.सं. को दिव्यांगों के कल्याण के लिए अनुदान (तीन किस्तों में) जारी किया गया था। पहली दो किश्तों में पिछले वर्ष जारी अनुदान का 50 *प्रतिशत* पिछले वर्ष के अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद जारी किया जाता है। तत्पश्चात्, पात्र अनुदान की मात्रा की गणना स.क.वि. द्वारा निरीक्षण और लाभार्थियों की संख्या के आधार पर की जाती है और अनुदान की शेष राशि तीसरी किस्त के रूप में जारी की जाती है। 15 गै.स.सं. में से छह का चयन लेखापरीक्षा के लिए किया गया था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि स.क.वि. ने वर्ष 2020-21 के लिए किसी गै.स.सं. को सहायता अनुदान (स.अ.) जारी नहीं किया है। इसके अलावा, दो गैर सरकारी संगठनों (द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, दिल्ली और मासूम फाउंडेशन, दिल्ली) के संबंध में कुल ₹ 4.87 लाख की सहायता अनुदान (स.अ.) की तीसरी किस्त और एक गै.स.सं. (एडब्ल्यूडब्ल्यूए आशा स्कूल दिल्ली) के संबंध में वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 7.84 लाख का संपूर्ण स.अ. जनवरी 2022 तक जारी नहीं किया गया है।

स.अ. के भुगतान/गैर भुगतान में देरी ने इन गै.स.सं. की दिव्यांगों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने की क्षमता से समझौता किया।

गै.स.सं. को स.अ. के संवितरण/कम संवितरण में विफलता के परिणामस्वरूप भी बजट आवंटनों में 26 *प्रतिशत* से 100 प्रतिशत के बीच की श्रेणियों में भारी बचत हुई जिसका विवरण **तालिका-2.5.9** में दिया गया है।

तालिका-2.5.9: गै.स.सं. को स.अ. का संवितरण

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन	संवितरित स.अ.	बचत	बचत का प्रतिशत
2017-18	75.00	37.29	37.71	50.28
2018-19	80.00	59.02	20.98	26.23
2019-20	89.00	15.80	73.20	82.25
2020-21	89.00	0.00	89.00	100

स्रोतः स.क.वि. रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रदान की गई जानकारी

स.क.वि. ने कहा (अक्टूबर 2021/जनवरी 2022) कि स.अ. का संवितरण स.अ. समिति की अंतिम सिफिरिश पर निर्भर करता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में स.अ. का संवितरण नहीं होने का कारण था कि स.अ. की बैठक समय पर नहीं हो सकी क्योंकि नियमित उप-निदेशक चिकित्सकीय अवकाश पर थे। वित्त विभाग के माध्यम से विभिन्न शाखाओं से प्रस्ताव को स्थानांतरित करने के बाद, यह जनवरी 2022 तक वित्त विभाग में पड़ा हुआ था। हालांकि 2020-21 के लिए स.अ. समिति की बैठक 29 जून 2021 को हुई थी, प्रस्ताव वित्त विभाग को नहीं भेजा जा सका क्योंकि बजट अपर्याप्त

था और अतिरिक्त बजट आवंटन किया जाना बाकि था। यह भी कहा गया कि अवलोकनों को भविष्य के अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है। सख्त निगरानी और तय की गई जिम्मेदारियों के माध्यम से प्रशासनिक विलम्ब की जाँच की जानी चाहिए।

2.5.15 गै.स.सं. को अल्प वित्तीय सहायता

रा.रा.क्षे.दि.स. "सामाजिक कल्याण संस्थानों/संगठनों को अनुदान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नियम, 2008" के तहत सामाजिक कल्याण संस्थानों/संगठनों को स.अ. प्रदान करती है। नियमों के अंतर्गत आवर्ती व्यय पर स.अ. अनुमोदित मदों पर कुल व्यय का 90 प्रतिशत या ₹ 500 प्रति माह प्रति कैदी या सरकार द्वारा संशोधित जो भी कम हो, तक सीमित है। यह देखा गया है कि हालांकि ₹ 500 प्रति माह प्रति कैदी की सीमा 2008 में तय की गई थी और 12 साल से अधिक समय बीत चूका है, पर दर को संशोधित नहीं किया गया है। चूंकि जीवन यापन की लागत में वृद्धि हुई, इसलिए अधिकतम सहायता पर कैप की सीमा में संशोधन न करने से सरकार को अपने अनिवार्य कार्यों को पूरा करने में मदद करने वाले संस्थानों/संगठनों को पर्याप्त वित्तीय सहायता से वंचित रखा गया।

स.क.वि. ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2022) कि दिल्ली अनुदान नियम, 2008 में सहायता बढ़ाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है ओर प्रक्रियाधीन है।

2.5.16 आवास की वृद्धि और पुनर्वास के लिए अनुसंधान एवं विकास नहीं किया जाना

अधिनियम की धारा 28 में प्रावधान है कि सरकार उन मुद्दों जो आवास और पुनर्वास की बढ़ाएंगे और ऐसे अन्य मुद्दों जो दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है पर जनों और संस्थानों के माध्यम से अनुसंधान और विकास आरम्भ करेगी अथवा शुरू कर सकेगी। लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने अधिनियम के इन प्रावधानों के अनुसरण में कोई कार्रवाई नहीं की है।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि दिल्ली में संगठन इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार की योजना से सहायता प्राप्त कर रहे हैं और योजना के व्यापक प्रचार के लिए कार्रवाई शुरू की जा रही है। जवाब इस विषय पर शोध के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रयासों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

2.5.17 दिव्यांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल विकास की खराब स्थिति

लेखापरीक्षा ने देखा कि विकलांगों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए केवल दो केंद्र, प्रशिक्षण-सह उत्पादन केंद्र (टीसीपीसी) और

शारीरिक रूप से विकलांग आश्रय कार्यशाला (एसडब्लयूपीएच) दोनों रमेश नगर में स्थित थे, यह दोनों केंद्र केवल पुरुषों के लिए हैं।

लेखापरीक्षा ने इन दोनों संस्थानों के अभिलेखों की जांच की और उनके कामकाज में कमियां पाईं। यो दोनों केंद्र दिल्ली के रमेश नगर स्थित 1-बी ब्लॉक के एक हॉल में चल रहे थे। समाज कल्याण विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. के अंतर्गत घरों, हाफवे/लॉन्ग स्टे हॉम्स, हॉस्टल आदि के निवासियों के लिए कपड़े की सिलाई का काम टीसीपीसी और एसडब्ल्यूपीएच में किया जाता था। प्रत्येक केंद्र में 50-50 प्रशिक्षुओं की स्वीकृति क्षमता है लेकिन इनमें से कोई भी संस्थान दिव्यांगों को प्रशिक्षण नहीं दे रहा था। इन संस्थानों में 3-4 दिव्यांग लंबे समय से दर्जी के रूप में काम कर रहे हैं और पिछले पांच वर्षों में उन्होंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है। साथ ही इन संस्थानों में दिव्यांगों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के लिए कोई प्रशिक्षक नहीं था।

इस प्रकार, स.क.वि. ने दिव्यांगों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण पहलू को संबोधित करने के लिए कुछ नहीं किया जिससे उन्हें अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य रूप से स्वरोजगार में सक्षम बनाया जा सके। रा.रा.क्षे.दि.स. की ओर से निष्क्रियता दिव्यांगों के जीवन स्तर में सुधार में उनकी ओर से गंभीरता की कमी को दर्शाती है।

जवाब में, स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि आईसीआईसीआई फाउण्डेशन के सहयोग से मानसिक रूप से बीमार महिलाओं के लिए नव किरण हाफ वे/लौंग स्टे होम में और आशा किरण परिसर में भी 10 ट्रेड्स में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है यह भी कहा गया कि विभाग सन फाउण्डेशन के सहयोग से श्रवण बाधितों के लिए विशेष स्कूल के छात्रों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। टीसीपीसी और एसडब्ल्यूपीएच के संबंध में यह कहा गया कि मूल्यांकन के बाद उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

2.5.18 निष्कर्ष

दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम) को भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए समानता, गैर-भेदभाव, सामुदायिक जीवन, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास आदि के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सरकार) के प्रयासों में कमी थी और लगभग सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में गंभीर कमियां थी जहां दिव्यांगजनों को सरकार से कल्याणकारी उपायों की आवश्यकता थी, जैसे सामाजिक सुरक्षा,

स्वास्थ्य सुविधाएं, सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच,शैक्षणिक और रोजगार के अवसर आदि।

सरकार द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन में शुरू से ही गति का अभाव था क्योंकि राज्यों के नियमों की अधिसूचना और इस उद्देश्य के लिए संस्थानो जैसे राज्य सलाहकार बोर्ड, अनुसंधान समिति और जिला स्तरीय समितियों आदि के निर्माण में देरी हुई थी। सरकार के पास दिल्ली में दिव्यांगजनों की संख्या के बारे में कोई डेटा नहीं था क्योंकि उन्होनें दिव्यांगजनों (दि.ज.) की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया था। इसके बजाय यह 2011 की जनगणना के आंकड़ो पर निर्भर था, जिसमें अधिनियम में सूचीबद्ध 21 प्रकार की अक्षमताओं में से केवल सात प्रकार की अक्षमताओं वाली जनसंख्या का डेटा था। इस प्रकार सरकार के पास दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों की योजना बनाने और तैयार करने के लिए आवश्यक डेटा नहीं था। नि: शक्तता को प्रमाणित करने के लिए प्राधिकारियों को नामित करने में विलंब हुआ जिससे दिव्यांगजनों के लिए कल्याणकारी उपायों की उपलब्धता में विलंब हुआ।

दिव्यांग बच्चों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा सुविधाएं गुणवत्ता के साथ साथ मात्रा के मामले में अपर्याप्त थीं और शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं शिक्षकों, आवासीय आवास, परिवहन सुविधा आदि की कमी से पीड़ित थीं। दिव्यांग बच्चों के लिए चार विशेष स्कूलों में से तीन के भवनों पर भी विभीन्न अन्य सरकारी कार्यालयों द्वारा कब्जा किया जा रहा था। इस वजह से इन स्कूलों में भीड़ भाड़ रही। एक अन्य स्कूल एक इमारत में चल रहा था जिसे लोक निर्माण विभाग ने असुरक्षित घोषित कर दिया था। स्कूल के सभी परिसर गंदे और अस्वास्थ्यकारी थे। स्कूलों को शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कमी और बुनियादी ढांचे की कमी जैसे बाधामुक्त वातावरण, सुरक्षित पेयजल, शौचालय आदि का भी सामना करना पड़ा। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि दृष्टीबाधित लड़कियों के लिए कोई विशेष स्कूल नहीं थे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दिव्यांगजनों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों की कमी थी।

समाज कल्याण विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिव्यांग छात्रों के लिए चार छात्रावास संचालित किए गए, तीन, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए और एक कॉलेज जाने वाले दृष्टिबाधित लड़कों के लिए। कॉलेज जाने वाली और स्कूल जाने वाली दृष्टिबाधित लड़कियों के लिए कोई छात्रावास नहीं था। मौजूदा छात्रावासों में अस्वच्छ और गंदे परिसर, जीर्ण-शीर्ण छात्रावास भवन, सुरक्षित पेयजल, सुलभ शौचालय आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी शामिल थीं। सेवा कुटीर

परिसर में दृष्टिबाधित लड़को के लिए सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्कूल जाने वाले दृष्टिबाधित लड़कों के लिए छात्रावास एक पुराने और असुरक्षित भवन से संचालित हो रहा था। छात्रावास की 100 की क्षमता के मुकाबले 131 छात्रों के साथ भीड़भाड वाला था। कॉलेज जाने वाले दृष्टिबाधित लड़के और लड़कियों के लिए एक-एक छात्रावास का निर्माण करने का निर्णय 10 साल से अधिक पहले लिया गया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया गया। बौद्धिक रूप से दिव्यांग जनों के लिए आवासों में भी भीड़भाड़ तथा मेडिकल, पैरा-मेडिकल और अन्य कर्मचारियों की कमी के साथ बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ।

दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में सरकार का दृष्टिकोण उदासीन था। दिव्यांगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्थापित दो संस्थानों ने पिछले 10 वर्षों के दौरान दिव्यांगों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया। इसके अलावा दिव्यांगों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में लगे गै.स.सं. को देरी से और बहुत पुरानी दरों पर सहायता अनुदान प्रदान किया गया था। दरें 2008 में निर्धारित की गई थी और आज तक (अक्टूबर 2021) संशोधित नहीं किया गया है। रा.रा.क्षे.दि.स. के विभीन्न विभागों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्तियों का भारी बैकलॉग था।

बजट भाषण 2019-20 और 2020-21 में दिव्यांगों के कल्याण के लिए छः योजनाओं की घोषणा की गई थी परन्तु उनमें से किसी को भी चालू नहीं किया गया था क्योंकि उनके तौर-तरीके और दिशानिर्देशों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

2.5.19 अनुशंसाएं

सरकार को चाहिए कि -

- दिल्ली में सभी दिव्यांगों की पहचान करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें ताकि अधिनियम के अंतर्गत उनको पर्याप्त सुविधाओं और सेवाओं की उपलब्धता की योजना बनाई जा सके।
- विशेष शैक्षणिक एवं अन्य संस्थानों की आवश्यकता का आकलन करें और इसे स्थापित करने तथा सरकारी स्कूलों में विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों सहित दिव्यांगों के लिए विभिन्न संस्थानों में शिक्षण, चिकित्सा और अन्य कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई करें।
- दिव्यांगों के लिए विशेष स्कूलों एवं अन्य संस्थानों और सभी सरकारी भवनों तथा सार्वजनिक परिवहन में पर्याप्त बुनियादी ढांचा और अन्य

सुविधाएं जैसे सुरक्षित, स्वच्छ और बाधा मुक्त वातावरण, छात्रावास सुविधाएं आदि को सुनिश्चित करें।

अधिक से अधिक दिव्यांगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करें ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें।

पर्यटन विभाग

2.6 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पर्यटन गतिविधियों पर अनुपालन लेखापरीक्षा

2.6.1 परिचय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पर्यटन के लिए बड़ी संभावनाएं है क्योंकि यह न केवल देश की राजधानी है बल्कि यह अपनी विशाल सांस्कृतिक लीगेसी तथा ऐतिहासिक काल के इतिहास के कारण भी समृद्ध है। इसने साम्राज्यों को आते और जाते हुए देखा है, हर किसी की अपनी स्वयं की अलग छाप तथा वास्तुशिल्पीय चमत्कार हैं। चूंकि यह इनमें से कई साम्राज्यों के लिए सरकार की जगह थी और पर्यटकों की रुचि रखने वाले अन्य शहरों के यात्रियों के लिए प्रवेशद्वार के रूप में उपयोग की जाती है, इसमें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की पर्याप्त गुंजाइश है। यदि पर्यटकों को एक सुदृढ़ पर्यटन नीति के माध्यम से आवश्यकताओं की रणनीति बनाकर आकर्षित किया जा सके, तो पर्यटन में सरकार के लिए उच्च राजस्व क्षमता भी है।

पर्यटन विभाग (पर्य.वि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) का नोडल विभाग है जो पर्यटन मामलों के बुनयादी ढाँचे और समन्वय तथा आवश्यक सेवाओं और विनियमों से संबंधित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन संबंधी स्कीमों/योजनाओं के निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी करता है। पर्य.वि. की योजनाओं/गतिविधियों को दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जिसे दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1975 में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा शामिल किया गया था। डीटीटीडीसी के कार्यों में पर्यटन से संबंधित जानकारी का प्रसार, पर्यटन संबंधी सेवाएँ प्रदान करना, मनोरंजन सुविधाएँ, पर्यटन बुनियाद ढाँचा और पर्यटन क्षेत्र के लिए जनशक्ति का प्रशिक्षण शामिल है। रा.रा.क्षे.दि.स., दिल्ली में सीमित पर्यटन संबंधी सेवाएं जैसे-हॉप-ऑन हॉप-ऑफ (होहो) बस सेवा, बिस्तर और नास्ता योजना तथा दिल्ली में फिल्मों की शूटिंग की सुविधा प्रदान करता है।

पर्यटन विभाग और डीटीटीडीसी के अलावा रा.रा.क्षे.दि.स. के पुरातत्व विभाग व दिल्ली अभिलेखागार भी सांस्कृतिक लीगेसी के संरक्षक के माध्यम से दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने में भूमिका निभाते है। पुरातत्व विभाग रा.रा.क्षे. दिल्ली में स्थानीय महत्व के प्राचीन स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है और दिल्ली अभिलेखागार विभाग, दुर्लभ दस्तावेजों, पांडुलिपियों, किताबों, नक्शे और अन्य अभिलेख सामग्रियों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। नवंबर 2021 तक 65 साईट/स्मारकों का संरक्षण पुरातत्व विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. के दायरे में था। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों के रूप में घोषित किया जाता है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार (भा.पु.स.-भा.स.) द्वारा बनाए रखा जाता है। हालांकि स्थानीय महत्व के प्राचीन स्मारकों का संरक्षण तथा अनुरक्षण संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

2.6.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल पर्याप्त व प्रभावी थी। रा.रा.क्षे.दि.स. के पर्यटन विभाग, डीटीटीडीसी एवं पुरातत्व विभाग के 2017-18 से 2020-21 की अवधि के अभिलेखों की जाँच की गई। लेखापरीक्षा ने इन विभागों/डीटीटीडीसी द्वारा प्रबंधित विभिन्न स्मारकों और स्थलों का संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन भी किया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

2.6.3 पर्यटन नीति और दीर्घकालिक/रणनीतिक/मास्टर प्लान का अभाव

(i) पर्यटन के विकास के समग्र दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी पर्यटन नीति से निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता है:

- पर्यटन विकास की स्थिति बनाना एवं उसे बनाए रखना।
- पर्यटन स्थल के रूप में दिल्ली की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना एवं बनाए रखना।
- दिल्ली के मौजूदा पर्यटन उत्पादों में सुधार करना और बाजार की नई जरूरतों को पूरा करने के लिए इनका विस्तार करना।
- विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण।
- सतत और प्रभावी विपणन तथा विज्ञापन योजनाओं और कार्यक्रमों का विकास करना।

(ii) पर्यटन मंत्रालय (पर्य.मंत्रा),भारत सरकार(भा.स.)द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन नीति(एनटीपी) 2002 को देश में मुख्य आर्थिक विकास इंजन के रूप में 'पर्यटन' को स्थान देने के उद्देश्य से तैयार किया गया था।

हालांकि रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिल्ली की समृद्ध सांस्कृतिक लीगेसी और ट्रांजिट हब के रूप में इसके लाभप्रद स्थान के बावजूद एनटीपी के अनुरूप पर्यटन विकास के समग्र दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए कोई पर्यटन नीति नहीं बनाई गई है। इसके अतिरिक्त पर्यटन को बढ़ावा देने में शामिल मुख्य संस्थाओं पर्य.वि. अथवा डीटीटीडीसी द्वारा कोई दीर्घकालिक/रणनीतिक योजनाएँ तैयार नहीं की गई है।

पर्य.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि डीटीटीडीसी ने जनवरी 2022 में एक प्रारूप नीति प्रस्तुत की है जो उच्च अधिकारियों के समक्ष विचाराधीन थी। उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि किसी पर्यटन नीति को अभी तक (जनवरी 2022) अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस संबंध में सुस्त रवैये ने राजस्व और विदेशी मुद्रा के एक महत्वपूर्ण स्रोत के लिए दिशाहीन दृष्टिकोण तथा दिल्ली को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का मौका खो दिया है।

(iii) पर्यटक डेटा सूचना का अभाव

पर्यटन मंत्रालय (पर्य.मं) भा.स. विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आने वाले घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या का संकलन करती है। इसे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा साझा की गई जानकारी से संकलित किया जाता है जो होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों से जो यात्रियों को आवास उपलब्ध कराते हैं, से एकत्र की जाती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रा.रा.क्षे.दि.स. ऐसा डेटा एकत्र नहीं करता है और इसलिए कोई भी डेटा पर्य.मंत्रा. भा.स. के साथ साझा नहीं किया गया। आंकड़ों के अभाव में रा.रा.क्षे.दि.स. के पास विद्यमान और संभावित पर्यटकों और उनकी आवश्यकताओं के बारे में महत्वपूर्ण सूचना का विश्लेषण करने तथा बाजार की गहरी समझ के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की रणनीति विकसित करने का ठोस आधार नहीं होता है।

इस प्रकार पर्यटन नीति के साथ-साथ किसी भी दीर्घकालिक रणनीतिक मास्टर प्लान के अभाव में और पर्यटकों के आगमन के संबंध में सूचना एकत्र करने की विफलता रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा 'पर्यटन' क्षेत्र की पूर्ण उपेक्षा को दर्शाता है।

इस मुद्दे को 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र (सा.क्षे.उ.) पर प्रतिवेदन में भी पैराग्राफ 2.2.3.1 के तहत उजागर किया गया था। हालांकि, सरकार द्वारा पिछले सात वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर कोई अनुपालन नहीं किया गया था।

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा 'पर्यटन' क्षेत्र की उपेक्षा इस तथ्य से स्पष्ट है कि पिछले चार वर्षों अर्थात अप्रैल 2017 से मार्च 2021 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा कोई नई पर्यटन संबंधी परियोजना शुरू नहीं की गई है। यहा तक कि लेखापरीक्षा द्वारा मौजूदा सुविधाओं/परियोजनाओं/स्मारकों/पर्यटक स्थलों के संचालन व रखरखाव में भी कई पहलुओं पर कमियाँ पाई गई है जिसकी चर्चा आगे के पैराग्राफों में की गई है।

2.6.4 राज्य महत्व के प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों तथा अवशेषों के लिए सलाहकार परिषद का गठन न होना

दिल्ली प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम, 2004 के अनुसार सरकार को राज्य महत्व के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों एवं पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों से संबंधित नीति के मामलों पर सलाह देने के उद्देश्य से एक सलाहकार परिषद का गठन करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिनियम के प्रारम्भ होने के 17 वर्षों के बाद भी अभी तक सलाहकार परिषद का गठन किया जाना था। यह राज्य महत्व के स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव में सरकार की और से लापरवाही को दर्शाता है।

पुरातत्व विभाग ने कहा (जनवरी 2022) कि दिल्ली पुरातत्व सलाहकार परिषद के गठन का प्रस्ताव पहले ही अगस्त 2020 में प्रस्तुत किया जा चुका है तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

2.6.5 'पर्यटन' पर नगण्य/नाममात्र व्यय

पर्यटन विभाग तथा डीटीटीडीसी द्वारा 2017-18 से 2020-21 वर्षों के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा **तालिका 2.6.1** में वर्णित है।

तालिका-2.6.1- व्यय के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल योग
पर्यटन विभाग (पर्य.वि.)					
वेतन एवं मजदूरी पर व्यय	1.45 (9.91)	1.72 (10.12)	1.85 (4.57)	1.79 (6.83)	6.81 (6.92)
डीटीटीडीसी तथा डीआईएचएमसीटी[17] को जारी सहायता अनुदान (स.अनु.)	13.18 (90.09)	15.28[18] (89.88)	13.19[19] (32.55)	24.43[20] (93.17)	66.08 (67.18)
अन्य गतिविधियों पर व्यय	0.00	0.00	25.48[21] (62.88)	0.00	25.48 (25.90)
कुल व्यय	**14.63**	**17.00**	**40.52**	**26.22**	**98.37**
डीटीटीडीसी (पर्यटन से संबंधित)					
कुल आय	**62.51**	**48.12**	**135.55[22]**	**30.60**	**276.78**
वेतन एवं मजदूरी पर व्यय	17.23 (26.83)	15.42 (31.72)	15.17 (12.25)	11.72 (27.40)	59.54 (21.31)
पर्यटन तथा उससे संबंधित अन्य गतिविधियों पर व्यय	46.98 (73.17)	33.18 (68.28)	108.62[23] (87.75)	31.06 (72.60)	219.85 (78.69)
कुल व्यय	**64.21**	**48.60**	**123.79**	**42.78**	**279.39**
लाभ/हानि (-)	**(-) 1.70**	**(-) 0.48**	**11.76**	**(-) 12.18**	**(-) 2.61**

नोट : कोष्टक में आंकड़े वर्ष के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

तालिका 2.6.1 से यह देखा जा सकता है कि:

(i) पर्य.वि. ने 2017-18, 2018-19 तथा 2020-21 के दौरान ₹ 14.63 करोड़ तथा ₹ 26.22 करोड़ के बीच की रेंज में नाममात्र व्यय किया। 2019-20 के दौरान व्यय बढ़कर ₹ 40.52 करोड़ हो गया जो मुख्यत: दिल्ली सदन के लिए भूमि खरीद पर ₹ 25.48 करोड़ का भुगतान करने के कारण था जो पर्यटन गतिविधियों से संबंधित नहीं है।

(ii) पर्य.वि. ने 2017-21 की अवधि के दौरान संबंधित वर्ष में अपने कुल व्यय का 32.55 से 93.17 प्रतिशत के बीच की रेंज में पर्यटन संबंधी गतिविधियों के लिए डीटीटीडीसी और डीआईएचएमसीटी को स.अनु. जारी किया।

---

17 होटल मैनेजमेंट एवं केटरिंग टेक्नोलोजी का दिल्ली इंस्टीट्यूट

18 डीआईएचएमसीटी को ₹ 5.42 करोड़ का स.अनु. शामिल है

19 डीआईएचएमसीटी को ₹ 0.46 करोड़ का स.अनु. शामिल है

20 डीआईएचएमसीटी को ₹ 2.50 करोड़ का स.अनु. शामिल है

21 दिल्ली सदन के निर्माण के लिए भूमि कि खरीद हेतु व्यय (दिल्ली सदन को विभिन्न उद्देश्यों के लिए आने वाले गणमान्य व्यक्तियों/अधिकारियों के ठहरने के लिए विश्वसनीय तथा किफायती आवास प्रदान करने हेतु विकसित किया जाना है)

22 मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना (एमएमटीवाईवाई) से ₹ 64.39 करोड़ की आय शामिल है।

23 राराक्षेदिस के राजस्व विभाग से प्राप्त ₹ 81.45 करोड़ की निधियों में से एमएमटीवाईवाई पर ₹ 61.25 करोड़ का मुख्य व्यय किया गया| एमएमटीवाईवाई दिल्ली सरकार की एक प्रतिष्ठित योजना है जो उन वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है जो स्वयं दिल्ली से बाहर तीर्थ यात्रा करने में सक्षम नहीं है | दिल्ली सरकार की ओर से यात्रा के संचालन के लिए डीटीटीडीसी को नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया था|

डीटीटीडीसी पर्य.वि.से प्राप्त स.अनु. से पर्यटन गतिविधियों पर व्यय करता है जैसे राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्मों में भागीदारी, विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार, मेले तथा त्योहारों का आयोजन, पर्यटक सूचना केन्द्र (टीआईसी) को सुदृढ़ करना, प्रवेश द्वारों का सौंदर्यीकरण। हालांकि रा.रा.क्षे.दि.स./डीटीटीडीसी द्वारा इन प्रचार गतिविधियों पर किए गए व्यय के लिए रा.रा.क्षे.दि.स./डीटीटीडीसी द्वारा कोई प्रभावी विश्लेषण नहीं किया गया है।

(iii) 2019-20 के दौरान ₹ 108.62 करोड़ का व्यय अधिक था क्योंकि डीटीटीडीसी ने 2018-19 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त ₹ 81.45 करोड़ की निधियों में से ₹ 61.25 करोड़ का व्यय तथा उस पर एमएमटीवाईवाई के अंतर्गत खर्च किया गया एवं ₹ 3.22 करोड़ का जीएसटी बुक किया जो रा.रा.क्षे.दि.स. में पर्यटन गतिविधियों से संबंधित नहीं था। इस प्रकार डीटीटीडीसी द्वारा वेतन एवं मजदूरी को छोड़कर पर्यटन संबंधी गतिविधियों पर 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 वर्षो के दौरान क्रमश: ₹ 46.98 करोड़, ₹ 33.18 करोड़, ₹ 44.15 करोड़ तथा ₹ 31.06 करोड़ का नाममात्र व्यय किया गया। पर्यटन संबंधी गतिविधियों पर वेतन एवं मजदूरी पर ₹ 11.72 करोड़ (2020-21) तथा ₹ 17.23 करोड़ (2017-18) के बीच की रेंज में व्यय किया गया।

(iv) डीटीटीडीसी ने पर्यटन संबंधी गतिविधियों पर 2017-21 के दौरान सभी वर्षों में हानियां वहन की, वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 11.76 करोड़ के लाभ को छोड़कर जो मुख्य रूप से एमएमटीवाईवाई से आय (₹ 3.15 करोड़) तथा सावधि जमाओ पर अर्जित ब्याज (₹ 3.43 करोड़) के कारण था।

(v) 2017-21 के दौरान डीटीटीडीसी द्वारा पर्यटन गतिविधियों पर व्यय डीटीटीडीसी के कुल व्यय का केवल 3.11 से 8.80 प्रतिशत था।

इस प्रकार यह स्पस्ट है कि पर्य.वि./डीटीटीडीसी द्वारा दिल्ली में पर्यटन गतिविधियों पर नाममात्र व्यय किया गया। यह यह भी दर्शाता है कि रा.रा.क्षे.दि.स. पर्यटन से अधिक राजस्व उत्पन्न नहीं कर सका।

2.6.6 डीटीटीडीसी के लिए 'पर्यटन' प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं होना

डीटीटीडीसी को भारत में आनेवाले घरेलू और अंतराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक पर्यटक स्थल के रूप में दिल्ली के समग्र विकास और उन्नति के लिए

स्थापित किया गया था। बाद में डीटीटीडीसी को पर्यटन से संबंधित ढांचागत कार्य भी सौपें गये। डीटीटीडीसी के नागरिक चार्टर के अनुसार निगम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:

- पर्यटन संबंधी सूचना का प्रसार करना;
- पर्यटक संबंधी सेवायें प्रदान करना;
- मनोरंजन सुविधाएँ प्रदान करना:
- पर्यटन के बुनियादी ढाँचे का विकास करना; तथा,
- पर्यटन के लिए जनशक्ति को प्रशिक्षित करना।

लेखापरीक्षा ने पर्यटन संबंधी प्रभागों/गतिविधियों पर जनशक्ति की तैनाती और व्यय का विश्लेषण किया और पाया कि 'पर्यटन' डीटीटीडीसी के लिए भी निम्न प्राथमिकता वाली गतिविधि थी।

जनशक्ति: डीटीटीडीसी में (जनवरी 2021 को) 535 कर्मचारियों में से केवल 119 अर्थात 22 प्रतिशत पर्यटन-संबंधी कार्य के लिए तैनात थे जबकि शेष 416 कर्मचारियों में से कॉर्पोरेट कार्यालय (99 कर्मचारी), शराब प्रभाग (288 कर्मचारी) तथा इंजीनियरिंग प्रभाग (29 कर्मचारी) में तैनात थे।

व्यय: लेखापरीक्षा अवधि के दौरान पर्यटन गतिविधियों पर व्यय कुल व्यय के 3.11 से 8.80 *प्रतिशत* कि रेंज में था जबकि शराब गतिविधियों पर व्यय 87.23 से 93.79 *प्रतिशत* की रेंज में था।

इस प्रकार 'पर्यटन' डीटीटीडीसी के लिए निम्न प्राथमिकता वाला क्षेत्र बन गया जबकि इसकी स्थापना पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कि गई थी परंतु यह अन्य क्षेत्रों जैसे शराब[24] की खुदरा बिक्री की ओर मुड़ गया।

डीटीटीडीसी ने कहा (जनवरी 2022) कि 2020-21 के दौरान ₹ 1273 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 1200 करोड़ भारत निर्मित विदेशी शराब तथा देशी शराब से संबंधित है। अत: शेष ₹ 73 करोड़ में से लगभग 89 प्रतिशत (₹ 73 करोड़ में से ₹ 65 करोड़) पर्यटन संबंधी गतिविधियों पर व्यय किया गया। उत्तर सही नहीं है क्योंकि पर्यटन गतिविधियों पर व्यय की प्रतिशतता की गणना के लिए शराब प्रभाग (जिसमें अधिकतर जनशक्ति तैनात थी) के व्यय के अपवर्जन ने सही तस्वीर नहीं दर्शायी।

[24] रा.रा.क्षे.दि.स. की आबकारी नीति 2021 के अनुसार भारत में निर्मित विदेशी शराब एवं विदेशी शराब 16 नवंबर 2021 से डीटीटीडीसी से हटा लिया गया है।

2.6.7 प्रमुख आगमन स्थलों पर पर्यटक सूचना केंद्र स्थापित न होना

पर्यटकों को पर्यटक सूचना केन्द्रों (प.सू.के.) के माध्यम से पर्यटन स्थलों, रहने-खाने की सुविधायें, परिवहन सुविधायें इत्यादि से संबंधित सूचना का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। सही सूचना का अभाव और दलालों का अस्तित्व पर्यटन क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती रही है।

डीटीटीडीसी, शहर और दिल्ली के आसपास के दूसरे स्थानों के बारे में सूचना[25] प्रदान करके पर्यटकों की सुविधा के लिए सात[26] पर्यटक सूचना केंद्र/काउंटर/डेस्क चला रहा है (जून 2021)।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि दिल्ली में कई महत्वपूर्ण आगमन स्थलों पर प.सू.के. उपलब्ध नहीं थे जैसे दिल्ली हवाईअड्डे का अंतराष्ट्रीय टर्मिनल, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) कश्मीरी गेट इत्यादि। आगे यह भी पाया गया कि अप्रैल 2017 से मार्च 2021 तक चार वर्षों की अवधि के दौरान प.सू.के. की वास्तविक आवश्यकता का मूल्यांकन नहीं किया गया।

विभाग ने कहा (जनवरी 2022) की डीटीटीडीसी विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा पर एक विस्तृत प.सू.के. (पर्यटन सूचना केंद्र) को फिर से शुरू करने की योजना बना रहा था। इसके अतिरिक्त पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, आई.एस.बी.टी. कश्मीरी गेट इत्यादि में अवसर और संसाधनों की उपलब्धता पर प.सू.के. शुरू किए जाएंगे।

2.6.8 प्रदान की गई पर्यटन-संबंधी सेवाओं में कमियाँ

रा.रा.क्षे.दि.स., रा.रा.क्षे. दिल्ली में सीमित पर्यटन संबंधी सेवाएँ प्रदान करता है जो हॉप-ऑन हॉप-ऑफ (होहो) बस सेवा, बिस्तर और नाश्ता योजना और दिल्ली में फिल्मों की शूटिंग के लिए सुविधा प्रदान करता है। हालांकि इन सेवाओं को भी कुशलतापूर्वक प्रबंधित नहीं किया गया था और लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पायी गई:

2.6.8.1 होहो बस सेवा

पर्यटकों को आराम से एवं लचीले तरीके से दर्शनीय स्थलों की यात्रा के माध्यम से दिल्ली और इसकी लीगेसी का पता लगाने के उद्देश्य से होहो बस सेवा 2010 में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में 10 वर्षों की

---

[25] सूचना टेलिफोन पर प्रश्नों के उत्तर देने के साथ-साथ ग्राहकों से मिलने के लिए प्रदान की जाती है।

[26] कनॉट प्लेस (दो प.सू.के.), जनपथ, टरमिनल-I, घरेलु हवाई अड्डा दिल्ली, दिल्ली हाट-आई.एन.ए. (दो प्र.सू.के.) एवं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन।

अवधि के लिए शुरू की गई थी। यात्री मार्ग में कही भी इन बसों पर चढ़ या उतर सकते हैं जो दिल्ली के विभिन्न पर्यटन स्थलों को कवर करता है।

होहो बस सेवा से संबंधित सभी परिचालन गतिविधियों की स्थापना ऑपरेटर द्वारा डीटीटीडीसी के परामर्श के पश्चात की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ साथ होहो बस सेवा के परिचालन हेतु रूट, बसों की आवृति, प्रभारित किराया, किराया संग्रह तंत्र तथा वाणिज्यिक प्रबंधन शामिल होता है। यह सेवा जुलाई 2020 में बंद कर दी गई थी, हालांकि बस सेवा को फिर से शुरू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। जून 2019 में 25 नई होहो बस सेवा चलाने का प्रस्ताव शुरू किया गया था लेकिन इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

लेखापरीक्षा में होहो बस सेवा के परिचालन में 10 वर्षों की अवधि के दौरान निम्नलिखित कमियाँ पाई गई:

- डीटीटीडीसी द्वारा निगरानी का अभाव था। मई 2011 में होहो बस सेवा पर सवारियों की साप्ताहिक प्रगति की रिपोर्ट संकलित करने के लिए प्रबंधक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। हालांकि डीटीटीडीसी द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट संकलित नहीं की गई थी।
- डीटीटीडीसी को 5 फरवरी 2016 को ऑपरेटर से बसों के जीपीएस लिंक मिले। हालांकि इसमें बसों की आवृत्ति और मार्ग पर बसों की सही संख्या की जांच के लिए लिंक का उपयोग नहीं किया गया।
- मूल रूप से परिकल्पित 14 बसों की तुलना में बसों की संख्या कम होती जा रही थी तथा 2017-18 से केवल पांच बसे ही चालू थीं। डीटीटीडीसी ने बस सेवा के बारे में न तो सवारियों की प्रतिक्रिया लेने के लिए और न ही सवारियों द्वारा की गई शिकायतों को दर्ज करने हेतु कोई तंत्र तैयार किया।
- होहो बस सेवा ने अपनी शुरुआत से हानियाँ उठाईं तथा डीटीटीडीसी को देय ₹ 2.65 करोड़ के कुल देय में से 12 प्रतिशत का राजस्व हिस्सा होने के कारण ऑपरेटर ने ₹ 1.48 करोड़ का भुगतान नहीं किया था।
- जून 2019 में डीटीटीडीसी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली में विद्यमान होहो बस सेवा की खराब प्रतिक्रिया के कारण नीचे दिए गए अनुसार थे:

  क) बसें केवल बीटेन ट्रैक पर चल रही थीं और दिल्ली के कई दिलचस्प पर्यटक आकर्षण छूट गए;

  ख) अपने ऑन-बोर्ड प्री-रिकॉर्डिंग/लाइव कमेंट्री के माध्यम से यात्रियों की रुचि बनाए रखने में सक्षम नहीं;

ग) अगले पर्यटन स्थल के लिए होहो बस पकड़ने के लिए लंबी प्रतीक्षा अवधि (न्यूनतम 45 मिनट प्रतीक्षा अवधि);

घ) उन स्थल/स्मारकों पर जहाँ बस रुकने वाली है, बैठने की सुविधा के साथ हॉल्टिंग प्वाइंट/बस स्टॉप का अभाव;

ङ) बस सेवा में बोर्ड पर पेशेवर प्रशिक्षित स्वयंसेवक नहीं थे; तथा

च) सूचना संचार तथा प्रोद्योगिकी सक्षम स्मार्ट सेवा का अभाव।

हालांकि, लेखापरीक्षा को प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति उपलब्ध नहीं कराई गई।

इस प्रकार जुलाई 2020 के पश्चात रा.रा.क्षे.दि.स. ने दिल्ली आने वाले पर्यटकों के लिए कोई समर्पित बस सेवा प्रदान नहीं की। डीटीटीडीसी यात्रियों की संख्या और बसों की आवृतियों की निगरानी की कमी के कारण सेवा की गुणवत्ता और सेवा की बेहतरी के प्रयासों का आकलन नहीं कर सका।

पर्य.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि 9 जुलाई 2020 को होहो बस सेवा के प्रचालन के विद्यमान अनुबंध की समाप्ति पर कोविड-19 महामारी के कारण बस सेवा के लिए नई निविदाओं के लिए प्रक्रिया करना संभव नहीं था। बस सेवा की निगरानी के संबंध में डीटीटीडीसी ने कहा कि इस पर परियोजना प्रबंधन यूनिट (पीएमयू) के माध्यम से निगरानी की गई जिसमें डीटीटीडीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ ऑपरेटर शामिल थे।

मौजूदा अनुबंध की समाप्ति के संबंध में उत्तर को जून 2019 में डीटीटीडीसी द्वारा आरंभ की गई 25 नई बसों के प्रस्ताव की समीक्षा को इस आलोक में देखा जाना चाहिए जो महामारी की शुरुआत से पहले पूरी हो सकती थी। बस सेवा की निगरानी के संबंध में उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि कोई भी सूचना जैसे एक माह के दौरान बस सेवा का लाभ उठाने वाले यात्रियों की संख्या, बस में सुविधाएं, बस स्टाफ का प्रशिक्षण और शिक्षा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।

2.6.8.2 बिस्तर और नाश्ता योजना

बिस्तर और नाश्ता योजना उन पर्यटकों को जो पारंपरिक भारतीय गृह संस्कृति का आनंद लेना चाहते हैं और परिवारों के समर्थन और सुरक्षा का विश्वास हासिल करते हैं व सुखद यादों के साथ वापस जाना चाहते हैं, पर्यटन विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अनुमोदित बजट आवास प्रदान करती है। अनुमोदित बेड एवं ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों की सूची पर्य.वि., रा.रा.क्षे.दि.स. की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पर्य.वि. ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि, प्रदान की गई सेवाएँ निर्धारित मानदंडो के अनुसार थीं, प्रतिष्ठानों के आवधिक निरीक्षण के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया।

पर्य.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि यादृच्छिक एवं औचक जांच करने का निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि उनके द्वारा इस अधिनियम और नियमों के तहत बनाए गए प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

2.6.8.3 फिल्म शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस

रा.रा.क्षे.दि.स. ने शूटिंग हेतु फिल्म निर्माताओं को अनुमति के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस के लिए डीटीटीडीसी को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया (जून 2012)। बाद में डीटीटीडीसी के अंदर एक फिल्म शूटिंग सुविधा प्रकोष्ठ बनाया गया था जिसका उद्देश्य था कि डीटीटीडीसी दिल्ली में फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति की सिंगल विंडो क्लीयरेंस की सुविधा के लिए फिल्म निर्माताओं और हितधारक एजेंसियों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगा। फरवरी 2020 में फिल्म निर्माण सुविधा के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस तंत्र हेतु नीति दस्तावेज तैयार करने के लिए एक एजेंसी का चयन किया गया। एजेंसी ने अंतिम प्रारूप अगस्त 2020 में प्रस्तुत किया।

हालांकि नोडल एजेंसी के रूप में डीटीटीडीसी की नियुक्ति के नौ वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद भी डीटीटीडीसी फिल्म निर्माताओं के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि कोई तंत्र तैयार नहीं किया गया।

डीटीटीडीसी ने कहा (जनवरी 2022) कि जब कोई फिल्म निर्माता/प्रोड्यूसर दिल्ली में फिल्म शूटिंग की अनुमति प्राप्त करने हेतु उनको प्रस्ताव करता है, डीटीटीडीसी उन्हें विभिन्न प्राधिकरणों से पत्रों के जरिए अनुमति प्रदान करने हेतु सहायता करती रहती है। उत्तर पुष्टि करता है कि डीटीटीडीसी फिल्म निर्माताओं को सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रदान करने में विफल रहा।

2.6.8.4 विषय-आधारित पर्यटक सर्किट शुरू नही हुए

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में विषय आधारित पर्यटक सर्किट के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना[27] शुरू की (2014-15) जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य को ₹ 100 करोड़ तक का अनुदान प्रदान किया जाना था।

इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सचिव (पर्यटन), रा.रा.क्षे.दि.स. तथा प्र.नि. और मु.का.अ., डीटीटीडीसी की एक बैठक, सचिव (पर्यटन) के साथ स्वदेश

[27] केन्द्रीय प्रायोजित योजना

दर्शन योजना के अंतर्गत प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए आयोजित की गयी (जुलाई 2016)। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत दिल्ली के सात लीगेसी मार्गों के विकास के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जा सकती है, जिसमें महरौली नोड और आध्यात्मिक सर्किट पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ कुतुब मेट्रो स्टेशन को कुतुब मीनार से जोड़ने वाले एलिवेटेड वॉकवे का निर्माण किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने देर से कार्रवाई शुरू की। प्रस्ताव की तिथि (जुलाई 2016) से तीन वर्षों के बाद भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आदि तैयार करने के लिए सलाहकार को नियुक्त नहीं किया जा सका (मार्च 2020)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पर्यटन विभाग ने नवंबर 2017, अप्रैल 2018 एवं जून 2018 में डीटीटीडीसी से मामले को देखने और इस पर नवीनतम स्थिति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। हालांकि अभिलेख में डीटीटीडीसी का कोई उत्तर नहीं पाया गया। इस प्रकार रा.रा.क्षे.दि.स., भा.स. के अनुदानों का लाभ उठाने में असमर्थ रही क्योंकि किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया तथा भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

पर्यटन विभाग ने कहा (जनवरी 2022) कि नवंबर 2019 में सलाहकार की नियुक्ति के लिए आरएफपी जारी किया गया था लेकिन केवल एक बोली प्राप्त हुई इसलिए निविदा को रद्द कर दिया गया और दिसंबर 2019 में एक नई निविदा प्रक्रिया शुरू की गई। परंतु कोविड 19 महामारी के कारण अगस्त 2020 तक बहुत अधिक प्रगति नहीं की जा सकी। बाद में जुलाई 2021 में पर्यटन मंत्रालय ने सूचित किया कि स्वदेश दर्शन योजना समीक्षाधीन है और योजना के तहत नई परियोजनाओं की मंजूरी चल रही समीक्षा के परिणाम के अधीन थी।

पर्य.वि. का उत्तर स्वयं इंगित करता है कि योजना की अवधि जो मार्च 2020 तक थी, के अंत में प्रक्रिया बहुत देर से शुरू की गई थी और उसके बाद की गई किसी भी कार्रवाई की कोई प्रासंगिकता नहीं थी।

इस प्रकार विभाग के नीरस रवैये और धीमी गति के दृष्टिकोण के कारण दिल्ली में थीम आधारित पर्यटन सर्किट में सुधार करने तथा भा.स. से ₹ 100 करोड़ का अनुदान प्राप्त करने का अवसर समाप्त हो गया।

2.6.9 पर्यटन से संबंधित स्थलों/बुनियादी ढांचे का खराब रखरखाव

रा.रा.क्षे.दि.स. के पुरातत्व विभाग के पास दिल्ली के रा.रा.क्षे. में इसके अधिकार क्षेत्र में 65 स्मारक हैं जिनका उचित रूप से संरक्षण एवं रखरखाव किया जाना है। इसके अलावा कुछ पर्यटन स्थान जैसे दिल्ली हाट, गार्डन ऑफ फाइव सेंसिस

आदि भी डीटीटीडीसी द्वारा स्थापित किए गए हैं। लेखापरीक्षा ने उपलब्ध सुविधाओं और उनकी स्थिति का आकलन करने के लिए 18 स्मारकों[28] एवं दो अन्य स्थानों (भलस्वा झील और गार्डन ऑफ फाइव सेंसिस) का संयुक्त निरीक्षण[29] किया (जून 2021)। संयुक्त निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई कमियों को **परिशिष्ट 2.8** मे इंगित किया गया है।

2.6.9.1 संरक्षित स्मारकों का खराब रखरखाव एवं अनुरक्षण

स्मारकों के संरक्षण के बाद उनके रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं होना: लेखापरीक्षा ने पाया कि इमामबाड़ा, बवाना जेल, तथा गार्डन बगीची जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे। विभाग ने ना तो इन स्मारकों के रखरखाव स्वयं करने की कोई व्यवस्था की ना ही उन्होनें किसी निजी एजेंसी को दिन-प्रतिदिन के रखरखाव के लिए नियुक्त किया। विभाग ने इमामबाड़ा (2014-16 के दौरान ₹ 26.34 लाख), और बवाना जेल (2016-20 के दौरान ₹ 49.50 लाख) के संरक्षण पर ₹ 75.84 लाख खर्च किए। उच्च व्यय के बावजूद ये स्मारक जीर्ण-शीर्ष अवस्था में पाए गए। फोटोग्राफ सं.1 व 2 इमामबाड़ा तथा बवाना जेल की स्थितियों को दर्शाता है:

फोटोग्राफ - I

इमामबाड़ा की जीर्ण-शीर्ण अवस्था (फोटोग्राफ 22.06.2021 को सुबह 11.15 पर लिया गया)

---

28 पुरातत्व विभाग के प्रबंधन प्रतिनिधि (18 स्मारकों के लिए) एवं डीटीटीडीसी (दो अन्य स्थलों के लिए) के साथ लेखापरीक्षा दल द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया।

29 सराय (बदरपुर गांव), महल (महिपालपुर गांव), कटरा (घरेलू हवाई अड्डे के पास मेहराम नगर), गौतम नगर मकबरा (एम्स के पास), गोल गुंबद (लोधी रोड के पास), मस्जिद (लोधी गार्डेन), कोस मीनार (नरेला), दारा शिकोह लाइब्रेरी (मोरी गेट), जेल बवाना (बवाना), इमामबाड़ा (नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास कुतुब रोड, घुड़शाला (महरौली पुरातत्व पार्क), महरौली पुरातत्व पार्क में दो मकबरे, बारादरी (साधना इनक्लेव, शेख सराय), झरना (मेहरौली), विद्रोह स्मारक (हिंदू राव अस्पताल के पास उत्तरी रिज), सराय (नेशनल जूलौजीकल पार्क, प्रगति मैदान), गार्डन बगीची (दिल्ली गोल्फ क्लब)।

फोटोग्राफ - 2

बवाना जेल में सीपेज (फोटोग्राफ 17.06.2021 को दोपहर 1.15 पर लिया गया)

फोटोग्राफ - 3

दिल्ली गोल्फ क्लब स्थित बगीची उदयान स्मारक की जीर्ण-शीर्ण अवस्था (फोटोग्राफ 22.06.2021 को दोपहर 1.15 पर लिया गया)

फोटोग्राफ - 4

दिल्ली गोल्फ क्लब स्थित बगीची उदयान स्मारक के बाहरी प्लास्टर का टूट कर गिरना और बदरंग बाहरी दीवार (फोटोग्राफ 22 जून 2021 को दोपहर 1.20 पर लिया गया)

- **स्मारक सूचना-पट्ट स्थापित ना होना :** लेखापरीक्षा ने पाया कि दो स्मारकों (कटरा और बगीची उदयान) पर स्मारक सूचना-पट्ट गायब थे। एक स्मारक (सराय) में सूचना-पट्ट झाड़ियों से ढका हुआ पाया गया था।

फोटोग्राफ - 5

राष्ट्रीय जूलौजिकल पार्क स्थित स्मारक सराय में झाड़ियों से ढँका स्मारक सूचना पट्ट (फोटोग्राफ 23.06.2021 को सुबह 11.45 पर लिया गया)

विभाग ने कहा (जनवरी 2022) कि पुरातत्व विभाग द्वारा कटरा और गार्डन बगीची में संरक्षण कार्य शुरू किया गया था जो रक्षा संपदा कार्यालय द्वारा उठाए गए अनुमति के मुद्दे के कारण पूरा नहीं किया जा सका। इन स्मारकों पर सांस्कृतिक सूचना बोर्ड इनका संरक्षण कार्य पूरा होने के बाद लगाए जाएंगे। नेशनल जूलौजिकल पार्क में सराय नामक स्मारक के संरक्षण कार्य का पहला चरण पूरा हो गया है। इसके संरक्षण के दूसरे चरण के पूरा होने के बाद, प्रमुख स्थान पर एक नया बोर्ड स्थापित किया जाएगा।

- **सुरक्षा का अभाव :** सुरक्षा ना केवल स्मारकों के रखरखाव के लिए बल्कि वहां जाने वाले आंगतुकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेखापरीक्षा ने देखा कि नमूना जांच किए गए 18 स्मारकों में से किसी में भी सुरक्षा यंत्र जैसे सीसीटीवी कैमरे, अग्निशामक उपकरण नहीं थे (संदर्भ **परिशिष्ट 2.8**)। विभाग ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा कहा (जनवरी 2022) कि सीसीटीवी कैमरे एवं अग्निशामक उपकरणों की स्थापना के लिए एक व्यवहार्य अध्ययन किया जाएगा।

- **शौचालय की अनुपलब्धता :** लेखापरीक्षा ने देखा कि नमूना जांच किए गए 18 स्मारकों में से किसी में भी शौचालय उपलब्ध नहीं थे।

- **दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ नही :** लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन स्मारकों में से कोई भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ नहीं था, क्योंकि किसी भी स्मारक में व्हीलचेयर और ब्रेल लिपि में जानकारी उपलब्ध नहीं थी। यह दिव्यांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1996 का उल्लंघन था। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा इस मुद्दे पर व्यवहार्य रिपोर्ट तैयार करने का आश्वासन दिया।

- **द्वार बंद मिले :** संयुक्त निरीक्षण के दौरान दो स्मारकों (बवाना जेल और विद्रोह स्मारक) के प्रवेश द्वार बंद पाए गए यद्यपि इन्हें जनता के लिए खुला बताया गया था।

फोटोग्राफ - 6

बवाना जेल के द्वार पर ताला पाया गया
(फोटोग्राफ 17.06.2021 को दोपहर 13.15 पर लिया गया)

फोटोग्राफ - 7

विद्रोह स्मारक के द्वार पर ताला
(फोटोग्राफ 26.08.2021 को दोपहर 2.49 पर लिया गया)

2.6.9.2 दो अन्य पर्यटक स्थलों में पाई गई कमियां

क) **भलस्वा झील:** वर्ष 1992 में ग्राम पंचायत द्वारा दिल्ली की जनता को मनोरंजक नौका विहार उपलब्ध करने के लिए भलस्वा झील डीटीटीडीसी को सौंप दी गई थी। डीटीटीडीसी ने इस सुविधा को विकसित किया तथा बनाए रखा। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि भलस्वा झील में पर्यटकों के आकर्षण की अच्छी संभावना थी फिर भी पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए झील पर कोई सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध नहीं था।

ख) **गार्डन ऑफ फाइव सेंसिस:** गार्डन ऑफ फाइव सेंसिस फरवरी 2003 में डीटीटीडीसी द्वारा विकसित एक पार्क है जो लगभग 20 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। गार्डन की अवधारणा पर्यावरण के प्रति किसी की संवेदी प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से की गई है। गार्डन में रंग, सुगंध एवं बनावट के संयोजन के साथ स्पर्श,गंध, दृष्टि, ध्वनि तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि गार्डन ऑफ फाइव सेंसिस में कोई गाइड उपलब्ध नहीं थे।

2.6.9.3 पीतमपुरा और जनकपुरी के दिल्ली हाट में खाली स्टॉल

दिल्ली हाट, आईएनए को कारीगरों के लिए विपणन स्थान प्रदान करने के लिए खोला गया था (मार्च 1994) जहां विभिन्न राज्यों को उनके क्षेत्रीय शिल्प और व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने के लिए स्टॉल (खादय स्टॉल और शिल्प स्टॉल) आवंटित किए गए हैं। तत्पश्चात पीतमपुरा (अप्रैल 2008) और जनकपुरी (जुलाई 2014) में दिल्ली हाट खोले गए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पीतमपुरा और जनकपुरी में दिल्ली हाट पर प्रति दिन 487 से 1,023 के बीच नाममात्र ग्राहकों की भीड़ देखी गई, जिसके लिए 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान खाली स्टॉलों (65 से 78 प्रतिशत) के उच्च प्रतिशत को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जैसा कि **परिशिष्ट 2.9** में वर्णित है।

दिल्ली हाट, पीतमपुरा (डीएचपीपी) में 2016 से खाद्दय स्टॉल गिराए गए थे (नीचे दिये गए फोटोग्राफ के अनुसार) लेकिन मलबा/निर्माण सामग्री आज तक (29.09.2021) नहीं हटाई गई थी। यह भी ग्राहकों की संख्या कम होने का कारण है।

फोटोग्राफ 8 तथा 9

21.09.2021 को डीएचपीपी में स्क्रैप सामग्री

21.09.2021 को डीएचपीपी में स्क्रैप सामग्री

पर्य.वि. ने तथ्य को स्वीकारते हुए कहा (जनवरी 2022) कि दिल्ली हाट जनकपुरी और पीतमपुरा में ग्राहकों की कम भीड़ कई बाजारों/वाणिज्यिक बाजारों/मॉल से घिरे हुए क्षेत्रों के कारण थी क्योंकि ऐसे आंगुतुकों के पास खरीददारी और भोजनालयों के लिए अधिक विकल्प होते हैं। यह खादय और शिल्प स्टालों के व्यवसाय को कम व्यवहार्य तथा घाटे में चलने वाला बना देता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डीटीटीडीसी/पर्य.वि. ने जनकपुरी दिल्ली हाट के बाजार तथा वित्तीय व्यवहार्यता का आकलन व्यवसाय योजना की तैयारी, वाणिज्यिक स्थानों के टैरिफ का निर्धारण इत्यादि के पश्चात मेगा पर्यटन परियोजना के रूप में किया था।

पर्य.वि. ने डीएचपीपी में मलबे के संबंध में उत्तर दिया (जनवरी 2022) कि मलबे को हटा दिया गया है और संरचना का पुननिर्माण किया जा रहा है। तथ्य यह है कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात ही मलबे को हटाया गया था।

2.6.10 प्रशिक्षण

रा.रा.क्षे.दि.स. ने दिल्ली इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलाजी (संस्थान) की स्थापना की (1983)। लेखापरीक्षा ने पाया कि अप्रैल 2017 से संस्थान ने कोई बाजार सर्वेक्षण नहीं किया जिससे कौशल की आवश्यकता अनुसार इसके पाठ्यक्रम बनाये जा सकें।

संस्थान 2018-19 में चार विदेशी भाषाओं[30] और 2019-20 में दो विदेशी भाषाओं[31] में पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करता था हालांकि इनमें से कोई भी पाठ्यक्रम किसी परिषद/बोर्ड से संबंद्ध नहीं था। प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या 25 थी जिसके प्रति 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमश: 74 और 117 छात्रों ने नामाकंन किया था। हालांकि संस्थान ने पर्यटन पर प्रशिक्षण के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है।

संस्थान ने आतिथ्य क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास के लिए एक योजना 'आत्मनिर्भरता की ओर' तैयार की (मई 2015)। हालांकि छह वर्ष बीत जाने के बाद भी यह योजना अमल में लाई जानी थी।

2.6.11 निष्कर्ष

एक सफल पर्यटन नीति क्षमता तथा विद्यमान और संभावित पर्यटकों की आवश्यकता की गहरी समझ पर आधारित होती है। डेटा तथा अनुसंधान ऐसी

30 फ्रेंच, स्पेनीश, जर्मन एवं जापानीज
31 स्पैनीश एवं फ्रेंच

नीति का आधार बनते हैं। पर्यटन विभाग और डीटीटीडीसी ने न तो कोई पर्यटन नीति बनाई, न ही कोई डेटा बनाया और न ही दिल्ली आने वाले पर्यटकों के प्रकार तथा आवश्यकताओं पर कोई शोध किया। पर्यटन के लिए अंतर-मंत्रालयी परामर्श और सहयोग की आवश्यकता होती है क्योंकि पर्यटक सूचना, परिवहन, सुरक्षा, आश्रय तथा उपयुक्त पैकेज की तलाश में रहते हैं। पुरातत्व विभाग ने रा.रा.क्षे.दि.स. को अन्य विभागों की विशेषज्ञता से वंचित करते हुए एक सलाहकार परिषद का गठन नहीं किया। नीति, डेटा तथा अनुसंधान के अभाव के कारण दिशाहीन दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ। चार वर्षों की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई नई परियोजनाएं/योजनाएं शुरू नहीं की गईं थी। डीटीटीडीसी ने 2017-21 की अवधि के दौरान ₹ 279.39 करोड़ का नाममात्र व्यय किया। डीटीटीडीसी राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के अपने प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सका। इसका ध्यान मुख्यत: पर्यटन के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों पर पाया गया। निगरानी के अभाव के कारण पर्यटकों के लिए योजनाएं विफल हो गईं। होहो बस सेवा वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रही तथा जुलाई 2020 में बंद कर दी गईं। अधिकतर प्रस्तावित योजनाएं कार्यान्वित नहीं की गईं थी तथा परिणामस्वरूप भा.स. से ₹ 100 करोड़ का अनुदान प्राप्त नहीं किया जा सका। स्मारकों/पर्यटक स्थलों का रखरखाव तथा अनुरक्षण खराब था। नमूना जाँच किए गए स्मारकों की स्थिति जर्जर पाई गई थी और कुछ में मूलभूत सुविधाओं जैसे शौचालयों, रोशनी तथा सूचना बोर्डों का अभाव था। रा.रा.क्षे.दि.स. दिल्ली में पर्यटन के विकास के लिए कोई सफल नीतिगत योजना बनाने में विफल रही। डीटीटीडीसी का अधिक उपयोग पर्यटन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था और अधिक राजस्व अर्जित नहीं किया जा सका।

2.6.12 अनुशंसाएं

पर्यटकों को आवश्यक सुविधाओं के साथ सूचना, सुरक्षा, आश्रय, आसानी से सुलभ परिवहन तथा स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित पर्यटन स्थलों की आवश्यकता होती है। एक उपयुक्त पर्यटन नीति इन प्रसंगों को एक संरचित तरीके से संबोधित करती है। सरकार को चाहिए कि:-

- पर्यटन नीति को ठोस डेटा तथा अनुसंधान के आधार पर तथा उस क्षेत्र के विशेषज्ञों की सहायता से तैयार करे। दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक कार्रवाई की योजनाओं को रोड मैप तथा लक्ष्यों के साथ निर्धारित किया जाना चाहिए। ऐसे स्थलों के विकास के लिए पर्यटक का व्यवहार, उनकी आवश्यकताओं तथा मनमोहक स्थलों और उसके अनुकूल प्रयास एक ठोस नीति की आधारभूत आवश्यकताएं हैं।

- सामयिक अंतर-मंत्रालयी परामर्श तथा सलाहकार बोर्ड का गठन करें ताकि पर्यटकों की सभी आवश्यकताओं जैसे परिवहन, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सूचना, सफाई, स्वच्छता सुविधाओं, सुरक्षित तथा किफायती होटल तथा रेस्तरां, स्मारिक दुकानें, सुलभ क्लीनिक, सांस्कृतिक मनोरंजन इत्यादि उपलब्ध करवाई जा सकें।

- पर्यटकों की आवाजाही तथा गतिविधियों की निगरानी हेतु एक कंप्यूटरीकृत एकीकृत डेटाबेस विकसित करे तथा उसे लक्षित योजनाओं के साथ एकीकृत करे। प्रोमोशनल रणनीतियों, आकर्षक एवं सूचनाप्रद वेबसाइट, पेम्फलेटस, ऑल-राउंड पैकेजों की आवश्यकता को एक उचित समयसीमा के अंदर संबोधित किया जाना चाहिए।

- डीटीटीडीसी के पर्यटन डिविजन को मजबूत करने के लिए बंद शराब डिविजन में पूर्व में तैनात जनशक्ति को तैनात करने की योजना बनाना। स्टाफ को उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

- स्मारकों/पर्यटन स्थलों के उचित अनुरक्षण एवं इसकी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र बनाना।

- राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय उत्तम पद्धतियों का अध्ययन करना तथा दिल्ली में आने वाले पर्यटकों के व्यवहार को देखते हुए उचित मनोरंजन नीतियों के साथ उपयुक्तता से उनको कार्यान्वित करे।

प्रशिक्षण निदेशालयः केंद्र शासित प्रदेश सिविल सेवा

2.7 ₹ 168 लाख की राशि के प्रशिक्षण भत्ते का अनियमित भुगतान

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए प्रशासनिक कार्य हेतु के.शा.प्र.सि.से. में पदस्थापित कर्मचारियों को प्रशिक्षण भत्ता प्रदान करने के परिणामस्वरूप ₹ 168 लाख के प्रशिक्षण भत्ते का अनियमित भुगतान हुआ।

चौथे वेतन आयोग के वेतनमान की शुरूआत के परिणामस्वरूप कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), भारत सरकार ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 12017/2/86-प्रशि. (टी.एन.पी.) दिनांक 31 मार्च 1987 के द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों में संकाय सदस्यों की स्थिति में सुधार के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, "जब कोई सरकारी कर्मचारी, एक स्थायी संकाय सदस्य के अलावा, एक संकाय सदस्य के रूप में सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान में शामिल होता है, तो उसे मूल वेतन का 30 *प्रतिशत* की दर पर प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा।" यह प्रशिक्षण भत्ता अन्य को नहीं बल्कि केवल उस प्राध्यापक को देय था जिसका

कार्य प्रशिक्षण/शिक्षण देना है। प्रशिक्षण भत्ते की दर समय-समय पर संशोधित की जाती रही है। प्रशिक्षण भत्ते पर अवकाश वेतन और सेवानिवृत्ति के समय देय अवकाश नकदीकरण के लिए भी विचार किया गया था।

2008-09 से 2020-21 तक (सितम्बर 2020 तक) के वेतन रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि के.शा.प्र.सि.से. ने अपने उन कर्मचारियों को ₹ 166 लाख का भुगतान किया था जो नियमित वेतन के साथ प्रशिक्षण भत्ते पाने हेतु संकाय सदस्य नहीं थे। इसके अतिरिक्त, के.शा.प्र.सि.से. ने इन कर्मचारियों को अतिरिक्त एलटीसी अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति अवकाश नकदीकरण के ₹ 2.05 लाख का भुगतान किया था। इस प्रकार के.शा.प्र.सि.से. में पदस्थापित कर्मचारियों को प्रशिक्षण भत्ते के रूप में दिया गया कुल ₹ 168 लाख का भुगतान अनियमित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नवम्बर 2003 में के.शा.प्र.सि.से. ने पूर्वव्यापी प्रभाव से 11 पदों[32] के धारण करने वाले कार्मिकों को 15 *प्रतिशत* विशेष प्रशिक्षण भत्ते (वि.प्र.भ.) के भुगतान के लिए वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. की सहमति मांगी थी जिसमें कहा गया था कि यह कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगा और के.शा.प्र.सि.से. में तैनाती के लिए प्रतिभाशाली अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आकर्षित करेगा। वित्त विभाग ने अप्रैल 2004 में प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की जो 01 जनवरी 1988 से प्रभावी था।

उपरोक्त 11 पदों के संबंध में वि.प्र.भ. देने हेतु के.शा.प्र.सि.से. का प्रस्ताव शुरू से ही अनियमित था क्योंकि ये प्रशासनिक पद थे जबकि डीओपीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार कर्मचारी जो केवल प्राध्यापक के रूप में प्रशिक्षण संस्थान में नियुक्त होते हैं, वे ही प्रशिक्षण भत्ते के योग्य थे। वित्त विभाग ने भी प्रस्ताव पर सहमति देने में गलती की क्योंकि उसने डीओपीटी के आदेशों की सही व्याख्या नहीं की।

के.शा.क्षे.सि.से. ने कहा (सितम्बर 2021) कि जिन अधिकारियों को प्रशिक्षण भत्ता दिया जा रहा था, वे प्रशिक्षण मॉड्यूल की तैयारी, प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुभव साझा करने वाले सत्र तथा परिचयात्मक एवं समापन सत्र जैसी गतिविधियों में शामिल कार्यात्मक कर्मचारी/सदस्य थे और इसलिए प्रशिक्षण भत्ते के लिए पात्र थे।

के.शा.क्षे.सि.से. द्वारा अपने जवाब में कर्मचारियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण भत्ता के समर्थन में दिए गए कारण मान्य नहीं है। जिन कर्मचारियों को

[32] सचिव एवम् निदेशक (प्रशिक्षण), संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), उपनिदेशक (प्रशिक्षण), सहायक निदेशक (प्रशिक्षण), सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरि-नि.स., श्रेणी i से iv (डीएएसएस) एवं श्रेणी iii आशुलिपिक।

प्रशिक्षण भत्ता दिया जा रहा है, उन्हें प्रशिक्षण के लिए समन्वय कार्य सहित प्रशासनिक कार्यों के लिए सं.शा.क्षे.सि.से. में तैनात किया गया है। कार्यात्मक संकायों के संबंध में डीओपीटी के किसी भी आदेश में कोई प्रावधान नहीं है। डीओपीटी के दिनांक 31 मार्च 1987 के कार्यालय ज्ञापन का सार यह है कि एक स्थायी संकाय सदस्य के अलावा केवल एक प्रशिक्षण संस्थान में एक संकाय सदस्य के रूप में शामिल होने वाले कर्मचारी ही प्रशिक्षण भत्ते के लिए पात्र हैं। केवल प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया का हिस्सा होने का अर्थ संकाय का सदस्य होना नहीं हो सकता।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय-नेताजी सुभाष प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय

2.8 ₹ 66.25 लाख की राशि का अनियमित व्यय

नेताजी सुभाष प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के अनुमोदन के बिना सहायक रजिस्ट्रार के दो पदों के सृजन के परिणामस्वरूप वेतन एवं भत्ते पर ₹ 66.25 लाख का अनियमित व्यय हुआ।

नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ने.सु.प्रौ.वि.) एक स्वायत्त निकाय है जो पूरी तरह से रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा वित्त पोषित है। प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय के कार्यालय ज्ञापन (29 अगस्त 2002) के संदर्भ में, नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (जिसे बाद में ने.सु.प्रौ.वि. के रूप में बदल दिया गया) को सहायता प्रतिमान (स.प्र.) में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों का पालन करना आवश्यक था। स.प्र. के पैरा-VI में कहा गया है कि रा.रा.क्षे.दि.स. की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, संस्थान के विकास की रूपरेखा में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थान यूजीसी/एआईसीटीई के मानदंडों/दिशानिर्देशों के ढांचे के भीतर विभिन्न श्रेणियों के तहत पदों का सृजन कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ने.सु.प्रौ.वि. (पूर्व में सु.प्रौ.सं.) ने रा.रा.क्षे.दि.स. की पूर्वानुमति लिए बिना छठे के.वे.आ. के अनुसार ₹ 5,400 के ग्रेड-पे में सहायक रजिस्ट्रार के दो अतिरिक्त पद सृजित किए (मार्च 2016)। इनमें से एक पद अप्रैल 2016 से अप्रैल 2021 तक प्रचलन में था और इस अवधि के दौरान इस पद के प्रति वेतन भत्तों पर ₹ 66.25 लाख का व्यय किया गया। सहायक रजिस्ट्रार का अन्य पद, हालांकि इसे सृजित किया गया था परन्तु भरा नहीं गया था, इस प्रकार पद के प्रति कोई व्यय नहीं किया गया। चूंकि ये पद सरकार के अनुमोदन के बिना सृजित किए गए थे इसलिए इनके प्रति वेतन भत्तों पर किया गया ₹ 66.25 लाख का व्यय अनियमित था।

ने.सु.प्रौ.वि. ने उत्तर में कहा (नवम्बर 2021) कि इन दो पदों को छात्रों की संख्या में वृद्धि और नए संकाय की भर्ती के कारण उत्पन्न अतिरिक्त कार्य को पूरा करने के लिए सृजित किया गया था और पदों का सृजन सीनियर प्रोग्रामर और वरिष्ठ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के एक-एक रिक्त पद को परिवर्तित करके किया गया था। यह भी कहा गया कि इन पदों के सृजन के लिए कार्योत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव माननीय उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स.प्र. में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि पदों का सृजन रा.रा.क्षे.दि.स. के पूर्व अनुमोदन से होना चाहिए और ये पद रा.रा.क्षे.दि.स. की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना सृजित किए गए थे जो कि अनियमित था।

शहरी विकास विभाग

2.9 दिल्ली जल बोर्ड द्वारा ₹ 114.01 लाख की निधि का अवरोध एवं ₹ 25.42 लाख के ब्याज की हानि

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सड़क जीर्णोद्धार प्रभारों के गलत भुगतान के कारण ₹ 114.01 लाख की निधि का अवरोध हुआ एवं परिणामस्वरूप ₹ 25.42 लाख के ब्याज की हानि हुई।

शहरी विकास विभाग (यूडीडी) के कार्यालय आदेश दिनांक 10 मार्च 2016 के अनुसार, यह निर्णय लिया गया था कि भविष्य में सभी अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों को करने का कार्य एक मात्र एंजेसी दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम को ही सौंपा जायेगा।

"दिल्ली में केशोपुर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैचमेंट एरिया के अंतर्गत आने वाली कॉलोनियों के भूपेंद्र सिंह नगर ग्रुप में 250 मि.मी. से 500 मि.मी. व्यास के डीडब्ल्यूसी एचडीपीई औसत व्यास के इंटरनल एंड पेरिफेरल सीवर लाइन उपलब्ध कराने और बिछाने" का कार्य, कार्य आदेश दिनांक 01 अगस्त 2017 को दिल्ली जल बोर्ड के तहत ₹ 3.01 करोड़ की लागत पर एक ठेकेदार को सौंप दिया था। तीन अनाधिकृत कॉलोनियों अर्थात् धर्मपुरी कॉलोनी, रवि नगर एक्सटेंशन और आरजेडसी-ब्लॉक विष्णु गार्डन में कार्य क्रियान्वित किया जाना था।

सड़क जीर्णोद्धार (आरआर) प्रभार से संबंधित फाइलों की जांच से पता चला कि 21 मार्च 2018 को दि.ज.बो. द्वारा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) के पास ₹ 1,14,00,937/- की राशि इस कार्य के लिए आरआर प्रभार के रूप में जमा की गई थी। चूंकि अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य डीएसआईआईडीसी द्वारा किए जाने थे, इसलिए एसडीएमसी को कोई आरआर प्रभार का भुगतान

नहीं किया जाना था। अतः आरआर प्रभार के रूप में एसडीएमसी के पास जमा की गई राशि गलत थी और इसके कारण ₹ 114.01 लाख की धनराशि अवरूद्ध हो गई। आरआर प्रभार की वापसी का दावा दि.ज.बो. द्वारा 12 फरवरी 2019 के पत्र के द्वारा किया गया था, लेकिन दि.ज.बो. द्वारा इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया और एसडीएमसी से रिफंड अभी भी प्रतीक्षित है।

दि.ज.बो. ने कहा (सितम्बर 2021) कि क्रियान्वयन के दौरान एसडीएमसी के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर कार्य को रोक दिया गया था क्योंकि सड़क स्वामित्व वाली एजेंसी होने के कारण उनसे कार्य की अनुमति नहीं ली गई थी। इसके अतिरिक्त, एसडीएमसी ने ₹ 114.01 लाख के आरआर प्रभार की मांग की जिसका भुगतान कार्य निष्पादन की अनुमति प्राप्त करने के लिए किया गया था। हालांकि, कार्य के क्रियान्वयन के दौरान एसडीएमसी ने बताया कि क्षेत्र की सड़कें उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तथा राशि दि.ज.बो. को वापस कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक (अगस्त 2021) एसडीएमसी द्वारा राशि वापस नहीं की गई है।

हालांकि, मार्च 2016 के यूडीडी कार्यालय के आदेश के मद्देनजर, जिसमें यह कहा गया था कि सभी अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य डीएसआईआईडीसी को सौंपे जाएंगे, इसलिए डीजेबी को आरआर प्रभार का भुगतान करने से पहले एसडीएमसी की मांग के संबंध में यूडीडी से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था।

इस प्रकार, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अनुचित आरआर प्रभारों के भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 114.01 लाख की निधि अवरूद्ध हुई तथा ₹ 25.42 लाख[33] के ब्याज की हानि हुई। एस.डी.एम.सी. द्वारा तीन वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी राशि वापस नहीं की गई है।

महिला एवं बाल विकास विभाग

2.10 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की कामकाजी महिला छात्रावासों पर अनुपालन लेखापरीक्षा

2.10.1 परिचय

बड़े शहरों में रोजगार की तलाश में अपना घर छोड़ने वाली महिलाओं को जिन मुख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनमें से एक सुरक्षित और सुविधाजनक आवास की कमी है। कामकाजी महिला छात्रावासों (का.म.छा.) के

[33] 21 मार्च 2018 से 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए 6.8% प्रति वर्ष की दर से परिकल्पित, जो कि 2 से 3 वर्षों की सावधि जमा के लिए एसबीआई का आधार दर है।

माध्यम से पर्याप्त संख्या में आवास उपलब्ध कराने से दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास की समस्या को कम करने में काफी मदद मिलेगी।

व्यवसाय आवंटन नियम 1993 के अनुसार, महिलाओं के कल्याण सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के सामाज कल्याण के उपायों/गतिविधियों की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग (स.क.वि.) की थी। नवम्बर 2007 में, महिला एवं बाल विकास के समग्र विकास हेतु अत्यावश्यक प्रोत्साहन देने के लिए तथा महिलाओं एवं बच्चों विशेषतः समाज के कमजोर वर्गों के महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए, स.क.वि. से एक अलग विभाग अर्थात महिला एवं बाल विकास विभाग (म.बा.वि.वि.) बनाया गया था। म.बा.वि.वि. में एक महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ है जो दिल्ली में महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित निवारक, सुरक्षात्मक और सशक्तिकरण के उपाय करता है।

म.बा.वि.वि. के वेबसाईट के अनुसार निवारक उपायों में का.म.छा. के माध्यम से कार्यरत महिलाओं को सम्मानजनक, उचित और किफायती आश्रय प्रदान करना शामिल है, जिनके पास दिल्ली में रहने का कोई आवास नहीं है। म.बा.वि.वि. के रोहिणी और विश्वास नगर में दो कामकाजी महिला छात्रावास थे। ये छात्रावास यंग वुमन क्रिश्चियन एशोसिएशन, (वाई.डब्ल्यू.सी.ए.), दिल्ली द्वारा 'न लाभ न हानि' आधार पर चलाए जा रहे थे। समझौते के अनुसार वाई.डब्ल्यू.सी.ए. फर्नीचर और फिक्स्चर आदि के अनुरक्षण एवं रख-रखाव के लिए जिम्मेदार थे जबकि प्रमुख मरम्मत डीडब्ल्यूसीडी द्वारा की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने 2018-19 से 2020-2021 के दौरान दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करने के लिए म.बा.वि.वि., रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा किए गए प्रयासों की जांच की। इस संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की चर्चा आगे के पैराग्राफों में की गई है।

2.10.2 का.म.छा. की आवश्यकता का आकलन न करना

दिल्ली में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करने में पहला कदम कामकाजी महिलाओं की संख्या का आकलन करना है जिन्हें आवास की आवश्यकता है ताकि पर्याप्त संख्या में का.म.छा. के निर्माण की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जा सके। योजना विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने बड़ी संख्या में महिलाओं के ऐसे आवास की प्रतीक्षा करने के कारण अपनी वार्षिक योजनाओं में लगातार अधिक का.म.छा. स्थापित करने

का उल्लेख किया था तथा वाइ.डब्ल्यू.सी.ए. दिल्ली द्वारा संचालित मौजूदा छात्रावासों के पूर्ण अधिभोग का उल्लेख किया था।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि म.बा.वि.वि. के पास दिल्ली में कामकाजी महिलाओं की संख्या जिन्हें आवास की आवश्यकता है, के संदर्भ में कोई डाटा नहीं है। छात्रावास की मांग करने वाली कामकाजी महिलाओं की संख्या से संबंधित जानकारी के अभाव में, म.बा.वि.वि. दिल्ली में कामकाजी महिलाओं की आवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में का.म.छा. की योजना बनाने और उपलब्ध कराने के अपने कार्यों का निर्वहन करने की स्थिति में नहीं था।

म.बा.वि.वि. ने उत्तर में कहा (मई 2022) कि का.म.छा. के लिए भारत सरकार की योजना के तहत दिल्ली में 18 का.म.छा. संचालित है जिनकी निगरानी म.बा.वि.वि. द्वारा नियमित रूप से की जा रही है तथा विश्वास नगर में का.म.छा. को काम पूरा होने के बाद कार्यात्मक बनाया जाएगा।

उत्तर, दिल्ली में का.म.छा. की आवश्यकता के संबंध में जानकारी के अभाव के मुद्दे को स्पष्ट नहीं करता है।

2.10.3 का.म.छा. के कामकाज में पाये गये मुद्दे

म.बा.वि.वि. के पास केवल दो कार्यशील का.म.छा. एक रोहिणी और एक विश्वास नगर में था। इन्हें सितम्बर 2019/अगस्त 2020[34] तक वाईडब्ल्यूसीए द्वारा संचालित और प्रबंधित किया गया था, जिसके बाद वाईडब्ल्यूसीए ने इन के प्रबंधन करने में असमर्थता व्यक्त की और इन्हें बंद करना पड़ा। का.म.छा. रोहिणी एवं विश्वास नगर में क्रमशः 110 और 100 निवासियां की क्षमता थी।

2.10.3.1 का.म.छा. रोहिणी

लेखापरीक्षा ने पाया कि वाइडब्ल्यूसीए दिल्ली ने का.म.छा. रोहिणी के प्रबंधन में अपनी असर्मथता के बारे में म.बा.वि.वि. को सूचित किया था (जुलाई 2019)। वाईडब्ल्यूसीए दिल्ली द्वारा 2014 से म.बा.वि.वि. की ओर से मरम्मत और रखरखाव के मुद्दों की निष्क्रियता को कारण बताया गया, जो महिला छात्रावास के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में कठिनाइयाँ पैदा कर रहे थे। इसके अलावा, इसने सरकार द्वारा उचित पानी के कनेक्शन की कमी और सरकार द्वारा प्रति ₹ 1,000 निवासी प्रति माह की दर से चार्ज करने की भी सूचना दी थी जिसे वाइडब्ल्यूसीए द्वारा जमा किया गया था।

---

34 इन्हें वाईडब्ल्यूसीए को उनके संचालन और प्रबंधन के लिए शुरू में तीन साल की अवधि के लिए सौंपा गया था (अगस्त-सितम्बर 2013)। बाद में इस अवधि को क्रमशः रोहिणी और विश्वास नगर में का.म.छा. के लिए सितम्बर 2019 और अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया गया था।

चूंकि म.बा.वि.वि. द्वारा वाईडब्ल्यूसीए, दिल्ली की चिंताओं को विधिवत संबोधित नहीं किया गया था, इसलिए पूर्व में का.म.छा. रोहिणी को चलाने के लिए अनुबंध के नवीनीकरण हेतु रूचि नहीं दिखाई गई। अंततः सितम्बर 2019 में छात्रावास में 65 लोग रहते थे।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2021) कि वाईडब्ल्यूसीए निकटतम मेट्रो स्टेशन से खराब कनेक्टिविटी और निवासियों को प्राप्त करने में कठिनाई के कारण का.म.छा. रोहिणी का प्रबंधन करने में असमर्थ था। यह भी कहा गया था कि विभाग के संज्ञान में किसी भी मरम्मत या बुनियादी ढांचे के मुद्दों को नहीं लाया गया था।

म.बा.वि.वि. का जवाब गलत प्रतीत होता है क्योंकि वाईडब्ल्यूसीए द्वारा निदेशक, म.बा.वि.वि. को 26 जुलाई 2019 के अपने पत्र में मरम्मत और बुनियादी ढांचे के मुद्दों को स्पष्ट रूप से संज्ञान में लाया गया था।

2.10.3.2 का.म.छा., विश्वास नगर

इसी तरह वाईडब्ल्यूसीए दिल्ली ने छात्रावास की भवन की बिगड़ती स्थिति जैसे दरारें, टूटी हुई टाइलों और सीपेज के बढ़ने से निवासियों के लिए खतरे को उत्पन्न कर दिया था (अप्रैल से अक्तूबर 2019)। इसके अलावा लो.नि.वि., म.बा.वि.वि. एवं वाई.डब्ल्यू.सी.ए. के अधिकारियों की संयुक्त बैठक (10 जून 2019) में छात्रावास भवन की संरचना को बुरी तरह क्षतिग्रस्त घोषित किया गया था और किसी भी बड़ी घटना से बचने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी। हालांकि लेखापरीक्षा ने पाया कि लो.नि.वि. एवं संपदा शाखा, म.बा.वि.वि. के बीच प्राक्कलनों को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप न दिए जाने के कारण मरम्मत और नवीनीकरण कार्य शुरू नहीं हो सका (8 जून 2020)। अतः का.म.छा. विश्वास नगर के जीर्णोद्धार कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए लो.नि.वि. की ओर से निष्क्रियता के कारण अंततः अगस्त 2020 में इसे बंद करना पड़ा। बंद होने के समय छात्रावास में 78 लोग रहते थे।

विभाग ने जवाब दिया (दिसम्बर 2021) कि वह कार्य में तेजी लाने हेतु नियमित रूप से लोक निर्माण विभाग के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

हालांकि, तथ्य यह है कि छात्रावास भवन के डेढ़ वर्ष से अधिक समय तक बंद रहने के बाद भी जीर्णोद्धार का कार्य अधूरा था।

इस प्रकार, इन का.म.छा. के बंद होने के कारण, इन छात्रावासों में रहने वाली 143 महिलाएं वाई.डब्ल्यू.सी.ए. द्वारा नियमित रूप से उठायी गयी चिंताओं को दूर करने में सरकार की विफलता के कारण सुरक्षित और किफायती

आवास से वंचित थीं। अगस्त 2021 तक म.बा.वि.वि. के अधीन कोई का.म.छा. कार्यशील नहीं था।

2.10.4 द्वारका में का.म.छा. का परिचालन नहीं होना

द्वारका में समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धाश्रम के उद्देश्य से वर्ष 2008 में एक भवन का निर्माण किया गया था। बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा का.म.छा. के लिए भवन का उपयोग करने का निर्णय लिया गया था (फरवरी 2011) मंत्री, महिला एवं बाल विकास ने सचिव (म.बा.वि.वि.) को निविदा/अभिरूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से गैर-सरकारी संगठन का चयन कर प्राथमिकता के आधार पर द्वारका में का.म.छा. को कामकाज शुरू करने का निर्देश जारी किया था (जनवरी 2013)। मार्च 2013 में इमारत को म.बा.वि.वि. को स्थानांतरित कर दिया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि म.बा.वि.वि. द्वारा का.म.छा. को चार साल तक संचालित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और नवम्बर 2017 में म.बा.वि.वि. ने इस का.म.छा. को चलाने में दिलचस्पी दिखाने वालों को आमंत्रित किया था। तीन गैर सरकारी संगठनों से आवेदन प्राप्त हुए थे लेकिन सभी गैर सरकारी संगठनों को आयोग्य पाया गया (नवम्बर 2018) और पुनः निविदा की सिफारिश की गई थी। तत्पश्चात, विभाग ने पिछली निविदाओं को रद्द करने के तीन वर्ष से अधिक समय के बाद भी द्वारका में का.म.छा. के संचालन के लिए कोई अतिरिक्त कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार, वर्ष 2013 में हस्तांतरित भवन पिछले आठ वर्षों से अनुपयोगी पड़ा हुआ था, जिससे भवन निर्माण पर किया गया ₹ 2.94 करोड़ का व्यय व्यर्थ रहा।

म.बा.वि.वि. ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2021 व मई 2022) कि चल रही महामारी के कारण काम की गति प्रभावित हुई थी और निविदा दस्तावेज अब मंगाए जाने के लिए तैयार है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भवन 2013 से अर्थात् कोविड महामारी से पहले आठ वर्षों तक अप्रयुक्त रहा।

2.10.5 का.म.छा. के निर्माण में विलंब

मार्च 2021 तक, दिल्ली विकास प्राधिकरण से का.म.छा. निर्माण के लिए अधिगृहित पांच भूखंडों पर डीडब्ल्यूसीडी का कब्जा था। इनमें से चार, वसंत गांव, धीरपुर, तुगलकाबाद और दिलशाद गार्डन में 2001 और 2003 के बीच आवंटित किए गए थे, जबकि पीतमपुरा में एक भूखंड 2014 में आवंटित किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि म.बा.वि.वि. प्रत्येक वर्ष का.म.छा. के निर्माण के लिए बजट आवंटित कर रहा था लेकिन म.बा.वि.वि. द्वारा नये का.म.छा. के निर्माण हेतु उन वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं किया

गया था। म.बा.वि.वि. द्वारा का.म.छा. के निर्माण के अधिग्रहित भू-खंडों की स्थिति निम्नलिखित पैराग्राफ में वर्णित है।

2.10.5.1 म.बा.वि.वि. के कब्जे वाले भूखंडों की स्थिति

- **वसंत गांव-** सितम्बर 2002 में भूखण्ड के कब्जे के बाद म.बा.वि.वि. ने 14 वर्षों के अंतराल के बाद लो.नि.वि. को प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय स्वीकृति (प्र.स्वी. और व्य.स्वी.) तैयार करने का निर्देश दिया (जून 2016)। लो.नि.वि. ने मई 2019 में प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय स्वीकृति प्रस्तुत की थी, लेकिन म.बा.वि.वि. द्वारा इसे अगस्त 2021 को अर्थात् दो साल से अधिक समय के बाद अनुमोदित किया गया था। म.बा.वि.वि. ने कहा (दिसम्बर 2021) कि 21 सितम्बर 2021 को हुई बैठक के बाद लोक निर्माण विभाग को रूपरेखा में संशोधन करने के लिए कहा गया है।

- **धीरपुर-** नवम्बर 2006 में भूखण्ड पर कब्जे के बाद म.बा.वि.वि. द्वारा आवंटित भूमि पर 2008 में चारदीवारी के निर्माण को छोड़कर, का.म.छा. के निर्माण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। म.बा.वि.वि. ने कहा (दिसम्बर 2021) कि सितम्बर 2021 में लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने के लिए दि.वि.प्रा. के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी।

- **तुगलकाबाद-** दि.वि.प्रा. ने 1000 वर्ग मीटर के आवंटित भूखंड के प्रति केवल 821 वर्ग मीटर की भूमि का कब्जा सौंपा (दिसम्बर 2004)। हालांकि, म.बा.वि.वि. ने जमीन के आकार में अंतर का मामला फरवरी 2015 में अर्थात् जमीन अधिग्रहण के 10 साल से अधिक समय के बाद उठाया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि दि.वि.प्रा. द्वारा वैकल्पिक भूखंड का आवंटन अभी तक नहीं किया गया था। क्योंकि म.बा.वि.वि. ने सक्रियता से मामले को दि.वि.प्रा. के समक्ष नहीं रखा क्योंकि इस संबंध में अंतिम संवाद नवम्बर 2019 में किया गया था। म.बा.वि.वि. ने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2021) कि दि.वि.प्रा. के स.नि (भूमि) के साथ एक बैठक की गई थी और दि.वि.प्रा. के साथ कई संपर्क किए गए थे लेकिन कोई सफल/लाभदायक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी।

- **दिलशाद गार्डन-** म.बा.वि.वि. ने नवम्बर 2014 में भूमि अधिग्रहण कर लिया और 3 वर्ष बाद, लो.नि.वि. को का.म.छा. के निर्माण के लिए ₹ 605.81 लाख के प्र.स्वी. और व्य.स्वी. हेतु भेजा (फरवरी 2017)। इसके बाद लो.नि.वि. ने सूचित किया (अप्रैल 2018) कि दि.वि.प्रा. से समय विस्तार (ईओटी) और एनओसी की आवश्यकता होगी। लेखापरीक्षा

ने पाया कि म.बा.वि.वि. ने मई 2018 में दि.वि.प्रा. से ईओटी और एनओसी की मांग की थी जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। म.बा.वि.वि. ने कहा (दिसम्बर 2021) कि दि.वि.प्रा. में एनओसी और ईओटी के मुद्दे अनुमोदन के प्रक्रियाधीन है और का.म.छा. के लिए रूपरेखा स्थानीय निकाय द्वारा अमुमोदित कर दी गई है।

- **पीतमपुरा-** दि.वि.प्रा. ने प्रारम्भ में का.म.छा. पीतमपुरा के लिए भूमि आवंटित की (सितम्बर 2001) लेकिन एक गुरूद्वारा से साइट के विवाद के कारण भूमि म.बा.वि.वि. को नहीं सौंपी गई थी। दि.वि.प्रा. ने तब एक वैकल्पिक भूमि पुनः आवंटित की (दिसम्बर 2014) और म.बा.वि.वि. ने जुलाई 2015 में वैकल्पिक भूमि का अधिग्रहण किया। प्रारंभ में, म.बा.वि.वि. ने दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) को का.म.छा. के निर्माण के लिए कार्यकारी एजेंसी के रूप में नामित किया (सितम्बर 2015) और ₹ 6.47 करोड़ का भुगतान किया (जुलाई 2017)। बाद में सरकार ने लो.नि.वि. को कार्य सौंपने का निर्णय लिया (अक्तूबर 2017) तथा डीटीटीडीसी ने ₹ 6.47 करोड़ की राशि वापस की थी (जून 2020)। का.म.छा. पीतमपुरा के निर्माण में आगे कोई प्रगति नहीं हुई। म.बा.वि.वि. ने कहा (दिसम्बर 2021) कि उन्हें का.म.छा. के लिए लो.नि.वि. से ₹ 5.14 करोड़ का प्रारंभिक अनुमान प्राप्त हुआ है (मई 2019) और वे इस वर्ष प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर सकते हैं। वास्तविकता यह है कि लो.नि.वि. से प्रारंभिक अनुमान की प्राप्ति से ढ़ाई वर्ष बीत जाने के बावजूद लो.नि.वि. को का.म.छा. का निर्माण शुरू करने के लिए प्र.स्वी. और व्य.स्वी. नहीं दी गई।

  म.बा.वि.वि. ने कहा (मई 2022) कि का.म.छा. की संपत्ति के उपयोग की स्थिति की समीक्षा हेतु एक समिति बनाई गई है।

2.10.5.2 दि.वि.प्रा. द्वारा आबंटित लेकिन म.बा.वि.वि. को नहीं सौंपे गये भूखंडों की स्थिति

दि.वि.प्रा. ने क्रमशः वर्ष 2001 एवं 2003 के दौरान नजफगढ़ रोड़, जनकपुरी और नरेला-1 में का.म.छा. के निर्माण के लिए भूमि आवंटित की थी।

नरेला-1 में भूखंड के संबंध में म.बा.वि.वि. ने दि.वि.प्रा. को भुगतान करने के लिए लो.नि.वि. को अधिकृत किया (दिसम्बर 2005)। लेखापरीक्षा ने पाया कि दि.वि.प्रा. को किये गये भुगतान से म.बा.वि.वि. अवगत नहीं था, क्योंकि इसने लो.नि.वि. से भुगतान का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया

था (सितम्बर 2010)। इसके अतिरिक्त, विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2021) कि उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार दि.वि.प्रा. को कोई भुगतान नहीं किया गया था।

लो.नि.वि. द्वारा नजफगढ़ रोड़, जनकपुरी में भूखंड के संबंध में दि.वि.प्रा. को ₹ 53.41 लाख की राशि जारी की गई थी (जून 2003) परन्तु म.बा.वि.वि. ने भूखंड का कब्जा नहीं लिया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त भूमि बाद में दिल्ली मैट्रो रेल निगम को आवंटित कर दी गई थी। तत्पश्चात म.बा.वि.वि. ने वैकल्पिक जगह के आवंटन हेतु दि.वि.प्रा. से अनुरोध किया था (दिसम्बर 2018) परंतु इस संबंध में आगे कोई प्रगति नहीं हुई।

इस प्रकार सरकार की घोर लापरवाही के कारण दि.वि.प्रा. द्वारा इन का.म.छा. के लिए भूमि आवंटन के 18 वर्ष पश्चात् भी इन का.म.छा. के निर्माण में कोई प्रगति नहीं हुई। इसके अतिरिक्त म.बा.वि.वि. 2019/2020 में दो का.म.छा. के बंद होने के पश्चात् दिल्ली में एक भी का.म.छा. का प्रचालन नहीं कर रहा था और इस प्रकार दिल्ली में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने में असफल रहा।

का.म.छा. के निर्माण में विलंब होने से आवंटित भूखंड तथा इन भूखंड़ों की चारदीवारी के निर्माण पर व्यय के प्रति दि.वि.प्रा. को किए गए भुगतान के कारण ₹ 2.37 करोड़ की राशि अवरूद्ध हो गई।

इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कामकाजी महिला छात्रावास योजना के तहत का.म.छा. के निर्माण के लिए राज्य सरकार को 60 *प्रतिशत* का शेयर प्रदान किया जा रहा था। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि म.बा.वि.वि., रा.रा.क्षे.दि.स. ने का.म.छा. के निर्माण के लिए केन्द्रीय समर्थन की मांग नहीं की।

2.10.6 निष्कर्ष

रा.रा.क्षे.दि.स. एवं भारत सरकार (भा.स.) के पास का.म.छा. के निर्माण एवं प्रचालन हेतु अलग-अलग योजनाएं है। हालांकि यह देखा गया कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने न तो भा.स. की योजनाओं को कार्यान्वित किया और न ही अपनी योजनाओं द्वारा दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने पर ही जोर दिया। म.बा.वि.वि. ने कामकाजी महिला छात्रावासों के निर्माण और भूखंड़ों के निर्माण की योजनाएं होने के बावजूद भी न तो कामकाजी महिलाओं के लिए आवास की आवश्यकता का निर्धारण किया और न ही पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई का.म.छा. का निर्माण किया। लगभग 15-20 वर्ष पहले का.म.छा. के लिए भूखंड अधिग्रहित किए गये थे, लेकिन मार्च 2021 तक भी निर्माण की योजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा का.म.छा. के अनुरक्षण के संबंध में मुद्दों का

समाधान नहीं कर पाने की अपनी विफलता के कारण 2019/2020 में दो कार्यशील का.म.छा. भी बंद हो गए। इसके अलावा, यह का.म.छा. की स्थापना हेतु 2013 में समाज कल्याण विभाग द्वारा सौंपे गये एक भवन का उपयोग करने में भी विफल रहा।

म.बा.वि.वि. दवारा नये का.म.छा. के निर्माण में विफलता के साथ-साथ मौजूदा का.म.छा. को बंद करने से दिल्ली की कामकाजी महिलाओं को बहुत आवश्यक सुरक्षित आवास से वंचित होना पड़ा। म.बा.वि.वि. की ओर से निष्क्रियता महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की असंवेदनशीलता और इसके प्रति अपने कार्यों के एक बड़े हिस्से का निर्वहन करने में उसकी विफलता को दर्शाती है।

2.10.7 अनुशंसाएं

सरकार -

- दिल्ली में का.म.छा. की आवश्यकता का आकलन करने के लिए तत्काल कार्रवाई कर सकती है।
- पर्याप्त संख्या में का.म.छा. के निर्माण और/या प्रचालन के लिए कदम उठा सकती है ताकि दिल्ली में सभी जरूरतमंद कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध हो सके।

नई दिल्ली **(समर कांत ठाकुर)**
दिनांकः 10 अक्तूबर 2022 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
दिनांकः 17 अक्तूबर 2022 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
(पैराग्राफ 1.1.2 में संदर्भित)
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष			वर्ष के दौरान योग			वर्ष के दौरान निकासी			अंतिम शेष		
	नि. प्र.	पैराग्राफ	धन का मूल्य	नि. प्र.	पैराग्राफ	धन का मूल्य	नि. प्र.	पैराग्राफ	धन का मूल्य	नि. प्र.	पैराग्राफ	धन का मूल्य
2011-12	355	8,597	7,173.40	96	2,204	3,079.27	24	657	394.02	427	10,144	9,858.65
2012-13	427	10,144	9,858.65	104	1,610	1,209.64	62	520	571.99	469	11,234	10,496.31
2013-14	469	11,234	10,496.31	92	790	1,099.45	3	83	0.00	558	11,941	11,595.76
2014-15	558	11,941	11,595.76	76	506	159.57	15	159	7.40	619	12,288	11,747.93
2015-16	619	12,288	11,747.93	80	458	52.23	9	129	4.12	690	12,617	11,796.04
2016-17	690	12,617	11,796.04	111	650	169.04	11	357	484.30	790	12,910	11,480.78
2017-18	790	12,910	11,480.78	70	499	1,038.00	9	3,879	5,383.67	851	9,530	7,135.11
2018-19	851	9530	7135.11	65	393	510.05	6	328	298	910	9595	7346.42
2019-20	910	9595	7346.42	62	413	327.22	2	98	65.85	970	9910	7607.79
2020-21	970	9910	7607.79	21	163	203.25	0	2	0.11	991	10071	7810.93

परिशिष्ट 1.2
(पैराग्राफ 1.1.3 में संदर्भित)
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित पैराग्राफों की स्थिति, विभागों द्वारा स्वीकृत एवं वसूल की गई राशि

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	शामिल पैराग्राफों की संख्या	पैराग्राफों के धन मूल्य	स्वीकृत पैराग्राफों की संख्या	स्वीकृत धन मूल्य	वर्ष 2020-21 के दौरान राशि की वसूली	31 मार्च 2021 तक स्वीकृत मामलों की वसूली की संचयी स्थिति	वसूली की प्रतिशतता
2008-09	15	1,729.62	7	109.00	-	0.14	0.13
2009-10	18	1,764.20	5	49.36	-	0.39	0.79
2010-11	15	1,479.98	4	58.00	-	0.06	0.10
2011-12	17	2,363.11	1	19.14	-	1.23	6.43
2012-13	3	536.00	3	70.16	-	00	0.00
2013-14	3	98.39	3	20.83	-	00	0.00
2014-15	1	1.34	1	1.34	-	0.02	1.49
2015-16	4	122.13	4	7.02	-	0.01	0.14
2016-17	7	254.46	7	7.04	0.27	0.27	3.84
2017-18	7	705.58	7	390.39	-	0.00	0.00
कुल		**9,054.81**		**732.28**	**0.27**	**2.12**	

परिशिष्ट 1.3

(पैराग्राफ 1.2 में संदर्भित)

संपत्ति के गलत वर्गीकरण और उपयोग कारक के गलत अनुप्रयोग के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	पंजीकरण संख्या/पुस्तक संख्या/खंड संख्या/पंजीकरण की तिथि	पहली एवं दूसरी पार्टी का नाम	संपत्ति का पता	इलाके की श्रेणी	भूमि की न्यूनतम लागत	निर्माण की न्यूनतम लागत	प्रयोग कारक (वाणिज्यिक)	बिक्री हेतु अनुपाती भूमि (व.मी.मे)	कुल भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	बिक्री के अधीन प्लिंथ क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	संपत्ति भूमि की लागत	आयु कारक	निर्माण मूल्य	विचाराधीन राशि	स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की दर (प्रतिशत में)	देय स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क	स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान	स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**10**	**8**		**6**	**5**	**11**	**9**	**12**	**13**		**15**	**16**	**17 (15-16)**
1	11453/1/7896/13.11.2019	महेंद्र कुमार एवं सुमन तथा ज्योति शर्मा	संपत्ति सं:-2006-2015 कच्चा चेलान, खरी बाउली, दिल्ली	ई	70080	10800	3	12	48	48	2522880	0.5	259200	2782080	5	139104	53750	85354
2	11083/1/7882/01.11.2019	सुरेश चंद जैन एवं अन्य तथा तारा पैलेस होटल	गृह सं:-2695-2702 छाता प्रताप सिंह किनारी बाजार दिल्ली	ई	70080	10800	3	201.15	268.20	804.60	42289776	0.5	4344840	46634616	7	3264423	1512000	1752423
	कुल																	**1837777**

परिशिष्ट 1.4

(पैराग्राफ 1.2 में संदर्भित)

मोहल्ले की श्रेणी एवं सर्किल दरों के गलत अनुप्रयोग के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	पंजीकरण सं./बुक सं./ख. सं./पंजीकरण की तिथि	पहली पार्टी एवं दूसरी पार्टी का नाम	संपत्ति का पता	उपकरण में उपयोग संपत्ति की श्रेणी	संपत्ति की सही श्रेणी	भूमि की न्यूनतम लागत	निर्माण का न्यूनतम लागत	उपयोग कारक	अनुपाती भूमि किया क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	बिक्री हेतु कुर्सी किया क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	भूमि की लागत	आयु कारक	निर्माण की लागत	मान्य राशि	स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का दर (प्रति रात में)	देय स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क	निम्न श्रेणी के अनुसार भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क	स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का कम आरोपण
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12 (7*9*10)**	**13**	**14 (8*9*11)**	**15 (12+14)**	**16**	**17 (15*16)%**	**18**	**19 (17-18)**
1	11172/1/7885/ 04.11.2019	अनिल भंडारी एवं सुनीता	खसरा सं. 378, एमआईएन, लाल डोरा विस्तार, गाँव- बुरारी, दिल्ली	एच	जी	46200	6960	1	195.65	0	9039030	-	0	9039030	5	451952	245000	206952
2	11167/1/7885/ 04.11.2019	महेश कुमार एवं अन्य तथा निशांत नारंग	खसरा नं. 863/4 एम आई एक्सटेंशन लाल डोरा बुरारी दिल्ली	एच	जी	46200	6960	1	48.49	0	2240238	-	0	2240238	7	156817	84000	72817
3	11275/1/7889/ 07.11.2019	अशोक कुमार सदन एवं पूजा	खसरा नं. 874/3 4 एम आई एक्सटेंशन लाल डोरा बुरारी दिल्ली	एच	जी	46200	6960	1	15.677	71.708	724277	1	499088	1223365	5	61168	50000	11168
4	11401/1/7894/ 11.11.2019	विकास सहगल एवं दर्शना दुरेजा	खसरा नं. 867 एम आई एक्सटेंशन लाल डोरा बुरारी दिल्ली	एच	जी	46200	6960	1	20.275	91.10	936705	1	634056	1570761	5	78538	50000	28538

5	5071/1/7638/ 15.05.2019	हरेन्द्र नेगी एवं अन्य तथा सुरेश मुदगल एवं अन्य	खसरा नं. 840, एम आई एक्सटेंशन लाल डोरा बुरारी दिल्ली	एच	जी	46200	6960	1	22.02	66.0519	1017199	1	459721	1476920	7	103384	52500	50884
6	11178/1/7886/ 04.11.2019	अरविंद कुमार मोदी एवं प्रीति गुप्ता	खसरा नं. 820/2 एम आई एक्सटेंशन लाल डोरा बुरारी दिल्ली	एच	जी	46200	6960	1	197.32	0	9116184	-	0	9116184	5	455809	237500	218309
7	11173/1/7885/ 04.11.2019	वीआरजी इस्टेट डेवलपर्स एलएलपी एवं अरविंद सिंह	खसरा नं 874/2 एम आई एक्सटेंशन लाल डोरा बुरारी दिल्ली Burari Delhi	एच	जी	46200	6960	1	15.5225	72.09	717139.5	1	501746	1218886	7	85322	70000	15322
8	11126/1/7884/ 04.11.2019	महेश कुमार एवं अन्य तथा मंजु शर्मा	खसरा नं 863/4 एम आई एक्सटेंशन लाल डोरा बुरारी दिल्ली	एच	जी	46200	6960	1	83.61	0	3862782	1	0	3862782	5	193139	120000	73139
9	4584/1/7618/03 .05.2019	सुशील कृष्णा गुप्ता एवं पीर अली	एक्सटेंशन लाल डोरा बुरारी दिल्ली	एच	जी	46200	8040	3	4.3475	17.39	602564	1	139816	742379	7	51967	35000	16967
10	11235/1/7888/ 06.11.2019	तेरसम गर्ग एचयुएफ एवं आनंद मित्तल	74-ए एवं 75-ए शहजादाबाग औद्योगिक एरिया, दिल्ली	जी	एफ	56640	9480	2	23.6	118	2673408	1	1118640	3792048	7	265443	224000	41443
11	4610/1/7620/ 06.05.2019	ऋतु अग्रवाल एवं संजय अरोड़ा	307/1/82-ए (पुराना सं. 307/1/82) शहजादाबाग औद्योगिक एरिया, पुराना रोहतक रोड, दिल्ली	जी	एफ	56640	9480	2	20.9025	83.61	2367835	1	792623	3160458	7	221232	177800	43432

12	4619/1/7620/ 06.05.2019	ऋतु अग्रवाल एवं अरुण गोयल	307/1/82-ए (पुराना सं. 307/1/82) शहजादाबाग औद्योगिक एरिया, पुराना रोहतक रोड़, दिल्ली	जी	एफ	56640	9480	2	20.9025	83.61	2367835	1	792623	3160458	7	221232	177800	43432
13	11170/1/7885/ 04.11.2019	मनोहर लाल एवं मीना देवी	329-बी गली नं. 3, बाघकारे खान, किशनगंज, दिल्ली	एफ	ई	70080	9360	1	43.89	0	3075811	-	0	3075811	5	153791	125000	28791
कुल																		**851194**

परिशिष्ट 1.5

(पैराग्राफ 1.3.6.2 में संदर्भित)

ट्रान-1 एवं ट्रान-2 घोषणा प्रपत्र की विभिन्न तालिकाओं के तहत ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों की सूची

क्र. सं.	जीएसटीआइएन	लिगेसी पंजीकरण सं.	ट्रान-1 भरने की तिथि	दावा राशि 5ए_कॉलम 5	दावा राशि 6ए या बी_कॉलम 11	दावा राशि 7ए_कॉलम 6	ट्रान-2 का दावा राशि 7बी_कॉलम 6/कॉलम 8	दावा राशि 7बी/सी_कॉलम 8	दावा राशि 11_कॉलम 7	वार्ड
1	07AADCK1647D1ZU	7680342314	12/27/2017	75804	0	0	0	0	0	वार्ड 1
2	07AAACP0743J1ZK	7442012592	12/22/2017	14662050	0	0	0	0	0	वार्ड 2
3	07AAACE1268K1ZN	7150270001	12/9/2017	0	0	2734503	0	0	0	वार्ड 2
4	07AAJCA1167G1ZT	7590249389	15.09.2017	0	0	0	19783842	0	0	वार्ड 3
5	07AAFCS6624L1Z0	7720321340	12/27/2017	0	0	0	3465833	0	0	वार्ड 4
6	07AABCH9683A1ZL	7320347653	12/8/2017	434472	0	0	0	0	0	वार्ड 6
7	07AAAFA4564D1ZV	7020048864	21.12.2017	13089628	0	27364540	0	3410497	0	वार्ड 8
8	07ACVFS5888B1ZF	7966977898	12/27/2017	7269899	0	11528947	0	0	0	वार्ड 8
9	07AAACA1989K1ZF	7610145685	12/23/2017	0	0	11396173	0	0	0	वार्ड 8
10	07AAKCM5608H1ZC	7757196339	10/9/2017	0	0	4046195	0	0	0	वार्ड 9
11	07AIJPL2553N1ZV	7226928350	11/15/2017	0	0	0	18842	0	0	वार्ड 12
12	07AAOFP1723H1Z7	7540469461	12/27/2017	0	0	441	487139	0	0	वार्ड 14
13	07AAACT3633M1Z7	7420200643	12/27/2017	0	0	14071011	0	0	0	वार्ड 15
14	07AACCG7307D1ZY	7700309808	12/27/2017	0	0	286937	0	0	0	वार्ड 17
15	07FHMPK4209K1Z0	7707218143	29-08-2017	0	0	21010246	0	0	0	वार्ड 28
16	07AAACG0342A1ZH	7880389928	17.11.2017	0	0	0	10347550	0	0	वार्ड 31
17	07AAIPG4781C1ZV	7500176834	8/28/2017	0	0	0	1146196	0	0	वार्ड 40
18	07AAACZ7446G1Z3	7736918644	26.12.2017	0	0	0	8551793	0	0	वार्ड 41
19	07AAGCA5212K1ZT	7040337331	11/17/2017	0	15685500	0	0	0	0	वार्ड 43
20	07BXCPG8281R1ZR	7987148925	11/22/2017	0	0	91233753	0	0	0	वार्ड 45

21	07ADUPG3816B1ZP	7700231432	12/25/2017	0	0	0	2644013	0	0	वार्ड 48
22	07ACEPA8974F1ZK	7120226901	8/24/2017	0	0	0	3626331	0	0	वार्ड 49
23	07AAECB3799A1ZR	7660388109	11/14/2017	975264	0	0	0	0	0	वार्ड 55
24	07AAECN8312R2ZW	7896955093	11/16/2017	1174470	0	0	0	0	0	वार्ड 56
25	07AAECD7782K1Z5	7306912236	11/29/2017	0	0	228604	0	0	0	वार्ड 56
26	07AEBPG3737K1ZJ	7506976793	12/6/2017	0	0	13875020	0	0	0	वार्ड 58
27	07AAHCS8505N1ZU	7920284564	9/22/2017	0	0	10687852	0	0	0	वार्ड 60
28	07AAAPJ3881G1ZT	7030290049	12/25/2017	0	0	363706	0	0	0	वार्ड 60
29	07DNWPS3768F1Z4	7086951028	12/27/2017	0	0	0	1274813	0	0	वार्ड 61
30	07AAFCP6328J1Z6	7820386081	8/28/2017	0	0	7762257	0	0	0	वार्ड 61
31	07AAEFU5861F1Z1	7257115813	12/27/2017	0	0	210081	1073386	0	0	वार्ड 61
32	07AHTPK3443K1ZW	7606951033	12/27/2017	0	0	0	998332	0	0	वार्ड 61
33	07AANPK2673E1ZN	7570134067	12/27/2017	22375	0	0	0	0	0	वार्ड 61
34	07AAKCM5113F1ZO	7447144275	12/27/2017	0	0	0	1663400	0	0	वार्ड 61
35	07ACFPS7129B1ZO	7096921518	11/15/2017	3302498	0	0	0	0	0	वार्ड 61
36	07AACFF7807N1Z3	7570409256	12/23/2017	19157	0		0	0	0	वार्ड 62
37	07ADYPA0556E1ZM	7680290031	12/19/2017	0	0	1212424	0	0	0	वार्ड 62
38	07AACCS0764N1Z2	7830144497	12/27/2017	0	0	1525488	253753	0	0	वार्ड 62
39	07CFVPR1961M1ZI	7747226075	12/26/2017	0	0	0	3821792	0	0	वार्ड 62
40	07AAACO2563P1Z3	7240213837	8/29/2017	0	35657425	0	0	0	0	वार्ड 62
41	07GUMPS2987C1Z0	7387226079	12/26/2017	0	0	0	6178791	0	0	वार्ड 62
42	07AAACR5727Q2ZT	7100159012	27.12.2017	0	0	13540600	2901668	0	0	वार्ड 63
43	07AACCB2477K1ZJ	7416939837	12/26/2017	0	0	0	1305689	0	0	वार्ड 63
44	07AABCU7229B1ZK	7496998769	12/27/2017	3094794	0	0	0	0	0	वार्ड 63
45	07AALFA8914C1ZK	7880320670	12/25/2017	2105635	0	0	0	0	0	वार्ड 63
46	07AAICP1324P1Z5	7616982148	8/25/2017	0	0	0	344138	0	0	वार्ड 63
47	07ATEPS7393H1Z4	7566927193	9/1/2017	0	0	471018	0	0	0	वार्ड 63
48	07BAQPV7003M1Z1	7887142772	8/29/2017	0	0	36400812	0	0	0	वार्ड 63
49	07AAFFT2700F1ZL	7262005416	12/27/2017	0	0	62103	0	0	0	वार्ड 63

50	07AAACR7497K1ZR	7890001001	12/27/2017	0	0	52166	0	0	0	वार्ड 63
51	07AGYPJ1998C1ZV	7566905109	12/26/2017	0	0	0	80383	0	0	वार्ड 63
52	07AMRPS1307F1ZZ	7380282630	12/27/2017	0	0	164853	0	0	0	वार्ड 63
53	07AAHFA5537B1ZT	7060177173	10/17/2017	400	0	0	0	0	0	वार्ड 63
54	07AAPFA2626R1ZW	7360351705	8/28/2017	0	0	230897	0	0	0	वार्ड 63
55	07CVGPM0356Q1Z2	7037222731	8/28/2017	0	0	47215691	0	0	0	वार्ड 63
56	07AACCS2475A1ZP	7730356109	9/23/2017	8827023						वार्ड 63
57	07AAICP4920F1ZI	7757143668	12/27/2017	0	8819	3306204	690590	0	0	वार्ड 64
58	07AADCI0539C1Z1	7326934018	8/25/2017	0	69948	0	0	0	0	वार्ड 64
59	07AADCJ4502A1Z9	7746957358	10/17/2017	0	0	240116	472926	0	0	वार्ड 64
60	07AXLPJ7834M1ZT	7726982880	12/27/2017	0	0	151689	0	0	0	वार्ड 66
61	07AEWPA7225D1ZK	7530331096	12/27/2017	2175134	0	0	0	0	0	वार्ड 66
62	07ACWPJ6852B1ZC	7480239022	12/26/2017	0	86666	965542	0	0	0	वार्ड 66
63	07ADZPG2856J1ZX	7196951889	12/5/2017	0	0	993125	0	0	0	वार्ड 66
64	07AAEPJ6548C1ZV	7080238660	12/23/2017	0	0	1414430	671625	0	0	वार्ड 66
65	07BJOPC3675D1Z8	7647209834	8/27/2017	0	0	50250185	0	0	0	वार्ड 66
66	07AASCS5522N1ZO	7187135397	1/18/2020	0	0	38208279	0	0	0	वार्ड 66
67	07AACCM3698M1ZV	7596927225	28-09-2017	0	0	0	947436	0	0	वार्ड 67
68	07BGJPK7504F1ZG	7530418687	18.09.2017	9693621	0	0	58622247	0	0	वार्ड 67
69	07AAKPG3148B1Z4	7870067069	8/28/2017	0	0	0	113383	0	0	वार्ड 67
70	07AAACV4286G1Z7	7260371936	8/28/2017	0	0	0	0	14898	0	वार्ड 69
71	07AAHCB0011G1ZD	7400447034	3/16/2020	89700	3689	3187642	0	0	0	वार्ड 70
72	07AARPY1535D1ZG	7100403452	12/25/2017	0	0	0	1678502	0	0	वार्ड 71
73	07AAPFB5477R1ZG	7656990824	12/27/2017	0	0	3835522	0	0	0	वार्ड 71
74	07AAHPG4880H1ZM	7960331490	8/28/2017	92951	0	0	0	0	0	वार्ड 71
75	07AAGCK1549R1ZX	7217135623	12/22/2017	63287	0	0	0	0	0	वार्ड 71
76	07AAQFK3670C2Z9	7716993701	12/27/2017	0	0	193978	0	0	0	वार्ड 71
77	07AAACU7033J1ZA	7810196112	10/7/2017	1875509	0	0	0	0	0	वार्ड 71
78	07AITPJ3838J1ZP	7940410168	12/27/2017	4699283	0	0	0	0	0	वार्ड 71

79	07AJIPA7689N1ZI	7127126118	12/6/2017	0	0	198642	0	0	0	वार्ड 72
80	07AAECB9200C1Z7	7090478390	12/27/2017	0	0	0	2230826	0	0	वार्ड 72
81	07AABCJ8679E1Z9	7346945065	12/27/2017	0	0	1536331	0	0	0	वार्ड 72
82	07AAEFP8964G1ZU	7710206934	12/27/2017	0	0	0	0	1147186	0	वार्ड 73
83	07AADPV4618E1ZP	7316901512	12/27/2017	0	0	4903748	0	0	0	वार्ड 74
84	07AACCR1030J1ZQ	7840318267	10/24/2017	0	24205	0	0	0	0	वार्ड 74
85	07AZCPV7055K1ZT	7497114323	18.10.2017	0	0	2800774	0	0	0	वार्ड 75
86	07DYYPK0304J1Z5	7727184279	11/14/2017	0	0	7312928	0	0	0	वार्ड 75
87	07BDUPG2123A1Z0	7347205149	10/28/2017	0	0	4535137	0	0	0	वार्ड 75
88	07AOMPL6745H1ZJ	7367113570	10/28/2017	0	0	4686928	0	0	0	वार्ड 75
89	07BIAPM4762L1ZZ	7097205141	10/17/2017	0	0	2799161	0	0	0	वार्ड 75
90	07BAJPP9423N1Z0	7887205143	10/10/2017	0	0	2263122	0	0	0	वार्ड 75
91	07AAGCS5405A1ZT	7340228041	12/27/2017	0	0	51841	0	0	0	वार्ड 76
92	07AJOPK5636P1ZF	7862001982	12/25/2017	0	0	0	2101511	0	0	वार्ड 77
93	07AAKCM2533R1ZX	7367119681	10/28/2017	0	0	7306094	0	0	0	वार्ड 77
94	07AACFS2457F1ZB	7740041678	8/28/2017	0	0	5779671	75897	0	0	वार्ड 78
95	07AAECR0689R1ZL	7110350242	12/26/2017	1645969	0	1064694	0	0	0	वार्ड 78
96	07AAACN2519G1ZR	7160167709	12/22/2017	0	0	1370240	720497	0	0	वार्ड 80
97	07AADCD0043Q1ZM	7800352336	12/25/2017	52132	0	0	0	0	0	वार्ड 80
98	07AADCD3102G1Z9	7790380035	8/31/2017	759617	0	0	0	0	0	वार्ड 82
99	07AAAFK0138M1ZG	7640000605	12/27/2017	2724107	0	0	0	0	0	वार्ड 82
100	07AIOPG0308D1ZR	7190325754	8/28/2017	382507	0	0	0	0	0	वार्ड 82
101	07AADCD1203E1ZF	7390258326	12/23/2017	1871509	0	0	0	0	0	वार्ड 82
102	07AAEFJ8936G1Z4	7450280700	12/27/2017	0	0	0	418770	0	0	वार्ड 82
103	07AAFCD7012D1Z4	7767132556	9/6/2017	1544287	0	0	0	0	0	वार्ड 82
104	07AAFCS2391Q1ZQ	7260239531	12/27/2017	1299312	0	0	0	0	0	वार्ड 82
105	07AAACN2486L2Z5	7792003524	12/27/2017	0	0	374375	0	0	0	वार्ड 82
106	07AABCN4785D1ZG	7840156859	27.12.2017	0	0	0	5091032	0	0	वार्ड 83
107	07AAPCS7430L1ZS	7080409865	12/23/2017	0	0	0	1575178	0	0	वार्ड 83

108	07AAICS2243L1Z6	7936890598	12/27/2017	0	0	1548572	0	0	0	वार्ड 84
109	07AADCB0775D1Z0	7160326304	8/28/2017	0	0	0	3723318	0	0	वार्ड 84
110	07AAACT0619H1ZM	7190163085	10/15/2017	0	0	3306865	0	0	0	वार्ड 84
111	07AADCH0303D1ZE	7606902468	12/14/2017	0	0	0	0	0	473108	वार्ड 89
112	07AAJFR1633H1Z9	7377120500	12/26/2017	0	0	1074660	1079956	0	0	वार्ड 89
113	07AABCT4826D1ZK	7610238223	12/27/2017	0	0	0	574570	0	0	वार्ड 90
114	07ABCFA3685J1ZA	7276967074	10/4/2017	0	0	5083026	0	0	0	वार्ड 90
115	07AACCV5763A2ZG	7796956894	12/27/2017	0	0	930171	0	0	0	वार्ड 91
116	07AAACI0886K2ZC	7170263394	12/26/2017	0	0	0	2636586	0	0	वार्ड 93
117	07AMIPS2299B1ZV	7590298665	12/27/2017	0	0	0	215871	0	0	वार्ड 93
118	07AADCD6300J1ZW	7900407959	11/9/2017	0	8710447	0	0	0	0	वार्ड 94
119	07AAFFE3203Q1ZD	7566977342	9/26/2017	932264	0	2800756	0	0	0	वार्ड 95
120	07AAACZ8228L1ZU	7786959567	10/7/2017	1223525	0	25118029	0	0	0	वार्ड 95
121	07AJCPK0248B1ZU	7830261964	12/27/2017	0	0	316485	0	0	0	वार्ड 96
122	07AEFPG8296P1ZP	7600078033	12/27/2017	0	0	0	722398	0	0	वार्ड 97
123	07AAACV4081H1ZC	7330338093	10/17/2017	0	0	0	344522	0	0	वार्ड 99
124	07AHHPG9629F1Z7	7620316351	12/27/2017	0	0	1436471	0	0	0	वार्ड 99
125	07AAECA9953D2ZL	7030295287	12/27/2017	0	0	0	2720354	0	0	वार्ड 100
126	07AAECB7911Q1Z8	7976928374	10/25/2017	275008	0	0	0	0	0	वार्ड 101
127	07AABCA9317J1ZM	7750165008	27.12.2017	0	0	5691257	50131	0	0	वार्ड 101
128	07AADCR9806P1ZP	7940346536	27.12.2017	112122	0	0	0	0	0	वार्ड 101
129	07AADCG3783A1ZV	7360419217	8/29/2017	12395519	0	0	512204	0	0	वार्ड 101
130	07AACCN4681R1ZR	7037141833	12/26/2017	0	0	13894618	0	0	0	वार्ड 101
131	07CWSPM6767L1ZF	7977125893	12/25/2017	0	0	0	1717636	0	0	वार्ड 102
132	07AACCB6217H1ZW	7390420510	8/25/2017	0	0	7208418	0	0	0	वार्ड 103
133	07AAFPJ4306F1Z4	7830075045	12/26/2017	0	0	2741755	31527	0	0	वार्ड 103
134	07AAACE4809L1ZK	7510021871	26.12.2017	5830302	0	0	0	0	0	वार्ड 104
135	07ACBPJ2508H1Z0	7610230560	12/9/2017	592472	0	0	0	0	0	वार्ड 104
136	07AAACH0968B1ZY	7670349061	28.08.2017	0	0	833334	15060948	0	0	वार्ड 107

137	07AABCG6312K1ZP	7240266702	27.12.2017	0	0	1590608	0	0	0	वार्ड 107
138	07AOEPS7383C1ZQ	7930302552	10/26/2017	0	0	115264	0	0	0	वार्ड 110
139	07AAACH4041D1Z6	7480169473	10/30/2017	148740059	0	29489245	0	0	0	वार्ड 114
140	07AAAFE6748H1ZD	7800223326	12/27/2017	189	16172	0	0	0	0	वार्ड 114
141	07AAACB7293D1ZS	7220364974	10/16/2017	0	0	72128946	0	0	0	वार्ड 114
142	07AABCB3989M1Z5	7400235962	12/27/2017	34495197	0	7360371	0	0	0	वार्ड 114
143	07AABCV7389R1Z9	7900422897	22.12.2017	112281	0	0	0	0	230273	वार्ड 115
144	07AAACR7541J1Z8	7052000342	11/19/2017	0	0	392762	0	0	0	वार्ड 115
145	07AABCB4808M1ZL	7607126921	26.12.2017	0	0	0	11306864	0	0	वार्ड 201
146	07ADIFS3765M1ZF	7390007969	9/28/2017	0	0	4261469	322359	0	0	वार्ड 201
147	07AALFD4032G1ZO	7026975990	8/27/2017	0	0	2463331	0	0	0	वार्ड 201
148	07AAAPB3097J1ZU	7810200380	12/25/2017	0	0	8187930	0	0	0	वार्ड 201
149	07AAACD1005B1ZO	7330107912	12/27/2017	52307	85865	0		0	0	वार्ड 201
150	07AACCM4538N1Z4	7390238732	12/27/2017	0	0	418926	0	0	0	वार्ड 201
151	07AJKPK9341H1ZY	7330370588	12/27/2017	0	0	55601	52660	0	0	वार्ड 201
152	07AAAFM6525E1ZK	7770081771	12/27/2017	0	0	27257131	0	0	0	वार्ड 201
153	07AAQCS2936J1ZU	7790300786	26.12.2017	0	0	0	3072400	0	0	वार्ड 201
154	07AABCI1421K1ZV	7740245378	12/27/2017	16941223	0	0	0	0	0	वार्ड 202
155	07AACCC3657N1ZC	7360474992	12/18/2017	42529794	0	0	0	236470	0	वार्ड 202
156	07AACCT3567A1ZL	7330267380	27.12.2017	0	0	0	3572121	0	0	वार्ड 202
157	07AAGPM4831M1ZF	7370404322	12/27/2017	0	0	0	2736764	0	0	वार्ड 202
158	07AAACM0809L1ZK	7450160032	9/28/2017	7981993	0	0	0	0	0	वार्ड 202
159	07AABCC5967C1ZR	7815000134	12/25/2017	0	0	0	0	223201	0	वार्ड 202
160	07AABCT1296R1ZP	7170228086	12/27/2017	0	0	60622272	39042211	4295374	0	वार्ड 202
161	07ADPPD7738N1ZV	7920018687	9/28/2017	0	0	0	3772000	0	0	वार्ड 202
162	07AMQPK6707N1ZD	7487137463	12/27/2017	0	0	78966	1152599	0	0	वार्ड 202
163	07AADCE6513E1ZZ	7900267600	12/27/2017	0	0	11886022	12842920	0	0	वार्ड 202
164	07AABCR8863N1ZO	7110250235	11/24/2017	0	0	193259241	5015993	12739344	0	वार्ड 202
165	07AAFCD8004P1ZD	7587142258	25-12-2017	0	0	0	1781101	0	0	वार्ड 203

166	07AAGCG3933K1ZF	7257146465	27.12.2017	0	0	28397256	2604203	0	0	वार्ड 203
167	07AAACT4932B1ZQ	7760174848	12/27/2017	0	0	17636114	7606302	0	0	वार्ड 204
168	07AACCM4684P1ZT	7070407882	12/7/2017	0	0	185836	14937612	0	0	वार्ड 206
169	07AAACU0802D1Z0	7510161745	27.12.2017	0	0	2961304	682686	0	0	वार्ड 207
170	07AAFCA9197E1ZF	7050471234	28.08.2017	0	0	0	47984281	0	0	वार्ड 207
171	07AAECM4799F1Z4	7227147505	12/27/2017	0	0	5840380	0	0	0	वार्ड 207
172	07AAACH2420C1ZD	7640170743	12/23/2017	0	0	7233010	546371	2509561	0	वार्ड 208
173	07AAACI9670H1ZC	7060189977	12/27/2017	50989	0	18107533	14387255	0	0	वार्ड 208
174	07AABCT1559M1Z1	7920232087	8/28/2017	132249814	0	0	0	0	0	वार्ड 300
175	07BJZPA3527M1ZP	7167218925	12/21/2017	0		1035975	0	0	0	वार्ड 71
176	07AAACS6994C1Z7	7052000051	12/25/2017	67862004	524428	356353	0	8431854	0	वार्ड 2
177	07AAKFG1806G1ZM	7490402219	10/30/2017	0	0	8073470	0	0	0	वार्ड 59
178	07BSKPK8422K1ZC	7377136311	12/26/2017	0	0	2757304	0	0	0	वार्ड 94
179	07AACCT9399N1ZC	7880317566	8/23/2017	0	0	784465	0	0	0	वार्ड 89
180	07EFCPK1783M1Z2	7817203387	12/24/2017	0	0	159511	0	0	0	वार्ड 94
181	07ABKPN8300K1ZG	7140218936	10/17/2017	0	0	10290918	0	0	0	वार्ड 28
182	07AAECR0690J1Z8	7850376219	12/27/2017	0	0	1066311	0	0	0	वार्ड 93
183	07AACFS6679K1ZK	7100050081	12/14/2017	0	0	3552470	0	0	0	वार्ड 202
184	07AAOCS0519H1ZA	7340378100	12/27/2017	0	6197203	0	0	0	0	वार्ड 87
185	07AAACK3487E1ZL	7480375501	12/27/2017	15123333	0	0	0	0	0	वार्ड 201
186	07AAMCS9381D1ZY	7190358540	12/23/2017	0	0	5249495	0	0	0	वार्ड 71
187	07AABCD1821C1ZD	7500182751	11/14/2017	0	2256681	0	0	0	0	वार्ड 205
188	07AAACI5139B1Z0	7810246164	12/22/2017	0	0	1141544	0	3398119	0	वार्ड 84
189	07AACCM1837A1ZZ	AACCM1837A(PAN)	9/2/2017	0	0	4550134	0	0	0	वार्ड 63
190	07AAECB1543J1ZU	7200382833	12/26/2017	0	0	16160413	0	145195	0	वार्ड 63
191	07AADCB8986G1Z9	7520409623	12/27/2017	0	0	0	0	0	3282519	वार्ड 94
192	07AAICS1063L1Z6	7230076248	12/27/2017	457350	0	17896254	0	0	0	वार्ड 104
193	07AAWFM4623M1ZM	7460473967	8/24/2017	0	0	3410973	0	0	0	वार्ड 201
194	07AAHFV5349Q1ZB	7820324292	12/13/2017	0	0	6219526	0	0	0	वार्ड 73

195	07AAWCS0040D1ZI	7206979868	12/27/2017	1150279	0	2599733	0	2599733	0	वार्ड 52
196	07AAAFR8119F1ZB	7630028110	12/21/2017	0	0	2505124	0	0	0	वार्ड 45
197	07AAWPG8769Q1ZC	7740222001	12/27/2017	0	0	0	0	5640381	0	वार्ड 46
198	07AFZPM0957J1ZP	7960224305	8/28/2017	0	0	2215671	0	0	0	वार्ड 201
199	07ADVPT4522G1Z4	7350315869	10/13/2017	0	0	2197887	0	0	0	वार्ड 63
200	07AANCS6416L1ZU	7840371811	9/2/2017	0	0	0	0	2102230	0	वार्ड 44
201	07AAKCA2311H1Z2	7576972341	11/16/2017	0	0	0	0	27394	0	वार्ड 94
202	07AAKFC4120F1ZV	7240189005	10/22/2017	0	0	1944826	0	0	0	वार्ड 203
203	07AJHPS9224L1ZM	7620151839	12/26/2017	0	0	3300820	0	0	0	वार्ड 103
204	07AAACP1585A1ZT	7750026589	12/26/2017	35949	0	26335	0	0	11153	वार्ड 99
205	07AAACU1637J1ZC	7460057158	8/28/2017	1896124	0	1896124	0	0	0	वार्ड 204
206	07AAGCR5410G1ZL	7796920648	12/13/2017	0	0	3861963	0	0	0	वार्ड 84
207	07AYXPS9198J1ZZ	7850325973	11/20/2017	313127	48500	0	0	10661	14654	वार्ड 60
208	07AAEPA6038J1ZW	7380213663	8/28/2017	0	0	1797454	0	0	0	वार्ड 35
209	07AAACR4366H1ZC	7720186025	11/18/2017	520819	0	10050713	0	0	0	वार्ड 203
210	07AAJCA5482C1ZR	7830414739	9/20/2017	4112686	2377281	0	0	0	0	वार्ड 202
211	07AABFA3946L1ZD	7590001457	8/26/2017	0	8100	0	0	0	0	वार्ड 116
212	07AACCV1375N1ZY	7790311844	8/24/2017	1584931	0	3157148	0	0	0	वार्ड 201
213	07AAECN8067D1ZE	7647183935	12/27/2017	0	0	4010961	0	69485	0	वार्ड 116
214	07AAACI4403L1ZQ	7310197454	12/24/2017	0	0	61806	0	1424943	0	वार्ड 208
215	07AAACT5980F1Z8	7450199317	12/26/2017	4672829	39956	109955537	0	515526	0	वार्ड 204
216	07AHIPG1340C1Z0	7620458650	12/21/2017	0	49660	0	0	0	0	वार्ड 92
217	07BLAPG6064N1ZW	7117225888	12/16/2017	0	0	0	0	808202	0	वार्ड 84
218	07AETPA0896B1ZK	7470236651	12/27/2017	0	19300	0	0	0	0	वार्ड 53
219	07AAHPP9853D1ZE	7160249189	12/23/2017	0	0	0	0	797903	0	वार्ड 61
220	07GUCPS5250L1Z5	7290121902	8/28/2017	0	0	383574	0	0	0	वार्ड 63
221	07AAFCB2488K1ZD	7220452662	9/20/2017	0	0	1092066	0	2569	0	वार्ड 63
222	07AAMPS1734R1ZX	7870182887	12/25/2017	0	0	0	0	715627	0	वार्ड 61
223	07ACXPK0303M1ZD	7380235294	12/27/2017	0	0	1049151	0	262518	0	वार्ड 67

224	07AAMPA8175A1ZX	7350299185	12/27/2017	0	80801	0	0	0	0	वार्ड 112
225	07AADPA4205G2ZE	7600302006	11/18/2017	2561463	0	0	0	0	0	वार्ड 50
226	07AAECM7561P1ZT	7790352099	10/22/2017	0	88133	4326747	0	0	0	वार्ड 66
227	07AACCP6279M2ZS	7860174502	12/27/2017	719706	341632	978457	0	0	0	वार्ड 33
228	07AAXCS3214L1ZU	7837140229	8/25/2017	0	24735	0	0	0	0	वार्ड 107
229	07AFZPM8492C1ZQ	7087162127	12/27/2017	0	0	0	0	38880	0	वार्ड 94
230	07AACCS0775M1Z1	7400224322	12/27/2017	0	36290	984148	0	753355	0	वार्ड 83
231	07AANFG1856D1ZF	7886927502	12/27/2017	32909	0	0	0	0	0	वार्ड 83
232	07AACCV5283D1ZC	7040334130	8/27/2017	0	142294	0	0	0	0	वार्ड 94
233	07AAOFK0241P1Z0	7876922997	12/27/2017	0	0	0	0	252077	0	वार्ड 53
234	07AAIPQ8385L1ZU	7810393895	12/27/2017	0	0	217731	0	827376	0	वार्ड 6
235	07AAGPG6878G1ZF	7660136297	12/3/2017	0	0	1244547	0	0	0	वार्ड 4
236	07AATFA3825A1ZO	7416894958	9/8/2017	0	0	0	0	93319	0	वार्ड 91
237	07ASAPG3921G1Z6	7217134265	12/16/2017	0	0	0	0	498158	0	वार्ड 62
238	07AKMPP5401E1ZA	7310306482	8/30/2017	0	0	339946	0	17614	0	वार्ड 24
239	07AAACO2237Q1Z6	7446976729	12/27/2017	3468104	0	1256490	0	0	30992	वार्ड 2
240	07AFZPM8524R1Z6	7640258140	8/28/2017	0	0	279455		0	0	वार्ड 4
241	07AAAFJ4145R1Z0	7170049412	9/20/2017	0		1185398		0	0	वार्ड 14
242	07AAJPG3176C1ZZ	7140277912	8/28/2017	0	0	1098613		0	0	वार्ड 25
243	07AACCM0972A1ZX	7130256141	10/10/2017	0	0	111910		0	0	वार्ड 43
244	07AANPA8681Q1ZW	7426912073	12/27/2017	0	0	0		2468018	0	वार्ड 44
245	07ACQFS1793J2ZE	7646938789	12/27/2017	0	0	0		2778344	0	वार्ड 44
246	07AAAHD4127M1ZE	7567126652	8/28/2017	0	440081	119152		0	0	वार्ड 52
247	07AGPPG6415Q1ZS	7350270376	10/2/2017	0	0	239616		266755	0	वार्ड 54
248	07AASFR3741H1ZV	7416968549	10/27/2017	0	0	0		284962	0	वार्ड 56
249	07AABCL8221A1Z1	7270390991	12/27/2017	0	0	20861		334804	0	वार्ड 58
250	07DBUPS1426N1ZV	7647123213	12/25/2017	0	0	409283		0	0	वार्ड 59
251	07AETPG3475N1ZS	7770254528	12/27/2017	0	0	1001688		0	0	वार्ड 60
252	07AAIFG4739L1ZZ	7180361892	9/9/2017	743119	0	4887020		0	0	वार्ड 62

253	07BXCPG8053P1Z1	7647147754	8/28/2017	0	0	48442831		0	0	वार्ड 63
254	07AAOCA1431A1Z9	7047113843	9/28/2017	2567041	0	0		0	0	वार्ड 63
255	07ABSPC5636R2ZV	7046925151	11/30/2017	818762	0	0		0	0	वार्ड 63
256	07AAACK2567P1Z3	7492002428	9/28/2017	0	0	8839474		0	9805845	वार्ड 64
257	07AAGPG5183N1ZC	7640108372	12/27/2017	0	0	584989		0	0	वार्ड 71
258	07ABGPC3418F2Z4	7556959548	12/23/2017	2153446	0	0		0	0	वार्ड 74
259	07AVEPD1819P1ZF	7867145402	12/23/2017	569945	0	0		0	0	वार्ड 74
260	07AABCE5091R1Z3	7880279154	10/16/2017	0	1507239	474967		0	0	वार्ड 81
261	07AAAFC1911E1Z6	7530039805	8/27/2017	126426	0	610000		244000	0	वार्ड 82
262	07AAEFN6937F1Z5	7450313971	8/26/2017	0	0	568704		0	0	वार्ड 83
263	07AAQFA9225P2ZP	7550378615	8/28/2017	1356408	0	0		54454	0	वार्ड 89
264	07AABCS8898N1ZC	7790271395	11/17/2017	2381458	0	2695798		1429557	0	वार्ड 92
265	07AQOPS5192H1Z7	7890336524	8/28/2017	0	277776	0		0	0	वार्ड 92
266	07AAACV2336H1ZI	7800139615	9/28/2017	0	0	992703		372422	0	वार्ड 92
267	07APFPB1142Q1ZY	7770415742	12/21/2017	0	0	1663074		0	0	वार्ड 93
268	07AAACK1049A2Z6	7160173529	10/18/2017	0	0	7796539		0	0	वार्ड 94
269	07AAHCR4221L1ZA	7747101915	9/22/2017	46120	0	0		0	0	वार्ड 96
270	07ACWFS8961N1ZT	7547204748	11/11/2017	0	0	5909750		0	0	वार्ड 98
271	07AACCJ3938K1ZB	7076980861	9/21/2017	0	0	12405941		0	0	वार्ड 101
272	07GVEPS4097G1Z1	7237167040	11/22/2017	0	0	98540718		0	0	वार्ड 104
273	07AIKPK8459K1ZK	7390426427	12/7/2017	0	0	8353		0	0	वार्ड 104
274	07AAACY1160E1ZP	7190080732	11/10/2017	547350	0	0		0	0	वार्ड 105
275	07AAFCD1565P1Z9	7637117835	11/10/2017	4840817	0	0		0	0	वार्ड 106
276	07AABCA4304K1ZZ	7970255291	12/27/2017	2077127	0	5756512		0	16087707	वार्ड 201
277	07AABCB8143M1ZH	7160309329	12/27/2017	181690342	0	18339335		0	0	वार्ड 201
278	07AADCC3160B1ZA	7160376647	12/22/2017	4331305	0	4331305		0	0	वार्ड 201
279	07AAACI0684H1ZO	7610027539	12/27/2017	0	0	8832825		0	0	वार्ड 202
280	07AABCS0858G1ZF	7070188953	12/27/2017	0	0	47152		5729976	0	वार्ड 202
281	07AHGPK7638H1Z3	7040185138	12/13/2017	0	0	4031855		0	0	वार्ड 203

282	07AALFN8339A1Z8	7910342624	9/18/2017	0	0	796229		0	0	वार्ड 204
283	07AAJCS2084G1Z9	7070298272	12/26/2017	37380	0	48363668		210777	0	वार्ड 204
284	07AACCL9423D1ZO	7447113623	12/27/2017	0	0	2576336		0	0	वार्ड 204
285	07AAACW0387R1ZP	7420116059 | 7680227757	12/27/2017	0	0	2110285		13407409	0	वार्ड 208
286	07HATPS4379Q1Z6	7367149169	8/28/2017	0	0	50247832		0	0	-
287	07AFLPC0789A1ZQ	7076942837	8/28/2017	0	0	0		574917	0	वार्ड 100
288	07AATCS9490A1ZV	7316933490	26/12/2017	3725639	0	0		0	0	वार्ड 101
289	07AAACG2400K1Z1	7260184435	11/23/2017	0	0	256302		0	0	वार्ड 103
290	07AARFB5243M1Z0	7057204387	8/31/2017	0	0	0		355667	0	वार्ड 103
291	07AABCS0749L1Z6	7200181170	12/25/2017	0	0	0		239256	0	वार्ड 104
292	07AACCN1659D1ZO	7570313808	27/12/2017	0	0	14563598		0	0	वार्ड 108
293	07AACFD4306N1ZH	7300082175	11/23/2017	0	0	1673029		0	0	वार्ड 109
294	07AAACJ9161C1ZR	7760407551	12/27/2017	0	796140	637922		0	0	वार्ड 115
295	07AABFI8045G1ZG	7500258702	10/1/2017	0	0	319515		0	0	वार्ड 115
296	07ADDPA0408L1Z1	7230352019	8/23/2017	0	0	443400		327026	0	वार्ड 12
297	07AADCG9745N1ZY	7666956626	11/20/2017	0	0	0		279553	0	वार्ड 2
298	07AAACL1681P1Z5	7727105811	12/22/2017	0	0	0		24582525	0	वार्ड 202
299	07AAKCS3784N1ZK	7270362473	12/9/2017	812964	0	7225817		0	0	वार्ड 204
300	07AAHPK7777R1ZN	7896914385	12/27/2017	0	0	7206647		0	0	वार्ड 204
301	07AAGPP7030F1ZU	7490210450	12/13/2017	0	0	31492934		0	0	वार्ड 204
302	07AAKFH1155P1Z0	7286940539	12/21/2017	0	2156	0		0	0	वार्ड 206
303	07AAACM1724C1Z3	7790173037	12/27/2017	0	0	7552051		0	0	वार्ड 208
304	07BZKPA3000N1ZM	7757186057	8/28/2017	0	0	36278556		0	0	वार्ड 28
305	07EPXPK2925G1ZF	7167188661	10/10/2017	0	0	24784815		0	0	वार्ड 28
306	07AAFCV6223J1Z6	7317152252	12/27/2017	0	243551	0		0	0	वार्ड 41
307	07AAHPC4944L1ZK	7040189212	12/27/2017	9459	316569	0		0	0	वार्ड 43
308	07AYKPS1672C1ZC	7460270752	12/27/2017	0	0	324166		214955	0	वार्ड 45
309	07AADFJ5587G2Z3	7020247423	11/21/2017	0	0	978201		0	0	वार्ड 46
310	07AAECP5883H1Z2	7950351817	10/10/2017	0	0	1266031		0	0	वार्ड 50

311	07AACCA5633Q1ZC	7300227966	12/26/2017	264473	0	2405476		0	0	वार्ड 52
312	07AAAFF1004B1ZH	7260106350	12/27/2017	0	0	228256		0	0	वार्ड 52
313	07AAEFN0694D1ZF	7910393064	12/27/2017	0	0	14812		0	0	वार्ड 53
314	07AAGFH6417G1ZG	7550430122	12/27/2017	0	0	446095		446095	0	वार्ड 56
315	07AMNPK6975D1ZN	7230389558	9/29/2017	0	198957	0		0	0	वार्ड 57
316	07AABCF8078M1Z3	7720408834	11/22/2017	0	0	48194847		67123502	0	वार्ड 61
317	07AAFCP4078D1ZG	7157134783	11/27/2017	0	3829422	0		0	0	वार्ड 61
318	07AAFCA9246A1ZX	7910318665	12/23/2013	0	0	740346		0	0	वार्ड 61
319	07ANTPB7923R1Z5	7836997709	12/21/2017	0	0	0		598955	0	वार्ड 61
320	07ATDPK4332R1ZB	7846899620	12/27/2017	0	0	575534		117032	0	वार्ड 61
321	07AWCPT4780C1ZG	7107128457	8/31/2017	0	500000	2247359		0	0	वार्ड 62
322	07AACPT7397R1ZJ	7670232758	12/14/2017	0	0	3562444		1049977	0	वार्ड 62
323	07BWDPG8127L1ZB	7337140407	8/27/2017	0	0	42471873		0	0	वार्ड 63
324	07BHLPS3834H1ZZ	7237187216	12/10/2017	0	500000	2247359		0	0	वार्ड 63
325	07AAFCA2722B1ZC	7960465447	12/25/2017	650962	0	4887020		0	0	वार्ड 63
326	07ADKPJ2200L1ZR	7830420268	11/23/2017	0	0	37746		0	0	वार्ड 63
327	07AANCA5906B1ZW	7336993716	12/23/2017	0	0	1047748		0	0	वार्ड 63
328	07CLDPK3282N1ZQ	7086954714	9/20/2017	608232	0	337250		0	0	वार्ड 63
329	07AAIPB4811G1Z5	7276947609	8/28/2017	407258	0	3225561		425802	0	वार्ड 63
330	07ABEPL4151E1Z0	7096897365	12/27/2017	0	0	463786		0	0	वार्ड 63
331	07CGJPK7474H1ZY	7186902020	10/31/2017	0	135001	0		0	0	वार्ड 63
332	07AAGCA1521M1ZT	7700349287	11/17/2017	0	0	313564		0	0	वार्ड 64
333	07AAFCR4011C1ZZ	7590404395	12/27/2017	0	0	6171145		0	0	वार्ड 67
334	07ACYPG0131E1ZV	7650276419	12/26/2017	0	0	2048987		0	0	वार्ड 69
335	07AABCH5666H1ZG	7300296157	12/13/2017	5673545	231335	0		0	0	वार्ड 69
336	07ARNPJ2964Q1ZY	7210326131	12/27/2017	0	0	4692		56074	0	वार्ड 70
337	07BRPPA0980G1ZT	7547110173	12/27/2017	0	0	9048125		0	0	वार्ड 71
338	07AAKPG8851H1ZG	7120277244	11/13/2017	0	510064	0		0	0	वार्ड 71
339	07AAACN4030A1Z9	7450180596	10/20/2017	0	0	0		21963	0	वार्ड 72

340	07ABYFS4834P1Z1	7580401733	12/27/2017	0	0	631125		295538	0	वार्ड 74
341	07FJLPS0598Q1Z0	7067154669	9/20/2017	0	0	0		277921	0	वार्ड 74
342	07AIVPK5724G1ZW	7120301009	11/18/2017	0	0	3303125		0	0	वार्ड 75
343	07AELPK8838F1Z4	7290217544	12/26/2017	0	0	60960		0	0	वार्ड 75
344	07AKYPG9312P1ZA	7960293466	8/28/2017	0	0	99287		0	0	वार्ड 77
345	07BZEPG9662C1ZD	7617193409	06/09/2017	0	0	14096109		0	0	वार्ड 78
346	07AAOPG2395J1ZC	7740059623	12/27/2017	0	0	22533		1140056	0	वार्ड 82
347	07AAAPA3562B1ZI	7360061481	12/19/2017	899624	0	0		0	0	वार्ड 82
348	07AABCT6921F1ZG	7870257577	12/27/2017	9461	0	0		2012820	0	वार्ड 83
349	07AACFW0305Q1Z1	7366966976	11/30/2017	0	368731	0		0	0	वार्ड 83
350	07AAHCP3467E1ZD	7837111420	10/10/2017	0	0	2100269		0	0	वार्ड 84
351	07AOVPK8802K1ZA	7410473170	12/27/2017	0	0	481546		0	0	वार्ड 84
352	07CJOPK6496D1ZQ	7557109343	8/24/2017	0	0	0		1500000	0	वार्ड 84)
353	07AAICA7124N1ZE	7936890792	12/20/2017	2853513	0	0		0	0	वार्ड 85
354	07AADCR9727P1ZL	7710356217	12/27/2017	0	0	2593466		2613752	0	वार्ड 87
355	07AAECB4086E1ZT	7570414106	12/27/2017	0	0	1428527		0	0	वार्ड 88
356	07AAACV3218J1ZE	7730179957	12/27/2017	918619	0	1729370		3617710	0	वार्ड 89
357	07ADEPA4905F1Z3	7570359398	12/27/2017	0	0	0		2049994	0	वार्ड 89
358	07AACFS2418J1Z9	7680172952	12/27/2017	143849	0	4361277		0	0	वार्ड 89
359	07AAHPM7969D1ZC	7310141097	8/28/2017	0	0	35962		0	0	वार्ड 90
360	07AAECR0284N1Z2	7570350183	10/10/2017	1355755	0	983239		1747275	0	वार्ड 91
361	07AUUPS0954P1ZK	7300337479	12/27/2017	0	0	0		71127	0	वार्ड 91
362	07AALCS7418L1ZS	7317186396	12/27/2017	0	0	36573		0	0	वार्ड 93
363	07AADFR5103L1Z9	7020211727	9/22/2017	0	0	7076496		0	0	वार्ड 94
364	07AAECN0849B1ZS	7350435858	8/28/2017	687	0	0		1137644	0	वार्ड 94
365	07AASFP4332J1ZV	7897122251	10/10/2017	0	0	0		461227	0	वार्ड 94
366	07AACFI0275R1Z0	7600311997	10/1/2017	0	0	1702890		0	0	वार्ड 96
367	07AAACL0140P4ZI	7160032685	12/27/2017	87075953	21415	52581444		6216185	278594473	वार्ड 202
368	07AASCS8944G1ZN	7160478691	12/27/2017	0	0	1238399		0	0	वार्ड 11

369	07AADCD9195P1ZT	7430403610	9/4/2017	17190	0	1963720		209	0	वार्ड 22
370	07GVEPS3616B1ZO	7927131498	8/28/2017	0	0	38283662		0	0	वार्ड 22
371	07AAMFG2952M1ZY	7746895698	12/27/2017	0	0	0		530639	0	वार्ड 23
372	07AAACH0032J1Z2	7720131123	11/16/2017	0	0	188718		0	0	वार्ड 25
373	07BTYPA8132K1Z7	7577117577	12/27/2021	0	93800	838750		0	0	वार्ड 29
374	07ABEFM6031C1ZP	7557206537	10/30/2017	0	0	0		809722	0	वार्ड 38
375	07AADFK9317K1Z2	7390225443	11/21/2017	0	0	1856476		0	0	वार्ड 43
376	07AABCC5486C1ZT	7585000406	12/27/2017	807874	4713923	0		0	0	वार्ड 43
377	07AAGCG2427A1Z5	7037109047	12/27/2017	0	0	829886		0	0	वार्ड 43
378	07AAQCS3042R1ZN	not showing	8/28/2017	0	0	0		1470924	0	वार्ड 44
379	07AISPB2807L1Z3	7747147311	12/25/2017	0	0	0		12522	0	वार्ड 44
380	07AAECB8193J1ZA	7430414086	10/10/2017	0	0	3599759		0	0	वार्ड 45
381	07AAFPJ4293H1ZM	7290116276	9/6/2017	0	0	2911468		2911468	0	वार्ड 49
382	07AAHFJ8460G1Z6	7520336970	12/26/2017	67511	26575	0		0	0	वार्ड 53
383	07CSXPS5509R1ZE	7680179354	8/28/2017	1990095	0	1990095		0	0	वार्ड 54
384	07ADGPM5087N1ZX	7690267667	12/21/2017	0	0	1041153		0	0	वार्ड 56
385	07AADFD8824A1ZS	7110052549	12/27/2017	0	0	3769866		3766315	0	वार्ड 58
386	07AAACC0811A1ZN	7880291182	12/21/2017	241249	321855	0		0	0	वार्ड 60
387	07AAGFG7588K1ZQ	7930316423	12/27/2017	0	0	17636		509616	0	वार्ड 60
388	07AALFV2738F1ZZ	7526899505	12/26/2017	3039414	0	0		0	0	वार्ड 61
389	07AAGCR6358D1ZA	7856907520	12/12/2017	0	0	1886930		0	0	वार्ड 61
390	07AAECG4937H1ZI	7830416291	10/26/2017	0	0	842346		0	0	वार्ड 61
391	07AAJFG6372L1ZX	7770389455	12/26/2017	0	14417	1950349		0	0	वार्ड 61
392	07AEOPG0188F2ZH	7326919694	12/18/2017	0	0	0		629111	0	वार्ड 62
393	07AIIPA7076J1Z3	7856913146	8/31/2017	0	0	0		118125	0	वार्ड 63
394	07ASBPG6020B1ZJ	7466935299	12/24/2017	309349	32500	732293		0	0	वार्ड 63
395	07AAFPJ6131N1ZK	7340245113	11/14/2017	2258	6156	0		0	0	वार्ड 63
396	07AAYPS1178H1Z0	7830333259	11/28/2017	0	0	96512		0	0	वार्ड 63
397	07BEFPK0080J1ZM	7887223185	12/27/2017	0	0	0		29039846	0	वार्ड 63

398	07ADWPT7962P1Z2	7696903437	9/29/2017	0	0	0		112494	0	वार्ड 63
399	07ACJPV1428N1Z2	7260280659	12/25/2017	0	183334	0		0	0	वार्ड 63
400	07ADKPA4671Q1Z3	7430249574	12/27/2017	0	0	1278657		549189	0	वार्ड 63
401	07AABCT3678F1Z8	7300318176	10/16/2017	638751	17413	19494		0	0	वार्ड 63
402	07AITPG8206F2Z4	7710369215	11/2/2017	0	0	809549		809549	0	वार्ड 63
403	07AEVPT1759A1Z5	7610465688	8/27/2017	0	0	0		140598	0	वार्ड 63
404	07ACFPA4761M1ZJ	7650199983	11/30/2017	0	0	3981817		0	0	वार्ड 64
405	07AAECM2486K1Z5	7330250599	12/27/2017	2212323	0	0		0	0	वार्ड 67
406	07BEGPS6251E1ZF	7440411025	12/25/2017	0	0	206296		0	0	वार्ड 74
407	07ALKPK3043Q1ZO	7790372178	12/27/2017	0	8149	0		0	0	वार्ड 74
408	07AAACA6485A1ZZ	7710181229	9/21/2017	1382406	22917	0		0	0	वार्ड 74
409	07DDYPS4436N1ZF	7867205154	11/16/2017	0	0	21194364		0	0	वार्ड 75
410	07CKAPD8238H2Z8	7457205137	9/28/2017	0	0	2659793		0	0	वार्ड 75
411	07AIOPP5981D1ZT	7656902004	9/27/2017	0	0	3285404		2821331	0	वार्ड 76
412	07AHRPB3341B1ZT	7460351553	12/27/2017	525152	26967	0		0	0	वार्ड 77
413	07AAAFH3105M1ZM	7162002755	12/26/2017	0	0	0		3675544	0	वार्ड 85
414	07AACCM4056B1ZW	7270404668	12/27/2017	0	0	0		893475	0	वार्ड 93
415	07AANCS0854J1Z0	7560445491	12/27/2017	0	23148394	0		0	0	वार्ड 94
416	07AALCS7613M1ZT	7920351300	10/21/2017	2986122	0	2179789		0	0	वार्ड 94
417	07BRHPK1869E1ZP	7287130104	12/27/2021	0	0	4343071		0	0	वार्ड 94
418	07AAAFM8966F1Z1	7940023914	12/27/2017	0	0	2115936		0	0	वार्ड 98
419	07AAACG0239L1ZQ	7860178576	12/26/2017	0	14445802	0		0	0	वार्ड 100
420	07AABCT0087C1ZP	7770236583	12/22/2017	0	0	966431		2200850	0	वार्ड 101
421	07ADFPC4110M1ZW	7657116563	12/27/2017	0	0	341660		0	0	वार्ड 101
422	07AAQFG9489B1ZV	7687213886	12/19/2017	0	0	0		341544	0	वार्ड 103
423	07AMSPK2982P1Z2	7020280209	8/28/2017	0	0	2996187		0	0	वार्ड 104
424	07AABCE6340D1Z2	7170359424	11/29/2017	0	8144937	0		0	0	वार्ड 105
425	07AAACJ0838Q2Z7	7880253643	12/27/2017	0	0	14024803		0	505808	वार्ड 201
426	07AAQFR6323R1ZC	7950380626	12/27/2017	0	0	7721843		0	0	वार्ड 201

427	07AAACR1225R1Z7	7190147080	8/28/2017	0	0	3653077		0	0	वार्ड 201
428	07AAACW0583H1ZC	7260129824	12/27/2017	1520442	164026	0		1665399	0	वार्ड 201
429	07AAOPG4565A3ZT	7716993119	12/27/2017	1103044	1449633	0		0	0	वार्ड 201
430	07AAAFA0338B1ZB	7090316012	12/25/2017	0	0	4274758		0	0	वार्ड 202
431	07AAMCA7148J1ZA	7496933294	12/27/2017	1900361	0	26906377		0	0	वार्ड 204
432	07AALCS0625D1ZM	7340340464	9/1/2017	0	0	29731757		0	0	वार्ड 204
433	07AAACB2533Q1ZK	7080127789	11/10/2017	0	0	11277854		0	0	वार्ड 204
434	07AAACT2727Q1ZY	7420080460	12/25/2017	8815940	0	44953998		31338658	0	वार्ड 204
435	07AAACB8917G1ZP	7050256379	12/27/2017	0	2253500	0		0	0	वार्ड 205
436	07AAACH3005M1ZT	7900208527	9/15/2017	0	3631369	304230		290453	0	वार्ड 206
437	07AABCE6392B1ZU	7336307764	12/27/2017	0	0	1920879		0	0	वार्ड 207
438	07AACCK7713M1Z9	7480301296	11/21/2017	0	0	1750393		0	0	वार्ड 207
439	07AAHCA3072C1Z3	7177201411	12/27/2017	761639	110117	0		1163344	0	वार्ड 208
440	07AAACT0351N1ZC	7560267011	8/28/2017	0	2033001	0		0	0	वार्ड 108
	कुल			**931067224**	**143310952**	**2243784537**	**348186824**	**286946601**	**309036532**	**4262332670**

परिशिष्ट 1.6

(पैराग्राफ 1.3.7.1 में संदर्भित)

अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) अग्रेषित किया गया

क्र. सं.	जीएसटीआइएन सं.	टीआइएन सं.	वार्ड	2 ए एवं 2 बी मिस्मैच डाटा					2 ए एवं 2 बी के कारण उत्तरदायित्व	योग्य एजेजीएसटी निर्धारिती के रूप में क्रेडिट किया गया	ट्रान-1 की तालिका 5 (सी) के तहत अस्वीकार्य क्रेडिट अग्रेषित किया गया
				क्यू 1 16-17	क्यू 2 16-17	क्यू 3 16-17	क्यू 4 16-17	क्यू 1 17-18	कुल		
1	07AABCC5967C1ZR	7815000134	202	3052103	1593590	1176361	2496823	17651405	25970282	14767993	14767993
2	07AAFCA0924K1ZT	7470299022	2	0	0	44985	0	210066	255051	36919224	255051
3	07BIHPM0503J1ZH	7616969118	63	0	6919	68	8356	439406	454749	612426	454749
4	07AAGPV6729H1Z8	7816988699	55	0	46446	4726	24930	23783	99885	816311	99885
5	07AADCH0303D1ZE	7606902468	89	0	4026	0	1576	167341	172944	3495355	172944
6	07AGSPG0200A1Z7	7932003641	44	0	135778	0	0	22222	158000	1310709	158000
7	07BAQPV7003M1Z1	7887142772	63	0	930036	4122155	1929730	424118482	431100403	394189315	394189315
8	07CWSPM6767L1ZF	7977125893	102	0	0	0	0	54105499	54105499	49846020	49846020
9	07AAJCM7283P1ZL	7956969998	206	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2011545	2011545	48495241	2011545
10	07AIEPJ3085E1ZG	7550334965	48	0	229647	102624	0	0	332271	45035632	332271
11	07AAAJI0262Q1Z0	7670334705	107	0	301717	0	0	761371	1063088	49388820	1063088
12	07AAKCM2533R1ZX	7367119681	75	0	13922364	0	0	0	13922364	46121743	13922364
13	07AAACB7293D1ZS	7220364974	203	0	375	1696245	396828	0	2093449	26385129	2093449
14	07AABCI9186R2ZM	7950375970	202	612905	1138878	788806	4470832	3120067	10131488	23303073	10131488
15	07AABCT1296R1ZP	7170228086	202	47454	967735	381169	1914389	2578130	5888877	23553183	5888877
16	07AACCC3657N1ZC	7360474992	202	769593	869218	1307372	1694849	1503339	6144369	68510025	6144369
17	07AAACP2678Q1ZS	7460332153	63	429402	1712840	370444	28831	11931646	14473162	104371696	14473162
18	07AAACZ8228L1ZU	7786959567	95	0	0	0	0	176012	176012	21319969	176012
19	07AACCF6042L1ZK	7556976620	64	0	0	0	0	618169	618169	21168218	618169
20	07AAICM8743P1ZN	7776902617	64	0	0	0	0	2210689	2210689	21500787	2210689
21	07AHMPY4935D1ZX	7596911446	63	0	344889	0	0	0	344889	19524656	344889
22	07AOQPL7638P1ZW	7577140857	63	0	46273	0	0	12491706	12537978	19327873	12537978
23	07AZCPV7055K1ZT	7497114323	75	0	0	0	0	3454772	3454772	19134267	3454772
24	07AABCB4808M1ZL	7607126921	201	0	0	0	0	81991	81991	15605150	81991
25	07AJQPA9695J1ZG	7056899909	63	7571619	1999971	6155225	8769463	4276096	28772374	9478620	9478620
26	07AAICM4543P1ZX	7052004028	113	0	0	0	0	95465	95465	16651775	95465
27	07ADWPR8938B1ZV	7456907158	80	717149		1413200	0	0	2130349	14614004	2130349
28	07AAGCR6775C1Z7	7876915463	61	13517	65111	798825	0	101428	978880	14586882	978880
29	07CZVPS8758M1ZV	7116961536	28	97500	0	0	0		97500	13606889	97500

30	07AQIPG9131E1Z0	7886996954	80	1670131	2920736	1103031	1737775		7431673	13672378	7431673
31	07ASYPK1229P1ZY	7387212887	62		2128325	0	0	250031	2378356	8745218	2378356
32	07AAACS9032R1ZT	7390258714	208	87686	575600	0	6524695	522787	7710767	7847580	7710767
33	07CZHPK4833M1ZX	7547219977	62			684713		8068463	8753175	9325156	8753175
34	07CJKPS9726C1ZT	7826985056	76	2035984		849859	2872132		5757975	9952339	5757975
35	07DNEPS3930P1ZD	7137212879	62		501984		3750000	707213	4959196	9521450	4959196
36	07BQSPG8748L2ZW	7176963346	63	0	275526		361987	2115676	2753188	8646940	2753188
37	07BGJPK7504F1ZG	7530418687	67	22795	81093	82887	71481	131176	389432	13341780	389432
38	07AAGCA1513R1ZJ	7966937352	202	5067683	10092195	8473610	16723858	17317537	57674883	8635296	8635296
39	07AAACE4809L1ZK	7510021871	104		273649		257210	4626197	5157056	8001021	5157056
40	07GKPPS8103D1ZV	7927103077	62	0	0	0	45000		45000	9315761	45000
41	07AACCK0187B1ZY	7720349082	64					650423	650423	5507942	650423
42	07AAKCS3431L1Z4	7200371969	96	0	233744	1495235	320216	1613598	3662793	12743347	3662793
43	07AAACH0968B1ZY	7670349061	107	3866	0	0	1249293	1142864	2396023	5285281	2396023
44	07BSIPG8499L1ZV	7087100144	64					4847927	4847927	6283480	4847927
45	07AGVPV9929L1Z0	7576991450	64	4288747	7012096	1833911	0	0	13134754	6257349	6257349
46	07AACCC2418B1ZC	7430278383	202	2921	22744	22818	144487	8605	201575	6546777	201575
47	07AUUPJ1993R3ZE	7160473744	56					602261	602261	6026998	602261
48	07AAEFU4189J1ZP	7536989823	86	64000	0	17651	5119	200131	286901	7034010	286901
49	07AAJCA1167G1ZT	7590249389	3	51463	1696857	31943	817581	1143472	3741316	11944726	3741316
50	07AAHCA0139L2ZP	7890323138	115	16000	18906	7947	0	13333	56186	4305170	56186
51	07AAACE1268K1ZN	7150270001	2	217970	306059	582998	872413	360224	2339664	13022441	2339664
52	07AABCT1559M1Z1	7920232087	300	211411	44932	205162	0	82913	544417	5273698	544417
53	07CUJPP5150P1ZY	7156963648	61			270186		1059809	1329995	5036895	1329995
54	07AABCU7229B1ZK	7496998769	63	1255721	2005725			5497538	8758983	4095005	4095005
55	07ABHPB1818P1ZK	7730369204	62	0	0	2281611	2991588	0	5273198	5597915	5273198
56	07AAFCK1852N1Z8	7657122771	64	0	0	123775	0	0	123775	4355913	123775
57	07AAFCD7012D1Z4	7767132556	82	0	0	0	1698587	0	1698587	4409203	1698587
58	07AAECB9200C1Z7	7090478390	72	0	110583	34320	0	961859	1106762	4770235	1106762
59	07AAWCS7969R1ZP	7457114927	61	0	0	0	2779	41369	44148	8963527	44148
60	07AAPCS0492Q1ZI	7277109885	111	0	0	31964	469394	0	501358	4305563	501358
61	07AHGPG2679C1ZI	7346986969	84	10546060	5793945	7194066	9710969	4750958	37995998	9312544	9312544
62	07AABCS3466Q1ZS	7680046367	201	0	7241	286	0	80621	88148	4376571	88148
63	07AAECA9953D2ZL	7030295287	100	0	0	0	0	3758500	3758500	3850643	3758500
64	07ACVFS5888B1ZF	7966977898	8	0	0	0	0	468000	468000	3737835	468000
65	07BCSPS9906G1ZV	7616984153	81	150355	1007650	427086	1328279	0	2913370	3675533	2913370
66	07AADCH7038R1ZZ	7786994778	89	129511	211870	344775	2827526	560265	4073947	3928148	3928148
67	07AAACK6435A1ZZ	7500300024	78	0	1327181	0	25734	0	1352915	10325170	1352915
68	07AEWPA7225D1ZK	7530331096	66	0	0	0	0	51368	51368	2928310	51368
69	07AAOCS6228H1Z0	7860383634	101	0	0	0	0	48462	48462	3218294	48462
70	07AAACI9670H1ZC	7060189977	208	0	0	0	0	202746	202746	2482652	202746
71	07ABCFA3685J1ZA	7276967074	90	0	0	0	0	1073798	1073798	4990425	1073798
72	07AAJFD3333N1Z9	7550475712	80	0	99281	2492629	38925999	0	41517908	3093352	3093352
73	07AABCE0772B1Z6	7046966182	89	0	0	0	0	92543	92543	3149138	92543
74	07AAACP0743J1ZK	7442012592	2	20586	2713	40918	300675	57267	422158	5784881	422158
75	07BFLPK9958L1ZH	7966962475	87	0	0	0	1055	373046	374102	3034127	374102

76	07AABCF2059E1ZZ	7900346267	107	537630	902221	79693	23244	64547	1607334	2802969	1607334
77	07AAACW8613N1ZW	7556948393	61	0	0	24410	160710	0	185120	4997820	185120
78	07CVJPM3831M1Z5	7777100298	50	87500	4713449	81250	0	4297996	9180194	2500000	2500000
79	07ALWPJ6786F1ZC	7370446420	106	0	0	0	0	145800	145800	4827361	145800
80	07DUOPK2243A1ZW	7327103407	63	107235	0	82317	0	327393	516944	2995800	516944
81	07AAFFT2700F1ZL	7262005416	63	532	111881	9946	17477	215324	355160	3143996	355160
82	07AGIPA9482A1ZL	7840305366	72	90514	0	0	0	0	90514	2623989	90514
83	07AAICP4734F1ZE	7427112955	63	0	1387103	4096563	2000960	110641	7595267	3694887	3694887
84	07AAACD2145G1Z3	7240182021	202	675998	313226	316074	7556534	3342206	12204038	3039486	3039486
85	07AAGCA1292H1ZS	7726899007	61	211186	0	0	0	26374325	26585511	2348279	2348279
86	07AACCK3517B1Z2	7370340011	114	37574	293511	35712	66170	16065	449032	9312048	449032
87	07AJOPK5636P1ZF	7862001982	77	0	0	36019	9459	1296725	1342203	3069650	1342203
88	07AEOPA5914R2ZY	7272002452	113	0	3842	109408	3843	0	117093	2994268	117093
89	07AHHPG9790K1ZQ	7176986044	80	213	190601	0	0	0	190814	2202308	190814
90	07AAACS4944A1ZP	7910130776	7	69517	111100	257690	208342	48446	695094	2065964	695094
91	07AAECN8312R2ZW	7896955093	56	0	186	0	644545	0	644731	2023314	644731
92	07ADUPG3816B1ZP	7700231432	48	0	0	0	0	60903	60903	2225912	60903
93	07AACCE0124E1ZD	7450137140	84	0	10294	5250	159067	17191	191802	2033766	191802
94	07ADIFS3765M1ZF	7390007969	201	0	0	0	0	35556	35556	2086456	35556
95	07AABCH9683A1ZL	7320347653	6	123977	187220	2483132	189539	0	2983868	1979240	1979240
96	07AAACB2575L1ZK	7600184442	202	0	0	0	255474	0	255474	1800732	255474
97	07AABCI7601M1ZH	7956972714	203	428771	365820	196887	704678	733132	2429288	2301471	2301471
98	07AAACC0020D1ZO	7470224914	115	0	3075	177013	4496	3691	188275	2452759	188275
99	07AADCI0539C1Z1	7326934018	64	1549	88558	119095	68106	5625	282934	5202647	282934
100	07AACCB6217H1ZW	7390420510	103	23813	9529	0	0	0	33342	1652549	33342
101	07AAFFE3203Q1ZD	7566977342	95	578	0	1741	19677	550024	572020	2800750	572020
102	07AAFCS6624L1Z0	7720321340	4	441116	0	0	0	0	441116	1879297	441116
103	07AAPCS7430L1ZS	7080409865	83	0	0	0	328206	491	328696	1611274	328696
104	07AANCA0665R2Z0	7876959566	114	0	0	24605	65820	614483	704908	1666502	704908
105	07AOEPS7383C1ZQ	7930302552	110	0	0	0	46120	53428	99548	3056662	99548
106	07AMFPM8409E1Z2	7150170285	83	0	0	0	0	790075	790075	1362298	790075
107	07AEEPV9740C1ZB	7976957280	94	0	0	0	0	52245	52245	1898505	52245
108	07AATPS5824M1ZT	7610439013	52	473	1317	1518	9413	18501	31221	1719723	31221
109	07DAXPS7083B1Z2	7820265025	89	0	0	0	0	34930	34930	3950968	34930
110	07AGAPJ2325D1Z2	7296913551	63	0	0	74716	582802	1509153	2166671	1446944	1446944
111	07AALFN1089R1ZG	7526935848	96	16450	642024	0	15488	1640	675602	4710247	675602
112	07AAAHR8476D1ZZ	7130176698	71	0	0	0	107872	0	107872	1949967	107872
113	07AFBPB5524L1ZN	7380160119	93	6168	0	46444	0	0	52612	1867921	52612
114	07AACCS0764N1Z2	7830144497	62	71180	841	175	788	130664	203647	2939935	203647
115	07AAHCS8505N1ZU	7920284564	60	0	0	0	0	39350	39350	1190762	39350
116	07AAAPY0759L1Z8	7986934722	112	13845	0	17077	1076937	39150	1147009	1462510	1147009
117	07AABCN9382N2ZR	7220476815	80	190636	8851	0	0	0	199487	1398979	199487
118	07AWNPJ9548D1Z5	7717127200	61	0			5018759	11461891	16480649	1268049	1268049
119	07AAICP1324P1Z5	7616982148	63	0	0	0	0	204896	204896	1591247	204896
120	07DYYPK0370J1ZV	7946979849	76	0	0	119838	0	34300	154138	1301865	154138
121	07AHAPJ2418C1Z0	7456934092	83	134371	0	97478	1009862	16202839	17444550	1253508	1253508

122	07AAACD1005B1ZO	7330107912	201	2430	2705	3105	2843	95669	106751	1507328	106751
123	07AAJFR1633H1Z9	7377120500	89	0	0	0	0	195899	195899	1459805	195899
124	07AAYFS8918D2ZI	7972005462	62	3056	586	14658	17208	47716	83223	1539343	83223
125	07AGYPM7423R2Z8	7700315628	86	0	0	512667	0	30255	542922	1710611	542922
126	07AAEFU5861F1Z1	7257115813	61	0	1302939	480612	30104	503105	2316759	2069307	2069307
127	07AAWCS3309K1ZT	7966994776	95	35912	31229	33158	57102	145239	302640	1411260	302640
128	07AFEPB4820L1ZN	7220185912	43	0	0	80927	0	620	81548	1188429	81548
129	07AAACQ1010F1Z6	7180175264	115	1299	5503	46860	1801871	25510	1881043	2119222	1881043
130	07CJKPD5017R1ZT	7927112486	57	3132	5311	12713	10329	0	31484	1032504	31484
131	07AATPS8774N1ZC	7060413950	78	25216	741982	0	0	0	767198	2184382	767198
132	07AADCD0043Q1ZM	7800352336	80	0	0	0	20755	9300	30055	1359593	30055
133	07AABCB6934A1Z3	7420276109	103	0	0	0	0	1228067	1228067	1346569	1228067
134	07AADCJ4502A1Z9	7746957358	14	0	0	0	220300	0	220300	1499443	220300
135	07AADCK1647D1ZU	7680342314	1	10458	25642	64459	504362	1428815	2033736	829024	829024
136	07CBOPK4227Q1ZZ	7136934074	94	0	4041	0	0	40709	44750	1084518	44750
137	07AABFA3411C1ZC	7092006722	109	0	0	213793	338	128583	342713	1076087	342713
138	07AGKPJ9185F1Z0	7357145052	63		275625	1197500			1473125	1264791	1264791
139	07AAJPG6405C1Z5	7172002507	41	5903	19508	35747	159717	5225	226100	1371107	226100
140	07AAICM6471G1Z9	7676934359	78	685486	77621	190	744988	512298	2020582	2151393	2020582
141	07BJOPC3675D1Z8	7647209834	66	0	0	0	0	1007171	1007171	424358120	1007171
142	07AABCB3989M1Z5	7400235962	114	0	0	0	0	147948	147948	145591676	147948
143	07AACCM4684P1ZT	7070407882	206	195994	482887	195877	271485	514094	1660336	62329282	1660336
144	07AAECM4799F1Z4	7227147505	207	रिकॉर्ड अनुपलब्ध		0	0	1335600	1335600	55746768	1335600
145	07AEMPU6884Q1Z4	7296997036	63	रिकॉर्ड अनुपलब्ध		0	0	55500000	55500000	48200000	48200000
146	07DVDPK5040P2Z8	7416960789	63	983625	रिकॉर्ड अनुपलब्ध		0	55500000	56483625	48200000	48200000
147	07BQDPG1665F2Z2	7496956962	63	0	रिकॉर्ड अनुपलब्ध		0	53625000	53625000	46525000	46525000
148	07DYYPK0304J1Z5	7727184279	75	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0	40627375	40627375	40980438	40627375
149	07BBYPJ7511F1ZD	7966983039	64	0	रिकॉर्ड अनुपलब्ध		0	41100000	41100000	36000000	36000000
150	07BVCPG8969G1Z7	7167122604	64	रिकॉर्ड अनुपलब्ध		0	0	41100000	41100000	36000000	36000000
151	07EDWPK0921H1ZB	7157104131	64	187500	196372	92091	29449	41100000	41605413	36000000	36000000
152	07FZFPS2326E1ZD	7196958194	62	0	रिकॉर्ड अनुपलब्ध		0	41100000	41100000	36000000	36000000
153	07GSSPS9115N1ZL	7377122634	64	रिकॉर्ड अनुपलब्ध		0	0	41100000	41100000	36000000	36000000
154	07AABFY7408H1Z1	7806927643	80	0	रिकॉर्ड अनुपलब्ध		0	350023	350023	32286864	350023
155	07EJZPK1088N1Z6	7597147830	62	रिकॉर्ड अनुपलब्ध	506834	3445398	1402873	690671	6045775	30111220	6045775
156	07BBSPM0105Q1Z9	7050397126	63	रिकॉर्ड अनुपलब्ध	1851706	3389200	6984488	रिकॉर्ड अनुपलब्ध	12225394	29966660	12225394
157	07CFVPR1961M1ZI	7747226075	62	रिकॉर्ड अनुपलब्ध		0	0	30227628	30227628	28019135	28019135

158	07AOMPL6745H1ZJ	7367113570	75	रिकॉर्ड अनुपलब्ध	1587165	0	रिकॉर्ड अनुपलब्ध	0	1587165	26396085	1587165
159	07AADCE6513E1ZZ	7900267600	202	0	0	0	0	31963	31963	23190876	31963
160	07GUMPS2987C1Z0	7387226079	62	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	19972628	19972628	18062246	18062246
161	07BIAPM4762L1ZZ	7097205141	75	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	511285	511285	16031998	511285
162	07AAACR7541J1Z8	7052000342	115	26962	354737	65799	654221	0	1101720	15104543	1101720
163	07AABCD7169H1ZI	7850412885	208	0	0	0	139258	1011845	1151103	14925835	1151103
164	07BBVPJ3886J1ZT	7317105013	63	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0	7939064	7939064	14328861	7939064
165	07BAJPP9423N1Z0	7887205143	75	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4523997	4523997	12102263	4523997
166	07AKMPJ2275Q1ZH	7967118478	28	47595	794397	327405	1154963	11705000	14029360	11705000	11705000
167	07AAAAH8586P1ZV	7180476546	110	0	0	0	114	296600	296714	11189258	296714
168	07AITPJ3838J1ZP	7940410168	71	लागू नहीं	992851	0	लागू नहीं	702340	1695190	10348136	1695190
169	07AAHCM9282A1ZF	7900446177	63	0	0	0	5360516	0	5360516	9935432	5360516
170	07AAGCG3933K1ZF	7257146465	203	0	0	89912	0	97993	187905	9693709	187905
171	07ABIFS4439G1ZZ	7360328813	71	0	0	0	3318562	0	3318562	9524831	3318562
172	07BJZPA3527M1ZP	7167218925	71	0	0	0	0	126985	126985	8988726	126985
173	07ADDFS9069F1ZQ	7517186286	63	0	0	0	0	109414784	109414784	7937112	7937112
174	07AAECR0690J1Z8	7850376219	93	7951	17766	2281	434253	139765	602016	7098566	602016
175	07EBMPK3795K1ZW	7287213427	56	0	0	0	0	6880964	6880964	6880964	6880964
176	07AAEFO1925E2ZJ	7087163194	80	0	0	0	0	1068482	1068482	6315098	1068482
177	07AAICS1063L1Z6	7230076248	104	0	0	0	0	266731	266731	3196660	266731
178	07AAKCA2311H1Z2	7576972341	101	0	2130598	0	0	0	2130598	2073220	2073220
179	07AAJCA5482C1ZR	7830414739	202	333563	387582	10425	122064	55782	909416	1210625	909416
180	07AAACT5980F1Z8	7450199317	204	258610	0	0	0	0	258610	1394716	258610
181	07GUCPS5250L1Z5	7290121902	63	270	5723	0	55136	2144	63273	383574	63273
182	07AANFG1856D1ZF	7886927502	83	0	175	0	17355	94548	112078	751305	112078
183	07AACCV5283D1ZC	7040334130	94	0	0	4312	1667	68875	74854	670317	74854
184	07AATFA3825A1ZO	7416894958	91	0	0	0	169551	0	169551	509602	169551
185	07BXCPG8053P1Z1	7647147754	63	0	51300	3083580	9524402	2196301	14855583	389478065	14855583
186	07GVEPS4097G1Z1	7237167040	104	0	0	0	2415483	590815	3006298	324852893	3006298
187	07AABCA4304K1ZZ	7970255291	114	353466	1281505	896406	1442645	2291258	6265280	325954028	6265280
188	07BZEPG9662C1ZD	7617193409	78	0	0	0	114006	1253577	1367583	214238462	1367583
189	07HATPS4379Q1Z6	7367149169	77	0	0	1377651	1810317	226625564	229813532	325448963	229813532
190	07BYHPK9253R1ZI	7940451393	64	136290	0	1006798	1403708	1785001	4331797	56559461	4331797
191	07AAACK5934A1ZX	7605000007	116	120535	100458	160819	1833	86917	470562	30751360	470562
192	07AABCF8078M1Z3	7720408834	300	53114786	18438170	2678967	7658562	2509742	84400227	20428746	20428746
193	07AAACI0684H1ZO	7610027539	115	216899	526018	101903	1068055	4543	1917418	26917889	1917418
194	07AATCS9490A1ZV	7316933490	43	95837	692369	237382	403302	204224	1633114	16893546	1633114
195	07AAACL1681P1Z5	7727105811	52	18839342	10126261	11622718	20073519	15580969	76242809	81104007	76242809
196	07DCTPP0616K1Z5	7657127815	71	0	0	0	0	418125	418125	9877880	418125
197	07BMFPS2455H1ZV	7030393645	63	0	101319	0	16575	590111	708005	9857620	708005
198	07CMUPB9422M1ZG	7377197518	71	0	0	0	1528812	1107507	2636319	9888781	2636319
199	07DYIPK6206B1ZP	7627100720	72	0	0	0	332857	751268	1084125	9785148	1084125
200	07CBTPG1617H1ZL	7047203568	82	0	0	0	0	1977077	1977077	9755440	1977077
201	07GUFPS4380J1Z1	7897143882	81	0	0	0	3554555	4124668	7679223	9844520	7679223

202	07BFCPS2804C1ZU	7020373232	63	0	0	0	0	212563	212563	9654870	212563
203	07BXEPG2849D1ZO	7297199890	62	0	0	0	412898	0	412898	9544000	412898
204	07AMOPA9186F1ZR	7567120153	58	1107872	473653	656275	976732	704025	3918557	9066987	3918557
205	07AILPB7884L1ZN	7116990927	72	0	0	500259	66869356	6718925	74088540	8990217	8990217
206	07BRPPA0980G1ZT	7547110173	71	200943	0	0	0	0	200943	87655	87655
207	07AAWFA2301A1Z0	7130452178	63	0	0	5993900	0	0	5993900	75982352	5993900
208	07GUMPS3030J1Z9	7767130034	63	0	0	0	0	78750000	78750000	68050000	68050000
209	07AAUCS1154Q1ZK	7726914042	84	0	0	0	0	24475994	24475994	49383380	24475994
210	07BRMPG7736F1ZK	7267121676	63	0	0	0	0	55500000	55500000	48200000	48200000
211	07AANCA3683R1ZT	7886972801	61	0	0	230000	0	125010	355010	38473676	355010
212	07BBYPJ7140J1Z3	7466983605	62	0	0	0	0	41100000	41100000	36000000	36000000
213	07ESHPK9215C1ZS	7197200624	64	0	0	0	0	41100000	41100000	36000000	36000000
214	07AAGCG0148L1ZK	7536985555	22	13468750	0	0	0	0	13468750	27832713	13468750
215	07AAECR2123E1ZV	7450452487	92	3296	339285	0	61298	3171897	3575776	24811227	3575776
216	07AALCS7613M1ZT	7920351300	114	0	10672	353851	536293	106700	1007516	19939814	1007516
217	07EAQPK5713L1Z6	7887127543	83	16598013	0	0	0	0	16598013	16598013	16598013
218	07CPCPB3440J1Z8	7207179133	28	0	0	0	1293296	16341875	17635171	16229375	16229375
219	07AAACC4214B1ZG	7400276702	115	0	506816	5289	166102	65180	743387	11348663	743387
220	07ACJFS8364A1Z0	7196896049	71	0	0	29926167	0	0	29926167	9948245	9948245
221	07AADCD0825A1ZD	7416896995	63	0	0	0	4922924	0	4922924	9945523	4922924
222	07ACKFS9685B1ZN	7356903721	71	0	0	0	3051502	0	3051502	9931231	3051502
223	07AAFCG0407P1ZJ	7796920551	83	0	0	0	5141720	0	5141720	9869501	5141720
224	07AAGCP8174K1ZV	7326907278	71	0	0	0	4704127	0	4704127	9796290	4704127
225	07AAACB8917G1ZP	7050256379	114	0	0	0	212463	0	212463	8469097	212463
226	07GUMPS9771Q1Z3	7837226074	71	0	0	0	0	7485128	7485128	7294635	7294635
227	07AOOPY0273M1Z6	7187136852	62	0	0	0	0	1531175	1531175	6844506	1531175
228	07AAMCA7148J1ZA	7496933294	204	212994	24997	92366	57764	134509	522630	6061326	522630
229	07AAKCM1858R1ZN	7376957513	62	0	0	1499357	0	0	1499357	2328816	1499357
230	07AITPG8206F2Z4	7710369215	63	0	0	0	2247278	0	2247278	784956	784956
231	07AAYPS1178H1Z0	7830333259	63	0	0	0	0	597843	597843	658763	597843
						कुल					**1906174835**

परिशिष्ट 1.7

(पैराग्राफ 1.3.7.2 में संदर्भित)

अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट अग्रेषित किया गया

क्र. सं.	जीएसटीआइएन	टीआईएन	वार्ड	लिगेसी रिटर्न के अनुसार क्रेडिट बैलेन्स	योग्य एसजीएसटी के रूप में क्रेडिट अग्रेषित	क्या अग्रेषित क्रेडिट लिगेसी रिटर्न में क्रेडिट के अंतिम शेष से अधिक है	
						हाँ/नहीं	राशि
1	07AAFCA0924K1ZT	7470299022	वार्ड 2	36732578	36919224	हाँ	186646
2	07AELPD0530M1ZN	7500371319	वार्ड 87	505703	686494	हाँ	180791
3	07BIHPM0503J1ZH	7616969118	वार्ड 63	432121	612426	हाँ	180305
4	07AAECB7911Q1Z8	7976928374	वार्ड 101	0	734469	हाँ	734469
5	07AAECR5351A1ZR	7950368501	वार्ड 86	444398	578863	हाँ	134465
6	07AAGPV6729H1Z8	7816988699	वार्ड 55	690847	816311	हाँ	125464
7	07AGSPG0200A1Z7	7932003641	वार्ड 44	1201398	1310709	हाँ	109311
8	07AHHPG9629F1Z7	7620316351	वार्ड 99	529009	631711	हाँ	102702
9	07AAWCS7969R1ZP	7457114927	वार्ड 61	8068192	8963527	हाँ	895335
10	07AABCS3466Q1ZS	7680046367	वार्ड 201	4262099	4376571	हाँ	114472
11	07AAHFP1494J1ZX	7282013941	वार्ड 110	5625027	5672440	हाँ	47413
12	07DUOPK2243A1ZW	7327103407	वार्ड 63	2639799	2995800	हाँ	356001
13	07AAFCC6808E1ZT	7326937025	वार्ड 101	2386925	2514968	हाँ	128043
14	07AADCT7381H1Z2	7130393202	वार्ड 56	1598041	2261142	हाँ	663101
15	07BJOPC3675D1Z8	7647209834	वार्ड 66	10800	424358120	हाँ	424347320
16	07EJZPK1088N1Z6	7597147830	वार्ड 62	326288	30111220	हाँ	29784932
17	07BBSPM0105Q1Z9	7050397126	वार्ड 63	43	29966660	हाँ	29966617
18	07BDUPG2123A1Z0	7347205149	वार्ड 75	0	27478006	हाँ	27478006
19	07AAAAH8586P1ZV	7180476546	वार्ड 110	11080207	11189258	हाँ	109051
20	07ACEPT0227E1ZX	7580393003	वार्ड 74	349704	11090488	हाँ	10740784
21	07AGMPK9236E1Z7	7357224689	वार्ड 63	57	9899880	हाँ	9899823
22	07AYEPN9788J1ZJ	7527224062	वार्ड 63	62	9899111	हाँ	9899049
23	07CULPP6612E1ZI	7527217563	वार्ड 19	0	9758491	हाँ	9758491
24	07EXIPS2472D2Z9	7827209153	वार्ड 77	50671	9689524	हाँ	9638853
25	07BWZPG5953J1ZP	7307151336	वार्ड 62	33534	9584564	हाँ	9551030

26	07AAYFM8309E1ZU	7057112431	वार्ड 63	6970297	7009837	हाँ	39540
27	07AAECA9953D2ZL	7030295287	वार्ड 100	3842682	3850643	हाँ	7961
28	07AANCS3030N1Z2	7326976310	वार्ड 64	3667757	3697575	हाँ	29818
29	07AAGPM4831M1ZF	7370404322	वार्ड 202	3406400	3426369	हाँ	19969
30	07AADFF4930D1ZT	7276950681	वार्ड 101	1218880	1227780	हाँ	8900
31	07HWDPS4734R1ZK	7127221081	62	0	9244550	हाँ	9244550
32	07AETPA0896B1ZK	7470236651	53	0	1197656	हाँ	1197656
33	07AACCS0775M1Z1	7400224322	83	0	762254	हाँ	762254
34	07AAKPW1120H1ZS	7800342151	60	0	525626	हाँ	525626
35	07BXCPG8053P1Z1	7647147754	63	404801	389478065	हाँ	389073264
36	07GVEPS4097G1Z1	7237167040	104	17570	324852893	हाँ	324835323
37	07AABCA4304K1ZZ	7970255291	114	0	325954028	हाँ	325954028
38	07BZEPG9662C1ZD	7617193409	78	847482	214238462	हाँ	213390980
39	07HATPS4379Q1Z6	7367149169	77	224698460	325448963	हाँ	100750503
40	07BWDPG8127L1ZB	7337140407	63	58978	98314521	हाँ	98255543
41	07EPXPK2925G1ZF	7167188661	28	88279602	149873056	हाँ	61593454
42	07BYHPK9253R1ZI	7940451393	64	22110	56559461	हाँ	56537351
43	07AAACK5934A1ZX	7605000007	116	1	30751360	हाँ	30751359
44	07AABCM9445K1Z3	7330307053	92	642	23035228	हाँ	23034586
45	07AACCN1659D1ZO	7570313808	108	0	26975574	हाँ	26975574
46	07AAACL6053B1ZY	7465000084	45	0	22318390	हाँ	22318390
47	07AAACI0684H1ZO	7610027539	202	0	26917889	हाँ	26917889
48	07AKGPD7193K1ZU	7386987723	74	5679	19988981	हाँ	19983302
49	07AATCS9490A1ZV	7316933490	43	0	16893546	हाँ	16893546
50	07AACCM0488P1ZZ	7655000222	101	2441750	17578045	हाँ	15136295
51	07AAACZ1444J1ZA	7910244460	115	1369604	13491785	हाँ	12122181
52	07AAACO7555K1Z3	7140307206	208	51969	11916839	हाँ	11864870
53	07DWAPK8388G1Z4	7697201513	63	0	9930111	हाँ	9930111
54	07APVPD1201L1ZY	7957143364	62	8	9899982	हाँ	9899974
55	07GUFPS2891E1Z8	7217143286	81	6	9884871	हाँ	9884865
56	07DCTPP0616K1Z5	7657127815	71	56	9877880	हाँ	9877824
57	07BMFPS2455H1ZV	7030393645	63	681	9857620	हाँ	9856939
58	07CMUPB9422M1ZG	7377197518	71	56957	9888781	हाँ	9831824
59	07AHYPB4292J1ZT	7277133262	50	0	9861908	हाँ	9861908

60	07DYIPK6206B1ZP	7627100720	72	15923	9785148	हाँ	9769225
61	07CBTPG1617H1ZL	7047203568	82	4995	9755440	हाँ	9750445
62	07APHPM3640J1ZS	7400473515	63	0	9748754	हाँ	9748754
63	07GUFPS4380J1Z1	7897143882	81	98547	9844520	हाँ	9745973
64	07BFCPS2804C1ZU	7020373232	63	63	9654870	हाँ	9654807
65	07DWYPK0470H1Z3	7177197434	79	116238	9677710	हाँ	9561472
66	07BXEPG2849D1ZO	7297199890	62	6245	9544000	हाँ	9537755
67	07AMOPA9186F1ZR	7567120153	58	62277	9066987	हाँ	9004710
68	07BDEPK5267P1ZY	7597219998	62	0	8952147	हाँ	8952147
69	07AACFS1342R1ZW	7402002720	114	399773	7611319	हाँ	7211546
70	07AAACN4030A1Z9	7450180596	72	260370	6561730	हाँ	6301360
71	07BHLPS3834H1ZZ	7237187216	63	0	6306700	हाँ	6306700
72	07AFKPA9305B1ZX	7270108915	66	0	5692227	हाँ	5692227
73	07AADCR9727P1ZL	7710356217	87	0	2613752	हाँ	2613752
74	07AAECC5105F1Z4	7760416863	94	2527210	7365000	हाँ	4837790
75	07BVSPS6920F1Z2	7606937162	63	4987020	9045780	हाँ	4058760
76	07AAFCR4011C1ZZ	7590404395	204	0	3741998	हाँ	3741998
77	07AALCS7418L1ZS	7317186396	93	0	3558063	हाँ	3558063
78	07AABCT0811E1ZX	7230350855	115	233441	3385621	हाँ	3152180
79	07AEYPC7583C1Z5	7336894614	103	4253678	6960104	हाँ	2706426
80	07CWWPK1643M2ZT	7576904958	24	120	2548205	हाँ	2548085
81	07AAFFE9718E1ZE	7297201345	63	98440	2784758	हाँ	2686318
82	07AACCG1395F1ZQ	7596906693	115	4127732	6508403	हाँ	2380671
83	07AAFCD1565P1Z9	7637117835	63	2556812	4846790	हाँ	2289978
84	07AAECB4086E1ZT	7570414106	88	620988	1448550	हाँ	827562
85	07ADEPA4905F1Z3	7570359398	89	1938895	2051805	हाँ	112910
86	07AAHPK7777R1ZN	7896914385	71	0	2804789	हाँ	2804789
87	07AADFK6366L1ZX	7880130356	51	1335466	1530078	हाँ	194612
88	07CLLPK2109N1ZU	7736965107	70	6150519	7802151	हाँ	1651632
89	07BQYPA9218F1ZJ	7706978429	84	5319527	6942771	हाँ	1623244
90	07BFGPG1715L2ZI	7750467551	95	19573920	21185320	हाँ	1611400
91	07AACCL5917C1ZR	7986911765	54	0	2524016	हाँ	2524016
92	07AAACZ9233H1Z4	7767111992	44	1319021	2874813	हाँ	1555792
93	07ATFPK0497H1ZK	7240428401	81	13	764724	हाँ	764711

94	07AAECR0284N1Z2	7570350183	91	942055	944190	हाँ	2135
95	07AWCPT4780C1ZG	7107128457	62	0	1460000	हाँ	1460000
96	07AAJCS2084G1Z9	7070298272	204	10442	15788	हाँ	5346
97	07AAEPC0332P1ZX	7350227793	8	899567	2608767	हाँ	1709200
98	07AAIFG4739L1ZZ	7180361892	62	36737	1365622	हाँ	1328885
99	07AEPPG7944E1Z9	7710258344	16	0	1299198	हाँ	1299198
100	07AACCT0588K1Z1	7777128913	92	174510	1443721	हाँ	1269211
101	07AACCT4644A2ZO	7510353611	66	2482616	3724337	हाँ	1241721
102	07AAECP5883H1Z2	7950351817	50	39195	78814	हाँ	39619
103	07AAICA7124N1ZE	7936890792	85	0	1511304	हाँ	1511304
104	07AQOPS5192H1Z7	7890336524	92	0	1206443	हाँ	1206443
105	07AABCV5795P1ZF	7860199237	81	40143	1110373	हाँ	1070230
106	07AAACZ6094L1ZQ	7806945685	100	2454	1184622	हाँ	1182168
107	07ACXFS1175R1Z0	7397137464	63	887629	2013650	हाँ	1126021
108	07AAACU6278M1ZR	7020266144	96	35654462	37315715	हाँ	1661253
109	07AAGCA1521M1ZT	7700349287	64	0	1226210	हाँ	1226210
110	07AYDPJ6835H1ZB	7826979236	61	618523	1705670	हाँ	1087147
111	07ARPPP9572L1ZQ	7716920304	63	0	1279599	हाँ	1279599
112	07ARNPJ2964Q1ZY	7210326131	70	0	990962	हाँ	990962
113	07AAFFI5499G1Z0	7257111933	93	905707	1938233	हाँ	1032526
114	07ATUPJ7209H1ZA	7840476765	80	0	1243585	हाँ	1243585
115	07AAMFV5811E1Z4	7906965709	11	131891	1131891	हाँ	1000000
116	07CWWPK1643M3ZS	7700470537	63	0	987743	हाँ	987743
117	07AAECC6152G1ZT	7937154142	2	3279549	4362015	हाँ	1082466
118	07AZLPD7823J1Z4	7566933207	63	69626	1036764	हाँ	967138
119	07AADCA0739Q1ZE	7402007958	115	5622	930751	हाँ	925129
120	07AEIPA2948H1ZM	7747189312	63	463585	1402391	हाँ	938806
121	07ESDPS5835N1ZZ	7036892742	63	444	893161	हाँ	892717
122	07AAVCS5636C1Z1	7956961656	63	0	966775	हाँ	966775
123	07BHIPG5754P1ZQ	7956904264	24	2540	857382	हाँ	854842
124	07DIQPK4194E3ZU	7596906887 7866906884	62	12240	855586	हाँ	843346
125	07AEOPA2733C1ZZ	7066988093	67	0	839580	हाँ	839580
126	07BSAPA6954J1ZP	7437101455	63	699687	1528660	हाँ	828973

127	07AQJPC7411J1ZX	7567149253	74	8872649	9688751	हाँ	816102
128	07ANTPB7923R1Z5	7836997709	61	549045	598955	हाँ	49910
129	07AAFCM2959L1Z0	7420365252	94	81559	881478	हाँ	799919
130	07AACCM0972A1ZX	7130256141	43	0	1236439	हाँ	1236439
131	07FJFPS4889L4Z3	7896910020	24	120	745966	हाँ	745846
132	07AACCL9423D1ZO	7447113623	94	283622	1010938	हाँ	727316
133	07AAACY1160E1ZP	7190080732	105	344353	1356988	हाँ	1012635
134	07AAQFA9225P2ZP	7550378615	89	17606	730056	हाँ	712450
135	07ADKPJ2200L1ZR	7830420268	63	0	700000	हाँ	700000
136	07AAQFB3836K1Z2	7917140767	45	1	685432	हाँ	685431
137	07AAYFA4715E1ZC	7466902060	63	0	1168010	हाँ	1168010
138	07AAACV2336H1ZI	7800139615	92	111958	119925	हाँ	7967
139	07AEYPJ5256K1ZR	7860392655	86	0	1120988	हाँ	1120988
140	07AABCC3513G1Z5	7840259388	206	499638	1148489	हाँ	648851
141	07ALYPS8908A1ZJ	7612015069	115	990987	1635553	हाँ	644566
142	07ABBPC3408L1ZZ	7752000345	113	26495	669111	हाँ	642616
143	07ACLPB3036C1Z7	7450429498	71	0	706912	हाँ	706912
144	07AFLPC0789A1ZQ	7076942837	100	547964	606534	हाँ	58570
145	07AAKFH1155P1Z0	7286940539	41	0	199400	हाँ	199400
146	07AAHPC4944L1ZK	7040189212	43	908655	1428002	हाँ	519347
147	07ACIPU0685P2ZQ	7300437777	94	2062476	2684007	हाँ	621531
148	07AEMPT8024R1ZJ	7557186652	72	260125	873750	हाँ	613625
149	07AMGPJ0319P1ZW	7310442379	62	0	612540	हाँ	612540
150	07AAOCA1431A1Z9	7047113843	63	0	2039457	हाँ	2039457
151	07AATPS0420K1ZF	7077141714	85	0	599233	हाँ	599233
152	07AHDPC1144R1ZC	7250375385	111	213015	797537	हाँ	584522
153	07ACYPG0131E1ZV	7650276419	69	2974016	3539859	हाँ	565843
154	07AABCJ6312Q2Z9	7610329500	92	12	565830	हाँ	565818
155	07ACLPH2548H1ZK	7360475768	94	535258	1097746	हाँ	562488
156	07AAEFN6937F1Z5	7450313971	83	9591	568704	हाँ	559113
157	07ABIPG9793R1ZK	7077100489	84	1630208	2160000	हाँ	529792
158	07AAAFF1004B1ZH	7260106350	52	495291	1044900	हाँ	549609
159	07AABPW5926G1ZH	7077183327	114	261093	777233	हाँ	516140
160	07AHLPG8047R1ZK	7406938727	95	147725	657438	हाँ	509713

161	07AJJPP3393H1ZU	7310269525	59	0	600109	हाँ	600109
162	07APIPA0756Q1ZM	7246915567	59	568	501520	हाँ	500952
163	07ANVPM3309C1ZZ	7710421207	36	0	863279	हाँ	863279
164	07AAACG2400K1Z1	7260184435	103	87395	283581	हाँ	196186
165	07AAGPP7030F1ZU	7490210450	204	3622246	4103582	हाँ	481336
166	07AAACL2089B1ZU	7820341946	107	606365	1085295	हाँ	478930
167	07ATDPK4332R1ZB	7846899620	61	101073	117032	हाँ	15959
168	07AAHPJ3137E1Z1	7682003051	112	38108	510718	हाँ	472610
169	07AABFA9136E1ZQ	7590257343	90	90502	573346	हाँ	482844
170	07AASFA6939J1ZT	7580395816	92	0	638911	हाँ	638911
171	07AAACU1717F1ZO	7490377581	14	1071492	1527526	हाँ	456034
172	07AABCW3485D1ZC	7220470607	82	0	539213	हाँ	539213
173	07AACPN5698P1ZT	7420183183	75	134311	559470	हाँ	425159
174	07AHRPG3880G1Z2	7080387264	99	321099	726076	हाँ	404977
175	07AAEPR0475J1ZI	7690214317	85	0	925302	हाँ	925302
176	07AWHPG6692H1Z7	7897127392	61	0	528292	हाँ	528292
177	07AABCL8221A1Z1	7270390991	58	210883	334804	हाँ	123921
178	07APFPB1142Q1ZY	7770415742	93	1176024	1551991	हाँ	375967
179	07ACGFS2953L1ZP	7860466181	44	1402957	1747972	हाँ	345015
180	07AFZPM8524R1Z6	7640258140	4	771752	1184864	हाँ	413112
181	07ABEPL4151E1Z0	7096897365	63	695033	1108333	हाँ	413300
182	07DBUPS1426N1ZV	7647123213	59	0	301205	हाँ	301205
183	07AACPT4720C1Z1	7910245236	88	118897	131666	हाँ	12769
184	07CGJPK7474H1ZY	7186902020	63	193382	438720	हाँ	245338
185	07AABCD7637G1ZN	7056995325	44	668973	682729	हाँ	13756
186	07ACWFS8961N1ZT	7547204748	98	962676	1265553	हाँ	302877
187	07AABCB8143M1ZH	7160309329	109	60728464	61019166	हाँ	290702
188	07AAQPA0412Q1ZO	7160369663	45	982367	1259461	हाँ	277094
189	07AACCO2119H1ZQ	7146994839	84	6064312	6339124	हाँ	274812
190	07BCEPG5214K1ZR	7546927398	76	1189514	1508898	हाँ	319384
191	07AAJPG3078R1Z3	7540251405	44	671267	714564	हाँ	43297
192	07AYRPK1617L1Z1	7896308426	96	0	676790	हाँ	676790
193	07AJFPP9851Q1Z8	7540422804	111	295140	338869	हाँ	43729
194	07AAFCT0569B1ZK	7276946510	94	234528	922920	हाँ	688392

195	07ACXFS7161B1ZR	7586996149	63	400654	615980	हाँ	215326
196	07AACCJ7064N1Z4	7430413213	5	415200	630130	हाँ	214930
197	07AAACM0322J	7670186004	86	0	17866700	हाँ	17866700
198	07CPCPB3440J1Z8	7207179133	28	15224375	16229375	हाँ	1005000
199	07ADBFS4990D1Z0	7027132090	95	14813627	15020505	हाँ	206878
200	07BCIPN1237R1Z3	7927149734	81	337	9625484	हाँ	9625147
201	07AAACC0811A1ZN	7880291182	60	0	465234	हाँ	465234
202	07BHIPG5754P2ZP	7886906582	45	107374	962226	हाँ	854852
कुल							**2692341038**

परिशिष्ट 1.8

(पैराग्राफ 1.3.7.3 में संदर्भित)

लिगेसी रिटर्न दाखिल किए बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया गया

क्र. सं.	जीएसटीआइएन सं.	वार्ड	टीआइएन सं.	2016-17 के रिटर्न की चौथी तिमाही का अंतिम शेष	2017-18 की पहली तिमाही का अंतिम शेष (आर 9.3)	क्या लिगेसी नियमों के तहत पिछले 6 महीने का रिटर्न भरा गया	ट्रान-1 की तालिका 5 (सी) के तहत क्रेडिट अग्रेषित
1	07AAFCG4387G1ZF	63	7476906662	नहीं भरा गया	49130469	नहीं	49130469
2	07AAFCG2206A1ZD	93	7606895581	नहीं भरा गया	49729590	नहीं	49729590
3	07AAAFX2246D1ZH	62	7697203550	नहीं भरा गया	45154154	नहीं	45154155
4	07AAACQ3774A1ZP	101	7747204347	नहीं भरा गया	6421014	नहीं	6421014
5	07AAKCM5608H1ZC	9	7757196339	नहीं भरा गया	4100563	नहीं	4046456
6	07AARCS9593G1ZH	71	7900444140	नहीं भरा गया	49035831	नहीं	49035831
7	07AATFP1390F1ZZ	63	7897191218	नहीं भरा गया	5402075	नहीं	5402075
8	07BWAPA4183M1ZI	63	7127146197	नहीं भरा गया	11545793	नहीं	11545793
9	07CCPPK4910C1ZR	63	7216890218	नहीं भरा गया	19038396	नहीं	19038396
10	07ADCFS2941P1ZN	62	7247203555	नहीं भरा गया	44155012	नहीं	44155012
11	07DWAPK3996J2Z0	81	7377205181	नहीं भरा गया	6890550	नहीं	6890550
12	07BWRPS3186B1Z5	101	7407203855	नहीं भरा गया	21089375	नहीं	21089375
13	07BXCPG8281R1ZR	45	7987148925	नहीं भरा गया	269875890	नहीं	233015250
14	07AXAPD3276A1Z3	63	7977192047	नहीं भरा गया	11710637	नहीं	11710637
15	07AILPG5942N1ZR	63	7970377414	नहीं भरा गया	1703464	नहीं	1776608
16	07FHMPK4209K1Z0	28	7707218143	नहीं भरा गया	दायर नहीं	नहीं	98345890
17	07ADIFS7706A1Z7	50	7347219893	नहीं भरा गया	दायर नहीं	नहीं	9890283
18	07AHRPG4838L1ZR	72	7697114989	0	दायर नहीं	नहीं	8895000
19	07DALPM6750B1ZO	62	7547119873	नहीं भरा गया	2	नहीं	29798770
20	07EDJPK4386P1ZO	62	7326998911	121248	नहीं भरा गया	नहीं	29666601
21	07EBRPK9023D1ZH	62	7696996525	नहीं भरा गया	नहीं भरा गया	नहीं	19878701
22	07CQHPD4396M1ZC	71	7447179777	नहीं भरा गया	1000	नहीं	19777871
23	07GSYPS8341N1ZD	64	7987124772	नहीं भरा गया	नहीं भरा गया	नहीं	19764449
24	07BWVPG7693B1Z1	64	7097146456	नहीं भरा गया	627	नहीं	19565446
25	07AOKPY6349C1ZI	62	7727148292	नहीं भरा गया	7	नहीं	9990301
26	07BVDPG0107R1ZL	62	7697123719	4817	नहीं भरा गया	नहीं	9930390
27	07BEFPJ1115R1ZD	71	7867126875	नहीं भरा गया	63	नहीं	9899830

28	07EJYPK9322N1Z6	62	7957147826	नहीं भरा गया	नहीं भरा गया	नहीं	9815440
29	07BUUPG9250R1ZK	62	7857123437	1315	नहीं भरा गया	नहीं	9799881
30	07BEAPJ4708M1ZF	62	7247119650	29578	नहीं भरा गया	नहीं	9783730
31	07EZIPS7258M1ZD	63	7026894542	0	नहीं भरा गया	नहीं	9756840
32	07BKJPK0886N1ZJ	62	7580436265	0	नहीं भरा गया	नहीं	9756480
33	07AAXPM7013J1Z8	63	7030372790	18153838	नहीं भरा गया	नहीं	9754860
34	07BSDPD1636D1ZB	84	7836956290	2247130	नहीं भरा गया	नहीं	9754820
35	07BBAPN7348N1Z5	62	7597120864	0	नहीं भरा गया	नहीं	9688441
36	07ASJPV6979N1ZF	84	7446985556	12206560	नहीं भरा गया	नहीं	9654872
37	07AYGPS6859M1ZG	62	7596958556	14609487	नहीं भरा गया	नहीं	9587240
38	07BNMPK2598B1ZU	63	7020409607	14288235	नहीं भरा गया	नहीं	9547820
39	07AAEFM7826Q1ZL	63	7120222536	32161152	नहीं भरा गया	नहीं	9524850
40	07Aसितम्बरK4726B1Z3	62	7527105431	0	नहीं भरा गया	नहीं	9458730
41	07AERPU2629E1Z5	62	7526987937	0	नहीं भरा गया	नहीं	9353430
42	07BGSPS6148A1Z3	62	7170363110	0	नहीं भरा गया	नहीं	9252420
43	07CUYPS2020Q1ZR	62	7966948992	0	नहीं भरा गया	नहीं	8960350
44	07COGPK1117N1ZV	86	7517182018	7524151	नहीं भरा गया	नहीं	7524151
45	07BCXPT6083Q1Z6	76	7687201664	नहीं भरा गया	0	नहीं	2058378
46	07CLDPK3282N1ZQ	63	7086954714	9	नहीं भरा गया	नहीं	608232
47	07AAJFN7621H1Z5	63	7050460370	नहीं भरा गया	नहीं भरा गया	नहीं	9756480
48	07AESPG3834L1Z2	62	7406915091	नहीं भरा गया	नहीं भरा गया	नहीं	9587450
49	07BOKPP7344R1ZY	62	7556996214	नहीं भरा गया	नहीं भरा गया	नहीं	9345950
50	07ALKPA0542J2ZD	62	7856901312	0	नहीं भरा गया	नहीं	9280310
कुल							**1045155899**

परिशिष्ट 1.9

(पैराग्राफ 1.3.7.5 में संदर्भित)

लंबित सांविधिक प्रपत्र पर देय कर की कटौती किए बिना अतिरिक्त ट्रांजिशनल क्रेडिट अग्रेषित किया गया

क्र. सं.	जीएसटीआइएन	टीआईएन सं.	वार्ड	वर्ष	लंबित सी फॉर्म	कर प्रभाव	चूकाया गया कर	कर दायित्तव	ट्रान-1 की तालिका 5(सी) के तहत अग्रेषित ट्रांजिशनल क्रेडिट	लिया गया अतिरिक्त क्रेडिट
1	07AAFCS2391Q1ZQ	07260239531	82	2015-16	37382330	1869117	0	1869117	980908	980908
2	07AAACH2420C1ZD	07640170743	208	2015-16	507168571	40784995	409357	40375638	28093233	28093233
3	07AACCT3567A1ZL	07330267380	202	2015-16	2886911870	144345594	0	144345594	7150970	7150970
4	07AABCF5411E1Z5	07560381568	96	2015-16	28623942	3577993	572478	3005515	6653642	3005515
5	07AAQCS2936J1ZU	07790300786	106	2015-16	169431657	8471582	3388633	5082949	6565247	5082949
6	07AEWPA7225D1ZK	07530331096	66	2015-16	8694890	434744	152583	282161	2928310	282161
7	07AAACR7497K1ZR	07890001001	11	2015-16	97675984	2472400	76676	2395724	2416636	2395724
8	07AAICS2243L1Z6	07936890598	84	2015-16	8226277	411314	164526	246788	2505307	246788
9	07AACCI3035L1ZM	07170399679	82	2015-16	233199335	11659967	4663987	6995980	3082140	3082140
10	07AAJCS4639P1ZL	07540302233	63	2015-16	16669997	833500	333400	500100	4840685	500100
11	07AIOPG0358D1ZH	07350405497	63	2015-16	102842886	5142145	2056858	3085287	2071973	2071973
12	07AAACH1645P1ZD	07080379019	89	2015-16	8856464	442822	177129	265693	2222161	265693
13	07AJKPK9341H1ZY	07330370588	67	2015-16	14863017	1857878	297261	1560617	1413462	1413462
14	07AADCD1203E1ZF	07390258326	82	2015-16	6069125	303456	121383	182073	1154929	182073
15	07AANPK2673E1ZN	07570134067	61	2015-16	2742304	342788	54846	287942	1029624	287942
16	07AAACO7555K1Z3	07140307206	208	2015-16	5241648	457577	0	457577	11916839	457577
17	07AABCS0858G1ZF	07070188953	202	2015-16	13589487	679475	251659	427816	294522	294522
18	07AAECR0284N1Z2	07570350183	91	2015-16	2768020	188610	33927	154683	944190	154683
19	07AACPT7397R1ZJ	07670232758	62	2015-16	5605688	700710	112114	588596	203190	203190
20	07BBCPG9423M1ZG	07760379421	63	2015-16	57281593	7160200	1145632	6014568	116828	116828
21	07AAACS6994C1Z7	07052000051	2	2015-16	8287500	1035939	0	1035939	8526522	1035939
22	07AAACP1585A1ZT	07750026589	91	2015-16	39478300	1973916	760197	1213719	1916329	1213719
23	07AAECM7561P1ZT	07790352099	66	2015-16	24126710	1206336	482534	723802	882239	723802
कुल					**4285737595**	**236353058**	**15255180**	**221097878**	**97909886**	**59241891**

परिशिष्ट 1.10

(पैराग्राफ 1.4.6.1 में संदर्भित)

पावती समय के भीतर जारी नहीं हुई (प्री-ऑटोमेशन)

क्र. सं.	निर्धारिति का नाम	जीएसटीआईएन संख्या	एआरएन सं.	रिफंड आवेदन प्राप्त करने की तिथि/दाखिल करने की तिथि	जीएसटी आरएफडी-02 के लिए पावती जारी करने की तिथि	देरी की अवधि	दावा राशि
1	महिंद्रा एण्ड महिंद्रा	07AAACM3025E1Z1	AA070719040495W	26-12-2019	13-01-2020	3	22790717
2	मैसर्स वाई सी इलेक्ट्रीकल व्हीकल	07AABFY4762C1Z8	AA070719048146X	26-07-2019	19-08-2019	9	16012364
3	मैसर्स वाई सी इलेक्ट्रीकल व्हीकल	07AABFY4762C1Z8	AA070819060745P	25-09-2019	11-10-2019	1	12690979
4	मैसर्स नेक्सजेन फुटवियर	07AACCN4108M1ZF	AA0710180926814	03-03-2019	12-04-2019	25	5696600
5	मैसर्स नेक्सजेन फुटवियर	07AACCN4108M1ZF	AA070918093800S	27-02-2019	12-04-2019	29	5599688
6	मैसर्स नेक्सजेन फुटवियर	07AACCN4108M1ZF	AA070219777843N	17-05-2019	15-07-2019	44	4868135
7	मैसर्स नेक्सजेन फुटवियर	07AACCN4108M1ZF	AB0703191146082	21-05-2019	15-07-2019	40	4409213
8	मैसर्स रिचा इंडस्ट्रीज	07AAACR7943J1Z2	AB071218063015E	09-02-2019	26-04-2019	61	5696600
9	मैसर्स रिचा इंडस्ट्रीज	07AAACR7943J1Z2	AA0710180772259	09-02-2019	26-04-2019	61	3685052
10	मैसर्स डी बी क्रिएशन	07AAHFD4873F1ZD	AB070319131100R	01-07-2019	05-11-2019	112	3351222
11	मैसर्स वेलडन फुटवियर	07AADCG3309E1Z1	AA070318000114U	05-02-2019	28-03-2019	36	2914154
12	मैसर्स इंदरजीत वालिया	07AAAPW3791Q1ZU	AA070119009180O	07-01-2019	26-02-2019	35	288000
13	मैसर्स एनीथिंगमैक	07AAACA1065G1Z5	AA0703180356660	20-03-2019	05-12-2019	245	491010
14	मैसर्स चौधरी इलेक्ट्रीकल्स	07AACPC7154P1ZH	AA070418016314G	29-01-2019	28-02-2019	15	467388
15	मैसर्स कन्हैया लाल	07AADCK7149L1Z4	AA070719016982T	10-07-2019	17-09-2019	54	943282
16	मैसर्स यूनिवर्सल आयलफील्ड	07AABCU1844Q1ZW	AA070818591740P	24-09-2018	31-05-2019	234	948479
17	मैसर्स इंडो वल्ड	07AAAFI1511N1ZL	AA0710177611478	07-05-2019	14-09-2019	115	1898635
18	मैसर्स भास्कर बैटरीज	07AASFB3897Q1ZB	AB070618033848O	03-10-2018	23-10-2018	5	2612724
19	मैसर्स शक्ति जोन	07AMAPG9839R1ZA	AB070717618825P	03-12-2018	14-02-2019	58	475453

20	रिचा इंडस्ट्रीज	07AAACR7943J1Z2	AA070918078601T	09-02-2019	26-04-19	61	2686128
21	महादेव प्लास्टिक	07BXUPB3036P1ZZ	AA0703180163099	20-03-2019	20-04-2019	16	2470891
22	साई ग्लोबल विजन	07AKWPK1622L1ZR	AA070318042928V	12-07-2019	01-08-2019	5	2128538
23	मां शक्ति एक्जिम प्रा.लि.	07AAGCM6855J1Z0	AB070917116708Q	11-06-19	27-08-2019	62	2009733
24	सुपर इंडिया फुटवियर	07AGTPG8589P1Z3	AB070319096481V	17-05-2019	21-06-2019	20	1991406
25	ट्रेज मार्ट प्राइवेट लि.	07AAFCT2542J1ZA	AA0706190359012	04-09-2019	08-11-2019	50	1942000
26	पी जी एस फुटवियर प्रा.लि.	07AADCP5800D1ZU	AA0709190140085	06-09-2019	16-10-19	25	1885280
27	महादेव फुटवियर	07AGRPM7638P1ZB	AA070219793174W	06-06-19	29-07-2019	38	1874037
28	फार्चून सेफ्टी इंडस्ट्रीज	07AOFPS0792C1ZY	AA070418013752B	08-03-19	11-04-2019	19	1870876
29	कैपिटल वैचर प्राइवेट लि.	07AAFCC1829B1Z4	AA070118770836T	29-01-2019	18-04-2019	64	30390547
30	ए.बी. एंटरप्राइजेज	07AFBPB3909D1Z3	AA0707190405980	01-10-2019	08-11-19	23	27199510
31	बत्रा एंटरप्राइजेज	07AAFFB2718P1Z8	AA070218754159X	17-11-2018	29-10-20	697	17532137
32	एंजेलिक इंटरनैशनल लि.	07AACCA4675N1ZA	AA070719004949N	05-07-2019	05-12-2019	138	17396907
33	बत्रा एंटरप्राइजेज	07AAFFB2718P1Z8	AB070318155839M	17-11-2018	24-11-2020	723	16687100
34	वाह्नदम टीज प्रा.लि.	07AAECV9825B1ZA	AA070318000247J	15-12-2018	24-01-2019	25	14152897
35	वित्तिय प्रंबधन और अनुसंधान संस्थान	07AAATI2605P1ZJ	AB0703181204692	27-03-19	28-08-20	505	13980670
36	बर्गन इंजन इंडिया प्रा.लि.	07AAECB7223M1ZJ	AA070318057961Y	11-04-2019	18-06-2019	53	13574450
37	ओम इंडिया ट्रेडिंग प्रा.लि.	07AACCA7130Q1ZG	AA070218747905T	25-10-2018	19-11-18	10	11228913
38	श्री लक्ष्मी नारायण एंटरप्राइजेज	07ADAFS7500A1ZN	AA070318000337I	15-12-18	01-07-19	183	10550102
39	बत्रा एंटरप्राइजेज	07AAFFB2718P1Z8	AA0710177459050	17-11-2018	20-05-2019	169	7843638
40	एपे ट्रेडिंग कार्पोरेशन	07AIYPJ1083C4Z3	AA070818725696I	08-12-18	28-06-2019	187	7613757
41	इंटेक्स	07AAAFI9566K1ZW	AA070817797611M	23-08-2018	28-12-2018	112	6915216
42	इंटेक्स	07AAAFI9566K1ZW	AB070917077807E	23-08-2018	18-01-2019	133	6396838
43	नोबल वेलनेस प्रा.लि.	07AADCN9685J1ZS	AB0703190907120	20-05-19	30-08-2019	87	6296326
44	लेक्स आर्निस कंसल्टिंग प्रा.लि.	07AABCL0049A1Z7	AA070619043738P	27-06-2019	03-12-2019	144	6158940
45	हेरिटेज इंडिया एक्सपोर्टस प्रा.लि.	07AABCH4111P1ZL	AB07061881133176	04-12-2018	20-02-2019	63	6050205

46	शिवा बर्तन इंडस्ट्रीज प्रा.लि.	07AAMCS3027L1Z2	AA070318030000Z	07-03-19	04-08-2020	501	5750000
47	बेलजाबार साफ्टवेयर डिजाइन इंडिया प्रा.लि.	07AACCB4756B2ZZ	AB070318161531A	06-12-18	10-08-2020	598	5673066
48	सी एंड सी अल्फा ग्रुप इंडिया प्रा.लि.	07AACCC8412B1Z6	AA0703180540479	17-06-2019	08-08-2019	37	5175609
49	किंग इंपैक्स	07AAPFK7868M1ZA	AA0707187315009	11-12-2018	17-06-2019	173	5018165
50	इंपैक्स	07AAAFI9566K1ZW	AB0706180703235	24-10-2018	18-06-2019	222	4982974
51	आर के इंटरप्राइजेज	07AABFA3806B1Z7	AB0703181287721	09-10-2018	13-02-19	112	4974865
52	मैसर्स ट्रांसटेक इंफोवेज प्रा.लि.	07AAACQ1105B1ZA	AA071118604340O	12-06-2019	01-11-2019	127	6460008
53	मैसर्स ट्रांसटेक इंफोवेज प्रा.लि.	07AAACQ1105B1ZA	AB070918023981S	09-12-2018	01-11-2019	312	5991611
54	मैसर्स होमटेक्स इंटरनैशनल	07AADFH4913L1ZB	AA0709181105717	25-03-2019	30-09-2019	174	3166145
55	मैसर्स पेटज क्रिएशन	07AASFP6347B1ZI	AA071017760819U	24-04-2019	14-08-2019	97	3273330
56	मैसर्स राज इंपैक्स	07AKZPB4731E1Z4	AA070919073524U	14-10-2019	20-12-2019	52	2903384
57	मैसर्स पैरामाउंट प्रोडक्टस प्रा लि.	07AAACP1213B1ZA	AA070218749627R	29-10-2018	13-06-2019	212	4794200
58	मैसर्स ली-पिल जॉएट वैचर	07AABAL1078R1Z5	AB070318104606A	28-08-2018	24-09-2018	12	4076381
59	मैसर्स वी एक्सेल ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिक्स	07AABCV3624M1Z5	AB070918012418	19-11-2018	28-08-2019	267	3041700
60	सर गंगा राम हास्पिटल	07AABTS4366E1ZH	AA070919045993H	26-09-2019	04-09-2020	329	2347708
61	पार्ऱल इंफ्रेटेक	07AASFP8358A1ZW	AA070819048333Y	24-08-2019	13-09-2019	5	4705662
62	अग्रवाल इलेक्ट्रीकल गैलरी	07AFRPA0317E1ZY	AA070719053769G	29-07-2019	13-01-2020	153	699094
63	कैपिटल वेंचर्स	07AAFCC1829B1Z4	AA0705180446524	24-06-2019	12-07-2019	3	4232414
64	स्वच्छ ग्रुप इंडिया प्रा लि.	07AAFCS7516R1ZN	AA0705190160982	10-05-2019	01-07-2019	37	803370
65	एंजिम इंटरनैशनल	07AAJPJ0389A1ZZ	AA0708180392432	01-03-2019	22-07-2019	128	3006443
66	प्रीटॉप टेक प्रा.लि.	07AAICP3451B1ZQ	AA070918089063S	22-02-2019	22-05-2019	74	4838529
67	एक्सेस टेलीवेंचर	07BXJPP6308R1ZN	AA0703180238090	19-02-2019	23-04-2019	48	3466299
68	हेरिटेज इंडिया एक्सपोर्ट प्रा लि.	07AABCH4111P1ZL	AA0704189319750	04-12-2018	20-02-2019	63	4069245
69	हेरिटेज इंडिया एक्सपोर्ट प्रा लि.	07AABCH4111P1ZL	AA070718790218N	11-04-2019	07-06-2019	42	3729914
70	हेरिटेज इंडिया एक्सपोर्ट प्रा लि.	07AABCH4111P1ZL	AA070619028002H	20-06-2019	23-07-2019	18	3522291
71	फाल्कन	07AAAFF5198C1ZK	AA0704189114372	03-10-2018	30-10-2018	12	2954883

72	प्रकाश एक्यूजमैंट राइडस एंड वल्ड प्रा लि.	07AAACP7467P1ZP	AA071017754569T	26-03-2019	03-05-2019	23	3756417
73	रेनबो क्रिएशन	07AANFR7660J1ZL	AA070318013161Q	07-02-2019	12-06-2019	110	2933696
74	विकी फैशन	07AVVPD4206D1ZS	AB071218128897O	03-05-2019	26-07-2019	69	3378604
75	एक्जिम इंटरनैशनल	07AAJPJ0389A1ZZ	AB0712181297515	06-03-2019	02-09-2019	165	2961087
76	पंडित ब्रदर्स	07AAHFP1518K1Z6	ABO070318159445X	29-11-2018	25-05-2019	162	3995609
77	एपीसीईआर लाइफ सांइस	07AAHCA6482E2ZM	AB0703181590653	28-11-2018	19-12-2018	6	4225754
78	वेद प्रकाश मित्तल एंड सन्स	07AAAFV4929K1ZU	AA0702190424269	10-04-2019	27-05-2019	32	858822
79	डाल्फिन इंटरनेशनल	07AAACD0159L1ZQ	AB0703181088533	29-10-2018	14-12-2018	31	3310298
80	जी डी एफ एक्सपोर्ट प्रा लि.	0711FCG5853R1ZV	AA071217016791B	03-04-2019	24-05-2019	36	2960100
81	सैम एक्जिम	07AAPPG3527R1Z3	AB071218223639Y	22-05-2019	22-07-2019	46	3030114
82	बी-अर्थ एंड स्पायर इंडिया प्रा.लि.	07AAACB5134H2ZZ	AA070919024905R	25-09-2019	31-10-2019	21	2340349
83	एन के कपूर एंड कंपनी प्रा.लि.	07AAACN0399J1ZA	AA070219035106G	22-02-2019	16-12-2019	282	557000
84	विदुर एक्सपोर्टस	07AAAPA2210L1ZE	AA070318016174G	22-01-2019	07-03-2019	29	3108558
85	इंटेक्स	07AAAFI9566K1ZW	AA0705187232447	24-10-2018	18-03-2019	130	3530974
86	फारेस्टर रिसर्च इंडिया प्रा.लि.	07AABCF0432D1ZC	AV071217105177D	24-09-2018	21-01-2019	104	3530932
87	इंटेक्स	07AAAFI9566K1ZW	AA0711185553446	28-02-2019	18-03-2019	3	2998537
88	दयाल सोल्डर्स	07ADGPA2110G1ZE	AA070619039806Q	25-06-2019	16-09-2019	68	3499106
89	इंडियन आयल स्काईटैंकिंग	07AABCI5709C1ZX	AA0709190152543	07-09-2019	20-10-2019	28	27500000
90	लाम्बा राइस प्रा.लि.	07AABCL6803C1ZX	AA0707190029720	02-01-2020	21-07-2020	186	3029054
91	बी के एस मोटर्स प्रा.लि.	07AAACB2590D1Z2	AA071217009315I	18-01-2019	07-03-2019	33	3933706
92	गुप्ता इलेक्ट्रीकल कार्पोरेशन	07AAHPG4370J1ZO	AA070818722012D	03-12-2018	20-02-2020	429	493303

परशिष्ट 1.11

(पैराग्राफ 1.4.6.1 में संदर्भित)

पावती समय के भीतर जारी नहीं हुई (पोस्ट-ऑटोमेशन)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	जीएसटीएन संख्या	एआरएन संख्या एवं तिथि	दावा की गई राशि	दाखिल करने की तिथि	जीएसटी आरएफडी-02 के लिए पावती जारी करने की तिथि	देरी की अवधि
1	एस एम एस एक्सपोर्टस	07AABFS9700Q1ZP	AA071219022958V	21092406	11-12-19	27-12-2019	1
2	अनुकूल एग्रोटैक (प्रा.लि.	07AAFCA1440A1ZH	AA070220002229W	19379433	03-02-20	25-02-2020	7
3	एंगेलिक इंटरनेशनल लि.	07AACCA4675N1ZA	AA071019045420L	17574046	25-10-19	06-12-2019	27
4	एंगेलिक इंटरनेशनल लि.	07AACCA4675N1ZA	AA0712190219180	14093094	10-12-19	17-01-2020	23
5	सैंडिया एक्सपोर्टस प्राईवेट लि.	07AAMCS6203L1Z2	AA071219063943X	9703211	28-12-19	14-02-2020	33
6	बत्रा एंटरप्राइजेज	07AAFFB2718P1Z8	AA071019004313R	9944803	03-10-19	12-12-2019	55
7	रैट्रो फुटवियर्स प्राईवेट लि.	07AADCR3787M1ZR	AA071119069013E	8743908	27-11-19	24-12-2019	12
8	बत्रा एंटरप्राइजेज	07AAFFB2718P1Z8	AA071019004281Q	9795937	03-10-19	04-12-2019	47
9	बी टी इंडिया प्राईवेट लि.	07AABCC4785E1ZP	AA0710190409537	7935141	23-10-19	22-11-2019	15
10	ग्लोरियस इंटरनेशनल	07BHLPG5333B1ZP	AA070220001507X	7646988	03-02-20	28-03-2020	39
11	ग्लोरियस इंटरनेशनल	07BHLPG5333B1ZP	AA0710190381587	9705043	22-10-19	03-12-2019	27
12	गांधी मैडिकोज	07AAGPG0572K1ZR	AA0711190784226	6056780	30-11-19	14-02-2020	61
13	एस्को इंटरनेशनल	07AKTPS3047C1ZY	AA071019009460L	6026635	06-10-19	22-10-2019	1
14	एपे ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन	07AIYPJ1083C4Z3	AA0711190547145	5930702	23-11-19	13-12-2019	5
15	बत्रा एंटरप्राइजेज	07AAFFB2718P1Z8	AA071019004236L	5658232	03-10-19	22-10-2019	4
16	गांधी मैडिकोज	07AAGPG0572K1ZR	AA071119078769I	5433820	30-11-19	14-02-2020	61
17	ई-स्कवायर एलाइंस प्राईवेट लि.	07AAACE9760E1ZN	AA071219047756U	5288728	21-12-19	26-02-2020	52
18	एस्को इंटरनेशनल	07AKTPS3047C1ZY	AA0704200120640	4838334	29-04-20	10-07-2020	57
19	क्राउन ग्लोबल इंटरनेशनल	07IANPK3841Q1ZU	AA070120023059U	4514420	11-01-20	11-02-2020	16
20	एम एम इंपेक्स	07BKSPA0160L1Z5	AA071119018126G	4044278	09-11-19	02-12-2019	8
21	हेरिटेज इंडिया एक्सपोर्टस	07AABCH4111P1ZL	AA071019013057K	3948567	09-10-19	30-10-2019	6
22	एपोथेकरीस सनड्रिज़ एम एफ जी कंपनी	07AAEFA5042J1ZN	AA0702200141509	3882041	10-02-20	04-03-2020	8
23	एपोथेकरीस सनड्रिज़ एम एफ जी कंपनी	07AAEFA5042J1ZN	AA070220019660T	3788127	13-02-20	04-03-2020	5
24	वी के ट्रेडिंग कंपनी	07FGGPK4837Q1ZM	AA070120028569E	3395861	14-01-20	02-03-2020	33
25	फाल्कन	07AAAFF5198C1ZK	AA071219011136K	3144144	05-12-19	07-01-2020	18

26	ग्लोबल फेडिग्रेन प्राईवेट लि.	07AAFCG5862N1Z2	AA070120004529Q	3097548	03-01-20	19-02-2020	32
27	तन्ना एग्रो इम्पेक्स प्राईवेट लि.	07AABCT0245J1ZI	AA071219042150N	3018987	19-12-19	21-01-2020	18
28	फाल्कन	07AAAFF5198C1ZK	AA0711190191794	2982256	11-11-19	03-01-2020	38
29	बत्रा एंटरप्राइजेज	07AAFFB2718P1Z8	AA071019004209I	3489662	03-10-19	22-10-2019	4
30	लोकधुन टेलीमीडिया प्राईवेट लि.	07AADCL0977H2ZD	AA070320015463T	2705913	11-03-20	25-06-2020	91
31	स्पर इंफो कंसल्टेंसी प्राईवेट लि.	07AATCS2062E1Z9	AA071219066400E	2653627	30-12-19	13-03-2020	59
32	फाल्कन	07AAAFF5198C1ZK	AA070620028423M	2594487	19-06-20	10-07-2020	6
33	फॉरेस्टर रिसर्च इंडिया प्राईवेट लि.	07AABCF0432D1ZC	AA071119076394Z	2498661	29-11-19	31-12-2019	17
34	श्री पार्शवनाथ ट्रेडर्स	07AHEPJ0283F1ZN	AA070120062951L	2430000	30-01-20	20-02-2020	6
35	अल्फा ओमेगा एंटरप्राइजेज	07AAFFA1903P1ZG	AA071219061164B	2367648	27-12-19	28-02-2020	48
36	अल्फा ओमेगा एंटरप्राइजेज	07AAFFA1903P1ZG	AA070620013332W	2291122	09-06-20	10-07-2020	16
37	फाल्कन	07AAAFF5198C1ZK	AA070220015881P	2264057	11-02-20	16-03-2020	19
38	शिवा एंटरप्राइजेज	07ACAFS2113G1ZM	AA0712190345349	2111358	16-12-19	06-01-2020	6
39	कैलाश इंजिनियर्स	07AANPK2673E1ZN	AA070120060679B	2041298	29-01-20	11-03-2020	27
40	नव्या इंटरनेशनल	07AJUPG6667Q1Z2	AA0712190416736	1823317	19-12-19	13-01-2020	10
41	एस.आर.वी. एक्सपोर्टस	07ABFFS2155L1ZY	AA071019013507F	1875117	09-10-19	26-11-2019	33
42	शिवा एंटरप्राइजेज	07ACAFS2113G1ZM	AA071219049727T	1754382	22-12-19	13-01-2020	7
43	शिवा एंटरप्राइजेज	07ACAFS2113G1ZM	AA070120024465S	1749854	12-01-20	19-02-2020	23
44	डेरिक वुड	07AAFFD8494E1Z8	AA070120018334X	1746416	09-01-20	29-01-2020	5
45	एम.एम. इंम्पैक्स	07BKSPA0160L1Z5	AA0712190106486	1695463	05-12-19	10-01-2020	21
46	एलविन लर्निंग सिस्टम	07AADCE3394D1ZS	AA071119042231N	1688345	20-11-19	22-01-2020	48
47	ई.स्कवायर एलायंस प्राईवेट लि.	07AAACE9760E1ZN	AA0712190607731	1698198	27-12-19	26-02-2020	46
48	फाल्कन	07AAAFF5198C1ZK	AA070220020658L	1578051	13-02-20	20-03-2020	21
49	सोर्चेव इंडिया प्राईवेट लि.	07AABCV3563H1ZA	AA071219028675Z	1439119	13-12-19	02-01-2020	5
50	डेरिक वुड	07AAFFD8494E1Z8	AA0712190316481	1435756	14-12-19	04-01-2020	6
51	राचा ऑटो पार्टस	07FNIPS4228G1ZP	AA071019040442K	1430038	23-10-19	15-11-2019	8
52	शिवा एंटरप्राइजेज	07ACAFS2113G1ZM	AA071119020286E	1412628	11-11-19	19-02-2020	85
53	सूर्या इंटरनेशनल	07AAKPP0764G1ZL	AA070220053498C	1412268	28-02-20	01-07-2020	109
54	3डी एम लग्जरी एंड लाइफस्टाइल लिप	07AABFZ1526F1ZD	AA0703200031518	1397818	03-03-20	29-04-2020	42
55	डेरिक वुड	07AAFFD8494E1Z8	AA0712190334178	1330957	16-12-19	10-01-2020	10
56	3डी एम लग्जरी एंड लाइफस्टाइल लिप	07AABFZ1526F1ZD	AA0711190778310	1323146	30-11-19	26-02-2020	73
57	राजयोग इंटरनेशनल प्राईवेट लि.	07AAACR7067B1ZK	AA070120059889Z	1322603	29-01-20	28-02-2020	15

58	ई टूरिस्ट सर्विसेज प्राईवेट लि.	07AAECE1946J1ZK	AA070320008327Q	1313801	05-03-20	08-06-2020	80
59	ई-स्कवायर एलाइंस प्राईवेट लि.	07AAACE9760E1ZN	AA071219048252B	1298809	21-12-19	26-02-2020	52
60	ओपियंश टेक सोल्यूशंस प्राईवेट लि.	07AABCO9270C1ZJ	AA071119020390N	1220773	11-11-19	18-12-2019	22
61	नेशनल स्टीलस्	07AAAPK2778D1ZW	AA0712190183195	3130000	09-12-2019	27-12-2019	3
62	पापुलर फुटवियर इंडिया प्रा.लि.	07AABCP6058K1Z5	AA070220032907I	2178753	19-02-2020	24-06-2020	111
63	शिवा प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	07ADTPD0250H1ZR	AA0711190531982	1908848	22-11-2019	17-12-2019	10
64	एशियन फुटवियर्स प्राईवेट लि.	07AAHCA6753A1ZX	AA071219005563D	1673695	03-12-2019	09-01-2020	22
65	स्टार प्रोडक्टस	07ABFPK6441D1ZX	AA071119015601L	1451899	08-11-2019	18-12-2019	25
66	महलक्ष्मी इंडस्ट्रीज	07AFXPK1851R1ZI	AA0711190592934	1128436	25-11-2019	17-12-2019	7
67	कृष्णा प्लास्टिकस	07AAAFK3305J1ZN	AA0712190079229	1049222	04-12-2019	30-12-2019	11
68	श्री जी इंडस्ट्रीज	07AEIPA7057H1ZK	AA070120046852L	999070	23-01-2020	26-02-2020	19
69	ओएसिस एंटरप्राईजेज	07ENLPK4265D2ZV	AA070120054551T	981358	26-01-2020	08-05-2020	88
70	सांई कृपा एंटरप्राईजेज	07AAFPA4018B1ZK	AA070919060575O	978755	26-09-2019	18-10-2019	7
71	मालग्रे सेफ्टी साल्यूशंस प्रा.लि.	07AABCC1919J1ZS	AA071119000508G	2204072	01-11-2019	04-12-2019	18
72	एस ए एंटरप्राईजेज	07AAHPJ7626G1ZN	AA070120018963K	1990455	09-01-2020	29-02-2020	36
73	मित्तल पॉलिमर (इंडिया)	07CAVPM3059G1Z9	AA0711190317928	1691980	15-11-2019	02-12-2019	2
74	श्री बरसाना ई-व्हीकल प्रा. लि.	07AAYCS2594Q1Z2	AA070420007635M	1476932	20-04-2020	08-05-2020	3
75	रेडकॉन इंटरनेशनल	07AAYFR9506J1ZD	AA071119050701G	1328762	22-11-2019	16-01-2020	40
76	मेन्टी एंटरप्राईजेज	07AAHPG8025A1Z7	AA0712190482927	1157351	21-12-2019	28-01-2020	23
77	अर्ना इलेक्ट्रिक ऑटो प्राईवेट लि.	07AAOCA4399R1ZL	AA071019010645G	1077008	07-10-2019	16-11-2019	25
78	आर के इंडस्ट्रीज	07ADZPG0870C1ZI	AA071119051479Y	995591	22-11-2019	16-12-2019	9
79	ओमिशा ट्रेडर्स	07GIUPS7291M3ZU	AA070620004931N	994804	04-06-2020	25-06-2020	6
80	ओएसिस एंटरप्राईजेज	07ENLPK4265D2ZV	AA070120054483O	977501	26-01-2020	27-05-2020	107
81	मार्या एंटरप्राईजेज	07FOEPM6235J1ZN	AA071119063767T	975292	26-11-2019	16-12-2019	5
82	वर्मा फुटवियर	07BHVPS5283A1ZW	AA070520007127R	973712	12-05-2020	01-06-2020	5
83	श्री गणेश इंडस्ट्रीज	07AAGPB8046D1Z2	AA070420010118X	967436	25-04-2020	03-07-2020	54
84	वाई सी इलेक्ट्रिक व्हीकल	07AABFY4762C1Z8	AA070320022215Z	23035428	14-03-2020	05-06-2020	68
85	गंगा सेल्स कार्पोरेशन	07AATFG8521D1Z9	AA070320026758B	4680360	17-03-2020	06-07-2020	96
86	करण सर्जिकल उपकरण	07AEDPB6604E1Z3	AA070420005257Q	2673231	15-04-2020	24-06-2020	55
87	गंगा प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	07AAKPG6996P1ZP	AA070120028188M	2247411	14-01-2020	14-02-2020	16
88	शिव ओम इंडिया	07ABZPS9999Q1ZL	AA071219013465B	2272558	06-12-2019	31-12-2019	10
89	मित्तल पोलिमर्स (इंडिया)	07CAVPM3059G1Z9	AA071119031890A	1488048	15-11-2019	05-12-2019	5

90	महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज	07AFXPK1851R1ZI	AA071119064010P	1331022	26-11-2019	17-12-2019	6
91	श्री बालाजी पालिमर्स	07ABSFS3870R1Z1	AA0712190394940	1193352	18-12-2019	03-01-2020	1
92	वैट इंडस्ट्रीज	07AAOPB0418K1ZV	AA071219015959S	1093530	07-12-2019	16-01-2020	25
93	महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज	07AFXPK1851R1ZI	AA0712190087173	1025887	04-12-2019	24-12-2019	5
94	गुप्ता इंडस्ट्रीज	07AASPK3650Q1ZY	AA070620019303R	971815	13-06-2020	03-07-2020	5
95	ई इंडिया इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लि.	07AADCE8637R1ZV	AA070320024855H	968416	16-03-2020	30-06-2020	91
96	एस जे एम एंटरप्राईजेज	07AABPS4223Q1ZC	AA071119018077B	1498836	09-11-2019	26-12-2019	32
97	क्राफ्टमैन	07ASHPS4089C1ZI	AA0712190058182	18418	03-12-2019	13-01-2020	26
98	शिवा एंटरप्राईजेज	07ACAFS2113G1ZM	AA0712190345349	2111358	16-12-2019	06-01-2020	6
99	श्री श्याम प्लास्टिक	07BISPK7409Q1ZB	AA071219049758O	554762	22-12-2019	14-01-2020	8
100	जे एस बी ट्रेडिंग	07AIOPN9744L1ZD	AA071219053929P	168090	24-12-2019	17-01-2020	9
101	ग्रीन टेक्नोलॉजी	07AUIPK2099P1ZW	AA0704200020163	3897580	06-04-2020	17-06-2020	57
102	बी के इंटरनेशनल प्राईवेट लि.	07AADCB0202H1ZE	AA071219005252M	2949591	03-12-2019	09-01-2020	22
103	आयुष इंटरनेशनल	07AHGPK6252K1Z4	AA071219016998P	2700482	08-12-2019	03-01-2020	11
104	बूंद इंजि एंड डेव प्रा. लि.	07AAECB3092L1ZI	AA071019028134J	2036334	17-10-2019	05-06-2020	217
105	बी के इंटरनेशनल	07AADCB0202H1ZE	AA0712190057291	1752065	03-12-2019	09-01-2020	22
106	श्री सालासर एंटरप्राईजेज	07CYFPK1880D1ZJ	AA071219010537B	1525860	05-12-2019	23-12-2019	3
107	मालग्रे सेफ्टी साल्यूशन प्रा.लि.	07AABCC1919J1ZS	AA071219060240K	1343183	27-12-2019	14-02-2020	34
108	अंगीरा इंटरप्रा.	07AGXPG3561F1Z6	AA070120010598N	1245323	06-01-2020	09-03-2020	48
109	श्री बालाजी पॉलिमर	07ABSFS3870R1Z1	AA0711190378235	997120	18-11-2019	11-12-2019	8
110	सेंचुरी पॉलिमर	07AETPG7241L1Z0	AA071119065460B	990167	26-11-2019	19-12-2019	8
111	सेंचुरी पॉलिमर	07AETPG7241L1Z0	AA0711190657209	978168	26-11-2019	19-12-2019	8
112	सुभस्ता इंटरप्रा.	07CGLPK5469C2Z6	AA070220041215Y	964877	22-02-2020	05-06-2020	89
113	वाई सी इलेक्ट्रीक व्हीकल	07AABFY4762C1Z8	AA070220049644H	9723724	26-02-2020	16-03-2020	4
114	एस डी पालिमर्स	07ANRPM4498A1ZN	AA0710190387460	3996421	22-10-2019	06-01-2020	61
115	पी.जी. एस फुटवियर प्रा. लि.	07AADCP5800D1ZU	AA071219067676Q	2459072	31-12-2019	21-02-2020	37
116	करण सर्जिकल उपकरण	07AEDPB6604E1Z3	AA070420004206Y	2178038	12-04-2020	24-06-2020	58
117	गंगा सेल्स कार्पोरेशन	07AATFG8521D1Z9	AA071119010713J	1422793	06-11-2019	25-11-2019	4
118	डी एस पालिमर्स	07AQFPS1287C1ZU	AA071119071251G	1122156	28-11-2019	17-12-2019	4
119	राजेश प्लास्टिक	07AAFPP7742K1Z9	AA0712190455833	1047294	20-12-2019	18-02-2020	45
120	करण सर्जिकल उपकरण	07AEDPB6604E1Z3	AA071219056259X	995000	25-12-2019	10-01-2020	1
121	लिब्रा फुटवियर	07IIWPK0523G1Z0	AA070320040669C	990249	28-03-2020	22-04-2020	10

122	बडीज उधम	07AFWPR8933E2ZP	AA070520011847F	968869	18-05-2020	03-07-2020	31
123	वाई सी इलेक्ट्रीक व्हीकल	07AABFY4762C1Z8	AA070120027583P	10518983	14-01-2020	05-02-2020	7
124	मित्तल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	07AAKFM6976F1ZT	AA071219025766Z	3908474	12-12-2019	12-02-2020	47
125	एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल	07AEZPB4000Q1Z6	AA070220019566J	2988538	13-02-2020	03-03-2020	4
126	ए.आर.वी. फुटवियर प्राईवे	07AAFCA5397J1ZA	AA071219032611H	2753947	15-12-2019	22-01-2020	23
127	एस डी पालिमर्स	07ANRPM4498A1ZN	AA071019021740L	2177521	14-10-2019	04-11-2019	6
128	सुपर इंडिया फुटवियर	07AGTPG8589P1Z3	AA071119068001K	1813710	27-11-2019	17-12-2019	5
129	पापुलर फुटविरय इंडिया प्रा.लि.	07AABCP6058K1Z5	AA0712190393281	1571864	18-12-2019	26-02-2020	55
130	बी के इंटरनेशनल प्रा. लि.	07AADCB0202H1ZE	AA071219048450B	1355802	21-12-2019	20-02-2020	46
131	विपुल इंडस्ट्रीज	07AARFV0873F1ZT	AA070120015738K	1251618	08-01-2020	18-02-2020	26
132	श्री बालाजी पालिमर्स	07ABSFS3870R1Z1	AA071219039538W	1121853	18-12-2019	03-01-2020	1
133	बंसल स्टील इंडस्ट्रीज	07AAJFB1803H1ZT	AA070420013865H	995000	30-04-2020	02-07-2020	48
134	पिनेकल पायनिर्यस मेगा स्टोर	07ALHPS0100R3ZV	AA0702200252603	974604	15-02-2020	12-03-2020	11
135	दुर्गा एंटरप्राइजेज	07FUFPK0122P1ZI	AA070120054754J	972312	26-01-2020	17-02-2020	7
136	कमल एक्सपोर्टस	07AGXPA7169H1ZW	AA071019009431M	1117414	06-10-2019	18-11-2019	28
137	क्युमिन इनफोटेक प्रा.लि.	07AAFCC4779G1ZF	AA070120002726U	5166682	02-01-2020	04-03-2020	47
138	रेडियस सिस्टम प्रा लि.	07AAECR4370D1ZK	AA0711190068159	3775402	05-11-2019	25-02-2020	97
139	ट्रेवल ग्रीक्स साल्यूशन लिप	07AALFT3489R1Z2	AA0712190144866	513585	06-12-2019	17-01-2020	27
140	पैरामाउंट एंटरप्राइजिज	07AHNPM0279R1ZI	AA070220048681K	567992	26-02-2020	24-06-2020	104
141	प्रिंका	07BXTPP6309Q1ZE	AA0702200321127	95238	19-02-2020	28-03-2020	23

परिशिष्ट 1.12

(पैराग्राफ 1.4.6.2 में संदर्भित)

रिफंड आदेश समय पर स्वीकृत नहीं किए गए (प्री-ऑटोमेशन)

क्र. सं.	निर्धारिति का नाम	जीएसटीआईएन संख्या	एआरएन संख्या एवं तिथि	मैनुअल दाखिल के मामले में रिफंड आवेदन दाखिल करने की तिथि	जीएसटी आरएफडी-02 के लिए पावती जारी करने की तिथि	जीएसटी आरएफडी-06 प्रपत्र में आदेश की तिथि	दावा की गई रिफंड राशि	स्वीकृत रिफंड राशि	देरी की अवधि	ब्याज का भुगतान नहीं किया गया
1	मैसर्स नेक्सजेन फुटवियर	07AACCN4108M1ZF	AA0710180926814	03-03-2019	12-04-2019	13-06-2019	5696600	5696600	42	39330
2	मैसर्स नेक्सजेन फुटवियर	07AACCN4108M1ZF	AA070918093800S	27-02-2019	12-04-2019	13-06-2019	5599688	5599688	46	42343
3	मैसर्स नेक्सजेन फुटवियर	07AACCN4108M1ZF	AA070818043977H	27-02-2019	05-03-2019	13-06-2019	5438138	5438138	46	41121
4	मैसर्स नेक्सजेन फुटवियर	07AACCN4108M1ZF	AA070219777843N	17-05-2019	15-07-2019	25-07-2019	4868135	4868135	9	7202
5	मैसर्स नेक्सजेन फुटवियर	07AACCN4108M1ZF	AB0703191146082	21-05-2019	15-07-2019	25-07-2019	4409213	4409213	5	3624
6	मैसर्स रिया इंडस्ट्रीज	07AAACR7943J1Z2	AB071218063015E	09-02-2019	26-04-2019	22-05-2019	4365888	4365888	42	30143
7	मैसर्स मैसर्स रिया इंडस्ट्रीज	07AAACR7943J1Z2	AA0710180772259	09-02-2019	26-04-2019	22-05-2019	3685052	3544922	42	24475
8	मैसर्स डी बी क्रिएशन	07AAHFD4873F1ZD	AB070319131100R	01-07-2019	05-11-2019	05-11-2019	3351222	3351222	67	36909
9	मैसर्स एपेक्स शू काम्प.	07AAACA7934J1ZK	AB070917098870G	25-02-2019	01-03-2019	20-05-2019	3159713	3159713	24	12466
10	मैसर्स मितल इंडस्ट्रीज	07AAKFM6976F1ZT	AA070719020451C	12-07-2019	12-07-2019	27-11-2019	3138631	3138631	78	40243
11	मैसर्स एनीथिंगमैक	07AAACA1065G1Z5	AA0703180356660	20-03-2019	05-12-2019	17-12-2019	491010	491010	212	17111
12	मैसर्स स्टेटस ओवरसीज	07AKWPS8231M1Z6	AA070618005406A	24-12-2018	24-12-2018	13-03-2019	468919	468919	19	1465
13	मैसर्स कन्हैया लाल	07AADCK7149L1Z4	AA070719016982T	10-07-2019	17-09-2019	23-09-2019	943282	943282	15	2326
14	मैसर्स यूनिवर्सल ऑयल	07AABCU1844Q1ZW	AA070818591740P	24-09-2018	31-05-2019	31-05-2019	948479	859064	189	26690
15	मैसर्स रिजेंट इंटरनेशनल	07AJSPA9744J1ZO	AA070819014943V	08-08-2019	08-08-2019	05-04-2021	2222968	2222968	546	199519
16	मैसर्स शिरड़ी होम्स	07BPLPK8194Q1ZS	AA0709190522324	23-09-2019	23-09-2019	23-07-2021	443678	443678	609	44416
17	मैसर्स इंडो वलर्ड ट्रेडिंग	07AAAFI1511N1ZL	AA0710177611478	07-05-2019	14-09-2019	29-01-2020	1898635	1898635	207	64606
18	मैसर्स भास्कर बैटरीज	07AASFB3897Q1ZB	AB070618033848O	03-10-2018	23-10-2018	12-04-2019	2612724	2612724	131	56263
19	मैसर्स शक्ति जोन	07AMAPG9839R1ZA	AB070717618825P	03-12-2018	14-02-2019	14-02-2019	475453	475453	13	1016
20	मैसर्स रिचा इंडस्ट्रीज	07AAACR7943J1Z2	AA070918078601T	09-02-2019	26-04-19	22-05-2019	2686128	2686128	42	18545
21	मां शक्ति एंक्जिम प्रा. लिं.	07AAGCM6855J1Z0	AB070917116708Q	11-06-19	27-08-2019	28-08-2019	2009733	2009733	18	5947
22	मैसर्स ट्रज मार्ट प्रा.लि.	07AAFCT2542J1ZA	AA0706190359012	04-09-2019	08-11-2019	08-11-2019	1942000	1942000	5	1596
23	मैसर्स स्वराज फुटवियर	07ATZPK6101G1ZH	AA070918000811A	02-01-19	14-12-2018	08-03-2019	1817651	1817651	5	1494

24	मैसर्स महादेव फुटवियर	07AGRPM7638P1ZB	AA070219793174W	06-06-19	29-07-2019	07-08-2019	1874037	1874037	2	616
25	मैसर्स फार्च्युन सेफ्टी इंडस्ट्रीज	07AOFPS0792C1ZY	AA070418013752B	08-03-19	11-04-2019	10-07-2019	1870876	1731828	64	18220
26	जियोनी इंडिया प्राइवेट लि.	07AASCS5817Q1ZC	AA070318052274A	18-06-2019	26-04-2019	18-11-2020	99646681	99646681	459	7518547
27	कैपिटल वेयर्स प्रा. लि.	07AAFCC1829B1Z4	AA070118770836T	29-01-2019	18-04-2019	18-04-2019	30390547	5863666	19	18314
28	ए.बी एंटरप्राइजेज	07AFBPB3909D1Z3	AA0707190405980	01-10-2019	08-11-19	27-01-2020	27199510	27199510	58	259327
29	जैना इंडिया प्राइवेट लि.	07AADCJ3491J2ZB	AA071118501036N	07-05-2019	14-05-2019	02-01-2020	18360668	17798460	180	526639
30	बत्र एंटरप्राईजेज	07AAFFB2718P1Z8	AA070218754159X	17-11-2018	29-10-2020	13-11-2020	17532137	17532137	667	1922291
31	एंजेलिक इंटरनेशनल	07AACCA4675N1ZA	AA070719004949N	05-07-2019	05-12-2019	05-12-2019	17396907	17396907	93	265958
32	बत्रा एंटरप्राइजेज	07AAFFB2718P1Z8	AB070318155839M	17-11-2018	24-11-2020	05-07-2021	16687100	16665396	901	2468305
33	वृहदम टीज प्रा. लि.	07AAECV9825B1ZA	AA070318000247J	15-12-2018	24-01-2019	26-11-2019	14152897	14152897	286	665380
34	इंस्टीटयूट फॉर फीइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च	07AAATI2605P1ZJ	AB0703181204692	27-03-19	28-08-20	05-11-2020	13980670	9302031	529	808894
35	रिसर्च ट्रायंगल इंस्टीटयूट इंडिया प्रा लि.	07AAHCR0769F1ZA	AA070619024232E	23-07-2019	30-07-2019	06-11-2019	11730141	11654370	46	88126
36	ओम इंडिया ट्रेडिंग कं. प्रा.लि.	07AACCA7130Q1ZG	AA070218747905T	25-10-2018	19-11-18	25-06-2019	11228913	11228913	183	337790
37	ताज इंटरनेशनल एक्सपोर्ट	07AAXPS6460R1ZD	AB0706181063943	26-11-2018	Not In File	27-06-2019	9256478	9256478	153	232807
38	के लाइफ साइँस प्रा लि.	07AADCK5555A2ZS	AA070918919882H	19-11-18	19-11-18	31-01-2019	8643390	8643390	13	18471
39	बत्रा इंटरप्राइजेज	07AAFFB2718P1Z8	AA0710177459050	17-11-2018	20-05-2019	21-06-2019	7843638	7610042	156	195151
40	आपे ट्रेडिंग कार्पोरेशन	07AIYPJ1083C4Z3	AA070818725696I	08-12-2018	28-06-2019	15-07-2019	7613757	7613757	159	199001
41	मैसर्स सृजन टेक्नोलॉजीज	07AAGCS9601J1Z4	AA070918162583Q	12-06-2019	Not Issued	11-11-2019	7176898	7176898	92	108538
42	इंटेक्स	07AAAFI9566K1ZW	AA070817797611M	23-08-2018	28-12-2018	07-11-2019	6915216	2649211	88	38323
43	मैसर्स खन्ना ज्वैलर्स प्रा. लि.	07AAACK4010B1ZE	AA070318108127E	10-09-2019	23-09-2019	14-02-2020	6435835	6292619	97	100337
44	इंटेक्स	07AAAFI9566K1ZW	AB070917077807E	23-08-2018	18-01-2019	22-10-2019	6396838	2442399	365	146544
45	नोबल वेलनेस प्रा. लि.	07AADCN9685J1ZS	AB0703190907120	20-05-2019	30-08-2019	20-12-2019	6296326	6130388	154	155191
46	लेक्स अर्बिस कंसल्टिंग प्रा. लि.	07AABCL0049A1Z7	AA070619043738P	27-06-2019	03-12-2019	09-11-2020	6158940	6158940	441	446481
47	हैरिटेज इंडिया एक्सपोर्ट प्रा. लि.	07AABCH4111P1ZL	AB07061881133176	04-12-2018	20-02-2019	02-07-2019	6050205	5602346	150	138140

48	शिवा यूटेंसि इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	07AAMCS3027L1Z2	AA070318030000Z	07-03-2019	04-08-2020	04-08-2020	5750000	5750000	456	431014
49	बैलजाबार साफ्टवेयर डिजाइन इंडिया प्रा. लिमिटेट	07AACCB4756B2ZZ	AB070318161531A	06-12-2018	10-08-2020	10-08-2020	5673066	5203941	553	473060
50	के लाइफ साईन्सेज प्राइवेट लि.	07AADCK5555A2ZS	AA070919024741Z	12-09-2019	नहीं पाया गया	16-01-2020	5561587	5561587	66	60339
51	सी. एंड सी अल्फा ग्रुप इंडिया प्रा. लि.	07AACCC8412B1Z6	AA0703180540479	17-06-2019	08-08-2019	22-10-2019	5175609	5175609	67	57003
52	सैनीत स्टील्स	07AAIPJ5137H1ZQ	AB070318141334C	27-10-2018	नहीं पाया गया	04-06-2019	5024264	4982808	160	131055
53	किंग इंपैक्स	07AAPFK7868M1ZA	AA0707187315009	11-12-2018	17-06-2019	22-08-2019	5018165	4979597	194	158801
54	इंटेक्स	07AAAFI9566K1ZW	AB0706180703235	24-10-2018	18-06-2019	28-06-2019	4982974	4982974	187	153175
55	आरके इंटरप्राइजेज	07AABFA3806B1Z7	AB0703181287721	09-10-2018	13-02-19	18-07-2019	4974865	4801427	222	175219
56	के लाइफ साईन्सेज प्राइवेट लि.	07AADCK5555A2ZS	AA070718655094V	01-10-18	10-09-18	17-01-2019	4956940	4956940	48	39112
57	मैसर्स ट्रांसटेक इंफोवेज (प्रा.) लि.	07AAACQ1105B1ZA	AA071118604340O	12-06-2019	01-11-2019	28-11-2019	6460008	6460008	109	115749
58	मैसर्स ट्रांसटेक इनफोवेज (प्रा.) लि.	07AAACQ1105B1ZA	AB070918023981S	04-12-2018	01-11-2019	28-11-2019	5991611	5991611	299	294492
59	के लाइफ साईन्सेज प्राइवेट लि.	07AADFH4913L1ZB	AA0709181105717	25-03-2019	30-09-2019	21-10-2019	3166145	3166145	150	78069
60	मैसर्स पैटस क्रिएशन	07AASFP6347B1ZI	AA071017760819U	23-04-2019	14-08-2019	27-11-2019	3273330	3273330	158	85017
61	मैसर्स पैरामाउंट प्रोडक्टस (प्रा.) लि.	07AAACP1213B1ZA	AA070218749627R	29-10-2018	13-06-2019	08-07-2019	4794200	4314780	192	136182
62	मैसर्स लि-व्पिल ज्वाइंट वेंचर	07AABAL1078R1Z5	AB070318104606A	28-08-2018	24-09-2018	18-12-2018	4076381	4076381	52	34845
63	मैसर्स वी एंक्सेल ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लि.	07AABCV3624M1Z5	AB0709180412418	19-11-2018	28-08-2019	24-10-2019	3041700	3041700	279	139502
64	कोसमोस इंटरनेशनल लि.	07AACCC7895A1ZN	AAO708177995592₹	22-09-2018	26-10-2018	14-01-2019	2961222	2961222	54	26286
65	सर गंगा राम हॉस्पिटल	07AABTS4366E1ZH	AA070919045993H	02-01-2020	04-09-2020	18-12-2020	2347708	2045200	291	97833
66	अग्रवाल इलेक्ट्रीक्लस गैलरी	07AFRPA0317E1ZY	AA070719053769G	29-07-2019	13-01-2020	10-06-2020	699094	699094	257	29534
67	कैपिटल वेंचर्स	07AAFCC1829B1Z4	AA0705180446524	02-04-2019	12-07-2019	15-07-2019	4234414	4204236	44	30409
68	एक्जिम इंटरनेशनल	07AAJPJ0389A1ZZ	AA0708180392432	01-03-2019	22-07-2019	25-10-2019	3006443	2971053	178	86934

69	प्रिटॉप टेक प्रा. लि.	07AAICP3451B1ZQ	AA070918089063S	22-02-2019	22-05-2019	24-05-2019	4838529	4838529	31	24657
70	एसैस टेलीवेंचर	07BXJPP6308R1ZN	AA0703180238090	19-02-2019	23-04-2019	24-04-2019	3466299	3455469	04	2272
71	हैरिटेज इंडिया एक्सपोर्ट प्रा. लि.	07AABCH4111P1ZL	AA0704189319750	04-12-2018	20-02-2019	10-06-2019	4069245	4014583	128	84471
72	हैरिटेज इंडिया एक्सपोर्ट प्रा. लि.	07AABCH4111P1ZL	AA070718790218N	11-04-2019	07-06-2019	06-12-2019	3729914	3729914	179	109751
73	हैरिटेज इंडिया एक्सपोर्ट प्रा. लि.	07AABCH4111P1ZL	AA070619028002H	20-06-2019	23-07-2019	27-01-2020	3522291	3522291	161	93220
74	फाल्कन	07AAAFF5198C1ZK	AA0704189114372	03-10-2018	30-10-2018	14-01-2019	2954883	2954883	43	20887
75	प्रकाश एमुजमैन्ट राईड्स एण्ड वल्डस	07AAACP7467P1ZP	AA071017754569T	20-03-2019	03-05-2019	13-08-2019	3756417	3756417	86	53104
76	रैनवो क्रिएसन्स	07AANFR7660J1ZL	AA070318013161Q	07-02-2019	12-06-2019	16-07-2019	2933696	2933696	99	47743
77	विक्की फैशन	07AVVPD4206D1ZS	AB071218128897O	05-03-2019	26-07-2019	23-10-2019	3378604	3378604	172	95527
78	एक्जिम इंटरनेशनल	07AAJPJ0389A1ZZ	AB0712181297515	06-03-2019	02-09-2019	25-10-2019	2961087	2961087	173	84208
79	पंडित ब्रदर्श	07AAHFP1518K1Z6	AB070318159445X	29-11-2018	25-05-2019	24-06-2019	3995609	3995609	147	96551
80	वेद प्रकाश मित्तल एंड सन्स	07AAAFV4929K1ZU	AA0702190424269	26-02-2019	27-05-2019	30-05-2019	858822	858822	33	4659
81	ताज इंटरनेशनल	07AAXPS6460R1ZD	AA071118500620P	03-09-2019	लागू नहीं	13-11-2019	3338684	3335174	11	6031
82	ताज इंटरनेशनल	07AAXPS6460R1ZD	AA070818021898L	15-04-2019	लागू नहीं	05-09-2019	3166561	3166561	83	43204
83	जीडीएफ प्रा. लि.	07AAFCG5853R1ZV	AA071217016791B	03-04-2019	24-05-2019	11-06-2019	2960100	2960100	9	4379
84	लाम्ब राइस प्रा लि.	07AABCL6803C1ZX	AA07010181297371	17-05-2019	09-10-2019	04-12-2019	2997822	2997822	141	69484
85	सैम एक्जिम	07AAPPG3527R1Z3	AB071218223639Y	22-05-2019	22-07-2019	23-07-2019	3030114	3029814	2	996
86	बी अर्थ एंड स्पायर (इंडिया) प्रा. लि.	07AAACB5134H2ZZ	AA070919024905R	12-09-2019	31-10-2019	20-12-2019	2340349	2340349	39	15004
87	एन के कपूर एंड कंपनी प्रा. लि.	07AAACN0399J1ZA	AA070219035106G	22-02-2019	16-12-2019	24-12-2019	557000	557000	245	22433
88	विदुर एक्सपोर्टस	07AAAPA2210L1ZE	AA070318016174G	22-01-2019	07-03-2019	28-08-2019	3108558	3074646	158	79857
89	इंटेक्स	07AAAFI9566K1ZW	AA0705187232447	24-10-2018	18-03-2019	07-11-2019	3530974	3530974	319	185158
90	जैगुआर ओवरसीज लि.	07AAACJ0273F1ZY	AA071018095960Z	19-03-2019	12-02-2020	17-07-2020	3475616	3475616	426	243388
91	फारेस्टर रिसर्च इंडिया प्रा. लि.	07AABCF0432D1ZC	AB071217105177D	24-09-2018	21-01-2019	31-01-2019	3530932	3513360	69	39850
92	इंटेक्स	07AAAFI9566K1ZW	AA0711185553446	28-02-2019	18-03-2019	08-11-2019	2998537	2998537	193	95132

93	दयाल सोल्डर्स	07ADGPA2110G1ZE	AA070619039806Q	25-06-2019	16-09-2019	20-11-2019	3499106	3339665	88	48311
94	भास्कर बैटरीज इंडिया	07AASFB3897Q1ZB	AA070819006715Y	04-08-2019	लागू नहीं	20-07-2020	3340086	3340086	291	159775
95	भास्कर बैटरीज इंडिया	07AASFB3897Q1ZB	AA0708190060178	28-08-2019	लागू नहीं	23-07-2020	3427930	3427930	270	152144
96	धरना ज्वैलर्स	07AAAPD2593F1Z2	AA070318029925Y	06-03-2019	03-05-2019	29-11-2019	3231765	3073651	208	105094
97	इंडियन आयल स्काईटैंकिंग	07AABCI5709C1ZX	AA0709190152543	07-09-2019	20-10-2020	03-12-2020	27500000	27500000	393	1776575
98	लाम्ब राइस प्रा लि.	07AABCL6803C1ZX	AA0708190412072	22-08-2019	14-02-2020	08-10-2020	3000799	3000799	353	174129
99	लाम्ब राइस प्रा लि.	07AABCL6803C1ZX	AA0707190029720	02-07-2019	14-02-2020	21-07-2020	3029054	3029054	325	161826
100	बी के एस मोटर्स प्रा. लि.	07AAACB2590D1Z2	AA071217009315I	18-01-2019	07-03-2019	25-07-2019	3933706	3933706	128	82769
101	गुप्ता इलेक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन	07AAHPG4370J1ZO	AA070818722012D	03-12-2018	20-02-2020	11-03-2020	493303	493303	404	32761
102	पी जे एस ओवरसीज लि.	07AAFCP2088R1ZP	AB070718771470W	09-03-2019	18-12-2019	18-12-2019	2909903	2909903	224	107148
103	रिजेंट इंटरनेशनल	07AJSPA9744J1ZO	AA070919013466W	07-09-2019	06-09-2019	10-03-2021	3127596	3127596	490	251921
104	गांधी मैडीकोज	07AAGPG0572K1ZR	AA070817001163I	05-01-2019	लागू नहीं	25-11-2019	3373729	3373729	264	146411
	कुल						**651048891**	**609595618**		**24950699**

परिशिष्ट 1.13

(पैराग्राफ 1.4.6.2 में संदर्भित)

रिफंड आदेश समय पर स्वीकृत नहीं किए गए (पोस्ट-ओटोमेशन)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन संख्या	एआरएन संख्या और तारीख	दाखिल करने की तिथि	जीएसटीआरएफडी-02 के लिए पावती जारी करने की तिथि	जीएसटी आरएफडी-06 प्रपत्र में आदेश की तिथि	दावा की गई रिफंड राशि	स्वीकृत रिफंड राशि	देरी की अवधि	ब्याज का भुगतान नहीं किया गया
1	बत्रा एंटरप्राइजेज	07AAFFB2718P1Z8	AA071019004313R	03-10-2019	12-12-2019	23-12-2019	9944803	9068045	21	31303
2	बत्रा एंटरप्राइजेज	07AAFFB2718P1Z8	AA071019004281Q	03-10-2019	04-12-2019	18-12-2019	9795937	8311291	16	21860
3	बी टी इंडिया प्रा.लि.	07AABCC4785E1ZP	AA0710190409537	23-10-2019	22-11-2019	06-03-2020	7935141	7935141	75	97831
4	ग्लोरियस इंटरनैशनल	07BHLPG5333B1ZP	AA070220001507X	03-02-2020	28-03-2020	05-05-2020	7646988	7646988	32	40225
5	गांधी मैडीकोज	07AAGPG0572K1ZR	AA0711190784226	30-11-2019	14-02-2020	14-02-2020	6056780	6056780	16	15930
6	एस्को इंटरनैशनल	07AKTPS3047C1ZY	AA071019009460L	06-10-2019	22-10-2019	12-12-2019	6026635	6026635	7	6935
7	गांधी मैडीकोज	07AAGPG0572K1ZR	AA071119078769I	30-11-2019	14-02-2020	14-02-2020	5433820	5292270	16	13919
8	ई स्कवेयर एलाइंस प्रा.लि.	07AAACE9760E1ZN	AA071219047756U	21-12-2019	26-02-2020	26-02-2020	5288728	5241815	7	6032
9	एस्को इंटरनैशनल	07AKTPS3047C1ZY	AA0704200120640	29-04-2020	10-07-2020	10-07-2020	4838334	4838334	12	9544
10	हैरिटेज इंडिया एक्सपोर्ट	07AABCH4111P1ZL	AA071219038360E	18-12-2019	01-01-2020	09-03-2020	4012228	3954010	22	14299
11	ग्लोबल फैडिग्रेन प्रा.लि.	07AAFCG5862N1Z2	AA070120004529Q	03-01-2020	19-02-2020	10-07-2020	3097548	3097548	129	65685
12	लोकधुन टैलिमिडिया प्रा.लि	07AADCL0977H2ZD	AA070320015463T	11-03-2020	25-06-2020	06-07-2020	2705913	2705913	57	25354
13	सुपर इंफो कंसल्टैन्सी प्रा.लि	07AATCS2062E1Z9	AA071219066400E	30-12-2019	13-03-2020	13-03-2020	2653627	2653627	14	6107
14	फारेस्टर रिसर्च इंडिया प्रा.लि	07AABCF0432D1ZC	AA071119076394Z	29-11-2019	31-12-2019	02-03-2020	2498661	2498661	34	13965
15	अल्फा ओमेगा एंटरप्राइजेज	07AAFFA1903P1ZG	AA071219061164B	27-12-2019	28-02-2020	17-03-2020	2367648	2367648	21	8173
16	नव्या इंटरनैशनल	07AJUPG6667Q1Z2	AA0712190416736	19-12-2019	13-01-2020	02-03-2020	1823317	1823317	14	4196
17	एस.आर.वी. एक्सपोर्ट	07ABFFS2155L1ZY	AA071019013507F	09-10-2019	26-11-2019	11-12-2019	1875117	1821095	3	898
18	एवलिन लर्निंग सिस्टम	07AADCE3394D1ZS	AA071119042231N	20-11-2019	22-01-2020	22-01-2020	1688345	1688345	3	833
19	स्केटस स्टूडियो प्राइवेट .लि.	07AAKCS3339K1ZZ	AA0701200630603	30-01-2020	04-02-2020	13-07-2020	1649082	1649082	105	28464
20	फाल्कन	07AAAFF5198C1ZK	AA070220020658L	13-02-2020	20-03-2020	05-05-2020	1578051	1571845	22	5684
21	सोर्सहोव इंडिया प्रा लि.	07AABCV3563H1ZA	AA071219028675Z	13-12-2019	02-01-2020	27-05-2020	1439119	1439119	106	25076
22	शिवा एंटरप्राइजेज	07ACAFS2113G1ZM	AA071119020286E	11-11-2019	19-02-2020	19-02-2020	1412628	1412628	40	9289
23	सूर्या इंटरनैशनल	07AAKPP0764G1ZL	AA070220053498C	28-02-2020	01-07-2020	01-07-2020	1412268	1412268	64	14858

24	3 डी एम लग्जरी एंड लाइफस्टाइल लिप	07AABFZ1526F1ZD	AA0711190778310	30-11-2019	26-02-2020	26-02-2020	1323146	1323146	28	6090
25	इ.टूरिस्ट सर्विसेज प्रा.लि	07AAECE1946J1ZK	AA070320008327Q	05-03-2020	08-06-2020	08-06-2020	1313801	1313801	35	7559
26	इ स्कवायर एलायंस प्रा.लि.	07AAACE9760E1ZN	AA071219048252B	21-12-2019	26-02-2020	26-02-2020	1298809	1298809	7	1495
27	स्वदेशी सिविल इंफ्रास्ट्रकचर प्राइवेट .लि.	07AALCS7613M1ZT	AA070120043029T	21-01-2020	21-01-2020	04-05-2020	32000000	32000000	44	231452
28	आकार एडवर्डटाइजिंग एंड मार्केटिंग प्रा.लि.	07AADCA3901E1Z9	AA071119055509Z	23-11-2019	23-11-2019	28-02-2020	7385397	7385397	38	46133
29	सिस्टेक इट सॉल्यूशंस प्रा.लि.	07AARCS1741C1ZF	AA0710190403795	23-10-2019	04-11-2019	27-01-2020	2217120	2217120	36	13120
30	वाई सी इलैक्ट्रीकल व्हीकल	07AABFY4762C1Z8	AA070320001707R	02-03-2020	11-05-2020	17-06-2020	15756088	15756088	47	121732
31	न्यू अर्चना इंडिया	07AAJFN8319C1ZA	AA070120005884N	03-01-2020	15-01-2020	18-03-2020	2859055	2808220	15	6924
32	पापुलस फुटवियर इंडिया प्रा. लि.	07AABCP6058K1Z5	AA070220032907I	19-02-2020	24-06-2020	16-07-2020	2178753	2178753	88	31517
33	शिवा प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	07ADTPD0250H1ZR	AA0711190531982	22-11-2019	17-12-2019	19-02-2020	1908848	1908848	29	9100
34	स्टार प्रोडक्ट	07ABFPK6441D1ZX	AA071119015601L	08-11-2019	18-12-2019	22-01-2020	1451899	1451899	15	3580
35	ओएसिस एंटरप्राइजेज	07ENLPK4265D2ZV	AA070120054551T	26-01-2020	08-05-2020	08-05-2020	981358	981358	43	6937
36	श्री बरसाना ई व्हीकल्स प्रा.लि.	07AAYCS2594Q1Z2	AA070420007635M	20-04-2020	08-05-2020	08-07-2020	1476932	1476932	19	4613
37	मैंटी एंटरप्राइजेज	07AAHPG8025A1Z7	AA0712190482927	21-12-2019	28-01-2020	20-03-2020	1157351	1157351	30	5707
38	बंसल स्टील इंडस्ट्रीज	07AAJFB1803H1ZT	AA070520000706Q	02-05-2020	10-07-2020	10-07-2020	990000	990000	9	1465
39	ओएसिस एंटरप्राइजेज	07ENLPK4265D2ZV	AA070120054483O	26-01-2020	27-05-2020	27-05-2020	977501	977501	62	9962
40	श्री गणेश इंडस्ट्रीज	07AAGPB8046D1Z2	AA070420010118X	25-04-2020	03-07-2020	08-07-2020	967436	967436	14	2226
41	वाई सी इलेक्ट्रीक व्हीकल	07AABFY4762C1Z8	AA070320022215Z	14-03-2020	05-06-2020	02-07-2020	23035428	22792650	50	187337
42	गंगा सेल्स कॉर्पोरेशन	07AATFG8521D1Z9	AA070320026758B	17-03-2020	06-07-2020	06-07-2020	4680360	4680360	51	39238
43	करण सर्जिकल ईक्युपमैंट	07AEDPB6604E1Z3	AA070420005257Q	15-04-2020	24-06-2020	24-06-2020	2673231	2673231	10	4394
44	शिव ओम इंडिया	07ABZPS9999Q1ZL	AA071219013465B	06-12-2019	31-12-2019	17-02-2020	2272558	2028355	13	4335
45	महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज	07AFXPK1851R1ZI	AA071119064010P	26-11-2019	17-12-2019	28-01-2020	1331022	1331022	3	656
46	ई इंडिया इलैक्ट्रीकल प्रा. लि.	07AADCE8637R1ZV	AA070320024855H	16-03-2020	30-06-2020	30-06-2020	968416	968416	46	7323
47	एमरो फार्मा	07AAOFA2243H1ZL	AA0711190629703	26-11-2019	26-11-2019	08-05-2020	805012	805012	104	13762
48	द्वारका प्रकाश गिनोरिया	07AANPG9917B1ZO	AA070220052229M	27-02-2020	27-02-2020	29-05-2020	776229	776229	32	4083
49	ग्रीन टैक्नोलॉजी	07AUIPK2099P1ZW	AA0704200020163	06-04-2020	17-06-2020	17-06-2020	3897580	3863425	12	7621

50	गंगा प्लास्टिक एंटर.	07AAKPG6996P1ZP	AA070320026811R	17-03-2020	19-06-2020	26-06-2020	2283554	2283554	41	15391
51	बूंद इंजि.एंड डेव. प्राइवेट लि.	07AAECB3092L1ZI	AA071019028134J	17-10-2019	05-06-2020	05-06-2020	2036334	2036334	172	57575
52	अंगीश एंटप	07AGXPG3561F1Z6	AA070120010598N	06-01-2020	09-03-2020	13-03-2020	1245323	1245323	7	1433
53	सिम्बो सिंथेटिक प्रा.लि.	07AARCS3145C1ZD	AA071219006375B	03-12-2019	16-12-2019	12-06-2020	1103553	1103553	132	23946
54	सुभस्ता इंटर.	07CGLPK5469C2Z6	AA070220041215Y	22-02-2020	05-06-2020	05-06-2020	964877	964877	44	6979
55	एस. डी पॉलिमर	07ANRPM4498A1ZN	AA0710190387460	22-10-2019	06-01-2020	06-01-2020	3996421	3996421	16	10511
56	डी एस पॉलिमर	07AQFPS1287C1ZU	AA071119071251G	28-11-2019	17-12-2019	05-02-2020	1122156	1122156	9	1660
57	वाई सी इलेक्ट्रीक व्हीकल	07AABFY4762C1Z8	AA070220049644H	26-02-2020	16-03-2020	05-06-2020	9723724	9723724	40	63937
58	एस. डी पॉलिमर्स	07ANRPM4498A1ZN	AA071019021740L	14-10-2019	11-04-2019	10-01-2020	2177521	2177521	28	10023
59	सुपर इंडिया फुटवियर	07AGTPG8589P1Z3	AA071119068001K	27-11-2019	17-12-2019	04-02-2020	1813710	1813710	9	2683
60	बंसल स्टील इंडस्ट्रीज	07AAJFB1803H1ZT	AA070420013865H	30-04-2020	02-07-2020	02-07-2020	995000	995000	3	491
61	कॉमिल इंनेफोटेक प्रा.लि.	07AAFCC4779G1ZF	AA070120002726U	02-01-2020	04-03-2020	04-03-2020	5166682	5166682	2	1699
62	रेडियस सिस्टम प्रा. लि	07AAECR4370D1ZK	AA0711190068159	05-11-2019	25-02-2020	25-02-2020	3775402	3775402	52	32272
63	पैरामाउंट एंटरप्राइजेज	07AHNPM0279R1ZI	AA070220048681K	26-02-2020	24-06-2020	24-06-2020	567992	567992	59	5509
	कुल						**246836297**			**1478931**

परिशिष्ट 1.14
(पैराग्राफ 1.4.6.3 में संदर्भित)
अनंतिम रिफंड समय के भीतर स्वीकृत नहीं की गई, अनंतिम रिफंड की कम राशि स्वीकृत की गई और अनंतिम रिफंड स्वीकृत नहीं की गई (प्री-ऑटोमेशन)

क्र.सं.	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन संख्या	एआरएन संख्या एवं तिथि	मैनुअल दाखिल के मामले में रिफंड आवेदन दाखिल करने की तिथि	जीएसटी आरएफडी -02 के लिए पावती जारी करने की तिथि	फॉर्म जीएसटी आरएफडी -04 में अनंतिम रिफंड की तिथि	दावा की गई रिफंड राशि	स्वीकृत अनंतिम रिफंड राशि	विलंब की अवधि (दिनों में)
1	एबी इंटरप्राइजेज	07AFBPB3909D1Z3	AA0707190405980	01-10-2019	08-11-2019	27-11-2019	27199510	24479560	35
2	जैना इंडिया प्राईवेट लि.	07AADCJ3491J2ZB	AA071118501036N	07-05-2019	14-05-2019	11-09-2019	18360668	16018613	105
3	के लाइफ साइंसेज प्रा. लि.	07AADCK5555A2ZS	AA070918919882H	19-11-18	01-11-2018	07-01-2019	8643390	7779053	27
4	नोबल वेलनेस प्राईवेट लि.	07AADCN9685J1ZS	AB0703190907120	20-05-2019	30-08-2019	25-10-2019	6296326	5517348	136
5	आर के इंटरप्राइजेज़	07AABFA3806B1Z7	AB0703181287721	09-10-2018	13-02-2019	18-04-2019	4974865	4321284	169
6	के लाइफ साइंसेज प्रा. लि.	07AADCK5555A2ZS	AA070718655094V	01-10-18	10-09-2018	02-11-2018	4956940	4461246	10
7	एम/एस भास्कर बैटरीज़	07AASFB3897Q1ZB	AB070618033848O	03-10-2018	23-10-2018	01-11-2018	2612724	2351452	7
8	एम/एस फाल्कन	07AAAFF5198C1ZK	AB0706181149040	06-12-2018	10-12-2018	24-12-2018	1893958	1704562	14
9	एम/एस फाल्कन	07AAAFF5198C1ZK	AA0704189114372	03-10-2018	30-10-2018	19-11-2018	2954883	2659395	25
10	एम/एस पैरामाउंट प्रोडक्टस प्रा. लि.	07AAACP1213B1ZA	AA070218749627R	29-10-2018	13-06-2019	08-07-2019	4794200	4314780	230
11	एम/एस डाल्फिन इंटरनेशनल प्रा. लि.	07AAACD0159L1ZQ	AB0703181088533	30-08-2018	14-12-2018	28-12-2018	3310298	2979268	98
12	एम/एस माई बाक्स टेक प्रा. लि.	07AAFCM6332F1ZM	AA070718755261Z	24-01-2019	22-07-2019	07-08-2019	3883005	3471608	173
13	प्रकाश एमूयसज़मेंट राईडस एंड वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड़	07AAACP7467P1ZP	AA071017754569T	07-03-2019	03-05-2019	10-06-2019	3756417	3380775	73
14	फारेस्टर रिसर्च इंडिया प्रा. लि.	07AABCF0432D1ZC	AB071217105177D	24-09-2018	21-01-2019	31-01-2019	3530932	3162024	107
कुल							**97168116**	**86600968**	
अनन्तिम रिंफड स्वीकृत नहीं (प्री-ऑटोमेशन)									
1	एम/एस फ्रेकटल	07AJBPC2539G1ZN	AA070118024285F	27-04-19	06-06-2019	स्वीकृत नहीं	438100		लागू नहीं
2	एम/एस रचा ऑटो	07FNIPS4228G1ZP	AA0704196430670	22-05-2019	08-07-2019	स्वीकृत नहीं	1912016	0	लागू नहीं
3	एम/एस सटटस ओवरसीज़	07AKWPS8231M1Z6	AA070618005406A	24-12-2018	24-12-2018	स्वीकृत नहीं	468919	0	लागू नहीं
4	एम/एस कन्हैया लाल,	07AADCK7149L1Z4	AA070719016982T	10-07-2019	17-09-2019	स्वीकृत नहीं	943282	0	लागू नहीं
5	एम/एस यूनिवर्सल आयलफील्डस	07AABCU1844Q1ZW	AA070818591740P	24-09-2018	31-05-2019	स्वीकृत नहीं	948479	0	लागू नहीं

6	रीजेंट इंटरनेशनल	07AJSPA9744J1ZO	AA070819014943V	08-08-2019	08-08-2021	स्वीकृत नहीं	2222968	0	लागू नहीं
7	एम/एस शिवा एंटरप्राइजेज़	07ACAFS2113G1ZM	03-10-2019	03-10-2019	04-10-2019	स्वीकृत नहीं	2632474	0	लागू नहीं
8	एम/एस शिरडी होम	07BPLPK8194Q1ZS	AA0709190522324	23-09-2019	23-09-2019	स्वीकृत नहीं	443678	0	लागू नहीं
9	एम/एस तारा प्रोजेक्ट	07APQPP7067M1ZX	AA071017749872X	09-01-2019	21-01-2019	स्वीकृत नहीं	164451	0	लागू नहीं
10	एम/एस इंडो वर्ल्ड ट्रेडिंग	07AAAFI1511N1ZL	AA0710177611478	07-05-2019	14-09-2019	स्वीकृत नहीं	1898635	0	लागू नहीं
11	एम/एस भास्कर बैट्रीज़	07AASFB3897Q1ZB	AA071018123366E	21-04-2019	21-04-2019	स्वीकृत नहीं	2501340	0	लागू नहीं
12	एम/एस चौधरी इल्लेक्ट्रिकल्स	07AACPC7154P1ZH	AA070418016314G	29-01-2019	28-02-2019	स्वीकृत नहीं	467388	0	लागू नहीं
13	एम/एस इंडको	07AAAFI8920R1ZU	AA070819025713Z	14-08-2019	14-08-2019	स्वीकृत नहीं	447025	0	लागू नहीं
14	एम/एस एनीथिंग मैक प्रा. लि.	07AAACA1065G1Z5	AA0703180356660	20-03-2019	05-12-2019	स्वीकृत नहीं	491010	0	लागू नहीं
15	जियोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड़	07AASCS5817Q1ZC	AA070318052274A	18-06-2019	31-03-2019	स्वीकृत नहीं	99646681	0	लागू नहीं
16	कैपिटल वैंयर्स प्राइवेट लिमिटेड़	07AAFCC1829B1Z4	AA070118770836T	29-01-2019	18-04-2019	स्वीकृत नहीं	30390547	0	लागू नहीं
17	बत्रा एंटरप्राइजेज़	07AAFFB2718P1Z8	AA070218754159X	17-11-2018	29-10-2020	स्वीकृत नहीं	17532137	0	लागू नहीं
18	एंजेलिक इंटरनेशनल लिमिटेड़	07AACCA4675N1ZA	AA070719004949N	05-07-2019	05-12-2019	स्वीकृत नहीं	17396907	0	लागू नहीं
19	बत्रा एंटरप्राइजेज़	07AAFFB2718P1Z8	AB070318155839M	17-11-2018	24-11-2020	स्वीकृत नहीं	16687100	0	लागू नहीं
20	वाहदम टीज़ प्राइवेट लिमिटेड़	07AAECV9825B1ZA	AA070318000247J	15-12-2018	24-01-2019	स्वीकृत नहीं	14152897	0	लागू नहीं
21	इंस्टीट्यूट फार फाईनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च	07AAATI2605P1ZJ	AB0703181204692	27-03-2019	28.08.2020	स्वीकृत नहीं	13980670	0	लागू नहीं
22	रिसर्च ट्रायंगल इंस्टीट्यूट ग्लोबल इंडिया प्रा. लि.	07AAHCR0769F1ZA	AA070619024232E	23-08-2019	30-07-2019	स्वीकृत नहीं	11730141	0	लागू नहीं
23	ओम इंडिया ट्रेडिंग कंपनी प्रा. लि.	07AACCA7130Q1ZG	AA070218747905T	25-10-2018	19-11-2018	स्वीकृत नहीं	11228913	0	लागू नहीं
24	ताज इंटरनेशनल एक्सपोर्टस	07AAXPS6460R1ZD	AB0706181063943	24-11-2018	नहीं पाया गया	स्वीकृत नहीं	9256478	0	लागू नहीं
25	बत्रा एंटरप्राइजेज़	07AAFFB2718P1Z8	AA0710177459050	17-11-2018	20-05-2019	स्वीकृत नहीं	7843638	0	लागू नहीं
26	आपे ट्रेडिंग कार्पोरेशन	07AIYPJ1083C4Z3	AA070818725696I	08-12-2018	28-06-2019	स्वीकृत नहीं	7613757	0	लागू नहीं
27	एम/एस सृजन टेक्नोलॉजीस	07AAGCS9601J1Z4	AA070918162583Q	12-06-2019	नहीं पाया गया	स्वीकृत नहीं	7176898	0	लागू नहीं
28	नेचुरल कन्वर्जेस कंसल्टिंग	07AERPD9805M1ZX	AB071218185582W	25-07-2019	29-07-2019	स्वीकृत नहीं	7098447	0	लागू नहीं
29	इंन्टैक्स	07AAAFI9566K1ZW	AA070817797611M	23-08-2018	28-12-2018	स्वीकृत नहीं	6915216	0	लागू नहीं
30	खन्ना ज्वलर्स प्राइवेट लिमिटेड़	07AAACK4010B1ZE	AA070318108127E	10-09-2019	23-09-2019	स्वीकृत नहीं	6435835	0	लागू नहीं
31	इंटेक्स	07AAAFI9566K1ZW	AB070917077807E	23-08-2018	18-01-2019	स्वीकृत नहीं	6396838	0	लागू नहीं
32	लेक्स आर्बिस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड़	07AABCL0049A1Z7	AA070619043738P	27-06-2019	03-12-2019	स्वीकृत नहीं	6158940	0	लागू नहीं
33	हेरिटेज़ इंडिया एक्सपोर्टस प्राइवेट लिमिटेड़	07AABCH4111P1ZL	AB07061881133176	04-12-2018	20-02-2019	स्वीकृत नहीं	6050205	0	लागू नहीं

34	शिवा यूटेन्सिलस इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड़	07AAMCS3027L1Z2	AA070318030000Z	07-03-2019	04-08-2020	स्वीकृत नहीं	5750000	0	लागू नहीं
35	बेलजाबार साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड़	07AACCB4756B2ZZ	AB070318161531A	06-12-2018	10-08-2020	स्वीकृत नहीं	5673066	0	लागू नहीं
36	के लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड़	07AADCK5555A2ZS	AA070919024741Z	12-09-2019	नहीं पाया गया	स्वीकृत नहीं	5561587	0	लागू नहीं
37	सैफरौन साई इंपेक्स	07AAHPA2482M1ZN	AA0701187676023	19-03-2019	10-05-2019	स्वीकृत नहीं	5214011	0	लागू नहीं
38	सी एंड सी अल्फा ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड़	07AACCC8412B1Z6	AA0703180540479	17-06-2019	05-09-2019	स्वीकृत नहीं	5175609	0	लागू नहीं
39	सनीत स्टील	07AAIPJ5137H1ZQ	AB070318141334C	27-10-2018	11-03-2019	स्वीकृत नहीं	5024264	0	लागू नहीं
40	किंग इंम्पैक्स	07AAPFK7868M1ZA	AA0707187315009	11-12-2018	17-06-2019	स्वीकृत नहीं	5018165	0	लागू नहीं
41	इंटेक्स	07AAAFI9566K1ZW	AB0706180703235	24-10-2018	18-06-2019	स्वीकृत नहीं	4983670	0	लागू नहीं
42	एम/एस ट्रांसटैस इनफोवेज़ प्रा. लि.	07AAACQ1105B1ZA	AA071118604340O	06-06-2019	01-11-2019	स्वीकृत नहीं	6460008	0	लागू नहीं
43	एम/एस ट्रांसटैस इनफोवेज़ प्रा. लि.	07AAACQ1105B1ZA	AB070918023981S	15-11-2018	01-11-2019	स्वीकृत नहीं	5991611	0	लागू नहीं
44	एम/एस होम टैक्स इंटरनेशनल	07AADFH4913L1ZB	AA0709181105717	22-03-2019	30-09-2019	स्वीकृत नहीं	3166145	0	लागू नहीं
45	एम/एस पैटज़ क्रिएशन	07AASFP6347B1ZI	AA071017760819U	23-04-2019	14-08-2019	स्वीकृत नहीं	3273330	0	लागू नहीं
46	एम/एस ली- विपिल जाइंट वैंचर	07AABAL1078R1Z5	AB070318104606A	22-08-2018	24-09-2018	स्वीकृत नहीं	4076381	0	लागू नहीं
47	एम/एस एक्सेल ड्रग्स एंड फार्मास्टयूटीकलस प्राइवेट लिमिटेड़	07AABCV3624M1Z5	AB0709180412418	19-11-2018	28-08-2019	स्वीकृत नहीं	3041700	0	लागू नहीं
48	कॉसमॉस इंटरनेशनल लिमिटेड़	07AACCC7895A1ZN	AAO708177995592₹	22-09-2018	26-10-2018	स्वीकृत नहीं	2961222	0	लागू नहीं
49	कैपिटल वेंचर	07AAFCC1829B1Z4	AA0705180446524	02-04-2019	12-07-2019	स्वीकृत नहीं	4204236	0	लागू नहीं
50	एक्जिम इंटरनेशनल	07AAJPJ0389A1ZZ	AA0708180392432	15-02-2019	22-07-2019	स्वीकृत नहीं	2971053	0	लागू नहीं
51	प्रीटौप टेक (प्रा.) लिमिटेड़	07AAICP3451B1ZQ	AA070918089063S	22-02-2019	22-05-2019	स्वीकृत नहीं	4838529	0	लागू नहीं
52	एक्सेस टेलीवेंचर	07BXJPP6308R1ZN	AA0703180238090	12-02-2019	23-04-2019	स्वीकृत नहीं	3455469	0	लागू नहीं
53	हेरिटेज़ इंडिया एक्सपोर्ट (प्रा.) लि.	07AABCH4111P1ZL	AA070418931975O	03-12-2018	20-02-2019	स्वीकृत नहीं	4014583	0	लागू नहीं
54	हेरिटेज़ इंडिया एक्सपोर्ट (प्रा.) लि.	07AABCH4111P1ZL	AA070718790218N	02-04-2019	07-06-2019	स्वीकृत नहीं	3729914	0	लागू नहीं
55	हेरिटेज़ इंडिया एक्सपोर्ट (प्रा.) लि.	07AABCH4111P1ZL	AA070619028002H	19-06-2019	23-07-2019	स्वीकृत नहीं	3522291	0	लागू नहीं
56	रेनबो क्रिएशंस	07AANFR7660J1ZL	AA070318013161Q	14-01-2019	12-06-2019	स्वीकृत नहीं	2933696	0	लागू नहीं
57	विक्की फ़ैशन	07AVVPD4206D1ZS	AB071218128897O	05-03-2019	26-07-2019	स्वीकृत नहीं	3378604	0	लागू नहीं
58	एक्जिम इंटरनेशनल	07AAJPJ0389A1ZZ	AB0712181297515	06-03-2019	02-09-2019	स्वीकृत नहीं	2961087	0	लागू नहीं
59	पंडित ब्रद्रस	07AAHFP1518K1Z6	AB070318159445X	29-11-2018	25-05-2019	स्वीकृत नहीं	3995609	0	लागू नहीं
60	ताज इंटरनेशनल	07AAXPS6460R1ZD	AA071118500620P	16-01-2019	लागू नहीं	स्वीकृत नहीं	3335174	0	लागू नहीं
61	ताज इंटरनेशनल	07AAXPS6460R1ZD	AA070818021898L	14-01-2019	लागू नहीं	स्वीकृत नहीं	3166561	0	लागू नहीं
62	जी डी एफ एक्सपोर्टस (प्रा.) लि.	07AAFCG5853R1ZV	AA071217016791B	22-02-2019	24-05-2019	स्वीकृत नहीं	2960100	0	लागू नहीं

63	लांबा राइस (प्रा.) लि.	07AABCL6803C1ZX	AA07010181297371	17-05-2019	09-10-2019	स्वीकृत नहीं	2997822	0	लागू नहीं
64	सेम एक्जिम	07AAPPG3527R1Z3	AB071218223639Y	22-05-2019	22-07-2019	स्वीकृत नहीं	3029814	0	लागू नहीं
65	विदुर एक्सपोर्टस	07AAAPA2210L1ZE	AA070318016174G	22-01-2019	07-03-2019	स्वीकृत नहीं	3074646	0	लागू नहीं
66	इंटेक्स	07AAAFI9566K1ZW	AA0705187232447	24-10-2018	18-03-2019	स्वीकृत नहीं	3530974	0	लागू नहीं
67	जैगुआर ओवरसीज़ लि.	07AAACJ0273F1ZY	AA071018095960Z	09-03-2019	12-02-2020	स्वीकृत नहीं	3475616	0	लागू नहीं
68	इंटेक्स	07AAAFI9566K1ZW	AA0711185553446	28-02-2019	18-03-2019	स्वीकृत नहीं	2998537	0	लागू नहीं
69	दयाल सोल्डर्स	07ADGPA2110G1ZE	AA070619039806Q	25-06-2019	16-09-2019	स्वीकृत नहीं	3339665	0	लागू नहीं
70	भास्कर बैटरीज़ इंडिया	07AASFB3897Q1ZB	AA070819006715Y	04-08-2019	लागू नहीं	स्वीकृत नहीं	3340086	0	लागू नहीं
71	भास्कर बैटरीज़ इंडिया	07AASFB3897Q1ZB	AA0708190060178	03-08-2019	लागू नहीं	स्वीकृत नहीं	3427930	0	लागू नहीं
72	धरना ज्वलर्स	07AAAPD2593F1Z2	AA070318029925Y	06-03-2019	03-05-2019	स्वीकृत नहीं	3073651	0	लागू नहीं
73	लांबा राइस (प्रा.) लिमिटेड़	07AABCL6803C1ZX	AA0708190412072	22-08-2019	14-02-2020	स्वीकृत नहीं	3000799	0	लागू नहीं
74	लांबा राइस (प्रा.) लिमिटेड़	07AABCL6803C1ZX	AA0707190029720	02-07-2019	21-07-2020	स्वीकृत नहीं	3029054	0	लागू नहीं
75	बी के एस मोटर्स (प्रा.) लिमिटेड़	07AAACB2590D1Z2	AA071217009315I	18-01-2019	07-03-2019	स्वीकृत नहीं	3933706	0	लागू नहीं
76	गुप्ता इलेक्ट्रिक कॉर्प्रेरिशन	07AAHPG4370J1ZO	AA070818722012D	03-12-2018	20-02-2020	स्वीकृत नहीं	493303	0	लागू नहीं
77	पी जे एस ओवरसीज़ लिमिटेड़	07AAFCP2088R1ZP	AB070718771470W	09-03-2019	18-12-2019	स्वीकृत नहीं	2909903	0	लागू नहीं
78	रीजेंट इंटरनेशनल	07AJSPA9744J1ZO	AA070919013466W	06-09-2019	06-09-2019	स्वीकृत नहीं	3127596	0	लागू नहीं
79	गांधी मेडिकोज़	07AAGPG0572K1ZR	AA070817001163I	05-01-2019	लागू नहीं	स्वीकृत नहीं	3373729	0	लागू नहीं
कुल							**492666516**		

परिशिष्ट 1.15

(पैराग्राफ 1.4.6.3 में संदर्भित)

अनंतिम रिफंड स्वीकृत नहीं (पोस्ट-ऑटोमेशन)

क्र. सं.	निर्धारिती का नांम	जीएसटीआईएन सं	एआरएन सं. और तिथी	एआरएन तिथि	जीएसटी आरएफडी-02 में पावती जारी करने की तिथि	फॉर्म जीएसटी आरएफडी-04 में अनंतिम रिफंड की तिथि	रिफंड स्वीकृति की तिथि	दावा की गई रिफंड राशि	अनंतिम रिफंड राशि स्वीकृत
1	एस एम एस एक्सपोर्टस	07AABFS9700Q1ZP	AA071219022958V	11-12-19	27-12-2019	लागू नहीं	14-01-2020	21092406	शून्य
2	अनुकुल एग्रोटेक प्रा. लि.	07AAFCA1440A1ZH	AA070220002229W	03-02-20	25-02-2020	लागू नहीं	16-03-2020	19379433	शून्य
3	एंजेलिक इंटरनेशनल लिमिटेड़	07AACCA4675N1ZA	AA071019045420L	25-10-19	06-12-2019	लागू नहीं	06-12-2019	17574046	शून्य
4	एंजेलिक इंटरनेशनल लिमिटेड़	07AACCA4675N1ZA	AA0712190219180	10-12-19	17-01-2020	लागू नहीं	17-01-2020	14093094	शून्य
5	संडिया एक्सपोर्टस प्राइवेट लिमिटेड़	07AAMCS6203L1Z2	AA071219063943X	28-12-19	14-02-2020	लागू नहीं	14-02-2020	9703211	शून्य
6	बत्रा एंटरप्राइजेज़	07AAFFB2718P1Z8	AA071019004313R	03-10-19	12-12-2019	लागू नहीं	23-12-2019	9944803	शून्य
7	रेट्रो फुटवियर्स प्राइवेट लिमिटेड़	07AADCR3787M1ZR	AA071119069013E	27-11-19	24-12-2019	लागू नहीं	09-01-2020	8743908	शून्य
8	बत्रा एंटरप्राइजेज़	07AAFFB2718P1Z8	AA071019004281Q	03-10-19	04-12-2019	लागू नहीं	18-12-2019	9795937	शून्य
9	बी टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड़	07AABCC4785E1ZP	AA0710190409537	23-10-19	22-11-2019	लागू नहीं	06-03-2020	7935141	शून्य
10	ग्लोरियस इंटरनेशनल	07BHLPG5333B1ZP	AA070220001507X	03-02-20	28-03-2020	लागू नहीं	05-05-2020	7646988	शून्य
11	अनुकुल एग्रोटेक प्रा. लि.	07AAFCA1440A1ZH	AA070120057405P	28-01-20	04-02-2020	लागू नहीं	13-02-2020	7342542	शून्य
12	ग्लोरियस इंटरनेशनल	07BHLPG5333B1ZP	AA0710190381587	22-10-19	03-12-2019	लागू नहीं	05-12-2019	9705043	शून्य
13	फेरोमोन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विसेज़ इंडिया	07AAJCP8770E1Z3	AA070220002052B	03-02-20	18-02-2020	लागू नहीं	02-03-2020	6707376	शून्य
14	गांधी मेडिकोज़	07AAGPG0572K1ZR	AA0711190784226	30-11-19	14-02-2020	लागू नहीं	14-02-2020	6056780	शून्य
15	एस्को इंटरनेशनल	07AKTPS3047C1ZY	AA071019009460L	06-10-19	22-10-2019	लागू नहीं	12-12-2019	6026635	शून्य
16	हेरिटेज़ इंडिया एक्सपोर्टस	07AABCH4111P1ZL	AA0712190380981	18-12-19	01-01-2020	लागू नहीं	06-02-2020	5843926	शून्य
17	संडिया एक्सपोर्टस प्राइवेट लिमिटेड़	07AAMCS6203L1Z2	AA071119047153E	21-11-19	28-11-2019	लागू नहीं	06-12-2019	5770808	शून्य
18	बत्रा एंटरप्राइजेज़	07AAFFB2718P1Z8	AA071019004236L	03-10-19	22-10-2019	लागू नहीं	28-11-2019	5658232	शून्य
19	जिनिका इंपेक्स	07AMOPJ0658B1Z7	AA0711190575732	24-11-19	09-12-2019	लागू नहीं	27-12-2019	5484462	शून्य
20	गांधी मेडिकोज़	07AAGPG0572K1ZR	AA071119078769I	30-11-19	14-02-2020	लागू नहीं	14-02-2020	5433820	शून्य
21	ई-स्कवायर एलायंस प्रा. लि.	07AAACE9760E1ZN	AA071219047756U	21-12-19	26-02-2020	लागू नहीं	26-02-2020	5288728	शून्य
22	एस्को इंटरनेशनल	07AKTPS3047C1ZY	AA0704200120640	29-04-20	10-07-2020	लागू नहीं	10-07-2020	4838334	शून्य
23	क्राउन ग्लोबल इंटरनेशनल	07IANPK3841Q1ZU	AA070120023059U	11-01-20	11-02-2020	लागू नहीं	11-02-2020	4514420	शून्य

24	एम एम इंपेक्स	07BKSPA0160L1Z5	AA071119018126G	09-11-19	02-12-2019	लागू नहीं	18-12-2019	4044278	शून्य
25	हेरिटेज़ इंडिया एक्सपोर्टस	07AABCH4111P1ZL	AA071219038360E	18-12-2019	01-01-2020	लागू नहीं	09-03-2020	4012228	शून्य
26	हेरिटेज़ इंडिया एक्सपोर्टस	07AABCH4111P1ZL	AA071019013057K	09-10-19	30-10-2019	लागू नहीं	06-12-2019	3948567	शून्य
27	एपोथेकेरीज संडरीज मैन्युफक्चरींग कंपनी	07AAEFA5042J1ZN	AA070220010773T	07-02-20	14-02-2020	लागू नहीं	24-02-2020	3922816	शून्य
28	एपोथेकेरीज संडरीज मैन्युफक्चरींग कंपनी	07AAEFA5042J1ZN	AA0702200141509	10-02-20	04-03-2020	लागू नहीं	17-03-2020	3882041	शून्य
29	एपोथेकेरीज संडरीज मैन्युफक्चरींग कंपनी	07AAEFA5042J1ZN	AA070220019660T	13-02-20	04-03-2020	लागू नहीं	17-03-2020	3788127	शून्य
30	वी के ट्रेडिंग कंपनी	07FGGPK4837Q1ZM	AA070120028569E	14-01-20	02-03-2020	लागू नहीं	02-03-2020	3395861	शून्य
31	चि फार्मा इंडस्ट्रीज़	07AAZFR4634C1ZW	AA070220011707R	07-02-20	19-02-2020	लागू नहीं	28-02-2020	3353772	शून्य
32	फाल्कन	07AAAFF5198C1ZK	AA071219011136K	05-12-19	07-01-2020	लागू नहीं	09-01-2020	3144144	शून्य
33	ग्लोबल फेडिग्रेन प्राइवेट लिमिटेड़	07AAFCG5862N1Z2	AA070120004529Q	03-01-20	19-02-2020	लागू नहीं	10-07-2020	3097548	शून्य
34	एस.के. एक्सपोर्टस	07AAFHS3148L1ZT	AA070220022139T	14-02-20	19-02-2020	लागू नहीं	16-03-2020	3069109	शून्य
35	तन्ना एग्रो इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड़	07AABCT0245J1ZI	AA071219042150N	19-12-19	21-01-2020	लागू नहीं	21-01-2020	3018987	शून्य
36	फाल्कन	07AAAFF5198C1ZK	AA0711190191794	11-11-19	03-01-2020	लागू नहीं	09-01-2020	2982256	शून्य
37	बत्रा एंटरप्राइजेज़	07AAFFB2718P1Z8	AA071019004209I	03-10-19	22-10-2019	लागू नहीं	25-11-2019	3489662	शून्य
38	जी आई जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड़	07AAGCG3332G1ZV	AA0702200091035	06-02-20	21-02-2020	लागू नहीं	04-03-2020	2819803	शून्य
39	लोकधुन टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड़	07AADCL0977H2ZD	AA070320015463T	11-03-20	25-06-2020	लागू नहीं	06-07-2020	2705913	शून्य
40	स्पर इन्फो कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड़	07AATCS2062E1Z9	AA071219066400E	30-12-19	13-03-2020	लागू नहीं	13-03-2020	2653627	शून्य
41	एस.के. एक्सपोर्टस	07AAFHS3148L1ZT	AA071119038334B	18-11-2019	26-11-2019	लागू नहीं	06-12-2019	2698366	शून्य
42	फॉरेस्टर रिसर्च इंडिया प्रा. लि.	07AABCF0432D1ZC	AA071119076394Z	29-11-19	31-12-2019	लागू नहीं	02-03-2020	2498661	शून्य
43	अल्फा ओमेगा एंटरप्राइजेज़	07AAFFA1903P1ZG	AA071219061164B	27-12-19	28-02-2020	लागू नहीं	17-03-2020	2367648	शून्य
44	अल्फा ओमेगा एंटरप्राइजेज़	07AAFFA1903P1ZG	AA070620013332W	09-06-20	10-07-2020	लागू नहीं	10-07-2020	2291122	शून्य
45	फाल्कन	07AAAFF5198C1ZK	AA070220015881P	11-02-20	16-03-2020	लागू नहीं	17-03-2020	2264057	शून्य
46	शिवा एंटरप्राइजेज़	07ACAFS2113G1ZM	AA0712190345349	16-12-19	06-01-2020	लागू नहीं	13-01-2020	2111358	शून्य
47	हार्डिका इंटरनेशनल प्रा.लि.	07AADCH5524N1ZC	AA070220030875J	18-02-20	24-02-2020	लागू नहीं	07-03-2020	2100541	शून्य
48	कैलाश इंजीनियर्स	07AANPK2673E1ZN	AA070120060679B	29-01-20	11-03-2020	लागू नहीं	28-03-2020	2041298	शून्य
49	आर.आर. स्टील इंडस्ट्रीज़	07AHJPK2328R1ZU	AA071219042194B	19-12-19	20-12-2019	लागू नहीं	01-01-2020	2024756	शून्य
50	डेरिक वुड	07AAFFD8494E1Z8	AA070120007726P	04-01-20	10-01-2020	लागू नहीं	13-02-2020	1980833	शून्य
51	राचा ऑटो पार्टस	07FNIPS4228G1ZP	AA071219061403D	27-12-19	09-01-2020	लागू नहीं	14-02-2020	1843490	शून्य
52	नव्या इंटरनेशनल	07AJUPG6667Q1Z2	AA0712190416736	19-12-19	13-01-2020	लागू नहीं	02-03-2020	1823317	शून्य
53	एस.आर.वी. एक्सपोर्टस	07ABFFS2155L1ZY	AA071019013507F	09-10-19	26-11-2019	लागू नहीं	11-12-2019	1875117	शून्य
54	डेरिक वुड	07AAFFD8494E1Z8	AA070120041744P	21-01-2020	28-01-2020	लागू नहीं	19-02-2020	1797410	शून्य
55	आई एफ सी ओवरसीज़	07AAAFI7160H2ZG	AA070120020954P	10-01-20	20-01-2020	लागू नहीं	05-06-2020	1779073	शून्य

56	शिवा एंटरप्राइजेज़	07ACAFS2113G1ZM	AA071219049727T	22-12-19	13-01-2020	लागू नहीं	21-01-2020	1754382	शून्य
57	शिवा एंटरप्राइजेज़	07ACAFS2113G1ZM	AA070120024465S	12-01-20	19-02-2020	लागू नहीं	19-02-2020	1749854	शून्य
58	डेरिक वुड	07AAFFD8494E1Z8	AA070120018334X	09-01-20	29-01-2020	लागू नहीं	27-02-2020	1746416	शून्य
59	एम एम इंपेक्स	07BKSPA0160L1Z5	AA0712190106486	05-12-19	10-01-2020	लागू नहीं	10-01-2020	1695463	शून्य
60	एवलिन लर्निंग सिस्टम	07AADCE3394D1ZS	AA071119042231N	20-11-19	22-01-2020	लागू नहीं	22-01-2020	1688345	शून्य
61	एस.के. एक्सपोर्टस	07AAFHS3148L1ZT	AA070120052767E	25-01-20	04-02-2020	लागू नहीं	20-02-2020	1687534	शून्य
62	ई- स्कवायर एलायंस प्राइवेट लिमिटेड	07AAACE9760E1ZN	AA0712190607731	27-12-19	26-02-2020	लागू नहीं	26-02-2020	1698198	शून्य
63	स्केटस स्टूडियों प्राइवेट लिमिटेड	07AAKCS3339K1ZZ	AA0701200630603	30-01-20	04-02-2020	लागू नहीं	13-07-2020	1649082	शून्य
64	फाल्कन	07AAAFF5198C1ZK	AA070220020658L	13-02-20	20-03-2020	लागू नहीं	05-05-2020	1578051	शून्य
65	एम एच क्यू इंटरनेशनल	07BPAPG2410L1ZA	AA070120037737G	18-01-20	21-01-2020	लागू नहीं	06-02-2020	1452528	शून्य
66	सोर्चहीव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	07AABCV3563H1ZA	AA071219028675Z	13-12-19	02-01-2020	लागू नहीं	27-05-2020	1439119	शून्य
67	डेरिक वुड	07AAFFD8494E1Z8	AA0712190316481	14-12-19	04-01-2020	लागू नहीं	14-01-2020	1435756	शून्य
68	राचा ऑटो पार्टस	07FNIPS4228G1ZP	AA071019040442K	23-10-19	15-11-2019	लागू नहीं	13-12-2019	1430038	शून्य
69	शिवा एंटरप्राइजेज़	07ACAFS2113G1ZM	AA071119020286E	11-11-19	19-02-2020	लागू नहीं	19-02-2020	1412628	शून्य
70	सूर्या इंटरनेशनल	07AAKPP0764G1ZL	AA070220053498C	28-02-20	01-07-2020	लागू नहीं	01-07-2020	1412268	शून्य
71	3 डी एम लग्ज़री एंड लाइफस्टाइल लिप	07AABFZ1526F1ZD	AA0703200031518	03-03-20	29-04-2020	लागू नहीं	29-04-2020	1397818	शून्य
72	डेरिक वुड	07AAFFD8494E1Z8	AA0712190334178	16-12-19	10-01-2020	लागू नहीं	13-02-2020	1330957	शून्य
73	3 डी एम लग्ज़री एंड लाइफस्टाइल लिप	07AABFZ1526F1ZD	AA0711190778310	30-11-19	26-02-2020	लागू नहीं	26-02-2020	1323146	शून्य
74	राजयोग इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	07AAACR7067B1ZK	AA070120059889Z	29-01-20	28-02-2020	लागू नहीं	17-03-2020	1322603	शून्य
75	ई-टूरिस्ट सर्विसेज प्रा. लि.	07AAECE1946J1ZK	AA070320008327Q	05-03-20	08-06-2020	लागू नहीं	08-06-2020	1313801	शून्य
76	ई-टूरिस्ट सर्विसेज प्रा. लि.	07AAACE9760E1ZN	AA071219048252B	21-12-19	26-02-2020	लागू नहीं	26-02-2020	1298809	शून्य
77	ओपियन टेक साल्यूशंस प्रा. लि.	07AABCO9270C1ZJ	AA071119020390N	11-11-19	18-12-2019	लागू नहीं	24-12-2019	1220773	शून्य
78	क्राफ्टसमैन	07ASHPS4089C1ZI	AA0712190058182	03.12.2019	13.01.2020	लागू नहीं	13-01-2020	18418	शून्य
79	हार्डिका इंटरनेशनल प्रा. लि.	07AADCH5524N1ZC	AA0712190252875	12.12.2019	24.12.2019	लागू नहीं	15-01-2020	4836159	शून्य
80	शिवा एंटरप्राइजेज़	07ACAFS2113G1ZM	AA0712190345349	16.12.2019	06.01.2020	लागू नहीं	13-01-2020	2111358	शून्य
81	जे एस बी ट्रेडिंग	07AIOPN9744L1ZD	AA071219053929P	24.12.2019	17.01.2020	लागू नहीं	17-01-2020	168090	शून्य
					कुल			**333577453**	

परिशिष्ट 1.16

(पैराग्राफ 1.4.6.4 में संदर्भित)

रिफंड मामलों की सूची जिसमें कमी देखी गई (अनंतिम रिफंड का अनियमित अनुदान)

निर्धारिति का नाम	जीएसटीआईएन सं.	एआरएन सं. एवं तिथि	जीएसटी आरएफडी-06 प्रपत्र में आदेश की तिथि	अधिक राशि रिफंड की गई		
				आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी
रिचा इंडस्ट्रीज लि.	07AAACR7943J1Z2	AB071218063015E	06-05-2019	3929299	0	0
रिचा इंडस्ट्रीज लि.	07AAACR7943J1Z2	AA0710180772259	06-05-2019	3190430	0	0
रिचा इंडस्ट्रीज लि.	07AAACR7943J1Z2	AA070918078601T	22-05-2019	2417515	0	0
				9537244		

परिशिष्ट 1.17

(पैराग्राफ 1.4.6.5 में संदर्भित)

अधिक रिफंड प्री-ऑटोमेशन

क्र. सं.	नाम	जीएसटीआईएन	एआरएन	रिफंड की अवधि	दाखिल की तारीख	वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का उल्टा/शून्य दर का टर्नओवर (₹)	एफओबी मूल्य	वस्तुओं और सेवाओं की ऐसी उल्टी दर से आपूर्ति पर देय कर (₹)	के अनुसार समायोजित कुल टर्नओवर (₹)				अधिकतम समायोजित टर्नओवर	के अनुसार शुद्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) (₹)				न्यूनतम आईटीसी (₹)	दावा किया गया रिफंड (₹)	स्वीकृतरि फंड (₹)	स्वीकार्य रिफंड राशि (₹)	अधिक रिफंड (₹)
									जीएसटीआर 1	जीएसटीआर 3बी	आरएफ डी 01ए	विवरण 1ए		जीएसटीआर -2ए	जीएसटीआर - 3बी	आरएफडी- 01ए	विवरण- 1ए					
1	मैसर्स वाई सी इलेक्ट्रीक व्हीकल	07AABFY 4762C1Z8	AA07081 9060745P	नवम्बर 18	30-08-2019	102634337		12328837	104887365	104842365	104846365	104846365	104887365	24089077	25559056	25559056	25559056	24089077	12690979	12690979	11242796	1448183
2	मैसर्स नेक्सजेन फुटवियर	07AACCN 4108M1ZF	AA07101 80926814	अक्तूबर 18	03-03-2019	78799594		3939980	112857502	112857502	112857502	112857502	112857502	12429025	13959439	13801599	13801599	12429025	5696600	5696600	4738239	958361
3	मैसर्स नेक्सजेन फुटवियर	07AACCN 4108M1ZF	AA07081 8043977H	अगस्त 18	27-02-2019	51822085		2591104	74285498	74285498	74285498	74285498	74285498	11024580	11639373	11509693	11509693	11024580	5438138	5438138	5099720	338418
4	मैसर्स नेक्सजेन फुटवियर	07AACCN 4108M1ZF	AA07021 9777843N	फरवरी 19	17-05-2019	77994492		3899725	92814896	92814896	92814896	77994492	92814896	9267724	11545718	10433917	10433917	9267724	4868135	4868135	3888157	979978
5	मैसर्स साई प्लास्टिक	07ACJFS8 603E1Z2	AA07031 80029655	07/17- 03/18	22-03-2019	41259627		2062981	37626728	37694768	41259627	41263569	41263569	6748977	6631653	6631652	6631652	6631653	4568671	4588671	4568038	20633
6	मैसर्स मैसर्स नेक्सजेन फुटवियर	07AACCN 4108M1ZF	AB070319 1146082	मार्च 19	21-05-2019	88895462		4444773	117756938	118709320	118709320	88695462	118709320	13879051	10561866	11823445	11823445	10561866	4409213	4409213	3464479	944734
7	एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल	07AEZPB 4000Q1Z6	AA07061 9033494Z	अक्तूबर 18	21-06-2019	30580803		3669697	30743336	30743336	30743336	30743336	30743336	6207977	6592954	7470067	7473742	6207977	3758313	3758313	2505460	1252853
8	मैसर्स एआरवी फुटवियर	07AAFCA 5397J1ZA	AA07111 85455064	नवम्बर 18	18-02-2019	57658865		2882943	65852736	65852736	65852736	65852736	65852736	7207048	7744477	7583583	7711276	7207048	3756400	3756400	3427352	329048

9	मैसर्स रिच इंडस्ट्रीज	07AAACR7943J1Z2	AA0710180772259	अक्तूबर 18	09-02-2019	13547948		1625754	13547948	13547948	13547948	-	13547948	4317394	5310806	5310806	लागू नहीं	4317394	3685052	3544922	2691640	853282
10	मैसर्स डीबी क्रिएशन	07AAHFD4873F1ZD	AB070319131100R	01/19 - 03/19	25-05-2019	36869880		1523840	36758975	36869880	36869880	36869880	36869880	4606240	3997209	4875062	5410739	3997209	3351222	3351222	2473369	877853
11	मैसर्स एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल	07AEZPB4000Q1Z6	AA0705180460368	मई 18	16-04-2019	17429299		2113454	17429299	17379299	17429299	17429299	17429299	5024507	5299343	5299339	5299339	5024507	3185884	3185884	2911053	274831
12	मैसर्स मित्तल पॉलिमर्स	07CAVPM3059G1Z9	AA071118549041G	10/18-11/18	21-02-2019	37030994		1851550	37152518	37182937	37152518	37152518	37182937	4884605	5101680	5041527	5041527	4884605	3173485	3173485	3013095	160390
13	मैसर्स एमआरवी फुटवियर	07AAFCA5397J1ZA	AA0710180828812	अक्तूबर 18	17-02-2019	71622773		3581139	81020700	81020700	81020700	81020700	81020700	7202459	7783755	7572820	7719432	7202459	3113000	3113000	2785877	327123
14	मैसर्स एमआरवी फुटवियर	07AAFCA5397J1ZA	AA070218752809Q	फरवरी 18	06-11-2018	45831759		2291586	51589792	51429916	51589792	51589792	51589792	4388656	4965871	5990760	3400474	3400474	3000000	3000000	729355	2270645
15	मैसर्स वेल्डन फुटवियर	07AADCG3309E1Z1	AA070318000114U	07/17 - 03/18	14-12-2018	117470946		5736947	111837524	111733997	117470946	103029161	117470946	9237046	9284890	9279801	6543421	6543421	2914154	2914154	806474	2107680
16	मैसर्स एमआरवी फुटवियर	07AAFCA5397J1ZA	AA070118768178T	जनवरी 18	06-11-2018	40366561		2018328	44668454	44416265	44668454	44668454	44668454	5275820	5347479	5347479	5457581	5275820	2800000	2800000	2749393	50607
17	मैसर्स फ्रैकटल	07AJBPC2539G1ZN	AA070118024285F	जनवरी 18	27-04-2019	17761764		0	18620508	18620508	17761764	लागू नहीं	18620508	324866	438120	438120	438120	324866	438100	438100	309884	128216
18	मैसर्स रिचा ऑटो	07FNIPS4228G1ZP	AA0704196430670	अप्रैल 19	03-07-2019	7091557		0	7091557	7091557	7091557	लागू नहीं	7091557	1371647	1368408	1912016	लागू नहीं	1368408	1912016	1912016	1368408	543608
19	मैसर्स स्टेटस ओवरसीज	07AKWPS8231M1Z6	AA070618005406A	04/18 - 06/18	24-12-2018	8823265		0	8823265	8702377	8823265	लागू नहीं	8823265	445089	473422	473422	लागू नहीं	445089	468919	468919	445089	23830
20	मैसर्स कन्हैया लाल	07AADCK7149L1Z4	AA070719016982T	11/18 - 01/19	10-07-2019	5060884		0	11834885	12086740	12075363	लागू नहीं	12086740	1935111	2250687	2250689	लागू नहीं	1935111	943282	943282	810258	133024
21	मां शक्ति एक्जिम प्राइवेट लि.	07AAGCM6855J1Z0	AA0711186055491	नवम्बर 18	12-06-2019	14380496	0	1793960	14380496	14380496	14380496	14380496	14380496	1972538	4389381	4389381	1907796	1907796	2595421	2595421	113836	2481585
22	महादेव प्लास्टिक	07BXUPB3036P1ZZ	AA0703180163099	जुलाई 2017-मार्च 2018	22-01-2019	35452449	0	1772628	35452449	35623998	35452449	33385611	35623998	4172580	4235961	4243519	3940253	3940253	2470891	2470891	2148650.53	322240.469

23	सुमेर चन्द एंड सन्स	07AENPB0869D1ZO	AA070318026687X	जुलाई 2017-मार्च 2018	22-02-2019	64489121	0	3226734	64479961	64238509	64489121	57576105	64489121	5438785	5179043	5585643	5034661	5034661	2358909	1969148	1807927	161221
24	मैसर्स एपेक्स इंटरनैशनल	07AUAPK8505E2ZV	AA070319295599D	मार्च-19	16-04-2019	43256100	0	2162805	43256100	43256100	43256100	43256100	43256100	3992866	4518126	4518126	3992866	3992866	2355321	2355321	1830061	525260
25	गंगा प्लास्टिक	07AAKPG6996P1ZP	AA070919047681Q	मई-19	21-09-2019	32780863	0	1639043	34054863	34054863	34054863	34054863	34054863	3956800	3983245	3953942	3952027	3952027	2166981	2166981	2165137.79	1843.20916
26	इको एस्फाल्ट सा	07AXOPM2676H4ZX	AA070319278545R	मार्च-19	15-04-19	43405250	0	2170626	43405250	43405250	43405250	43405250	43405250	3823250.4	4330602	4330602	3823250	3823250	2159976	2159976	1652624	507352
27	साई ग्लोबल सा	07AKWPK1622L1ZR	AA070318042928V	जुलाई 2017-मार्च 2018	29-03-2019	13969939	0	1591031	13975481	13968400	13969939	13969940	13975481	3423418	3934316	3934318	3133148	3133148	2128538	2128538	1540874.55	587663.455
28	आयुष इंटरनैशनल	07AHGPK6252K1Z4	AA071117777147Y	नवम्बर-17	04-11-18	36751168	0	1837558	37352773	37124986	37352773	36225553	37352773	3339016	4058339	3948120	3318507	3318507	2040000	2040000	1427501.02	612498.984
29	एल्कोसिस इंडिया	07AK3633M1ZK	AA070319296578G	मार्च-19	16-04-2019	40785540	0	2039277	40785540	40485540	40785540	40785540	40785540	3263517	4076476	4076476	3263517	3263517	2037190	2037190	1224240	812950
30	सुपर इंडिया फुटवियर	07AGTPG8589P1Z3	AB070319096481V	मार्च-19	17-05-2019	9546738	0	477337	9724488	9724488	9724488	9724488	9724488	2138754	2077489	2514708	1406700	1406700	1991406	1991406	903650.497	1087755.5
31	ट्रेंजड मार्ट प्राइवेट लि.	07AAFCT2542J1ZA	AA0706190359012	फरवरी-19	23-06-2019	37161544	0	1858076	37913401	37161544	37161544	37978162	37978162	2857091	3800148	3800148	2835717	2835717	1942000	1942000	916666.55	1025333.45
32	स्वराज फुटवियर	07ATZPK6101G1ZH	AA070918000811A	अप्रैल-सितम्बर 2018	14-12-2018	35465485	0	1818775	35465485	35465485	35465485	25295627	35465485	3787815	4283562	4201423	3584461	3584461	1817651	1817651	1765686	51965
33	पीजीएस फुटवियर	07AADCP5800D1ZU	AA070919 0140085	मई-19	06-09-2019	31718018	0	1585900	31718018	31718018	31718018	31718018	31718018	3252149	3708156	3471180	3471180	3252149	1885280	1885280	1666249	219031
34	मित्तल पालिमर इंडिया	07CAVPM3059G1Z9	AA070819037439N	मई-19	21-08-19	22169684	0	1108484	22169684	22169684	22169684	22169684	22169684	2814436	3026781	2989775	2934289	2814436	1881291	1881291	1705952	175339
35	महादेव फुटवियर	07AGRPM7638P1ZB	AA070219793174W	फरवरी-19	05-06-2019	17332007	0	866602	17977089	17977089	17977089	17977089	17977089	2334591	2890348	2842643	2839505	2334591	1874037	1874037	1384215.56	489821.442
36	फार्चून सेफ्टी इंडस्ट्रीज	07AOFPS0792C1ZY	AA070418013752B	अप्रैल 18-19	20-01-19	7367853	0	310393	7367853	7367853	7367853	6207853	7367853	2172318	2182519	2182519	1158814	1158814	1870876	1731828	848421	883407
37	एनर्जी इलेक्ट्रीक व्हीकल्स	07AEZPB4000Q1Z6	AA070118015356F	जनवरी-18	18-03-2019	26431071	0	3184029	26684841	26684841	26684841	26654841	26684841	4706555	5472834	5118757	5000657	4706555	1863673	1863673	1477767.16	385905.838

38	जियोनी इंडिया प्राइवेट लि.	07AASCS5817Q1ZC	AA070318052274A	जुलाई 2017 - मार्च 2018	31-03-2019	722925092	0	0	1550164541	1551223209	1043362127	लागू नहीं	1551223209	253653962	282317195	143815139	उपलब्ध नहीं	143815139	99646681	99646681	67022961	32623720
39	ए बी इंटरप्राइजेज	07AFBPB3909D1Z3	AA07071 90405980	फरवरी-18	23-07-2019	20536682	0	0	20536682	20536682	20536682	लागू नहीं	20536682	27050396	27653979	27653979	उपलब्ध नहीं	27050396	27199510	27199510	27050396	149114
40	जैना इंडिया प्राइवेट लि.	07AADCJ3491J2ZB	AA071118501036N	सितम्बर 2018 - नवम्बर 2018	16-01-2019	150011850	149341859	0	2243977209	1899312806	150011850	लागू नहीं	2243977209	278339386	265665780	18360668	उपलब्ध नहीं	18360668	18360668	17798460	1221944.8	16576515.2
41	बत्रा एंटरप्राइजेज	07AAFFB2718P1Z8	AA070218754159X	फरवरी-18	17-11-2018	46964293	0	0	55792061	55792061	55792061	लागू नहीं	55792061	19701176	20827610	20827611	उपलब्ध नहीं	19701176	17532137	17532137	16583933.1	948203.863
42	एंजेलिक इंटरनेशनल लि.	07AACCA4675N1ZA	AA070719004949N	अगस्त-17	03-07-2019	104259051	73157828	0	222360809	483558588	472344934	लागू नहीं	483558588	23587757	19345494	18763016	उपलब्ध नहीं	18763016	17396907	17396907	2838666.36	14558240.6
43	बत्रा एंटरप्राइजेज	07AAFFB2718P1Z8	AB070318155839M	मार्च-18	17-11-2018	62708133	0	0	65192140	70029661	65192140	लागू नहीं	70029661	21649359	17348114	17348113	उपलब्ध नहीं	17348113	16687100	16665396	15534385.9	1131010.12
44	वृहदम टीज प्राइवेट लि.	07AAECV9825B1ZA	AA070318000247J	जुलाई 2017 - मार्च 2018	15-12-2018	182913184	0	0	141068008	55317049	187104607	लागू नहीं	187104607	11245043	11561418	14477208	उपलब्ध नहीं	11245043	14152897	14152897	10993137.2	3159759.78
45	ताज इंटरनैशनल एक्सपोर्टस	07AAXPS6460R1ZD	AB0706181063943	जून-18	24-11-2018	139061807	0	0	145692099	145692099	139368291	लागू नहीं	145692099	8324784	9326592	9326593	उपलब्ध नहीं	8324784	9256478	9256478	8273595.57	982882.427
46	बत्रा एंटरप्राइजेज	07AAFFB2718P1Z8	AA0710177459050	अक्तूबर-17	17-11-2018	34387803	0	0	35461317	35461317	35461317	लागू नहीं	35461317	7772972	8128262	8128261	उपलब्ध नहीं	7772972	7843638	7610042	7537662.23	72379.7676
47	एपे ट्रडिंग कार्पोरेशन	07AIYPJ1083C4Z3	AA070818725696I	अप्रैल - अगस्तust 2018	08-12-2018	33608577	0	0	33608577	33608577	33608577	लागू नहीं	33608577	7150828	7613757	7613757	उपलब्ध नहीं	7150828	7613757	7613757	7150828	462929
48	मैसर्स सृजन टेक्नोलाजीज	07AAGCS9601J1Z4	AA070918162583Q	अप्रैलil 2018 से सितम्बर - 2018	12-06-2019	83587458	0	0	294753412	299393768	104977570	लागू नहीं	299393768	13237510	12928829	12638959	7176899	7176899	7176898	7176898	2003711.53	5173186.47
49	नेचुरल कन्वर्जेन कंसल्टिंग	07AERPD9805M1ZX	AB071218185582W	अप्रैल 2018- से दिसम्बर -2018	05-04-2019	59309115	0	0	60483803	59309115	59309115	लागू नहीं	60483803	9035679	7098449	7098447	उपलब्ध नहीं	7098447	7098447	7098447	6960584.3	137862.702
50	खन्ना ज्वैलर्स प्राईवेट लि.	07AAACK4010B1ZE	AA070318108127E	फरवरी 2018 - मार्च 2018	12-06-2019	183621981	0	0	521842191	448322696	779014887	लागू नहीं	779014887	21696339	27303981	27303981	उपलब्ध नहीं	21696339	6435835	6292619	5114054.7	1178564.3
51	नोबल वेलनेस प्रा.लि	07AADCN9685J1ZS	AB0703190907120	अप्रैल 2018 - मार्च 2019	16-05-2019	81436919	72615544	0	87017183	85078882	85174141	लागू नहीं	87017183	7086540	7064675	6875767	उपलब्ध नहीं	6709829	6296326	6130388	5737804.23	392583.765

52	लेकस आर्बीस कंसल्टिंग प्रा.लि.	07AABCL0049A1Z7	AA070619043738P	जुलाई 2017 - मार्च 2018	27-06-2019	86264092	0	0	191187353	173705394	120188373	लागू नहीं	191187353	11870228	11813983	11277393	-	11277393	6158940	6158940	5088380.86	1070559.14
53	हेरिटेज इंडिया एक्सपोर्टस प्रा.लि.	07AABCH4111P1ZL	AB0706181133176	जून-18	04-12-2018	61757677	0	0	61898257	61898257	61907617	लागू नहीं	61907617	8426795	6077194	6077194	5602346	5602346	6050205	5602346	5588777.14	13568.8595
54	इंटेक्स	07AAAFI9566K1ZW	AA071017734213K	अक्तूबर-17	23-08-2018	45795474	0	0	45795474	45795474	45795474	लागू नहीं	45795474	4266844	5439036	5439036	5439036	4266844	5439036	5439036	4266844	1172192
55	सेफरन साई इंपेक्स	07AAHPA2482M1ZN	AA0701187676023	जनवरी-18	02-11-2018	33560214	23162355	0	34581299	34581299	34581299	लागू नहीं	34581299	4081571	4583933	5372650	उपलब्ध नहीं	4081571	5214011	5065986	2733812.76	2332173.24
56	सी एंड सी अल्फा ग्रुप इंडिया प्रा.लि.	07AACCC8412B1Z6	AA0703180540479	जुलाई 2017 - मार्च 2018	02-04-2019	121992300	0	0	124962304	60445429	124632300	लागू नहीं	124962304	6945035	5747382	5287613	उपलब्ध नहीं	5287613	5175609	5175609	5161941.25	13667.7527
57	पेटज क्रिएशन	07AASFP6347B1ZI	AA071017760819U	अक्तूबर-17	24-04-2019	15498231	0	0	15498231	15498231	15498231	लागू नहीं	15498231	2009537	3273330	3273330	उपलब्ध नहीं	2009537	3273330	3273330	2009537	1263793
58	लृ-विपिल जोइंट वेंचर	07AABAL1078R1Z5	AB070318104606A	नवम्बर-मार्च 17-18	28-08-2018	139573201	0	0	146061497	180152338	139573201	लागू नहीं	180152338	3857517	4076791	4076381	उपलब्ध नहीं	3857517	4076381	4076381	2988615	1087766
59	आई एफ सी ओवरसीज	07AAAFI7160H2ZG	AA070418020859W	अप्रैल-18	14-02-2019	126538735	0	0	131916979	132359723	130122835	लागू नहीं	132359723	791556	3022607	3022607	उपलब्ध नहीं	791556	2939352	817995	756745	61250
60	एक्जिम इंटरनैशनल	07AAJPJ0389A1ZZ	AA0708180392432	अगस्त-18	15-02-2019	31650606	0	0	31650606	31650606	31650606	लागू नहीं	31650606	2966009	3014831	3006443	उपलब्ध नहीं	2966009	3006443	2971053	2966009	5044
61	एक्सेस टेलिवेंचर	07BXJPP6308R1ZN	AA0703180238090	जनवरी-मार्च-18	12-02-2019	30760231	28548009	0	57761130	54612199	57965168	लागू नहीं	57965168	6556457	6531960	6531960	उपलब्ध नहीं	6531960	3466299	3455469	3217009	238460
62	हेरिटेज इंडिया एक्सपोर्ट (प्रा.) लि.	07AABCH4111P1ZL	AA070418931975O	अप्रैल-18	14-12-2018	58117037	57638746	0	58259837	58259837	58259837	लागू नहीं	58259837	2593388	4094950	4094950	उपलब्ध नहीं	2593388	4069245	4014583	2565741	1448842
63	हेरिटेज इंडिया एक्सपोर्ट (प्रा.) लि.	07AABCH4111P1ZL	AA070718790218N	जुलाई-18	11-04-2019	59290760	59101328	0	59440700	59440700	59440700	लागू नहीं	59440700	2083960	3756903	3756903	उपलब्ध नहीं	2083960	3729914	3729914	2072062	1657852

64	हेरिटेज इंडिया एक्सपोर्ट (प्रा.) लि.	07AABCH4111P1ZL	AA070619028002h	अक्तूबर-18	20-06-2019	53793752	53286822	0	53943692	54796623	53943692	लागू नहीं	54796623	2543134	3549281	3549281	उपलब्ध नहीं	2543134	3522291	3522291	2473064	1049227
65	फाल्कन	07AAAFF5198C1ZK	AA07041 89114372	अप्रैल-18	03-10-2018	20312562	0	0	20317462	20317462	20312562	लागू नहीं	20317462	2120183	2955471	2955471	उपलब्ध नहीं	2120183	2954883	2954883	2119672	835211
66	प्रकाश एक्युजमेंट राइडस एंड वल्डस प्रा.लि.	07AAACP7467P1ZP	AA071017754569T	जुलाई-अक्तूबर-17	07-03-2019	23907194	0	0	37387337	33327067	23907194	लागू नहीं	37387337	5187736	5204559	3756417	उपलब्ध नहीं	3756417	3756417	3756417	2402027	1354390
67	एक्जिम इंटरनैशनल	07AAJPJ0389A1ZZ	AB0712181297515	दिसम्बर-18	06-03-2019	61770061	0	0	64972109	62909136	66470609	लागू नहीं	66470609	1826911	3342594	3342594	उपलब्ध नहीं	1826911	2961087	2961087	1697719	1263368
68	ताज इंटरनैशनल	07AAXPS6460R1ZD	AA071118500620P	अक्तूबर-नवम्बर 2018	16-01-2019	589560229	0	0	590175697	590175697	599175707	लागू नहीं	599175707	3201174	3450038	3450040	उपलब्ध नहीं	3201174	3338684	3335174	3149802	185372
69	ताज इंटरनैशनल	07AAXPS6460R1ZD	AA070818021898L	अगस्त-18	14-01-2019	305881282	0	0	306187766	306187766	304008616	लागू नहीं	306187766	2999602	3222162	3222161	उपलब्ध नहीं	2999602	3166561	3166561	2996599	169962
70	लाम्बा राईस (प्रा.) लि	07AABCL6803C1ZX	AA070101812973 71	जून-अक्तूबर-20218	17-05-2019	456447484	0	0	468811921	469138177	468811921	लागू नहीं	469138177	3255701	3079028	3079028	उपलब्ध नहीं	3079028	2997822	2997822	2995737	2085
71	नैक्सजेन फुटवियर प्रा.लि.	07AACCN4108M1ZF	AA070119789558G	जनवरी-19	16-05-2019	22806338	22474965	0	86328779	86328779	86328779	लागू नहीं	86328779	10352002	11295699	11309300	उपलब्ध नहीं	10352002	2987691	2987691	2734792	252899
	कुल																		**450592484**	**445995250**	**328616144**	**117379106**

परिशिष्ट 1.18

(पैराग्राफ सं. 1.4.6.5 में संदर्भित)

अधिक रिफंड (पोस्ट-ऑटोमेशन)

क्र. सं.	नाम	जीएसटीआईएन	एआरएन	रिफंड की अवधि	दाखिल करने की तिथि	वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की शून्य दर का टर्नओवर (₹)	के अनुसार समायोजित कुल टर्नओवर (₹)				विचार की जाने वाली अधिकतम राशि	शुद्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) (₹)				विचार की जाने वाली न्यूनतम राशि	देय कर	स्वीकार्य रिफंड राशि = (माल की आपूर्ति की शून्य दर का टर्नओवर) x शुद्ध आईटीसी + समायोजित कुल टर्नओवर	दावा किया गया रिफंड ₹ में	स्वीकृत किया गया रिफंड ₹ में	अधिक रिफंड
							जीएसटीआर 1	जीएसटीआर 3बी	आरएफडी 01	विवरण 1ए		जीएसटीआर -2ए के अनुसार	जीएसटीआर -3बी के अनुसार	आरएफडी -01 के अनुसार	विवरण 1ए						
1	एंजेलिक इंटरनैशनल लि.	07AACCA4675N1ZA	AA071019045420L	नवम्बर-17	25-10-2019	213680363	449427128	449247128	321274994	लागू नहीं	449427128	14458112	23146933	26423119	लागू नहीं	14458112	0	6874117	17574046	17574046	10699929
2	एंजेलिक इंटरनैशनल लि.	07AACCA4675N1ZA	AA0712190219180	जनवरी-18	10-12-2019	88466019	485624085	489596142	228029266	लागू नहीं	489596142	27173168	36904085	36326241	लागू नहीं	27173168	0	4909969	14093094	14093094	9183125
3	एंजेलिक इंटरनैशनल लि.	07AACCA4675N1ZA	AA0711190745905	दिसम्बर-17	29-11-2019	236381532	987634258	987814258	341095375	लागू नहीं	987814258	14568717	12505459	11900865	लागू नहीं	11900865	0	2847848	8247384	8247384	5399536
4	बीटी इंडिया प्रा.लि.	07AABCC4785E1ZP	AA0710190409537	01/2018-03/2018	23-10-2019	27812783	927548387	924748402	497869894	लागू नहीं	927548387	153683367	155367709	142045038	लागू नहीं	142045038	0	4259258	7935141	7935141	3675883
5	ग्लोरियस इंटरनैशनल	07BHLPG5333B1ZP	AA070220001507X	10/2019-12/2019	03-02-2020	8619016	8619016	8619016	8619016	लागू नहीं	8619016	7437529	7646988	7646990	लागू नहीं	7437529	0	7437529	7646988	7646988	209459

6	अंकुल एग्रोटेक प्रा.लि.	07AAFCA1440A1ZH	AA070120057405P	नवम्बर-19	28-01-2020	60016516	275826040	275826040	275826040	लागू नहीं	275826040	32092533	33750781	33745115	लागू नहीं	32092533	0	6982959	7342542	7296576	313617
7	एस्को इंटरनैशनल	07AKTPS3047C1ZY	AA071019009460L	07/2019-08/2019	06-10-2019	28087577	28087577	28087577	28087577	लागू नहीं	28087577	4342519	4326538	6026635	लागू नहीं	4326538	0	4326538	6026635	6026635	1700097
8	हैरिटेज इंडिया एक्सपोर्ट	07AABCH4111P1ZL	AA0712190380981	अप्रैल-19	18-12-2019	64283793	65133733	65133733	65133733	लागू नहीं	65133733	3239324	5996916	5996916	लागू नहीं	3239324	0	3197054	5843926	5843926	2646872
9	गांधी मैडीकोज	07AAGPG0572K1ZR	AA071119078769I	अक्तूबर-17	30-11-2019	50019168	91061167	94260318	91066143	लागू नहीं	94260318	8149468	9892948	9892948	लागू नहीं	8149468	0	4324509	5433820	5292270	967761
10	इ-स्कवायर एलांयस	07AAACE9760E1ZN	AA071219047756U	अगस्त-19	21-12-2019	13497126	21321287	21321287	21321287	लागू नहीं	21321287	2815610	8354555	8354556	लागू नहीं	2815610	0	1782380	5288728	5241115	3458735
11	एमएम इंपैक्स	07BKSPA0160L1Z5	AA071119018126G	अक्तूबर-19	09-11-2019	32030233	32030233	32030233	32030233	लागू नहीं	32030233	4037004	4044277	4044278	लागू नहीं	4037004	0	4037004	4044278	4044278	7274
12	अपोथकारीज सुंदरा प्रा.लिं	07AAEFA5042J1ZN	AA0702200141509	07/2019-09/2019	10-02-2020	69670551	73702116	73702116	73702116	लागू नहीं	73702116	3998979	4086678	4106680	लागू नहीं	3998979	0	3780232	3882041	3882041	101809
13	गलोबल फैडीग्रेन प्रा.लि.	07AAFCG5862N1Z2	AA070120004529Q	जुलाई-18	03-01-2020	356699065	359757433	359757433	359757433	लागू नहीं	359757433	2977202	3265246	3265246	लागू नहीं	2977202	0	2951892	3097548	3097548	145656
14	एस के एक्सपोर्ट	07AAFHS3148L1ZT	AA070220022139T	अक्तूबर-19	14-02-2020	13396067	13408367	13408367	13408367	लागू नहीं	13408367	2700333	3071926	3071927	लागू नहीं	2700333	0	2697856	3069109	3062150	364294
15	तन्ना एग्रो इंपैक्स प्रा.लि.	07AABCT0245J1ZI	AA071219042150N	जुलाई-19	19-12-2019	642652500	644493653	644493653	644493653	लागू नहीं	644493653	2036746	3167326	3119956	लागू नहीं	2036746	0	2030928	3018987	3018987	988059
16	फाल्कन	07AAAFF5198C1ZK	AA0711190191794	नवम्बर-18	11-11-2019	26557173	26557173	26557173	26557173	लागू नहीं	26557173	2463804	2984052	2982256	लागू नहीं	2463804	0	2463804	2982256	2948896	485092
17	जीजेजी इंडिया प्रा.लि.	07AAGCG3332G1ZV	AA0702200091035	10/2018-12/2018	06-02-2020	21689259	21689259	21689259	21689259	लागू नहीं	21689259	2805627	2842652	2819803	लागू नहीं	2805627	0	2805627	2819803	2818277	12650
18	सुपर इंफो कंसल्टेंसी प्रा. लि.	07AATCS2062E1Z9	AA071219066400E	नवम्बर-17	30-12-2019	63217551	63217551	63217551	63217551	लागू नहीं	63217551	285785	2653627	2653627	लागू नहीं	285785	0	285785	2653627	2653627	2367842
19	एस के एक्सपोर्ट	07AAFHS3148L1ZT	AA071119038334B	07/2019-08/2019	18-11-2019	14625706	14625706	14625706	14625706	लागू नहीं	14625706	2501736	2698365	2698365	लागू नहीं	2501736	0	2501736	2698366	2618745	117009

20	फाल्कन	07AAAFF5198C1ZK	AA070620028423M	मई-19	19-06-2020	15986653	15986653	15986653	15986653	लागू नहीं	15986653	1127016	2563540	2594487	लागू नहीं	1127016	0	1127016	2594487	25,90,080	1463064
21	फाल्कन	07AAAFF5198C1ZK	AA070220015881P	जनवरी-19	11-02-2020	21805003	22016867	22016867	22016867	लागू नहीं	22016867	1972840	2302193	2302193	लागू नहीं	1972840	0	1953856	2264057	2247728	293872
22	कमल एक्सपोर्टस	07AGXPA7169H1ZW	AA0711190706056	अक्तूबर-19	28-11-2019	7480853	7480853	7480853	7480853	लागू नहीं	7480853	1018222	1017645	2094640	लागू नहीं	1017645	0	1017645	2094640	2094640	1076995
23	एलआरवी एक्सपोर्टस	07ABFFS2155L1ZY	AA071019013507F	04/2018-03/2019	09-10-2019	33149580	34710375	36837118	36083320	लागू नहीं	36837118	1953855	2041065	2041067	लागू नहीं	1953855	0	1758267	1875117	1821095	62828
24	डेरिक वुड	07AAFFD8494E1Z8	AA070120041744P	फरवरी-18	21-01-2020	30557732	30557732	30557732	30557732	लागू नहीं	30557732	1651131	1797409	1797409	लागू नहीं	1651131	0	1651131	1797410	1797410	146279
25	डेरिक वुड	07AAFFD8494E1Z8	AA070120018334X	जनवरी-18	09-01-2020	24439383	24439383	24439383	24439383	लागू नहीं	24439383	1496329	1746415	1746416	लागू नहीं	1496329	0	1496329	1746416	1746416	250087
26	एवलिल लर्निंग सिस्टम	07AADCE3394D1ZS	AA071119042231N	04/2018-03/2019	20-11-2019	210009808	210009808	206112948	210009808	लागू नहीं	210009808	1741253	1687116	1733565	लागू नहीं	1687116	0	1687116	1688345	1688345	1229
27	फाल्कन	07AAAFF5198C1ZK	AA070220020658L	फरवरी-19	13-02-2020	19854262	19923112	19923112	19854262	लागू नहीं	19923112	1307128	1581494	1581494	लागू नहीं	1307128	0	1302611	1578051	1571845	269234
28	सोर्स होव इंडिया प्रा.लि	07AABCV3563H1ZA	AA071219028675Z	10/2018-03/2019	13-12-2019	19538473	19538473	5404709	19538473	लागू नहीं	19538473	1422248	1439119	1439119	लागू नहीं	1422248	0	1422248	1439119	1439119	16871
29	राचा ऑटो पार्टस	07FNIPS4228G1ZP	AA071019040442K	07/2019-08/2019	23-10-2019	5870385	5870385	5870385	5870385	लागू नहीं	5870385	1394300	1391580	1430038	लागू नहीं	1391580	0	1391580	1430038	1430038	38458
30	उडी एम लक्जरी एंड लाईफस्टाइल लिप	07AABFZ1526F1ZD	AA0703200031518	नवम्बर-19	03-03-2020	9469452	9912556	9912556	9912556	लागू नहीं	9912556	1417735	1481363	1481364	लागू नहीं	1417735	0	1354360	1397818	1397818	43458
31	राजयोग इंटरनैशनल प्रा.लि	07AAACR7067B1ZK	AA070120059889Z	अगस्त-19	29-01-2020	79540889	79540889	79540889	79540889	लागू नहीं	79540889	1177318	1322603	1322603	लागू नहीं	1177318	0	1177318	1322603	1322603	145285
32	वाई सी इलेक्ट्रिक व्हीकल	07AABFY4762C1Z8	AA070320001707R	जुलाई-19	02-03-2020	124611932	127470571	127470571	127470571	125639571	127470571	27241021	31451679	31451679	31408963	27241021	14956260	11673857	15756088	15756088	4082231
33	टी आर जेड मार्ट प्रा.लि.	07AAFCT2542J1ZA	AA071219021139C	जुलाई-19	10-12-2019	24251852	24251852	24251852	24251852	24489701	24489701	4895679	5421338	5421338	4890736	4890736	1217792	3625444	4203546	4203546	578102

34	न्यू अर्चना इंडिया	07AAJFN8319C1ZA	AA070120005884N	अक्तूबर 19 से नवम्बर 19	03-01-20	14205125	14060125	14320125	14320125	13763830	14320125	3943028	3617210	3617210	2363313	2363313	729106	1615228	2859055	2808220	1192992
35	शिवा प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	07ADTPD0250H1ZR	AA0711190531982	अगस्त-19	22-11-19	7625175	7681287	7681287	7625175	7640861	7681287	1161287	2349545	2290356	1024707	1024707	381508	635713	1908848	1908848	1273135
36	केशव इंडिया फुटवियर प्रा.लि	07AAECK3133F1ZW	AA071119061085B	मई-19	25-11-19	20789724	20789725	20789725	20789725	20789725	20789725	1954745	2372835	2372835	2343908	1954745	1045645	909100	1298264	1286474	377374
37	माहलक्ष्मी इंडस्ट्रीज	07AFXPK1851R1ZI	AA0711190592934	जुलाई-19	25-11-19	9496760	9496760	9496760	9496760	8896060	9496760	1267132	1603276	1603276	1562219	1267132	474838	792294	1128436	1128436	336142
38	कृष्णा प्लास्टिक	07AAAFK3305J1ZN	AA0712190079229	अगस्त-19	04-12-19	10090722	10090722	10090722	10090722	10071864	10090722	1546875	1564158	1564158	1564182	1546875	514936	1031939	1049222	1049222	17283
39	पीएमजे इंटरनैशनल	07ALWPJ2284N1ZA	AA0711190759013	मई-19	29-11-19	7102569	7129770	7102570	7102570	7102570	7129770	1063325	1384953	1384954	1090616	1063325	378392	680876	998000	998000	317124
40	उज्जवल इंटरप्राइजेज	07AZEPC1266B1Z0	AA070120012770Z	जुलाई17 से मार्च.18	07-01-20	45752839	46646732	45706902	45752839	46646732	46646732	6657334	6650783	6650783	6555946	6555946	5566719	863595	990620	990620	127025
41	ओयसिस इंटरप्राइजेज	07ENLPK4265D2ZV	AA070120054551T	दिसम्बर-19	26-01-20	19694240	19694240	19694240	19694240	19694240	19694240	1241014	1966070	1966070	1966073	1241014	984712	256302	981358	981358	725056
42	साइँ कृपा इंटरप्राइजेज	07AAFPA4018B1ZK	AA070919060575O	जून-19	26-09-19	1036614	1036614	1036614	1036614	1036614	1036614	331035	1030586	1030586	1030586	331035	51831	279204	978755	978755	699551
43	बैलवेयर इंटरनैशनल	07HQNPK5319G1ZI	AA070420009579A	फरवरी.20	24-04-20	2965400	2965399	2965400	2965400	2965399	2965400	0	1124600	1124600	1124603	0	148270	-148270	976330	976330	1124600
44	नेती इंटरनैशनल	07AVVPC5549G1Z7	AA070620026357F	फरवरी.20	18-06-20	19560565	19560565	19560565	19560565	19560565	19560565	1952791	1952900	1952900	1952791	1952791	978028	974763	974872	974872	109
45	फिनेक्स इंटरनैशनल	07CEPPK9714Q2ZH	AA0712190663444	नवम्बर.19	30-12-19	3162500	3162500	3162500	3162500	3162500	3162500	159181	9690303	1127566	428137	159181	158125	1056	969442	969442	968386
46	क्रोम्पटन सेल्स कार्पोरेशन	07EUMPK3104D1ZX	AA070520001486N	जुलाई-19	04-05-20	2345700	2345710	2345700	2345700	2345710	2345710	0	1085400	1085400	1085418	0	117286	-117286	968114	968114	1085400
47	रिटरो फुटवियर प्रा.लि	07AADCR3787M1ZR	AA0711190217748	01/2019 से 03/2019	12-11-2019	142598076	190713120	190713120	190713120	142953036	190713120	30764652	29841950	28387434	30011397	28387434	7150177	14075387	18836363	18836363	4760976
48	एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल	07AEZPB4000Q1Z6	AA0712190155582	जुलाई-19	07-12-2019	18459642	18644464	18644464	18644464	18644464	18644464	5052716	5661020	5661020	5660840	5052716	2215158	2787471	3389744	3389744	602273

49	टी आर जेड मार्ट प्रा.लि	07AAFCT2542J1ZA	AA071219021183J	अगस्त-19	10-12-2019	40368129	40368129	40368129	40368129	40617694	40617694	4378134	4929312	4929312	4342895	4342895	2018407	2297804	2910905	2910905	613101
50	नेक्सएज प्रा.लि	07AACCN4108M1ZF	AA0711190547319	अगस्त-19	23-11-2019	45586675	100291583	100303240	100303240	47589618	100303240	9178335	10953759	10695020	9092969	9092969	2279304	1853346	2581460	2581460	728114
51	एस ए इंटरप्राइजेज	07AAHPJ7626G1ZN	AA070120018963K	जनवरी-18	09-01-2020	10274215	10274215	10274215	10274215	10702903	10702903	3175435	3224496	3224496	3224495	3175435	1234041	1814207	1990455	1990455	176248
52	मित्तल पालिमर इंडिया	07CAVPM3059G1Z9	AA0711190317928	अगस्त-19	15-11-2019	16510732	16510732	16510732	16510732	16770042	16770042	2504512	2545395	2517516	2517029	2504512	825536	1640250	1691980	1691980	51730
53	श्री बरसाना इ व्हीकल प्रा.लि	07AAYCS2594Q1Z2	AA070420007635M	अगस्त-19	20-04-2020	12841287	13292098	13354098	13292098	13292098	13354098	1568782	2193479	2193480	2307417	1568782	642064	866475	1476932	1476932	610457
54	आरना इंटरनैशलन प्रा.लि	07AAOCA4399R1ZL	AA071019010645G	11/2017 से 03/2018	07-10-2019	14548006	14548006	14548006	14548006	14548006	14548009	3108010	2832090	2832090	2784832	2784832	1755082	1029749	1077008	1077008	47259
55	ओमिस ट्रैसर प्रा.लि	07GIUPS7291M3ZU	AA0704200046200	मार्च-20	13-04-2020	7920300	7920284	7920300	7920300	87000	7920300	1394498	1394172	1394172	13729	13729	396015	-382286	998156	998156	1380442
56	आर के इंडस्ट्रीज	07ADZPG0870C1ZI	AA071119051479Y	04/2018 से 03/2019	22-11-2019	8881096	8881096	8881096	8881096	8881096	8881096	1466813	1587575	1587575	1577936	1466813	591983	874830	995591	995591	120761
57	ओमिस ट्रेडर्स	07GIUPS7291M3ZU	AA070620004931N	मई-20	04-06-2020	7824066	7824066	7824066	7824066	6713975	7824066	1254284	1386006	1386006	1386006	1254284	391202	863082	994804	994804	131722
58	क्रम्पटन सेल्स कार्पोरेशन	07EUMPK3104D1ZX	AA070420007688B	अप्रैल-19	21-04-2020	3272698	3272698	3272680	3272699	3272699	3272699	0	1145754	1145754	1145149	0	163635	-163635	982119	982119	1145754
59	फिनेक्स इंटरनैशनल	07CEPPK9714Q2ZH	AA0712190264193	सितम्बर-19	12-12-2019	8321950	2354500	2354500	8321950	2354500	8321950	0	9416062	1094111	1082207	0	117725	-117725	976386	976386	1094111
60	आदित्य पालिमर्स	07ATZPA5113C1ZX	AA070520010871P	फरवरी-20	16-05-2020	7807382	7807382	7807382	7807382	7807382	7807382	1358510	1358510	1358510	1323776	1323776	390369	933407	968140	968140	34733
61	श्री गणेश इंडस्ट्रीज	07AAGPB8046D1Z2	AA070420010118X	जनवरी-19	25-04-2020	16322748	18962748	16562748	16562748	16562748	18962748	1686622	1840606	1809798	1841423	1686622	816137	635673	967436	967436	331763
62	वाई सी इलेक्ट्रिक व्हीकल	07AABFY4762C1Z8	AA070320022215Z	अगस्त2019	14-03-2020	164213440	166947628	166947628	166947628	166228128	166947628	28598523	31839703	31828953	31810759	28598523	8233246	19896904	23035428	22792650	2895746
63	गंगा सेल्स कार्पोरेशन	07AATFG8521D1Z9	AA070320026758B	फरवरी 2020	17-03-2020	21888251	21899760	21894945	21899760	20661600	21899760	6204262	5845276	5777809	4558399	4558399	1094413	3461590	4680360	4680360	1218770

64	एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल	07AEZPB4000Q1Z6	AA071219002362M	अगस्त 2019	02-12-2019	19735905	19976357	19976357	19976357	19976357	19976357	4424368	4817958	4892623	4884564	4424368	986795	3384318	3841378	3838974	454656
65	करन सर्जिकल इक्युपमेन्ट	07AEDPB6604E1Z3	AA070420005257Q	फरवरी 2019	15-04-2020	42150350	42150350	42150350	42150350	42140050	42150350	3847577	4832641	4780749	4780749	3847577	2107518	1740059	2673231	2673231	933172
66	गंग प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	07AAKPG6996P1ZP	AA070120028188M	दिसम्बर 2019	14-01-2020	19875210	25469470	25469470	25532710	23123059	25532710	4214324	4168638	4163774	4133856	4133856	993760	2224122	2247411	2247411	23289
67	शिव ओम इंडिया	07ABZPS9999Q1ZL	AA071219013465B	जून 19-सितम्बर-19	06-12-2019	4398500	5598500	5598500	5598500	4398500	5598500	2926504	3604380	3566058	2200877	2200877	529140	1199994	2272558	2028355	828361
68	गंगा सेल्स कार्पोरेशन	07AATFG8521D1Z9	AA070620041105T	मार्च 2020	25-06-2020	21179801	21179801	21179801	21179801	19054954	21179801	4412649	2803918	2797472	2651269	2651269	1058990	1592279	1738482	1738482	146203
69	महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज	07AFXPK1851R1ZI	AA071119064010P	अगस्त 2019	26-11-2019	4772820	4772820	4772820	4772820	4761420	4772820	545942	1569663	1569664	1569663	545942	238641	307301	1331022	1331022	1023721
70	वैट इंडस्ट्रीज	07AAOPB0418K1ZV	AA071219015959S	जुलाई 2020	07-12-2019	16429011	16529011	16529011	16529011	16529011	16529011	1898174	1957309	1926637	1891168	1891168	821451	1058275	1093530	1088269	29994
71	महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज	07AFXPK1851R1ZI	AA0712190087173	सितम्बर 2019	04-12-2019	13859046	13859046	13859046	13859046	13797246	13859046	3205611	1720040	1720040	1710896	1710896	692952	1017944	1025887	1025887	7943
72	शारदा फुटकेयर	07ADMPG9263E1ZE	AA0705200252201	नवम्बर2019	29-05-2020	9322082	9376457	9376457	9376457	9614750	9614750	1437522	1597102	1465367	1465367	1437522	466104	927661	990765	990765	63104
73	श्री जी इंडस्ट्रीज	07AEIPA7057H1ZK	AA070220024616P	जनवरी 2020	15-02-2020	6129535	6129534	6129534	6129535	6129534	6129535	1166681	1296567	1296567	1292959	1166681	306477	860204	990090	990090	129886
74	किंग इंटरनैशलन	07AYAPK9080A1ZO	AA070620004749A	मार्च 2019	03-06-2020	19795880	19795880	19795880	19795880	19795880	19795880	920124	1976980	1976980	1976980	920124	989794	-69670	987186	987186	1056856
75	बावा मसाला कंपनी	07AAAFB6860H1ZJ	AA0711190772627	नवम्बर 2017	30-11-2019	30223746	44360396	43697207	43697208	30441518	44360396	3012409	3670376	3605158	3605158	3012409	1511187	541236	982368	982368	441132
76	सनलाईट इंटरप्राइजेज	07CHPPS0569A2Z5	AA070520004714P	फरवरी 2020	08-05-2020	7853530	7853530	7853530	7853530	7853530	7853530	1368988	1370788	1370788	1370788	1368988	392676	976312	978112	978112	1800
77	पिनाकल पायनियर मैगा स्टोर	07ALHPS0100R3ZV	AA070420010746M	दिसम्बर 2019	27-04-2020	8133660	26008523	8133660	8133660	8133660	26008523	1384189	1381995	1381995	1381995	1381995	406683	25509	975309	975309	949800

78	इ इंडिया इलेक्ट्रिक प्रा.लि	07AADCE8637R1ZV	AA070320024855H	जनवरी-2018 से फरवरी-2018	16-03-2020	28976773	29364198	29364198	29364198	29364198	29364198	3250286	4799807	4505068	4577780	3250286	3477212	-269810	968416	968416	1238226
79	फिलेक्स इंटरनैशनल	07CBIPP2128M1ZC	AA0703200202052	अक्तूबर 2019	13-03-2020	3245100	3075970	3245100	3245100	3075950	3245100	-1036764	7405821	1129701	313804	-1036764	162255	-1199019	967446	967446	2166465
80	नेती इंटरनैशनल	07AVVPC5549G1Z7	AA070620000069Q	अक्तूबर 2018	01-06-2020	19264480	quarterly filing	19264480	19264480	19264480	19264480	909805	1924088	1924088	1924091	909805	963224	-53419	960864	960864	1014283
81	एसजेएम एंटरप्राइजेज	07AABPS4223Q1ZC	AA071119018077B	-	09-11-2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1498836	1498836	1498836
82	मानव फैशन प्रा लि.	07AAJCM3280E1ZJ	AA070120016604W	जून-19	08.01.2020	2426524	2426524	2426524	2426524	2426524	2426524	857172	897292	897292	857156	857156	121326	735830	775966	775966	40136
83	दी होम्स सेन्ट्रीक	07AAMFT5502G1Z6	AA070120023702Z	मई-18	11.01.2020	6720454	6720454	6720454	6720454	6720454	6720454	232123	246839	246839	लागू नहीं	232123	-	232123	246839	246839	14716
84	ग्रीन टेक्नोलाजी	07AUIPK2099P1ZW	AA0704200020163	अप्रैल-19	06.04.2020	42680350	48650431	48650431	48650431	48650431	48650431	*7611205*	7618654	7846004	7845995	*7611205*	2985467	3691738	3897580	3863425	171687
85	बी के इंटरनैशनल	07AADCB0202H1ZE	AA071219005252M	फरवरी.-18	03.12.2019	42243257	42243257	42243257	42243257	42243257	42243257	*3726474*	5563252	5140131	5140131	*3726474*	2190540	1535934	2949591	2949591	1413657
86	आयुश इंटरनैशनल	07AHGPK6252K1Z4	AA071219016998P	जुलाई-19	08.12.2019	17995269	17547565	18035179	18035179	18035179	18035179	*3599520*	3694909	3608230	3694237	*3599520*	899763	2691792	2700482	2700482	8690
87	श्री बालाजी पालिमर्स	07ABSFS3870R1Z1	AA070120044580U	अक्तूबर-19	22.01.2020	14155497	11619079	14155497	14155497	717228	14155497	1687760	1746829	1746829	*1292391*	*1292391*	720717	571674	998233	998233	426559
88	श्री बालाजी पालिमर्स	07ABSFS3870R1Z1	AA0711190378235	मई-19	18.11.2019	12752521	12752521	12752521	12752521	12754754	12752521	*1594734*	1716023	1716024	1704767	1594734	642715	952019	997120	997120	45101
89	अशोक प्लास्टिक	07AAGPJ0131K1Z1	AA071219019060N	जुलाई से सितम्बर-18	09.12.2019	10684234	10782473	10776283	10705834	10684234	10705834	1452079	1614965	1614965	*1320572*	*1320572*	534218	783690	995000	995000	211310
90	भवानी ट्रेडिंग कंपनी.	07DIAPS7381K1ZO	AA070720000148Q	अक्तूबर-19	01.07.2020	6962800	6962800	6962800	6962800	6962800	6962800	528205	2513578	2513578	528205 *(आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किया गया कर के अनुसार=* ***409602****)*	*409602*	1253304	***0***	991230	991230	991230

91	दुर्गा इंटरप्राइजेज	07FUFPK0122P1ZI	AA0712190663262	सितम्बर-19	30.12.2019	3128060	3128060	3128060	3128060	3128060	3128060	1136351	12404633	1136351	563414 *(आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किया गया कर के अनुसार=* ***343053****)*	343053	156403	186650	979948	979948	793298
92	विक्टर	07ALWPG3733B3Z4	AA071219026018D	अक्तूबर-19	12.12.2019	6280560	3075970	3080970	6280560	3080970	6280560	180	7411060	1130500	1130500 (आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किया गया कर के अनुसार= ***शून्य)***	0	154048	0	976452	976452	976452
93	ग्लोबल इंटरप्रा.	07AAEHG9542D1ZD	AA070520004655L	जनवरी-20	08.05.2020	8568922	8568922	8568922	8568922	8568922	8568922	*1357937*	1404071	1404072	1404072	*1357937*	428446	929491	975626	975626	46135
94	विक्टर एंटरप्राइ.	07ALWPG3733B3Z4	AA071219008250N	सितम्बर-19	04.12.2019	8695618	3980970	3980970	8695618	3980970	8695618	*0*	9868871	1173254	1457211	*0*	199048	0	974206	974206	974206
95	निति इंटरप्रा.	07AVVPC5549G1Z7	AA070620000086U	नवम्बर-18	01.06.2020	19421910	19421910	19421910	19421910	19421710	19421910	*931260*	1941194	1941194	1941196	*931260*	971095	0	970099	970099	970099
96	नेक्सजेन फुटवियर प्रा लि.	07AACCN4108M1ZF	AA071119054423C	जुलाई-19	23.11.19	54554686	93961288	93961288	93961288	58546676	93961288	*9271027*	10207013	9853692	9638431	*9271027*	2727734	2655099	2993400	2993400	338301
97	गंगा प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	07AAKPG6996P1ZP	AA071119077836Q	अक्तूबर-19	30.11.19	20534658	21887962	21891029	21887958	19564771	21887958	4114355	4110268	4036776	4029353	*4029353*	1026733	2753491	2760455	2760455	6964
98	पी.जी.एस फुटवियर प्रा लि.	07AADCP5800D1ZU	AA071219067676Q	जुलाई-19	31.12.19	26685602	26685602	26685602	26685602	26772303	26772303	*3293858*	4183763	3793352	3802696	*3293858*	1334280	1948911	2459072	2459072	510161
99	बी के इंटरनेशनल प्रा.लि	07AADCB0202H1ZE	AA071219004103S	जनवरी-18	03.12.19	49654872	49665024	49654872	49654872	49675176	49675176	*3600715*	5254455	4809291	4809283	*3600715*	2932545	666698	1876746	1876746	1210048
100	गंगा सेल्स कार्पोरेशन	07AATFG8521D1Z9	AA071119010713J	सितम्बरा.-19	06.11.19	20014188	20014188	20014188	20014188	18680064	20014188	2652223	2513858	2423502	*2284976*	*2284976*	1000709	1284267	1422793	1422793	138526
101	वेलफेयर फुटवियर प्रा.लि	07AADCG3309E1Z1	AA071119078686O	मई-19	30.11.19	18481603	18855444	18855444	18855444	20415791	20415791	*2095945*	2237467	2237467	2283523	2095945	924080	973296	1269025	1269025	295729

102	राजेश प्लास्टिक	07AAFPP7742K1Z9	AA0712190455833	नवम्बर-दिसम्बर 18	20.12.19	11044992	11044992	11044992	11044992	11044992	11044992	1647970	1603183	1603184	*1590174*	*1590174*	555889	1034285	1047294	1047294	13009
103	अजय प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	07AAIPP6277C1ZJ	AA0709190638789	अगस्त-19	28.09.19	7273954	7273954	7273954	7273954	7273954	7273954	*1357668*	1485010	1485010	1485011	*1357668*	363697	993971	998954	998954	4983
104	करण सर्जिकल इक्युइपमैन्ट	07AEDPB6604E1Z3	AA071219056259X	मई-18	25.12.19	13969500	13969500	13969500	13969500	13066000	13969500	*1427613*	1741270	1741271	1728243	*1427613*	698475	729138	995000	995000	265862
105	एसबीजे सेल्स कार्पोरेशन	07HFPPS4236M1ZK	AA070320037093S	फरवरी-20	21.03.20	1861350	1861350	1861350	1861350	1861350	1861350	*0*	1099160	1099160	1099160	*0*	93067	0	993160	993160	993160
106	लिबरा फुटवियर	07IIWPK0523G1Z0	AA070320040669C	फरवरी-20	28.03.20	2175010	2175010	2175000	2175010	2027760	2175010	1099160	1099000	1099000	*1084535*	*1084535*	108750	975785	990249	990249	14464
107	दुर्गा एंटरप्राजेज	07FUFPK0122P1ZI	AA070120052772N	अक्तूबर-19	25.01.20	3145843	3118060	3118060	3145843	3118060	3145843	*153798*	9590629	1129604	423326	*153798*	155903	0	972312	972312	972312
108	एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स	07AEZPB4000Q1Z6	AA070220019566J	अक्तूबर-19	13.02.2020	34367422	34578666	34578666	34578666	34578666	34578666	*4159613*	4755704	4755704	4755701	*4159613*	1718371	2415831	29885358	2988538	572707
109	एसडी पालिमर्स	07ANRPM4498A1ZN	AA071019021740L	अप्रैल-19	14.10.2019	31980732	35487625	35487876	35487876	33614498	35487876	*3993436*	4278019	4166243	4380554	*3993436*	1576986	2021793	2177521	2177521	155728
110	पापुलर फुटवियर इंडिया प्रालि	07AABCP6058K1Z5	AA0712190393281	जुलाई-19	18.12.2019	26512852	27732207	27732207	27732207	27726953	27732207	*2388353*	3119418	3030766	3119107	*2388353*	1325643	957697	1571864	1571864	614167
111	श्री बालाजी पालिमर्स	07ABSFS3870R1Z1	AA071219039538W	जुलाई-19	8.12.2019	10683699	10683699	10683699	10683699	10683700	10683699	*1595122*	1663118	1663120	1622298	*1595122*	541266	1053856	1121853	1121853	67997
112	श्री श्याम फुटवियर	07AGWPH0963M1ZR	AA071019012750L	अप्रैल-19	09.10.2019	5712584	5712584	5712584	5712584	5712584	5712584	*1238731*	1283467	1283079	1273388	*1238731*	285629	953102	997450	997450	44348
113	कार्पोरेशन सेल्स	07EUMPK3104D1ZX	AA070520027627D	अगस्त-19	31.05.2020	1845500	1845505	1845500	1845500	1845500	1845500	*0 (आपूर्तिकर्ता ने कोई रिटर्न नहीं भरा और डीलर को रद्द कर दिया)*	1092000	1092000	1092006	0	99500	0	992000	992000	992000

114	किंग इटरप्राजेज	07AYAPK 9080A1ZO	AA070620 003139O	अक्तूबर-18	02.06.2020	19613950	19613950	196139 50	19613950	196139 50	19613950	*946969*	1956584	1956584	1956584	*946969*	980697	0	975887	975887	975887
115	दुर्गा इटंरप्राजेज	07FUFPK0 122P1ZI	AA070120 054754J	नवम्बर-19	26.01.2020	3145843	3145843	3145843	3145843	3145843	3145843	158125	9689214	1129604	158125 *(आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किया गया कर के अनुसार- शून्य)*	158125	157292	833	972312	972312	971479
116	गणपति पलेट्स	07AAAFG 7245D1ZP	AA071119 022167E	अक्तूबर से मार्च 2018-19	12.11.2019	10095340	10095340	102453 40	10245340	102453 40	10245340	1468387	1497392	1497395	*1467693*	*1467693*	504767	941438	970705	970705	29267
117	फिनेक्स इंटरनेशनल	07CEPPK9 714Q2ZH	AA071219 006869U	अगस्त. 19	3.12.2019	8701950	2854500	2854500	8701950	2854500	8701950	1362308	9812462	1110513	1110513 *(आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किया गया कर के अनुसार - शून्य)*	0	142725	0	967788	967788	967788
118	वेलडन फुटवियर प्रा.लि.	07AADCG 3309E1Z1	AA070120 007988B	जुलाई-19	04.01.2020	10622909	12403972	118484 60	12378829	141210 12	14121012	*1349199*	1740329	1740330	1419085	1349199	531145	483826	962321	962321	478495
119	कमल एक्सपोरट	07AGXPA 7169H1ZW	AA071019 009431M	जून-18	06.10.2019	3990764	3990764	3990764	लागू नहीं	लागू नहीं	3990764	835925	250453	1117414		250453	इएक्सड ब्ल्यूओपी	250453	1117414	1117414	866961
120	रेडियस सिस्टम प्रा.लि	07AAECR 4370D1ZK	AA071119 0068159	मार्च-19	05.11.2019	22436943	64214114	866510 57	64214113	223876 91	86651057	108524 00	10836748	10828901		10828901	एसइजेडड ब्ल्यूओपी	2803975	3775402	3775402	971427
																		215748827	350738235	322812430	1070636 03

परिशिष्ट 1.19

(पैराग्राफ 1.4.6.8 (i) में संदर्भित)

जीएसटीआर-2ए प्रस्तुत नहीं किया गया

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	एआरएन	एआरएन तिथि	राशि_रिफंड_दावा
1	07AAFFB2718P1Z8	AA071019004313R	03-10-19	9944803
2	07AAFFB2718P1Z8	AA071019004281Q	03-10-19	9795937
3	07AABCC4785E1ZP	AA0710190409537	23-10-19	7935141
4	07BHLPG5333B1ZP	AA0710190381587	22-10-19	9705043
5	07AKTPS3047C1ZY	AA071019009460L	06-10-19	6026635
6	07AABCH4111P1ZL	AA0712190380981	18-12-19	5843926
7	07AAMCS6203L1Z2	AA071119047153E	21-11-19	5770808
8	07AAFFB2718P1Z8	AA071019004236L	03-10-19	5658232
9	07AAACE9760E1ZN	AA071219047756U	21-12-19	5288728
10	07IANPK3841Q1ZU	AA070120023059U	11-01-20	4514420
11	07BKSPA0160L1Z5	AA071119018126G	09-11-19	4044278
12	07AABCH4111P1ZL	AA071219038360E	18-12-19	4012228
13	07AABCH4111P1ZL	AA071019013057K	09-10-19	3948567
14	07AAZFR4634C1ZW	AA070220011707R	07-02-20	3353772
15	07AAAFF5198C1ZK	AA071219011136K	05-12-19	3144144
16	07AAAFF5198C1ZK	AA0711190191794	11-11-19	2982256
17	07AAFFB2718P1Z8	AA071019004209I	03-10-19	3489662
18	07AATCS2062E1Z9	AA071219066400E	03-10-19	2653627
19	07AAAFF5198C1ZK	AA070620028423M	19-06-20	2594487
20	07AAFFA1903P1ZG	AA071219061164B	27-12-19	2367648
21	07AAAFF5198C1ZK	AA070220015881P	11-02-20	2264057
22	07ACAFS2113G1ZM	AA0712190345349	16-12-19	2111358
23	07AGXPA7169H1ZW	AA0711190706056	28-11-19	2094640
24	07AHJPK2328R1ZU	AA071219042194B	19-12-19	2024756
25	07AAFFD8494E1Z8	AA070120007726P	04-01-20	1980833
26	07FNIPS4228G1ZP	AA071219061403D	27-12-19	1843490
27	07AJUPG6667Q1Z2	AA0712190416736	19-12-19	1823317
28	07ABFFS2155L1ZY	AA071019013507F	09-10-19	1875117
29	07AAFFD8494E1Z8	AA070120041744P	21-01-20	1797410
30	07ACAFS2113G1ZM	AA071219049727T	22-12-19	1754382
31	07ACAFS2113G1ZM	AA070120024465S	12-01-20	1749854
32	07BKSPA0160L1Z5	AA0712190106486	05-12-19	1695463
33	07AADCE3394D1ZS	AA071119042231N	20-11-19	1688345
34	07AAACE9760E1ZN	AA0712190607731	27-12-19	1698198
35	07AAAFF5198C1ZK	AA070220020658L	13-02-20	1578051
36	07AAFFD8494E1Z8	AA0712190316481	14-12-19	1435756
37	07FNIPS4228G1ZP	AA071019040442K	23-10-19	1430038
38	07ACAFS2113G1ZM	AA071119020286E	11-11-19	1412628
39	07AABFZ1526F1ZD	AA0711190778310	30-11-19	1323146
40	07AAECE1946J1ZK	AA070320008327Q	05-03-20	1313801
41	07AAACE9760E1ZN	AA071219048252B	21-12-19	1298809
42	07AABFY4762C1Z8	AA070320001707R	02-03-20	15756088
43	07AAAPK2778D1ZW	AA0712190183195	09-12-19	3130000
44	07AAJFN8319C1ZA	AA070120005884N	03-01-20	2859055
45	07AAHCA6753A1ZX	AA071219005563D	03-12-19	1673695
46	07ABFPK6441D1ZX	AA071119015601L	08-11-19	1451899
47	07AAECK3133F1ZW	AA071119061085B	25-11-19	1298264
48	07AAAFK3305J1ZN	AA0712190079229	04-12-19	1049222
49	07ALWPJ2284N1ZA	AA0711190759013	29-11-19	998000
50	07AZEPC1266B1Z0	AA070120012770Z	07-01-20	990620
51	07AIHPG4818P1ZU	AA070220033612W	19-02-20	990000
52	07ADMPG9263E1ZE	AA070120023616S	11-01-20	984839
53	07ENLPK4265D2ZV	AA070120054551T	26-01-20	981358
54	07AAFPA4018B1ZK	AA070919060575O	26-09-19	978755
55	07HQNPK5319G1ZI	AA070420009579A	24-04-20	976330
56	07ALWPG3733B3Z4	AA071119018399Z	10-11-19	970906
57	07CEPPK9714Q2ZH	AA0712190663444	30-12-19	969442
58	07AMEPM5462A1ZC	AA0711190505094	22-11-19	966601
59	07AADCR3787M1ZR	AA0711190217748	12-11-19	18836363
60	07AEZPB4000Q1Z6	AA071219042867U	19-12-19	4634766
61	07AEZPB4000Q1Z6	AA0712190155582	07-12-19	3389744
62	07AABCC1919J1ZS	AA071119000508G	01-11-19	2204072
63	07CAVPM3059G1Z9	AA0711190317928	15-11-19	1691980

64	07AAYFR9506J1ZD	AA071119050701G	22-11-19	1328762
65	07AAOCA4399R1ZL	AA071019010645G	07-10-19	1077008
66	07ADZPG0870C1ZI	AA071119051479Y	22-11-19	995591
67	07AAIPP6277C1ZJ	AA071119000230Z	01-11-19	990625
68	07ENLPK4265D2ZV	AA070120054483O	26-01-20	977501
69	07CEPPK9714Q2ZH	AA0712190264193	12-12-19	976386
70	07FOEPM6235J1ZN	AA071119063767T	26-11-19	975292
71	07AUAPN1495J1ZF	AA070720014344O	07-07-20	970006
72	07AEZPB4000Q1Z6	AA071219002362M	02-12-19	3841378
73	07CAVPM3059G1Z9	AA071119031890A	15-11-19	1488048
74	07ABSFS3870R1Z1	AA0712190394940	18-12-19	1193352
75	07ADMPG9263E1ZE	AA070120025950S	13-01-20	998169
76	07ADUPK7362E1Z6	AA070220048310Z	26-02-20	996520
77	07ADMPG9263E1ZE	AA0705200252201	29-05-20	990765
78	07FOEPM6235J1ZN	AA070120007790U	04-01-20	974010
79	07AASPK3650Q1ZY	AA070620019303R	13-06-20	971815
80	07BNPPS3697N1ZS	AA071119000142W	01-11-19	970014
81	07CBIPP2128M1ZC	AA0703200202052	13-03-20	967446
82	07BISPK7409Q1ZB	AA071219049758O	22-12-19	554762
83	07AAJCM3280E1ZJ	AA070120016604W	08-01-20	775966
84	07AAJCM3280E1ZJ	AA0701200177100	09-01-20	838896
85	07ELKPS1062PDZ3	AA070120024000G	11-01-20	873372
86	07ASHPS4089C1ZI	AA0712190058182	03-12-19	18418
87	07ACAFS2113G1ZM	AA0712190345349	16-12-19	2111358
88	07AEYPJ9369P1Z3	AA071219042989M	19-12-19	210677
89	07AIOPN9744L1ZD	AA071219053929P	24-12-19	168090
90	07AAMFT5502G1Z6	AA070120023702Z	11-01-20	246839
91	07AAKCM4547M1ZX	AA070120042434V	21-01-20	373850
92	07AERPA2261E1ZT	AA0712190576811	26-12-19	6264033
93	07AADCB0202H1ZE	AA071219005252M	13-12-19	2949591
94	07AAECB3092L1ZI	AA071019028134J	17-10-19	2036334
95	07AADCB0202H1ZE	AA0712190057291	03-12-19	1752065
96	07AABCC1919J1ZS	AA071219060240K	27-12-19	1343183
97	07AGXPG3561F1Z6	AA070120010598N	06.01.2020	1245323
98	07AARCS3145C1ZD	AA071219006375B	03.12.2019	1103553
99	07ABSFS3870R1Z1	AA070120044580U	22.01.2020	998233
100	07ABSFS3870R1Z1	AA0711190378235	18.11.2019	997120
101	07DIAPS7381K1ZO	AA070720000148Q	01.07.2020	991230
102	07AAKPG6996P1ZP	AA070720007295I	03.07.2020	987797
103	07FUFPK0122P1ZI	AA0712190663262	30.12.2019	979948
104	07ALWPG3733B3Z4	AA071219026018D	12.12.2019	976452
105	07AAEHG9542D1ZD	AA070520004655L	08.05.2020	975626
106	07ALWPG3733B3Z4	AA071219008250N	04.12.2019	974206
107	07IIWPK0523G1Z0	AA070320022554R	14.03.2020	972025
108	07AVVPC5549G1Z7	AA070620000086U	01.06.2020	970099
109	07CGLPK5469C2Z6	AA070220041215Y	22.02.2020	964877
110	07GIKPK9480G1ZO	AA070120009457O	06.01.2020	961512
111	07AADCB0202H1ZE	AA071219004103S	03.12.19	1876746
112	07AAMFJ0020F1ZV	AA071219057187Z	26.12.19	1574792
113	07AATFG8521D1Z9	AA071119010713J	06.11.19	1422793
114	07AADCG3309E1Z1	AA071119078686O	30.11.19	1269025
115	07AQFPS1287C1ZU	AA071119071251G	28.11.19	1122156
116	07AAFPP7742K1Z9	AA0712190455833	20.12.19	1047294
117	07AAIPP6277C1ZJ	AA0709190638789	28.09.19	998954
118	07AHDPG6202A1Z6	AA070520020292V	25.05.20	997522
119	07HFPPS4236M1ZK	AA070320037093S	21.03.20	993160
120	07IIWPK0523G1Z0	AA070320040669C	28.03.20	990249
121	07EGMPM1355J3Z0	AA0707200202004	09.07.20	984790
122	07AUAPN1495J1ZF	AA0706200223010	16.06.20	978310
123	07BRVPM1251L1ZA	AA0711190008189	01.11.09	976048
124	07AESPG3092G2ZA	AA071019030340S	18.10.19	974733
125	07FUFPK0122P1ZI	AA070120052772N	25.01.20	972312
126	07DRGPK7960D2ZL	AA071119000262S	01.11.19	970888
127	07ADEPK4861A2ZV	AA071019030286E	18.10.19	966240
128	07KSOPS9788F1ZF	AA070520010558J	16.05.20	962598
129	07AEZPB4000Q1Z6	AA070220019566J	13.02.2020	2988498
130	07ANRPM4498A1ZN	AA071019021740L	14.10.2019	2177521
131	07AGWPH0963M1ZR	AA071019012750L	09.10.2019	997450
132	07IRZPK3060A1ZL	AA070120054281W	26.01.2020	990204
133	07AAIPP6277C1ZJ	AA071119050314H	22.11.19	979033
134	07ADEPK4861A2ZV	AA070220002695P	04.02.2020	984326

135	07AHVPA8120B2ZM	AA070520009575G	15.05.2020	980000
136	07AYAPK9080A1ZO	AA070620003139O	02.06.2020	975887
137	07ALHPS0100R3ZV	AA0702200252603	15.02.2020	974604
138	07FUFPK0122P1ZI	AA070120054754J	26.01.2020	972312
139	07AAAFG7245D1ZP	AA071119022167E	12.11.2019	970705
140	07CGBPS1991K1ZX	AA071019030405K	18.10.2019	968852
141	07CEPPK9714Q2ZH	AA071219006869U	3.12.2019	967788
142	07BRVPM1251L1ZA	AA071119060116F	25.11.2019	965936
143	07AADCG3309E1Z1	AA070120007988B	06.01.2020	962321
144	07AAGCM6855J1Z0	AA0711186055491	12-06-2019	2595421
145	07AHGPK6252K1Z4	AB071217123114N	05-11-2018	2574000
146	07BXUPB3036P1ZZ	AA0703180163099	22-01-2019	2470891
147	07AUAPK8505E2ZV	AA070319295599D	16-04-2019	2355321
148	07AXOPM2676H4ZX	AA0702193647016	18-03-2019	2289992
149	07AXOPM2676H4ZX	AA070319278545R	15-04-2019	2159976
150	07AUAPK8505E2ZV	AA0702193552728	18-03-2019	2120925
151	07AHGPK6252K1Z4	AA071117777147Y	04-11-2018	2040000
152	07Aसितम्बरK3633M1ZK	AA070319296578G	16-04-2019	2037190
153	07AAGCM6855J1Z0	AB070917116708Q	20-04-2019	2009733
154	07ATZPK6101G1ZH	AA070918000811A	14-12-2018	1817651
155	07AOFPS0792C1ZY	AA070418013752B	20-01-2019	1870876
156	07AASCS5817Q1ZC	AA070318052274A	31-03-2019	99646681
157	07AACCA4675N1ZA	AA070719004949N	03-07-2019	17396907
158	07AAECV9825B1ZA	AA070318000247J	15-12-2018	14152897
159	07AADCK5555A2ZS	AA070918919882H	01-11-2018	8643390
160	07AERPD9805M1ZX	AB071218185582W	05-04-2019	7098447
161	07AAMCS3027L1Z2	AA070318030000Z	07-03-2019	5750000
162	07AADCK5555A2ZS	AA070919024741Z	12-09-2019	5561587
163	07AAAFI9566K1ZW	AA071017734213K	23-08-2018	5439036
164	07AACCC8412B1Z6	AA0703180540479	02-04-2019	5175609
165	07AAPFK7868M1ZA	AA0707187315009	11-12-2018	5018165
166	07AAAFI9566K1ZW	AB0706180703235	24-10-2018	4982974
167	07AADCK5555A2ZS	AA070718655094V	10-09-2018	4956940
	कुल			**511446569**

परिशिष्ट 1.20

(पैराग्राफ 1.4.6.8 (ii) में संदर्भित)

आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किए गए

क्र. सं.	एआरएन्	एआरएन् तिथि	जीएसटीआईएन	दावे की राशि	धारा 54(3) के दूसरे एवं तीसरे परंतु के तहत घोषणा	धारा 54(3) (ii)/89(2)(बी) के तहत विवरण 3 एवं नियम 89(2)(सी) के तहत घोषणा	धारा 16(2)(सी) और धारा 42(2) के संबंध में अंडरटेकिंग	सी.ए. प्रमाणपत्र
1	AA070220002229W	03-02-20	07AAFCA1440A1ZH	19379433	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
2	AA071019004313R	03-10-19	07AAFFB2718P1Z8	9944803	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
3	AA071119069013E	27-11-19	07AADCR3787M1ZR	8743908	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
4	AA071019004281Q	03-10-19	07AAFFB2718P1Z8	9795937	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
5	AA0710190381587	22-10-19	07BHLPG5333B1ZP	9705043	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
6	AA071019009460L	06-10-19	07AKTPS3047C1ZY	6026635	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
7	AA071019004236L	03-10-19	07AAFFB2718P1Z8	5658232	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
8	AA071219047756U	21-12-19	07AAACE9760E1ZN	5288728	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
9	AA070120023059U	11-01-20	07IANPK3841Q1ZU	4514420	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10	AA071119018126G	09-11-19	07BKSPA0160L1Z5	4044278	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
11	AA070120028569E	14-01-20	07FGGPK4837Q1ZM	3395861	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
12	AA071219011136K	05-12-19	07AAAFF5198C1ZK	3144144	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
13	AA0711190191794	11-11-19	07AAAFF5198C1ZK	2982256	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
14	AA071019004209I	03-10-19	07AAFFB2718P1Z8	3489662	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
15	AA070620028423M	19-06-20	07AAAFF5198C1ZK	2594487	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
16	AA070120062951L	30-01-20	07AHEPJ0283F1ZN	2430000	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
17	AA071219061164B	27-12-19	07AAFFA1903P1ZG	2367648	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
18	AA070220015881P	11-02-20	07AAAFF5198C1ZK	2264057	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
19	AA0712190345349	16-12-19	07ACAFS2113G1ZM	2111358	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
20	AA071219042194B	19-12-19	07AHJPK2328R1ZU	2024756	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
21	AA071219061403D	27-12-19	07FNIPS4228G1ZP	1843490	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
22	AA071019013507F	09-10-19	07ABFFS2155L1ZY	1875117	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
23	AA071219049727T	22-12-19	07ACAFS2113G1ZM	1754382	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
24	AA070120024465S	12-01-20	07ACAFS2113G1ZM	1749854	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
25	AA0712190106486	05-12-19	07BKSPA0160L1Z5	1695463	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
26	AA0712190607731	27-12-19	07AAACE9760E1ZN	1698198	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
27	AA070220020658L	13-02-20	07AAAFF5198C1ZK	1578051	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
28	AA071019040442K	23-10-19	07FNIPS4228G1ZP	1430038	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
29	AA071119020286E	11-11-19	07ACAFS2113G1ZM	1412628	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
30	AA071219048252B	21-12-19	07AAACE9760E1ZN	1298809	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
31	AA0712190183195	09-12-19	07AAAPK2778D1ZW	3130000	हां	हां	हां	नहीं
32	AA070120005884N	03-01-20	07AAJFN8319C1ZA	2859055	हां	हां	हां	नहीं
33	AA0711190531982	22-11-19	07ADTPD0250H1ZR	1908848	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
34	AA071219005563D	03-12-19	07AAHCA6753A1ZX	1673695	हां	हां	हां	नहीं
35	AA071119015601L	08-11-19	07ABFPK6441D1ZX	1451899	हां	हां	हां	नहीं
36	AA0711190592934	25-11-19	07AFXPK1851R1ZI	1128436	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
37	AA0712190079229	04-12-19	07AAAFK3305J1ZN	1049222	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
38	AA0711190759013	29-11-19	07ALWPJ2284N1ZA	998000	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
39	AA071219052775X	24-12-19	07ABOPS3520J1ZD	995355	हां	हां	हां	नहीं
40	AA071119078729M	30-11-19	07AWXPG9338G1ZW	993401	हां	हां	हां	नहीं
41	AA070120012770Z	07-01-20	07AZEPC1266B1Z0	990620	नहीं	नहीं	हां	हां

42	AA070120023616S	11-01-20	07ADMPG9263E1ZE	984839	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
43	AA070120054551T	26-01-20	07ENLPK4265D2ZV	981358	हां	हां	हां	नहीं
44	AA0709190605750	26-09-19	07AAFPA4018B1ZK	978755	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
45	AA070120018605S	09-01-20	07ALHPG0138R1ZV	977173	हां	हां	हां	नहीं
46	AA070420009579A	24-04-20	07HQNPK5319G1ZI	976330	हां	हां	हां	नहीं
47	AA070620026357F	18-06-20	07AVVPC5549G1Z7	974872	हां	हां	हां	नहीं
48	AA070120060560W	29-01-20	07ADEPK4861A2ZV	973475	हां	हां	हां	नहीं
49	AA071119018399Z	10-11-19	07ALWPG3733B3Z4	970906	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
50	AA0712190663444	30-12-19	07CEPPK9714Q2ZH	969442	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
51	AA070520001486N	04-05-20	07EUMPK3104D1ZX	968114	हां	हां	हां	नहीं
52	AA070120050795H	24-01-20	07ADUPG8214B1ZN	960864	हां	हां	हां	नहीं
53	AA0711190217748	12-11-2019	07AADCR3787M1ZR	18836363	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
54	AA071219042867U	19-12-2019	07AEZPB4000Q1Z6	4634766	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
55	AA0712190155582	07-12-2019	07AEZPB4000Q1Z6	3389744	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
56	AA071219021183J	10-12-2019	07AAFCT2542J1ZA	2910905	हां	हां	हां	नहीं
57	AA0711190547319	23-11-2019	07AACCN4108M1ZF	2581460	हां	हां	हां	नहीं
58	AA071119000508G	01-11-2019	07AABCC1919J1ZS	2204072	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
59	AA070120018963K	09-01-2020	07AAHPJ7626G1ZN	1990455	हां	हां	हां	नहीं
60	AA070420007635M	20-04-2020	07AAYCS2594Q1Z2	1476932	हां	हां	हां	नहीं
61	AA071119050701G	22-11-2019	07AAYFR9506J1ZD	1328762	हां	हां	हां	नहीं
62	AA0712190482927	21-12-2019	07AAHPG8025A1Z7	1157351	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
63	AA071019010645G	07-10-2019	07AAOCA4399R1ZL	1077008	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
64	AA070320018048Q	12-03-2020	07AAGPB3996E1ZR	999210	हां	हां	हां	नहीं
65	AA0704200046200	13-04-2020	07GIUPS7291M3ZU	998156	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
66	AA071119051479Y	22-11-2019	07ADZPG0870C1ZI	995591	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
67	AA070620004931N	04-06-2020	07GIUPS7291M3ZU	994804	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
68	AA071119000230Z	01-11-2019	07AAIPP6277C1ZJ	990625	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
69	AA070520000706Q	02-05-2020	07AAJFB1803H1ZT	990000	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
70	AA070320003935M	03-03-2020	07AACCJ0612L1ZS	985000	हां	हां	हां	नहीं
71	AA070420007688B	21-04-2020	07EUMPK3104D1ZX	982119	हां	हां	हां	हां
72	AA0712190574245	26-12-2019	07AAGPB3996E1ZR	978928	हां	हां	हां	हां
73	AA0701200544830	26-01-2020	07ENLPK4265D2ZV	977501	हां	हां	हां	नहीं
74	AA0712190264193	12-12-2019	07CEPPK9714Q2ZH	976386	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
75	AA071119063767T	26-11-2019	07FOEPM6235J1ZN	975292	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
76	AA070520007127R	12-05-2020	07BHVPS5283A1ZW	973712	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
77	AA070220037846D	21-02-2020	07AAIFB9926E1ZC	971380	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
78	AA0707200143440	07-07-2020	07AUAPN1495J1ZF	970006	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
79	AA070520010871P	16-05-2020	07ATZPA5113C1ZX	968140	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
80	AA0703200022129	02-03-2020	07AFFPG1826E1ZW	963862	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
81	AA070320026758B	17-03-2020	07AATFG8521D1Z9	4680360	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
82	AA071219002362M	02-12-2019	07AEZPB4000Q1Z6	3841378	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
83	AA0712190554156	25-12-2019	07AAKPG6996P1ZP	2925520	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
84	AA070420005257Q	15-04-2020	07AEDPB6604E1Z3	2673231	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
85	AA070120028188M	14-01-2020	07AAKPG6996P1ZP	2247411	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
86	AA071219013465B	06-12-2019	07ABZPS9999Q1ZL	2272558	हां	हां	हां	नहीं
87	AA070620041105T	25-06-2020	07AATFG8521D1Z9	1738482	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
88	AA071119031890A	15-11-2019	07CAVPM3059G1Z9	1488048	हां	हां	हां	नहीं
89	AA071119064010P	26-11-2019	07AFXPK1851R1ZI	1331022	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
90	AA0712190394940	18-12-2019	07ABSFS3870R1Z1	1193352	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
91	AA0712190087173	04-12-2019	07AFXPK1851R1ZI	1025887	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
92	AA070120025950S	13-01-2020	07ADMPG9263E1ZE	998169	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
93	AA0705200252201	29-05-2020	07ADMPG9263E1ZE	990765	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
94	AA070220024616P	15-02-2020	07AEIPA7057H1ZK	990090	नहीं	नहीं	नहीं	हां

95	AA070220002685Q	04-02-2020	07CHPPS0569A2Z5	979124	हां	हां	हां	नहीं
96	AA070520004714P	08-05-2020	07CHPPS0569A2Z5	978112	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
97	AA070420010746M	27-04-2020	07ALHPS0100R3ZV	975309	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
98	AA070120007790U	04-01-2020	07FOEPM6235J1ZN	974010	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
99	AA070620019303R	13-06-2020	07AASPK3650Q1ZY	971815	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
100	AA071119000142W	01-11-2019	07BNPPS3697N1ZS	970014	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
101	AA070320024855H	16-03-2020	07AADCE8637R1ZV	968416	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
102	AA0703200202052	13-03-2020	07CBIPP2128M1ZC	967446	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
103	AA070220002733X	04-02-2020	07AESPG3092G2ZA	964610	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
104	AA070620000069Q	01-06-2020	07AVVPC5549G1Z7	960864	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
105	AA0712190345349	16.12.2019	07ACAFS2113G1ZM	2111358	नहीं	हां	नहीं	नहीं
106	AA071219042989M	19.12.2019	07AEYPJ9369P1Z3	210677	हां	हां	हां	नहीं
107	AA071219049758O	22.12.2019	07BISPK7409Q1ZB	554762	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
108	AA071219053929P	24.12.2019	07AIOPN9744L1ZD	168090	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
109	AA070120023702Z	11.01.2020	07AAMFT5502G1Z6	246839	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
110	AA070120024000G	11.01.2020	07ELKPS1062PDZ3	873372	नहीं	नहीं	हां	नहीं
111	AA070120042434V	21.01.2020	07AAKCM4547M1ZX	373850	नहीं	नहीं	हां	नहीं
112	AA0712190576811	26.12.2019	07AERPA2261E1ZT	6264033	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
113	AA0704200020163	06.04.2020	07AUIPK2099P1ZW	3897580	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
114	AA071219016998P	08.12.2019	07AHGPK6252K1Z4	2700482	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
115	AA070320026811R	17.03.2020	07AAKPG6996P1ZP	2283554	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
116	AA071219060240K	27.12.2019	07AABCC1919J1ZS	1343183	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
117	AA070120010598N	06.01.2020	07AGXPG3561F1Z6	1245323	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
118	AA070120044580U	22.01.2020	07ABSFS3870R1Z1	998233	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
119	AA0711190378235	18.11.2019	07ABSFS3870R1Z1	997120	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
120	AA070720000148Q	01.07.2020	07DIAPS7381K1ZO	991230	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
121	AA070720007295I	03.07.2020	07AAKPG6996P1ZP	987797	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
122	AA070220042406S	23.02.2020	07AAEHG9542D1ZD	982492	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
123	AA0712190663262	30.12.2019	07FUFPK0122P1ZI	979948	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
124	AA071219026018D	12.12.2019	07ALWPG3733B3Z4	976452	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
125	AA071219008250N	04.12.2019	07ALWPG3733B3Z4	974206	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
126	AA070620000086U	01.06.2020	07AVVPC5549G1Z7	970099	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
127	AA070220041215Y	22.02.2020	07CGLPK5469C2Z6	964877	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
128	AA071119077836Q	30.11.19	07AAKPG6996P1ZP	2760455	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
129	AA071219057187Z	26.12.19	07AAMFJ0020F1ZV	1574792	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
130	AA0709190638789	28.09.19	07AAIPP6277C1ZJ	998954	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
131	AA070520020292V	25.05.20	07AHDPG6202A1Z6	997522	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
132	AA0706200223010	16.06.20	07AUAPN1495J1ZF	978310	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
133	AA071019030340S	18.10.19	07AESPG3092G2ZA	974733	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
134	AA070120052772N	25.01.20	07FUFPK0122P1ZI	972312	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
135	AA071119000262S	01.11.19	07DRGPK7960D2ZL	970888	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
136	AA071019030286E	18.10.19	07ADEPK4861A2ZV	966240	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
137	AA070220019566J	13.02.2020	07AEZPB4000Q1Z6	2988498	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
138	AA071219032611H	15.12.2019	07AAFCA5397J1ZA	2753947	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
139	AA070120015738K	18.01.2020	07AARFV0873F1ZT	1251618	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
140	AA071019012750L	09.10.2019	07AGWPH0963M1ZR	997450	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
141	AA070120054281W	26.01.2020	07IRZPK3060A1ZL	990204	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
142	AA071119050314H	22.11.19	07AAIPP6277C1ZJ	979033	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
143	AA070220002695P	04.02.2020	07ADEPK4861A2ZV	984326	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
144	AA070520008742M	06.05.2020	07AYAPK9080A1ZO	978207	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
145	AA070120028488G	14.01.2020	07CHPPS0569A2Z5	976620	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
146	AA070620003139O	02.06.2020	07AYAPK9080A1ZO	975887	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
147	AA0702200252603	15.02.2020	07ALHPS0100R3ZV	974604	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

148	AA070120054754J	26.01.2020	07FUFPK0122P1ZI	972312	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
149	AA071119022167E	12.11.2019	07AAAFG7245D1ZP	970705	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
150	AA071019030405K	18.10.2019	07CGBPS1991K1ZX	968852	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
151	AA071219006869U	3.12.2019	07CEPPK9714Q2ZH	967788	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
152	AA071119060116F	25.11.2019	07BRVPM1251L1ZA	965936	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
153	AA070619038061B	24-06-2019	07AWAPT3692F1ZB	2705094	हां	लागू नहीं	हां	नहीं
154	AA070918078601T	09-02-2019	07AAACR7943J1Z2	2686128	हां	लागू नहीं	हां	नहीं
155	AA0711186055491	12-06-2019	07AAGCM6855J1Z0	2595421	हां	लागू नहीं	हां	नहीं
156	AB071218103117J	22-02-2019	07ANRPM4498A1ZN	2574045	हां	लागू नहीं	हां	नहीं
157	AB071217123114N	05-11-2018	07AHGPK6252K1Z4	2574000	हां	लागू नहीं	हां	नहीं
158	AA0703180163099	22-01-2019	07BXUPB3036P1ZZ	2470891	हां	लागू नहीं	हां	नहीं
159	AA070318026687X	22-02-2019	07AENPB0869D1ZO	2358909	नहीं	लागू नहीं	हां	नहीं
160	AA070319295599D	16-04-2019	07AUAPK8505E2ZV	2355321	हां	लागू नहीं	हां	नहीं
161	AA070919025400A	12-09-2019	07AAACZ7301C1ZP	2325837	हां	लागू नहीं	हां	नहीं
162	AA0702193647016	18-03-2019	07AXOPM2676H4ZX	2289992	हां	लागू नहीं	हां	नहीं
163	AA0708190373141	21-08-2019	07CAVPM3059G1Z9	2183547	हां	लागू नहीं	हां	नहीं
164	AA070319278545R	15-04-2019	07AXOPM2676H4ZX	2159976	हां	लागू नहीं	हां	नहीं
165	AA070318042928V	29-03-2019	07AKWPK1622L1ZR	2128538	हां	हां	हां	नहीं
166	AA0702193552728	18-03-2019	07AUAPK8505E2ZV	2120925	हां	हां	हां	नहीं
167	AA070919056613S	25-09-2019	07AAACZ7301C1ZP	2075016	हां	हां	हां	नहीं
168	AA0706190359012	23-06-2019	07AAFCT2542J1ZA	1942000	हां	हां	हां	नहीं
169	AA070918000811A	14-12-2018	07ATZPK6101G1ZH	1817651	हां	लागू नहीं	हां	नहीं
170	AA0709190140085	06-09-19	07AADCP5800D1ZU	1885280	हां	लागू नहीं	हां	नहीं
171	AA070819037439N	21-08-19	07CAVPM3059G1Z9	1881291	हां	लागू नहीं	हां	नहीं
172	AA070219793174W	05-06-2019	07AGRPM7638P1ZB	1874037	हां	लागू नहीं	हां	नहीं
173	AA070418013752B	20-01-2019	07AOFPS0792C1ZY	1870876	नहीं	हां	हां	हां
174	AA070118015356F	18-03-2019	07AEZPB4000Q1Z6	1863673	हां	लागू नहीं	हां	नहीं
175	AA071017734213K	23-08-2018	07AAAFI9566K1ZW	5439036	नहीं	हां	हां	हां
कुल				**367684092**				

परिशिष्ट 1.21

(पैराग्राफ 1.4.6.8 (iii) में संदर्भित)

रिटर्न दाखिल नहीं किया गया

क्र. सं.	निर्धारिति का नाम	जीएसटीआईएन	एआरएन	रिफंड की अवधि	दाखिल करने की तिथि	दावा किया गया रिफंड (₹)	जीएसटीआर 1/ जीएसटीआर 3बी
1	बैलवे इंटरनैशनल	07HQNPK5319G1ZI	AA070420009579A	फरवरी 2020	24-04-20	976330	दिसम्बर 2019 जीएसटीआर-1 लुप्त
2	नेती इंटरनैशनल	07AVVPC5549G1Z7	AA070620026357F	फरवरी 2020	18-06-20	974872	फरवरी 2019 जीएसटीआर 1 लुप्त
3	क्रम्पटन सेल्स कोर्पोरेशन	07EUMPK3104D1ZX	AA070520001486N	जुलाई 2019	04-05-20	968114	जून 19 जीएसटीआर लुप्त
4	किंग इंटरनैशनल	07AYAPK9080A1ZO	AA070620004749A	मार्च 2019	03-06-2020	987186	सितम्बर 17 एवं अक्तूबर 17, जीएसटीआर 1 लुप्त
						3906502	

परिशिष्ट 1.22

(पैराग्राफ 1.4.7.1 में संदर्भित)

ऑनलाइन मामले (स्वीकृत किए गए और दावा किए गए रिफंड का अंतर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट नहीं किए गए)

क्र.सं.	नाम	जीएसटीआईएन	एआरएन	रिफंड की अवधि	दाखिल करने की तिथि	पावती की तिथि	स्वीकृति की तिथि (आरएफडी 06)	रिफंड का दावा (₹)	स्वीकृत रिफंड (₹)	ईसीएल में क्रेडिट की जाने वाली रिफंड राशि
1	न्यु अर्चना इंडिया	07AAJFN8319C1ZA	AA070120005884N	अक्तू 19 से नवं.19	03-01-2020	15-01-2020	18-03-2020	2859055	2808220	50835
2	वाई सी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स	07AABFY4762C1Z8	AA070320022215Z	अगस्त 2019	14-03-2020	05-06-2020	02-07-2020	23035428	22792650	242778
3	शिव ओम इंडिया	07ABZPS9999Q1ZL	AA071219013465B	जून 19- सित-19	06-12-2019	31-12-2019	17-02-2020	2272558	2028355	244203
4	मैसर्स रिचा इंडस्ट्रीज	07AAACR7943J1Z2	AA0710180772259	अक्तूबर 2018	09-02-2019	26-04-2019	22-05-2019	3685052	3544922	140130
5	हैरिटेज इंडिया एक्सपोर्ट इंडिया प्रा.लि.	07AABCH4111P1ZL	AB0706181133176	जून-18	04-12-2018	20-02-2019	02-07-2019	6050205	5602346	447859
6	इस्टीट्यूट फॉर फाइनेंसियल मैनेजमेंट रिसर्च	07AAATI2605P1ZJ	AB0703181204692	अग.-17 से मार्च-18	24-09-2018	28-08-2020	05-11-2020	13980670	9302031	4678639
7	आरके इंटरप्राइजेज	07AABFA3806B1Z7	AB0703181287721	जन. 2018 - मार्च 2018	09-10-2018	13-02-2019	18-07-2019	4974865	4801427	173438
8	किंग इंपेक्स	07AAPFK7868M1ZA	AA0707187315009	जुलाई-18	11-12-2018	17-06-2019	22-08-2019	5018165	4979597	38568
9	खन्ना ज्वैलर्स प्रा. लि.	07AAACK4010B1ZE	AA070318108127E	फरवरी 2018 - मार्च 2018	12-06-2019	23-09-2019	14-02-2020	6435835	6292619	143216
10	जैना इंडिया प्रा.लि	07AADCJ3491J2ZB	AA071118501036N	सित 2018 - नवं 2018	16-01-2019	14-05-2019	02-01-2020	18360668	17798460	562208
11	नोबल वेलनैस प्रा.लि	07AADCN9685J1ZS	AB0703190907120	अप्रैल 2018 - मार्च 2019	16-05-2019	30-08-2019	20-12-2019	6296326	6130388	165938
								92968827	**86081015**	**6887812**

परिशिष्ट 1.23

(पैराग्राफ 1.4.8(घ) में संदर्भित)

अभिलेखों की गैर-प्रस्तुतिकरण (प्री-ऑटोमेशन मामले)

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	एआरएन
1	07AABCA4008N1ZS	AA0708186795793
2	07AAACT6669D1Z8	AA070318079102C
3	07AAKFB2774N1ZZ	AA070819008596Q
4	07AAACC5508L1ZO	AA070719008983R
5	07CRAPS6697G1Z7	AA0711170175297
6	07AWCPS5480Q1ZP	AD070519208198S
7	07AXSPB5948F2Z5	AA070619046389N
8	07GRSPS9996C4ZI	AA0706190441174
9	07EUMPK3104D1ZX	AA0707190495004
10	07ARAPH4764M3ZH	AB071218187778F
11	07HTPPS0077C2ZC	AA070218773954O
12	07AGEPA8540K1ZF	AA070618055792T
13	07EGMPM1355J3Z0	AA070719024456Y
14	07ACUPK2231P1Z3	AA070218773970U
15	07AGEPA8540K1ZF	AA070518030562B
16	07CQAPR0784G1ZQ	AA0701180147196
17	07AWCPS5480Q1ZP	AA0710177558026
18	07CBRPD5471J1Z9	AA071017755669Q
19	07AGEPA8540K1ZF	AA070418027192D
20	07DAJPS9264Q2ZH	AA070119764776N
21	07CRAPS6697G1Z7	AB070917116369Q
22	07CMMPK5764M1ZA	AB070917110070J
23	07AAFCR8280F1Z6	AA070218783196U
24	07AAACV3194M1ZX	AA070318079874N
25	07ADRPA7959A1ZG	AA070519003491D
26	07AAFFA1814M1ZK	AA0709190146801
27	07AAACB0018N1ZY	AA070619015637X
28	07AAFFC7203C1Z0	AA0711177742172
29	07ADDPB0466F1Z3	AB070918068760N
30	07AAIPK2634G1ZV	AB0712180292087
31	07BQNPS5602L2ZA	AA0704197208422
32	07ARAPH4764M3ZH	AA070319245261C
33	07EFVPK4273P3ZC	AA070619018958K
34	07AXOPM2676H4ZX	AA070419177754O
35	07DTNPS1322A3ZV	AA070319244351C
36	07AACCT3281B1ZO	AA0712188461371
37	07AAACJ0273F1ZY	AA070919007927M
38	07AAACY6953B1ZC	AA0703180144479
39	07DJWPK9615K1ZB	AA0703192442548
40	07ERIPM5129M2Z8	AB0703190347425
41	07AAFFB2718P1Z8	AA070118769288P
42	07AAOCS7204D1ZE	AA070719047650Z
43	07AAECD9040L1ZG	AA070619036853U
44	07AAICM2102N1ZI	AB070318101811I
45	07AAKFB2774N1ZZ	AA0708190085241
46	07AABCF5150G1ZX	AB070318157200H
47	07AAFFA1814M1ZK	AA070919014719O
48	07AAACC2314A1ZL	AB070318118849Q
49	07AABCI6253M1ZB	AB070618113610E
50	07AAACO0773H2ZJ	AA070819055654P
51	07AAAPK3918K1ZP	AA071118034016L
52	07ABIPY1839Q1ZP	AA071118010527G

53	07AAAFP6869L2ZM	AA071218001990E
54	07ACDPT3644G1ZJ	AA071218022683A
55	07ASTPK7256K1ZY	AA070819042986H
56	07AABCS6967N1ZM	AA0708190157701
57	07AACFL9858K1ZO	AA0703180379216
58	07ACWFS8937Q1ZN	AA070918090442V
59	07AAGCC4826P1Z7	AA070717008143F
60	07AMAPG9839R1ZA	AB070917098832G
61	07ACRPG5854B1ZK	AA071018315760G
62	07AOLPS3899C1ZE	AA070719049796F
63	07AACCB5163C1Z3	AA070919000798O
64	07BXCPG0596H2ZH	AA0712183138347
65	07AACCI6429A1ZX	AA0709190205334
66	07BNAPS3609B1ZC	AA070819032248
67	07AAECB2932K1ZP	AA07073180406374
68	07AACCA7791D1ZO	AA070118016177E
69	07AABCF2133M1ZR	AA0708170092365
70	07AIEPJ3047J1ZB	AA070718694502R
71	07AJOPG0270B1ZO	AB071218133081K
72	07AETPG7241L1Z0	AA070219790888C
73	07AAFFD8494E1Z8	AA070719028896I
74	07AAGCG3332G1ZV	AA070919048563P
75	07AAGPB8046D1Z2	AA0703180737141
76	07FLOPK3778K1Z9	AA071118566564X
77	07ATCPK7974J2Z5	AA070219199878A
78	07EPEPP3916R3Z3	AA070319992906G
79	07CYHPS5502C2ZJ	AA070319798529C
80	07AGRPM7638P1ZB	AA070318004162P
81	07AEMPD8678R1ZF	AA070319193776K
82	07BUEPS0034H2ZS	AA070319875349K
83	07BEBPT2994A4ZE	AA0703192444148
84	07DJIPK3949A1Z9	AA070319243060K
85	07CYHPS5502C2ZJ	AA0704197314617
86	07EPEPP3916R3Z3	AA070719000927X
87	07BUEPS0034H2ZS	AA070419732408Y
88	07AAJFN8319C1ZA	AA0707190223538
89	07BPPPR8249D1ZC	AA0701197225448
90	07AQLPT8553A1ZK	AA070619028213A
91	07AHGPK6252K1Z4	AA070118768097V
92	07AGRPM7638P1ZB	AA070118001415P
93	07AETPG7241L1Z0	AA070919020826T
94	07AAQPK9848Q1ZG	AA070318023362I
95	07AQEPB5448H1ZZ	AA0706190284409
96	07AAFCC1829B1Z4	AA0702187710837
97	07AAFCC1829B1Z4	AB071217103112V
98	07AAAFJ3369H1ZD	AA070119001335N
99	07ACTFS7010H1ZV	AA070218770844U
100	07AACCN4108M1ZF	AA0706190331276
101	07AABCF0191R1ZB	AA0709190406007

परिशिष्ट 2.1

(पैराग्राफ 2.1.1 को देखे)

विभागों एवं संबंधित सा.क्षे.उ. तथा अन्य संस्थाओं के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	विभागों का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (रा.क्षे.उ.) के नाम	अन्य कंपनियों स्वायतनिकायों/प्राधिकरणों, आदि के नाम	कुल सा.क्षे.उ./ अन्य कंपनियाँ
1	2	3	4	5= 3+4
1.	लोक निर्माण विभाग	-	-	-
2.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	-	-	-
3.	शहरी विकास	1. शाहजहाँनाबाद पुनर्विकास निगम लिमिटेड 2. एनडीएमसी स्मार्टसिटी लिमिटेड	1. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड 2. दिल्ली जल बोर्ड	4
4.	बिजली विभाग	1. इंद्रप्रस्थ पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 2. प्रगति पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 3. दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड 4. दिल्ली ट्रास्को लिमिटेड	1. दिल्ली बिजली नियामक आयोग	5
5.	पर्यटन विभाग	1. दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम	1. दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी	2
6.	पुरातत्व विभाग	-	-	-
7.	दिल्ली अभिलेखागार	-	-	-
8.	कला, संस्कृति एवं भाषा		1. हिन्दी अकादमी 2. पंजाबी अकादमी 3. उर्दू अकादमी 4. संस्कृत अकादमी 5. सिंद्यी अकादमी 6. साहित्य कला परिषद 7. डॉ. गोस्वामी गिरिधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्यालय प्रीतिस्ठान 8. भोजपुरी एवं मैथिली अकादमी	8
9.	व्यापार एवं कर विभाग	-	-	-
10.	राज्य उत्पाद एवं व्यय	-	-	-
11.	वित्त विभाग	1. दिल्ली वित्त आयोग	1. दिल्ली कल्याण समिति	2
12.	योजना आयोग	-	-	-
13.	अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय	-	-	-
14.	गृह विभाग	-	-	-
15.	कानून, न्याय एवं विधान संबंधी मामलों के विभाग	-	1. दिल्ली कानूनी सेवा प्राद्यिकरण (दि.का.से.प्रा.)	1
16.	रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय	-	-	-
17.	अभियोजन निदेशालय	-	-	-
18.	सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी निदेशालय	-	-	-

क्र. सं.	विभागों का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (रा.क्षे.उ.) के नाम	अन्य कंपनियों स्वायतनिकायों/प्राधिकरणों, आदि के नाम	कुल सा.क्षे.उ./ अन्य कंपनियाँ
19.	राजस्व विभाग	-	-	-
20.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	-	-	-
21.	विधानसभा का सचिवालय	-	-	-
22.	सामान्य प्रशासन विभाग	-	-	-
23.	प्रशासनिक सुधार विभाग	-	-	-
24.	उप राज्यपाल का सचिवालय	-	-	-
25.	लोकायुक्त	-	-	-
26.	लोक शिकायत आयोग	-	-	-
27.	सूचना एवं प्रचार विभाग	-	-	-
28.	भूमि एवं भवन विभाग	-	-	-
29.	उद्योग विभाग	1. दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम	-	1
30.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1. भू-स्थानिक दिल्ली लि०	-	1
31.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	-	1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	14
			2. मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान	
			3. दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान	
			4. दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन-आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक और आम आदमी मोहल्ला सोसाईटी (सोसाईटी 2020-21 से अस्तित्व में आया) के लिए स० अनु०	
			5. दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (स० अनु०)(राज्य अंश)- एन यूएचएम और डीएसएचएम	
			6. राजीव गाँधी सुपर स्पेशियलिटी जीटीबी हॉस्पिटल	
			7. मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस	
			8. सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, जनकपुरी	
			9. चाचा नेहरू चाइल्ड हॉस्पिटल	
			10. चौधरी ब्रहम प्रकाश दिल्ली आयुर्वेदिक चरक हॉस्पिटल	

क्र. सं.	विभागों का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (रा.क्षे.उ.) के नाम	अन्य कंपनियों स्वायतनिकायों/प्राधिकरणों, आदि के नाम	कुल सा.क्षे.उ./ अन्य कंपनियाँ
			11. केंद्रीकृत दुर्घटना एवं आघात सेवाएँ (सीएटीएस)	
			12. रोगी कल्याण समिति (स० अनु०)	
			13. इन्द्रप्रस्थ व्यवसायिक एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य समिति (आईवीपीएसएस)	
			14. दिल्ली एड्स कंट्रोल सोसाईटी	
32.	समाज कल्याण	-	-	-
33.	महिला एवं बाल विकास	-	1. दिल्ली महिला आयोग	2
			2. दिल्ली राज्य बाल संरक्षण सोसाईटी	
34.	अ०जा०/अ०ज०जा०/ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1. दिल्ली अ०जा०/अ०ज०जा०/अ०पि०व०/ अल्पसंख्यक और विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम (डीएसएफडीसी)	-	1
35.	शिक्षा	-	1. सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा मिशन (सा०प्रा०शि०मि०) (स०अनु०)	3
			2. राज्य शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (स० अनु०)	
			3. दिल्ली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	
36.	उच्च शिक्षा	-	1. गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (स०अनु०)	15
			2. डॉ० बी आर अंबेडकर विश्वविद्यालय (स० अनु०)	
			3. राष्ट्रीय विधि विद्यालय विश्वविद्यालय (स० अनु०)	
			4. अदिति महाविद्यालय (स० अनु०)	
			5. महाराजा अग्रसेन कॉलेज (स० अनु०)	

क्र. सं.	विभागों का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (रा.क्षे.उ.) के नाम	अन्य कंपनियों स्वायतनिकायों/प्राधिकरणों, आदि के नाम	कुल सा.क्षे.उ./ अन्य कंपनियाँ
			6. महर्षि वाल्मिकी कॉलेज ऑफ एजुकेशन (स० अनु०)	
			7. दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज (स० अनु०)	
			8. शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस कॉलेज (स० अनु०)	
			9. शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाईड साईस फॉर वुमन (स० अनु०)	
			10. केशव महाविद्यालय (स० अनु०)	
			11. भास्कराचार्य कॉलेज फॉर अप्लाईड साईस (स० अनु०)	
			12. भगिनी निवेदिता कॉलेज (स० अनु०)	
			13. भीम राव अम्बेडकर (स० अनु०)	
			14. आचार्य नरेन्द्र देव कॉलेज (स० अनु०)	
			15. दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज,रिसर्च एण्ड मैनेजमेंट	
37.	प्रशिक्षण और तकनिकी शिक्षा	-	1. नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (स०अनु०)	6
			2. इन्द्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली (ऋण)	
			3. दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (स०अनु०)	
			4. दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग (स०अनु०)	
			5. सोसाईटी फॉर सेल्फ एमप्लाइमेंट (स० अनु०)	
			6. इन्दिरा गाँधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमन (स०अनु०)	
38.	सेवा विभाग	1. इंटेलिजेंट काम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड (आईसीएसआईएल)	-	1
39.	श्रम विभाग	-	1. हिन्दी भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (उपकर संग्रहण)	2

क्र. सं.	विभागों का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (रा.क्षे.उ.) के नाम	अन्य कंपनियों स्वायतनिकायों/प्राधिकरणों, आदि के नाम	कुल सा.क्षे.उ./ अन्य कंपनियाँ
			2. दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड (स०अनु०)	
40.	रोजगार निदेशालय	-	-	-
41.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग	1. दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएससीएससी)	-	1
42.	विकास विभाग	-	1. एनिमल वेलफेयर एडवाईजरी बोर्ड (स०अनु०)	1
43.	कृषि विपणन निदेशालय	-	-	-
44.	भार एवं मापन निदेशालय	-	-	-
45.	रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़	-	-	-
46.	वन एवं वन्य जीवन विभाग	-	-	-
47.	पर्यावरण विभाग	-	1. दिल्ली पार्क एण्ड गार्डेन सोसाईटी	2
			2. महात्मा गाँधी इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चैंज (पूर्ववर्ति महात्मा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटिग्रेटेड रुरल एनर्जी प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट)	
48.	परिवहन विभाग	1. दिल्ली परिवहन निगम (दि०प०नि०)	1. डीटीसी पेंशन ट्रस्ट	4
		2. दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीटीआईडीसी)	2. डीटीसी ईपीएफ ट्रस्ट	
		कुल		**76**

परिशिष्ट 2.2

(पैराग्राफ 2.2.10.1 (ii) को देखे)

लाभार्थी डेटा में डुप्लीकेट बैंक खातों की सूची - वर्दी सब्सिडी योजना

वर्ष	कुल नामांकन	बिना बैंक खाते वाले छात्र	डुप्लीकेट बैंक खाते का विवरण	
			बैंक खाता संख्या	पुनरावृति की सं०
2017-18	1752997	26214	*********2214	331
			*********3537	331
			*********1374	119
			*********1260	59
			2 खाते	13 (26)
			13 खाते	6 to 10 (103)
			116 खाते	3 to 5 (383)
			4200 खाते	2 (8400)
				9752
2018-19	1792871	23669	*********3537	382
			*********2214	315
			*********1374	158
			*********1260	49
			*********0100	29
			5 खाते	12 to 17 (70)
			11 खाते	6 to 9(76)
			128 खाते	3 to 5 (417)
			4583 खाते	2 (9166)
				10662
2019-20	1796231	34569	*********3537	472
			*********2214	275
			*********1374	232
			*********1260	38
			*********7016	30
			*********0100	23
			7 खाते	11 to 20(104)
			14 खाते	6 to 10(105)
			170 खाते	3 to 5 (568)
			5188 खाते	2 (10376)
				12223
2020-21	1832377	84257	*********3537	425
			*********2214	303
			2********0000	240
			*********1374	158
			3********0000	145
			5********0000	104
			1********0000	57
			6********0000	47
			4********0000	42
			*********2000	30
			*********1260	30
			*********7016	25

			*********1255	25
			*********8460	24
			7********0000	22
			6 **खाते**	11 to 20(97)
			31 **खाते**	6 to 10(222)
			834 **खाते**	3 to 5 (2700)
			8787 **खाते**	2 (17574)
				22270

परिशिष्ट 2.3

(पैराग्राफ 2.2.10.2 (ii) को देखे)

असफल मामलों का सारांश (वर्दी सब्सिडी योजना)

असफल मामलों के कारण	2018-19		2019-20		कुल
	सरकारी स्कूल	वित्तपोषित स्कूल	सरकारी स्कूल	वित्तपोषित स्कूल	
अवरुद्ध,जमे हुए,बंद, हस्तांतरित एवं निष्क्रिय खाता, निष्क्रिय खाता, ऐसा कोई खाता नहीं, निष्क्रिय/अमान्य बैंक या बैंक खाता, बैंक का आईएफएससी कोड से मेल नहीं खाना, आईएफएससी कोड मान्य नहीं	15191	2901	20064	0	38156
एक ही फाईल में डुप्लीकेट खाता संख्या की अनुमति नही	15	296	5	0	316
खाता अधिकतम क्रेडिट सीमा तक पहुँच गया अथवा राशि बैंक द्वारा खाते में निर्धारित सीमा से अधिक हो गया	9	5	13	0	27
खाताधारक के बालिग होने हेतु लंबित हस्तावेज	0	0	15	0	15
ग्राहक को शाखा पर भेजना	33	9	0	0	42
पूरा नाम 3 वर्णों से कम	6	0	0	0	6
खाताधारक का नाम अमान्य	0	1	0	0	1
बैंक का नाम नहीं दिया गया है	0	0	0	12466	12466
बैंक ने खाते को मान्य नही किया	0	626	0	0	626
बैंक द्वारा अस्वीकृत	2686	647	0	0	3333
निष्क्रिय आधार/बैंक	0	919	3543	0	4462
आधार अथवा खाता संख्या आवश्यक	0	11052	0	0	11052
आधार संख्या खाते से नही जोड़ा गया	0	18	0	0	18
प्रतिभागी को प्रोडक्ट से नही जोड़ा गया	0	56	0	0	56
नेटवर्क विफलता	2	2	0	0	4
केवाईसी लंबित	0	1	0	0	1
मामलों की कुल संख्या	**17942**	**16533**	**23640**	**12466**	**70581**

परिशिष्ट 2.4

(पैराग्राफ 2.2.10.4 में संदर्भित)

भुगतान डेटा में डुप्लीकेट बैंक खाते (वर्दी सब्सिडी योजना)

वर्ष	बैंक खाते का विवरण दोहराया गया	एक ही बैंक खाते में भुगतान की संख्या
2019-20	xxxxxx33537	224
	xxxxxx02214	170
	xxxxxx01374	108
	3xxxxx00000	52
	Xxxxxx37016	30
	Xxxxxx31260	29
	2xxxxx00000	24
	Xxxxxx59914	16
	Xxxxxx46047	15
	एएए	10
	Xxxxxx02080	8
	3 लेखे	6 (18)
	11 लेखे	5 (55)
	10 लेखे	4 (40)
	66 लेखे	3 (198)
	8584 लेखे	2 17168)
	कुल	**18165**
2018-19	xxxxxx33537	220
	xxxxxx01374	131
	xxxxxx02214	116
	xxxxxx46047	55
	xxxxxx31260	34
	xxxxxx48823	8
	xxxxxx03684	8
	Xxxxxx05788	7
	Xxxxxx08113	7
	4 लेखे	5 (20)
	7 लेखे	4 (28)
	32 लेखे	3 (96)
	1587 लेखे	2 (3174)
	कुल	**3904**

परिशिष्ट 2.5

(पैराग्राफ 2.5.8 में संदर्भित)

निरीक्षण में कमी

जिला	यूनिट का नाम	2017-21 (48 महीने) के दौरान आवश्यक निरीक्षण की संख्या		किए गए निरीक्षण की संख्या	कमी
		सामान्य निरीक्षण	औचक निरीक्षण		
डीएसडब्ल्यूओ (पश्चिम)	मानसिक रूप से मंद महिला बच्चों के लिए आशा ज्योति होम	48	48	02	94
	चिकित्सा देखभाल यूनिट निर्मल छाया	48	48	07	89
	कुल	**96**	**96**	**09**	**183**
डीएसडब्ल्यूओ (उत्तर-पश्चिम-I)	एनपीएस स्कूल	48	48	शून्य	96
	आशा किरण	48	48	शून्य	96
	हाफ वे होम, नव किरण 1	48	48	शून्य	96
	हाफ वे होम, नव किरण 2	48	48	शून्य	96
	कुल	**192**	**192**	**शून्य**	**384**
डीएसडब्ल्यूओ (उत्तर-पश्चिम-II)	आशा दीप नरेला	48	48	शून्य	96
	पुरूष भिखारियों के लिए घर (छः यूनिट सेवा सदन परिसर, लामपुर)	48	48	शून्य	96
	हाफवे/शार्ट स्टे होम, सेक्टर 22, रोहिणी	48	48	शून्य	96
	कुल	**144**	**144**	**शून्य**	**288**
कुल योग		**432**	**432**	**9**	**855**

परिशिष्ट 2.6

(पैराग्राफ 2.5.12.1 (ii) में संदर्भित)

दिव्यांगों को वित्तीय सहायता के लिए आवेदन के प्रसंस्करण में देरी

क्रम. सं.	आवेदन सं.	आवेदक आवेदन तिथि	पेंशन की स्वीकृति की तिथि	दिनों में देरी (30 जून 2021 तक)
1.	26040000036065	23.01.2020	19.10.2020	223
2.	26040000038433	26.04.2020	05.11.2020	147
3.	26040000038552	अप्रैल 2020	पेंशन अभी तक स्वीकृत नहीं	381
4.	26040000037478	12.03.2020	पेंशन अभी तक स्वीकृत नहीं	430
5.	26040000029400	04.09.2019	पेंशन अभी तक स्वीकृत नहीं	619
6.	26040000034629	23.12.2019	पेंशन अभी तक स्वीकृत नहीं	509
7.	26040000014461	07.08.2018	16.03.2020	540
8.	26040000014879	20.07.2018	24.02.2020	538
9.	26040000016327	26.09.2018	पेंशन अभी तक स्वीकृत नहीं	597
10.	26040000022528	09.03.2019	पेंशन अभी तक स्वीकृत नहीं	798
11.	26040000006492	25.12.2017	11.01.2019	336
12.	26040000002108	26.07.2017	05.05.2018	237
13.	26040000002729	26.08.2017	25.04.2018	196
14.	26040000000743	19.05.2017	21.04.2018	301
15.	26040000000020	14.03.2017	27.03.2018	334
16.	26040000002957	02.09.2017	29.05.2018	223
17.	26040000011812	24.05.2018	पेंशन अभी तक स्वीकृत नहीं	1088
18.	26040000007333	15.01.2018	04.05.2018	63
19.	26040000005651	04.12.2017	28.03.2018	69
20.	26040000008253	08.02.2018	पेंशन अभी तक स्वीकृत नहीं	1172
21.	26040000003704	20.09.2017	25.04.2018	171
22.	**पीजीएमएस, आईडी**: 2019122391	05.04.2017	पेंशन अभी तक स्वीकृत नहीं	1502
23.	26040000020571	20.01.2019	पेंशन अभी तक स्वीकृत नहीं	847
24.	26040000022458	21.01.2019	पेंशन अभी तक स्वीकृत नहीं	846
25.	26040000013037	18.03.2019	पेंशन अभी तक स्वीकृत नहीं	789
26.	26040000018732	दिसम्बर 2018	पेंशन अभी तक स्वीकृत नहीं	866

परिशिष्ट 2.7

पैराग्राफ 2.5.12.4 (iii)

आशा किरण परिसर में स्टाफ की कमी

क्रम. सं.	पद	आशा किरण में आवासियों की वास्तविक संख्या के अनुसार वास्तविक आवश्यकता	वास्तविक पद	कमी	कमी की प्रतिशतता
1.	जीडीएमओ	7	05	2	30
2.	चिकित्सा विशेषज्ञ	1	0	1	100
3.	फिजियोथेरेपिस्ट	1	0	1	100
4.	क्लीनिकल मनोचिकित्सक	2	1	1	50
5.	बच्चों का चिकित्सक	1	0	1	100
6.	नर्सिंग अधिकारी/सीनियर नर्सिंग अधिकारी	2	0	2	100
7.	नर्सिंग अधिकारी	25	23	2	4
8.	एएनएम	73	56	17	23
9.	कनिष्ठ विशेषज्ञ मनोचिकित्सा	02	0	2	100
10.	फार्मेसिस्ट	01	0	1	100
11.	ड्रेसर	02	1	1	50
12.	नर्सिंग अर्दली	02	2	0	0
13.	आहार विशेषज्ञ	01	0	1	100
14.	ईजीसी तकनीशियन	01	0	1	100
15.	सीएमओ प्रभारी	1	1	0	0
16.	स्त्रीरोग विशेषज्ञ	1	0	1	100
17.	दंत चिकित्सक	1	0	1	100
18.	दंत चिकित्सक सहायक	1	0	1	100
	कुल	**125**	**89**	**36**	

परिशिष्ट 2.8

(पैराग्राफ 2.6.9 और 2.6.9.1 में संदर्भित)

चयनित स्मारकों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई कमियां

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>स्मारकों का नाम</th><th>संरक्षण की अवधि और
संरक्षण पर खर्च की गई राशि
(₹ लाख में)</th><th>कमियां</th></tr>
<tr><td>01</td><td>दक्षिणी गेटवे/सराय बदरपुर</td><td>2014-16
37.28</td><td rowspan="13">कोई सुरक्षा गार्ड नहीं / कोई सुरक्षा उपकरण जैसे सीसीटीवी कैमरा और अग्निशमन उपकरण नहीं। शौचालय और गाइड की अनुपलब्धता। सामान्य प्रकाश व्यवस्था का अभाव। विकलांग व्यक्ति के लिए दुर्गम।</td></tr>
<tr><td>02</td><td>महल महिपालपुर गांव</td><td>2016-20
24.07</td></tr>
<tr><td>03</td><td>मकबरा (अज्ञात)
एम्स के पास गौतमनगर</td><td>2014-16
8.15</td></tr>
<tr><td>04</td><td>गोल गुंबद
लोधी रोड के पास</td><td>2010-12
76.81</td></tr>
<tr><td>05</td><td>कोस मीनार
नरेला</td><td>2017-20
8.69</td></tr>
<tr><td>06</td><td>दारा शिकोह पुस्तकालय
मोरी गेट</td><td>2016-20
52.04</td></tr>
<tr><td>07</td><td>मस्जिद
लोदी गार्डन</td><td>2010-12
22.44</td></tr>
<tr><td>08</td><td>घुड़शाल
महरौली पुरातत्व पार्क</td><td>2016-20
45.21</td></tr>
<tr><td>09</td><td>मकबरे
महरौली पुरातत्व पार्क</td><td>2014-16
24.41</td></tr>
<tr><td>10</td><td>मकबरे
बस टर्मिनल के पास महरौली पुरातत्व पार्क</td><td>2014-16
96.96</td></tr>
<tr><td>11</td><td>बरदारी
साधना एन्क्लेव, शेख सराय</td><td>2014-16
1.20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12</td><td rowspan="2">झरना
महरौली</td><td>2014-16
50.20</td></tr>
<tr><td>2019-20
9.81</td></tr>
<tr><td>13</td><td>विद्रोह स्मारक
हिंदू राव अस्पताल के पास उत्तरी रिज</td><td>2010-12
63.83</td><td>कोई सुरक्षा गार्ड नहीं / कोई सुरक्षा उपकरण जैसे सीसीटीवी कैमरा और अग्निशमन उपकरण नहीं। शौचालय और गाइड की अनुपलब्धता। प्रकाश की व्यवस्था का अभाव। विकलांग व्यक्ति के लिए दुर्गम। गेट बंद पाए गए। (देखें फोटोग्राफ नंबर **7**)</td></tr>
<tr><td>14</td><td>जेल बवाना</td><td>2016-20
49.50</td><td>स्मारक जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था। कोई सुरक्षा गार्ड नहीं / कोई सुरक्षा उपकरण जैसे सीसीटीवी कैमरा और अग्निशमन उपकरण नहीं। शौचालय और गाइड की अनुपलब्धता। प्रकाश की व्यवस्था का अभाव। विकलांग व्यक्ति के लिए दुर्गम। गेट बंद पाए गए। (देखें फोटोग्राफ नंबर **2** और **6**)</td></tr>
<tr><td>15</td><td>इमामबाड़ा
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास कुतुब रोड</td><td>2014-16
26.34</td><td>स्मारक जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था। कोई सुरक्षा गार्ड नहीं / कोई सुरक्षा उपकरण जैसे सीसीटीवी कैमरा और अग्निशमन उपकरण नहीं। शौचालय और गाइड की अनुपलब्धता। प्रकाश की व्यवस्था का अभाव। विकलांग व्यक्ति के लिए दुर्गम। (फोटोग्राफ नंबर **1** देखें)</td></tr>
</table>

16	कटरा मेहरामनगर घरेलू हवाई अड्डे के पास	2016-20 36.73	स्मारक सूचना बोर्ड नहीं लग था। कोई सुरक्षा गार्ड नहीं / कोई सुरक्षा उपकरण जैसे सीसीटीवी कैमरा और अग्निशमन उपकरण नहीं। शौचालय और गाइड की अनुपलब्धता। के प्रावधान का अभाव। विकलांग व्यक्ति के लिए सुलभ नहीं है।
17	गार्डेन बगीची	सूचना अनुपलब्ध	जीर्ण-शीर्ष अवस्था, स्मारक सूचना बोर्ड नहीं लगा था, कोई सुरक्षा गार्ड/कोई सुरक्षा उपकरण जैसे सीसीटीवी कैमरा और अग्निशमन उपकरण नहीं, विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ नहीं (फोटोग्राफ सं. 3 और 4 देखें)
18	सराय नेशनल जुलौजिकल पार्क प्रगति मैदान	2013-20 293.91	स्मारक सूचना बोर्ड झाड़ियों से ढ़का हुआ, कोई सुरक्षा गार्ड/सुरक्षा उपकरण जैसे सीसीटीवी कैमरा और अग्निशमन उपकरण नहीं, शौचालय और गाइड की अनुलब्धता, विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ नहीं (फोटोग्राफ सं. 5 देखें)

परिशिष्ट 2.9
(पैराग्राफ 2.6.9.3 में संदर्भित)
दिल्ली हाट में फुटफॉल और खाली क्राफ्ट स्टॉलों की प्रतिशतता का विवरण

	2017-18		2018-19		2019-20	
हाट का नाम	**खाली शिल्प स्टालों का औसत प्रतिशत**	**एक दिन में औसत फुटफॉल**	**खाली शिल्प स्टालों का औसत प्रतिशत**	**एक दिन में औसत फुटफॉल**	**खाली शिल्प स्टालों का औसत प्रतिशत**	**एक दिन में औसत फुटफॉल**
दिल्ली हाट पीतमपुरा	71	487	76	558	76	842
दिल्ली हाट जनकपुरी	78	619	69	678	65	1023
दिल्ली हाट आई एन ए	6	3099	4	3089	7	3046

©भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agaudelhi.cag.gov.in